



Ref: SIDBI TRMV / L001295513

जून/June 26, 2023

To,

प्रबंधक/The Manager

लिस्टिंग विभाग / Listing Department

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड/National Stock Exchange of India Limited

मुंबई/ Mumbai-400 051

**SIDBI की 25 वीं वार्षिक बैठक में बैंक के शेयरधारकों द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अनुमोदित की गई वार्षिक रिपोर्ट की प्रति / Annual Report of SIDBI for FY 2022-23 as adopted by the Shareholders of the Bank at its 25th AGM**

---

महोदया /महोदय,

Madam/ Sir,

सिडबी की 25वीं वार्षिक बैठक सोमवार, दिनांक 26 जून, 2023 को आयोजित की गई थी, उक्त वार्षिक बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सदस्यों द्वारा वार्षिक रिपोर्ट को विधिवत अनुमोदित और अंगीकृत किया गया है, जिसकी प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है। वार्षिक रिपोर्ट 22-23 की एक प्रति को डिबेंचर ट्रस्टी के साथ साझा किया गया था एवं इस रिपोर्ट को बैंक के सुरक्षा धारकों के साथ भी ईमेल के माध्यम से साझा किया गया है। वार्षिक रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए बैंक की वेबसाइट में प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट का वेबलिनक भी इस पत्र के साथ संलग्न है।

<https://www.sidbi.in/files/financialreport/SIDBI-AR2023-FULL.pdf>

Annual report of the Bank for FY 2022-23 was duly approved and adopted by shareholders in the 25<sup>th</sup> AGM of SIDBI held on June 26, 2023. Copy of the Annual Report for FY 22-23 is Annexed. A copy of Annual Report was shared with debenture trustee and to the security holders through email. In order to download the copy of Annual Report from our website weblink is appended.

<https://www.sidbi.in/files/financialreport/SIDBI-Annual-Report-2023.pdf>

बैंक हिन्दी में पत्राचार का स्वागत करता है।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

एमएसएमई विकास केन्द्र, सी - ११, जी ब्लॉक, बान्द्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. दूरभाष: +91 22 6753 1100, फ़ैक्स: +91 22 6755 1377

SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

MSME Development Centre, C-11, G-Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai 400 051. Tel.: +91 22 6753 1100, Fax: +91 22 6755 1377

Toll Free No.: 1800 22 6753

[www.sidbi.in](http://www.sidbi.in) | [www.sidbistartupmitra.in](http://www.sidbistartupmitra.in) | [www.udyamimitra.in](http://www.udyamimitra.in)

@sidbiofficial SIDBIOfficial



कृपया उपरोक्त प्रकटीकरण को अभिलिखित करें।

Please take note of above disclosure in your record.

कृते भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक  
For Small Industries Development Bank of India

(विष्णु कुमार साह /Vishnu Kumar Sah)  
कंपनी सचिव / Company Secretary

संलग्नक: वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बैंक की वार्षिक रिपोर्ट  
Enclosure: Annual report of the Bank for FY 2022-23

बैंक हिन्दी में पत्राचार का स्वागत करता है।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

एमएसएमई विकास केन्द्र, सी - ११, जी ब्लॉक, बान्द्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. दूरभाष: +91 22 6753 1100, फैक्स: +91 22 6755 1377

SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

MSME Development Centre, C-11, G-Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai 400 051. Tel.: +91 22 6753 1100, Fax: +91 22 6755 1377

Toll Free No.: 1800 22 6753

[www.sidbi.in](http://www.sidbi.in) | [www.sidbistartupmitra.in](http://www.sidbistartupmitra.in) | [www.udyamimitra.in](http://www.udyamimitra.in)

@sidbiofficial SIDBIOfficial



सिडबी



एमएसएमई का विकास,  
डिजिटल क्रांति के साथ

वार्षिक प्रतिवेदन  
2022-23

# यथा मार्च 31, 2023 कॉर्पोरेट सूचना

## निदेशक-मंडल

श्री सिवसुब्रमणियन रमण	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
श्री वी. सत्य वेंकट राव	उप प्रबन्ध निदेशक, पूर्णकालिक/कार्यपालक निदेशक
श्री सुदत्ता मंडल	उप प्रबन्ध निदेशक, पूर्णकालिक/कार्यपालक निदेशक
श्री भूषण कुमार सिन्हा	गैर-कार्यपालक निदेशक/ स्वतंत्र निदेशक/ सरकार के नामिती
डॉ. रजनीश	गैर-कार्यपालक निदेशक/ स्वतंत्र निदेशक/ सरकार के नामिती
श्री के संपत कुमार	गैर-कार्यपालक निदेशक/ स्वतंत्र निदेशक/शेयरधारक (भारतीय स्टेट बैंक के नामिती) निदेशक
श्री कृष्ण सिंह नग्न्याल	गैर-कार्यपालक निदेशक/ स्वतंत्र निदेशक/शेयरधारक (भारतीय जीवन बीमा निगम के नामिती) निदेशक
श्री मनमय मुखर्जी	गैर-कार्यपालक निदेशक/ स्वतंत्र निदेशक/शेयरधारक (नाबार्ड के नामिती) निदेशक
श्री जी. गोपालकृष्ण	गैर-कार्यपालक निदेशक/ स्वतंत्र निदेशक
श्रीमती नूपुर गर्ग	गैर-कार्यपालक निदेशक/ स्वतंत्र निदेशक
श्री अमित टंडन	गैर-कार्यपालक निदेशक/ स्वतंत्र निदेशक

## मुख्य प्रबन्धन-कार्मिक

श्री अजितनाथ झा	मुख्य वित्तीय अधिकारी
श्री विष्णु कुमार साह	कंपनी सचिव व अनुपालन अधिकारी
श्री संजय नारायण सिंह	मुख्य जोखिम अधिकारी
श्री संजय जैन	मुख्य अनुपालन अधिकारी
श्री वी. श्रीधरन	प्रमुख, आंतरिक लेखापरीक्षा वर्टिकल

**प्रधान कार्यालय :** सिडबी टावर, 15- अशोक मार्ग, लखनऊ -226001; LEI: 3358003NTGA2D7D31E14; CIN: NA.

**कॉर्पोरेट कार्यालय:** स्वावलंबन भवन, प्लॉट नं. सी-11, 'जी' ब्लॉक, बान्द्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पूर्व), मुम्बई- 400051

**कॉर्पोरेट वेबसाइट:** [www.sidbi.in](http://www.sidbi.in); ईमेल: [compliance\\_officer@sidbi.in](mailto:compliance_officer@sidbi.in)

**निक्षेपागार:** नैशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड

**सांविधिक लेखा-परीक्षक:**

मेसर्स बोरकर एंड मजुमदार (एफआर एन 101569 डब्ल्यू), पता: 21/168, आनन्द नगर, ओम सीएचएस, आनन्द नगर लेन, वकोला, सांता क्रुज पूर्व, मुम्बई- 400055

**सचिवीय लेखापरीक्षक:**

मेसर्स दीप शक्ला एंड एसोसिएट्स (एफसीएस: 5652): पता: ए-603, मारुति भवन, पारसी पंचायत रोड, सोना उद्योग इंडस्ट्रियल एस्टेट के सामने, अंधेरी पूर्व, मुम्बई- 400069

**बैंकर्स:**

भारतीय रिजर्व बैंक । भारतीय स्टेट बैंक । पंजाब नैशनल बैंक । युनियन बैंक ऑफ इंडिया । सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया । आईडीबीआई बैंक लिमिटेड । केनरा बैंक लिमिटेड । इंडियन ओवरसीज बैंक । बैंक ऑफ बड़ौदा

**रजिस्ट्रार व ट्रांसफर एजेंट:**

लिनक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड; पता: सी-101, 247 पार्क, एलबीएस मार्ग, विक्रोली पश्चिम, मुम्बई - 400083; टेली: 022-49186000; फैक्स: 022-49186060; वेबसाइट: [www.linkintime.co.in](http://www.linkintime.co.in)

**डिबेंचर ट्रस्टी:**

आईडीबीआई ट्रस्टीशिप प्राइवेट लिमिटेड

# यथा 31 मार्च 2023 सिडबी समूह की संरचना

## 1. पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्थाएँ

- माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनंस एजेंसी लिमिटेड (मुद्रा)
- सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड (एसवीसीएल)
- सिडबी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एसटीसीएल)

## 2. सहयोगी कंपनियाँ

- ऐक्युइट रेटिंग्स एंड रिसर्च लिमिटेड (ऐक्युइट) (पूर्ववर्ती स्मेरा) (35.73% शेयरधारिता)
- इंडिया एसएमई ऐसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लि. (आइसार्क) (15% शेयरधारिता)
- रिसेवेबल्स एकस्चेंज ऑफ इंडिया लि. (आरएक्सआइएल) (30% शेयरधारिता)
- इंडिया एसएमई टेक्नोलॉजी सर्विसेज लि. (आइएसटीएसएल) (22.73% शेयरधारिता)
- ऑनलाइन पीएसबी लोन्स लि. (7.32% शेयरधारिता)

तथापि, सेबी एलओडीआर विनियम, 2015 का अनुपालन करते हुए, उपर्युक्त के अलावा जिन संगठनों में सिडबी की शेयरधारिता 20% से अधिक है, वे निम्नवत हैं:

- बिहार राज्य वित्तीय निगम (48.43% शेयरधारिता)
- दिल्ली राज्य वित्तीय निगम (23.66% शेयरधारिता)
- गुजरात राज्य वित्तीय निगम (28.41% शेयरधारिता)
- महाराष्ट्र राज्य वित्तीय निगम (39.99% शेयरधारिता)
- पंजाब राज्य वित्तीय निगम (25.92% शेयरधारिता)
- उत्तर प्रदेश राज्य वित्तीय निगम (24.18% शेयरधारिता)
- कैनबैंक फैक्टर्स लिमिटेड (20% शेयरधारिता)
- किटको लिमिटेड (49.77% शेयरधारिता)
- बिहार औद्योगिक एवं तकनीकी परामर्श संगठन लिमिटेड (49.25% शेयरधारिता)
- राजस्थान आस्ति प्रबंधन कं. प्रा. लिमिटेड (24.50% शेयरधारिता)
- राजस्थान ट्रस्टी कं. प्रा. लिमिटेड (24.50% शेयरधारिता)
- हैदराबाद इन्फर्मेसन टेक्नोलॉजी वेंचर एंटरप्राइजेस लिमिटेड (24.50% शेयरधारिता)
- साइबराबाद ट्रस्टी कं. प्रा. लिमिटेड (24.50% शेयरधारिता)

## 3. सिडबी स्वावलंबन फाउंडेशन - धारा 8 कंपनी, गारंटी से लिमिटेड

## 4. सूक्ष्म एवं लघु उद्यम ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट (एमएसएमई मंत्रालय और सिडबी द्वारा संयुक्ततः स्थापित)



## अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक का वक्तव्य

वैश्विक महामारी कोविड के बाद भू-राजनीतिक तनावों, घरेलू व वैश्विक स्फीतिकारक दबावों के साथ-साथ समूचे ग्लोब पर कसती जा रही मौद्रिक नीति के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था ने जो समुत्थानशीलता दर्शाई है, उससे इसके बुनियादी घटकों की सुदृढ़ता और विपरीत स्थितियों से जूझने की प्रतिबद्धता का पता चलता है। निर्यात और सकल घरेलू उत्पाद में एमएसएमई क्षेत्र का योगदान अब भी क्रमशः ~48% व ~30% के उल्लेखनीय स्तर पर कायम है। वर्ष के दौरान इस क्षेत्र के भीतर ऋण की तीव्र माँग देखी गई। अधिकतर उन्नत अर्थव्यवस्थाओं और उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाओं के विकास-अनुमानों में कटौती की गयी है, जबकि 2023 में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 1.70% की अनुमानित वृद्धि की तुलना में वित्तीय वर्ष 2024 में भारत की विकास-दर के 6.60% रहने का अनुमान है।

दो मुख्य प्रवृत्तियों से भारत की विकास-गाथा के निर्धारित होने की संभावना है। पहली है वर्तमान में जारी डिजिटलीकरण, जिसने नवोन्मेषी समाधानों का मार्ग प्रशस्त किया है। भारत ने वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में अपना लोहा मनवाया है और डिजिटल आधारभूत संरचना तथा भुगतान प्रणालियों में विकास के जरिए वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ा रहा है। यूपीआई का दायरा बढ़ाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी गई अनुमति से छोटे कारोबारों और अनौपचारिक इकाइयों को ऋण-प्रदायगी के तौर-तरीके में क्रान्ति आने की संभावना है।

दूसरी प्रवृत्ति है टिकाऊ विकास और नवीकरणीय ऊर्जा की संक्रान्ति। 'लाइफस्टाइल फॉर द एन्वायरनमेंट (लाइफ) मूवमेंट' की शुरुआत, कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने की प्रतिबद्धता आदि से टिकाऊ अर्थव्यवस्था की ओर भारत सरकार के रुझान का पता चलता है। टिकाऊ अर्थव्यवस्था की ओर ऐसे संक्रमण तथा बड़े पैमाने पर 'लाइफ' को अपनाया जाना एमएसएमई के विकास के लिए महत्वपूर्ण रहेगा।

वित्तीय वर्ष 2023 में बैंक ने अपने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष वित्त-परिचालनों के माध्यम से एमएसएमई क्षेत्र को प्रदत्त कम लागत वाले ऋण में उल्लेखनीय वृद्धि की है। सिडबी ने केवल वित्तपोषक की भूमिका ही नहीं निभाई है, बल्कि इस क्षेत्र के सामने आ रही चुनौतियों का नवोन्मेषी समाधान देने के लिए वह विकास-पथ पर सबसे आगे भी चलता रहा है। डिजिटल पारितंत्र में बैंक ने अनेक प्रकार की पहलकदमियों की हैं और पर्यावरण-रक्षा के लिए एमएसएमई द्वारा अपनाए जाने योग्य वित्तीय उपाय विकसित करने की दिशा में उसने उल्लेखनीय कदम उठाए हैं।

### वित्तीय कार्यनिष्पादन

इस राजकोषीय वर्ष में बैंक ने अपने विकास-पथ पर आगे बढ़ना जारी रखा। यथा 31 मार्च 2023, इसके तुलनपत्र का आकार रु. 4 लाख करोड़ को पार कर गया, जिसकी मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैं-

- बैंक का आस्ति-आधार वर्षानुवर्ष 63% की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹4,02,383 करोड़ रहा।
- ऋण व अग्रिम वर्षानुवर्ष 76% की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹3,56,439 करोड़ रहे।
- वर्ष के दौरान निवल ब्याज आय ₹5,548 करोड़ रही, जबकि निवल ब्याज मार्जिन 1.68% रहा।
- बैंक ने निवल लाभ में वर्षानुवर्ष 71% की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹3,344 करोड़ का निवल लाभ दर्ज किया।
- वित्तीय वर्ष 2023 में प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) ₹58.81 रहा।

### व्यवसाय-प्रदर्शन

वित्तीय वर्ष 2023 के अंत में बैंक के ऋण व अग्रिमों में संस्थागत वित्त का हिस्सा लगभग 94% और ऋण-बकाया ₹3,36,488 रहा। इस प्रकार इसमें 79% की वृद्धि दर्ज हुई और एमएसई को प्रतिस्पर्धी ब्याज-दरों पर अधिक ऋण मिल सका।

एमएसएमई क्षेत्र की बेहतर सेवा के उद्देश्य से बैंक ने बहुत-से नये प्रयास किए हैं और नयी वित्तीय मध्यवर्ती संस्थाओं की मदद की है। वित्तीय वर्ष 2023 में बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों व अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को पुनर्वित्त सहायता की फिर से शुरुआत की, कम रेटिंग प्राप्त गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सहायता की मुख्य धारा में लाने के लिए एक योजना आरंभ की, एएए रेटिंगप्राप्त और उच्चतर श्रेणी वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए जोखिम-आधारित एक्सपोजर ढाँचा आरंभ किया तथा अपेक्षाकृत छोटी और कम रेटिंग-प्राप्त अल्प वित्त संस्थाओं/ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों/ फिनटेक के लिए बॉण्ड-बाजार विकसित करने के उद्देश्य से ₹1,000 करोड़ की विशेष समूह निधि स्थापित की। विभेदीकृत ऋणदाताओं के लिए सहायता-तंत्र को व्यापक बनाने से एमएसएमई क्षेत्र, खासकर उसके अपेक्षाकृत असेवित/अल्पसेवित उद्यमों को ऋण-प्रवाह में वृद्धि होने की संभावना है।

प्रत्यक्ष वित्त परिचालनों के मामले में बैंक ने प्रक्रियाओं में निरन्तर सुधार/परिष्कार के साथ-साथ ऋण-प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण पर भी पर ध्यान केन्द्रित किया है, ताकि ऋण की गुणवत्ता और ऋण-प्रदायगी में सुधार लाया जा सके। बिलकूल सरल प्रक्रिया से मंजूरी देने के उद्देश्य से सिडबी ने फाइनेंस इनकम एंड ट्रेड (एफआईटी) बैंक तथा सिबिल एमएसएमई बैंक पर आधारित ऋण उत्पाद आरंभ किया है। इसका उद्देश्य डिजिटल ऋणप्रदायगी और एमएसएमई क्षेत्र के लिए ऋण-प्रवाह को बढ़ावा देना है। बैंक ने अपनी 'प्रयास' योजना के कारोबार में भी वृद्धि की है। इस योजना में सूक्ष्म उद्यमों को जीविकोपार्जन गतिविधियों के लिए ₹5 लाख तक का अल्प ऋण दिया जाता है। इसके जरिए बैंक 80,000 से अधिक लाभग्राहियों तक पहुँच सका है, जिनमें अधिकतर महिलाएँ हैं।

ऊर्जा पर आत्मनिर्भरता और कार्बन शून्यता के प्रति राष्ट्र की प्रतिबद्धता को देखते हुए और एमएसएमई को पर्यावरण अनुकूल बनाने के उद्देश्य से सिडबी ने कई योजनाएँ आरंभ कीं, ताकि एमएसएमई को हरित वित्त सहायता व मार्गदर्शन दिया जा सके। सिडबी का हरित वित्त पोर्टफोलिया वित्तीय वर्ष 2023 में 16 गुना बढ़ा। इससे प्रतिवर्ष 330 जीडब्ल्यूएच ऊर्जा बचत होने और ग्रीन हाउस गैस-उत्सर्जन में 0.23 मिलियन टन सीओ<sub>2</sub>ईक्यू कमी आने की संभावना है।

सिडबी देश के स्टार्टअप पारितंत्र का सक्रियता से पोषण करता आ रहा है। यह भारत सरकार के फंड ऑफ फंड फॉर स्टार्टअप्स (एफएफएस) व अन्य निधियों का प्रबन्धन देख रहा है। इसने स्टार्टअप क्षेत्र में अपनी गतिविधियाँ बढ़ाई हैं तथा इन्क्यूबेटर्स के माध्यम से उद्यम ऋण व बीज निधीयन के लिए नयी योजनाएँ आरम्भ की हैं। निधीयन के विभिन्न विकल्पों का पता लगाने के उद्देश्य से इन्वेस्टर कनेक्ट पोर्टल शुरू किया गया है।

एमएसएमई क्लस्टरों में आधारभूत संरचना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निर्मित सिडबी क्लस्टर डेवलपमेंट फंड (एससीडीएफ) को राज्य सरकारों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली। कुल मिलाकर 91 परियोजनाएँ (64 ग्रीनफील्ड और 27 ब्राउनफील्ड) को सहायता दी गई है, जिनके प्रति ₹5,495.58 करोड़ की प्रतिबद्धता है।

### विकास व प्रभाव संबंधी कार्यक्रम

वित्तीय वर्ष 2023 में उदयमिता विकास को बैंक ने प्राथमिकता दी। पाँच राज्यों के 100 जिलों में परामर्श केन्द्र के रूप में कार्यरत

स्वावलंबन कनेक्ट केन्द्रों (एससीके) की प्रायोगिक योजना के सकारात्मक परिणाम मिले हैं। वित्तीय वर्ष 2024 में स्वावलंबन कनेक्ट केन्द्र मॉडल को अखिल भारतीय स्तर पर आगे बढ़ाया जाएगा। बैंक ने स्टेम यानी 'स्किल टु एंटरप्राइज मॉडल' नाम से युवाओं के लिए उद्यमिता शिक्षा का प्रायोगिक कार्यक्रम भी आरम्भ किया है। इसे शैक्षिक संस्थाओं/ विश्वविद्यालयों के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान सिडबी ने 5 विश्वविद्यालयों के साथ इस आशय के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।

### फैसिलिटेटर की भूमिका

एमएसएमई पारितंत्र और खासकर अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों को सुदृढ़ बनाने के लिए सिडबी ने नयी पहलकदमियों की हैं। इंडिया स्टैंड एंड पब्लिक डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर ने ऐसे नये साधनों के विकास का अवसर दिया है, जिनसे इस क्षेत्र की कठिनाइयों का समाधान किया जा सकता है। मुख्य साधन इस प्रकार हैं:

- **उद्यम असिस्ट प्लैटफॉर्म-** उद्यम प्रमाणपत्र जारी करके अनौपचारिक सूक्ष्म इकाइयों (आईएमई) को औपचारिक अर्थव्यवस्था में लाना। इससे बाजार, वित्तीय सेवाओं तथा सरकारी योजनाओं तक पहुँच हो पाएगी। परियोजना में 13 लाख से अधिक आईएमई पंजीकृत हो चुकी हैं।
- **जीएसटी सहाय-** बैंक ने जीएसटी सहाय नामक एक नया ऐप विकसित किया है। इससे नकदी-प्रवाह के आकलन के आधार पर संपार्श्विक-रहित ऋणप्रदायगी में मदद मिलती है। यह ऐप एमएसएमई के लिए डिजिटल रूप में 'माँग पर' बीजक-आधारित अप्रतिभूत वित्तीयन में मदद करेगा।
- **एफआईटी रैंक-** सिडबी ने फाइनेंस इनकम एंड ट्रेड डेटा-बेस्ड रैंक (एफआईटी रैंक) को एमएसएमई के लिए मेटर किया है। यह एफआईटी रैंक देने के लिए जीएसटी, आईटीआर तथा बैंक विवरणियों की मदद लेता है। एफआईटी रैंक से एमएसएमई की चूक की संभावना (पीडी)/ कार्यनिष्पादन/शक्ति का पता चलता है। एफआईटी रैंक से एमएसएमई की ऋण-पात्रता में वृद्धि हो सकेगी। इस रैंक से उन उधारकर्ताओं का मूल्यांकन भी हो सकेगा, जो पहली बार ऋण ले रहे हैं।

- **डिजिटल वाणिज्य के लिए मुक्त नेटवर्क (ओएनडीसी)-** एमएसएमई तथा शिल्पकारों को ऑनबोर्ड करके बाजार से जोड़ने के उद्देश्य से सिडबी ने ओएनडीसी को सहायता दी है।

बैंक ने भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं, जैसे पीएम स्वनिधि, पशुपालन आधारभूत संरचना विकास निधि योजना, राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना तथा दूरसंचार एवं नेटवर्किंग उत्पाद व औषधि उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना तथा औषधि उद्योग सुदृढ़ीकरण योजना के क्रियान्वयन साझेदार के रूप में काम करना जारी रखा है। इन योजनाओं से एमएसएमई सक्षम और सुदृढ़ बनती हैं।

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) ने रु. 1 लाख करोड़ की गारंटियाँ जारी करने का बड़ा पड़ाव हासिल किया, जिससे एमएसई को संपार्श्विक-रहित ऋण मिल पाए।

सीजीटीएमएसई ने कई नयी पहलकदमियाँ की हैं, जैसे- गारंटी शुल्क में कटौती, उच्चतर गारंटी कवरेज, कमजोर /अल्पसेवित वर्गों को रियायत, गारंटी की अधिकतम सीमा बढ़ाकर ₹2 करोड़ से ₹5 करोड़ किया जाना, आद्योपान्त गारंटी प्रबंधन प्रणाली प्लैटफॉर्म, आदि।

वित्तीय वर्ष 2024 के केन्द्रीय बजट में सीजीटीएमएसई की समूह निधि में ₹9,000 करोड़ के निवेश की घोषणा की गई है। इसमें सिडबी का योगदान ₹500 करोड़ है। इससे ₹2 लाख करोड़ के संपार्श्विक रहित गारंटित ऋण दिए जा सकेंगे।

### आगे की राह


वैश्विक चुनौतियों के बावजूद, विभिन्न पहलकदमियों तथा अपेक्षाकृत अबैकित/अल्पबैकित घटकों को उन्नत वित्तीय सेवा-प्रदायगी से मिल रही मदद के ज़रिए भारत समुत्थानशील बना रहेगा। एमएसएमई क्षेत्र के विकास की दिशा में सिडबी निरन्तर अथक प्रयास जारी रखेगा और नवोन्मेषी समाधानों तथा साझेदारियों के ज़रिए अंतरालों को भरने की कोशिश करता रहेगा। अगला दशक वर्तमान डिजिटल लहर तथा हरित उत्पादों के अंगीकरण व जलवायु परिवर्तन के शमन पर केन्द्रित प्रयासों पर निर्भर करेगा। विकास का अग्रदूत बनने की एमएसएमई क्षेत्र की यात्रा को यथावश्यक बल देने के लिए सिडबी अन्य पहलकदमियों के साथ-साथ इन महत्त्वपूर्ण विषयों पर भी काम जारी रखेगा।

## एमएसएमई-परिदृश्य

वित्तीय वर्ष 2023 में निजी उपभोग में मजबूत वृद्धि तथा निवेश गतिविधि में उत्साह के फलस्वरूप भारत का सकल घरेलू उत्पाद 7% की दर से बढ़ने का अनुमान है। सम्मिश्रित परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) मार्च'23 में 58.4 रहा, जो आर्थिक गतिविधि में विस्तार का द्योतक है। सेवाओं का पीएमआई मार्च'23 में 57.8 रहा, जो लगातार बीसवें महीने में वृद्धि दर्शाता है, जबकि विनिर्माण का पीएमआई मार्च'23 में 56.4 रहा। (50 से अधिक का आंकड़ा पिछले महीने की तुलना में समग्रतः वृद्धि का द्योतक है)। विनिर्माण क्षेत्र का क्षमता उपयोग स्तर 2022-23 की तीसरी तिमाही में बढ़कर 74.3% पर पहुँच गया, जबकि 2022-23 की दूसरी तिमाही में यह 74% रहा था। इससे विनिर्माण गतिविधि में सुधार का पता चलता है।



### I. एमएसएमई क्षेत्र की प्रवृत्तियाँ और विकास

एमएसएमई क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारशिला और इसके विकास के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि इस क्षेत्र पर कोविड का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। इसका प्रमाण है सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) में आई कमी, जो लगभग 30% से वित्तीय वर्ष 2021 में 26.8% रह गया (चित्र 1)। किन्तु वित्तीय वर्ष 2022 में एमएसएमई से हुए माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रहण का वैश्विक महामारी के पूर्ववर्ती स्तर से ऊपर निकल जाना, एमएसएमई क्षेत्र के पलटने का द्योतक है। राष्ट्र के निर्यात में भी एमएसएमई क्षेत्र उल्लेखनीय योगदान करता है। वित्तीय वर्ष 2018 और वित्तीय वर्ष 2022 में निर्यात में इसकी औसत हिस्सेदारी 48% रही है (चित्र 3)।



अनुमान है कि एमएसएमई का राजस्व वित्तीय वर्ष 2022 में वैश्विक महामारी के पूर्ववर्ती स्तर से अधिक हो गया है। आशा है कि इस क्षेत्र के कार्यनिष्पादन और गतिविधियों की तेजी वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान भी जारी रही, जिससे राजकोषीय वर्ष में एमएसएमई के राजस्व में अनुमानतः 11-13% की वृद्धि हुई, जबकि वित्तीय वर्ष 2023 में कॉर्पोरेट राजस्व में 16-18% की वृद्धि का अनुमान है (स्रोत- क्रिसिल रिपोर्ट-राइडर इन द स्टॉर्म)।

भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में आरंभ की गयी इमर्जेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) व अन्य उपायों के फलस्वरूप एमएसएमई क्षेत्र को ऋण-प्रवाह उपलब्ध कराने में आवश्यक मदद मिली और वे कोविड के कारण उत्पन्न हुई विभिन्न चुनौतियों का सामना कर सके। इसके अलावा बढ़ते डिजिटलीकरण/ विभिन्न वित्तीय मध्यवर्तियों द्वारा विकसित डिजिटल उत्पादों तथा भारत सरकार द्वारा निर्मित व विकसित डिजिटल आधारभूत संरचना, जैसे- जीएसटी, उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल, आधार आदि ने लघु व्यवसायों को अधिकाधिक औपचारिक बनाने में योगदान किया है और उन्हें औपचारिक माध्यमों से ऋण लेने में सक्षम बनाया है। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा एमएसएमई क्षेत्र को प्रदत्त ऋण बकाया दिसंबर 2022 के अंत में ₹21.5 लाख करोड़ रहा।



### II. अवसर और चुनौतियाँ

भू- राजनैतिक तनाव, कुछ बैंकों के डूबने से वित्तीय स्थिरता के संबंध में बढ़ती चिन्ता, मुद्रास्फीति के बढ़े हुए स्तर और उसके फलस्वरूप मौद्रिक नीति की सख्ती आदि का वैश्विक विकास व आर्थिक गतिविधि पर बुरा असर पड़ रहा है। इसके मद्देनजर, वर्ष 2023 में वैश्विक विकास 1.7% रहने का अनुमान है।

विदेशी माँग में कमी के अनुमान और वैश्विक मंदी के बढ़ते जोखिम के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था और एमएसएमई के निर्यात पर दबाव बढ़ने की संभावना है। साथ ही, विनियामकों द्वारा दर-वृद्धि और वैश्विक अनिश्चितता के कारण निवेश बाहर जाने के फलस्वरूप घरेलू मुद्रा और चालू खाता घाटे/ भुगतान-शेष पर दबाव पड़ने की भी संभावना है।

कुछ अनवरत चुनौतियाँ हैं जो एमएसएमई क्षेत्र के सामने लगातार बनी रहती हैं, जैसे- असंगठित ढाँचा, औपचारिक वित्त तक पहुँच, कुशल जनशक्ति का अभाव, सीमित पैमाने के परिचालन, बाजार तक पहुँच, प्रौद्योगिकी का पुरानापन, विलंबित भुगतान आदि। इस क्षेत्र और भारतीय अर्थव्यवस्था का निर्बाध विकास सुनिश्चित करने के लिए इन समस्याओं का



समाधान अत्यावश्यक है। भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, सिडबी और अन्य हितधारकों ने इन समस्याओं के समाधान के लिए बहुत-से प्रयास किए हैं।

अर्थव्यवस्था की प्रवृत्तियों से एमएसएमई क्षेत्र के लाभान्वित होने की भी संभावना है। मजबूत आधारभूत कारकों जैसे राजकोषीय समेकन, पूँजीगत व्यय हेतु प्रोत्साहन, वित्तीय एवं गैर-वित्तीय क्षेत्रों के तुलनपत्रों के सुदृढीकरण, संरचनागत सुधारों, मजबूत घरेलू माँग, सुधरते हुए निवेश-चक्रों की मदद से वित्तीय वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 6.60% की दर से विकसित होने का अनुमान है। एमएसएमई क्षेत्र के विकास व संवर्द्धि के लिए भारत सरकार ने कई प्रयास किए हैं, जैसे 'रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मंस' (रैम्प) योजना, केन्द्र और राज्य में संस्थाओं का सुदृढीकरण और उनका अभिशासन, केन्द्र-राज्य संबंधों तथा साझेदारियों में सुधार, तथा साथ ही, एमएसएमई की बाजार व ऋण तक पहुँच में सुधार, एमएसएमई को विलंबित भुगतान और उनकी हरितीकरण संबंधी समस्याओं का समाधान; घरेलू उत्पादन की गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए चुनिंदा क्षेत्रों में उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजना; क्षेत्र को औपचारिक बनाने हेतु उद्यम पोर्टल और उद्यम असिस्ट प्लैटफॉर्म; एमएसएमई की प्राप्य राशियों के वित्तपोषण हेतु सीपीएसई/कॉर्पोरेट का ट्रेड्स प्लैटफॉर्म पर अनिवार्य पंजीकरण; एमएसएमई से ऑनलाइन खरीद हेतु सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम) पोर्टल; विलंबित भुगतान के संबंध में आवेदन करने हेतु एमएसएमई समाधान पोर्टल आदि।

वर्ष 2024 के केन्द्रीय बजट में भी एमएसएमई क्षेत्र के महत्त्व की अनुगूँज है, जिसमें एमएसएमई के विकास के उद्देश्य से विभिन्न प्रयास किए गए हैं, जैसे पैन को व्यवसाय की सामान्य पहचान बनाना, विभिन्न सरकारी अभिकरणों को सूचना प्रस्तुत करने में दुहराव की जरूरत को दूर करने के लिए एकीकृत प्रस्तुतीकरण प्रक्रिया, कोविड-काल में संविदा-निष्पादन में विफलता के संबंध में एमएसएमई को राहत, इकाई के डिजी लॉकर की स्थापना, स्किल इंडिया डिजिटल प्लैटफॉर्म का विकास, युनिटी मॉल का निर्माण, निवारक कराधान के अंतर्गत लाभ के उपाय, विलंबित भुगतान के समाधान संबंधी उपाय, आदि। बजट में घोषित एक अन्य महत्त्वपूर्ण प्रयास था सूक्ष्म एवं लघु उद्यम ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) की समूह निधि में ₹9,000 करोड़ का निवेश, जिससे ₹2 लाख करोड़ की अतिरिक्त संपाशिवक-रहित गारंटीत ऋण-प्रदायगी में मदद मिलने की संभावना है।

### III. भावी दृष्टिकोण

आशा है कि सभी पहलकदमियों के सकारात्मक प्रभावस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था में हुए स्फुरण से एमएसएमई विकास-पथ पर आरूढ हो चलेंगे। ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्मों, डिजिटल भुगतान के तरीकों तथा अन्य डिजिटल साधनों के जरिए एमएसएमई में बढ़ते डिजिटल अंगीकरण ने एमएसएमई की डिजिटल मौजूदगी में उल्लेखनीय योगदान किया है। इसके कारण अंतिम उपयोगकर्ताओं की प्रोफाइलिंग सुधरी है, जिससे ऋण-प्रदायगी और ग्राहक-संतुष्टि बेहतर हुई हैं।

फिनटेक संस्थाओं के उदय और पारंपरिक बैंकों से उनके सहयोग/साझेदारी ने वित्तीय पारितंत्र को समृद्ध किया है। 'इंडिया स्टैक' के रूप में सार्वजनिक डिजिटल आधारभूत संरचना के उपलब्ध हो जाने से एमएसएमई क्षेत्र के लिए वित्तीय सुविधा प्रदायगी के नवोन्मेषी समाधान सामने आए हैं। इन समाधानों से न केवल एमएसएमई क्षेत्र के लिए ऋण तक पहुँचना सरल हो गया है, बल्कि इन्होंने ऋणदाताओं द्वारा हामीदारी को भी समृद्ध किया है।

ऊपर उल्लिखित वर्तमान डिजिटल वित्तीय क्रान्ति और अन्य डिजिटल पहलकदमियों, जैसे अकाउंट ऐग्रीगेटर (एए) फ्रेमवर्क, डिजिटल वाणिज्य के लिए मुक्त नेटवर्क (ओएनडीसी), ओपन क्रेडिट एनेबलमेंट नेटवर्क (ओसीईएन) आदि से एमएसएमई क्षेत्र को और अधिक बढ़ावा मिलेगा।

## वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के शेयरधारकों की 25वीं वार्षिक आम बैठक दिनांक सोमवार दिनांक जून 26, 2023 को 15:00 बजे बैंक के सिडबी टावर, 15-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001 स्थित प्रधान कार्यालय के बोर्ड रूम में निम्नांकित कार्य संपादित करने हेतु आयोजित की जाएगी।

सामान्य कार्य:

- 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के लेखापरीक्षित एकल एवं समेकित तुलनपत्र तथा लाभ-हानि खाते, पर निदेशक मण्डल की रिपोर्ट एवं लेखापरीक्षकों की तत्संबंधी रिपोर्ट पर विचार करना, उसे अनुमोदित करना और उसे अंगीकृत करना।

निम्नांकित संकल्प पर विचार करना और यदि सही समझा जाए तो उसे बिना किसी संशोधन के अथवा संशोधन (संशोधनों) के साथ पारित करना:

**“संकल्प पारित किया जाता है कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के लेखापरीक्षित एकल एवं समेकित तुलनपत्र तथा लाभ-हानि खाते, और सिडबी के कामकाज और गतिविधियों पर निदेशक मण्डल की रिपोर्ट एवं लेखापरीक्षकों की तत्संबंधी रिपोर्ट एतदद्वारा अंगीकृत की जाती है।”**

- 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष (2023) हेतु सिडबी के इक्विटी शेयरों पर अंतिम लाभांश घोषित करना।

निम्नांकित संकल्प पर विचार करना और यदि सही समझा जाए तो उसे बिना किसी संशोधन के अथवा संशोधन (संशोधनों) के साथ सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना:

**“संकल्प पारित किया जाता है कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए, उन शेयरधारकों, जिनके नाम अभिलिखित तारीख को सदस्य पंजिका पर अंकित हैं, को सिडबी की इक्विटी पूंजी पर [₹2] प्रति शेयर की दर पर अंतिम लाभांश अदा किया जाएगा।”**

- वित्तीय वर्ष 2023- 24 के लिए और उसके पश्चात अंतरिम अवधि के लिए बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति पर विचार करना और इसके लिए सिडबी के निदेशक मंडल को प्राधिकृत करना।

निम्नांकित संकल्प पर विचार करना और यदि सही समझा जाए तो उसे बिना किसी संशोधन के अथवा संशोधन (संशोधनों) के साथ, सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना:

“संकल्प पारित किया जाता है कि बैंक के निदेशक मंडल को प्राधिकृत किया जाता है कि वह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित लेखापरीक्षकों के पैनल में से एक सनदी लेखाकार फर्म का, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित पारिश्रमिक एवं अन्य व्यय पर, जिसके लिए बैंक और सांविधिक लेखा परीक्षकों के बीच परस्पर सहमति हो, वित्तीय वर्ष 2024 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में चयन और नियुक्ति करे।

यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि वर्ष 2024 के लिए बैंक के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमोदन प्राप्त होने तक मे. बोरकर एवं मजूमदार, सनदी लेखाकार को 30 जून, 2023 को समाप्त तिमाही की वित्तीय विवरणियों की और यदि भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त होने में और अधिक विलंब हो, तो उसके बाद की तिमाहियों की वित्तीय विवरणियों की भी सीमित समीक्षा करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि निदेशक मण्डल/ निदेशक मण्डल की लेखापरीक्षा समिति की नियुक्ति के निबंधनों एवं शर्तों में बदलाव और उनके अनुमोदन के लिए एतदद्वारा प्राधिकृत किया जाता है।”

निदेशक मण्डल के आदेशानुसार  
कृते भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

प्रधान कार्यालय  
सिडबी टावर, 15  
अशोक मार्ग,  
लखनऊ - 226001

ह/-  
विष्णु कुमार साह  
कंपनी सचिव  
ए 37707

दिनांक: जून 04, 2023  
स्थान: लखनऊ

## टिप्पणियाँ:

- 25वीं वार्षिक आम बैठक में मद संख्या 3 के सामान्य व्यवसाय के रूप में संव्यवहार किए जाने से संबंधित स्पष्टीकरण नोट इसके साथ संलग्न है।
- सिडबी सामान्य विनियम, 2000 के विनियम संख्या 61 (2) के अनुसार, सिडबी का शेयरधारक, जो आम बैठक में भाग लेने और मतदान करने का पात्र है, वह किसी अन्य व्यक्ति (चाहे शेयरधारक हो या नहीं) को अपने प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने एवं मतदान के लिए नियुक्त करने का अधिकारी होगा। लेकिन इस तरह नियुक्त किए गए प्रतिनिधि को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा।
- सिडबी सामान्य विनियम, 2000 के विनियम संख्या 62 (2) के अनुसार, कोई भी व्यक्ति विकास बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, सामान्य बीमा निगम, जीवन बीमा निगम और केंद्र सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले अन्य संस्थानों के अलावा, अन्य किसी निकाय कॉर्पोरेट का विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में सिडबी की 25 वीं वार्षिक आम बैठक में तब तक भाग नहीं लेगा या मतदान नहीं करेगा, जब तक कि उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने वाले संकल्प की प्रमाणित सत्य-प्रति, जिसे उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा सत्यापित किया गया हो, जिसमें उक्त संकल्प पारित किया गया था, बैठक के लिए निर्धारित तारीख से कम से कम चार दिन पहले सिडबी के प्रधान कार्यालय में जमा न की गई हो।
- सिडबी सामान्य विनियम, 2000 के विनियम संख्या 63 (3) के अनुसार प्रतिनिधि (प्रॉक्सी) का कोई भी लिखत तब तक वैध नहीं होगा, जब तक कि उसे 25वीं बैठक की सूचना के साथ संलग्न फॉर्म-बी पर विधिवत प्राधिकृत न किया गया हो।
- सिडबी सामान्य विनियम, 2000 के विनियम संख्या 59(1) के अनुसार, बैठक में मतदान के लिए रखे गए किसी भी संकल्प पर निर्णय, जब तक कि मतदान की मांग न की जाए, हाथ उठाकर लिया जाएगा। इसके अलावा, किसी भी संकल्प पर हाथ उठाने के माध्यम से किए गए मतदान के परिणाम की घोषणा से पहले या, बैठक के अध्यक्ष द्वारा अपने स्वयं के प्रस्ताव पर मतदान कराने का आदेश दिया जा सकता है और उसके द्वारा मतदान किए जाने का आदेश दिया जाएगा, यदि इसके लिए व्यक्तिगत रूप से मौजूद किसी शेयरधारक या शेयरधारकों, अथवा सिडबी में शेयर रखने वाले उन शेयरधारकों की मांग होगी जो कुल मतदान शक्ति के पांचवें हिस्से से कम नहीं हो, और उन्हें संकल्प के संबंध में वोट देने की शक्ति प्राप्त हो।
- शेयरधारक 25वीं वार्षिक आम बैठक में किए जाने वाले संव्यवहार के संबंध में अपने प्रश्न, अपने नाम, डीपी आईडी तथा ग्राहक आई डी संख्या / फोनियों संख्या तथा मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए अपने पंजीकृत ईमेल पते से सिडबी के ईमेल आई डी [compliance\\_officer@sidbi.in](mailto:compliance_officer@sidbi.in) अथवा [boarddiv\\_lho@sidbi.in](mailto:boarddiv_lho@sidbi.in) पर वार्षिक आम बैठक की तारीख से दो कार्यदिवस पहले भेज सकते हैं। वार्षिक रिपोर्ट का इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण तथा वार्षिक रिपोर्ट की प्रति प्राप्त करने हेतु ईमेल-आईडी के पंजीकरण की प्रक्रिया:
- सिडबी का यथा 31 मार्च, 2023 का लेखापरीक्षित एकल एवं समेकित तुलनपत्र, 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए सिडबी का लाभ-हानि खाता, लेखाधीन अवधि के लिए सिडबी की गतिविधियों और क्रियाकलापों पर निदेशक मण्डल की रिपोर्ट और तुलन पत्र एवं लेखा पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट 25वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना (वार्षिक रिपोर्ट) सहित सिडबी की वेबसाइट [www.sidbi.in](http://www.sidbi.in) पर प्रदर्शित की गई है। वार्षिक रिपोर्ट की सॉफ्ट प्रतियाँ उन सभी शेयरधारकों को ईमेल पर प्रेषित की गई हैं, जिनके ईमेल पते सिडबी में

पंजीकृत हैं अथवा जो निक्षेपागार सहभागी हैं। वार्षिक रिपोर्टों की भौतिक प्रतियाँ उन अन्य शेयरधारकों को प्रेषित की जा रही हैं, जिन्होंने इसके लिए विशेष रूप से अनुरोध किया है। वार्षिक रिपोर्ट की प्रति डिबेंचर ट्रस्टी को भी प्रेषित की गई है और एनएसई को भी उसी दिन प्रेषित की गई है, जिस दिन यह शेयरधारकों को प्रेषित की गई थी।

- डीमैटरियलाइज्ड स्वरूप में शेयर धारित करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे संबंधित निक्षेपागार सहभागियों के पास अपने ईमेल पते पंजीकृत/अद्यतन कर लें। ई-मेल पते को पंजीकृत करने में किसी भी शंका/कठिनाई के मामले में सदस्य ईमेल आईडी 'compliance\_officer@sidbi.in' या 'boarddiv\_lho@sidbi.in' पर लिख सकते हैं।

## प्रश्न उठाने / स्पष्टीकरण मांगने की कार्यविधि:

- सदस्यों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे बैठक के सुचारु आयोजन के लिए अग्रिम रूप से अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, इत्यादि का उल्लेख करते हुए [compliance\\_officer@sidbi.in](mailto:compliance_officer@sidbi.in) अथवा [boarddiv\\_lho@sidbi.in](mailto:boarddiv_lho@sidbi.in) पर अपने अभिमत प्रकट करें/ प्रश्न प्रेषित करें। केवल उन्हीं प्रश्नों / शंकाओं पर विचार किया जाएगा और एजीएम के दौरान उत्तर दिया जाएगा जो एजीएम की तारीख से दो कार्यदिवस पूर्व अथवा उससे पहले सिडबी को प्राप्त हो गए होंगे।
- वे सदस्य जो एजीएम के दौरान कोई अभिमत प्रकट करना चाहेंगे अथवा प्रश्न करना चाहेंगे, वे अपना हाथ उठा सकते हैं। तथापि, सिडबी को अधिकार होगा कि वह एजीएम के सुचारु संचालन की दृष्टि से प्रश्नों की संख्या और वक्ताओं की संख्या को सीमित कर सके।

## सामान्य जानकारी:

- मतदान का अधिकार 25वीं एजीएम की तारीख के अंतिम तारीख होने के नाते उक्त तारीख को शेयरधारक(कों) द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुसार होगा।
- निदेशक मंडल ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए [राशि] प्रति इक्विटी शेयर के लाभांश की सिफारिश की है, बशर्ते एजीएम में शेयरधारकों द्वारा एतदर्थ अनुमोदन किया जाए।
- यदि निदेशक मण्डल की सिफारिश के अनुसार इक्विटी शेयरों पर लाभांश का अनुमोदन एजीएम में कर दिया जाता है, तो इसका भुगतान घोषणा की तारीख से तीस दिनों के भीतर उन सभी लाभांशी मालिकों/सदस्यों को धारित शेयरों के संबंध में किया जाएगा, जिनके नाम सिडबी के सदस्यता रजिस्टर में हैं।
- 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लाभांश के हकदार शेयरधारकों की पहचान के उद्देश्य से सिडबी की वार्षिक आम बैठक की तारीख को अभिलेख तारीख माना जाएगा।
- वित्त अधिनियम 2020 के अनुसार, 1 अप्रैल, 2020 से लाभांश आय शेयरधारकों के हाथों में प्रचलित दरों पर कर-योग्य है और तदनुसार, सिडबी को किसी भी लाभांश वितरण पर कर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।
- इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में शेयर रखने वाले सदस्यों को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि संबंधित निक्षेप खातों के लिए पंजीकृत बैंक विवरण को सिडबी द्वारा लाभांश के भुगतान हेतु उपयोग में लाया जाएगा। सिडबी इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में शेयर धारित करने वाले किसी सदस्य से बैंक विवरण अथवा बैंक अधिदेश में किसी भी परिवर्तन हेतु सीधे प्राप्त होने वाले किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं कर सकता है। ऐसे सभी अनुरोध सदस्यों के निक्षेपागार सहभागियों को ही सूचित किए जाने होंगे।
- शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे सिडबी के इक्विटी शेयरों से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में बोर्ड प्रभाग, (द्रभाष:

022-67221561 / 67221577 / 67531215, मोबाइल नंबर 9821243327, 9819919519, 9167472073 ईमेल: boarddiv\_lho@sidbi.in अथवा Compliance\_officer@sidbi.in) से संपर्क करें।

### मद संख्या 3 से संबंधित व्याख्यात्मक विवरण

बैंक के सांविधिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश सिडबी पर लागू होते हैं। सिडबी को आरबीआई द्वारा निर्धारित सूची से आरबीआई के अनुमोदन के अधीन एक सांविधिक लेखापरीक्षक को नियुक्त / पुनर्नियुक्त करना है।

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंक के वर्तमान सांविधिक लेखापरीक्षक मेसर्स बोरकर और मजूमदार अपने 3 वर्षों के निरंतर सांविधिक लेखा परीक्षा कार्य को पूरा करेंगे। इस संदर्भ में, बैंक को एक नई मौजूदा सांविधिक लेखापरीक्षा फर्म नियुक्त करनी होगी, क्योंकि वर्तमान लेखापरीक्षक पुनः नियुक्ति के लिए पात्र नहीं हैं।

बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के उपर्युक्त दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से लेखा परीक्षकों की सूची उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। तथापि, आरबीआई ने सूचित किया है कि वित्त वर्ष 2024 के लिए पात्र लेखापरीक्षकों की सूची नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) के कार्यालय से अभी प्राप्त नहीं हुई है।

इस संबंध में यह ध्यातव्य है कि विगत 3 वित्तीय वर्षों के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति के लिए आरबीआई का अनुमोदन भी अगस्त-सितंबर के महीनों के दौरान प्राप्त हुआ था। इसी समय-सीमा और पूर्व में अपनाई गई प्रथा को ध्यान में रखते हुए, वार्षिक आम बैठक में उपस्थित शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे वित्तीय वर्ष 2024 के लिए सिडबी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति के लिए सिडबी के निदेशक मंडल को प्राधिकृत करें।

साथ ही, 30 जून, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए बैंक के वित्तीय विवरणों की सीमित समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है। आरबीआई का अनुमोदन प्राप्त होने में लगने वाले विलंब को ध्यान में रखते हुए, मेसर्स बोरकर और मजूमदार, सनदी लेखाकार, 30

जून, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए, और यदि आरबीआई से लेखापरीक्षकों की नियुक्ति के लिए अनुमोदन प्राप्त करने में और देरी हो तो बाद की तिमाहियों के लिए भी वित्तीय विवरणियों की सीमित समीक्षा के लिए बैंक के लेखापरीक्षकों के रूप में कार्य करेंगे। बैंक और उक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के बीच पारस्परिक सहमति के अनुसार पारिश्रमिक और व्यय सहित नियुक्ति के नियमों और शर्तों को अनुमोदित करने के लिए बैंक के निदेशक मंडल को प्राधिकृत किया जा सकता है।

आरबीआई ने मई 11, 2023 के ई-मेल के जरिए मेसर्स बोरकर और मजूमदार को पहली तिमाही (अप्रैल-जून, 2023) के लिए सीमित समीक्षा करने की मंजूरी दी है।

उल्लेखनीय है कि वित्त वर्ष 2023 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति के लिए आरबीआई से अनुमोदन प्राप्त होने तक मेसर्स बोरकर और मजूमदार द्वारा 30 जून, 2022 को समाप्त तिमाही के लिए बैंक के वित्तीय विवरणों की सीमित समीक्षा करने के लिए 24 वीं एजीएम में शेयरधारकों से इसी तरह की मंजूरी ली गई थी।

इसलिए, आपका निदेशक मंडल, साथ में दिए गए नोटिस की मद संख्या 3 में निर्धारित सामान्य संकल्प को पारित करने की सिफारिश करता है।

इस नोटिस की मद संख्या 3 में निर्धारित संकल्प में बैंक के निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों और उनके संबंधियों में से किसी का भी किसी भी तरह से वित्तीय रूप से या अन्यथा संबंध या हित नहीं है।

**निदेशक मंडल के आदेशानुसार**  
कृते भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

**प्रधान कार्यालय**  
सिडबी टावर, 15  
अशोक मार्ग,  
लखनऊ - 226001

ह/-  
विष्णु कुमार साह  
कंपनी सचिव  
ए 37707

दिनांक: जून 04, 2023  
स्थान: लखनऊ

## भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

फॉर्म बी

स्थानापन्न / प्रतिनिधि हेतु फॉर्म


(सिडबी अधिनियम, 1989 के विनियम 63 के उपविनियम (3) देखें)

मैं/ हम, जो कि ..... राज्य के ..... जिले में ..... का/  
की/के निवासी हूँ/हैं, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के शेयरधारक होने के नाते श्री .....  
....., जोकि ..... राज्य के ..... जिले के .....  
..... स्थान के निवासी हूँ, को अथवा उनके न होने की स्थिति में श्री .....  
....., जोकि ..... राज्य के .....  
..... जिले के ..... स्थान के निवासी हूँ, को एतद्वारा अपना स्थानापन्न  
/ प्रतिनिधि नियुक्त करता/ती/ते हूँ/हैं, ताकि वे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के शेयरधारकों की दिनांक .....  
..... को आयोजित बैठक में तथा उसके किसी स्थगन पर मेरे/ हमारे लिए मेरी/ हमारी ओर  
से मतदान कर सकें।

हस्ताक्षरित \_\_\_\_\_ दिनांक \_\_\_\_\_



## मार्ग-मानचित्र



सिडबी, प्रधान कार्यालय, सिडबी टावर, 15, अशोक मार्ग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश:226001 का मार्ग-मानचित्र

# निदेशकों की रिपोर्ट 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु

## सेवा में, सदस्यगण,

आपके निदेशक गण 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निदेशकों की रिपोर्ट तथा लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियाँ सहर्ष प्रस्तुत करते हैं:

### 1. वित्तीय कार्यनिष्पादन - एक नज़र में:

(₹ करोड़)

विवरण	समेकित		एकल	
	वित्तीय वर्ष 2023	वित्तीय वर्ष 2022	वित्तीय वर्ष 2023	वित्तीय वर्ष 2022
देयताएँ				
पूँजी	568.54	568.54	568.54	568.54
आरक्षितियाँ तथा अधिशेष	28,876.87	25,062.79	27,240.70	24,014.53
जमाराशियाँ	1,99,945.60	1,70,704.30	1,65,036.15	1,40,878.43
उधार	2,00,657.92	75,712.44	2,00,657.92	75,712.43
अन्य	9,203.25	6,831.68	8,879.42	6,204.01
<b>योग</b>	<b>4,39,252.18</b>	<b>2,78,879.74</b>	<b>4,02,382.73</b>	<b>2,47,378.69</b>
आस्तियाँ				
निवेश	27,413.44	22,243.62	29,088.66	23,951.56
ऋण एवं अग्रिम	3,77,995.54	2,22,290.63	3,56,439.07	2,02,251.78
नगदी एवं बैंक शेष	28,603.91	30,771.86	12,108.82	17,918.31
अचल एवं अन्य आस्तियाँ	5,239.29	3,573.63	4,746.18	3,257.04
<b>योग</b>	<b>4,39,252.18</b>	<b>2,78,879.74</b>	<b>4,02,382.73</b>	<b>2,47,378.69</b>
कुल आय	20,001.43	10,133.06	18,484.82	9,139.18
कुल व्यय	14,852.23	7,453.75	14,087.34	6,751.16
कर-पूर्व लाभ	5,149.20	2,679.31	4,397.48	2,388.02
कर व्यय	1,251.54	511.42	1,053.91	430.23
कर-उपरांत लाभ	3,931.47	2,161.98	3,343.57	1,957.79
आधारभूत डायल्यूटेड प्रति शेयर आय	69.15	40.63	58.81	36.79



### 1. एकल:

- लाभ:** वित्तीय वर्ष 2023 में बैंक का निवल लाभ 71% बढ़कर ₹3,343.57 करोड़ हो गया, जबकि वित्तीय वर्ष 2022 में यह ₹1,957.79 करोड़ था।
- निवल लाभ मार्जिन:** वित्तीय वर्ष 2023 में निवल लाभ मार्जिन घटकर 18.09% रह गया, जबकि वित्तीय वर्ष 2022 में यह 21.43% था।
- कुल आय और व्यय :** वित्तीय वर्ष 2023 में कुल आय 102% बढ़कर ₹18,484.82 करोड़ हो गई, जो वित्तीय वर्ष 2022 में ₹9,139.18 करोड़ थी और कुल व्यय वित्तीय वर्ष 2023 में 109% बढ़कर ₹14,087.34 करोड़ हो गया, जो वित्तीय वर्ष 2022 में ₹6,751.16 करोड़ था।

iv. **निवल ब्याज आय और निवल ब्याज मार्जिन:** वित्तीय वर्ष 2023 में निवल ब्याज आय में सुधार हुआ और यह ₹5,548 करोड़ रही, जबकि वित्तीय वर्ष 2022 में यह ₹3,012 करोड़ थी और इस प्रकार इसमें 84% की वृद्धि हुई। निवल ब्याज मार्जिन भी वित्तीय वर्ष 2022 की तुलना में 18 आधार अंक बढ़कर वित्तीय वर्ष 2023 में 1.68% रहा।


v. **परिचालनगत व्यय और आय:लागत अनुपात:** परिचालनगत व्यय वित्तीय वर्ष 2023 में ₹823.54 करोड़ रहा, जबकि वित्तीय वर्ष 2022 में यह ₹697.72 करोड़ था, जो 18% की वर्षानुवर्ष वृद्धि दर्शाता है। आय-लागत अनुपात घटकर 14% रह गया, जो वित्तीय वर्ष 2022 में 20% था।

vi. **आस्तियाँ और ऋण तथा अग्रिम:** वित्तीय वर्ष 2023 में कुल आस्तियाँ 63% बढ़कर ₹4,02,382.73 करोड़ हो गईं, जो वित्तीय वर्ष 2022 में ₹2,47,378.69 करोड़ थीं। कुल आस्तियों में ऋण और अग्रिम 89% थे, जो ₹3.50 लाख करोड़ के महत्वपूर्ण पड़ाव को पारकर 31 मार्च 2023 को ₹3,56,439.07 करोड़ हो गए, जबकि 31 मार्च 2022 को ये ₹2,02,251.78 करोड़ थे और इस प्रकार ऋण और अग्रिमों में वित्तीय वर्ष 2022 की तुलना में 76% की वृद्धि हुई।





vii. **जमा:** वित्तीय वर्ष 2023 में जमाराशियाँ 17.15% बढ़कर ₹1,65,036.16 करोड़ हो गईं, जो वित्तीय वर्ष 2022 में ₹1,40,878.43 करोड़ थीं।

viii. **उधारियाँ:** उधारियाँ 165.03% बढ़कर ₹2,00,657.92 करोड़ हो गईं।



ix. **शेयरधारकों को प्रतिफल:** वित्तीय वर्ष 2023 में बैंक का प्रति शेयर अर्जन ₹58.81 रहा, जो वित्तीय वर्ष 2022 में ₹36.79 था। वित्तीय वर्ष 2022 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023 में आस्तियों पर प्रतिफल और ईक्विटी पर प्रतिफल में भी सुधार हुआ और ये क्रमशः 1% एवं 12.88% हो गए। नियोजित पूंजी पर प्रतिफल भी बढ़कर वित्तीय वर्ष 2023 में 12.97% हो गया।



x. **शेयर पूंजी:** समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक की शेयर पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 31 मार्च 2023 को चुकता शेयर पूंजी ₹10/- प्रति शेयर मूल्य के 56,85,41,169 ईक्विटी शेयरों के रूप में थी। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक ने विभेदक मताधिकार वाले कोई शेयर जारी नहीं किए और न ही कोई स्टॉक ऑप्शन या स्वेट ईक्विटी प्रदान की। बैंक के किसी भी निदेशक के पास बैंक का कोई ईक्विटी शेयर नहीं है।

xi. **लाभांश:** बैंक का निदेशक मंडल शेयरधारकों के विचारार्थ ₹ 10/- के अंकित मूल्य वाले 56,85,41,169 ईक्विटी शेयरों पर सहर्ष ₹ 2 के लाभांश की संस्तुति करता है (जबकि वित्तीय वर्ष 2022 में ₹1.5 प्रति शेयर का लाभांश दिया गया था)। लाभांश वितरण के फलस्वरूप ₹ 113.71 करोड़ का नकदी बहिर्गमन होगा।

## 2. समेकित:

- वित्तीय वर्ष 2023 में बैंक की कुल आय 97% बढ़कर ₹20,001.43 करोड़ हो गई, जो कि वित्तीय वर्ष 2022 में ₹10,133.06 करोड़ थी। बैंक का निवल लाभ 82% बढ़कर वित्तीय वर्ष 2023 में ₹3,930.94 करोड़ हो गया, जो पिछले वर्ष ₹2,161.98 करोड़ था।
- वित्तीय वर्ष 2023 में बैंक का प्रति शेयर अर्जन बढ़कर ₹69.15 हो गया, जबकि पिछले वर्ष यह ₹40.63 था।

## 3. इंड-एएस के कार्यान्वयन में प्रगति

बैंकों को जारी किए गए भारतीय रिजर्व बैंक के 15 मई 2019 के पत्र के अनुसार, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के लिए इंड-एएस के कार्यान्वयन को अगली सूचना तक आस्थगित कर दिया गया है। तदनुसार, बैंक के वित्तीय विवरण आईजीएपी के अंतर्गत तैयार करना जारी रखा गया है। तथापि, बैंक अपने वित्तीय विवरण इंड-एएस के अंतर्गत भी छमाही और वार्षिक आधार पर तैयार करता आ रहा है, जो भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत किए गए।

## 3. व्यवसाय कार्यनिष्पादन:


### 1. मूलभूत परिचालन - एक दृष्टि में:

(₹ करोड़)

उत्पाद वर्ग	वित्तीय वर्ष 2022			वित्तीय वर्ष 2023		
	मंजूरी	संवितरण	बकाया	मंजूरी	संवितरण	बकाया
प्रत्यक्ष ऋण	6,760	5,673	14,187	8,780	6,500	18,409
बैंकों को पुनर्वित्त	1,22,781	1,22,335	1,66,832	2,42,054	2,42,054	2,98,173
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को पुनर्वित्त	13,178	12,677	17,935	22,037	22,980	33,415
अल्प वित्त संस्थाओं को पुनर्वित्त	4,178	2,893	3,118	4,120	3,812	4,900
क्लस्टर विकास निधि योजना	1,038	180	180	4,458	1,409	1,542
<b>योग</b>	<b>1,47,935</b>	<b>1,43,758</b>	<b>2,02,252</b>	<b>2,81,449</b>	<b>2,76,755</b>	<b>3,56,439</b>

I. **बैंकों को पुनर्वित्त:** सिडबी पुनर्वित्त गतिविधियों के जरिए बैंकों की संसाधन-सम्पन्नता बढ़ाता है और इस प्रकार सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण प्रवाह को प्रबल बनाता है। 31 मार्च 2023 को बकाया संविभाग ₹2,98,173 करोड़ था, जो पिछले वर्ष के ₹1,66,832 की तुलना में वर्षानुवर्ष 79% की वृद्धि दर्शाता है। यह बकाया संविभाग 49 बैंकों से संबंधित है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंक, निजी क्षेत्र के 17 बैंक, 6 विदेशी बैंक, 10 लघु वित्त बैंक, 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और 1 शहरी

सहकारी बैंक शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान कुल संवितरण ₹2,42,054 करोड़ रहा। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान ग्राहक के रूप में कुल 8 बैंकों को जोड़ा गया।




**II. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसीज़) को पुनर्वित्त:** राजकोषीय वर्ष 2023 की समाप्ति पर, बैंक का एनबीएफसी संविभाग ₹33,415 करोड़ था, जिसमें 56 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ शामिल थीं। यह बकाया राशि में 86% की वृद्धि दर्शाता है। वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान मंजूरीयों और संवितरण बढ़कर क्रमशः ₹22,037 करोड़ और ₹22,980 करोड़ हो गए, जो वित्तीय वर्ष 2022 की तुलना में क्रमशः 67% और 81% की वृद्धि दर्शाते हैं।

**III. अल्प वित्त संस्थाओं को पुनर्वित्त:** सिडबी ने अल्प वित्त संस्थाओं को इन्क्यूबेटो/अर्द्ध-इन्क्यूबेटो, पुनर्वित्त, सावधि ऋण, अनुदान सहायता आदि के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की और इस प्रकार अल्प वित्त संस्थाओं / अनौपचारिक उद्यमों के लिए सुचारु ऋण प्रवाह सुगम बनाया। सिडबी के अल्प वित्त प्रयासों के अंतर्गत 31 मार्च 2023 को संचयी संवितरण ₹27,271 करोड़ हैं। वित्तीय वर्ष 2023 में निवल बकाया संविभाग ₹4,900 करोड़ रहा, जबकि वित्तीय वर्ष 2022 में यह ₹3,118 करोड़ था और इस प्रकार यह 57% की वृद्धि दर्शाता है। वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान संवितरण ₹3,812 करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 32% की वृद्धि दर्शाता है।

बैंक ने छोटी अल्प वित्त संस्थाओं, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और फिनटेक्स को सहायता देने के लिए विशेष तरलता सुविधा (एसएलएफ-3) के अंतर्गत तीन नए उत्पाद आरंभ किए। इन उत्पादों में शामिल हैं - विनियमित संस्थाओं- दोहरे मध्यवर्तन वाली अल्प वित्त संस्थाओं को वित्तीय सहायता, सिडबी एमएसई कोविड रिस्पॉन्स फंड तथा आंशिक गारंटी पूल लोन इश्यू।

**IV. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र को प्रत्यक्ष ऋण:** वित्तीय वर्ष 2023 में बैंक ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को ऋण देने की प्रक्रियाओं का आगे और सरलीकरण तथा डिजिटलीकरण जारी रखा है। इसके फलस्वरूप उधारकर्ताओं द्वारा दी गई पुरानी जानकारियों पर निर्भरता घटी है और सार्वजनिक डेटाबेसों जैसे जीएसटी, आईटीआर, बैंक विवरणियों और एमसीए डेटाबेस की अद्यतन जानकारियों का प्रयोग करने की दिशा में प्रगति हुई है। प्रत्यक्ष ऋण और प्रयास के अंतर्गत बकाया संविभाग बढ़कर वित्तीय वर्ष 2023 में ₹18,409 करोड़ हो गया, जबकि वित्तीय वर्ष 2022 में यह ₹14,187 करोड़ था।



ग्राहकों की कुल संख्या में प्रयास के ग्राहक शामिल नहीं हैं।

**V. प्रत्यक्ष ऋण योजनाओं के अंतर्गत किए गए नए प्रयास - साझेदारियाँ और सहयोग:** सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के नए वर्गों तक पहुँचने के लिए और नवोन्मेषी उत्पाद शुरू करने के लिए, बैंक ने विभिन्न संस्थाओं के साथ साझेदारियाँ की हैं। इससे ग्राहकों तक पहुँच बढ़ेगी और नये ग्राहक जोड़ने में मदद मिलेगी:

- सिडबी ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूपीआईआईडीए, आईआईए, एसआईएटीआई, वास्मे, ईएलसीआईए आदि के साथ सहमति-ज्ञापन किए हैं, जिसका उद्देश्य संगठनात्मक शक्तियों को समन्वित कर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है।
- बैंक ने ग्रांट थॉर्टन भारत एलएलपी के साथ मिलकर, भारत सरकार की वाहन सत्रैपिंग नीति से उत्पन्न हो रहे वित्तीय अवसरों के विषय में क्षेत्रपरक अध्ययन किया है और क्रिसिल के माध्यम से स्माइल / सेफ योजनाओं के प्रभाव का अध्ययन कराया है। इस अध्ययन ने अन्य बातों के साथ-साथ, इस बात का खुलासा किया है कि स्माइल के अंतर्गत वित्तीय सहायताप्राप्त उधारकर्ताओं द्वारा सृजित प्रत्यक्ष रोजगार उनकी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के बाद 35-40% बढ़ गया।

**VI. नए / आशोधित उत्पाद:**

- एकसप्रेस (मशीन / उपकरण खरीद हेतु फिट स्कोर पर आधारित प्रत्यक्ष वित्त उत्पाद): मौजूदा अच्छे कार्यनिष्पादन वाले सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को मशीनरी और उपकरणों की खरीद हेतु स्वचालित प्लेटफॉर्म (वित्त, आय और ट्रेड रैंक (फिट), जीएसटी स्कोर तथा सिबिल एमएसएमई रैंक पर आधारित) के माध्यम से शीघ्रतापूर्वक सावधि ऋणों की मंजूरी।
- साथ (अनुसूचित जाति / जनजाति उद्यमियों द्वारा प्रवर्तित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों हेतु सहायता योजना): अनुसूचित जाति / जनजाति उद्यमियों के स्वामित्व वाले सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। यह सहायता नई इकाइयों की स्थापना अथवा मौजूदा इकाइयों में सुधार के लिए अनुकूल शर्तों और प्रोत्साहनों के साथ ऋण के रूप में हो सकती है।
- अर्जना: अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर, महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई योजना आरंभ की गई। इस योजना में विभिन्न वित्तीय लाभ शामिल हैं, जैसे - क्रेडिट गारंटी शुल्क की घटी हुई दर, समयपूर्व भुगतान पर कोई प्रभार नहीं, जेड प्रमाणन के लिए अतिरिक्त लाभ, समय

पर चुकौती किए जाने पर छूट, कार्रवाई शुल्क में कमी, अपेक्षाकृत कम प्रवर्तक मार्जिन।

VII. सिडबी के क्लस्टर विकास संबंधी प्रयास: सिडबी क्लस्टर विकास निधि योजना का परिचालन दिसंबर 2021 में आरंभ हुआ और वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान इसका पहला पूर्ण परिचालन वर्ष संपन्न हुआ।

- वर्ष के दौरान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्लस्टर मूलभूत ढांचा विकास की 91 परियोजनाओं (64 नई और 27 मौजूदा) को सहायता प्रदान की गई, जिनकी संचयी प्रतिबद्ध राशि ₹5495.58 करोड़ है।

VIII. हरित वित्तपोषण : सिडबी निम्नलिखित रूप में टिकाऊ विकास में योगदान करता है:

- हरित वित्त दृष्टिकोण में तीन पहलू शामिल हैं: एमएसएमई परियोजनाओं के लिए हरित वित्त योजनाओं के माध्यम से सस्ती वित्तीय सहायता प्रदान करना, जलवायु-अनुकूल उपायों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उनके लिए प्रोत्साहक परिवेश तैयार करना, और ऊर्जा दक्ष परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए अन्य बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को प्रशिक्षण, मार्गदर्शन तथा जोखिम भागीदारी सुविधा सहायता के माध्यम से राह दिखाना और प्रेरित करना।

- ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के लिए आंशिक जोखिम भागीदारी सुविधा: यथा 31 मार्च 2023, कुल 15 बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को भागीदार वित्तीय संस्थाओं के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। उक्त सुविधा के अंतर्गत 61 ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं को सहायता प्रदान की गई है, जिनकी कुल परियोजना लागत ₹600 करोड़ से अधिक, ऋण राशि ₹370 करोड़ से अधिक और गारंटीकृत राशि ₹240 करोड़ से अधिक है।

- नगरपालिका ठोस अपशिष्ट और संपीड़ित बायोगैस - जोखिम साझेदारी सुविधा: सिडबी ने नामा फैसिलिटी और जीआईजेड के साथ मिलकर एक कार्यक्रम तैयार किया है, जिसका नाम है "भारत में चक्रीय अर्थव्यवस्था हेतु अपशिष्ट समाधान"। यह कार्यक्रम आरएसएफ के अंतर्गत स्थापित क्रेडिट गारंटी समूह निधि के उपयोग के जरिए नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंध परियोजनाओं को सहायता देने के लिए है।

- जीवंत पारितंत्र के लिए ईवी परिचालन और ऋण (इवॉल्व): सिडबी तथा विश्व बैंक ने विद्युतचालित दुपहिया और तिपहिया वाहनों को अपनाने हेतु वित्तीय सहायता देने के लिए एक सिस्टम तैयार किया है।

- कार्बन-शून्यता का संस्थानीकरण: सिडबी ने अपने कार्बन पदचिह्न घटाने और 2024 तक कार्बन-शून्य होने की अपनी योजना की घोषणा की है।

- टिकाऊपन अवधारणा सूचकांक(एसपेक्स): बैंक इन एंड ब्रैडस्ट्रीट के सहयोग से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए टिकाऊपन अवधारणा सूचकांक(एसपेक्स) बनाएगा। यह तिमाही सूचकांक यह मापेगा कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम किस सीमा तक टिकाऊपन से जुड़ी पद्धतियों को कार्यान्वित कर टिकाऊ विकास लक्ष्यों की दिशा में कार्य कर रहे हैं।


- निचले तबकों में हरित (पर्यावरण-अनुकूल) पद्धतियाँ-सूक्ष्म उद्यम क्लस्टरों पर ध्यान: कारीगर क्लस्टरों की मदद करने के लिए सिडबी ने हरित समावेशिता परियोजना आरंभ की है।

- हरित जलवायु निधि: सिडबी को हरित जलवायु निधि के लिए और जलवायु वित्त प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष पहुंच संस्था के रूप में अनुमोदित किया गया है।

## 2. वित्तीय अनुपात:

- I. **अनर्जक आस्तियाँ:** समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक की सकल अनर्जक आस्तियाँ और निवल अनर्जक आस्तियाँ क्रमशः 0.01% तथा 0.00% रहीं, जो वित्तीय वर्ष 2022 की सकल अनर्जक आस्तियों अर्थात् 0.11% और निवल अनर्जक आस्तियों अर्थात् 0.07% की तुलना में क्रमशः 10 आधार अंक तथा 7 आधार अंक का सुधार दर्शाती हैं।

- II. **प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर)** समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 100 % रहा, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष यह 96% था।



- III. **पूँजी पर्याप्तता अनुपात** वित्तीय वर्ष 2023 की समाप्ति पर 19.29% रहा, जबकि वित्तीय वर्ष 2022 की समाप्ति पर यह 24.28% था। यह बैंक के संविभाग को बढ़ाने के लिए पूँजी के प्रभावी उपयोग का परिणाम है।

3. **जोखिम प्रबंधन** : बैंक ने गहन जोखिम प्रबंध प्रणाली स्थापित की है, जिसमें ऋण जोखिम प्रबंध, बाजार जोखिम प्रबंध, परिचालन जोखिम प्रबंध, आंतरिक पूँजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया और व्यवसाय सातत्य प्रबंध जैसे विभिन्न पहलुओं का समावेश है। बैंक की जोखिम प्रबंध समिति बैंक के ऋण तथा राजकोषीय परिचालनों में निहित जोखिमों तथा तुलन-पत्र से इतर मर्दों में निहित जोखिमों की निगरानी और प्रबंधन करती है।

- I. **जोखिम प्रबंध नीतियाँ** : विभिन्न जोखिमों तथा उनके निवारण के लिए बैंक में निम्नलिखित जोखिम प्रबंध नीतियाँ लागू हैं:

- उद्यम जोखिम प्रबंध (ईआरएम) नीति
- ऋण नीतियाँ
- सूचना प्रौद्योगिकी तथा साइबर सुरक्षा नीति
- प्रतिभूति तथा संपार्श्विक प्रबंध नीति
- परिचालनगत जोखिम प्रबंध नीति
- व्यवसाय सातत्य प्रबंध नीति



- आस्तिदेयता प्रबंध नीति
- निवेश नीति
- आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया नीति
- व्युत्पन्नो हेतु आंतरिक नियंत्रण दिशानिर्देश
- बाजार जोखिम प्रबंध नीति
- मॉडल वैधीकरण नीति
- देश जोखिम प्रबंध नीति

II. **प्रणालियाँ** - रेटिंग मॉडल वाली जोखिम प्रबंध प्रणालियाँ - जोखिम मूल्यांकन मॉडल (रैम), सिडबी बहुप्रकार्यात्मक मूल्यांकन और रेटिंग साधन (स्मार्ट) तथा स्कोर कार्ड्स, बैंक आस्ति देयता प्रबंधन, व्यापक परिचालनगत जोखिम मूल्यांकक (कोर) और आईसीएपी टूल

### III. वर्ष के दौरान प्रमुख प्रयास:

- वर्ष के दौरान देश जोखिम प्रबंध नीति लागू की गई है।
- **बेसल-III के कार्यान्वयन हेतु तैयारी** - बैंक ने बेसल-III लागू करने के लिए तैयार रहने के उद्देश्य से गैप अध्ययन पूरा कर लिया है। बेसल-III की अपेक्षानुसार सीआरएआर की गणना कर ली गई है। आरडब्ल्यूए गणना हेतु पद्धति का परीक्षण किया जा रहा है। बैंक बेसल-III के क्रियान्वयन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का अनुसरण करने के लिए तैयार है।
- **ब्लॉक-चेन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए सुरक्षा सूचना एक्सचेंज का विकास** - बैंक ने विभिन्न ऋणदाताओं के बीच सुरक्षा सूचना के आदान-प्रदान के लिए एक ब्लॉक-चेन समाधान तैयार करने हेतु इन्फोसिस लि. के साथ काम किया है। प्रूफ ऑफ कन्सेप्ट पूरा हो गया है और प्रायोगिक परियोजना चल रही है, जिसमें दो बैंक/फर्म तथा 2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ भाग ले रही हैं। सिडबी के मौजूदा एनबीएफसी ग्राहकों को एनबीएफसी सुरक्षा सूचना एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा है, जो कि अब प्रोडक्शन में इस्तेमाल होने की ओर अग्रसर है।

### 4. अनर्जक आस्तियों की निगरानी

बैंक अपने संविभाग की गुणवत्ता को बनाए रखने और एनपीए खातों से वसूली पर काफी बल दे रहा है। निदेशक मंडल स्तर पर 'वसूली समीक्षा समिति' का गठन किया गया है, जो ₹5 करोड़ या उससे अधिक के बकाया मूलधन वाले प्रत्येक मामले की समीक्षा करती है। इसके अतिरिक्त, बैंक ने वसूली संबंधी मामलों को देखने के लिए विशेषीकृत आस्ति वसूली शाखाएँ स्थापित की हैं।

वर्ष के दौरान ₹468 करोड़ की वसूली की गई (जिसमें नई अनर्जक आस्तियों से ₹28 करोड़ की वसूली शामिल है)। वित्तीय वर्ष 2023 की समाप्ति पर बैंक का सकल एनपीए ₹33 करोड़ था (जबकि वित्तीय वर्ष 2022 में यह ₹218 करोड़ था), निवल एनपीए ₹9 करोड़ था (जबकि वित्तीय वर्ष 2022 में यह ₹132 करोड़ था)।

### 5. विकास और प्रभाव कार्यक्रम

विकास और प्रभाव कार्यक्रम संबंधी प्रयास विशेषकर अल्प सेवित इलाकों में उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देने तथा आजीविका एवं उद्यम सृजन पर केंद्रित हैं। ये प्रयास मिशन स्वावलंबन ढाँचे के अंतर्गत आते हैं, जिसका उद्देश्य समाज के सबसे निचले स्तर के लोगों की मदद करना है।

बैंक के विकास और प्रभाव कार्यक्रम के दो मुख्य वर्ग हैं:

- (ए) **राष्ट्रीय कार्यक्रम:** भारत भर में लागू कार्यक्रम या बहु-प्रदेशीय प्रयास
- (बी) **क्षेत्रीय कार्यक्रम:** अंचल/क्षेत्रीय/ शाखा कार्यालयों/ पीडीआई उद्गाग द्वारा स्थानीय रूप से क्षेत्र के भीतर अंचल/क्षेत्रीय/ शाखा कार्यालय स्तर पर कार्यान्वित कार्यक्रम

### राष्ट्रीय कार्यक्रमों (एनपी) का दायरा:

#### एनपी 1 - उद्यमिता प्रोत्साहन तथा आजीविका हेतु कौशल विकास

- **आकांक्षी स्वावलंबियों हेतु सिडबी की सहायता (साहस)**  
एमएसमई समाधानों हेतु स्वावलंबन पीठ उद्यमियों की मदद करती है और इलाके के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के समक्ष आ रही चुनौतियों का समाधान उपलब्ध कराती है। प्रदत्त सहायता में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, त्रिशूर तथा विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जयपुर के प्रौद्योगिकी बिजनेस इनक्यूबेटर द्वारा चुनी गई स्टार्ट-अप इकाइयों का निधीयन शामिल है। कार्यक्रम के परिचालन का पहला वर्ष पूरा हो गया है और दूसरा वर्ष आरंभ हो गया है। वर्ष 2023 में उद्यमिता विकास और उन्नत कौशल विकास पर 28 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए और 3 हैकाथनों का आयोजन किया गया।

#### ● आजीविका हेतु स्वावलंबन कौशल कक्षाएँ

सिडबी ने उत्तर प्रदेश, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र के 500 कुशल एवं आकांक्षी युवाओं को छोटे व्यवसाय स्थापन हेतु गहन सहायता और प्रशिक्षण पाने में मदद करने के लिए टाटा के साथ सहयोग स्थापित किया है। इस प्रयास का उद्देश्य उनकी आय तथा रोजगार अवसरों में वृद्धि करना है। इसके अतिरिक्त, बैंक ने राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश में स्वावलंबन कौशल कक्षाएँ आयोजित करने के लिए महेन्द्रा स्किल्स ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रा. लि. से साझेदारी की है। इस कार्यक्रम से 420 वंचित व्यक्तियों को अल्पावधि कौशल प्रशिक्षण तथा मार्गदर्शन सहयोग मिला, जिससे वे घरेलू उपकरणों और मोबाइल हैंडसेट रिपेयरिंग आदि के क्षेत्र में फील्ड टेक्नीशियन बन सके।

#### ● कौशल से उद्यम मॉडल (स्टेम)

सिडबी ने प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थाओं से इस उद्देश्य से साझेदारी की है कि वे कुशल युवाओं के लिए ऐसे पाठ्यक्रम तैयार, विकसित और आरंभ करें, जिससे वे उद्यमिता में छलांग लगा सकें। इसे कौशल से उद्यम मॉडल कहा गया है। वित्तीय वर्ष 2023 में सिडबी ने 5 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के साथ सहमति-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। पहला कार्यक्रम करजत, महाराष्ट्र में आरंभ किया गया।

#### ● टाटा पावर के साथ सहयोग

बैंक और टाटा पावर ने भारत भर के ग्रामीण इलाकों में 1000 हरित ऊर्जा व्यवसाय स्थापित करने के लिए साझेदारी की है। उद्यमियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और सस्ते हरित ऊर्जा समाधान प्रदान किए जाएंगे। सिडबी ₹10,000/- प्रति उद्यमी तक का "गो रिस्पॉन्सिव, एंटरप्राइज इनसेंटिव (ग्रीनी)" प्रदान करेगा और ऋण संपर्क भी सुगम बनाएगा। वर्ष 2023 में 28 छोटे व्यवसायों को सहायता प्रदान की गई।

● **सौर ऊर्जाचालित प्रशिक्षण-सह- उत्पादन केंद्र (टीपीसीज़)**

बैंक ने उत्तर प्रदेश और बिहार में 5 सौर ऊर्जाचालित प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केंद्र स्थापित करने के लिए उषा इंटरनेशनल तथा टाटा पावर के सहयोग से एक प्रायोगिक कार्यक्रम आरंभ किया है। इसका उद्देश्य टिकाऊ आजीविका हेतु ग्रामीण महिलाओं को उन्नत स्तर का सिलाई कौशल प्रशिक्षण देना और उन्हें खुद ही केंद्रों को संचालित करने के लिए तैयार करना है। साथ ही, प्रति वर्ष कम से कम 150 लड़कियों/महिलाओं को बुनियादी सिलाई कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। 50 महिलाओं का प्रशिक्षण मई 2023 में आरंभ हो चुका है।

**एनपी2 - उद्यम सृजन**

**स्वावलंबन संपर्क केंद्र (एससीके)**

बैंक विभिन्न राज्यों में मार्गदर्शन, सहायता और क्रेडिट कनेक्ट प्रदान करके लोगों को अपना व्यवसाय शुरू करने में मदद करने के लिए एससीके चला रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष में, कुल 3879 उद्यम स्थापित/ उन्नत किए गए थे, संचयी रूप से, 50301 प्रोफाइल बनाए गए, 6200 उद्यम स्थापित/ उन्नत किए गए और रु. 53 करोड़ की कुल ऋण राशि के साथ 5066 लाभार्थी ऋण सुविधा ले रहे हैं। बैंक ने अब एससीके 2.0 शुरू किया है, जिसका लक्ष्य पांच राज्यों- तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में 100 एससीके की स्थापना के माध्यम से 10,000 नए व्यवसाय सृजित करना है। ये एससीके उद्यमियों की सहायता के लिए डिजिटल तरीकों का प्रयोग करेंगे। भविष्य में देश के सभी जिलों में एससीके शुरू करने का प्रस्ताव है।

● **स्वावलंबन संपर्क डेस्क (एससीडी)**

उद्यमिता में रुचि रखने वाले युवाओं तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं, सब्सिडी, लाभ और ऋण संबंधों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक मौजूदा व्यवसायों से जुड़ने के लिए उत्तर प्रदेश के 35 जिला उद्योग केन्द्रों में एससीडी स्थापित किए गए थे। पिछले 10 महीनों में 1703 पृच्छाछ प्राप्त हुईं और 650 उद्यमों (433 स्टार्ट-अप और 217 स्केल-अप उद्यम) को सहायता दी गई, जिसके लिए कुल ₹41.46 करोड़ के ऋण स्वीकृत किए गए।

● **स्वावलंबन सिलाई गृह-उद्यमी कार्यक्रम**

सिडबी की मिशन स्वावलंबन पहल, स्वावलंबन सिलाई गृह-उद्यमी कार्यक्रम के माध्यम से वंचित क्षेत्रों में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए उषा इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ साझेदारी कर रही है। इसने 5 चरणों में 23 राज्यों में 3000 से अधिक वंचित महिलाओं को सिलाई गृह-उद्यमी बनने में सहायता की है।

● **सूक्ष्म उद्यम संवर्द्धन कार्यक्रम (एमईपीपी)**

सिडबी द्वारा एमईपीपी पहल का उद्देश्य व्यवसाय सेवाएं प्रदान करके अर्ध-शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों और कारीगर-आधारित समूहों में व्यवहार्य सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा देना है। वर्तमान में भारत में 4 एमईपीपी चल रहे हैं, जो 7,700 से अधिक रोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं। पहले से चल रहे 4 मौजूदा एमईपीपी के अलावा वित्त वर्ष 2023 में 5 एमईपीपी स्वीकृत किए गए हैं।

● **स्वावलंबन लैब**

सिडबी ने गाजीपुर जिले (यूपी) के धामपुर गांव में स्वावलंबन लैब स्थापित करने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य गाजीपुर के 300 से अधिक युवाओं को स्वरोजगार करने या अपना खुद का व्यवसाय चलाने के लिए कौशल प्रदान करके सशक्त बनाना है।

**एनपी3 - समावेशी नवाचार और उद्यम विकास**

● **श्वास - उद्यमिता की अलख जगाना**

सिडबी और 'मूक्ति' ने स्वयंसेवी समूह की महिलाओं को वैकल्पिक आजीविका स्थापित करने और सुपर साइक्लोन 'अम्फान' से प्रभावित सुंदरबन के पुनर्निर्माण के लिए प्रशिक्षित करने हेतु 'सुंदरबन में स्वावलंबन एक्सेलेरेटर' (श्वास) कार्यक्रम शुरू करने के लिए साझेदारी की है। 1000 महिलाओं को खाद्य प्रसंस्करण और हस्तशिल्प (प्रत्येक 500) में प्रशिक्षित किया गया है और प्रशिक्षण के बाद अपने सूक्ष्म उद्यम शुरू करने के लिए उन्होंने स्टार्ट-अप किट प्राप्त की है। 417 लाभार्थियों ने नए सूक्ष्म उद्यम स्थापित किए हैं और 771 लाभार्थियों को बाजार से जोड़ा गया है।

● **स्वावलंबन चुनौती निधि (एससीएफ)**

एससीएफ का मुख्य लक्ष्य ऐसे विकास संगठनों, शैक्षिक संस्थानों और स्टार्ट-अप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जो स्थायित्व, वित्तीय समावेशन, स्वास्थ्य और स्वच्छता तथा उद्यमिता जैसे प्रयासों को प्राथमिकता देते हैं। वित्त वर्ष 2023 के दौरान एससीएफ के अंतर्गत 12 संगठनों के माध्यम से 4048 लाभार्थियों को सहायता दी गयी। इससे 634 उद्यम स्थापित हुए, 156 लाभार्थियों को ऋण सुविधाएं दिलाई गईं, 919 बाजार लिकेज पूरे किए गए और 82 रोजगार सृजित हुए।

● **स्वावलंबन दिव्यांगजन असिस्टिव टेक मार्केट एक्सेस (आत्मा) निधि**

इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों की मदद करना है। इस योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों के लिए मददगार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्टार्टअप आरंभ करने और सम्मिश्रित वित्तीयन पद्धति के जरिए बाजार तक उनकी पहुंच बढ़ाना प्रस्तावित है। इसका लक्ष्य ऐसी सहायक प्रौद्योगिकी की लागत को 50% तक कम करना और कम से कम 1,000 दिव्यांगजनों को लाभान्वित करना है। सोशल अल्फा इस मॉडल को लागू कर रहा है और पहले से ही पांच स्टार्ट-अप की सहायता कर चुका है, जिससे 2,000 से अधिक दिव्यांगजन लाभान्वित हुए हैं।

● **स्वावलंबन आजीविका संवर्द्धन और जागरूकता कार्यक्रम (लीप)**

यह कार्यक्रम 2023 में लेह के युवाओं को सी-बकथॉर्न का उपयोग करके व्यवसाय स्थापित करने में मदद करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इसमें मूल्य-श्रृंखला विकसित करने के लिए एक इंक्यूबेटर-सह-उत्पादन केंद्र स्थापित करना शामिल है। परियोजना के अंत तक कम से कम 15 समूह उद्यम स्थापित करने का लक्ष्य है।

● **स्वावलंबन आत्मनिर्भर जनजातीय उद्यमिता हैंडहोल्डिंग पहल (साथी)**

दि आगा खान ग्रामीण सहायता कार्यक्रम भारत, सूक्ष्म उद्यम विकास में आदिवासी युवाओं, विशेषकर महिलाओं को प्रशिक्षित करने पर जोर देते हुए, गुजरात और मध्य प्रदेश में 200 मॉडल गांव बनाने के लिए कार्य कर रहा है। इन गांवों में तीन वर्षों के भीतर 650 उद्यम स्थापित करने का लक्ष्य है। वित्त वर्ष 2023 तक, 275 लोगों को प्रशिक्षित किया गया है और 200 ने अपना उद्यम शुरू किया है।

● **महिला उद्यमिता - आजीविका संवर्द्धन और विकास (वी-लीड)**

यह परियोजना ओडिशा में ओएसएएफआईआई द्वारा चलाई जा रही है। इसका उद्देश्य ओडिशा और पश्चिम

बंगाल में एसएचजी/जेएलजी सदस्यों को क्षमता निर्माण, कौशल प्रशिक्षण और व्यवसाय विकास सेवाएं प्रदान करके 12,000 महिला उद्यमियों की सहायता करना है। वित्त वर्ष 2023 में 7,970 महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया; 2,859 महिलाओं को ऋण दिया गया और 2,832 उद्यम स्थापित किए गए। 10,000 महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एसोसिएशन ऑफ माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की साझेदारी में इस परियोजना को पश्चिम बंगाल में भी क्रियान्वित किया गया है।

● **वित्तीय साक्षरता, ग्राम अंगीकरण तथा ऋण एवं बाजार संयोजन के लिए स्वावलंबन सहायता - सफल**

वित्त वर्ष 2022 में दो राज्यों- बिहार और झारखंड के 121 गांवों में सफल परियोजना प्रायोगिक तौर पर प्रभावी रही। इसी आधार पर इसे विस्तार देते हुए दस राज्यों के 700 गांवों को अंगीकृत करके वहाँ 15,000 आजीविका उद्यमों/सूक्ष्म उद्यमों (एलई/एमई) को सहायता देने के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया। वित्त वर्ष 2023 में 593 गांवों का अंगीकरण किया गया और कुल 12,626 एलई/एमई को प्रशिक्षित किया गया तथा 3597 लाभार्थियों को ₹14 करोड़ की राशि के ऋण प्राप्त हुए।

● **आदिवासी ओडिशा महिला उद्यमी पुनर्गठन (टावर)**

महाभिनिष्क्रमण उन्नयन संस्थान, ओडिशा के क्यॉंझर जिले में काष्ठेतर वन उत्पादों का उपयोग करके अपना व्यवसाय विकसित करने में 100 आदिवासी महिला उद्यमियों की सहायता करने के उद्देश्य से टावर परियोजना लागू कर रहा है। सौर ऊर्जाचालित आधुनिक मशीनरी लगाकर एक साझा सुविधा केन्द्र (सीएफसी) स्थापित किया गया है जो साल के पत्तों से उच्च गुणवत्ता वाले दोने-पत्तल बनाती है। यह समुदाय के स्वामित्व में और उसके द्वारा संचालित है।

● **एमएफ टू एमई मॉडल - स्वावलंबन स्वाभिमान**

वित्त वर्ष 2022 में स्वावलंबन स्वाभिमान प्रायोगिक पहल की सफलता को देखते हुए, वित्त वर्ष 2023 में 500 आकांक्षियों/कारीगरों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया गया है और सभी आकांक्षियों/कारीगरों को टूल किट वितरित किए गए हैं। पोर्टल [www.odopmart.com](http://www.odopmart.com) प्लैटफॉर्म पर 198 कारीगरों का पंजीकरण भी पूरा हो चुका है और 341 प्रतिभागियों को ऋण सुविधाओं से जोड़ा गया है। परियोजना के अंतर्गत प्रशिक्षित उद्यमियों ने अपने उद्यमों में 500 अतिरिक्त व्यक्तियों को रोजगार दिया।

● **आजीविका और सूक्ष्म उद्यम विकास पर राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) को तकनीकी सहायता सहयोग**

परियोजना का उद्देश्य बिहार में बैंक सखियों को डिजिटल साधनों से जोड़ना है, ताकि वे अपनी सेवाओं का विस्तार करने के साथ-साथ, उद्यमियों और निर्माता-समूहों को व्यवसाय योजना और विपणन में सहायता भी कर सकें। वित्त वर्ष 2023 के दौरान, सामुदायिक स्तर के 20 संघों (सीएलएफ) की पहचान की गई और उन्हें डिजिटल लेनदेन का प्रशिक्षण दिया गया तथा 72 मामलों में दोहरे प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पूरी की गई।

झारखंड में, 180 बैंक सखियों को जोड़ा गया। इससे प्रतिमाह 10 लाख रुपये से अधिक के औसत डिजिटल लेनदेन में मदद मिली।

**अन्य पहलकदमियाँ**

● **स्वावलंबन मेला प्लस**

सिडबी देश भर में विभिन्न स्थानों पर स्वावलंबन मेला प्लस का आयोजन करता रहा है। इसका उद्देश्य सूक्ष्म उद्यमों और छोटे कारीगरों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करना और बाजार की जानकारी, पहुंच और समझ हासिल करने में उनकी मदद करना है। वित्त वर्ष 2023 के दौरान, सिडबी ने ऐसे 15 आयोजनों हेतु सहयोग दिया, जिससे 1,050 सूक्ष्म और लघु उद्यम लाभान्वित हुए।

● **उद्यम संज्ञान**

उद्यम संज्ञान (1-दिवसीय अनुभव यात्रा) पहल के तहत, सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) अपने क्षेत्र की मध्यम और बड़े पैमाने की इकाइयों की अच्छी प्रथाओं को समझते हैं, जिससे उन्हें अपने उद्यम का आकार बढ़ाने की प्रेरणा मिलती है। वित्त वर्ष 2023 में ऐसे कुल 29 दौरे किए गए, जिससे 761 एमएसई लाभान्वित हुए। संघीय रूप से, अब तक 100+ दौरे किए गए हैं, जिनसे 2800+ एमएसई लाभान्वित हुए हैं।

● **परियोजना प्रबंध इकाइयां (पीएमयू)**

सिडबी ने 23 राज्यों में पीएमयू की स्थापना की है। इसका उद्देश्य स्थानीय एमएसएमई पारितंत्र को मजबूत करना और उक्त राज्यों से घुल-मिलकर वहाँ प्रचलित अच्छी प्रथाओं का शिक्षण-सत्रों के माध्यम से आदान-प्रदान करना है।

6. **नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी (सीएसआर) पहल:**

बैंक अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों के लिए प्रतिबद्ध है और इसने सिडबी स्वावलंबन फाउंडेशन (धारा 8 कंपनियों के रूप में पंजीकृत) (एसएसएफ) के माध्यम से विभिन्न सीएसआर गतिविधियों को कार्यान्वित किया है। वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान, सिडबी ने भारत भर में विश्वसनीय भागीदार संस्थानों के साथ विभिन्न थीम-आधारित सीएसआर गतिविधियों के लिए एसएसएफ में अंशदान किया है, जिसका विवरण निम्नलिखित है :

- भारत के 750 गांवों में हर घर तिरंगा उत्सव मनाने के लिए 75 गैर सरकारी संगठनों के साथ सीएसआर गतिविधि।
- ग्रामीणीकरण के लिए स्वावलंबन सहयोगी (स्वर) पहल: पूरे भारत में विकास-कर्मियों के क्षमता- निर्माण के लिए उन्हें जमीनी स्तर पर नियुक्त करना, ताकि वे लोगों को उन्हीं के निवास-क्षेत्र में उद्यम लगाने के लिए प्रशिक्षित कर सकें।
- 250 ग्रामीण महिलाओं को उद्यम मॉडल पर शामिल करके सुंदरबन, पश्चिम बंगाल में नदी तटबंधों का संरक्षण।
- जैसलमेर में आजीविका को मजबूत करने के लिए स्वयं सहायता समूहों/ सामूहिक महिला सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा देना और 6 स्कूलों में प्रयोगिक आधार पर उद्यमशीलता मानसिकता पाठ्यक्रम का शुभारम्भ।
- भारतीय पैरालंपिक समिति - बहुकार्यात्मक प्रशिक्षक, खेल किट, विशेष वाहन आदि प्रदान करके दिव्यांगजनों की खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करना।
- वृंदावन, उत्तर प्रदेश में 100 वंचित महिलाओं को आजीविका के लिए बेकार वस्तुओं से निर्मित उत्पादों पर कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम।

- एरी सिल्क रीलिंग और स्पिनिंग सेंटर, सफाई गांव-रेशमकीट पालन में संलग्नक संस्था बेलेफॉट कम्प्युनिटी कॉलेज फॉर फार्मर्स ऑफ शिलांग में 20 किलोवाट ऑफ-ग्रिड रूफटॉप सोलर की स्थापना।
- आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों के बच्चों के लिए द्वितीय मणिपुर राइफल्स यूनिट स्कूल-2 में स्मार्ट क्लासरूम और फिल्टर-युक्त वाटर कूलर की स्थापना।
- भुवनेश्वर-स्थित एमएसएमई क्लस्टर में बेरोजगार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने और एमएसएमई में कार्यरत मजदूरों के बच्चों के लिए उनके घर पर शैक्षिक कार्यक्रम का संचालन।
- ग्रेस होम (साइनोड अस्पताल की एचआईवी इकाई), आइजॉल में ऑक्सीजन पाइपलाइन की स्थापना के लिए सहायता।
- आयुक्त कार्यालय, गोरखपुर में आरओ प्लांट और वाटर कूलर की स्थापना।

## 7. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रबंधन

लेखापरीक्षा उद्भाग नियमित रूप से शाखा कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों और प्रधान कार्यालय के चुनिंदा उद्भागों की परिचालनगत लेखापरीक्षा, प्रधान कार्यालय उद्भागों की प्रबंध लेखापरीक्षा, सूचना प्रणाली (आईएस) लेखापरीक्षा, धोखाधड़ी के मामलों की विशेष लेखापरीक्षा कर रहा है। इसके अलावा, लेखापरीक्षा उद्भाग समवर्ती लेखापरीक्षा कार्य की देखरेख भी करता है। साथ ही, वह टीआरएमवी, केंद्रीकृत विक्रेता भुगतान कक्ष, एचआरडीवी स्टाफ भुगतान कक्ष एवं प्रशासन उद्भाग, डीसीवी, आईएफवी-प्रयास, आईएफवी-बैंक और एसएफबी, आईएफवी-एनबीएफसी, आईएफवी -एमएफआई, वीसीएफ, एआईसी और एआरवी की मासिक समवर्ती लेखापरीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा करता है, जिनकी लेखापरीक्षा बाहरी फर्मों द्वारा की जाती है।

बैंक ने प्रत्यक्ष ऋण संचालन वाले सभी शाखा कार्यालयों में बाहरी सीए फर्मों के माध्यम से समवर्ती लेखापरीक्षा तंत्र भी शुरू किया है। 31 मार्च, 2023 तक, 69 शाखा कार्यालयों को समवर्ती लेखापरीक्षा तंत्र के अंतर्गत कवर किया गया था, जिसमें बैंक के सभी प्रत्यक्ष ऋण परिचालन शामिल हैं।

वित्त वर्ष 2023 के दौरान, शाखा कार्यालयों / क्षेत्रीय कार्यालयों / प्रधान कार्यालय उद्भागों के लिए 112 जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षाएं की गईं।

## 8. मानव पूंजी प्रबंधन:

मानव संसाधन विकास (एचआरडी) उद्भाग, संगठन के सबसे मूल्यवान संसाधन - इसके कर्मचारियों के विकास और प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एचआरडीवी द्वारा किए गए कार्यों का पूरा दायरा कर्मचारी उत्पादकता में वृद्धि सुनिश्चित करने और कर्मचारियों को पर्याप्त कौशल, ज्ञान और संगठनात्मक परिकल्पना को पूरा करने की क्षमता से लैस करने की दिशा में उन्मुख है।

वित्त वर्ष 2023 के दौरान एचआरडीवी के प्रदर्शन के महत्वपूर्ण बिन्दु: बैंक ने स्टाफिंग, प्रशिक्षण और विकास, कार्यनिष्पादन प्रबंधन और कर्मचारी जुड़ाव के क्षेत्र में कई पहलकदमियाँ की हैं।

बैंक ने वित्त वर्ष 2023 के दौरान ग्रेड ए में 100 अधिकारियों की भर्ती-प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न की। 100 अधिकारियों में से 98 अधिकारी 31 मार्च, 2023 तक बैंक की सेवा से जुड़ चुके हैं।

- निरंतर विकसित हो रही मानव संसाधन प्रथाओं के एक हिस्से के रूप में, कर्मचारियों को कार्य के घंटों में लचीलेपन का लाभ प्रदान करने के लिए फ्लेक्स-टाइम नीति शुरू की गई है।

- बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 मनाने के लिए एक सप्ताह तक चलने वाले कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान कर्मचारियों के बीच समुदाय और एकजुटता की भावना जागृत करने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

- बैंक अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के लिए कई कदम उठा रहा है। वर्ष के दौरान, बैंक ने स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करने के लिए वॉकथॉन और कोविड टीकाकरण अभियान का आयोजन किया।

- प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों जैसे आईआईएम, एनआईबीएम, नाबार्ड, क्रिसिल, एसबीआई, एफआईएमएमडीए, आईडीआरबीटी, सीएफआरएएल आदि द्वारा आयोजित किए जा रहे विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों में बैंक के अधिकारियों को नामित किया गया। बैंक ने वित्त वर्ष 2022 के दौरान आयोजित 50 कार्यक्रमों की तुलना में इस वर्ष 99 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए।

- बैंक ने कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कुल 1,607 नामांकन किए, जिसमें आंतरिक कार्यक्रमों के लिए 661 नामांकन, प्रसिद्ध प्रशिक्षण/अकादमिक संस्थानों के लिए 928 नामांकन और अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण/दौरों के लिए 18 नामांकन शामिल हैं। कुल 322 नामांकन महिला कर्मचारियों के लिए थे।

- वर्ष के दौरान 1,607 प्रशिक्षण नामांकनों में से 421 नामांकन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के कर्मचारियों के लिए थे।

## मानव संसाधन बल:

- 31 मार्च, 2023 तक, बैंक में 1,037 स्थायी कर्मचारी थे, जिनमें 935 अधिकारी, 77 संवर्ग III कर्मचारी और 25 अधीनस्थ कर्मचारी शामिल थे। बैंक अपनी आवश्यकतानुसार विशिष्ट कार्यों के लिए अनुबंध के आधार पर भी कर्मियों को नियुक्ति कर रहा है।

- बैंक में महिला कर्मचारियों की संख्या 227 (कुल संख्या का 21.89%) है। बैंक हमेशा अपने महिला कार्यबल के संबंध में एक समान-अवसर प्रदाता रहा है और उनके कैरियर की प्रगति को सक्षम बनाने के लिए इसने निष्पक्ष और न्यायोचित प्रथाओं को लागू किया है।

- बैंक के कुल 1,037 स्थायी कर्मचारियों में से 178 कर्मचारी (कुल शक्ति का 17.16%) अनुसूचित जाति वर्ग के हैं, 75 कर्मचारी (कुल शक्ति का 7.23%) अनुसूचित जनजाति वर्ग के हैं, 231 कर्मचारी (कुल संख्या का 22.28%) ओबीसी वर्ग से, 28 कर्मचारी दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूडी) श्रेणी से संबंधित और 1 कर्मचारी भूतपूर्व सैनिक श्रेणी से संबंधित हैं।

- बैंक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति-पूर्व और सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करता है। कुल 141 कर्मचारियों को पदोन्नति-पूर्व प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें से 51 कर्मचारी अनुसूचित जाति वर्ग (36%) तथा 23 कर्मचारी अनुसूचित जनजाति वर्ग (16%) से हैं।

## 9. सूचना प्रौद्योगिकी

वर्ष के दौरान, निम्नलिखित प्रौद्योगिकी परियोजनाएं शुरू की गईं:

- कोड गुणवत्ता मुद्दों की पहचान, संस्करण नियंत्रण और कोड प्रबंधन, प्रतिगमन परीक्षण और उत्पादन वातावरण में कार्यान्वयन हेतु निर्माण की पीढ़ी के डेवऑप्स पाइपलाइन को एकीकृत उपकरणों / समाधानों के साथ लागू किया गया।



- सेवाओं और सहायता टिकटों की लॉगिंग, ट्रैकिंग और निगरानी के लिए समाधान को लागू किया और इसे पूरी तरह से परिचालन में लाया गया है।
- आईटी सुरक्षा समाधान अर्थात्, फ़ाइल विश्वसनीयता निगरानी (फ़ाइल इंटीग्रेटी मॉनिटरिंग (FIM)), डेटाबेस गतिविधि निगरानी (डेटाबेस एक्टिविटी मॉनिटरिंग (DAM)), गंतव्य कूटलेखन (एंड पॉइंट एन्क्रिप्शन), बहु आयामी प्रमाणीकरण (मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन (MFA)) और एसेट और पैच प्रबंधन (एसेट एंड पैच मैनेजमेंट (APM)) को शुरू किया गया।
- बैंक ने इंटरनेट एक्सेस और रिमोट एक्सेस समाधान के लिए जीरो ट्रस्ट क्लाउड-आधारित समाधान लागू किया।
- आईएसओ/आईईसी 27001:2013 प्रमाणीकरण के लिए आईएसओक्यूएआर (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से आईएसएमएस ऑडिट सफलतापूर्वक संचालित किया गया। इसमें डेटा सेंटर, डीआर साइट और प्रबंधन तथा बैंक के आईटी संचालन की निगरानी शामिल है।

#### 10. बैंक में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

बैंक के विभिन्न कार्यालयों में कुल 89 राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया है।

वर्ष के दौरान, 'क' क्षेत्र में 99% पत्राचार हिंदी में हुआ, जबकि 'ख' और 'ग' क्षेत्र में यह क्रमशः 94% और 80% रहा। उपरोक्त तीन क्षेत्रों में हिंदी नोटिंग का प्रतिशत क्रमशः लगभग 90%, 86% और 80% रहा।

बैंक की हिंदी पत्रिका 'संकल्प' के अब तक कुल 103 अंक जारी किए गए हैं।

वर्ष के दौरान 55 हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

वर्ष के दौरान बैंक के 49 कार्यालयों और 08 उद्भागों में राजभाषा कार्यान्वयन से संबंधित निरीक्षण किए गए।

18वीं अखिल भारतीय सिडबी हिन्दी निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

#### 11. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

अधिनियम के संदर्भ में बैंक ने एक केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ), वैकल्पिक केंद्रीय जन सूचना अधिकारी, केंद्रीय सहायक जन सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी और वैकल्पिक प्रथम अपीलीय प्राधिकारी नामित किया है, जिसका विवरण बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है। केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के निर्देशों के अनुसार, सूचना का अधिकार (आरटीआई) प्रश्नों पर सीपीआईओ द्वारा समय पर उत्तर देने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ निर्मित करने के उद्देश्य से बैंक ने अधिनियम की धारा 4 के बेहतर कार्यान्वयन के लिए एक पारदर्शिता अधिकारी भी नामित किया है।

वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान, बैंक को विभिन्न सूचनाओं के लिए 379 आवेदन प्राप्त हुए और सभी आवेदनों का अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय के भीतर निपटान किया गया।

वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान, बैंक के प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए) से 32 अपीलें की गईं, जिनका आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय के भीतर निपटान किया गया। एफएए द्वारा लिए गए निर्णयों के खिलाफ केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के समक्ष 14 अपीलें दायर की गईं। इस संबंध में सीआईसी के निर्णयों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की गई है। सीपीआईओ द्वारा सूचना प्रस्तुत करने या एफएए द्वारा अपीलों पर निर्णय लेने में कोई देरी नहीं हुई है।

सभी तिमाही ऑनलाइन विवरणियाँ नियमित रूप से समय पर सीआईसी को प्रस्तुत की गई हैं।

#### 12. सतर्कता

##### सतर्कता व्यवस्था-

- ✓ प्रधान कार्यालय में केंद्रीय सतर्कता समिति सहित मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ)।
- ✓ अतिरिक्त सतर्कता अधिकारियों (एवीओ) और क्षेत्रीय सतर्कता अधिकारियों (आरवीओ) सहित प्रधान कार्यालय में सतर्कता दल।
- ✓ क्षेत्रीय स्तर पर निवारक सतर्कता समितियाँ।

##### परिचालन ढांचा-

- ✓ सतर्कता पर आंतरिक सलाहकार समिति, शिकायतों या निरीक्षणों, लेखापरीक्षा रिपोर्ट, कर्मचारियों की जवाबदेही रिपोर्ट आदि से उत्पन्न मामलों की जांच करती है और सीवीओ को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करती है।
- ✓ शाखाओं की आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा सीवीओ द्वारा की जाती है।
- ✓ सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुसार निविदा प्रक्रिया पर निरंतर निगरानी।
- ✓ सीएमडी द्वारा सतर्कता कार्य की त्रैमासिक समीक्षा।

#### 13. सहायक और सहयोगी:

I. **माइको यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनंस एजेंसी लिमिटेड ('मुद्रा')** - मुद्रा को कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सिडबी के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था। मुद्रा एक एनबीएफसी के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक में पंजीकृत है। मुद्रा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत बैंकों, एनबीएफसी, आरआरबी, एसएफबी, एमएफआई आदि को पुनर्वित्त सहायता प्रदान करता है।

- प्रधान मंत्री मुद्रा योजना: पीएमएमवाई के तहत सूक्ष्म उद्यमियों को आय सृजन गतिविधियों के लिए 10 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाती है।
- मुद्रा ने वित्त वर्ष 2022 में ₹1018 करोड़ की कुल आय के मुकाबले वित्त वर्ष 2023 में कुल ₹1541 करोड़ की आय दर्ज की। वित्त वर्ष 2022 में ₹233 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 2023 में निवल लाभ ₹575 करोड़ रहा।

#### II. सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड:

सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड (एसवीसीएल) सिडबी के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जो एमएसएमई क्षेत्र पर बल देते हुए जोखिम पूंजी निधियों (वीसीएफ)/वैकल्पिक निवेश निधियों (एआईएफ) के प्रबंधन के लिए निवेश प्रबंधन कंपनी के रूप में कार्य करती है। एसवीसीएल ने विभिन्न क्षेत्रों में एमएसएमई/स्टार्टअप की इक्विटी आवश्यकता को पूरा करने के लिए ग्यारह फंड स्थापित किए हैं। एसवीसीएल ने संबंधित राज्य में एमएसएमई/स्टार्टअप की इक्विटी पूंजी आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से राज्य विशिष्ट फंड शुरू करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों के साथ भागीदारी की है।

- एसवीसीएल ने वित्त वर्ष 2022 में ₹10.85 करोड़ की कुल आय की तुलना में वित्त वर्ष 2023 में कुल ₹11.56 करोड़ की आय दर्ज की है। हालांकि, निवल लाभ वित्त वर्ष 2023 में घटकर ₹4.43



करोड़ हो गया, जो वित्त वर्ष 2022 में ₹5.03 करोड़ रहा था।

### III. सिडबी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड:

एसटीसीएल 1999 में स्थापित सिडबी के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जो ट्रस्टीशिप कार्यों को पूरा करने, विशेष रूप से वीसीएफ/एआईएफ के लिए स्थापित की गई है। एसटीसीएल ने वित्त वर्ष 2022 में ₹0.67 करोड़ की कुल आय के मुकाबले वित्त वर्ष 2023 में ₹0.77 करोड़ की कुल आय की सूचना दी। इसी तरह, निवल लाभ वित्त वर्ष 2022 में ₹0.47 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 2023 में ₹0.55 करोड़ रहा।

IV. सिडबी स्वावलंबन फाउंडेशन एक सेक्शन 8 कंपनी है, जो गारंटी द्वारा सीमित है और बैंक की सहायक कंपनी है। एसएसएफ सिडबी के लिए सीएसआर (नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व) गतिविधियों को संचालित करता है।

V. सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (एमएसएमई मंत्रालय और सिडबी द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित ट्रस्ट)

### VI. सहयोगी कंपनियां

- एक्यूइट रेटिंग एंड रिसर्च लिमिटेड (एक्यूइट) (पूर्ववर्ती स्मेरा) (35.73% शेयरधारिता)
- इंडिया एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (आईएसएआरसी) (15% शेयरधारिता)
- रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (आरएक्सआईएल) (30% शेयरधारिता)
- इंडिया एसएमई टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड (आईएसटीएसएल) (22.73% शेयरधारिता)
- ऑनलाइन पीएसबी लोन्स लिमिटेड (7.32% शेयरधारिता)

तथापि, सेबी एलओडीआर विनियम, 2015 के अनुपालन में, उपरोक्त को छोड़कर जिन संगठनों में सिडबी की 20% से अधिक शेयरधारिता है, वे निम्नानुसार हैं:

- बिहार राज्य वित्तीय निगम (48.43% शेयरधारिता)
- दिल्ली राज्य वित्तीय निगम (23.66% शेयरधारिता)
- गुजरात राज्य वित्तीय निगम (28.41% शेयरधारिता)
- महाराष्ट्र राज्य वित्तीय निगम (39.99% शेयरधारिता)
- पंजाब राज्य वित्तीय निगम (25.92% शेयरधारिता)
- उत्तर प्रदेश राज्य वित्तीय निगम (24.18% शेयरधारिता)
- कैनबैंक फैक्टर्स लिमिटेड (20% शेयरधारिता)
- किटको लिमिटेड (49.77% शेयरधारिता)
- बिहार औद्योगिक एवं तकनीकी परामर्श संगठन लिमिटेड (49.25% शेयरधारिता)
- राजस्थान एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (24.50% शेयरधारिता)
- राजस्थान ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (24.50% शेयरधारिता)
- हैदराबाद इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वेंचर एंटरप्राइजेस लि. (24.50% शेयरधारिता)

- साइबराबाद ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (24.50% शेयरधारिता)

### I. प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण (एमडीए) रिपोर्ट:

- (i) सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) (संशोधन)विनियम 2018 के अनुपालन में, निम्नलिखित अनुपातों में नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 25% से अधिक की वृद्धि हुई है :

वित्तीय अनुपात	वित्त वर्ष 2023	वित्त वर्ष 2022
प्रति शेयर आय (मूल एवं डायल्यूटेड मूल्य) (ईपीएस)	58.81	36.79
इक्विटी पर प्रतिलाभ		
- कर पूर्व	16.94%	10.55%
- कर पश्चात	12.88%	8.65%
लागत आय (दक्षता) अनुपात	13.55%	20.30%
स्टाफ की लागत / कुल आय	2.74%	4.05%
अन्य खर्च / कुल आय	1.71%	3.59%
ऋण-इक्विटी अनुपात *	7.88	3.22
कुल परिसंपत्तियों के लिए कुल ऋण (%)	49.87	30.61
औसत प्रतिफल	5.45%	4.35%
औसत लागत	4.13%	3.27%
सकल अनर्जक आस्तियों(एनपीए) का प्रतिशत	0.01	0.11
निवल अनर्जक आस्तियों(एनपीए) का प्रतिशत	0.00	0.07

\* ऋण, कुल उधारियों (जमा राशियों को छोड़कर) को दर्शाता है।

- लाभप्रदता / प्रतिलाभ / लागत अनुपात में 25% से अधिक बढ़ोतरी हुई है, जो पोर्टफोलियो आकार, आय, शुद्ध लाभ, आदि के साथ-साथ पैमाना वृद्धि (इकोनॉमी ऑफ स्केल) से प्राप्त लाभ के कारण हुई है।
- डीईआर तथा कुल परिसंपत्तियों की तुलना में कुल ऋण पोर्टफोलियो बढ़े हैं और यह संविभाग को बढ़ाने के उद्देश्य से अधिक उधार लेने के कारण हुआ है।
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नीतिगत दरों में बढ़ोतरी करने से बाजार में ब्याज दरें बढ़ गईं, जिसके कारण औसत प्रतिफल / औसत लागत में वृद्धि हुई है।
- एनपीए में गिरावट तथा पोर्टफोलियो में हुई वृद्धि के कारण एनपीए अनुपात में सुधार हुआ है।
- (ii) पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में निवल मालियत पर प्राप्त प्रतिलाभ में हुए किसी प्रकार के परिवर्तन के विस्तृत व्याख्या सहित विवरण।

वित्त वर्ष 2022 की तुलना में वित्त वर्ष 2023 में निवल मालियत पर प्रतिलाभ बढ़ा है, जो आय और शुद्ध लाभ में वृद्धि होने के कारण हुआ है।

प्रतिलाभ अनुपात	वित्त वर्ष 2023	वित्त वर्ष 2022
इक्विटी पर प्रतिलाभ		
- कर पूर्व	16.94%	10.55%
- कर पश्चात	12.88%	8.65%
नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ	12.97%	8.33%

14. **नैगम अभिशासन(कॉर्पोरेट गवर्नेंस) :** सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियम संख्या 15 से 27 का अनुपालन तथा बैंक नैगम अभिशासन (कॉर्पोरेट गवर्नेंस) रिपोर्ट पर लागू सूचीबद्ध संस्थाओं के लिए निर्दिष्ट और कॉर्पोरेट गवर्नेंस मानदंडों की प्रकटीकरण आवश्यकताएं इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा हैं।
15. **संबंधित पक्षों के साथ अनुबंधों या व्यवस्थाओं का विवरण :** बैंक ने अपने प्रवर्तकों, निदेशकों या प्रबंधन, उनकी सहायक कंपनियों या रिश्तेदारों आदि के साथ उल्लेखनीय महत्व वाला कोई लेनदेन नहीं किया है, जिसका बैंक के हितों के साथ टकराव होने की संभावना हो। बैंक ने अपने पक्षकारों के साथ निष्पादित अनुबंधों/ व्यवस्थाओं / लेन-देन के संबंध में स्टॉक एक्सचेंजों, सेबी, आरबीआई या किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सभी नियमों और विनियमों का अनुपालन किया है। संबंधित पक्षकारों के साथ लेन-देन के प्रकटीकरण की जानकारी एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 16(c) में दी गई है, जो वार्षिक रिपोर्ट और उसके अनुलग्नकों का हिस्सा है।
16. **लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट:** मेसर्स बोरकर एंड मजूमदार (एफआरएन 101569W) को वित्त वर्ष 2023 के लिए बैंक के सांविधिक लेखा-परीक्षकों के रूप में पुनः नियुक्त किया गया था। समीक्षाधीन अवधि के लिए लेखा परीक्षा रिपोर्ट में किसी प्रकार का संशोधन, टिप्पणी या प्रतिकूल अभ्युक्ति नहीं की गई है।
17. **सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट :** सेबी(सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 24ए के अनुसार, निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2023 के लिए बैंक की सचिवीय लेखा-परीक्षा करने के लिए मेसर्स दीप शुक्ला एंड एसोसिएट्स (एफसीएस 5652), प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिवों को नियुक्त किया है। 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सीएस दीप शुक्ला, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव द्वारा प्रस्तुत सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट नैगम अभिशासन (कॉर्पोरेट गवर्नेंस) रिपोर्ट के एक भाग के रूप में संलग्न है। सचिवीय लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में किसी प्रकार का संशोधन, टिप्पणी या प्रतिकूल अभ्युक्ति नहीं की गई है।

## 18. उत्तरदायित्व कथन :

एतद्वारा निदेशक-मंडल का कथन है कि:

- वार्षिक खाते लागू लेखा मानकों का अनुसरण करके तैयार किए गए हैं तथा महत्त्वपूर्ण विचलनों के लिए समुचित स्पष्टीकरण दिया गया है;
- लागू लेखांकन नीतियों को निरंतर लागू किया गया है और किए गए निर्णय और अनुमान उचित और विवेकपूर्ण हैं, ताकि यथा 31 मार्च 2023 को बैंक के कार्यों की और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लाभ और हानि की सही और निष्पक्ष स्थिति दर्शायी जा सके;
- लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए, बैंक की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती गई है;
- वार्षिक लेखे अवरित प्रतिष्ठान के आधार पर तैयार किए गए हैं;
- बैंक द्वारा अनुसरण किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए गए हैं और ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं तथा प्रभावी ढंग से लागू किए जा रहे हैं; और
- सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की गई हैं और ये प्रणालियां पर्याप्त हैं तथा इन्हें प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है।

## आभार

निदेशकगण वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड तथा अन्य सरकारी एवं नियामक एजेंसियों से प्राप्त बहुमूल्य समर्थन, मार्गदर्शन और सहयोग के लिए उनको आभार ज्ञापित करते हैं। निदेशकगण सभी मूल्यवान ग्राहकों, शेयरधारकों, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं, विश्व बैंक, एफसीडीओ, जेआईसीए, केएफडब्ल्यू, जीआईजेड, आईएफएडी, एएफडी, एडीबी को उनके संरक्षण और सहयोग के लिए आभारी हैं। निदेशकगण निवर्तमान निदेशकों श्री बी शंकर, श्री ललित कुमार चंदेल, श्री शैलेश कुमार सिंह और श्री डी.के.सिंह द्वारा किए गए योगदान की भी सराहना करते हैं। निदेशकगण बैंक के कर्मचारियों की समर्पित और प्रतिबद्ध टीम के लिए भी अपनी प्रशंसा व्यक्त करते हैं।

बैंक के निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

## नैगम अभिशासन (काँपैरिट गवर्नेस) रिपोर्ट :

### 1. नैगम अभिशासन (काँपैरिट गवर्नेस) के संबंध में सिडबी का दर्शन:

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) मूल्यों, नैतिक आचरण, व्यवहार में पारदर्शिता, सामाजिक सरोकार के प्रति योगदान और व्यवसाय के निष्पक्ष संचालन में हितधारकों के हित पर विचार करने के लिए प्रतिबद्ध है। सिडबी का मानना है कि सुशासन इसके व्यवसाय और विकास के लिए एक अभिन्न तत्व है। अभिशासन वैधानिक और नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन से परे होता है और इसका उद्देश्य शेयरधारकों की संपत्ति की रक्षा, रखरखाव और वृद्धि करना है। सिडबी की स्थापना सिडबी अधिनियम, 1989 के अंतर्गत की गई थी और यह एक उच्च मूल्य की ऋण सूचीबद्ध संस्था है, और सिडबी अधिनियम, 1989, सिडबी विनियम, 2000, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन संख्या 15 से 27 और बैंकों में नैगम अभिशासन (काँपैरिट गवर्नेस) - निदेशकों की नियुक्ति और बोर्ड की समितियों के गठन के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 26 अप्रैल, 2021 के परिपत्र का अनुपालन करती है।

31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए नैगम अभिशासन (काँपैरिट गवर्नेस) संबंधी रिपोर्ट, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("सूचीबद्धता विनियम") की अनुसूची-V में निर्दिष्ट मामले शामिल हैं, निम्नवत प्रस्तुत है:

### 2. निदेशक मंडल:

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 (सिडबी अधिनियम) संसद द्वारा लघु उद्योग विकास बैंक ('सिडबी') को लघु उद्योग क्षेत्र में उद्योग के संवर्धन, वित्तपोषण और विकास के लिए प्रमुख वित्तीय संस्था के रूप में स्थापित करने और लघु उद्योग क्षेत्र में तथा उससे संबंधित या आनुषंगिक मामलों के लिए उद्योगों के संवर्धन, वित्तपोषण या विकास करने में संलग्न संस्थानों के कार्यों का समन्वयन करने के लिए अधिनियमित किया गया था। बाद में, सिडबी को एमएसएमईडी अधिनियम के अंतर्गत दी गई परिभाषा के अनुसार एमएसएमई को सहायता प्रदान करने की अनुमति दी गई। अधिनियम में निदेशक मंडल के गठन तथा कार्यकारी और गैर-कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति की प्रक्रिया, उनके कर्तव्यों और कार्य की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। बोर्ड की अध्यक्षता सिडबी अधिनियम की धारा 6 (1) (ए) के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार, वित्तीय सेवा विभाग द्वारा नियुक्त अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक करते हैं। उप प्रबंध निदेशक के रूप में नामित दो पूर्णकालिक निदेशकों को भारत सरकार द्वारा धारा 6 (1) (बी) के अंतर्गत नियुक्त किया जाता है। भारत सरकार गैर-कार्यकारी निदेशकों की श्रेणी में नामित निदेशकों के रूप में दो सरकारी अधिकारियों को भी नामित करती है। सिडबी अधिनियम की धारा 6 (1) (सी) के अंतर्गत सिडबी के शेयरधारकों द्वारा तीन निदेशकों को नामित किया जाता है। सिडबी अधिनियम की धारा 6 (1) (डी) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा तीन निदेशक नामित किये जाते हैं और सिडबी अधिनियम की धारा 6 (1) (ई) के अंतर्गत शेयरधारिता के प्रतिशत के अनुसार अधिकतम चार निदेशक शेयरधारकों द्वारा चुने जाते हैं और रिक्ति के मामले में बैंक सिडबी अधिनियम की धारा 6 (1) (एफ) के अंतर्गत ऐसे निदेशकों का सह-नियोजन कर सकता है, किंतु इनकी संख्या चार से अधिक नहीं होनी चाहिए। सिडबी अधिनियम में इसके निदेशकों के 'बारी-बारी से सेवानिवृत्त(रिटायर्ड बाई रोटेशन)' होने का प्रावधान नहीं है।

2.1 निदेशकों का संघटन एवं श्रेणी : 31 मार्च, 2023 तक, सिडबी के निदेशक मंडल में 3 कार्यकारी निदेशक और 8 गैर-कार्यकारी निदेशक शामिल रहे। सिडबी के निदेशक मंडल का संघटन एलओडीआर के विनियम संख्या-17 (1) के अनुरूप है। निदेशकों के बीच आपस में कोई रिश्ता नहीं है।

निदेशक का नाम एवं निदेशक पद की श्रेणी	नियुक्ति की तारीख	सिडबी के निदेशक मंडल की समितियों की सदस्यता / अध्यक्षता	धारित इक्विटी शेयरों और गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों की संख्या
श्री सिवसुब्रमणियन रमण अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / कार्यकारी निदेशक (सिडबी अधिनियम, 1989 की धारा 6 (1) (ए) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त)	19/04/2021	1- कार्यकारी समिति- अध्यक्ष 2- बड़े मूल्य की धोखाधड़ी की निगरानी के लिए विशेष समिति- अध्यक्ष 3- ग्राहक सेवा समिति- अध्यक्ष 4- वसूली समीक्षा समिति- अध्यक्ष 5- इरादतन चूककर्ता (विलफुल डिफॉल्टर्स) और असहयोगी उधारकर्ता समीक्षा समिति- अध्यक्ष	शून्य
श्री वी सत्य वेंकट राव उप प्रबंध निदेशक / कार्यकारी निदेशक (सिडबी अधिनियम, 1989 की धारा 6 (1) (बी) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त)	05/06/2020	1- कार्यकारी समिति- सदस्य 2- जोखिम प्रबंधन समिति -सदस्य 3- बड़े मूल्य की धोखाधड़ी की निगरानी के लिए विशेष समिति- सदस्य 4- ग्राहक सेवा समिति - सदस्य 5- वसूली समीक्षा समिति- सदस्य 6- डीएमडी-प्रबंधन समिति- अध्यक्ष 7- सतत विकास लक्ष्य समिति- सदस्य 8- लेखा परीक्षा समिति - सदस्य 9- हितधारक संबंध समिति-सदस्य	शून्य

निदेशक का नाम एवं निदेशक पद की श्रेणी	नियुक्ति की तारीख	सिडबी के निदेशक मंडल की समितियों की सदस्यता / अध्यक्षता	धारित इक्विटी शेयरों और गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों की संख्या
<b>श्री सुदत्ता मंडल</b> उप प्रबंध निदेशक / कार्यकारी निदेशक (सिडबी अधिनियम, 1989 की धारा 6 (1) (बी) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त)	03/05/2021	1- कार्यकारी समिति - सदस्य 2- जोखिम प्रबंधन समिति -सदस्य 3- बड़े मूल्य की धोखाधड़ी की निगरानी के लिए विशेष समिति- सदस्य 4- सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति- सदस्य 5- ग्राहक सेवा समिति - सदस्य 6- वसूली समीक्षा समिति - सदस्य 7- डीएमडी-प्रबंधन समिति- सदस्य 8- लेखा परीक्षा समिति - सदस्य 9- हितधारक संबंध समिति-सदस्य	शून्य
<b>डॉ. रजनीश</b> गैर-कार्यकारी निदेशक / स्वतन्त्र निदेशक (सिडबी अधिनियम, 1989 की धारा 6 (1) (सी) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा नामित केंद्र सरकार के अधिकारी)	22/02/2023	शून्य	शून्य
<b>श्री भूषण कुमार सिन्हा</b> गैर-कार्यकारी निदेशक / स्वतन्त्र निदेशक (सिडबी अधिनियम, 1989 की धारा 6 (1) (सी) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा नामित केंद्र सरकार के अधिकारी)	06/01/2023	1- लेखा परीक्षा समिति - सदस्य 2- बड़े मूल्य की धोखाधड़ी की निगरानी के लिए विशेष समिति- सदस्य 3- वसूली समीक्षा समिति- सदस्य 4- नामांकन और पारिश्रमिक समिति- सदस्य	शून्य
<b>श्री के संपत कुमार</b> गैर-कार्यकारी निदेशक / स्वतन्त्र निदेशक (सिडबी अधिनियम, 1989 की धारा 6 (1) (डी) के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक द्वारा नामित)	20/07/2022	1- लेखा परीक्षा समिति- सदस्य 2- कार्यकारी समिति- सदस्य 3- जोखिम प्रबंधन समिति- सदस्य 4- बड़े मूल्य की धोखाधड़ी की निगरानी के लिए विशेष समिति- सदस्य 5- ग्राहक सेवा समिति- सदस्य 6- डीएमडी-प्रबंधन समिति- सदस्य 7- हितधारक संबंध समिति-सदस्य	शून्य
<b>श्री कृष्ण सिंह नगन्याल</b> गैर-कार्यकारी निदेशक / स्वतन्त्र निदेशक (सिडबी अधिनियम, 1989 की धारा 6 (1) (डी) के अंतर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नामित)	29/10/2021	1- लेखा परीक्षा समिति- सदस्य 2- डीएमडी-प्रबंधन समिति- सदस्य 3- नामांकन और पारिश्रमिक समिति- सदस्य 4- हितधारक संबंध समिति- सदस्य	शून्य
<b>श्री मनमय मुखर्जी</b> गैर-कार्यकारी निदेशक / स्वतन्त्र निदेशक (सिडबी अधिनियम, 1989 की धारा 6 (1) (डी) के अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा नामित)	29/12/2021	1. जोखिम प्रबंधन समिति- सदस्य	शून्य
<b>श्री जी गोपालकृष्ण</b> गैर-कार्यकारी निदेशक / स्वतन्त्र निदेशक (सिडबी के निदेशक मंडल द्वारा सिडबी अधिनियम, 1989 की धारा 6 (1) (एफ) के अंतर्गत सह-योजित)	11/08/2021 (प्रारंभिक नियुक्ति 11/08/2018 को)	1- कार्यकारी समिति- सदस्य 2- सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति- सदस्य 3- ग्राहक सेवा समिति- सदस्य 4- वसूली समीक्षा कमेटी- सदस्य 5- इरादतन चूककर्ता (विलफुल डिफॉल्टर्स) और असहयोगी उधारकर्ता समीक्षा समिति-- सदस्य 6- नामांकन और पारिश्रमिक समिति- सदस्य 7- हितधारक संबंध समिति- अध्यक्ष	शून्य

निदेशक का नाम एवं निदेशक पद की श्रेणी	नियुक्ति की तारीख	सिडबी के निदेशक मंडल की समितियों की सदस्यता / अध्यक्षता	धारित इक्विटी शेयरों और गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों की संख्या
<b>श्रीमती नूपुर गर्ग</b> गैर-कार्यकारी निदेशक / स्वतंत्र निदेशक (सिडबी के निदेशक मंडल द्वारा सिडबी अधिनियम, 1989 की धारा 6 (1) (एफ) के अंतर्गत सह-योजित)	04/02/2022 (प्रारंभिक नियुक्ति 04/02/2019 को)	1- लेखा परीक्षा समिति- सदस्य 2- बड़े मूल्य की धोखाधड़ी की निगरानी के लिए विशेष समिति- सदस्य 3- डीएमडी-प्रबंधन समिति- सदस्य 4- नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति- सदस्य	शून्य
<b>श्री अमित टंडन</b> गैर-कार्यकारी निदेशक / स्वतंत्र निदेशक (सिडबी के निदेशक मंडल द्वारा सिडबी अधिनियम, 1989 की धारा 6 (1) (एफ) के अंतर्गत सह-योजित)	08/08/2021	1- सतत विकास लक्ष्य समिति- अध्यक्ष 2- जोखिम प्रबंधन समिति- अध्यक्ष	शून्य

नोट : विनियम संख्या 16 (1) (बी) (स्वतंत्र निदेशक) के अंतर्गत दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार यह उल्लेख किया जाता है कि सिडबी एक 'उच्च' मूल्य की ऋण सूचीबद्ध संस्था है और सिडबी के निदेशक मंडल का संघटन सिडबी अधिनियम, 1989 की धारा 6 के अनुसार किया जाना अनिवार्य है। तदनुसार, सिडबी के निदेशक मंडल में गैर-कार्यकारी निदेशकों को सिडबी में स्वतंत्र निदेशक माना जाएगा।

## 2.2 31 मार्च 2023 को निदेशक मंडल के निदेशकों के कौशल / विशेषज्ञता / दक्षताओं का विवरण इस प्रकार है:

यथा 31 मार्च, 2023, सिडबी का निदेशक मंडल वैविध्यपूर्ण है और इसमें अनुभव, योग्यता, लैंगिकता, कौशल और विशेषज्ञता का मिश्रण है। निदेशक मंडल के कौशल और विशेषताओं की संक्षिप्त जानकारी नीचे तालिका में दी गई है।

नाम	योग्यता	कौशल/ विशेषज्ञता / दक्षता
<b>श्री एस. रमण</b>	बीए (अर्थशास्त्र), एमबीए, एमएससी इन रेग्यूलेशन्स, एलएलबी, सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर एवं डिप्लोमा इन सिव्क्युरिटीज लॉ।	अभिशासन एवं नेतृत्व, प्रबंधन एवं प्रशासन, लेखांकन, लेखा-परीक्षा, विधि, राजनय, अर्थशास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय अनुभव एवं संबंध, वित्त, उद्योग एवं बैंकिंग।
<b>श्री वी.एस.वी. राव</b>	बीकॉम, मास्टर ऑफ लॉ, पीजी डिप्लोमा इन आईआरपीएम	अभिशासन एवं नेतृत्व, वित्त, विधि, मानव संसाधन प्रबंधन, कॉर्पोरेट कम्प्युनिकेशन, गवर्नंस बैंकिंग / उद्यम पूंजी/रियल एस्टेट उद्योग अनुभव।
<b>श्री सुदत्ता मंडल</b>	बी-टेक(इलेक्ट्रिकल) एवं पीजीडीएम(वित्त)	आस्ति जोखिम प्रबंधन, अनुपालन, कार्यनीति, लेखा, वित्त, बैंकिंग, व्यापार और निवेश वित्त, परियोजना वित्त, एसएमई उधार, क्लस्टर विकास, प्रबंधन और प्रशासन, अभिशासन एवं नेतृत्व।
<b>डॉ. रजनीश</b>	मास्टर्स इन इकनॉमिक्स एंड इंटरनेशनल लॉ एवं पीएचडी	वित्त, वाणिज्य, शहरी विकास और नगर नियोजन, शिक्षा और आईटी, अंतर्राष्ट्रीय कानून और अर्थशास्त्र, प्रशासन, अभिशासन एवं नेतृत्व, प्रबंधन।
<b>श्री बी के सिन्हा</b>	बीए, एलएलबी, एमबीए एवं पीएचडी	अभिशासन एवं नेतृत्व, पूंजी बाजार, विनिवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन, बैंकिंग, वित्तीय समावेशन (एफआई), कृषि / ग्रामीण क्षेत्र को ऋण, बैंकों द्वारा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) का कार्य।
<b>श्री के. एस. कुमार</b>	बी.कॉम एवं एमबीए, सीएआईआईबी एवं आईसीडब्ल्यूए(इंटर)।	अभिशासन एवं नेतृत्व, वित्त, लेखा, पोर्टफोलियो प्रबंधन, बैंकिंग, विदेशी विनिमय, एसएमई रिटेल बिजनेस, ट्रांजैक्शन बैंकिंग और नैगम ऋण।
<b>श्री के. एस. नग्न्याल</b>	बीए	अभिशासन एवं नेतृत्व, प्रबंधन, कार्मिक एवं औद्योगिक संबंध, बीमा क्षेत्र, नैगम संचार।
<b>श्री मनमय मुखर्जी</b>	मास्टर्स इन साइंस, मास्टर्स इन टेक्नोलॉजी, सीएआईआईबी तथा सर्टिफाइड कंसल्टेंट फॉर ट्रेनिंग नीड एंड डिजाइन ऑफ ट्रेनिंग	अभिशासन एवं नेतृत्व, ग्रामीण विकास, कृषि, अनुपालन, अल्प वित्त(माइक्रोफाइनेंस), बैंकिंग, प्रौद्योगिकी तथा मानव संसाधन विकास।
<b>श्री जी गोपालकृष्ण</b>	बीए, एलएलबी एवं सीएआईआईबी	अभिशासन एवं नेतृत्व, वित्तीय अनुसंधान एवं शिक्षा, बैंकिंग, वित्त, सूचना सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी, जोखिम प्रबंधन तथा साइबर धोखाधड़ी।
<b>सुश्री नूपुर गर्ग</b>	एमबीए एवं सीए	अभिशासन एवं नेतृत्व, निवेश सलाहकार, उद्यमिता विकास, मेंटरशिप, सामाजिक सेवाएं, निजी इक्विटी तथा उद्यम पूंजी निधि प्रबंधन।
<b>श्री अमित टंडन</b>	बीए(ऑनर्स), एमबीए एवं एम.फिल.	अभिशासन एवं नेतृत्व, मर्चेंट बैंकिंग, परियोजना वित्त, अर्थशास्त्र, प्रबंधन, नैगम विधि मामले।



2.3 नीचे दी गई तालिका सिडबी अधिनियम 1989 के अनुरूप प्रमुख विशेषताओं एवं कौशल मैट्रिक्स को संक्षेप में प्रस्तुत करती है और यह व्यापक मानदंडों; यथा- औद्योगिक और तकनीकी ज्ञान, अपेक्षित अनुभव और अभिशासन एवं नेतृत्व से सहबद्ध है।

निदेशक का नाम	औद्योगिक और तकनीकी ज्ञान	अनुभव	अभिशासन और नेतृत्व
श्री एस. रमण	✓	✓	✓
श्री वी एस वेंकट राव	✓	✓	✓
श्री सुदत्ता मंडल	✓	✓	✓
डॉ. रजनीश	✓	✓	✓
श्री बी के सिन्हा	✓	✓	✓
श्री के संपत कुमार	✓	✓	✓
श्री के. एस. नग्न्याल	✓	✓	✓
श्री मनमय मुखर्जी	✓	✓	✓
श्री जी गोपालकृष्ण	✓	✓	✓
श्रीमती नूपुर गर्ग	✓	✓	✓
श्री अमित टंडन	✓	✓	✓

2.4 अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं के बोर्ड/समितियों में निदेशकों की सदस्यता/अध्यक्षता का विवरण:

निदेशक का नाम	सिडबी के अलावा अन्य सूचीबद्ध इकाई का नाम, जिसमें निदेशक बोर्ड का सदस्य है	अन्य सूचीबद्ध संस्था के बोर्ड / समिति का नाम, जिनमें निदेशक अध्यक्ष / सदस्य है	अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक पद की श्रेणी
श्री एस. रमण	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री वी.एस.वी. राव	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री सुदत्ता मंडल	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं
डॉ. रजनीश	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री बी के सिन्हा	बैंक ऑफ इंडिया	लेखा परीक्षा समिति- सदस्य नामांकन और पारिश्रमिक समिति- सदस्य	गैर कार्यकारी
श्री के संपत कुमार	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री के. एस. नग्न्याल	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री मनमय मुखर्जी	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री जी गोपालकृष्ण	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं
श्रीमती नूपुर गर्ग	इंडिगो पेट्स लिमिटेड	लेखा परीक्षा समिति- सदस्य नामांकन और पारिश्रमिक समिति- सदस्य हितधारक संबंध समिति -अध्यक्ष	स्वतंत्र निदेशक
श्री अमित टंडन	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं

टिप्पणियां :

1. निदेशक मंडल में कोई भी निदेशक 7 से अधिक ऐसी सूचीबद्ध संस्थाओं का निदेशक / स्वतंत्र निदेशक नहीं है, जिनके इक्विटी शेयर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं।
2. पूर्णकालिक निदेशकों / प्रबंध निदेशकों में से कोई भी निदेशक तीन से अधिक ऐसी सूचीबद्ध संस्थाओं में स्वतंत्र निदेशक नहीं है, जिनके इक्विटी शेयर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं।
3. निदेशक मंडल में कोई भी निदेशक उन सभी कंपनियों में 10 से अधिक समितियों का सदस्य और 5 से अधिक समितियों का अध्यक्ष नहीं है, जिनमें वे निदेशक के रूप में नामित हैं।
4. निदेशकों के बीच परस्पर कोई संबंध नहीं है।
5. 31 मार्च, 2023 तक किसी भी गैर-कार्यकारी निदेशक के पास सिडबी के शेयर और परिवर्तनीय प्रतिभूतियां नहीं हैं।

**2.5 वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान निदेशक का परिवर्तन:** वर्ष के दौरान निदेशक मंडल के संघटन में हुए परिवर्तन का विवरण इस प्रकार है :

नाम	नियुक्ति की तारीख	कार्य-मुक्ति की तारीख (त्यागपत्र की स्थिति में)	अभ्युक्तियाँ (परिवर्तन के कारण आदि)
श्री बी.के. सिन्हा	06.01.2023	--	नियुक्ति; भारत सरकार ने अपनी दिनांक 06 जनवरी 2023 की अधिसूचना के ज़रिए श्री भूषण कुमार सिन्हा को निदेशक नामित किया।
श्री के. संपत कुमार	20.07.2022	--	नियुक्ति; भारतीय स्टेट बैंक ने अपने 20 जुलाई 2022 के पत्र के ज़रिए श्री बी. शंकर के स्थान पर श्री संपत कुमार को निदेशक-मंडल में 20 जुलाई 2022 से निदेशक नामित किया।
डॉ. रजनीश	22.02.2023	--	नियुक्ति; भारत सरकार ने 22 फरवरी 2023 की अधिसूचना के ज़रिए डॉ. रजनीश को निदेशक नामित किया।
श्री शैलेश कुमार सिंह	20.06.2022	21.02.2023	कार्य-मुक्ति, भारत सरकार द्वारा श्री शैलेश कुमार सिंह के स्थान पर डॉ. रजनीश को निदेशक मंडल में नामित किए जाने के फलस्वरूप वे निदेशक-मंडल के सदस्य नहीं रहे।
श्री आशीष गुप्ता	11.08.2018	21.03.2023	कार्य-मुक्ति, श्री आशीष गुप्ता को एक म्यूचुअल फंड की आउट प्रबंधन कंपनी में मुख्य निवेश अधिकारी नियुक्त किया गया, जहाँ वे इक्विटी और ऋण निवेश का काम देखेंगे। किसी तरह के हित-टकराव से बचने के लिए उन्होंने उचित अभिशासन प्रथाओं के मद्देनज़र त्यागपत्र दिया है। उन्होंने पुष्टि की है कि इसके अलावा त्यागपत्र का कोई अन्य कारण नहीं है।
श्री ललित कुमार चंदेल	01.04.2022	05.01.2023	कार्य-मुक्ति; भारत सरकार द्वारा श्री भूषण कुमार सिन्हा को श्री ललित कुमार चंदेल की जगह पर नामित किए जाने के फलस्वरूप वे निदेशक-मंडल के सदस्य नहीं रहे।
श्री बी. शंकर	29.06.2021	19.07.2022	कार्य-मुक्ति; भारतीय स्टेट बैंक द्वारा श्री के संपत कुमार को श्री बी. शंकर के स्थान पर निदेशक-मंडल में नामित किए जाने के फलस्वरूप वे निदेशक-मंडल के सदस्य नहीं रहे।
श्री देवेन्द्र कुमार सिंह	05.06.2022	19.06.2022	कार्य-मुक्ति; भारत सरकार द्वारा श्री शैलेश कुमार सिंह को श्री देवेन्द्र कुमार सिंह के स्थान पर नामित किए जाने के फलस्वरूप वे निदेशक-मंडल के सदस्य नहीं रहे।

**2.6 निदेशक मंडल की बैठकें :**

प्रत्येक तिमाही में निदेशक मंडल की कम से कम एक बैठक और प्रतिवर्ष कम से कम चार बैठकें आयोजित होंगी तथा ये बैठकें ऐसे स्थानों पर होंगी जैसा निर्धारित किया जाए।

वित्त वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या : 04 (चार)

बैठकों की तिथियां : 17/05/2022, 05/08/2022, 29/10/2022 and 06/02/2023

निदेशकों के नाम	नियुक्ति/ नामांकन/ सह-योजन के बाद भाग लेने हेतु अर्ह बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या, जिनमें भाग लिया	25/06/2022 को हुई गत वार्षिक सामान्य बैठक में उपस्थिति
श्री एस. रमण	4	4	हां
श्री वी. एस. वेंकट राव	4	3	हां
श्री सुदत्ता मंडल	4	4	हां
डॉ. रजनीश	0	0	-
श्री बी. के. सिन्हा	1	0	-
श्री के. संपतकुमार	3	2	-
श्री के. एस. नग्न्याल	4	4	-
श्री मनमय मुखर्जी	4	4	-
श्री जी. गोपालकृष्ण	4	4	-
श्रीमती नूपुर गर्ग	4	3	-
श्री अमित टंडन	4	4	-

उन निदेशकों के नाम जो वित्त वर्ष के दौरान निदेशक मंडल में थे तथा अब सिडबी निदेशक मंडल के सदस्य नहीं हैं :			
श्री एस. के. सिंह	3	1	-
श्री आशीष गुप्ता	4	4	-
श्री एल. के. चंदेल	3	3	-
श्री बी. शंकर	1	0	-
श्री डी. के. सिंह	1	0	-

## 2.7 निदेशक-मंडल की समितियाँ

सिडबी अधिनियम 1989, सिडबी सामान्य विनियम, 2000, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व तथा प्रकटन अपेक्षाएं), सरकारी अनुदेशों / दिशानिर्देशों, आरबीआई परिपत्रों के प्रावधानों तथा व्यवसाय आवश्यकताओं के अनुरूप सिडबी के निदेशक-मंडल ने बारह समितियों का गठन किया है। निदेशक-मंडल की ये समितियाँ हैं: लेखापरीक्षा समिति, जोखिम प्रबंधन समिति, हितधारक संबंधी समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति, कार्यपालक समिति, वसूली समीक्षा समिति, इरादतन चूककर्ता व असहयोगी उधारकर्ता समीक्षा समिति, बड़े मूल्य की धोखाधड़ियों की निगरानी हेतु विशेष समिति, ग्राहक सेवा समिति, आईटी रणनीति समिति, उप प्रबंध निदेशक - प्रबंधन समिति तथा "संधारणीय विकास लक्ष्य" संबंधी समिति।

सिडबी के निदेशक मंडल ने समितियों के संघटन, इनके प्रकार्यों, बैठकों की आवृत्ति, गणपूर्ति सहित इनका अधिकार पत्र मंजूर किया है तथा इसे सिडबी की वेबसाइट [www.sidbi.in](http://www.sidbi.in) पर कापरिट अभिशासन खंड में रखा गया है।

I. **लेखापरीक्षा समिति** : निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति आरबीआई परिपत्र के अनुरूप गठित की गई थी तथा यह सेबी (सूचीबद्धता दायित्व तथा प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 तथा सेबी (सूचीबद्धता दायित्व तथा प्रकटन अपेक्षाएं) (संशोधन) विनियम, 2018 के प्रावधानों का अनुपालन करती है। साथ ही, अधिकार पत्र में इन दोनों विनियमों में से अपेक्षाकृत कड़े प्रावधानों को लिया गया है।

- निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति का मुख्य प्रकार्य सिडबी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया, वित्तीय विवरणियों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजनों का पर्यवेक्षण तथा यदि लेखांकन नीतियों व व्यवहारों में कोई परिवर्तन हुए हों, तो उनकी व इसके कारणों की समीक्षा; विसल ब्लोअर की कार्यप्रणाली के प्रकार्यों; आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों की समीक्षा तथा संबंधित पक्ष लेनदेनों की मंजूरी करना है। यह समिति प्रबंधन के साथ, किसी निर्गम के माध्यम से जुटाई गई निधियों के उपयोगों /प्रयोज्यता की विवरणियों तथा प्रस्ताव दस्तावेज में दिए गए उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों पर व्यय की गई निधियों की विवरणी की समीक्षा भी करती है तथा इस संबंध में उठाए जाने वाले कदमों के बारे में निदेशक मंडल को समुचित संस्तुति करती है। साथ ही, यह निदेशक मंडल को धोखाधड़ी या अनियमितता की आशंका या महत्वपूर्ण प्रकृति के आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की असफलता वाले मामलों में आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई आंतरिक जांच के निष्कर्षों की समीक्षा भी करती है तथा ऐसे मामलों को निदेशक मंडल को सूचित करती है।
- वित्त वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या: 04 (चार)
- बैठकों की तिथि: 17/05/2022, 05/08/2022, 29/10/2022 तथा 06/02/2023
- लेखापरीक्षा समिति का संघटन, बैठक तथा उपस्थिति :

निदेशकों के नाम और पदनाम (अध्यक्ष*)	कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या, जिनमें भाग लिया
श्री आशीष गुप्ता	4	4
श्री वी.एस. वेंकट राव	4	3
श्री सुदत्ता मंडल	4	4
श्रीमती नूपुर गर्ग	4	4
श्री के. संपत कुमार	2	2
श्री के. एस. नग्न्याल	2	2
श्री ललित कुमार चंदेल	3	3
श्री बी. के. सिन्हा	1	0

\*वर्तमान में सिडबी की लेखापरीक्षा समिति में कोई नियमित अध्यक्ष नहीं है, समिति बैठक के दौरान किसी स्वतंत्र निदेशक को अध्यक्ष के रूप में चयनित करती है।

II. **नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति** : नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति गठित है तथा यह सेबी (सूचीबद्धता दायित्व तथा प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 तथा सेबी (सूचीबद्धता दायित्व तथा प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के प्रावधानों के उस सीमा तक अनुरूप हैं, जहां तक ये सिडबी अधिनियम, 1989 के विरुद्ध नहीं हैं।

- नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की भूमिका निदेशक मंडल को, सिडबी अधिनियम, 1989 की धारा 6 (1) (एफ) के प्रथम परंतुक के अंतर्गत नियत संख्या में, चार से अनधिक, निदेशकों को सहयोजित करने की अनुशंसा करना, निदेशक

मंडल को सहयोजित निदेशकों के कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर, उनकी नियुक्ति की अवधि में विस्तार / जारी रखने के संबंध में अनुशंसा देना तथा निदेशकों के मूल्यांकन हेतु मानदंड नियत करना है।

- वित्त वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या: शून्य
- बैठकों की तिथि: लागू नहीं
- नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का संघटन, बैठकें तथा उपस्थिति :

निदेशकों के नाम और पदनाम (अध्यक्ष*)	कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या, जिनमें भाग लिया
श्रीमती नूपुर गर्ग	0	0
श्री जी. गोपालकृष्ण	0	0
श्री के. एस. नग्न्याल	0	0
श्री बी. के. सिन्हा	0	0
श्री ललित कुमार चंदेल	0	0

III. **हितधारक संबंध समिति** : यह समिति सेबी (सूचीबद्धता दायित्व तथा प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुरूप गठित की गई है।

- हितधारक संबंध समिति की भूमिका में हितधारकों और अन्य प्रतिभूति धारकों की शिकायतों की निगरानी करना, शेयरधारकों द्वारा मतदान अधिकारों के प्रभावी उपयोग हेतु किए गए प्रयासों की समीक्षा करना, पंजीकरण एवं शेयर अंतरण एजेंट द्वारा दी जा रही विभिन्न सेवाओं के संदर्भ में अंगीकृत किए गए सेवा मानकों के अनुसरण की समीक्षा करना शामिल है। साथ ही, अदावाकृत लाभांशों की मात्रा को कम करने हेतु बैंक द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों और पहलों की समीक्षा करना तथा बैंक के शेयरधारकों को लाभांश अधिदेशों/ वार्षिक रिपोर्टों/ सांविधिक नोटिसों की समय से प्राप्त सुनिश्चित करना भी इस समिति के कार्यों में शामिल है।
- वित्त वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या: शून्य
- बैठकों की तिथि: लागू नहीं
- हितधारक संबंध समिति की बैठक 3 मई, 2023 को संपन्न हुई।
- 3 मई, 2023 को हितधारक संबंध समिति का संघटन, बैठकें तथा उपस्थिति:

निदेशकों के नाम और पदनाम (अध्यक्ष*)	कार्यकाल के दौरान 3 मई, 2023 तक संपन्न बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या, जिनमें भाग लिया
श्री जी. गोपालकृष्ण, अध्यक्ष	1	1
श्री वी. एस. वेंकट राव	1	0
श्री सुदत्ता मंडल	1	1
श्री के. एस. नग्न्याल	1	1
श्री के. संपत कुमार	1	1

- अनुपालन अधिकारी का नाम और पदनाम : श्री विष्णु कुमार साह (कंपनी सचिव तथा अनुपालन अधिकारी)
- वित्त वर्ष 2023 के दौरान निवेशक-शिकायतों की स्थिति:

प्रतिभूति	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	प्रतिभूति धारक को संतोषजनक रूप से निदान की गई शिकायतों की संख्या	लंबित शिकायतों की संख्या
शेयरधारक	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं
अपरिवर्तनीय सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के धारक	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं

IV. **जोखिम प्रबंध समिति** : निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंध समिति का गठन आरबीआई परिपत्र के अनुरूप किया गया तथा यह समिति सेबी (सूचीबद्धता दायित्व तथा प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 सेबी (सूचीबद्धता दायित्व तथा प्रकटन अपेक्षाएं) (संशोधन) विनियम, 2018 के प्रावधानों का अनुपालन करती है। अधिकार पत्र में इन दोनों विनियमों में से अपेक्षाकृत कड़े प्रावधानों को लिया गया है।

- जोखिम प्रबंध समिति की भूमिकाएं और दायित्व, निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर मंजूर/संशोधित उदयम जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) नीति के अनुरूप रहेंगे। मौजूदा ईआरएम नीति के अनुसार, जोखिम प्रबंध समिति की भूमिका में शामिल हैं: आस्ति देयता प्रबंधन, निवेश, आईसीएएपी हेतु ऋण, बाजार और परिचालनगत जोखिमों व नीतियों को

तैयार करना तथा ऐसी अन्य नीतियों को तैयार करना जिनका, अन्य बातों के साथ साथ, जोखिमों पर प्रभाव पड़ता हो। साथ ही, विशेष रूप से सिडबी के समक्ष आ रहे आंतरिक और बाहरी जोखिमों, विशेषतः वित्तीय, परिचालनगत, क्षेत्रगत, संधारणीयता, साइबर सुरक्षा जोखिमों या किसी अन्य जोखिम की पहचान हेतु एक ढांचा तैयार करना। जोखिम प्रबंध समिति जोखिम नीतियों और जोखिम ढांचे की आवधिक समीक्षा करती है तथा सुनिश्चित करती है कि सिडबी के व्यवसाय से संबद्ध जोखिमों की निगरानी और मूल्यांकन हेतु उपयुक्त कार्यविधि, प्रक्रियाएं और प्रणालियां विद्यमान हैं। जोखिम प्रबंध नीति जोखिम प्रबंध नीति के क्रियान्वयन की निगरानी और पर्यवेक्षण भी करती है, जिसमें जोखिम प्रबंध प्रणालियों की पर्याप्तता का मूल्यांकन करना तथा उद्यम जोखिम प्रबंध समिति तथा आस्ति देयता प्रबंध समिति आदि जैसी अन्य जोखिम प्रबंध समितियों की भूमिकाओं और दायित्वों को परिभाषित/संशोधित करना भी शामिल है।

2. वित्त वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या: 04 (चार)
3. बैठकों की तिथि: 09/05/2022, 02/08/2022, 31/10/2022 02/02/2023
4. जोखिम प्रबंध समिति का संघटन, बैठकें तथा उपस्थिति:

निदेशकों का नाम व पदनाम (अध्यक्ष)	नामांकन के उपरान्त जितनी बैठकों में भाग ले सकते हैं उनकी संख्या	भाग ली गई बैठकों की संख्या
श्री अमित टंडन, अध्यक्ष	4	4
श्री वी.एस. वेंकट राव	4	4
श्री सुदत्ता मंडल	4	4
श्री के. संपत कुमार	3	2
श्री मनमय मुखर्जी	4	4
श्री बी. शंकर	1	1

V. कार्यपालक समिति: निदेशक मण्डल की कार्यपालक समिति का गठन सिडबी अधिनियम, 1989 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है।

1. इस समिति की भूमिका संस्थागत वित्त के अंतर्गत बैंकों और राज्य वित्तीय निगमों के ऋण और निवेश संबंधी प्रस्तावों पर क्रेडिट एक्स्पोजर मानदंडों / प्रत्यायोजन के अनुसार अनुमोदन प्रदान करना, बैंकों/ लघु वित्त बैंकों के उन प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान करना जिनमें योजना के अंतर्गत अनुमन्य छूट-योग्य अधिकतम सीमाओं से अधिक छूट प्रदान की जानी हो, ओटीएस की मंजूरी करना, पुनर्संरचना करना, इत्यादि है। इसके साथ ही, संस्थागत वित्त के अंतर्गत एनबीएफसी को एक्स्पोजर और प्रतिभूतिकरण / विशिष्ट संविभाग के असाइनमेंट संबंधी प्रस्तावों के अनुमोदन / संस्वीकृति पर विचार करना और ऐसे प्रस्तावों पर विचार करना भी शामिल है जिनमें मंजूरी के लिए निर्धारित बैचमार्क मानदंडों, पात्रता मानदंडों तथा प्रत्यायोजित प्राधिकारों के अनुसार मंजूरी हेतु निर्धारित अन्य मानदंडों से छूट शामिल हो। साथ ही, ऐसे प्रस्तावों पर विचार करना जिनमें संबंधित पक्ष ऋणप्रदायगी संबंधी प्रावधान लागू होते हैं और ऐसे कोई अन्य कार्य जो निदेशक मण्डल द्वारा इस समिति को प्रत्यायोजित किए जाएँ कार्यपालक समिति की भूमिका के अंतर्गत शामिल हैं।
2. वर्ष के दौरान कार्यपालक समिति ने दिनांक 14/05/2022, 25/06/2022, 02/08/2022, 10/09/2022, 22/10/2022, 23/11/2022, 31/12/2022, 24/01/2023, 11/02/2023, 24/02/2023, 08/03/2023, 18/03/2023 तथा 23/03/2023 को 13 बैठकें कीं।
3. कार्यपालक समिति का संघटन, बैठकें और उपस्थिति:

निदेशकों का नाम व पदनाम (अध्यक्ष)	नामांकन के उपरान्त जितनी बैठकों में भाग ले सकते हैं उनकी संख्या	भाग ली गई बैठकों की संख्या
श्री एस. रमण (अध्यक्ष)	13	13
श्री वी.एस. वेंकट राव	13	12
श्री सुदत्ता मंडल	13	12
श्री के. संपत कुमार	11	6
श्री जी. गोपालकृष्ण	13	12
श्री बी. शंकर	2	0

VI. वसूली समीक्षा समिति: वसूली समीक्षा समिति का दायित्व रु. 5 करोड़ व उससे अधिक के मूलधन बकाया वाले अनर्जक आस्ति प्रस्तावों तथा एसएमए, पुनर्संरचित खातों की समीक्षा करना है। वसूली समीक्षा समिति ने वर्ष के दौरान चार बैठकें 17/05/2022, 04/08/2022, 01/11/2022 तथा 28/02/2023 को कीं।

VII. इरादतन चूककर्ता और असहयोगी उधारकर्ता समीक्षा समिति (आरसीडब्ल्यूडीएंडएनसीबी): आरसीडब्ल्यूडीएंडएनसीबी का दायित्व इरादतन चूककर्ता और असहयोगी उधारकर्ता समिति द्वारा पारित आदेशों की समीक्षा करना है ताकि प्रस्तावों की इरादतन चूककर्ता व असहयोगी उधारकर्ता के रूप में पहचान की जा सके। इरादतन चूक और असहयोगी उधारकर्ताओं वाले मामले होने पर यह समिति छमाही आधार पर उनकी भी समीक्षा करती है।



- VIII. बड़ी राशि वाली धोखाधड़ी की निगरानी हेतु विशेष समिति (एससीएमएलवीएफ): एससीएमएलवीएफ का दायित्व रु. 1 करोड़ और उससे अधिक की सभी धोखाधड़ियों की समीक्षा करना और वसूली की स्थिति की प्रगति की निगरानी करना, सभी स्तरों पर स्टाफ जवाबदेही सुनिश्चित करना तथा धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आंतरिक नियंत्रणों के सुदृढीकरण जैसी उपचारी कार्रवाई की प्रभावोत्पादकता की समीक्षा करना है। वर्ष के दौरान एससीएमएलवीएफ की 4 बैठकें 17/05/2022, 04/08/2022, 01/11/2022 तथा 28/02/2023 को संपन्न हुईं।
- IX. **ग्राहक सेवा समिति (सीएससी):** सीएससी का कार्य बैंक में ग्राहक सेवा की स्थिति की समीक्षा करना और ग्राहक सेवा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने हेतु उपाय सुझाना है। यह समिति ग्राहकों की शिकायतों और उनके समय पर समाधान की भी निगरानी करती है। वर्ष के दौरान सीएससी की चार बैठकें 14/05/2022, 02/08/2022, 22/10/2022 और 24/01/2023 को आयोजित की गई हैं।
- X. सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति (आईटीएससी): आईटीएससी का दायित्व बैंक के आईटी विज्ञान तथा आईटी नीति दस्तावेजों को अनुमोदित करना, और यह सुनिश्चित करना है कि व्यवसाय और आईटी रणनीति एक-दूसरे के अनुरूप हों तथा आईटी का संगठनात्मक ढांचा व्यवसाय मॉडल व उसकी दिशा का अनुपूरक हो। यह समिति सूचना व साइबर सुरक्षा की शीर्ष समिति के रूप में भी काम करती है और सूचना सुरक्षा संबंधी योजना के बारे में रणनीतिक एवं वित्तीय निर्णय करती है, ताकि सूचना सुरक्षा का संतोषप्रद स्तर कायम रखा जा सके। आईटीएससी ने वर्ष के दौरान 5 बैठकें 09/05/2022, 04/08/2022, 04/10/2022, 23/12/2022 और 01/02/2023 को संपन्न कीं।
- XI. सिडबी की "संधारणीय विकास लक्ष्य" समिति (सीएसडीजी) ने वर्ष के दौरान 2 बैठकें 22/07/2022 और 12/12/2022 को आयोजित कीं।

## 2 वित्तीय वर्ष 2023 के लिए निदेशकों का पारिश्रमिक;

निदेशक का नाम	आयकर अधिनियम की धारा 17 (1) के अनुसार वेतन	अन्य लाभ	सकल वेतन
1	2	3	4=2+3
श्री एस. रमण (सीएमडी)	₹40,66,126.00	₹9,27,681.00	₹49,93,807.00
श्री वी.एस.वी. राव (डीएमडी)	₹34,50,587.00	₹7,52,074.00	₹42,02,661.00
श्री एस. मंडल (डीएमडी)	₹34,20,717.00	₹8,87,168.00	₹43,07,885.00

अन्य लाभ में चिकित्सा प्रतिपूर्ति, आवास की साज-सज्जा, सुविधा-उपयोग बिल, समाचारपत्र एवं पत्रिकाएं आदि शामिल हैं।

## 4 गैर-कार्यपालक निदेशकों का पारिश्रमिक और बैठक शुल्क:

निदेशक-मंडल तथा उसकी समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, सिडबी गैर-कार्यपालक निदेशकों को बैठक शुल्क के अलावा किसी पारिश्रमिक का भुगतान नहीं करता। देय शुल्क निम्नवत है:

बैठकें	प्रति बैठक देय बैठक शुल्क
निदेशक-मंडल	₹40,000 (निदेशक-मंडल की अध्यक्षता के लिए ₹10,000 अतिरिक्त)
समिति	₹20,000 (समिति की अध्यक्षता के लिए ₹5,000 अतिरिक्त)

नोट: सिडबी के बोर्ड के कार्यपालक निदेशक और सरकारी अधिकारीगण किसी भी बैठक शुल्क के पात्र नहीं हैं।

## वित्त वर्ष 2023 के दौरान गैर-कार्यपालक निदेशकों को भुगतान किया गया कुल बैठक शुल्क

निदेशकों का नाम	राशि
श्री बी शंकर (एसबीआई को भुगतान)	₹40,000
श्री के. संपत कुमार (एसबीआई को भुगतान)	₹4,00,000
श्री मनमय मुखर्जी (नाबार्ड को भुगतान)	₹2,40,000
श्री कृष्ण सिंह नगन्याल	₹3,00,000
श्री जी.गोपालकृष्ण	₹6,65,000
श्री आशीष गुप्ता	₹3,60,000
श्रीमती नूपुर गर्ग	₹3,40,000
श्री अमित टंडन	₹3,10,000

5. साधारण सभा की बैठक :

वित्त वर्ष	दिनांक	बैठक स्थल	समय (आईएसटी)	पारित विशेष संकल्प
2019-20	2 जुलाई, 2020	लखनऊ वीसी/ओएवीएम के माध्यम से	प्रातः 11.00 बजे	शून्य
2020-21	15 जुलाई, 2021	लखनऊ वीसी/ओएवीएम के माध्यम से	प्रातः 11.00 बजे	शून्य
2021-22	25 जून, 2022	लखनऊ	प्रातः 10.30 बजे	शून्य

डाक मतपत्र: सिडबी द्वारा विगत वर्ष डाक मतपत्र के माध्यम से कोई संकल्प पारित नहीं किया गया। आगामी एजीएम में कोई भी व्यवसाय संव्यवहारित करने के लिए डाक मतपत्र के माध्यम से प्रस्ताव पारित करने की आवश्यकता नहीं है।

6. सामान्य सूचना / अभिपुष्टिकरण और प्रकटीकरण

6.1 **संप्रेषण के माध्यम** : तिमाही और वार्षिक वित्तीय परिणाम सामान्य रूप से 'फाइनेंशियल एक्सप्रेस' और 'जनसत्ता' में प्रकाशित किए जाते हैं और सिडबी की वेबसाइट [www.sidbi.in](http://www.sidbi.in) पर भी अपलोड किए जाते हैं।

6.2 **वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान सिडबी ने संस्थागत निवेशकों अथवा विश्लेषकों के समक्ष कोई प्रस्तुति नहीं दी है।**

6.3 **सामान्य शेयरधारक सूचना:**

- वित्तीय वर्ष 2023 के लिए सिडबी की 25वीं वार्षिक आम बैठक सोमवार दिनांक जून 26, 2023 को 15:00 बजे, प्रधान कार्यालय आयोजित की जाएगी।
  - लाभांश भुगतान तिथि:
  - रिकॉर्ड तिथि: एजीएम की तिथि
- 6.4 सिडबी के इक्विटी शेयर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं। सिडबी एक उच्च मूल्य ऋण सूचीबद्ध संस्था है और सिडबी के एनसीडी और सीपी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड में सूचीबद्ध हैं। साथ ही, यह पुष्टि की जाती है कि एनएसई को 28 अप्रैल, 2023 को रु. 6,01,800/- के वार्षिक सूचीबद्धता शुल्क (यथालागू) का भुगतान किया गया।
- 6.5 सिडबी पुष्टि करता है कि वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान उसकी प्रतिभूतियों को खरीद-फरोख्त से वर्जित नहीं किया गया था।
- 6.6 **शेयरधारिता का वितरण:**

शेयरधारक का नाम	होल्डिंग %
भारत सरकार	20.85
भारतीय स्टेट बैंक	15.65
भारतीय जीवन बीमा निगम	13.33
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	9.36
पंजाब नेशनल बैंक	5.96
अन्य	34.85
<b>कुल</b>	<b>100.00</b>

6.7 हम एतद्वारा पुष्टि करते हैं कि 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 (दोनों दिन सम्मिलित) के दौरान रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट अर्थात **लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड**, जो **पंजीकरण संख्या: INR000004058** के माध्यम से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के साथ श्रेणी - I में रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के रूप में पंजीकृत है तथा जिसका पता : सी-101, 247 पार्क, एलबीएस मार्ग, विख्रोली पश्चिम, मुंबई - 400083; दूरभाष: 022-49186000; फैक्स: 022-49186060; वेबसाइट: [www.linkintime.co.in](http://www.linkintime.co.in) है, द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी सुविधा दी गई थी।

6.8 **शेयर हस्तांतरण प्रणाली:** सिडबी इक्विटी सूचीबद्ध संस्था नहीं है। इसके शेयर केवल डीमैट रूप में जारी किए गए थे। सिडबी सामान्य विनियम, 2000 का विनियम 27 सिडबी के शेयरों के हस्तांतरण से संबंधित है और सिडबी ने **लिंक इनटाइम** को रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के रूप में नियुक्त किया है। साथ ही इसकी प्रतिभूतियों को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड में सूचीबद्ध किया गया था और केवल डीमैट रूप में जारी किया गया था।

6.9 सिडबी के शेयर अमूर्तकृत (डीमैटरियलाइज्ड) हैं और किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं। इसलिए सिडबी के इक्विटी शेयर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडबल नहीं हैं।

6.10 **क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां और रेटिंग:** समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान सिडबी द्वारा जारी विभिन्न लिखतों की रेटिंग के लिए केयर रेटिंग्स लिमिटेड, क्रिसिल रेटिंग्स लिमिटेड, आईसीआरए लिमिटेड और इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्रा. लिमिटेड क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं। इन रेटिंग एजेंसियों ने रेटिंग की पुनर्पुष्टि की है और सिडबी की रेटिंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

लिखत	रेटिंग	रेटिंग कार्रवाई
<b>केयर रेटिंग्स लिमिटेड</b>		
दीर्घावधि बैंक सुविधाएं	CARE AAA; Stable	पुनर्पुष्टि की गई
एमएसई/आरआईडीएफ जमा	CARE AAA; Stable	पुनर्पुष्टि की गई
अल्पावधि बैंक सुविधाएं	CARE A1+	पुनर्पुष्टि की गई
गैर जमानती मोचनीय बांड	CARE AAA; Stable	पुनर्पुष्टि की गई
दीर्घावधि / अल्पावधि लिखतें - सीडी / सीपी प्रोग्राम	CARE AAA; Stable / CARE A1+	पुनर्पुष्टि की गई
सावधि जमा	CARE AAA; Stable	पुनर्पुष्टि की गई
<b>क्रिसिल रेटिंग्स लिमिटेड</b>		
गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर	CRISIL AAA/Stable	पुनर्पुष्टि की गई
<b>आईसीआरए लिमिटेड</b>		
गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर	ICRA AAA Stable	पुनर्पुष्टि की गई
<b>इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड</b>		
वाणिज्यिक पत्र	IND A1+	पुनर्पुष्टि की गई

- 6.11 संबंधित पक्षों के साथ समस्त लेनदेन, स्वतंत्र संव्यवहार आधार पर और व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में संपन्न हुए हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान हुए उल्लेखनीय महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन निम्नानुसार हैं:

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान उल्लेखनीय महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी संव्यवहार					
क्र.सं.	नाम	पैन	सूचीबद्ध संस्था अथवा उसकी सहायक संस्था के साथ प्रतिपक्ष का संबंध	संबंधित पार्टी संव्यवहार का प्रकार	रिपोर्टिंग अवधि में संव्यवहार का अनुमानित मूल्य (₹ करोड़ में)
1	क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर स्माल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज	AAATC2613D	साझा निदेशक	सावधि जमा	2000
2	बैंक ऑफ इंडिया	AAACB0472C	साझा निदेशक	पुनर्वित्त	25277
3	एक्सिस म्यूचुअल फंड	AACTA5925A	साझा निदेशक	ट्रेजरी निवेश	1051 (खरीद और मोचन सहित)
4	राष्ट्रीय आवास बैंक	AABCN2600H	साझा निदेशक	एनएचबी सीपी में निवेश/मोचन	1998
5	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	AACCB0774B	साझा निदेशक	पुनर्वित्त / ट्रेजरी निवेश	2101


संबंधित पक्ष लेनदेन की महत्ता तथा संबंधित पक्ष लेनदेन के संव्यवहारों (अर्थात ऐसे लेनदेन जो एकल रूप से या वित्त वर्ष के दौरान गत लेनदेन के साथ लिए जाने पर, एक हजार करोड़ रुपए से अधिक हों अथवा सूचीबद्ध संस्था की गत अंकेक्षित वित्तीय विवरणियों के अनुसार सूचीबद्ध संस्था के वार्षिक समेकित पण्यवर्त के दस प्रतिशत हों, जो भी कम हो) संबंधी नीति के अनुरूप तथा [ब्रांड के उपयोग या रॉयल्टी के संदर्भ में किसी संबंधित पक्ष को किए गए भगतानों वाला लेनदेन महत्वपूर्ण माना जाएगा, यदि ऐसे लेनदेन एकल रूप से किए जाने हों अथवा वित्त वर्ष के दौरान किए गए पिछले लेनदेनों के साथ लेने पर ये सूचीबद्ध संस्था की गत अंकेक्षित वित्तीय विवरणियों के अनुसार सूचीबद्ध संस्था के वार्षिक समेकित पण्यवर्त के {पांच} प्रतिशत से अधिक हों]

वित्त वर्ष 2023 के लिए सिडबी के समेकित पण्यवर्त का 10% ₹.1000 करोड़ से अधिक होने के कारण, महत्वपूर्ण आरपीटी की सीमा ₹.1000 करोड़ मानी जा रही है, साथ ही ब्रांड उपयोग / रॉयल्टी के संबंध में कोई लेनदेन सूचित नहीं किया गया है।

- 6.12 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सिडबी के कंपनी सचिव की अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्ति न करने पर एनएसई द्वारा जुर्माना लगाया गया था। सिडबी के अभ्यावेदन पर, एनएसई ने जुर्माना माफ कर दिया है।
- 6.13 सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम संख्या 22 के अंतर्गत व्यक्त अपेक्षा के संदर्भ में एवं सेबी (पीआईटी) (संशोधन) विनियम, 2018 के विनियम 9ए(6) जो व्हिसल ब्लोअर नीति बनाने के अधिदेश देते हैं, के संदर्भ में सिडबी के निदेशक मंडल ने 06 फरवरी, 2023 को आयोजित अपनी 217वीं बोर्ड बैठक में सतर्कता तंत्र / व्हिसल ब्लोअर नीति को स्वीकृति दी है। नीति का उद्देश्य, गोपनीयता बनाए रखते हुए और किसी भी प्रकार के उत्पीड़न से सुरक्षा देते हुए प्रभावी कॉर्पोरेट

प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए व्हिसल ब्लोअर में विश्वास जगाना है। शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध तरीके से किया जाएगा। जांचकर्ताओं को भी उत्पीड़न के विरुद्ध संरक्षित किया जाएगा। अंतिम निष्कर्ष निकाले जाने से पहले, संबंधित व्यक्ति (आरोपी) को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। जांच के बाद शिकायत झूठी या मनगढ़ंत पाए जाने पर व्हिसल ब्लोअर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई आरंभ करने का अधिकार सिडबी के पास सुरक्षित है। नीति सिडबी की वेबसाइट यानी www.sidbi.in पर उपलब्ध कराई गई है। व्हिसल ब्लोअर नीति के अनुरूप किसी भी कामिक को बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति तक पहुँचने से मना नहीं किया गया।

- 6.14 संबंधित पार्टी संव्यवहार की महत्ता संबंधी नीति और 'महत्त्वपूर्ण' सहायक कंपनियों के निर्धारण के लिए नीति सिडबी की वेबसाइट www.sidbi.in पर <https://www.sidbi.in/en/corporate-governance#section1> लिंक के अंतर्गत उपलब्ध है।
- 6.15 आस्तियों और देनदारियों के मेल न खाने से हुए विनिमय जोखिम और ब्याज दर के बचाव ( हेजिंग) के लिए बैंक व्युत्पन्न (डेरिवेटिव्स) का उपयोग करता है। बैंक द्वारा किए गए सभी व्युत्पन्न अंतर्निहित विदेशी मुद्रा उधार के रूप में बचाव के लिए हैं, जो एमटीएम नहीं हैं, बल्कि केवल अंतरण ( ट्रांसलेशन) हैं। बैंक, व्युत्पन्न में ट्रेडिंग नहीं करता है। आंतरिक नियंत्रण दिशानिर्देश और लेखा नीतियां बोर्ड द्वारा बनाई और अनुमोदित की जाती हैं। व्युत्पन्नी सौदों से उत्पन्न होने वाले जोखिम को कम करने के लिए बैंक ने एक सिस्टम स्थापित किया है। इन सौदों से उत्पन्न होने वाले लेन-देन के लेखांकन के लिए बैंक उपचय (एक्रूअल) पद्धति का अनुसरण करता है।
- 6.16 यथा 31 मार्च, 2023 को कार्यालयों, अंचल/क्षेत्रीय कार्यालयों, शाखा कार्यालयों का विवरण इस प्रकार है -



- 6.17 वित्त वर्ष 2023 के दौरान संवैधानिक लेखा परीक्षकों (बोरकर और मजूमदार) को अदा किया गया कुल शुल्क ₹52,52,230/- था। सिडबी का सांविधिक लेखापरीक्षक इसकी किसी सहायक कंपनी का लेखापरीक्षक नहीं है। सहायक कंपनियों द्वारा उनके संबंधित सांविधिक लेखा परीक्षकों को अदा किए गए कुल शुल्क का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

क्र.सं.	सहायक कंपनियों का नाम	सांविधिक लेखापरीक्षक का नाम	भुगतान किया गया कुल शुल्क
1	मुद्रा	मेसर्स वी.सी. शाह एंड कंपनी चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एफआरएन: 109818 डब्ल्यू	₹7,25,000/-
2	एसवीसीएल	मेसर्स आरबी जैन एंड एसोसिएट्स, एफआरएन: 103951 डब्ल्यू	₹1,50,000/-
3	एसटीसीएल	मेसर्स शाह और मोदी, एफआरएन: 112426 डब्ल्यू	₹71,000/-
4	सिडबी स्वावलंबन फाउंडेशन	मेसर्स कुमार चंदन एंड एसोसिएट (केसीए) एफआरएन: 025164एन	₹1,70,000

6.18 कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के संबंध में प्रकटीकरण :

वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या : एक

वित्तीय वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या : शून्य

वित्तीय वर्ष के अंत तक लंबित शिकायतों की संख्या: एक

6.19 सिडबी की महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों के निगमन की तिथि व स्थान और ऐसी सहायक कंपनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की तिथि और नाम आदि का विवरण;

(रु. करोड़)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2022		वित्तीय वर्ष 2023		
	कुल आय	निवल मालियत	कुल आय	निवल मालियत	
सिडबी (समेकित)	10,133.06	24580.33	20002	27196	
कुल आय / निवल मालियत का 10%	1013.30	2458.03	2002.20	2719.60	
महत्वपूर्ण सूचीबद्ध सहायक कंपनियां - कोई सूचीबद्ध सहायक नहीं					
महत्वपूर्ण गैर सूचीबद्ध सहायक कंपनियां					
सहायक कंपनियों का नाम	कुल आय / निवल मालियत	10% से अधिक हां / नहीं	कुल आय / निवल मालियत	10% से अधिक हां / नहीं	महत्वपूर्ण सूचीबद्ध सहायक कंपनियां
मुद्रा	1018.74/2720.92	हां	1541.66/3271.53	हां	हां
एसवीसीएल	11.60/44.71	नहीं	11.56/47.64	नहीं	नहीं
एसटीसीएल	0.67/8.33	नहीं	0.77/8.88	नहीं	नहीं

मुद्रा सिडबी की महत्वपूर्ण सहायक कंपनी है, जिसे सिडबी के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में 18 मार्च, 2015 को मुंबई में निगमित किया गया था। इसके सांविधिक लेखा परीक्षक मैसर्स वी. सी. शाह एंड कंपनी चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (FRN: 109818W) हैं।

6.20 सिडबी ने विनियम 17 से 27 और विनियम 46(2) के खंड (बी) से (आई) और अनुसूची V के अनुच्छेद सी, डी और ई में निर्दिष्ट कंपनी अभिशासन की अपेक्षाओं का उस सीमा तक अनुपालन किया है, जिस सीमा तक विनियम की अपेक्षाएं, सिडबी अधिनियम, 1989 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों का उल्लंघन न करते हों। साथ ही, सिडबी ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निदेशों और दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है।

6.21 सिडबी बोर्ड ने बोर्ड की विभिन्न समितियों की उन संस्तुतियों को स्वीकार कर लिया है जो वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान अनिवार्य रूप से अपेक्षित हैं। सिडबी के कंपनी अभिशासन का दृष्टिकोण समावेशी स्वरूप वाला है और बोर्ड के सदस्यों और बाहरी विशेषज्ञ की राय को विधिवत मान्यता दी गई है तथा बोर्ड निर्णय में उन्हें शामिल किया गया है।

6.22 पत्राचार के लिए पता:

- प्रधान कार्यालय : सिडबी टावर, 15, अशोक मार्ग, लखनऊ - 226001, उत्तर प्रदेश।
- कॉर्पोरेट कार्यालय: सिडबी, स्वावलंबन भवन, सी-11, जी-ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व, मुंबई 400051, महाराष्ट्र।

#### अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की घोषणा

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूं कि निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन ने वित्तीय वर्ष 2023 के लिए निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन की आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

श्री एस रमण

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक



## अनुबंध - I

वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान सिडबी के कार्यकारी एवं गैर कार्यकारी निदेशकों का संक्षिप्त परिचय

**श्री सिवसुब्रमणियन रमण (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक):** श्री एस. रमण वर्ष 1991 बैच के भारतीय ऑडिट एंड अकाउंट्स सर्विस(आईएण्डएस) के अधिकारी हैं। उन्होंने 19 अप्रैल, 2021 को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया। सिडबी में आने से पूर्व दिसंबर 2016 से वे नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लि. (एनईएसएल) के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ थे। एनईएसएल में कार्यभार संभालने से पहले 2015 - 2016 के दौरान वे प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), झारखंड, रांची रहे। उन्होंने वर्ष 2007 से 2013 के बीच सेबी में भी मुख्य महाप्रबंधक और तदुपरान्त कार्यपालक निदेशक के पद पर कार्य किया।

उन्होंने विभिन्न राज्यों में भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार के अधीन कार्यालयों में विभिन्न पदों पर कार्य किया और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यकारी सचिव के रूप में भी काम किया। उन्होंने यूरोप में स्थित विभिन्न भारतीय दूतावासों के खातों की लेखापरीक्षा के लिए भारतीय उच्चायोग, लंदन में प्रथम सचिव के रूप में काम किया। उन्होंने सेंट स्टीफेंस कॉलेज से बीए (ऑनर्स) अर्थशास्त्र और एफएमएस, दिल्ली विश्वविद्यालय से एमबीए किया है। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से विनियमन विषय पर एम. एससी. की डिग्री प्राप्त की है और वे आईआईए, फ्लोरिडा द्वारा प्रमाणित आंतरिक लेखा परीक्षक भी हैं। उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से एलएलबी और प्रतिभूति कानून में स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त किया है।

**श्री वी. सत्य वेंकट. राव (उप प्रबंध निदेशक):** उन्हें दो अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों में काम करने का 29 वर्षों का अनुभव है। उन्होंने विधि में परास्नातक किया है और उन्हें आंध्र विश्वविद्यालय से विधि परास्नातक में स्वर्ण पदक विजेता होने का गौरव प्राप्त है। उन्होंने विधि, मानव संसाधन, नैगम संचार, आदि महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्य किया है और वे सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय जन सूचना अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी भी रहे हैं। श्री राव ने लंदन और बीजिंग में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में सहभागिता की है। उन्होंने विधि मामलों, विशेषकर विधिक कार्रवाई के ज़रिए वसूली के क्षेत्र में लंबे समय तक कार्य किया और अनेक बड़े अनर्जक खातों के समाधान में सफल रहे। श्री राव अनेक सूचीबद्ध और गैर सूचीबद्ध कंपनियों में नामिती निदेशक रहे हैं। उन्होंने वेंचर कैपिटल कंपनी, रियल एस्टेट कंपनी और सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत सोसायटियों के निदेशक मंडलों में निदेशक के रूप में भी कार्य किया है।

**श्री सुदत्ता मंडल (उप प्रबंध निदेशक):** उन्होंने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के उप प्रबंध निदेशक का पद 3 मई, 2021 को ग्रहण किया। सिडबी में पद संभालने से पूर्व वे भारतीय आयात एवं निर्यात बैंक (एक्विजम बैंक) में मुख्य महाप्रबंधक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी थे। उन्हें एक्विजम बैंक में विभिन्न उद्भागों (आस्ति, देयताएं, जोखिम प्रबंधन, अनुपालन एवं रणनीति) में 25 वर्ष से अधिक का अनुभव है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं निवेश वित्तपोषण, परियोजना वित्तपोषण, एसएमई ऋण प्रदायन एवं क्लस्टर वित्तपोषण, व्यापार वित्तपोषण, और अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्तपोषण का 20 वर्षों का परिचालनगत अनुभव शामिल है। उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बी. टेक. किया है और भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोलकाता से वित्त में विशेषज्ञता के साथ प्रबंधन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्राप्त किया है।

**डॉ. रजनीश:** डॉ. रजनीश 1997 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएस) के अधिकारी हैं। उन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से परास्नातक किया है तथा बर्न विश्वविद्यालय, स्विट्जरलैंड से अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं अर्थशास्त्र में परास्नातक की डिग्री प्राप्त की है और भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली से अर्थशास्त्र में पी. एच. डी. की है। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना, अमेरिका से ह्यूबर्ट हर्मफ्री फेलोशिप कार्यक्रम भी किया है। वर्तमान में अतिरिक्त सचिव एवं विकास आयुक्त, एमएसएमई मंत्रालय के पद पर रहते हुए श्री रजनीश भारत में एमएसएमई के विकास के लिए व्यापक नीति के निर्धारण हेतु कार्यरत हैं। उन्हें आईएसएस अधिकारी के रूप में वित्त, वाणिज्य, शहरी विकास एवं नगर नियोजन, शिक्षा तथा सूचना प्रौद्योगिकी, इत्यादि क्षेत्रों में 25 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वे भारत के राष्ट्रपति के निजी सचिव (2012-2017) तथा भारत के वित्त मंत्री के निजी सचिव (2011-12) के पदों पर भी काम कर चुके हैं।

**श्री भूषण कुमार सिन्हा:** श्री बी. के. सिन्हा भारतीय आर्थिक सेवा के 1993 बैच के अधिकारी हैं। उन्होंने नेशनल ग्रेजुएट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट (एनजीएसएम), ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी (एनयू) से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एमबीए) में मास्टर्स डिग्री प्राप्त की है। उन्होंने वित्तीय अध्ययन विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय से विधि स्नातक किया है और वित्तीय अर्थव्यवस्थाएँ विषय पर पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त की है। डॉ. सिन्हा ने वित्त मंत्रालय, भारत सरकार में रहते हुए मुख्यतः वित्तीय क्षेत्र से जुड़े क्षेत्रों जैसे पूँजी बाजार, विनिवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन, बैंकिंग, इत्यादि में काम किया है। वे एमएसएमई मंत्रालय में संयुक्त विकास आयुक्त के पद पर भी काम कर चुके हैं। जून 2018 में वित्तीय सेवाएँ विभाग में संयुक्त सचिव का पद संभालने के बाद, डॉ. सिन्हा ने वित्तीय समावेशन (एफआई), कृषि/ग्रामीण क्षेत्र को ऋण, बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र ऋण और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के कामकाज को संभाला है। वर्तमान में, वे नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट (एनएबीएफआईडी), भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक (ईएक्सआईएम), इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल), इंडोस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (आईएफसीआई), नेशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी), आदि विकास वित्तीय संस्थाओं (डीएफआई) से संबंधित कामकाज संभाल रहे हैं। वह सभी इन्फ्रा-फाइनेंसिंग संबंधित मामलों के साथ-साथ क्षेत्रीय ऋण नीतियों / मुद्दों को भी संभाल रहे हैं। इससे पूर्व डॉ. सिन्हा निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएम) में आर्थिक सलाहकार और वित्त मंत्री के कार्यालय में निदेशक थे। डॉ. सिन्हा बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) और इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) के निदेशक मण्डल में सरकार द्वारा नामित निदेशक भी हैं। इससे पहले, वे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड, आईएफसीआई और माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी (मुद्रा) लिमिटेड के निदेशक मंडलों पर सरकार के नामिती निदेशक रह चुके हैं।

**श्री के. संपत कुमार:** श्री के. संपत कुमार एक अनुभवी बैंकर हैं जिनके पास भारतीय स्टेट बैंक में विभिन्न पदों पर काम करने का 32 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह वाणिज्य स्नातक और एमबीए (वित्त) हैं। उन्होंने सीएआईआईबी और आईसीडब्ल्यू (इंटर) की परीक्षाएँ उत्तीर्ण की हैं। वे 1990 में भारतीय स्टेट बैंक में परिवीक्षाधीन अधिकारी के पद पर भर्ती हुए थे। उन्हें विभिन्न क्षमताओं में और विविधतापूर्ण भौगोलिक क्षेत्रों में विदेशी मुद्रा, एसएमई, खुदरा व्यापार, लेनदेन बैंकिंग और नैगम ऋण में कार्य का अनुभव प्राप्त है। उनकी विगत पदस्थापना महाप्रबंधक, सीएजी शाखा, चेन्नई में थी जो टीसीएस समूह, मुरुगप्पा समूह, अशोक लीलैंड, एमआरएफ आदि जैसी बड़ी कंपनियों को सेवा प्रदान करती है। वर्तमान में वह भारतीय स्टेट बैंक के कार्पोरेट सेंटर, मुंबई में मुख्य महाप्रबंधक (एसएमई) के पद पर कार्यरत हैं और भारतीय स्टेट बैंक के ₹2.75 लाख करोड़ के एमएसएमई पोर्टफोलियो का उत्तरदायित्व संभाल रहे हैं।

**श्री कृष्ण सिंह नगन्याल:** वे इलाहाबाद के इविंग्स क्रिश्चियन कॉलेज के स्नातक हैं। उन्होंने भारतीय जीवन बीमा निगम में अधिकारी के पद पर कार्य ग्रहण किया और उन्होंने भारतीय जीवन बीमा निगम के विभिन्न अंचलों में वरिष्ठ डिवीजनल प्रबन्धक और क्षेत्रीय प्रबन्धक के पदों पर विभिन्न उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया है। उन्होंने विभिन्न पदों पर रहते हुए निगम को अपनी सेवाएँ प्रदान की हैं। वे पूर्वी अंचल के क्षेत्रीय प्रबन्धक, विपणन रहे। वे क्षेत्रीय प्रबन्धक (ओएस) और क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्मिक एवं औद्योगिक संबंध, उत्तरी क्षेत्र भी रहे हैं। वे केंद्रीय अंचल, भोपाल के प्रभारी रह चुके हैं और अंचल प्रबन्धक के रूप में पूर्वी अंचल कोलकाता में भी काम किया है। तत्पश्चात वे केंद्रीय कार्यालय में कार्यपालक निदेशक, निगम संचार के पद पर भी रहे। उन्हें खेलकूद में विशेष रुचि है और सामाजिक सेवाकार्य के प्रति उनका विशेष रूझान है।

**श्री मनमय मुखर्जी:** वे राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) में मुख्य महाप्रबंधक हैं और सचिवीय विभाग का प्रभार संभाल रहे हैं। वह नाबार्ड के मुख्य अनुपालन अधिकारी और आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी भी हैं। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र में परास्नातक किया और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर से एम. टेक. (कैटलिस्ट टेक्नोलॉजी) किया है। वह सीएआईआईबी कर चुके हैं और ट्रेनिंग नीड असेसमेंट एवं डिजाइन ऑफ ट्रेनिंग के प्रमाणित परामर्शदाता भी हैं। उन्हें नाबार्ड के विभिन्न कार्यालयों में कार्य का 34 वर्षों का अनुभव प्राप्त है, जिसमें 6 वर्ष तक वे संकाय सदस्य भी रहे हैं। उन्हें गैर कृषि क्षेत्र, अल्प वित्त एवं जलवायु, बैंकिंग प्रौद्योगिकी एवं मानव संसाधन विकास के क्षेत्रों में विकास वित्त का गहन अनुभव प्राप्त है।

**श्री जी. गोपालकृष्ण:** वह 21 अप्रैल 2014 से 20 अप्रैल 2017 तक सेंटर फॉर एडवांस्ड फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग (सीएफआरएएल) के निदेशक थे। सीएफआरएएल की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग और वित्त में अनुसंधान और शिक्षण के लिए एक विश्व स्तरीय वैश्विक संस्थान के रूप में विकसित करने के लिए की गई थी। सीएफआरएएल के साथ जुड़ने से पहले वह भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक थे। श्री गोपालकृष्ण 33 वर्षों से अधिक समय तक केंद्रीय बैंकर रहे हैं। उन्होंने मुख्य रूप से बैंकिंग और गैर-बैंकिंग विनियमन और पर्यवेक्षण के क्षेत्र में काम किया है।

वह रिजर्व बैंक /भारत सरकार द्वारा स्थापित कई कार्य-दलों के अध्यक्ष और सदस्य रहे। वर्ष 2011 के दौरान उन्होंने सूचना सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी, जोखिम प्रबंधन और साइबर धोखाधड़ी पर कार्य-दल की अध्यक्षता की, जिसकी सिफारिशों को अप्रैल 2011 में लागू किया गया। रिजर्व बैंक के उक्त विषयक दिशानिर्देश सूचना-सुरक्षा, सूचना-लेखा-परीक्षा, आईटी अभिशासन और साइबर धोखाधड़ी के क्षेत्र में उद्योग के लिए मानक बन गए हैं। उन्होंने बड़े मूल्य के ऋणों की रिपोर्टिंग के लिए 2014 में रिजर्व बैंक की सेंट्रल क्रेडिट रजिस्ट्री बनाई। वर्ष 2014 में श्री गोपालकृष्ण बैंकों और गैर-बैंकों में क्षमता निर्माण से संबंधित एफएसएलआरसी की सिफारिशों की जाँच करने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष थे। उक्त रिपोर्ट को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकार किया गया और कार्यान्वित भी किया गया।

**सुश्री नूपुर गर्ग:** वे निजी इक्विटी और उद्यम पूँजी में अग्रणी निवेशक हैं और बड़े संस्थागत निवेशकों के लिए परामर्शदात्री का कार्य भी करती हैं। वह निवेश पारितंत्र में लैंगिक वैविध्य को प्रोत्साहित करने के लिए की गई एक गैर लाभकारी पहल विनपे (<https://winpeforum.com>) की संस्थापिका हैं। सुश्री नूपुर किड्स क्लिनिक इंडिया लिमिटेड की अध्यक्ष हैं और इंडिगो पेट्स लि., केरला इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड मैनेजमेंट लिमिटेड सहित अनेक कंपनियों के निदेशक-मंडलों में स्वतंत्र निदेशक भी हैं। वे भारत सरकार द्वारा प्रायोजित अर्ध-संप्रभु धन निधि नेशनल इनवेस्टमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (एनआईआईएफ) के द्वारा प्रबंधित फंड ऑफ फंड्स की निवेश समिति की स्वतंत्र सदस्य हैं और 75 देशों में एसएमई फ्रंटियर बाजारों में निवेश हेतु डच सरकार की एक निवेश-निधि डच गुड ग्रोथ फंड (डीजीजीएफ) की सदस्य भी हैं। उन्होंने भारतीय स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र में निवेश के लिए 10,000 करोड़ रुपये के स्टार्ट-अप हेतु फंड ऑफ फंड की निवेश समिति में बाह्य विशेषज्ञ के रूप में सेवाएँ प्रदान की हैं। सुश्री नूपुर चुनिंदा फंड प्रबंधकों को संस्थानीकरण, सर्वोत्तम प्रथाओं और शासन से संबंधित मामलों पर सलाह देती हैं। वह विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर महिला उद्यमियों को मार्गदर्शन भी प्रदान करती हैं। सुश्री नूपुर को बीडब्ल्यू वीसी वर्ल्ड मोस्ट इन्फ्लुएन्शियल महिला 2022, फोर्ब्स डब्ल्यू-पावर लिस्ट ऑफ सेल्फ मेड वुमन 2020, भारत की शीर्ष 100 महिला नेताओं में वित्त में (एआईडब्ल्यूएमआई 2019), महिला सशक्तिकरण उद्यमी पुरस्कार 2019-20 और बिजनेस एक्सीलेंस एंड इनोवेटिव बेस्ट प्रैक्टिसेज - एकेडमिया अवार्ड 2019 के लिए चुना जा चुका है। अपनी पिछली पूर्णकालिक भूमिका में सुश्री नूपुर ने आईएफसी के लिए इस अंचल में, निजी इक्विटी और उद्यम पूँजी निधि व्यवसाय का नेतृत्व किया और उन्हें इस क्षेत्र में सर्वाधिक सम्मानित संस्थागत निवेशकों में से एक के रूप में आईएफसी के ब्रांड और विश्वसनीयता को स्थापित करने का व्यापक रूप से श्रेय दिया जाता है। सुश्री नूपुर ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से कार्यकारी शिक्षा के साथ एमआईटी स्लोन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से सीए और एमबीए किया है।

**श्री अमित टंडन:** वह संस्थागत निवेशक सलाहकार सेवा इंडिया लिमिटेड (आईआईएस) के संस्थापक और जुलाई 2011 से इसके प्रबंध निदेशक हैं। आईआईएस से पहले श्री अमित अक्टूबर 2001 से जून 2011 तक फिच रेटिंग्स इंडिया के प्रबंध निदेशक और सीईओ थे। वह फिच रेटिंग्स, लंका का पर्यवेक्षण भी करते थे। फिच में शामिल होने से पहले वह 17 वर्षों (मई 1984 से सितंबर 2001 तक) के लिए आईसीआईसीआई समूह के साथ थे, जहाँ उन्होंने परियोजना वित्त, पट्टा और मर्चेन्ट बैंकिंग डिवीजन इत्यादि विभिन्न भूमिकाओं और व्यवसायों का क्रमिक अनुभव प्राप्त किया। आईसीआईसीआई समूह में उनकी अंतिम भूमिका आईसीआईसीआई सिक्युरिटीज में निवेश बैंकिंग के प्रमुख के रूप में थी। वह भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा, विदेशी मुद्रा और सरकारी प्रतिभूति बाजार पर तकनीकी सलाहकार समिति के सदस्य रहे हैं। वे कंपनी अधिनियम पर प्राप्त टिप्पणियों और सेबी द्वारा गठित कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर कोटक समिति की समीक्षा के लिए कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा गठित कार्यदलों के सदस्य भी रहे हैं। श्री अमित ने सेंट स्टीफंस कॉलेज, दिल्ली से अर्थशास्त्र का अध्ययन किया और प्रबंधन अध्ययन संकाय, दिल्ली से एमबीए किया है और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, यूके से एमफिल की डिग्री प्राप्त की है।

## अनुबंध -II

### सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ)  
विनियम, 2015 के विनियम 24ए के अनुसरण में

सेवा में,

सदस्यगण,

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)

कॉर्पोरेट कार्यालय: सिडबी, स्वावलंबन भवन

सी-11, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स

बांद्रा पूर्व, मुंबई-400051

महाराष्ट्र, भारत ।

मैंने प्रयोज्य सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (जिसे इसके पश्चात सिडबी कहा गया है) द्वारा उचित कॉर्पोरेट प्रथाओं के अनुपालन की स्थिति की सचिवीय लेखा परीक्षा की है।

सिडबी के बही खातों, कागजात, कार्यवृत्त-पुस्तिकाओं, दाखिल किए गए प्रपत्रों और विवरणियों एवं सिडबी द्वारा रखे गए अन्य अभिलेखों तथा सचिवीय लेखा परीक्षा के दौरान सिडबी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अपने उक्त सत्यापन के आधार पर, मैं यह सूचित करता हूँ कि मेरे अभिमत के अनुसार सिडबी ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए निम्नांकित सूची में दिये गए सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है, और यह भी कि सिडबी में समुचित निदेशक मण्डल प्रक्रियाएँ और अनुपालन-तंत्र मौजूद हैं:

मैंने 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए सिडबी द्वारा निम्नांकित में दिये गए प्रावधानों के अनुसार रखे गए बही-खातों, कागजात, कार्यवृत्त-पुस्तिकाओं, दाखिल किए गए प्रपत्रों और विवरणियों एवं अन्य अभिलेखों की जाँच की है:

- (i) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 (सिडबी अधिनियम, 1989);
- (ii) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सामान्य विनियम, 2000;
- (iii) कंपनी अधिनियम 2013 और इसके अधीन बनाए गए नियम यथासंशोधित; (लेखापरीक्षा अवधि के लिए सिडबी पर लागू नहीं)
- (iv) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम यथा संशोधित; (लेखा परीक्षा अवधि के लिए सिडबी पर लागू नहीं)
- (v) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके अंतर्गत विनियम और उपनियम यथासंशोधित; (लेखा परीक्षा अवधि के लिए सिडबी पर लागू नहीं)
- (vi) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम और विनियम विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधार की सीमा तक; (जिस सीमा तक लेखा परीक्षा अवधि के लिए सिडबी पर लागू हैं)
- (vii) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित निम्नांकित विनियम एवं दिशानिर्देश:
  - (ए) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों का महत्वपूर्ण अधिग्रहण और अभिग्रहण) विनियम, 2011; (लेखा परीक्षा अवधि के लिए सिडबी पर लागू नहीं);
  - (बी) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015;
  - (सी) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015; (लेखा परीक्षा अवधि के लिए सिडबी पर लागू नहीं);
  - (डी) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) दिशानिर्देश, 1999 (लेखा परीक्षा अवधि के लिए सिडबी पर लागू नहीं);
  - (ई) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीबद्धता) विनियम, - 2008; (जिस सीमा तक लेखा परीक्षा अवधि के लिए सिडबी पर लागू हैं);
  - (एफ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (निर्गम और शेयर हस्तांतरण एजेंटों के लिए रजिस्ट्रार) विनियम, 1993 कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ व्यवहार के बारे में; (जिस सीमा तक लेखा परीक्षा अवधि के लिए सिडबी पर लागू हैं);
  - (जी) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिंग) विनियम, 2009; (लेखा परीक्षा अवधि के लिए सिडबी पर लागू नहीं); और
  - (एच) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 1998; (लेखा परीक्षा अवधि के लिए सिडबी पर लागू नहीं)।

मैंने निम्नांकित के प्रयोज्य खंडों के अनुपालन की स्थिति की भी जाँच की है:

(11) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक; (लेखा परीक्षा अवधि के लिए सिडबी पर लागू नहीं)

(बी) सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 15 से 27 के अनुसार सिडबी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई लिमिटेड के साथ किए गए सूचीबद्धता समझौते जो संबंधित अवधियों के लिए प्रयोज्य हैं।

समीक्षाधीन अवधि में सिडबी ने उपर्युक्त अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशा-निर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

**मैं यह भी सूचित करता हूँ कि:**

- सिडबी के निदेशक मंडल का विधिवत गठन कार्यकारी निदेशकों, गैर-कार्यकारी निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलन के साथ किया जाता है।
- निदेशक मण्डल की बैठकों को निर्धारित करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिया जाता है, कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत नोट्स पहले से भेजे गए थे और बैठक से पहले कार्यसूची की मर्दों पर अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।
- सभी संकल्प निदेशकों के बहुमत की सहमति से पारित किए गए थे।

**मैं यह भी सूचित करता हूँ कि:**

- प्रयोज्य कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और उनका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सिडबी के आकार और परिचालनों के अनुरूप सिडबी में पर्याप्त प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ विद्यमान हैं।

मैं यह भी सूचित करता हूँ कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान उपर्युक्त कानूनों, नियमों, दिशानिर्देशों और मानकों के अनुसरण में सिडबी के मामलों पर कोई विशेष प्रभाव डालने वाली कोई विशिष्ट घटना/कार्य नहीं थे।

कृते: मे. दीप शुक्ला एंड असोसिएट्स  
कंपनी सचिव  
(सहकर्मी समीक्षा प्रमाणपत्र सं.: 2093/2022)

दीप शुक्ला  
{प्रोप्राइटर}

एफसीएस: 5652  
सीपी सं.5364

यूडीआईएन: एफ005652E000126674

स्थान: मुंबई

दिनांक: 18/04/2023

## सचिवीय रिपोर्ट का अनुबंध जो रिपोर्ट का एक अंश है

सेवा में,

सदस्यगण,

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)  
कॉर्पोरेट कार्यालय: सिडबी, स्वावलंबन भवन  
सी-11, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स  
बांद्रा पूर्व, मुंबई-400051  
महाराष्ट्र, भारत

मेरा यह भी कथन है कि मेरी आज की तारीख की उक्त रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए।

1. सचिवीय / वैधानिक अभिलेखों के रखरखाव का उत्तरदायित्व सिडबी के प्रबंधन का है। मेरी जिम्मेदारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन अभिलेखों पर अभिमत प्रकट करना है।
2. मैंने सचिवीय अभिलेखों की सामग्री की सत्यता के विषय में समुचित रूप से आश्वस्त होने के लिए उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है।
3. मैंने सिडबी के वित्तीय अभिलेखों और लेखा बहियों की सत्यता और उपयुक्तता की जाँच नहीं की है।
4. जहाँ भी आवश्यक हुआ, मैंने कानूनों, नियमों और विनियमों तथा घटित घटनाओं इत्यादि के संबंध में प्रबंधन के मौखिक अभ्यावेदन प्राप्त किए हैं।
5. कॉर्पोरेट और अन्य प्रयोज्य कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों से संबंधित प्रावधानों के अनुपालन का उत्तरदायित्व प्रबंधन का है। मेरी जाँच परीक्षण-आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित है और किसी भी गैर-अनुपालन के लिए जिम्मेदार नहीं होगी।
6. सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट न तो सिडबी की भावी व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है और न ही प्रबंधन द्वारा सिडबी के मामलों का संचालन करने की प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के बारे में है।

**अस्वीकरण:** कॉर्पोरेट और अन्य प्रयोज्य कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। इसके अलावा, संबंधित अधिकारियों से प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर, सिडबी की स्थापना सिडबी अधिनियम, 1989 के अंतर्गत की गई थी और यह इसके द्वारा और सिडबी सामान्य विनियम, 2000 के द्वारा अभिशासित है। सिडबी भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 15 से 27 का उस सीमा तक अनुपालन कर रहा है, जहाँ तक यह सिडबी अधिनियम, 1989 और सिडबी सामान्य विनियम, 2000 के प्रतिकूल न हो।

कृते: मे. दीप शुक्ला एंड असोसिएट्स  
कंपनी सचिव  
(सहकर्मी समीक्षा प्रमाणपत्र सं.: 2093/2022)

दीप शुक्ला  
{प्रोफाइटर}

एफसीएस: 5652  
सीपी सं.5364

यूडीआईएन: एफ005652E000126674

स्थान: मुंबई

दिनांक: 18/04/2023



### अनुबंध-III

#### नैगम अभिशासन संबंधी प्रमाणपत्र

[सेबी (एलओडीआर) की अनुसूची V के खंड ई के अनुसार]

प्रति,

सदस्यगण,  
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)  
कॉर्पोरेट कार्यालय: सिडबी स्वावलंबन भवन  
सी-11, जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व  
मुम्बई- 400051, महाराष्ट्र, भारत

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम 2015 (सूचीबद्धता विनियम) के विनियम 15 से 27 में नैगम अभिशासन की शर्तें जहाँ तक लागू होती हैं वहाँ तक 31 मार्च 2023 के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा अनुपालन किए जाने का मैंने परीक्षण किया है।

नैगम अभिशासन की शर्तों का अनुपालन प्रबन्धन का दायित्व है। मेरा परीक्षण नैगम अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सिडबी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके क्रियान्वयन की समीक्षा तक सीमित रहा। यह न तो सिडबी की वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा है, न उनके बारे में किसी राय का कथन।

सिडबी की स्थापना और संचालन सिडबी अधिनियम, 1989 तथा सिडबी सामान्य विनियम, 2000 के अनुसार होता है। इस प्रकार, नैगम अभिशासन संरचना व अनुपालन उस सीमा तक भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम 2015 (सूचीबद्धता विनियम) के विनियम 15 से 27 के अनुरूप है, जहाँ तक उसका सिडबी अधिनियम 1989 तथा सिडबी सामान्य विनियम 2000 से कोई अंतर्विरोध नहीं है।

कृते: मेसर्स दीप शुक्ला एंड एसोसिएट्स  
कंपनी सचिव  
(पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट सं: 2093/2022)

दीप शुक्ला  
{स्वत्वाधिकारी}  
एफसीएस: 5652  
सीपी सं..5364  
यूडीआईएन: F005652E000126619

स्थान: मुम्बई  
दिनांक: 18/04/2023

## अनुबंध-IV

### सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट

[सेबी के 08 फरवरी 2019 के परिपत्र सं. सीआईआर/सीएफडी/सीएमडी1/27/2019 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम 2015 के विनियम 24क के अनुसरण में]

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए "भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)" की वार्षिक सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट

हम, दीप शुक्ला एंड एसोसिएट्स ने निम्नलिखित का परीक्षण किया है:

- (1) सिडबी ("उच्च मूल्य वाली ऋण सूचीबद्ध संस्था") द्वारा हमें उपलब्ध कराए गए सभी दस्तावेज़ और अभिलेख तथा दिया गया स्पष्टीकरण ("उच्च मूल्य वाली ऋण सूचीबद्ध संस्था")
- (2) सूचीबद्ध संस्था द्वारा स्टॉक एक्सचेंज(जों) में प्रस्तुत विवरणियाँ/सामग्री
- (3) सूचीबद्ध संस्था की वेबसाइट
- (4) अन्य ऐसे संगत दस्तावेज़/विवरणियाँ, जिन पर यह प्रमाणन तैयार करते समय निर्भर रहा गया है

31 मार्च 2023 (समीक्षाधीन अवधि) को समाप्त वर्ष के लिए निम्नलिखित प्रावधानों के अनुपालन की दृष्टि से:

- (1) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम 1989 (सिडबी अधिनियम 1989);
- (2) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक विनियम, 2000;
- (3) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 ("सेबी अधिनियम") तथा उसके अंतर्गत जारी विनियम, परिपत्र, दिशानिर्देश;
- (4) प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम 1956 ("एससीआरए"), उसके अंतर्गत बने नियम तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ("सेबी") द्वारा उसके अधीन जारी विनियम, परिपत्र, दिशानिर्देश; [समीक्षाधीन अवधि में लागू नहीं];
- (5) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम व सूचीबद्धता) विनियम, 2021

जिन विशिष्ट विनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत परिपत्र/दशानिर्देश जारी किए गए और जिनका परीक्षण किया गया, वे निम्नवत हैं-

- (1) विनियम, जिस सीमा तक वे भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के अनुसार लागू हैं; विधिवत अद्यतन;
- (2) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएँ), विनियम, 2018; [समीक्षाधीन अवधि में लागू नहीं]
- (3) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अभिग्रहण और अधिग्रहण) विनियम, 2011; [समीक्षाधीन अवधि में लागू नहीं];
- (4) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 2018; [समीक्षाधीन अवधि में लागू नहीं];
- (5) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014; [समीक्षाधीन अवधि में लागू नहीं];
- (6) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीबद्धता) विनियम 2008, यथासंशोधित; [जिस सीमा तक लागू हो];
- (7) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अपरिवर्तनीय और प्रतिदेय अधिमानी शेयर) विनियम, 2013; [समीक्षाधीन अवधि में लागू नहीं];
- (8) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (भीतरी व्यापार निषेध) विनियम, 2015;
- (9) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम पंजीयक और शेयर अंतरण अभिकर्ता) विनियम 1993, यथासंशोधित;
- (10) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋणपत्र न्यासी) विनियम, 2022
- (11) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008; [समीक्षाधीन अवधि में लागू नहीं]
- (12) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और प्रतिभागिता) विनियम, 2018; तथा उसके अधीन जारी परिपत्र/दशानिर्देश।

हम एतद्वारा सूचित करते हैं कि समीक्षाधीन अवधि में सूचीबद्ध संस्था के अनुपालन की स्थिति निम्नवत अनुलग्न है:

क्रम सं.	विवरण	अनुपालन की स्थिति (हाँ/ नहीं/ लागू नहीं)	कार्यरत कंपनी सचिव की टिप्पणियाँ/ अभ्युक्तियाँ
1.	<u>सचिवीय मानक:</u> सूचीबद्ध संस्था के अनुपालन लागू सचिवीय मानक (एसएस) के अनुरूप हैं, जिन्हें भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी किया गया है।	लागू नहीं	सिडबी की स्थापना और संचालन सिडबी अधिनियम 1989 और सिडबी सामान्य विनियम 2000 के अनुसार होता है।
2.	<u>नीतियों का अंगीकरण और समय पर अद्यतन किया जाना:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>सेबी विनियम के अधीन लागू सभी नीतियाँ सूचीबद्ध संस्था के निदेशक-मण्डल के अनुमोदन से अंगीकार की गयी हैं।</li> <li>सभी नीतियाँ सेबी विनियमों के अनुरूप हैं। उनकी समीक्षा की गई है और सेबी द्वारा जारी विनियमों/परिपत्रों/दिशानिर्देशों के अनुसार उनको समय पर अद्यतन किया गया है।</li> </ul>	हाँ	-
3.	<u>वेबसाइट का रखरखाव और उस पर प्रकटन:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>सूचीबद्ध संस्था की वेबसाइट है जो सक्रिय है।</li> <li>दस्तावेजों/सूचना का वेबसाइट पर एक अलग खंड में समय पर प्रसार किया जाता है।</li> <li>विनियम 27(2) के अंतर्गत वार्षिक कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्टों में दिए गए वेब लिंक सटीक और विशिष्ट हैं, जो वेबसाइट के संगत दस्तावेज(जों)/खंड पर ले जाते हैं।</li> </ul>	हाँ	-
4.	<u>निदेशक का अनर्ह होना:</u> कंपनी का कोई भी निदेशक कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 164 के अंतर्गत अनर्ह नहीं है।	लागू नहीं	सिडबी की स्थापना और संचालन सिडबी अधिनियम 1989 और सिडबी सामान्य विनियम 2000 के अनुसार होता है।
5.	<u>सूचीबद्ध संस्था की सहायक संस्थाओं से संबंधित विवरणों का परीक्षण:</u> <ol style="list-style-type: none"> <li>महत्त्वपूर्ण सहायक कंपनियों की पहचान</li> <li>महत्त्वपूर्ण व अन्य सहायक कंपनियों से संबंधित प्रकटन की अपेक्षा</li> </ol>	हाँ	-
6.	<u>दस्तावेजों का परिरक्षण:</u> सूचीबद्ध संस्था अभिलेखों का परिरक्षण सेबी विनियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट रूप में करके उन्हें सहेज रही है और अभिलेखों का निस्तारण सेबी एलओडीआर विनियम 2015 में विनिर्दिष्ट दस्तावेज परिरक्षण एवं संग्रहण नीति के अनुसार किया जाता है।	हाँ	-
7.	<u>कार्यनिष्पादन मूल्यांकन:</u> जैसाकि सेबी विनियम में विनिर्दिष्ट है, सूचीबद्ध संस्था ने प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में निदेशक-मण्डल, स्वतंत्र निदेशकों तथा समिति के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन संपन्न किया है।	नहीं	ऐसी नीति तैयार की जा रही है
8.	<u>संबद्ध पक्षकार से संव्यवहार:</u> <ol style="list-style-type: none"> <li>सूचीबद्ध संस्था ने संबद्ध पक्षकारों से संबंधित सभी संव्यवहारों के लिए लेखापरीक्षा समिति से पूर्व अनुमोदन लिया है।</li> <li>कोई पूर्व अनुमोदन न लिए जाने की स्थिति में सूचीबद्ध संस्था उसके विस्तृत कारण बताएगी और पुष्टि करेगी कि क्या उक्त संव्यवहारों को बाद में लेखापरीक्षा समिति ने अनुमोदित/ अनुसमर्थित/ अस्वीकृत किया।</li> </ol>	हाँ	सिडबी ने 1 अप्रैल, 2022 से 31 दिसंबर, 2022 की अवधि के लिए सभी संबंधित पक्ष लेनदेन की पुष्टि की है और चौथी तिमाही के लिए पूर्वानुमोदन प्राप्त किया है।
9.	<u>घटनाओं अथवा सूचनाओं का प्रकटन:</u> सूचीबद्ध संस्था ने विनियम 30 के अंतर्गत सभी अपेक्षित प्रकटन और सेबी एलओडीआर विनियम, 2015 की अनुसूची III के साथ, उपर्युक्त के अंतर्गत विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर प्रस्तुत की है।	लागू नहीं	सेबी एलओडीआर का विनियम 30 सिडबी पर लागू नहीं होता।

क्रम सं.	विवरण	अनुपालन की स्थिति (हाँ/ नहीं/ लागू नहीं)	कार्यरत कंपनी सचिव की टिप्पणियाँ/ अभ्युक्तियाँ
10.	<u>भीतरी व्यापार का निषेध :</u> सूचीबद्ध संस्था ने सेबी (भीतरी व्यापार का निषेध) अधिनियम 2015 के विनियम 3(5) व 3(6) का अनुपालन किया है।	हाँ	-
11.	<u>सेबी अथवा स्टॉक एक्सचेंज द्वारा की गई कार्रवाई, यदि हो:</u> सेबी अथवा स्टॉक एक्सचेंजों ने (सेबी द्वारा विभिन्न परिपत्रों के जरिए जारी मानक परिचालन प्रक्रियाओं के अंतर्गत कार्रवाई सहित) सेबी विनियम तथा उनके तहत जारी परिपत्रों/ दिशानिर्देशों के अंतर्गत सूचीबद्ध संस्था/ इसके प्रवर्तकों/ निदेशकों/ सहायक संस्थाओं के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की है।	सिडबी पर विनियम 6 (1) के अंतर्गत जुर्माना लगाया गया है	सिडबी ने एनएसई के समक्ष छूट का आवेदन प्रस्तुत किया है और इस संबंध में उनका आदेश प्रतीक्षित है।
12.	<u>अतिरिक्त अनअनुपालन, यदि कोई हो:</u> समस्त सेबी विनियम/परिपत्र/ दिशानिर्देश टिप्पण आदि के संबंध में कोई अतिरिक्त अनुपालन नहीं पाया गया।	नहीं	समस्त सेबी विनियम/ परिपत्र/ दिशानिर्देश टिप्पण आदि के संबंध में कोई अतिरिक्त अनुपालन नहीं पाया गया।

- सूचीबद्ध संस्था ने निम्नलिखित विनिर्दिष्ट मामलों को छोड़कर, उपर्युक्त विनियम के शेष सभी प्रावधानों तथा उनके अंतर्गत जारी परिपत्रों/ दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है:

क्रम सं.	अनुपालन अपेक्षा (विनियम/ परिपत्र / दिशानिर्देश विशेष खंड सहित)	विनियम/ परिपत्र सं.	विचलन	कार्रवाई-कर्ता	कार्रवाई का प्रकार सलाह/ स्पष्टीकरण/ जुर्माना/ कारण बताओ सूचना/ चेतावनी आदि	उल्लंघन का विवरण	जुर्माने की राशि	प्रेक्टिसरत कंपनी सचिव की टिप्पणियाँ/ अभ्युक्तियाँ	प्रबन्धन का उत्तर	टिप्पणी
लागू नहीं										

- पूर्ववर्ती रिपोर्टों में की गई टिप्पणियों के अनुपालन के लिए सूचीबद्ध संस्था ने निम्नलिखित कार्रवाई की है:

क्रम सं.	अनुपालन अपेक्षा (विनियम/ परिपत्र / दिशानिर्देश विशेष खंड सहित)	विनियम/ परिपत्र सं.	विचलन	कार्रवाई-कर्ता	कार्रवाई का प्रकार सलाह/ स्पष्टीकरण/ जुर्माना/ कारण बताओ सूचना/ चेतावनी आदि	उल्लंघन का विवरण	जुर्माने की राशि	प्रेक्टिसरत कंपनी सचिव की टिप्पणियाँ/ अभ्युक्तियाँ	प्रबन्धन का उत्तर	टिप्पणी
लागू नहीं										

**अस्वीकरण:** कॉर्पोरेट एवं अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन प्रबन्धन का दायित्व है। साथ ही, सम्बन्धित पदाधिकारियों से प्राप्त स्पष्टीकरण के अनुसार सिडबी की स्थापना और संचालन सिडबी अधिनियम 1989 तथा सिडबी सामान्य विनियम 2000 के अनुसार होता है। सिडबी उस सीमा तक भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षा) विनियम 2015 के विनियम 15 से 27 का अनुपालन करता है, जहाँ तक उनसे सिडबी अधिनियम 1989 तथा सिडबी सामान्य विनियम 2000 का उल्लंघन नहीं होता।

कृते मेसर्स दीप शुक्ला एंड एसोसिएट्स  
कंपनी सेक्रेटरी

(पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट सं. 2093/2022)

दीप शुक्ला  
(स्वत्वाधिकारी)  
एफसीएस: 5652  
सीपी सं. 5364

स्थान: मुम्बई  
दिनांक: 18/04/2023

## **परिशिष्ट-I**

सिडबी के लाभ हानि लेखा और  
नकदी प्रवाह विवरणी के साथ  
लेखापरीक्षित तुलन पत्र



# स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

निदेशक मण्डल

## भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

### एकल वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

#### मंतव्य

हमने "भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक" ("बैंक") के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2022 तक एकल तुलन-पत्र, एकल लाभ और हानि लेखे, समाप्त वर्ष के लिए एकल नकदी प्रवाह का विवरण एवं एकल वित्तीय विवरणों पर की गई टिप्पणियाँ शामिल हैं, इसमें महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश एवं अन्य व्याख्यात्मक जानकारी भी दी गयी है।

हमारे मत और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दी गई स्पष्टीकरण के अनुसार एकल वित्तीय विवरण 31 मार्च 2022 तक बैंक के वित्तीय प्रदर्शन और समाप्त वर्ष के लिए उसके लाभ व नकदी प्रवाह, बैंक की वित्तीय स्थिति का सही और निष्पक्ष विवरण देते हैं एवं यह भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सामान्य विनियम 2000 के विनियमन 14 (1), और भारत में आमतौर पर मान्य लेखांकन सिद्धांतों और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप है।

#### लेखा-परीक्षा के प्रमुख विषयों का विवरण

लेखा-परीक्षा के प्रमुख विषय	हमारे लेखापरीक्षा ने प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया
अग्रिमों का वर्गीकरण, अनर्जक अग्रिमों की पहचान, आय की पहचान और अग्रिमों पर प्रावधान (एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूची XV के नोट 6 के साथ पठित अनुसूची VIII)	अग्रिमों का वर्गीकरण, अनर्जक अग्रिमों की पहचान, आय निर्धारण और अग्रिमों पर प्रावधान के प्रति हमारा लेखापरीक्षा दृष्टिकोण/प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:
(i) अग्रिमों में बैंकों, वित्तीय संस्थानों, सूक्ष्म वित्त संस्थाओं और एनबीएफसी को पुनर्वित्त ऋण; और नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट, मांग पर चुकाने योग्य ऋण और सावधि ऋण सहित प्रत्यक्ष ऋण शामिल हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक ('भा रि बैंक') ने बैंकों के अग्रिमों ('आईआरएसीपी मानदंड') के संबंध में 'आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंड' निर्धारित किए हैं। अर्जक और अनर्जक अग्रिमों के पहचान (लागू आईआरएसीपी मानदंडों के तहत पुनर्गठित अग्रिमों सहित) के लिए उचित तंत्र की स्थापना हो और बैंक से अपेक्षित है कि विनियमों द्वारा निर्धारित मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों कारकों को लागू करते हुए प्रत्येक अनर्जक आस्ति ('एनपीए') के लिए आवश्यक प्रावधान की मात्रा की पहचान कर उसे निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण श्रेणी के निर्णय को लागू करे।	- अनर्जक आस्तियों की पहचान और प्रावधानीकरण के लिए बैंक की लेखा नीतियों को समझना और उन पर विचार करना और भारतीय रिज़र्व बैंक (आईआरएसीपी मानदंड) द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुपालन का आकलन करना, जिसमें कोविड-19 वैश्विक महामारी से उत्पन्न मौजूदा अनिश्चित आर्थिक वातावरण को देखते हुए अग्रिमों पर किए गए अतिरिक्त प्रावधान शामिल हैं। - भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित आईआरएसीपी पर मौजूदा दिशानिर्देशों के आधार पर ह्रासित खातों की पहचान और प्रावधानीकरण के लिए महत्वपूर्ण नियंत्रणों (एप्लिकेशन नियंत्रणों सहित) को समझना।

#### मंतव्य का आधार

हमने अपनी एकल वित्तीय विवरण की लेखा-परीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक (एसए) के अनुसार संपन्न की है। इन मानकों के अंतर्गत हमारे दायित्वों का वर्णन हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा के संबंध में लेखा-परीक्षकों का उत्तरदायित्व खण्ड के अंतर्गत भी किया गया है। हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी "आचार संहिता" के अनुसार बैंक से स्वतंत्र हैं और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा विश्वास है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं वे पर्याप्त हैं और एकल वित्तीय विवरण के बारे में हमारी धारणा के लिए उपयुक्त आधार प्रदान करते हैं।

#### लेखा-परीक्षा के प्रमुख विषय

लेखा-परीक्षा के प्रमुख विषय वे विषय हैं जो हमारी पेशेवर निर्णय में 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरण की लेखा-परीक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को एकल वित्तीय विवरणों की समग्र रूप से लेखापरीक्षा तथा उन पर हमारी राय कायम करने के परिप्रेक्ष्य में इन विषयों का समाधान प्रस्तुत किया गया और इन विषयों पर हम अलग से कोई राय नहीं देते। नीचे दिए गए प्रत्येक विषय के लिए, इस संदर्भ में हमारा विवरण दिया गया है कि हमारी लेखापरीक्षा ने मामले को कैसे संबोधित किया।

लेखा-परीक्षा के प्रमुख विषय	हमारे लेखापरीक्षा ने प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया
<p>महत्वपूर्ण निर्णय और एनपीए की पहचान के लिए प्राक्कलन और प्रावधान तथ्यात्मक रूप से मिथ्याकथन को जन्म दे सकते हैं:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार मापदंडों के अनुसार गैर-निष्पादित आस्तियों की पहचान की पूर्णता और समय;</li> <li>- ऋण जोखिम, कितने वर्ष से है और ऋण के वर्गीकरण, प्रतिभूति की वसूली योग्य मूल्य के आधार पर अनर्जक आस्तियों के प्रावधान का मापन;</li> <li>- अनर्जक आस्तियों पर अप्राप्त आय का उचित प्रत्यावर्तन।</li> </ul> <p>अग्रिमों के वर्गीकरण, अनर्जक आस्ति की पहचान और अग्रिमों पर प्रावधान का निर्माण (लागू आईआरएसीपी मानदंडों के तहत पुनर्चित अग्रिमों पर अतिरिक्त प्रावधान सहित) और अग्रिमों पर आय की पहचान:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- बैंक द्वारा उचित नियंत्रण तंत्र और आकलन के महत्वपूर्ण स्तर की आवश्यकता है;</li> <li>- बैंक के समग्र वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है;</li> </ul> <p>हमने इस क्षेत्र को एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में सुनिश्चित किया है।</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- बैंक द्वारा अनर्जक आस्तियों की पहचान को शामिल करने वाली मूल लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं सहित अन्य प्रक्रियाएं संपन्न करना। इन प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल थे:             <ol style="list-style-type: none"> <li>(a) एप्लिकेशन सिस्टम से उत्पन्न अपवाद रिपोर्ट के परीक्षण पर विचार किया जहां अग्रिमों को अभिलेखित किया जाता है।</li> <li>(b) दबाव की पहचान करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की बड़ी जमाराशियों पर सूचना के केंद्रीय भंडार (सीआरआईएलसी) में बैंक द्वारा व अन्य बैंकों द्वारा रिपोर्ट किए गए खातों पर विशेष उल्लेख किये गए खातों ("एसएमए") के रूप में ध्यान में रखते हुए विचार।</li> <li>(c) मात्रात्मक और गुणात्मक जोखिम कारकों के आधार पर चयनित उधारकर्ताओं के खाते के विवरण की समीक्षा, आहरण शक्ति गणना, प्रतिभूति और अन्य संबंधित जानकारी प्राप्त करना</li> <li>(d) ऋण और जोखिम समिति की बैठकों के कार्यवृत्त को पढ़ना और ऋण विभाग के साथ यह पता लगाने के लिए पूछताछ करना कि क्या दबाव के संकेतक थे या ऋण खाते या किसी उत्पाद में चूक की घटना हुई थी।</li> <li>(e) बैंक की नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार आंतरिक लेखापरीक्षा और समवर्ती लेखापरीक्षा से उत्पन्न प्रमुख टिप्पणियों पर विचार करना।</li> <li>(f) बैंक पर आरबीआई की वित्तीय निरीक्षण रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, वर्ष के दौरान टिप्पणियों और आरबीआई के साथ अन्य संचार पर बैंक की प्रतिक्रिया</li> <li>(g) बैंक की कोर बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से आईआरएसीपी प्रक्रियाओं के स्वचालन पर आरबीआई परिपत्र के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए बैंक द्वारा नियुक्त बाहरी विशेषज्ञ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की समीक्षा करना।</li> <li>(h) भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्रों/दिशानिर्देशों के अनुपालन के संबंध में दबावग्रस्त अग्रिमों सहित अग्रिमों की नमूना आधार पर जांच।</li> <li>(i) नमूना उधारकर्ताओं के लिए खाता शेष की स्वतंत्र पुष्टि की मांग करना।</li> <li>(j) शाखाओं/कार्यालयों का दौरा और अग्रिमों से संबंधित दस्तावेजों और अन्य अभिलेखों की जांच।</li> </ol> </li> </ul> <p>पहचान किए गए अनर्जक अग्रिमों के लिए, हमने दबावग्रस्त क्षेत्रों और खातों के महत्व सहित कारकों के आधार पर यथा आस्ति वर्गीकरण तिथियों का, अप्राप्त ब्याज का व्यूत्क्रमण, उपलब्ध प्रतिभूति का मूल्य और आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार प्रावधानीकरण का नमूना आधार पर परीक्षण किया। हमने प्रमुख आगत कारकों पर विचार करने के बाद अनर्जक आस्तियों के प्रावधान की पुनर्गणना की और उससे प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए हमारे मापन परिणाम की तुलना की।</p>

	लेखा-परीक्षा के प्रमुख विषय	हमारे लेखापरीक्षा ने प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया
(ii)	निवेशों का मूल्यांकन, अनर्जक निवेशों की पहचान और प्रावधान (एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूची XV के नोट 3 के साथ पठित अनुसूची VII)	
	निवेशों को कोषागार परिचालनों और व्यवसाय परिचालनों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। निवेशों में बैंक द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभितियों, बांड, डिबेंचर, शेयर, म्यूचुअल फंड, उद्यम पूंजी निधियों और अन्य स्वीकृत प्रतिभितियों में निवेश शामिल हैं। भारतीय रिजर्व बैंक परिपत्र और निर्देश अन्य बातों के साथ निवेशों का मूल्यांकन, निवेशों का वर्गीकरण, अनर्जक निवेशों की पहचान, आय का अनिर्धारण और अनर्जक निवेशों के प्रति प्रावधानीकरण को समाहित करते हैं।	<p>भारतीय रिजर्व बैंक के संदर्भ में निवेश के प्रति हमारा लेखापरीक्षा दृष्टिकोण/ प्रक्रियाएं परिपत्रों/ निर्देशों में मूल्यांकन, वर्गीकरण, अनर्जक निवेशों (एनपीआई) की पहचान और संबंधित प्रावधानीकरण/ निवेश के मूल्यहास के संबंध में आंतरिक नियंत्रणों और मूल लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की समझ शामिल थी। विशेष रूप से -</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- हमने मूल्यांकन, वर्गीकरण, एनपीआई की पहचान, एनपीआई पर आय का व्यूकर्मण और निवेश से संबंधित प्रावधानीकरण/ मूल्यहास के संबंध में प्रासंगिक भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन किया और उसे समझा;</li> </ul>
	<p>उपर्युक्त प्रतिभितियों के प्रत्येक संवर्ग (प्रकार) का मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों और निर्देशों में निर्धारित विधि के अनुसार किया जाना है जिसमें विभिन्न स्रोतों जैसे एफबीआईएल / एफआईएमएडीए दरों, बीएसई पर उद्धृत दरों से, एनएसई, गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय विवरण आदि से आंकड़ें / सूचना का संग्रह भी शामिल है।</p> <p>हमने लागू विनियामक दिशानिर्देशों और बैंक की नीतियों, एचटीएम बुक के आधार पर हासित मूल्यांकन हेतु प्रबंधन का निर्णय, विनियामक ध्यान केन्द्रित करने का स्तर और बैंक के वित्तीय परिणामों के लिए समग्र महत्व के आधार पर कुछ निवेशों (बॉन्ड और डिबेंचर, वीसीएफ) के मूल्य को निर्धारित करने में शामिल प्रबंधन के निर्णय की वजह से निवेश के मूल्यांकन और अनर्जक निवेशों की पहचान को एक प्रमुख लेखापरीक्षा विषय के रूप में पहचान की है।</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- हमने इन निवेशों के बाजार मूल्य के निर्धारण के लिए विभिन्न स्रोतों से सूचना एकत्र करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का मूल्यांकन और निरूपण किया;</li> <li>- चालू निवेश के चयनित नमूने लेकर हमने प्रतिभूति की प्रत्येक श्रेणी के लिए मूल्यांकन को फिर से निष्पादित करके भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर परिपत्रों और निर्देशों के साथ सटीकता और अनुपालन का परीक्षण किया;</li> <li>- हमने भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रों और निर्देशों के अनुरूप रखे जाने वाले प्रावधान को स्वतंत्र रूप से पुनर्गणना करने के लिए मूलभूत लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं संपन्न कीं। तदनुसार, हमने प्रत्येक श्रेणी के निवेश से नमूनों का चयन किया और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अनर्जक निवेशों और भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र के अनुसार किए गए प्रावधान की पुनर्गणना की और अनर्जक निवेश के उन चयनित नमूने के लिए इन दिशानिर्देशों के अनुसार आय का उपचय किए जाने का परीक्षण किया है</li> </ul>
(iii)	वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए सूचना प्रौद्योगिकी ('आईटी') प्रणाली और नियंत्रण	
	<p>बैंक की प्रमुख वित्तीय लेखांकन व रिपोर्टिंग प्रक्रियाएं सिस्टम में स्वचालित नियंत्रण सहित सूचना प्रणालियों पर अत्यधिक निर्भर हैं, इतना जोखिम विद्यमान है कि आईटी नियंत्रण पर्यावरण में अंतरालों के परिणामस्वरूप वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग रिकॉर्ड भौतिक रूप से गलत हो सकते हैं।</p> <p>सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के पर्यावरण की व्यापक प्रकृति और जटिलता के साथ-साथ सटीक और सामयिक वित्तीय रिपोर्टिंग में इसके महत्व के कारण, हमने इस क्षेत्र को एक प्रमुख लेखा परीक्षा मामले के रूप में पहचान की है।</p>	<p>वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए बैंक की सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों और संबंधित नियंत्रणों की समीक्षा के लिए हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के एक भाग के रूप में:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- हमने वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए महत्वपूर्ण बैंक की सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली और नियंत्रण के डिजाइन और संचालन की प्रभावशीलता का परीक्षण किया।</li> <li>- बैंक के पास उचित समायावधि में पहचाने गए एप्लिकेशन सिस्टम का एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर लेखापरीक्षण की व्यवस्था है। शाखाओं में सूचना प्रणाली (आईएस) की लेखापरीक्षा बैंक के अधिकारियों द्वारा उचित समायावधि में की जाती है।</li> <li>- हमने वर्ष के दौरान बैंक की आईटी प्रणालियों पर किए गए लेखापरीक्षा से उत्पन्न प्रमुख टिप्पणियों की समीक्षा की</li> </ul>
(iv)	प्रावधानों और आकस्मिक देनदारियों का आकलन (एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूची XV के नोट 10 और नोट 12)	

लेखा-परीक्षा के प्रमुख विषय	हमारे लेखापरीक्षा ने प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया
<p>प्रत्यक्ष कर सहित कुछ मुकदमों के प्रावधानों और आकस्मिक देयताओं का आकलन, अन्य पार्टियों द्वारा दायर किए गए विभिन्न दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया (एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूची XI) और विभिन्न कर्मचारी लाभ योजनाओं (एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूची V) की पहचान एक महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा क्षेत्र के रूप में की गई।</p> <p>आवश्यक प्रावधान के स्तर का अनुमान करने के साथ-साथ कर-मामलों और अन्य कानूनी दावों के संबंध में प्रावधानों और आकस्मिक देयताओं के प्रकटीकरण में उच्च स्तर का निर्णय शामिल है। बैंक का मूल्यांकन, जहाँ भी आवश्यक हो, मामले के तथ्यों, उनका अपना निर्णय, विगत अनुभव, और कानूनी और स्वतंत्र कर-सलाहकारों की सलाह से समर्थित है। तदनुसार, अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम, बैंक द्वारा सूचित लाभ और तुलन-पत्र में प्रस्तुत मामलों की स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं।</p> <p>कर्मचारी लाभ विषयक देयताओं के मूल्यांकन की गणना कई बीमाकिक मान्यताओं और निविष्टि सहित डिस्काउंट दर, मुद्रास्फीति की दर और मृत्यु दर के संदर्भ में की जाती है। इस संबंध में वित्तपोषित आस्तियों का मूल्यांकन भी पूर्वानुमानों में बदलाव के प्रति संवेदनशील है।</p>	<p>हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण /प्रक्रियाओं में यह शामिल था: मुकदमों/ कर निर्धारणों की वर्तमान स्थिति को समझना;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- विभिन्न कर प्राधिकरणों/न्यायिक मंचों से प्राप्त हालिया आदेशों और/या संचार की जांच करना और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करना;</li> <li>- बैंक के कर-सलाहकारों के मंतव्य सहित उसमें प्रस्तुत आधारों और उपलब्ध स्वतंत्र कानूनी /कर-सलाह के संदर्भ में विचाराधीन विषयवस्तु के गुणावगुणों की योग्यता का मूल्यांकन करना;</li> <li>- बैंक के तर्कों का मूल्यांकन, समीक्षा और विश्लेषण, चर्चा के माध्यम से, विचाराधीन विषय के विवरण का संग्रह, संभावित परिणाम और उन मुद्दों पर परिणामी संभावित बहिर्गमन; तथा</li> <li>- आंकड़ों की पूर्णता और सटीकता सुनिश्चित करना, योजनाओं की आस्तियों के उचित मूल्य का मापन, विशिष्ट योजनाओं और प्रचलित प्रथाओं के साथ कर्मचारी देनदारियों को महत्व देने के लिए प्रबंधन द्वारा उपयोग की जाने वाली धारणाओं को निर्धारित करने में किए गए निर्णयों को समझना।</li> <li>- हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में प्रत्याशित आय अनुमानों की प्रासंगिक मृत्यु तालिका, बैंचमार्किंग मुद्रास्फीति और बाहरी बाजार के आंकड़ों के मुकाबले छूट दरों की तुलना करके बीमाकिक द्वारा उपयोग की गई मान्यताओं का आकलन शामिल था।</li> </ul>
<p>हमने उन मामलों के परिणाम से संबंधित अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त क्षेत्र को एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया है जिसमें कानून की व्याख्या, प्रत्येक मामले की परिस्थितियों और उनके पूर्वानुमानों में निर्णय के संप्रयोग की आवश्यकता होती है।</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- हमने योजना आस्तियों के मूल्य का सत्यापन, योजना आस्तियों का प्रबंधन करने वाली आस्ति प्रबंधन कंपनियों द्वारा दिए गए विवरणों से किया है।</li> <li>- एकल वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण मुकदमों, कराधान मामलों और कर्मचारी लाभ देनदारियों से संबंधित खुलासे का सत्यापन।</li> </ul>

### एकल वित्तीय विवरणों और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

अन्य सूचनाओं के लिए बैंक का प्रबंधन जिम्मेदार है। अन्य सूचना में वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें एकल वित्तीय विवरण और हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। इस लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख के बाद बैंक की वार्षिक रिपोर्ट हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

एकल वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करेंगे।

एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अन्य जानकारी के उपलब्ध होने पर उसे पढ़ें और ऐसा करने में, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी एकल वित्तीय विवरणों या लेखापरीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी के साथ असंगत है या नहीं। अन्यथा तथ्यात्मक रूप से गलत बताया गया प्रतीत होता है। जब हम बैंक की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ते हैं, यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इस अन्य जानकारी में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है, तो हमसे अपेक्षा है कि हम इस मामले को अभिशासन के प्रभारी तक पहुंचाएं।

### एकल वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रबंधन और अभिशासन के प्रभारी का उत्तरदायित्व

बैंक का प्रबंधन इन एकल वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में जिम्मेदार है जो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सामान्य विनियम, 2000 के अनुसार बैंक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह का सही और उचित दृश्य देते हैं और लेखांकन सिद्धांत भारत में आम तौर पर स्वीकार किए जाते हैं जिनमें आईसीएआई द्वारा जारी किए गए लेखा मानक, और भारतीय रिजर्व बैंक ('आरबीआई') द्वारा समय-समय पर जारी किए गए परिपत्र और दिशानिर्देश शामिल हैं। इस जिम्मेदारी में बैंक की आस्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है; उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हों; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, एकल वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक जो सही और निष्पक्ष दृश्य देते हैं और सामग्री से मुक्त हैं

गलत कथन, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

एकल वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रबंधन लाभप्रद प्रतिष्ठान के रूप में जारी रहने की बैंक की क्षमता के आकलन, यथार्थिती लाभप्रद प्रतिष्ठान से संबंधित मामलों के प्रकटन तथा जब तक प्रबंधन बैंक के समापन अथवा उसके परिचालन को बंद करने का इरादा नहीं रखता अथवा ऐसा करने के अलावा उसके पास कोई वास्तविक विकल्प नहीं होता, तब तक लाभप्रद प्रतिष्ठान का आधार प्रयोग करते रहने के लिए उत्तरदायी हैं।

बैंक का प्रबंधन बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी है।

### एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य समग्र रूप से एकल वित्तीय विवरण के कपट से अथवा त्रुटिवश होने वाले तथ्यात्मक मिथ्या-कथन से रहित होने का आश्वासन प्राप्त करना, और एक ऐसी लेखापरीक्षक रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल हो। समुचित आश्वासन एक उच्च-स्तरीय आश्वासन होता है, किन्तु वह ऐसी गारंटी नहीं है कि लेखापरीक्षा-मानक के अनुरूप की गयी लेखापरीक्षा में सदा ही किसी तथ्यात्मक मिथ्या कथन की मौजूदगी का पता चल जाएगा। मिथ्याकथन कपट अथवा त्रुटिवश हो सकते हैं और उन्हें एकल रूप से अथवा सम्मिलित रूप में तब तथ्यात्मक माना जाता है जब इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ता द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों के उन मिथ्याकथनों से पर्याप्त रूप में प्रभावित होने की संभावना हो।

लेखापरीक्षा-मानक के अनुरूप लेखापरीक्षा के हिस्से के रूप में हम समूची लेखापरीक्षा-प्रक्रिया के दौरान पेशेवराना विवेक का उपयोग करते हैं और पेशेवराना सावधानी बनाए रखते हैं। साथ ही, हम:

- कपटपूर्वक अथवा त्रुटिवश वित्तीय विवरणों में तथ्यात्मक मिथ्याकथन के जोखिम की पहचान व आकलन करते हैं, उक्त जोखिमों के अनुरूप लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ तैयार करके उन्हें संपन्न करते हैं और लेखापरीक्षा का ऐसा प्रमाण प्राप्त करते हैं जो हमारे मंतव्य का आधार बनने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त हो। किसी कपट के फलस्वरूप तथ्यात्मक मिथ्याकथन के पता न चलने का जोखिम त्रुटिवश हुए मिथ्याकथन के जोखिम की तुलना में बड़ा होता है, क्योंकि कपट में मिलीभगत, जालसाजी, इरादतन भूल-चूक, मिथ्या प्रस्तुतीकरण अथवा आंतरिक नियंत्रण की अनदेखी का हाथ हो सकता है।
- आंतरिक नियंत्रण की जानकारी हासिल करते हैं, जो लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हो, ताकि लेखापरीक्षा की ऐसी प्रक्रिया तैयार की जा सके जो उक्त परिस्थिति के लिए उपयुक्त हो किन्तु प्रभावशीलता पर राय व्यक्त करने के उद्देश्य से न हो
- उपयोग की गयी लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन प्राक्कलनों तथा प्रबंधन द्वारा एकल वित्तीय विवरणियों में किए गए तत्संबंधी प्रकटनों का मूल्यांकन करते हैं।
- प्रबंधन द्वारा लेखांकन के लिए लाभप्रद प्रतिष्ठान-आधार के उपयोग की उपयुक्तता के संबंध में और प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा-प्रमाण के आधार पर यह निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या घटनाओं अथवा स्थितियों से संबंधित कोई ऐसी तथ्यात्मक अनिश्चितता विद्यमान है जिसके फलस्वरूप लाभप्रद प्रतिष्ठान के रूप में जारी रहने की समूह की क्षमता पर कोई उल्लेखनीय संदेह उत्पन्न होता हो। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कोई तथ्यात्मक अनिश्चितता विद्यमान है

तो हमसे यह अपेक्षित होता है कि अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में हम एकल वित्तीय विवरणों में तत्संबंधी प्रकटनों अथवा यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हों तो अपने मंतव्य में संशोधन की ओर ध्यान आकर्षित करें। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गये लेखापरीक्षा-प्रमाणों पर आधारित हैं। किन्तु, भविष्य की घटनाओं अथवा स्थितियों के कारण लाभप्रद प्रतिष्ठान के रूप में समूह का जारी रहना बन्द हो सकता है।

- वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण, संरचना और विषयवस्तु का मूल्यांकन करते हैं। इसमें प्रकटन और यह देखना भी शामिल है कि वित्तीय विवरण अंतर्निहित व घटनाओं को इस रूप में दर्शाए, जिससे उचित प्रस्तुतीकरण का उद्देश्य पूर्ण हो सके।

भौतिकता एकल वित्तीय विवरणों में गलत बयानों का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, यह संभव बनाता है कि वित्तीय विवरणों के यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) हमारे लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और हमारे काम के परिणामों का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं; और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी पहचानी गई गलतबयानी के प्रभाव का मूल्यांकन करते हैं।

हम अभिशासन-प्रभारियों के साथ अन्य विषयों के अलावा लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्षों व आंतरिक नियंत्रण की ऐसी उल्लेखनीय कमियों के बारे में बातचीत करते हैं जिन्हें हमने अपनी लेखापरीक्षा के दौरान चिन्हित किया हो।

अभिशासन-प्रभारियों को हम वह विवरण भी प्रदान करते हैं जिसे हमने निष्पक्षता के संबंध में संगत नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करते हुए तैयार किया है। साथ ही, हम उन्हें अपने उन संबंधों व अन्य विषयों की सूचना भी देते हैं जिससे हमारी निष्पक्षता और जहाँ लागू हो, वहाँ तत्संबंधी सुरक्षा-उपायों पर समुचित प्रभाव पड़ने की संभावना हो।

अभिशासन के प्रभारी लोगों के साथ संप्रेषित मामलों में, हम उन विषयों का निर्धारण करते हैं जो 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए वो प्रमुख लेखापरीक्षा विषय हैं। हम अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में तब तक उन विषयों को नहीं उठाते जब तक कि कानून या विनियमन, मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को प्रतिबाधित नहीं करता या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी विषय को संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणामों की उचित रूप से अपेक्षा की जाएगी इस तरह के संचार सार्वजनिक हित के लाभों से अधिक है।

### अन्य विषय

- (i) इन एकल वित्तीय परिणामों में प्रधान कार्यालय सहित हमारे द्वारा दौरा किए गए / लेखापरीक्षित 26 शाखाओं के प्रासंगिक विवरणियाँ शामिल हैं, जिसमें 31 मार्च 2023 को अग्रिमों वार्षिक प्रतिवेदन का 96.30%, जमाओं का 99.2230% और उधार का 100% शामिल हैं और 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए अग्रिमों पर ब्याज आय का 95.09% तथा जमा पर ब्याज व्यय का 99.19% और उधार पर ब्याज व्यय का 100% भी शामिल है। इन शाखाओं का चयन बैंक के प्रबंधन के परामर्श से किया गया है। हमारे लेखापरीक्षा के दौरान,



हमने बैंक की शेष शाखाओं जिनका हम ने दौरा नहीं किया है से प्राप्त विभिन्न सूचनाओं और विवरणियों पर भरोसा किया है जो हमारे द्वारा नहीं देखी गई हैं और प्रधान कार्यालय में केंद्रीकृत डेटाबेस के माध्यम से उत्पन्न हुई हैं।

हमारी राय में उपरोक्त मामलों के संबंध में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

#### अन्य विधिक तथा विनियामक अपेक्षाओं से संबंधित रिपोर्ट

एकल तुलन-पत्र, एकल लाभ-हानि लेखा, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सामान्य विनियम 2000 के विनियम 14(i) में उल्लिखित अपेक्षाओं के अनुरूप तैयार किए गए हैं।

हम सूचित करते हैं कि

- हमने वह समस्त सूचना व स्पष्टीकरण माँगे और प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार उपर्युक्त वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोषजनक पाया है।
- हमारी राय में, जहां तक खाता-बहियों की जाँच से हमारे देखने में आया है, बैंक ने विधितः उपयुक्त खाता बहियाँ तैयार की हैं।

- बैंक शाखाओं और कार्यालयों से प्राप्त विवरणियाँ हमारी लेखापरीक्षा के लिए पर्याप्त थीं।
- हमारी राय में, बैंक द्वारा विधि द्वारा अपेक्षित उचित लेखा बहियाँ रखी गई हैं, जहां तक कि उन बहियों की हमारी जाँच से ऐसा प्रतीत होता है और हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त उचित विवरणियाँ उन शाखाओं से प्राप्त हुई हैं जिनका हमने दौरा नहीं किया है।
- इस रिपोर्ट के लिए प्रयुक्त एकल तुलन पत्र, एकल लाभ-हानि लेखा, एकल नकद प्रवाह विवरण खाता बहियों के अनुरूप है।
- हमारी राय में, इस रिपोर्ट से संबंधित उपर्युक्त वित्तीय विवरणियों में लागू लेखा मानकों का अनुपालन किया गया है

कृते बोरकर एवं मुजूमदार  
सनदी लेखाकार  
फर्म पंजीकरण संख्या- 101569W  
**दर्शित दोषी**  
साझेदार

स्थान: मुंबई  
तिथि: 12 मई, 2023

सदस्यता संख्या- 133755  
UDIN: 23133755BGQTYO2276

## तुलन-पत्र

यथा 31 मार्च, 2023

(राशि ₹ में)

		31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
<b>पूँजी एवं देयताएँ</b>	<b>अनुसूचियाँ</b>		
पूँजी	I	5,68,54,11,690	5,68,54,11,690
आरक्षितियाँ, अधिशेष और निधियां	II	2,72,40,69,75,549	2,40,14,53,18,104
जमा	III	16,50,36,14,64,621	14,08,78,42,74,899
उधार	IV	20,06,57,92,03,549	7,57,12,43,67,199
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	V	88,79,41,95,410	62,04,01,28,691
आस्थगित कर देयता		-	74,55,585
<b>योग I</b>		<b>40,23,82,72,50,819</b>	<b>24,73,78,69,56,168</b>
<b>आस्तियां</b>			
नकदी एवं बैंक अतिशेष	VI	1,21,08,82,02,380	1,79,18,31,07,719
निवेश	VII	2,90,88,65,76,872	2,39,51,55,92,224
ऋण एवं अग्रिम	VIII	35,64,39,06,80,346	20,22,51,78,47,539
अचल आस्तियां	IX	2,96,39,45,951	2,93,12,40,397
अन्य आस्तियां	X	44,49,78,45,270	29,63,91,68,289
<b>योग</b>		<b>40,23,82,72,50,819</b>	<b>24,73,78,69,56,168</b>
आकस्मिक देयताएं	XI	45,13,44,11,010	53,37,90,27,297
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	XV		
लेखांकन विषयक टिप्पणियाँ	XVI		

उपर्युक्त अनुसूचियाँ तुलन-पत्र का अविभाज्य अंग हैं

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मण्डल के आदेश से

कृते बोरकर एंड मुजूमदार  
सनदी लेखाकर  
FRN.101569W

अजित नाथ झा  
मुख्य वित्तीय अधिकारी  
उप प्रबंध निदेशक

सुदत्ता मंडल  
उप प्रबंध निदेशक

वी सत्य वेंकट राव  
उप प्रबंध निदेशक

सिवसुब्रमणियन रमण  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दर्शित दोषी  
साझेदार  
सदस्यता संख्या- 133755

जी. गोपालकृष्ण  
निदेशक

अमित टंडन  
निदेशक

स्थान : मुंबई  
दिनांक : 12 मई, 2023

# लाभ एवं हानि लेखा

यथा मार्च 31, 2023 को

(राशि ₹ में)

		31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
<b>आय</b>	<b>अनुसूचियाँ</b>		
ब्याज एवं छूट	XII	1,79,53,53,96,172	87,14,12,26,980
अन्य आय	XIII	5,31,27,81,800	4,25,05,99,071
<b>योग</b>		<b>1,84,84,81,77,972</b>	<b>91,39,18,26,051</b>
<b>व्यय</b>			
ब्याज एवं वित्तीय प्रभार		1,24,05,66,16,459	57,01,62,91,566
परिचालन व्यय	XIV	8,23,53,29,635	6,97,72,15,759
प्रावधान एवं आकस्मिक व्यय		8,58,14,07,506	3,51,81,16,045
<b>योग</b>		<b>1,40,87,33,53,600</b>	<b>67,51,16,23,370</b>
<b>कर पूर्व लाभ</b>		<b>43,97,48,24,372</b>	<b>23,88,02,02,681</b>
आयकर के लिए प्रावधान		12,39,91,57,313	4,11,57,81,000
आस्थगित कर समायोजन (आस्ति / देयता)		(1,86,00,74,573)	18,65,33,000
<b>कर पश्चात लाभ</b>		<b>33,43,57,41,632</b>	<b>19,57,78,88,681</b>
लाभ अग्रानीत		40,00,00,000	53,97,00,680
<b>कुल लाभ / (हानि)</b>		<b>33,83,57,41,632</b>	<b>20,11,75,89,361</b>
<b>विनियोजन</b>			
सामान्य आरक्षितियों में अंतरण		31,11,88,59,294	18,00,41,43,423
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षिति में अंतरण		80,00,00,000	70,00,00,000
<b>अन्य</b>			
निवेश उतार चढ़ाव आरक्षिति में अंतरण		-	10,96,07,912
स्टाफ कल्याण निधि में अंतरण		11,11,00,000	10,56,54,000
शेयरों पर लाभांश		1,13,70,82,338	79,81,84,026
लाभांश पर कर		-	-
अग्रानीत लाभ और हानि खाते में अधिशेष		66,87,00,000	40,00,00,000
<b>योग</b>		<b>33,83,57,41,632</b>	<b>20,11,75,89,361</b>
मूल / विलयित प्रति शेयर अर्जन		58.81	36.79
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	XV		
लेखा टिप्पणियां	XVI		

उपर्युक्त अनुसूचियाँ लाभ और हानि लेखे का अभिन्न अंग हैं

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मण्डल के आदेश से

कृते बोरकर एंड मुजूमदार  
सनदी लेखाकर  
FRN.101569W

अजित नाथ झा  
मुख्य वित्तीय अधिकारी

सुदत्ता मंडल  
उप प्रबंध निदेशक

वी सत्य वेंकट राव  
उप प्रबंध निदेशक

सिवसुब्रमणियन रमण  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दर्शित दोषी  
साझेदार  
सदस्यता संख्या- 133755

जी. गोपालकृष्ण  
निदेशक

अमित टंडन  
निदेशक

स्थान : मुंबई  
दिनांक : 12 मई, 2023

## तुलन-पत्र की अनुसूचियां

### पूंजी और देयताएँ

(राशि ₹ में)

अनुसूची I: पूंजी	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
<b>(क) प्राधिकृत पूंजी</b>	10,00,00,00,000	10,00,00,00,000
- इक्विटी शेयर पूंजी(10 रुपये प्रति शेयर की दर से 75,00,00,000 इक्विटी शेयर)	7,50,00,00,000	7,50,00,00,000
- अधिमानी शेयर पूंजी (10 रुपये प्रति शेयर की दर से 25,00,00,000 अधिमानी शेयर)	2,50,00,00,000	2,50,00,00,000
<b>ख) जारी की गई, अभिदत्त और चुकता पूंजी</b>	5,68,54,11,690	5,68,54,11,690
- इक्विटी शेयर पूंजी (10 रुपये प्रति शेयर की दर से 56,85,41,169 इक्विटी शेयर)	5,68,54,11,690	5,68,54,11,690
- अधिमानी शेयर पूंजी	-	-
<b>योग</b>	<b>5,68,54,11,690</b>	<b>5,68,54,11,690</b>

(राशि ₹ में)

अनुसूची II: आरक्षितियां, अधिशेष और निधियां	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
<b>क) आरक्षित निधि</b>		
<b>i) सामान्य आरक्षित निधि</b>		
- सामान्य आरक्षित निधि	1,87,23,92,80,623	1,69,23,51,37,200
- वर्ष के दौरान जोड़ी गई	31,11,88,59,294	18,00,41,43,423
- वर्ष के दौरान उपयोजित राशि	-	-
- अंतिम शेष	<b>2,18,35,81,39,917</b>	<b>1,87,23,92,80,623</b>
<b>ii) शेयर प्रीमियम</b>		
- आरंभिक शेष	30,54,25,88,310	16,68,07,79,690
- वर्ष के दौरान जोड़ी गई	-	13,86,18,08,620
- वर्ष के दौरान उपयोजित राशि	-	-
- अंतिम शेष	<b>30,54,25,88,310</b>	<b>30,54,25,88,310</b>
<b>iii) विशिष्ट आरक्षित निधियाँ</b>		
<b>क) निवेश हेतु आरक्षित निधि</b>		
- आरंभिक शेष	-	-
- वर्ष के दौरान जोड़ी गई	-	-
- वर्ष के दौरान उपयोजित राशि	-	-
- अंतिम शेष	-	-
<b>ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अनुसार निर्मित एवं सुरक्षित विशेष आरक्षितियां</b>		
- आरंभिक शेष	17,72,00,00,000	17,02,00,00,000
- वर्ष के दौरान जोड़ी गई	80,00,00,000	70,00,00,000
- वर्ष के दौरान उपयोजित राशि	-	-
- अंतिम शेष	<b>18,52,00,00,000</b>	<b>17,72,00,00,000</b>

## तुलन-पत्र की अनुसूचियां

(राशि ₹ में)

अनुसूची II: आरक्षितियां, अधिशेष और निधियां	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
ग) अन्य आरक्षितियाँ		
i) निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षिति		
- आरंभिक शेष	1,25,89,52,956	1,14,93,45,044
- वर्ष के दौरान जोड़ी गई	-	10,96,07,912
- वर्ष के दौरान उपयोजित राशि		
- अंतिम शेष	1,25,89,52,956	1,25,89,52,956
ख) लाभ-हानि खाते में अधिशेष	66,87,00,000	40,00,00,000
ग) निधियाँ		
क) राष्ट्रीय ईक्विटी निधि		
- आरंभिक शेष	2,65,61,42,832	2,65,61,42,832
- वर्ष के दौरान जोड़ी गई/ प्रतिलेखन	-	-
- वर्ष के दौरान उपयोजित राशि	-	-
- अंतिम शेष	2,65,61,42,832	2,65,61,42,832
ख) स्टाफ कल्याण निधि		
- आरंभिक शेष	32,83,53,383	28,17,87,187
- वर्ष के दौरान जोड़ी गई/ प्रतिलेखन	11,11,00,000	10,56,54,000
- वर्ष के दौरान उपयोजित राशि	3,70,01,849	5,90,87,804
- अंतिम शेष	40,24,51,534	32,83,53,383
ग) अन्य	-	-
<b>योग</b>	<b>2,72,40,69,75,549</b>	<b>2,40,14,53,18,104</b>

(राशि ₹ में)

अनुसूची III: जमा	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
क) सावधि जमा राशियां	86,76,48,78,620	86,10,40,72,379
ख) बैंकों से		
क) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम पुनर्वित्त निधि के अंतर्गत	15,28,76,15,16,000	12,74,31,35,25,000
ख) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम जोखिम पूंजी निधि के अंतर्गत	-	5,00,00,00,000
ग) अन्य-विदेशी और निजी क्षेत्र के बैंकों से	19,84,10,00,000	7,93,64,00,000
घ) एमएसएमई भारत नवाकांक्षा निधि के अंतर्गत	14,99,40,70,001	10,43,02,77,520
ज) एमएसएमई क्षेत्र की उद्यम पूंजी निधि 2014-15 के अंतर्गत	-	25,00,00,00,000
<b>(ख) उप-योग</b>	<b>15,63,59,65,86,001</b>	<b>13,22,68,02,02,520</b>
<b>योग</b>	<b>16,50,36,14,64,621</b>	<b>14,08,78,42,74,899</b>



## तुलन-पत्र की अनुसूचियां

(राशि ₹ में)

अनुसूची IV: उधारियां	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
<b>I) भारत में उधारियां</b>		
1. भारतीय रिजर्व बैंक से	1,59,00,00,00,000	1,44,20,00,00,000
2. भारत सरकार से (भारत सरकार द्वारा अभिदत्त बॉण्ड सहित)	5,17,27,06,344	5,62,06,57,105
3. बॉण्ड एवं डिबेंचर	4,67,55,00,00,000	1,62,85,00,00,000
4. अन्य स्रोतों से		
- वाणिज्यिक पत्र	3,94,25,00,00,000	50,00,00,00,000
- जमाराशियों के प्रमाणपत्र	2,46,35,00,00,000	1,49,00,00,00,000
- बैंकों से लिए गए सावधि ऋण	5,86,43,95,28,678	1,68,89,90,51,099
- सावधि ऋण उधारियाँ	-	-
- अन्य	1,05,40,96,07,622	25,66,91,30,100
<b>उप-योग (I)</b>	<b>19,64,17,18,42,644</b>	<b>7,06,23,88,38,304</b>
<b>II) भारत से बाहर उधारियां</b>		
क) केएफडब्ल्यू जर्मनी	3,70,76,76,702	5,60,16,04,462
(ख) जापान इंटरनेशनल को-ऑपरेशन एजेंसी (जाइका)	10,79,57,17,856	14,92,77,01,680
(ग) आईएफएडी, रोम	1,05,46,39,489	1,05,67,31,387
(घ) विश्व बैंक	26,31,12,58,470	28,29,18,43,248
(ज) अन्य	53,80,68,387	1,00,76,48,118
<b>उप-योग (II)</b>	<b>42,40,73,60,905</b>	<b>50,88,55,28,895</b>
<b>योग (I &amp; II)</b>	<b>20,06,57,92,03,549</b>	<b>7,57,12,43,67,199</b>

(राशि ₹ में)

अनुसूची V: : अन्य देयताएं व प्रावधान:	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
उपचित ब्याज	27,67,89,02,900	15,72,51,17,292
सिडबी कर्मचारी भविष्य निधि के लिए प्रावधान	3,93,85,26,360	3,61,97,08,540
सिडबी पेंशन निधि के लिए प्रावधान	44,04,31,465	16,01,409
सिडबी कर्मचारी के अन्य हितलाभ के लिए प्रावधान	1,90,38,47,208	2,85,12,10,104
विदेशी मुद्रा दर उतार-चढ़ाव हेतु प्रावधान	1,53,73,62,766	1,53,73,62,766
मानक आस्तियों के लिए किए गए आकस्मिक प्रावधान	17,57,93,51,338	10,64,84,57,633
प्रस्तावित लाभांश (लाभांश पर कर सहित)	1,13,70,82,338	79,81,84,026
निधियाँ यथा आंकाक्षा निधि, स्टार्ट अप के लिए निधियों की निधि,	23,12,59,58,271	15,15,42,51,789
अस्थिर प्रावधान	4,95,67,37,932	4,95,67,37,932
अन्य (प्रावधान सहित)	6,49,59,94,832	6,74,74,97,200
<b>योग</b>	<b>88,79,41,95,410</b>	<b>62,04,01,28,691</b>

# तुलन-पत्र की अनुसूचियां

## आस्तियाँ

	(राशि ₹ में)	
अनुसूची VI: नकदी एवं बैंक अतिशेष	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
1. हाथ में नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक में अतिशेष	6,02,342	7,18,409
2. अन्य बैंकों में अतिशेष		
(क) भारत में		
i) चालू खातों में	6,25,83,58,601	91,24,22,715
ii) अन्य निक्षेप खातों में	1,12,07,41,43,932	1,75,01,86,87,955
(ख) भारत से बाहर		
i) चालू खातों में	4,89,40,573	1,63,27,034
ii) अन्य निक्षेप खातों में	2,70,61,56,932	3,23,49,51,606
<b>योग</b>	<b>1,21,08,82,02,380</b>	<b>1,79,18,31,07,719</b>

	(राशि ₹ में)	
अनुसूची VII: निवेश [प्रावधानों को घटाकर]	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
<b>क) राजकोषीय परिचालन</b>		
1. केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियाँ	1,48,12,97,19,214	39,90,00,85,004
2. बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बॉण्ड्स और डिबेंचर्स	21,81,08,38,302	31,31,54,82,382
3. औद्योगिक प्रतिष्ठानों के स्टॉक, शेयर, बॉण्ड्स और डिबेंचर्स	84,44,58,856	1,98,08,42,613
4. म्युचुअल फंड	-	19,99,90,00,050
5. वाणिज्यिक पत्र	26,05,26,90,303	50,04,99,24,399
6. जमा प्रमाणपत्र	62,98,61,30,050	56,46,67,59,624
7. अन्य	-	9,00,00,00,000
<b>उप- योग (क)</b>	<b>2,59,82,38,36,725</b>	<b>2,08,71,20,94,072</b>
<b>ख) व्यवसाय परिचालन</b>		
1. बैंकों और वित्तीय संस्थानों के शेयर	1,61,51,09,702	1,84,97,71,142
2. बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बॉण्ड्स और डिबेंचर्स	-	-
3. औद्योगिक प्रतिष्ठानों के स्टॉक, शेयर, बॉण्ड्स और डिबेंचर्स	5,34,48,59,563	3,82,86,98,845
4. सहायक संस्थाओं में निवेश	17,51,04,98,740	17,51,04,98,740
5. उद्यम पूंजी निधि में निवेश - आरसीएफ	5,24,72,57,872	6,31,40,45,945
6. अन्य	1,34,50,14,270	1,30,04,83,480
<b>उप-योग (ख)</b>	<b>31,06,27,40,147</b>	<b>30,80,34,98,152</b>
<b>योग (क+ख)</b>	<b>2,90,88,65,76,872</b>	<b>2,39,51,55,92,224</b>

	(राशि ₹ में)	
अनुसूची VIII: ऋण एवं अग्रिम [प्रावधान के बाद]	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
<b>क) निम्नलिखित को पुनर्वित्त</b>		
- बैंक एवं वित्तीय संस्थाएं	29,81,73,24,72,128	16,68,31,69,50,653
- अल्प वित्त संस्थाएं	48,99,64,96,339	31,17,68,62,498
- एनबीएफसी	3,34,14,66,70,997	1,79,35,18,01,997
- पुनर्भुनाए गए बिल	-	-
<b>उप- योग (क)</b>	<b>33,64,87,56,39,464</b>	<b>18,78,84,56,15,148</b>

## तुलन-पत्र की अनुसूचियां

(राशि ₹ में)

अनुसूची VIII: ऋण एवं अग्रिम [प्रावधान के बाद]	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
<b>ख) प्रत्यक्ष ऋण</b>		
- ऋण एवं अग्रिम	1,93,97,14,30,050	1,43,30,55,40,693
- प्राप्त वित्त योजना	9,23,64,439	3,07,84,956
- भुनाए गए बिल	5,45,12,46,393	33,59,06,742
<b>उप-योग (ख)</b>	<b>1,99,51,50,40,882</b>	<b>1,43,67,22,32,391</b>
<b>योग (क+ख)</b>	<b>35,64,39,06,80,346</b>	<b>20,22,51,78,47,539</b>

(राशि ₹ में)

अनुसूची IX: अचल आस्तिया [मूल्यहास के बाद निवल]	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
1. परिसर	2,92,87,49,254	2,89,84,36,991
2. अन्य	3,51,96,697	3,28,03,406
<b>योग</b>	<b>2,96,39,45,951</b>	<b>2,93,12,40,397</b>

(राशि ₹ में)

अनुसूची X: अन्य आस्तिया:	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
उपचित ब्याज	15,51,50,83,888	14,76,59,58,673
अग्रिम कर (प्रवाधान के बाद)	1,91,87,79,755	1,70,86,89,498
स्टाफ ऋण	1,95,26,21,807	1,79,12,15,676
व्युत्पन्न आस्तियां	5,41,20,83,018	4,29,61,53,456
व्यय जिस सीमा तक बढ़े खाते में नहीं डाला गया है	17,27,27,73,419	6,61,38,10,576
अन्य	2,42,65,03,383	46,33,40,410
<b>योग</b>	<b>44,49,78,45,270</b>	<b>29,63,91,68,289</b>

(राशि ₹ में)

अनुसूची XI: आकस्मिक देयताएं	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
i) बैंक पर वे दावे, जिन्हें ऋण नहीं माना गया है	9,64,85,12,907	6,56,25,72,519
ii) गारंटियों / साख-पत्रों के फलस्वरूप	42,97,75,967	31,50,24,390
iii) वायदा संविदाओं के फलस्वरूप	16,78,26,751	6,51,81,80,889
iv) हामीदारी प्रतिबद्धताओं के फलस्वरूप	-	-
v) आंशिक रूप से चुकता शेयरों, डिबेंचरों पर न मांगी गई राशियों, वीसीएफ के तहत आहरित नहीं की गई प्रतिबद्धता इत्यादि के फलस्वरूप	1,27,42,87,728	95,64,22,740
vi) व्युत्पन्नी संविदाओं के लिए	33,61,40,07,657	39,02,68,26,759
vii) अन्य मर्दे, जिनके लिए बैंक की आकस्मिक देयता है (व्युत्पन्नी संविदाएँ इत्यादि)	-	-
<b>योग</b>	<b>45,13,44,11,010</b>	<b>53,37,90,27,297</b>

## लाभहानि लेखे की अनुसूचियां

(राशि ₹ मे)

अनुसूची XII: ब्याज एवं बट्टा	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
1. ऋणों अग्रिमों और बिलों पर ब्याज और बट्टा	1,51,72,88,51,545	74,74,57,32,819
2. निवेशों / बैंक अधिशेषों पर आय	27,80,65,44,627	12,39,54,94,161
<b>योग</b>	<b>1,79,53,53,96,172</b>	<b>87,14,12,26,980</b>

(राशि ₹ मे)

अनुसूची XIII: अन्य आय	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
1. अग्रिम देय एवं संसाधन शुल्क	78,08,41,042	45,49,25,710
2. कमीशन एवं दलाली	1,09,30,972	78,19,049
3. निवेशों की बिक्री पर लाभ	44,63,03,402	70,43,74,178
4. सहयोगी / सहायक संस्थाओं से लाभांश आदि के माध्यम से अर्जित आय	27,14,88,889	28,62,08,148
5. पिछले वर्षों के पुनरांकन का प्रावधान	-	-
6. अशोध्य ऋणों से की गई वसूलियां	2,86,91,76,097	2,03,12,69,846
7. प्रावधानों का व्युत्क्रमण/एफसीएल के अंतर्गत ईआरएफएफ	-	-
8. अन्य	93,40,41,398	76,60,02,140
<b>योग</b>	<b>5,31,27,81,800</b>	<b>4,25,05,99,071</b>

(राशि ₹ मे)

अनुसूची XIV: परिचालन व्यय :	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
कर्मचारियों के लिए किये गए भुगतान और प्रावधान	5,06,67,84,567	3,69,97,48,021
किराया, कर और बिजली	18,17,03,219	15,78,39,382
मुद्रण एवं स्टेशनरी, डाक/ कोरियर एवं टेली एवं बीमा	2,10,30,252	1,33,07,053
विज्ञापन और प्रचार	11,47,42,304	3,14,36,689
बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास / ऋण-परिशोधन	26,23,28,294	36,18,71,759
निदेशक शुल्क, परिलब्धियाँ एवं व्यय	81,12,867	42,12,767
लेखा परीक्षक शुल्क	32,92,016	44,59,176
विधि प्रभार	2,97,91,239	2,31,71,360
मरम्मत और रखरखाव	27,60,81,381	12,04,79,601
निर्गम व्यय	5,60,22,041	1,21,01,863
पूँजी प्रतिबद्धता, प्रबंध शुल्क आदि	19,79,10,602	8,09,48,867
अनुपलब्ध निविष्टि कर	19,19,22,592	10,30,52,881
अन्य व्यय	1,82,56,08,261	2,36,45,86,340
<b>योग</b>	<b>8,23,53,29,635</b>	<b>6,97,72,15,759</b>

## अनुसूची XV - महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

### 1. तैयार करने के आधार

वित्तीय विवरण सभी महत्वपूर्ण दृष्टियों से भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 तथा उसके विनियमों, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदण्डों, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा लागू जारी लेखा मानकों और बैंकिंग उद्योग में प्रचलित पद्धतियों के अनुपालन में तैयार किए गए हैं। जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत पद्धति के अंतर्गत उपचय आधार पर तैयार किए गए हैं। जब तक कि अन्यथा उल्लिखित न हो, बैंक द्वारा लागू की गई लेखा-नीतियाँ पिछले वर्ष प्रयोग की गई नीतियों के अनुरूप हैं।

#### आकलनों का उपयोग:

आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धान्तों की अनुरूपता में वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन से अपेक्षित होता है कि वह ऐसे आकलन और अनुमान करें, जो वित्तीय विवरण की तारीख में आस्तियों और देयताओं की रिपोर्ट की गई राशियों, आकस्मिक देयताओं के प्रकटन और रिपोर्ट की अवधि में रिपोर्ट की गई आय और व्यय की राशियों को प्रभावित करते हैं। प्रबंधन का मानना है कि ये अनुमान और मान्यताएँ उचित और विवेकपूर्ण हैं। हालांकि वास्तविक परिणाम उक्त अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लेखा अनुमानों में किसी संशोधन का निर्धारण संबंधित लेखा-मानक की अपेक्षाओं के अनुरूप वर्तमान और भविष्य की अवधि में भावी रूप से किया जाता है।

### 2. राजस्व निर्धारण:

बैंक को जो भी संभावित आर्थिक लाभ से राजस्व मिलेगा उसका निर्धारण किया गया है और राजस्व को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

क) आय:

- दण्डात्मक ब्याज सहित ब्याज आय को उपचय आधार पर हिसाब में लिया गया है, सिवाय अनर्जक आस्तियों के मामलों के जहाँ उसे वसूली के बाद हिसाब में लिया गया है।
- लाभ और हानि लेखा में आय, सकल रूप में अर्थात् भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधानों तथा बैंक की आंतरिक नीति के अनुसार दर्शायी गई है।
- बिलों की भुनाई/ पुनर्भुनाई तथा लिखतों की भुनाई को लिखतों की मीयाद के अनुसार निरंतर प्रतिलाभ आधार पर निर्धारित किया गया है।
- मानक (अर्जक) आस्तियों के संबंध में वचनबद्धता प्रभार, बीज पूंजी/सुलभ ऋण सहायता पर सेवा-प्रभार और रॉयल्टी आय को उपचय आधार पर हिसाब में लिया गया है।
- औद्योगिक प्रतिष्ठानों और वित्तीय संस्थाओं में धारित शेयरों पर जब लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होता है तो लाभांश को वसूली के पश्चात आय माना गया है।

- उद्यम पूंजी निधियों से आय को वसूली आधार पर हिसाब में लिया गया है। उद्यम पूंजी निधि में यूनिट/ शेयरों के मोचन को एच टी एम श्रेणी में बिक्री के रूप में नहीं माना जाता।
  - अनर्जक आस्तियों की वसूली को निम्नलिखित क्रम से विनियोजित किया गया है:
    - अनर्जक आस्ति बनने की तारीख तक अतिदेय ब्याज,
    - मूलधन,
    - लागत व प्रभार
    - ब्याज एवं
    - दंडात्मक ब्याज
  - ऋणों एवं अग्रिमों की बिक्री पर प्रत्यक्ष समनुदेशन से हुए लाभ/हानि को भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रचलित दिशानिर्देशों के अनुसार हिसाब में लिया गया है।
  - पहले वर्षों में बड़े खाते में डाले गए ऋणों के संदर्भ में प्राप्त राशियों को लाभ हानि लेखे में आय के रूप में लिया गया है।
  - किसी भी श्रेणी के निवेशों की बिक्री से लाभ या हानि को लाभ-हानि लेखा में ले जाया गया है। तथापि 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के निवेशों की बिक्री पर लाभ के मामले में, लागू करों के समतुल्य राशि को पूंजी आरक्षित खाते में विनियोजित कर दिया गया है।
  - सात साल से अधिक की अवधि के लिए दावा न किए गए देनदारियों (सांविधिक देनदारियों के अलावा) के रूप में पड़ी राशि को आय के रूप में लिया गया है।
  - बैंक द्वारा आयकर विभाग से जारी किए गए ऐसे रिफंड आदेश / आदेश देने वाले प्रभावों की प्राप्ति पर आयकर रिफंड पर ब्याज को हिसाब में लिया गया है।
  - उधारकर्ताओं से सीजीटीएमएसई शुल्क, मूल्यांकन शुल्क, अधिवक्ता शुल्क, बीमा इत्यादि की वसूली नकद आधार पर की जाती है।
  - एलसी/बीजी पर कमीशन को अवधि के दौरान उपचय आधार पर आनुपातिक रूप से हिसाब में लिया गया है।
- ख) व्यय:
- विकास व्यय को छोड़कर शेष सभी व्यय उपचय आधार पर हिसाब में लिए गए हैं। विकास व्यय को नकद आधार पर हिसाब में लिया गया है।
  - जारी किए गए बाँडों और वाणिज्यिक पत्रों पर बड़े को बाँडों और वाणिज्यिक पत्रों की मीयाद के अनुसार परिशोधित कर दिया गया है। बाँड जारी करने संबंधी व्ययों को बाँडों की मीयाद के अनुसार परिशोधित कर दिया गया है।

### 3. निवेश:

- भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, संपूर्ण निवेश संविभाग को 'परिपक्वता तक



धारित', 'बिक्री हेतु उपलब्ध' तथा 'व्यापार हेतु धारित' की श्रेणियों में संवर्गीकरण कर दिया गया है। निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है। प्रत्येक श्रेणी के निवेशों को पुनः निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया गया है:

क) सरकारी प्रतिभूतियाँ,

ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ

ग) शेयर

घ) डिबेंचर तथा बाण्ड

ङ) सहायक संस्थाएँ/संयुक्त उपक्रम और

च) अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंड यूनिट, प्रतिभूति पावतियाँ, जमा प्रमाणपत्र आदि)

क) परिपक्वता तक धारित:

परिपक्वता तक बनाए रखने के उद्देश्य से किए गए निवेशों को 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। ऐसे निवेशों को अर्जन लागत पर दर्शाया गया है, बशर्ते वह अंकित मूल्य से अधिक न हो। ऐसा होने पर परिपक्वता तक धारित के रूप में वर्गीकृत सहायक कंपनियों में निवेश प्रीमियम को परिपक्वता की शेष अवधि में परिशोधित कर दिया गया है।

इस श्रेणी के तहत निवेश के मूल्य में अस्थायी के अलावा अन्य कमी, प्रत्येक निवेश के संबंध में अलग-अलग प्रावधान किया गया है।

ख) व्यापार हेतु धारित:

अल्पावधि मूल्य/ब्याज-दर परिवर्तन का लाभ उठाते हुए 90 दिनों में पुनः बेचने के इरादे से किए गए निवेशों को 'व्यापार हेतु धारित' श्रेणी में रखा गया है। इस वर्ग के निवेशों का समय रूप से स्क्रिप अनुसार पुनर्मूल्यांकन किया गया है और निवल मूल्यवद्धि / मूल्यहास को अलग-अलग स्क्रिपों के बही-मूल्य में तत्संगत परिवर्तन करते हुए लाभहानि लेखा में हिसाब में लिया गया है।

व्यापार / उद्धृत निवेश के संबंध में, बाजार मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों पर उपलब्ध ट्रेडों / उद्धरणों से लिया गया है।

ग) बिक्री हेतु उपलब्ध:

उपर्युक्त दो श्रेणियों के अंतर्गत न आनेवाले निवेशों को 'बिक्री हेतु उपलब्ध' श्रेणी में रखा गया है। इस श्रेणी के अंतर्गत अलग-अलग स्क्रिपों का पुनर्मूल्यांकन किया गया है और उक्त वर्गीकरण में से किसी के भी अंतर्गत हुए निवल मूल्यहास को लाभ और हानि लेखे में हिसाब में लिया गया है। किसी भी वर्गीकरण के अंतर्गत निवल मूल्यवद्धि को नज़रअंदाज कर दिया गया है। अलग-अलग स्क्रिपों के बही-मूल्य में पुनर्मूल्यांकन के बाद

परिवर्तन नहीं किया गया है।

- (ii) कोई निवेश परिपक्वता के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत है, या बिक्री के लिए उपलब्ध है या इसकी खरीद के समय व्यापार के लिए धारित है तथा बाद में इसकी श्रेणियों में अंतरण और उसका मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाता है।
- (iii) ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र और जमा प्रमाणपत्र, बट्टा वाले लिखत हैं, लागत मूल्य पर इनका मूल्यांकन किया जाता है।
- (iv) उद्धृत सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन बाजार मूल्यों पर किया जाता है और जो सरकारी प्रतिभूतियाँ उद्धृत नहीं हैं/ जिनका व्यापार नहीं हो रहा है उनका मूल्य निर्धारण वित्तीय बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा घोषित मूल्यों पर किया जाता है।
- (v) निवेश जो भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए कॉर्पस या निधि से बने होते हैं और संबंधित निधि शेष से बेची हुई निधि का मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुरूप नहीं अपितु उसकी लागत पर होता है।
- (vi) निवेशों में खरीद और बिक्री की प्रविष्टि 'निपटान तारीख' का पालन करते हुए की गई है।
- (vii) जो डिबेंचर/बाण्ड/शेयर अग्रिम की प्रवृत्ति के माने गए हैं, वे ऋण और अग्रिमों पर लागू सामान्य विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन हैं।
- (viii) निवेशों की लागत भारत औसत लागत पद्धति से निर्धारित की गई है।
- (ix) अभिग्रहण/बिक्री के समय अदा की गई दलाली, कमीशन आदि को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया गया है।
- (x) ऋण-निवेश में प्रदत्त/प्राप्त खंडित अवधि- ब्याज को ब्याज व्यय/आय माना गया है और उसे लागत/बिक्री-राशि से अलग रखा गया है।
- (xi) बीज पूंजी योजना के अंतर्गत औद्योगिक प्रतिष्ठानों में सूची से इतर निवेशों के संबंध में पूर्ण प्रावधान किया गया है।
- (xii) भारतीय रिजर्व बैंक के संगत दिशानिर्देशों के अनुसार म्यूचुअल फंड की इकाइयों को उनकी पुनर्खरीद मूल्य पर मूल्यांकित किया गया है।
- (xiii) उद्धृत न की गई निश्चित आय वाली प्रतिभूतियों (सरकारी प्रतिभूतियों के अलावा) का मूल्यांकन केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के समान परिपक्वता अवधि पर प्रतिलाभ की दर से उपयुक्त मार्क-अप के आधार पर किया गया है। एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित संगत दरों के अनुसार परिपक्वता अवधि पर प्रतिलाभ की दर और इस तरह के मार्क-अप को लागू किया गया है।
- (xiv) गैर-उद्धृत शेयरों का मूल्यांकन खंडित मूल्य पर किया गया है, यदि निवेशिती कंपनियों के नवीनतम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण उपलब्ध हैं, या भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ₹1/- प्रति कंपनी का मूल्य रखा गया।

#### 4. विदेशी मुद्रा संव्यवहार:

विदेशी मुद्रा संव्यवहारों को लेखा-बहियों में संबंधित विदेशी मुद्रा में संव्यवहार के दिन लागू विनिमय दरों पर दर्ज किया गया है। विदेशी मुद्रा संव्यवहार का लेखांकन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस)-11 के अनुसार निम्नलिखित उपबंधों के अनुरूप किया गया है:

- बकाया अग्रेशन विनिमय अनुबंधों के संबंध में आकस्मिक देयता की गणना विनिमय की अनुबंधित दरों पर की जाती है और गारंटी, स्वीकृतियाँ, पृष्ठांकनों एवं अन्य देयताओं के संबंध में गणना फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (फेडाइ) द्वारा अधिसूचित बंद विनिमय दरों पर की जाती है।
- विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं को फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (फेडाइ) द्वारा तुलन-पत्र की तारीख में प्रभावी अधिसूचित अन्तिम विदेशी मुद्रा-दर में परिवर्तित किया गया है।
- विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय मदों को वास्तविक बिक्री/खरीद के माध्यम से मासिक अन्तरालों पर परिवर्तित किया जाता है और उन्हें तदनुसार लाभ-हानि खाते में हिसाब में लिया गया है।
- विदेशी मुद्रा जोखिम के प्रबंधन हेतु विदेशी मुद्रा ऋणव्यवस्था पर पुनर्मूल्यांकन अन्तर को भारत सरकार के परामर्श से खोले गए एक विशेष खाते में समायोजित और रिकॉर्ड किया जाता है।
- व्युत्पन्नी संव्यवहारों के संबंध में बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार बचाव (हेज) लेखांकन का अनुसरण करता है।
- मौद्रिक वस्तुओं के निपटान पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर को उस अवधि में आय या व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।
- बकाया फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स जो ट्रेडिंग के लिए अभिप्रेत नहीं हैं, वे फेडाई द्वारा अधिसूचित दरों पर पुनर्मूल्यांकित किये जाते हैं।

#### 5. व्युत्पन्नियां

बैंक अपनी विदेशी मुद्रा देयताओं के बचाव के लिए वर्तमान में मुद्रा व्युत्पन्नी संव्यवहारों जैसे अंतर-मुद्रा ब्याज-दर विनिमय में व्यवहार करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार बचाव के उद्देश्य से किए गए उक्त व्युत्पन्नी संव्यवहारों को उपचय आधार पर हिसाब में लिया जाता है। अनुबंधित रुपया राशि पर व्युत्पन्नी संव्यवहार अनुबंधों पर आधारित देयताओं को तुलन-पत्र की तारीख पर रिपोर्ट किया गया है।

#### 6. ऋण एवं अग्रिम:

- ऋण तथा अन्य सहायता संविभागों का प्रतिनिधित्व करने वाली आस्तियों को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार अर्जक और अनर्जक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अनर्जक आस्तियों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रावधान किया गया है।
- तुलन-पत्र में उल्लिखित अग्रिम, अनर्जक अग्रिमों व पुनर्संचित अनर्जक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधानों को घटाकर है।

- मानक आस्तियों के संबंध में सामान्य प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार किए गए हैं।
- चल प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार किए और उपयोग में लाए गए हैं।

#### 7. कराधान

- कर संबंधी व्यय में वर्तमान कर और आस्थगित कर, दोनों शामिल हैं। वर्तमान आयकर की गणना आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार आयकर प्राधिकारियों को अदा की जानेवाली संभावित राशि के और आय परिकलन प्रकटीकरण मानकों के आधार पर की जाती है।
- आस्थगित आयकर, वर्ष की कर-योग्य आय तथा लेखांकन आय के मध्य वर्तमान वर्ष के समयांतराल और पूर्ववर्ती वर्षों के समयांतराल के प्रत्यावर्तन के प्रभाव को दर्शाता है। आस्थगित कर की गणना तुलन-पत्र की तारीख तक अधिनियम अथवा यथेष्ट रूप में अधिनियमित कर-कानूनों और कर की दरों के आधार पर की गई है।
- आस्थगित कर आस्तियाँ केवल उस सीमा तक निर्धारित की गई हैं, जिस सीमा तक यह समुचित विश्वास है कि भविष्य में पर्याप्त कर-योग्य आय होगी, जिसके प्रति ऐसे आस्थगित कर की वसूली हो सकती है। पूर्ववर्ती वर्षों की अनिर्धारित आस्थगित आस्तियों का उस सीमा तक पुनर्मूल्यांकन और निर्धारण किया गया है, जिस सीमा तक यह समुचित विश्वास है कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय होगी, जिसके प्रति ऐसी आस्थगित कर आस्तियों की वसूली हो सकती है।
- जो प्रावधान न किए गए विवादित कर हैं, जिसमें विभागीय अपील भी शामिल है, उन्हें आकस्मिक देयता में लिया गया है।

#### 8. प्रतिभूतीकरण:

- बैंक ऋण रेटिंग-युक्त सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम आस्ति-समूहों को बैंकों गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से विशेष प्रयोजन संस्था द्वारा जारी पास-श्रु-प्रमाणपत्रों के ज़रिए खरीदता है। इस प्रकार के प्रतिभूतीकरण संव्यवहार निवेश के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं और निवेश के उद्देश्य के आधार पर उनका आगे वर्गीकरण व्यापार हेतु धारित/विक्रय हेतु उपलब्ध के रूप में किया जाता है।
- बैंक द्विपक्षीय सीधे समनुदेशक के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के श्रेणीनिर्धारित आस्ति-समूह खरीदता है। ऐसे सीधे समनुदेशन संव्यवहारों को बैंक द्वारा 'अग्रिम' के रूप में लेखांकित किया जाता है।
- बैंक सीधे समनुदेशन द्वारा ऋण एवं अग्रिम की बिक्री करता है। अधिकतर मामलों में बैंक इन संव्यवहारों के अंतर्गत बेचे गए ऋण एवं अग्रिम की चुकौती करना जारी रखता है तथा बेचे गए ऋण एवं अग्रिम पर अवशेष ब्याज का हकदार होता है। आस्तियों पर नियंत्रण के समर्पण के सिद्धान्त के आधार पर सीधे समनुदेशन के अंतर्गत बेची गई आस्तियों को बैंक की बहियों के हिसाब से निकाल दिया जाता है।
- बेचे गए ऋणों एवं अग्रिमों पर अवशेष आय को अंतर्निहित ऋणों एवं अग्रिमों के जीवनकाल के अनुसार हिसाब में लिया जा रहा है।

- v. आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति प्राप्ति को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित ऐसे लिखतों पर लागू दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यांकित किया जाता है।

#### 9. आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) को वित्तीय आस्तियों की बिक्री:

- i. अनर्जक आस्तियों की बिक्री नकद आधार पर अथवा प्रतिभूति प्राप्ति (एसआर) में निवेश आधार पर की जाती है। एसआर आधार पर बिक्री के मामले में, बिक्री प्रतिफल अथवा उसके भाग को प्रतिभूति-प्राप्ति के रूप में निवेश समझा जाता है।
- ii. यदि आस्ति की बिक्री निवल बही मूल्य (अर्थात बही-मूल्य में से धारित प्रावधान हटाने पर प्राप्त मूल्य) से कम पर कर दी जाती है, तो कमी को लाभ-हानि लेखा के नामे किया जाता है। यदि बिक्री मूल्य निवल बही मूल्य से अधिक है, तो धारित बेशी प्रावधान को उस वर्ष लाभ-हानि लेखे में प्रतिवर्तित किया जा सकता है, जिस वर्ष राशि प्राप्त हुई हो। बेशी प्रावधान का प्रतिवर्तन उस प्राप्त राशि तक सीमित होता है, जो आस्ति के निवल बही मूल्य से अधिक हो।

#### 10. स्टाफ के हितार्थ प्रावधान

- क) सेवानिवृत्ति पश्चात लाभ:
- i. भविष्य निधि बैंक द्वारा चलाई जा रही एक निश्चित अंशदायी योजना है और उसमें किए गए अंशदान लाभ-हानि लेखे पर प्रभारित होते हैं।
- ii. ग्रैच्युटी देयता तथा पेंशन देयता निश्चित लाभ दायित्व हैं और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ, जैसे-क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियाँ, सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ, छुट्टी किराया रियायत आदि का प्रावधान स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर तुलन-पत्र की तारीख पर किया जाता है, जो एएस 15 (यथोसंशोधित 2005)- कर्मचारी लाभ के अनुसार अनुमानित इकाई जमा पद्धति पर आधारित होता है।
- iii. बीमांकिक लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में उस अवधि के लिए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर चिन्हित कर दर्ज किए जाते हैं।
- iv. नई पेंशन योजना निश्चित अंशदान वाली योजना है। यह उन कर्मचारियों पर लागू है, जो 1 दिसंबर 2011 या उसके बाद बैंक की सेवा में आए हैं। बैंक पूर्व-निर्धारित दर पर निश्चित अंशदान करता है और बैंक का दायित्व उक्त निश्चित अंशदान तक सीमित है। यह अंशदान लाभ-हानि खाते में भारत होता है।
- v. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत किए गए भुगतान का व्यय जिस वर्ष होता है, उसी वर्ष के लाभ-हानि लेखे में उसे प्रभारित किया जाता है।

- ख) सेवा-कालिक (अल्पाविधि) लाभ:

अल्पाविधि लाभों से उत्पन्न देयता का निर्धारण गैर-बढ़ाकृत आधार पर होता है और उस सेवा अवधि के

संबंध में होता है, जिसके कारण कर्मचारी ऐसे लाभ का हकदार बनता है।

#### 11. स्थिर आस्तियाँ और मूल्यहास

- i) स्थिर आस्तियाँ अभिग्रहण की लागत में से संचित मूल्यहास और क्षति (यदि हो) को घटाकर दर्शाई गई हैं।
- ii) आस्ति की लागत में खरीद लागत और उपयोग करने से पहले आस्ति पर किए गए सभी व्यय शामिल हैं। उपयोग में रखी गई आस्तियों पर किए गए बाद के व्यय केवल तभी पूंजीकृत होंगे जब इन आस्तियों या उनकी कार्यशील क्षमता से भविष्य का लाभ बढ़ता है।
- iii) पूरे वर्ष के लिए मूल्यहास का प्रावधान निम्नवत् किया गया है, चाहे पूंजीकरण की तारीख जो भी हो:
- क) फर्नीचर और फिक्स्चर: बैंक के स्वामित्व वाली आस्तियाँ- 100 प्रतिशत की दर से
- ख) कम्प्यूटर तथा कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर- 100 प्रतिशत की दर से
- ग) भवन-मूल्यहासित मूल्य पद्धति पर- 5 प्रतिशत की दर से
- घ) विद्युत संस्थापनाएं: बैंक के स्वामित्व वाली आस्तियाँ- मूल्यहासित मूल्य-पद्धति पर- 50 प्रतिशत की दर से
- ङ) मोटर कार- सीधी रेखा पद्धति- 50 प्रतिशत की दर से
- iv) वस्तुओं के जुड़ाव पर मूल्यहास का प्रावधान पूरे वर्ष के लिए होता है, किन्तु बिक्री/निस्तारण के वर्ष के लिए मूल्यहास नहीं होता।
- v) पट्टाधारित भूमि का परिशोधन पट्टे की अवधि-पर्यन्त किया जाता है।

#### 12. आकस्मिक देयताओं हेतु प्रावधान और आकस्मिक आस्तियाँ

एएस-29 प्रावधानों के अनुसार आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियों को बैंक चिन्हीकृत और जब पिछली घटनाओं के फलस्वरूप कोई वर्तमान दायित्व बनता है, संसाधनों के व्यय की संभावना रहती है और दायित्व की राशि के विषय में विश्वसनीय अनुमान किया जा सकता है, तब गणना में पर्याप्त सीमा तक अनुमान करते हुए प्रावधान किए जाते हैं। वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों का न तो निर्धारण होता है, न ही प्रकटन। आकस्मिक देयताओं हेतु प्रावधान नहीं किया जाता और तुलन-पत्र में उनका प्रकटन होता है तथा विवरण तुलन-पत्र की अनुसूचियों में दिए जाते हैं। आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों के प्रावधानों की प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को समीक्षा की जाती है।

#### 13. अनुदान एवं सब्सिडी

सरकार तथा अन्य एजेंसियों से प्राप्त अनुदान एवं सब्सिडी का लेखांकन करार की शर्तों के अनुसार किया जाता है।

**14. परिचालनगत पट्टा**

पट्टा संबंधी किराए को एएस-19 के अनुसार पट्टे के अवधि में सीधी रेखा आधार पर लाभ और हानि लेखे में व्यय/आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है।

**15. आस्तियों की क्षति**

प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को आस्तियों की रख-रखाव राशियों की समीक्षा की जाती है, ताकि आंतरिक व बाह्य कारणों के आधार पर किसी क्षति का संकेत हो तो निम्नलिखित का निर्धारण किया जा सके :

क) क्षति- हानि (यदि कोई हो) हेतु अपेक्षित प्रावधान, अथवा

ख) पूर्ववर्ती अवधि में चिह्नित क्षति (यदि कोई हो) हेतु अपेक्षित प्रत्यावर्तन-निर्धारण

यदि किसी आस्ति की रख-रखाव राशि वसूली योग्य राशि से अधिक होती है तो क्षति-हानि का निर्धारण किया जाता है।

**16. नकदी और नकदी समतुल्यः**

नकदी प्रवाह विवरण के उद्देश्य से नकदी और नकदी समतुल्यों में हाथ में रोकड़, भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष, अन्य बैंकों में शेष तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि व म्युचुअल फंड में ऐसा निवेश शामिल होता है, जिसकी मूल परिपक्वता अवधि तीन माह या कम की हो

**अनुसूची XVI - लेखे की टिप्पणियाँ****1 इंड ए एस का कार्यान्वयन:**

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 15 मई, 2019 को बैंकों को जारी पत्र के अनुसार अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (एआईएफआई) के लिए इंड-एएस के कार्यान्वयन को अगली सूचना तक स्थगित कर दिया गया है। तदनुसार, बैंक के वित्तीय विवरण आईजीएएपी के तहत तैयार किए जाते हैं। तथापि, बैंक भा.रि. बैंक को अर्धवार्षिक आधार पर प्रोफार्मा इंड-एएस के रूप में वित्तीय विवरण पहले की तरह प्रस्तुत करना जारी रखेगा जैसाकि भा.रि. बैंक के 15 मई, 2019 के पत्र में सूचित किया गया है। वर्तमान में, सिडबी आईजीएएपी वित्तीय विवरणियों को इंड-एएस वित्तीय विवरणियों में रूपांतरित करने के लिए एक्सेल-शीट का उपयोग कर रहा है।

2.1 लेखांकन मानक 22 के अनुसार, आय पर कर के लिए लेखांकन की अपेक्षाओं के अनुसार, बैंक ने आस्थगित कर आस्तियों / देयताओं की समीक्षा की है और 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखे में आस्थगित कर आस्ति के रूप में ₹1,86,00,74,573 की राशि को मान्यता दी है (पिछले वर्ष - आस्थगित कर आस्ति ₹18,65,33,000 थी)।

**2.2 31 मार्च, 2023 को आस्थगित कर आस्तियों/(देयताओं) के अलग-अलग आँकड़ें:**

(राशि ₹ में)

समय-अंतर	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
	आस्थगित कर आस्ति/(देयता)	आस्थगित कर आस्ति/(देयता)
क) मूल्यहास के लिए प्रावधान	2,96,73,234	2,79,20,651
ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि	(4,07,64,80,346)	(3,87,65,37,167)
ग) अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	6,23,93,197	45,75,76,825
घ) खातों की पुनर्संरचना के लिए प्रावधान	60,105	30,66,284
ड) गैर-निष्पादक निवेशों के लिए प्रावधान	83,40,09,746	-
च) मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	4,42,43,69,221	2,68,00,01,893
प) अन्य	57,85,93,831	70,05,16,219
<b>निवल आस्थगित कर आस्ति/(देयता)</b>	<b>1,85,26,18,988</b>	<b>(74,55,295)</b>

**3 आयकर के प्रावधान में निम्नलिखित शामिल है:**

(राशि ₹ में)

क्र.सं. विवरण	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
(i) वर्तमान आयकर प्रावधान	12,39,91,57,313	4,11,57,81,000
(ii) पिछले वर्षों का कम/(अधिक) आयकर प्रावधान	-	-

कर देयता की जाँच कर-परामर्शदाता द्वारा की गई है

**4 अनुसूची XI में उल्लेख की गई आकस्मिक देयताएं**

आकस्मिक देयताओं में ₹9,64,85,12,907 (पिछले वर्ष ₹6,56,25,72,519) के “बैंक के खिलाफ दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया” शामिल हैं। ये वर्तमान में चल रहे विभिन्न कानूनी मामलों और आयकर और अन्य वैधानिक अधिकारियों द्वारा उठाई गई मांगों से संबंधित व्यवसाय के सामान्य अवधि में बैंक के विरुद्ध दायर दावों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन पर बैंक द्वारा विवाद किया जा रहा है और विशेषज्ञ की राय के आधार पर प्रावधान को आवश्यक नहीं माना गया है।

**5 'अनुसूची IV में उधारियों के अंतर्गत 'बॉण्ड व डिबेंचर' में निम्नलिखित शामिल हैं' :**

(राशि ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
क) अप्रतिभूत बांड	4,67,55,00,00,000	1,62,85,00,00,000

**6 अनुसूची x में अन्य आस्तियों के अंतर्गत 'व्यय, जहाँ तक बड़े खाते में नहीं डाले गए' में निम्नलिखित शामिल हैं:**

(राशि ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
क) उधार पर अग्रिम भुगतान किया गया ब्याज	-	59,83,56,164
ख) अग्रिम रूप से अदा किया गया बढ़ा - जमा पत्र	11,22,78,31,482	5,65,04,43,605
क) अग्रिम रूप से अदा किया गया बढ़ा - वाणिज्य पत्र	6,02,69,13,232	35,82,12,235
घ) अप्रतिभूत बॉण्ड जारी करने पर व्यय	1,80,28,705	67,98,571
<b>योग</b>	<b>17,27,27,73,419</b>	<b>6,61,38,10,575</b>

**7 ब्याज व वित्तीय प्रभार**

(राशि ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
क) उधारियों पर ब्याज	68,47,97,90,498	12,20,11,85,354
ख) जमा पर ब्याज	53,28,58,38,256	41,39,59,35,526
क) वित्तीय प्रभार	2,29,09,87,705	3,41,91,70,686
<b>योग</b>	<b>1,24,05,66,16,459</b>	<b>57,01,62,91,566</b>

(राशि ₹ में)

	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
गैर प्रावधान किए गए पूंजी लेखा पर निष्पादित किए जाने के लिए शेष संविदाओं की अनुमानित राशि (प्रदत्त अग्रिम को छोड़कर)	73,41,057	1,89,87,686

**9 अनुसूची IX में परिसर के अंतर्गत परिसर की अधिप्राप्ति के प्रति ₹11,06,68,896 (गत वर्ष ₹11,06,68,896) का अग्रिम तथा निर्माणाधीन पूंजी कार्य के प्रति ₹1,63,402,411.58 (गत वर्ष ₹1,10,66,907) की राशि शामिल है। परिसर की अधिप्राप्ति के प्रति ₹11,06,68,896 का अग्रिम कार्यालय परिसर की अधिप्राप्ति के लिए अदा किया गया था, जिससे संबंधित प्रस्ताव बाद में परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब के कारण निरस्त कर दिया गया। बैंक संबंधित एजेंसी से उक्त राशि की वापसी के लिए पत्राचार कर रहा है। मामला राज्य सरकार के संबंधित विभाग के साथ उठाया गया है, तथापि, वित्त वर्ष 2020 में इस राशि के प्रति ₹11,06,68,896 के संपूर्ण राशि का प्रावधान किया गया है। .**

**10 जाइका iv ऋण के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त ₹43,60,88,890 (पिछले वर्ष ₹87,21,77,772) के उधार को तुलन पत्र में 'अनुसूची IV - उधारियों' में अपने ऐतिहासिक रूप मूल्य में अग्रणीत किया गया है क्योंकि करार के अंतर्गत सिडबी को मूलधन चुकोती की देयता रूप में ऋण और इस ऋण के लिए रखे गए ईआरएफएफ के शेष योग से अधिक होने की अपेक्षा नहीं है। इसी ईआरएफएफ खाते में 8% पर लागू ब्याज जमा किया जाता है और जेपीवाई में देय ब्याज (रूप में मुद्रा विनिमय के उपरांत समतुल्य राशि) में देय ब्याज इस खाते से नामे किया जाता है। इस ऋण के लिए रखे गए ईआरएफएफ में 31 मार्च, 2023 को शेष राशि ₹12,80,09,250 (पिछले वर्ष ₹55,46,12,637) है।**



- 11 दीर्घकालिक और उत्तरदायित्व पूर्ण अल्प वित्त परियोजना को बड़े पैमाने पर चलाने के लिए बैंक ने विश्व बैंक से 300 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण व्यवस्था की संविदा की, इसमें 65.9 मिलियन एसडीआर (100 मिलियन अमरीकी डालर के समतुल्य ) का आईडीए का हिस्सा भी शामिल है। आईडीए ऋण व्यवस्था के तहत, भारत सरकार उधारकर्ता है और भारत सरकार सिडबी को रुपए में ऋण देती है, यद्यपि करार की शर्तों के अनुरूप विनिमय जोखिम का वहन सिडबी द्वारा किया जाना अपेक्षित है। इस प्रकार, हालांकि भारत सरकार ने सिडबी को रुपए में निधि जारी की है, इसे सिडबी के खातों में सही स्थिति दर्शाने के लिए एसडीआर देयता के रूप में दर्ज किया गया ताकि वर्ष के अंत में आंकड़ों में पुनर्मूल्यांकन अंतर उपयुक्त रूप से परिलक्षित हो। तदनुसार, उक्त ऋण व्यवस्था के अंतर्गत 31 मार्च 2023 तक 42.83 मिलियन अमेरिकी डालर (₹473.66 करोड़ के बराबर) [ गत वर्ष एसडीआर 45.31 मिलियन (₹474.85 करोड़ के बराबर)] के आहरण को भारत सरकार के प्रति रुपया देयता के रूप में दर्ज किया गया है तथा निहित देयता का बचाव परस्पर लेन देन की मुद्रा में ब्याज दर की अदला बदली के माध्यम से किया गया है। इसे अनुसूची IV - 'भारत में उधारियों' के अंतर्गत समूहीकृत किया गया है।
- 12 (क) एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार ने निधियों की निधि के लिए ₹310 करोड़ की आकांक्षा निधि (ऐस्पायर फंड) का आवंटन सिडबी को किया है जिसका प्रबंध सिडबी को करना है। उक्त निधि का उपयोग ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में कृषि आधारित उद्योगों एवं क्षेत्रों से संबंधित स्टार्ट-अप/ नए उद्यमों में उद्यम पूंजी निधियों में निवेश तथा नवोन्मेषिता, उद्यमिता, विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में उत्पादनोपरांत और उत्पादन-पूर्व वैल्यू चेन से लिकेज को बढ़ावा देने तथा त्वरित रूप से सहायता उपलब्ध कराने के लिए होगा। ये निवेश न्यासी रूप में सिडबी के पास सुरक्षित हैं। निवेश की धनराशि को हटाकर, आकांक्षा निधि की शेष निधि को तुलनपत्र की अन्य देयताओं के अंतर्गत समूहित किया गया है तथा सभी लाभ/हानियां/आय/व्यय इस निधि का हिस्सा हैं। यथा 31 मार्च 2023 तक निधि में शेष राशि ₹2,85,32,30,682 (गत वर्ष ₹2,73,39,83,039) रही।
- (ख) भारत सरकार ने स्टार्ट अप्स में ईक्विटी सहायता बढ़ाने के मुख्य उद्देश्य से निधियों की निधि योजना बनाई है। योजना के अंतर्गत ₹10,000 करोड़ की निधियों की निधि योजना प्रस्तावित है, जिसका प्रबंध सिडबी को करना है। सरकार ने निधियों की निधि की उक्त समूह निधि से ₹27,91,29,44,000 सिडबी को दिए हैं तथा निधियों की निधि के अंतर्गत अतिरिक्त प्रतिबद्धता की भी अनुमति प्रदान की है। वर्ष के दौरान, भारत सरकार ने सिडबी को सूचित किया है कि वह वैकल्पिक निवेश निधि को प्रतिबद्धता जारी रखे। ये निवेश न्यासी रूप में सिडबी के पास सुरक्षित हैं। निवेश की धनराशि को हटाकर, निधियों की निधि की शेष राशि को तुलनपत्र की "अन्य देयताओं" के अंतर्गत समूहित किया गया है तथा सभी लाभ/हानियां/आय/व्यय इस निधि का हिस्सा हैं। यथा 31 मार्च 2023 तक निधि में शेष राशि ₹11,50,51,12,191 (पिछले वर्ष ₹7,13,38,30,407) रही।
- (ग) उत्तर प्रदेश की सूचना प्रौद्योगिकी और स्टार्ट-अप नीति 2017 के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिए उनकी स्थापना और समृद्धि के लिए ₹1,000 करोड़ का प्रारंभिक कोष स्थापित करेगी। निधि, निधियों की निधि के रूप में होगा। इस मॉडल में, निधि सीधे स्टार्ट-अप कंपनियों में निवेश नहीं की जाएगी, बल्कि इसे सेबी द्वारा अनुमोदित निधि में प्रतिभागिता करनी होगी। निधियों का प्रबंध पेशेवर रूप से सिडबी, निधि प्रबंधक द्वारा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने ₹125 करोड़ की राशि जारी की है। ये निवेश (उ.प्र. स्टार्टअप निधि में से) सिडबी द्वारा प्रत्ययी क्षमता में रखे जाएंगे। उ.प्र. स्टार्टअप निधि का निधि शेष, निवेश को घटाकर तुलनपत्र में "अन्य देनदारियों" के तहत समूहीकृत किया गया है और सभी लाभ/हानि/आय/व्यय निधि का हिस्सा हैं। यथा 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार निधि में शेष राशि ₹1,19,10,28,364 (पिछले वर्ष ₹17,72,80,628) है।
- 13 बैंक ने कुल मिलाकर ₹1,45,95,00,00,000 के अंकित मूल्य (बही मूल्य ₹1,43,69,82,11,825) [पिछले साल ₹40,41,63,00,000 (बही मूल्य ₹39,90,00,15,423)] की सरकारी प्रतिभूतियां तृतीय पक्ष रेपो संव्यवहार एवं निपटान (टीआरईपीएस) के लिए क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ बंधक रखी है।
- 14 आईएफएडी ने 18 फरवरी, 2002 के ऋण करार के माध्यम से, सिडबी को 16.35 मिलियन एसडीआर का विदेशी मुद्रा ऋण दिया है। ऋण करार की शर्तों के अनुसार, आईएफएडी ने यूएस डालर में ऋण संवितरण किया है और इसकी चुकौती एसडीआर के समतुल्य यूएस डालर में की जानी है। बैंक ने अपनी लेखा बहियों में तदनुसार लेखांकन किया है। 31 मार्च, 2023 को इस ऋण के संबंध में शेष राशि ₹1,05,46,39,489 (गत वर्ष ₹1,05,67,31,387) है।

#### 15 कर्मचारी लाभ

कर्मचारी लाभ" (एस 15) (2005 में पुनरीक्षित ) के बारे में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक के अनुसार बैंक ने अपने कर्मचारियों को दी जा रही सुविधाओं को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया है:

##### (क) सुपरिभाषित अंशदान योजना

बैंक ने निम्नलिखित राशियाँ लाभ एवं हानि खाते में निर्धारित की हैं

(राशि ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान	9,18,53,963	7,68,83,415
नई पेंशन योजना में नियोक्ता का अंशदान	8,95,82,393	3,17,67,054



(ख) बैंक की सुपरिभाषित लाभ पेंशन एवं ग्रेच्युटी योजनाएं हैं, जिनका प्रबंध ट्रस्ट के जरिये किया जाता है।

(₹ करोड़)

	पेंशन		उपदान	
	वि व 2023	वि व 2022	वि व 2023	वि व 2022
<b>1. धारणाएँ</b>				
भुनाई दर	7.50%	7.25%	7.40%	6.90%
नियोजित आस्तियों पर प्रतिलाभ की दर	7.50%	7.25%	7.40%	6.90%
वेतन बढ़ोतरी	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%
हास दर	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
<b>2. हित दायित्व में परिवर्तन दर्शाने वाली तालिका</b>				
वर्ष के आरंभ में देयता	576.93	553.50	108.95	106.70
ब्याज लागत	24.65	22.69	7.09	6.56
वर्तमान सेवा लागत	13.48	14.97	5.92	5.97
पिछली सेवा लागत (गैर निहित लाभ)	0.00	0.00	0.00	0.00
पिछली सेवा लागत (निहित लाभ)	0.00	0.00	0.00	0.00
देयता अंतरण आगत	0.00	0.00	0.00	0.00
(देयता अंतरण निर्गम)	0.00	0.00	0.00	0.00
(प्रदत्त लाभ)	0.00	0.00	(12.44)	(6.61)
देयताओं पर बीमांकिक (लाभ) / हानि	64.74	(14.23)	(2.12)	(3.67)
<b>वर्ष के अंत में देयता</b>	<b>679.80</b>	<b>576.93</b>	<b>107.40</b>	<b>108.95</b>
<b>3. योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य संबंधी तालिकाएँ</b>				
वर्ष के आरंभ में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	589.61	501.50	105.92	105.73
योजनागत आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	42.75	34.35	7.08	6.69
अंशदान	0.00	0.00	0.04	0.33
अन्य कंपनी से अंतरण	0.00	0.00	0.00	0.00
(अन्य कंपनी को अंतरण)	0.00	0.00	0.00	0.00
(प्रदत्त लाभ)	0.00	0.00	(12.44)	(6.61)
योजनागत आस्तियों पर बीमांकिक लाभ / (हानि)	3.40	53.76	1.70	(0.22)
<b>वर्ष के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य</b>	<b>635.76</b>	<b>589.61</b>	<b>102.30</b>	<b>105.92</b>
<b>4. बीमांकिक लाभ / हानि निर्धारण की तालिका</b>				
अवधि के दायित्व के लिए बीमांकिक (लाभ) / हानि	64.74	(14.23)	(2.12)	(3.67)
अवधि की आस्तियों के लिए बीमांकिक लाभ / (हानि)	(3.40)	(53.76)	(1.70)	0.22
<b>आय और व्यय खाते में चिन्हित बीमांकिक लाभ / (हानि)</b>	<b>61.34</b>	<b>(67.99)</b>	<b>(3.82)</b>	<b>(3.45)</b>
<b>5. योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल</b>				
योजनागत आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	42.75	34.35	7.08	6.69
योजनागत आस्तियों पर बीमांकिक लाभ / (हानि)	3.40	53.76	1.70	(0.22)
<b>योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल</b>	<b>46.15</b>	<b>88.11</b>	<b>8.78</b>	<b>6.47</b>

(₹ करोड़)

	पेंशन		उपदान	
	वि व 2023	वि व 2022	वि व 2023	वि व 2022
<b>6. तुलनपत्र में निर्धारित की गई राशि</b>				
वर्ष के अंत में देयता	(679.80)	(576.93)	(107.40)	(108.95)
वर्ष के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	635.76	589.61	102.30	105.92
अंतर	(44.04)	12.68	(5.10)	(3.03)
वर्ष के अंत में अनिर्धारित विगत सेवा लागत	0.00	0.00	0.00	0.00
वर्ष के अंत में अनिर्धारित संक्रमणीय देयता	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>तुलनपत्र में निर्धारित की गई निवल राशि</b>	<b>(44.04)</b>	<b>12.68</b>	<b>(5.10)</b>	<b>(3.03)</b>
<b>7. आय विवरणी में निर्धारित व्यय</b>				
चालू सेवा लागत	13.48	14.97	5.92	5.97
ब्याज लागत	24.65	22.69	7.09	6.56
योजनागत आस्तियों पर संभावित प्रतिफल	(42.75)	(34.35)	(7.08)	(6.69)
वर्ष के दौरान निर्धारण में ली गई विगत सेवा लागत (गैर निहित लाभ)	0.00	0.00	0.00	0.00
वर्ष के दौरान निर्धारण में ली गई विगत सेवा लागत (निहित लाभ)	0.00	0.00	0.00	0.00
वर्ष के दौरान संक्रमण देयता का निर्धारण	0.00	0.00	0.00	0.00
बीमांकिक (लाभ) /हानि	61.34	(67.99)	(3.82)	(3.45)
<b>लाभ और हानि लेखा में निर्धारण में लिए गए व्यय</b>	<b>56.72</b>	<b>(64.68)</b>	<b>2.11</b>	<b>2.39</b>
<b>8. तुलनपत्र समाधान</b>				
आरंभिक निवल देयता	(12.68)	52.00	3.03	0.97
यथोक्त व्यय	56.72	(64.68)	2.11	2.39
नियोक्ता का अंशदान	0.00	0.00	(0.04)	(0.33)
<b>तुलनपत्र में निर्धारित राशि</b>	<b>44.04</b>	<b>(12.68)</b>	<b>5.10</b>	<b>3.03</b>
<b>9. अन्य विवरण</b>				
कर्मचारियों की पदोन्नति, कर्मचारियों की मांग व आपूर्ति के संबंध में उद्योग में प्रचलित परंपरा के अनुरूप वेतन बढ़ोतरी को ध्यान में रखा जाता है।				
<b>10. आस्तियों की श्रेणी</b>				
भारत सरकार आस्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00
कारपोरेट बॉण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00
विशेष जमा योजना	0.00	0.00	0.00	0.00
सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर	0.00	0.00	0.00	0.00
संपत्ति	0.00	0.00	0.00	0.00
बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधियां	635.76	589.61	102.30	105.92
अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>योग</b>	<b>635.76</b>	<b>589.61</b>	<b>102.30</b>	<b>105.92</b>

**11. अनुभव समायोजन**

	पेंशन					उपदान				
	वि व 2023	वि व 2022	वि व 2021	वि व 2020	वि व 2019	वि व 2023	वि व 2022	वि व 2021	वि व 2020	वि व 2019
योजनागत देयता (लाभ ) / हानि पर	85.05	15.71	(1.14)	46.87	(22.03)	1.60	0.65	(0.43)	3.28	(19.7)
योजनागत आस्ति (हानि) / लाभ पर	3.40	53.76	(1.15)	25.17	(2.32)	1.70	(0.22)	(0.13)	0.09	0.35

- (ग) स्वतंत्र बीमांकक द्वारा प्रदत्त बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित अन्य दीर्घावधि लाभ योजनाओं से संबंधित राशियों को लाभ-हानि खाते में निम्नांकित रूप से प्रभारित किया गया है:

(₹ करोड़)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
1	साधारण छुट्टी का नकदीकरण	40.97	12.97
2	रुग्ण अवकाश	1.86	0.47
3	पुनर्स्थापन व्यय	0.46	0.30
4	सेवानिवृत्ति उपरांत स्वास्थ्य योजना की सुविधाएँ	0.79	9.84

**16 प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) (एएस-20):**

बैंक लेखांकन मानक एएस 20 के अनुसार प्रति शेयर मूल और तुनूकृत (डायल्यूटेड) अर्जन के संबंध में रिपोर्ट करता है। प्रति शेयर, मूल अर्जन का परिकलन वर्ष के अंत में बकाया ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से कर-पश्चात शुद्ध लाभ को विभाजित करके किया जाता है।

तुनूकृत प्रति शेयर अर्जन उस संभावित कमी को दर्शाता है, जो उस स्थिति में हो सकती है, जब संबंधित अवधि के दौरान प्रतिभूतियों या संविदागत ईक्विटी शेयर जारी कर निष्पादन या रूपांतरण किया गया हो। तुनूकृत प्रति शेयर अर्जन का परिकलन, कर-पश्चात निवल लाभ को वर्षांत पर बकाया ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या तथा तुनूकृत किए जाने योग्य संभावित ईक्विटी शेयरों के योग से विभाजित कर किया जाता है।

(राशि ₹ में)

	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
अर्जित प्रति शेयर परिकलन के लिए निवल लाभ (₹)	33,43,57,41,632	19,57,78,88,681
प्रति शेयर ₹10/ के अंकित मूल्य के ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	56,85,41,169	53,21,22,684
प्रति शेयर अर्जन (₹)	58.81	36.79

\* मूल प्रति शेयर अर्जन तथा तुनूकृत प्रति शेयर अर्जन समान है, क्योंकि कोई तुनूकृत संभावित ईक्विटी शेयर नहीं हैं

- 17 लेखाबही में प्रस्तावित लाभांश (लाभांश वितरण कर सहित) देयता के रूप में अनुसूची V में गिना जाएगा
- 18 प्रबंधन की राय में लेखांकन मानक 28 - आस्तियों की हानि के नजरिये से बैंक की स्थिर आस्तियों की कोई महत्वपूर्ण हानि नहीं हुई है।
- 19 लेखांकन मानक 29 के अंतर्गत आकस्मिकताओं के संबंध में प्रावधान हेतु प्रकटन। बैंक के कर्मचारियों के वेतन भत्तों का प्रत्येक पाँच वर्षों के अंतराल पर समीक्षा की जाती है। इस प्रकार की समीक्षा 01 नवंबर, 2022 से अपेक्षित है।

(राशि ₹ में)

Particulars	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
	बकाया परिश्रामिक / प्रोत्साहन	बकाया परिश्रामिक / प्रोत्साहन
आरंभ शेष	1,39,13,00,000	1,07,63,00,000
जोड़े		
बकाया वेतन	65,69,31,704	31,50,00,000
प्रोत्साहन		
उपयोग	1,81,17,53,069	
पुनरांकन		
अंतमि शेष	23,64,78,635	1,39,13,00,000

- 20 बैंक ने अपने आरक्षित विदेशी मुद्रा ऋण लेने वाले ग्राहकों के लिए ऋण जोखिम से बचाव के लिए एक पद्धति बना रखी है। आवधिक आधार पर इस प्रकार के अरक्षित विदेशी मुद्रा संविभाग की समीक्षा की जाती है, भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 15/01/2014 के परिपत्र संख्या डीबीओबीडी बीपी बीसी 85/21.06.200/2013-14 एवं दिनांक 03/06/2014 के पत्र संख्या डीबीओबीडी बीपी बीसी 116/21.06.200/2013-14 के अनुवर्ती स्पष्टीकरण से अरक्षित विदेशी मुद्रा ऋण लेने वाले ग्राहकों के लिए ऋण जोखिम से बचाव के लिए यथा 31 मार्च 2023 तक ₹9.48 करोड़ (गत वर्ष ₹1.65 करोड़) का प्रावधान किया गया है, जिसे अनुसूची V में मानक आस्तियों हेतु प्रावधान में शामिल किया गया है।
- 21 निरंतर पालन की जा रही प्रथा के अनुसार, वेंचर पूंजी निधियों के मोचन का लेखांकन वेंचर पूंजी निधियों से प्राप्त वितरण-पत्र के अनुसार किया जाता है, चाहे अंशदान करार में निर्दिष्ट विनियोजन नीति कुछ भी रही हो। वेंचर पूंजी निधियों के यूनिटों /शेयरों में निवेश पुष्टि /समाधान के अध्यक्षीन होता है।
- 22 निवेशकों की शिकायतें:  
यथा 1 अप्रैल 2022 तक बैंक के पास निवेशकों की कोई भी शिकायत निपटान के लिए लंबित नहीं थी। वर्तमान वित्तवर्ष के दौरान निवेशकों से "17" शिकायतें प्राप्त हुई थीं और वर्ष में "18" शिकायतों (01 अप्रैल, 2022 को लंबित शिकायत सहित) का निपटारा किया गया। तदनुसार "शून्य" शिकायत 31 मार्च, 2023 तक निपटान के लिए लंबित थी।
- 23 अनर्जक आस्तियों के लिए आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान में विचलन  
जैसा कि 18 अप्रैल, 2017 के भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र डीबीआर.बीपी.बीसी.सं.63/21.04.018/2016-17 और 1 अप्रैल, 2019 के डीबीआर.बीपी.बीसी.सं.32/21.04.018/2018-19 के तहत अपेक्षित है। 'आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान में विचलन', वित्त वर्ष 2020 के लिए आरबीआई द्वारा देखे गए 'सकल अनर्जक अस्ति और प्रावधान' में कोई अंतर नहीं है।
- 24 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र - वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के अधीन पंजीकृत एमएसएमई उधारकर्ताओं के ऋणों की पुनर्संरचना:  
11 फरवरी, 2020 को आरबीआई के परिपत्र के अनुसार, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) उधारकर्ताओं के लिए अग्रिमों का पुनर्संरचना किया गया था। भा. रि. बैंक ने 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र - अग्रिमों की पुनर्संरचना' पर 06 अगस्त, 2020 के अपने परिपत्र के माध्यम से कोविड-19 के परिणाम के कारण व्यवहार्य एमएसएमई संस्थाओं का समर्थन करने के लिए उपरोक्त योजना का विस्तार किया। इसके अलावा भा. रि. बैंक ने परिपत्र आरबीआई/2021-22/32 डीओआर.एसटीआर.आरईसी.12/21.04.048/2021-22 दिनांक 5 मई, 2021 के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के कोविड -19 संबंधित तनाव का समाधान से संबंधित संकल्प फ्रेमवर्क 2.0 की सूचित किया है। इन दिशानिर्देशों के तहत पुनर्चित एमएसएमई खाते इस प्रकार हैं:

पुनर्संरचित खातों की संख्या	राशि (₹ करोड़)
1124	803.33

- 25 भा. रि. बैंक के परिपत्र डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.45/21.04.048/2018-19 दिनांक 7 जून 2019 के अनुसार वर्ष के दौरान कार्यान्वित संकल्प योजनाओं से संबंधित प्रकटीकरण:

- i) मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान आरपीएस को सफलतापूर्वक लागू किया गया

मामलों की संख्या	बकाया राशि* राशि (₹ करोड़ में)
1	380.04

\*पुनर्संरचना की तारीख को खाते को तकनीकी रूप से बड़े खाते में डाल दिया गया था और उसके बाद वर्ष के दौरान बंद कर दिया गया था।

- ii) पुनर्संरचना प्रक्रिया के दौरान ऋण को इक्विटी में बदलने के कारण अर्जित प्रतिभूतियों का विवरण

विवरण	शेयरों/इकाइयों की संख्या	अंकित मूल्य प्रति शेयर (₹ में)	बही मूल्य (₹ में)
अनिवार्य परिवर्तनीय डिबेंचर (सीसीडी)	53045	1,00,000.00	1.00

- iii) 31 मार्च, 2023 तक भा. रि. बैंक के परिपत्र दिनांक 6 अगस्त, 2020 (रिज़ॉल्यूशन फ्रेमवर्क 1.0) और 5 मई 2021 (रिज़ॉल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0) के अनुसार कोविड-19 संबंधित तनाव के लिए भा. रि. बैंक रिज़ॉल्यूशन फ्रेमवर्क के तहत कार्यान्वित समाधान योजनाओं का विवरण नीचे दिया गया है:

उधारकर्ता का स्वरूप	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों में एक्सपोजर - पिछले छमाही के अंत में स्थिति (ए) *	(ए) का, कुल ऋण जो छमाही के दौरान अनर्जक आस्ति में फिसल गया	(ए) छमाही के दौरान बढ़े खाते में डाली गई राशि	(ए) छमाही के दौरान उधारकर्ताओं द्वारा भुगतान की गई राशि \$	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों में एक्सपोजर - इस छमाही के अंत में स्थिति
व्यक्तिगत ऋण	---	---	---	---	---
नैगम व्यक्ति	31.09	---	0	3.07	28.02
किन एमएसएमई इकाइयों में से है	31.09	---	0	3.07	28.02
अन्य	---	---	---	---	---
<b>योग</b>	<b>31.09</b>	<b>---</b>	<b>0</b>	<b>3.07</b>	<b>28.02</b>

\$ बकाया राशि में निवल संचलन का प्रतिनिधित्व करता है .

- iv) उधारकर्ता खातों की संख्या जहां भा. रि. बैंक परिपत्र संख्या DOR.STR.REC.11/21.04.048/2021-22 दिनांक 5 मई, 2021 संकल्प फ्रेमवर्क पर - 2.0: के अनुसार जहां समाधान योजना लागू की गई है, वहाँ व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों के कोविड-19 संबंधित दबाव का समाधान शून्य है। इसके अलावा, उन खातों के संबंध में कोई संशोधन स्वीकृत और कार्यान्वित नहीं किया गया था जो संकल्प फ्रेमवर्क 1.0 के तहत कार्यान्वित किए गए थे
- 26 कोविड19 महामारी बैंक के परिणामों को किस हद तक प्रभावित करती रहेगी, यह चल रहे और साथ ही भविष्य के विकास पर निर्भर करेगा।
- 27 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान, बैंक ने बोर्ड द्वारा स्वीकृत त्वरित प्रावधान नीति के अनुसार आईआरएसी मानदंडों के तहत निर्धारित न्यूनतम से अधिक दरों पर मानक अग्रिमों पर अतिरिक्त प्रावधान किया है। तदनुसार, बैंक 31 मार्च, 2023 को ₹253.38 करोड़ के मानक अग्रिमों पर अतिरिक्त प्रावधान रखता है।
- 28 24 सितंबर, 2021 को ऋण एक्सपोजर के हस्तांतरण पर भा. रि. बैंक मास्टर निर्देश के तहत 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान हस्तांतरित/अधिग्रहित ऋणों का विवरण नीचे दिया गया है:
- बैंक ने समनुदेशन के माध्यम से कोई ऐसा ऋण प्राप्त नहीं किया है जिसमें चूक हो।
  - बैंक ने किसी भी गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) को परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) को/अनुमत अंतरितियों को/अन्य अंतरितियों को हस्तांतरित नहीं किया है।
  - बैंक ने कोई दबावग्रस्त ऋण प्राप्त नहीं किया है और न ही किसी ऋण जो चूक नहीं है/विशेष उल्लेख खातों (एसएमए) में स्थानांतरित किया है।
  - बैंक ने एआरसी को हस्तांतरित दबाव वाले ऋणों के संबंध में आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) द्वारा जारी सुरक्षा रसीदों (एसआर) में निवेश नहीं किया है।
- 29 भा. रि. बैंक मास्टर निर्देश के अनुसार आरबीआई/डीओआर/2021-22/85 डीओआर.एसटीआर.आरईसी.53/21.04.177/2021-22 दिनांक 24 सितंबर, 2021 - (मानक आस्तियों का प्रतिभूतिकरण) निदेश, 2021, की बकाया राशि एसपीई की बहियों के अनुसार प्रतिभूतिकृत संपत्ति और एमआरआर का अनुपालन करने के लिए तुलन पत्र की तिथि के अनुसार प्रवर्तक द्वारा रखे गए एक्सपोजर की कुल राशि 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए शून्य है।
- 30 भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सामान्य विनियम, 2000 के विनियम 14 में लघु उद्योग विकास सहायता निधि (एसआईडीएफ) और सामान्य निधि के अंतर्गत खातों की प्रस्तुति के लिए अलग प्ररूप निर्धारित किया गया है। चूंकि केंद्र सरकार द्वारा कोई अलग एसआईडीएफ अधिसूचित नहीं किया गया है, सिडबी द्वारा इसका रखरखाव नहीं किया जा रहा है। .
- 31 पिछले वर्ष के आँकड़ों को चालू वर्ष के आँकड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए जहाँ कहीं आवश्यक हो और पुनर्समूहित किया गया है।

# अतिरिक्त प्रकटन

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार

## 1. पूंजी पर्याप्तता (बासेल I के अनुसार)

(₹ करोड़ )

क्र. सं.	विवरण	वि व 2022-23	वि व 2021-22
i)	सामान्य ईक्विटी*	लागू नहीं	लागू नहीं
ii)	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी *	लागू नहीं	लागू नहीं
(iii)	कुल टियर 1 पूंजी	24,589.43	22,621.82
(iv)	टियर 2 पूंजी	623.95	15.41
v)	कुल पूंजी (टियर 1 + टियर 2)	25,213.38	22,637.23
vi)	कुल जोखिम भारित आस्तियां ( जोभाआ)	1,30,691.61	93,239.24
vii)	सामान्य ईक्विटी अनुपात (जोभाआ का सामान्य ईक्विटी में प्रतिशत)*	लागू नहीं	लागू नहीं
viii)	टियर 1 अनुपात (जोभाआ का टियर 1 पूंजी में प्रतिशत )	18.81%	24.26%
ix)	जोखिम भारित आस्तियों के प्रति पूंजी अनुपात (जोखिम भारित आस्तियों के प्रति कुल पूंजी अनुपात प्रतिशत में)	19.29%	24.28%
x)	भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	20.85	20.85
xi)	जुटाई गई ईक्विटी पूंजी की राशि	-	-
xii)	जुटाई गई अतिरिक्त टियर 1 पूंजी जो	-	-
	क) स्थायी गैर संचयी अधिमान शेयर (पीएनसीपीएस)	-	-
	ख) स्थायी ऋण पत्र (पीडीआई)	-	-
xiii)	जुटाई गई टियर 2 पूंजी राशि, जिसमें	-	-
	क) ऋण पूंजी लिखतें	-	-
	ख) स्थायी संचयी अधिमान शेयर (पीसीपीएस)	-	-
	ग) शोधय गैर संचयी अधिमान शेयर (आरएनसीपीएस)	-	-
	घ) शोधय संचयी अधिमान शेयर (आरसीपीएस)	-	-

\* चूंकि बासेल III लागू नहीं है अतः आंकड़ों का वर्तमान में परिकलन नहीं किया गया है ।

## 2. निर्बंध आरक्षित निधियां और प्रावधान

### (क) मानक आस्तियों पर प्रावधान

(₹ करोड़)

विवरण	वि व 2022-23	वि व 2021-22
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान (संचयी)	1,757.94	1064.85

### (ख) अस्थायी प्रावधान

(₹ करोड़)

अस्थायी प्रावधान	वि व 2022-23	वि व 2021-22
अस्थायी प्रावधान खाते में अथशेष	495.67	1,099.96
लेखा वर्ष में किए गए अस्थायी प्रावधानों की मात्रा	0.00	0.00
लेखा वर्ष में की गयी गिरावट की राशि*	0.00	604.29
अस्थायी प्रावधान खाते में इतिशेष	495.67	495.67

\* 05 मई, 2021 के भा. रि. बैंक परिपत्र के अनुसार और अस्थायी प्रावधान पर बैंक के निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार अनर्जक आस्ति प्रावधान करने के लिए राशि का उपयोग किया गया था।



### 3. आस्ति गुणवत्ता एवं विशिष्ट प्रावधान (क) अनर्जक ऋण /

(₹ करोड़ )		
विवरण	वि व 2022-23	वि व 2021-22
(i) निवल ऋण की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियां	0.00%	0.07%
(ii) अनर्जक आस्ति की प्रगति (सकल)		
(क) अथशेष	217.62	282.31
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	93.39	1,030.59
(ग) वर्ष के दौरान कमी	277.66	1,095.28
(घ) इति शेष	33.35	217.62
(iii) निवल अनर्जक आस्ति की प्रगति*		
(क) अथशेष	132.10	185.25
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	(82.66)	5.90
(ग) वर्ष के दौरान कमी	40.88	59.05
(घ) इति शेष	8.56	132.10
(iv) अनर्जक आस्तियों के प्रावधानों में प्रगति (मानक आस्तियों के प्रावधानों को छोड़कर)		
(क) अथशेष	85.52	97.05
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	176.05	1,024.70
(ग) वर्ष के दौरान कमी	236.78	1,036.23
(घ) इति शेष	24.79	85.52

\*यदि चल प्रावधान की राशि उसके साथ समायोजित है तो पिछले वर्ष और इस वर्ष के दौरान निवल अनर्जक आस्ति शून्य होगी।

#### (ख) अनर्जक निवेश

(₹ करोड़ )		
विवरण	वि व 2022-23	वि व 2021-22
(i) निवल निवेश की तुलना में निवल अनर्जक निवेश (%)	0.00%	0.00%
(ii) अनर्जक निवेश (सकल) की प्रगति		
(क) अथशेष	350.16	344.62
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	0.00	5.54
(ग) वर्ष के दौरान कमी	18.78	0.00
(घ) इति शेष	331.38	350.16
(iii) निवल अनर्जक निवेश की प्रगति		
(क) अथशेष	0.00	0.00
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	0.00	0.00
(ग) वर्ष के दौरान कमी	0.00	0.00
(घ) इति शेष	0.00	0.00
"(iv) अनर्जक निवेश के प्रावधानों की प्रगति (मानक आस्तियों पर प्रावधानों को छोड़ कर)		
(क) अथशेष	350.16	344.62
(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	0.00	5.54
(ग) अतिरिक्त प्रावधानों का बढ़े खाते में डालना	18.78	0.00
(घ) इति शेष	331.38	350.16

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार ऋण के रूपांतरण के माध्यम से प्राप्त की गई सुरक्षा (बही मूल्य ₹1/-) शामिल है और इसे उसी वर्ष में पूरी तरह से भुनाया गया है।

#### (ग) अनर्जक आस्तियां (क+ख)

(₹ करोड़ )		
विवरण	वि व 2022-23	वि व 2021-22
(i) निवल आस्तियों का निवल अनर्जक आस्तियां (ऋण + निवेश) (%)	0.00	0.06%
(ii) अनर्जक आस्तियों की प्रगति (सकल ऋण + सकल निवेश) /		
(क) अथशेष	567.79	626.93
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	93.39	1,036.14
(ग) वर्ष के दौरान कमी	296.44	1,095.28
(घ) इति शेष	364.74	567.79

(₹ करोड़ )		
विवरण	वि व 2022-23	वि व 2021-22
<b>(iii) निवल अनर्जक आस्तियों में परिवर्तन</b>		
(क) अथशेष	132.10	185.25
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	(82.66)	5.90
(ग) वर्ष के दौरान कमी	40.88	59.05
(घ) इति शेष	<b>8.56</b>	<b>132.10</b>
<b>(iv) अनर्जक आस्तियों के प्रावधानों में प्रगति (मानक आस्तियों के प्रावधानों को छोड़कर)</b>		
(क) अथशेष	435.69	441.68
(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	176.05	1,030.24
(ग) अतिरिक्त प्रावधानों का बढ़े खाते में डालना	255.56	1,036.23
(घ) इति शेष	<b>356.18</b>	<b>435.69</b>

**(क) पुनर्चित खातों का प्रकटीकरण**

(₹ करोड़ )

क्र	पुनर्चना का प्रकार →	सीडीआर तंत्र के तहत				एसएमई ऋण पुनर्चना तंत्र के तहत					
		मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	योग	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	योग
	आरिक्त वर्गीकरण →										
	विवरण ↓										
1	वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल को पुनर्चित खाते (शुरुआती उधारकर्ताओं की संख्या आकड़े)*	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	उन पर प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	वर्ष के दौरान ताजा पुनर्चना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	उन पर प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्चित मानक श्रेणी में उधारकर्ताओं की संख्या उन्नयन	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	उन पर प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	पुनर्चित मानक अभिम जो वित्तीय वर्ष के अंत में उच्च प्रावधान और / या अतिरिक्त जोखिम भार को आकर्षित करना बंद कर देते हैं और इसलिए अगले वित्तीय वर्ष की शुरुआत में पुनर्चित मानक अभिम के रूप में दिखाने की आवश्यकता नहीं है	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	उन पर प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्चित खातों का अपन्नयन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	उन पर प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्चित खातों का बड़े खाते में डालना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	उन पर प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को पुनर्चित खाते (अंतिम आकड़े)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	उन पर प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## (क) पुनर्रचित खातों का प्रकटीकरण

(₹ करोड़ )

क्र	पुनर्रचना का प्रकार → आस्टि वर्गीकरण → विवरण ↓	अन्य				योग					
		मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	योग	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	योग
1	वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल को पुनर्रचित खाते (शुरुआती उधारकर्ताओं की संख्या आंकड़े)*	14	2	10	-	26	14	2	10	-	26
	बकाया राशि	69.95	6.36	32.68	-	108.99	69.95	6.36	32.68	-	108.99
	उन पर प्रावधान	0.18	0.02	0.05	-	0.25	0.18	0.02	0.05	-	0.25
2	वर्ष के दौरान ताजा पुनर्रचना	1	3	-	-	4.00	1	3	-	-	4
	बकाया राशि	0.27	4.18	-	-	4.45	0.27	4.18	-	-	4.45
	उन पर प्रावधान	0.01	-	-	-	0.01	0.01	-	-	-	0.01
3	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्रचित मानक श्रेणी में उधारकर्ताओं की संख्या उन्नयन	1	(1)	-	-	-	1	(1)	-	-	-
	बकाया राशि	5.03	(5.03)	-	-	-	5.03	(5.03)	-	-	-
	उन पर प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	पुनर्रचित मानक अग्रिम जो वित्तीय वर्ष के अंत में उच्च प्रावधान और / या अतिरिक्त जोखिम भार को आकर्षित करना बंद कर देते हैं और इसलिए अगले वित्तीय वर्ष की शुरुआत में पुनर्रचित मानक अग्रिम के रूप में दिखाने की आवश्यकता नहीं है	(4)	-	-	-	(4)	(4)	-	-	-	(4)
	बकाया राशि	(19.58)	-	-	-	(19.58)	(19.58)	-	-	-	(19.58)
	उन पर प्रावधान	(0.17)	-	-	-	(0.17)	(0.17)	-	-	-	(0.17)
5	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्रचित खातों का अपन्नयन	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
	बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	उन पर प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्रचित खातों का बड़े खाते में डालना	(4)	(4)	(10)	-	(18)	(4)	(4)	(10)	-	(18)
	बकाया राशि	(28.58)	(5.50)	(32.69)	-	(66.77)	(28.58)	(5.50)	(32.69)	-	(66.77)
	उन पर प्रावधान	-	(0.02)	(0.05)	-	(0.07)	-	(0.02)	(0.05)	-	(0.07)
7	वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को पुनर्रचित खाते (अंतिम आंकड़े)*	8	-	-	-	8	8	0	0	-	8
	बकाया राशि	27.09	-	0.00	-	27.09	27.09	-	0.00	-	27.09
	उन पर प्रावधान	0.02	0.00	(0.00)	-	0.02	0.02	0.00	(0.00)	-	0.02

\*मानक पुनर्रचित अग्रिमों के आंकड़ों को छोड़कर, जो उच्च प्रावधानीकरण या जोखिम भार (यदि लागू हो) को आकर्षित नहीं करते हैं।

नोट: क्रमांक 6 के आंकड़ों में मौजूदा पुनर्रचित खातों के संबंध में ₹6.76 करोड़ की कटौती/वसूली के बकाया निवल में वृद्धि और ₹33.01 करोड़ की राशि के 7 उधारकर्ताओं को बंद करना और 0.05 करोड़ का प्रावधान शामिल है। इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2023 के दौरान ₹0.27 करोड़ की राशि का एक खाता और ₹0.01 करोड़ के प्रावधान को बड़े खाते से मानक श्रेणी में अपग्रेड किया गया और वृद्धि के तहत दर्शाया गया है।

**(घ) अनर्जक आस्तियों में परिवर्तन**

(₹ करोड़ )

विवरण	वि व 2022-23	वि व 2021-22
लेखा अवधि की प्रारंभिक तिथि के अनुसार सकल अनर्जक आस्तियां (अथ शेष)	217.62	282.31
<b>वर्ष के दौरान परिवर्धन (नई अनर्जक आस्तियां)</b>	<b>93.39</b>	<b>1,030.59</b>
उप-योग (क)	311.01	1,312.90
घटाएँ:-		
(i) उन्नयन	35.01	37.62
(ii) वसूलियाँ (उन्नत खातों से की गयी वसूलियां)	23.84	46.93
(iii) तकनीकी/ विवेकपूर्ण बढ़ा खाता	211.42	1,005.06
(iv) उपर्युक्त (iii) के अलावा बढ़े खाते में डाले गए*	7.39	5.67
<b>उप-योग (ख)</b>	<b>277.66</b>	<b>1,095.28</b>
<b>31 मार्च को सकल अनर्जक आस्तियां (क- ख)</b>	<b>33.35</b>	<b>217.62</b>

**(च) बढ़े खाते में डालना एवं वसूलियां**

(₹ करोड़ )

विवरण	वि व 2022-23	वि व 2021-22
यथा 1 अप्रैल तक तकनीकी / बढ़े खाते में अथशेष	3,389.19	2,624.88
जोड़िए: वर्ष के दौरान तकनीकी / विवेकपूर्ण बढ़े खाते	211.42	1,005.06
<b>उप-योग (क)</b>	<b>3,600.61</b>	<b>3,629.94</b>
घटाएँ: वास्तविक बढ़े खाते	543.57	37.83
घटाएँ : वर्ष के दौरान पिछले तकनीकी / विवेकपूर्ण बढ़े खाते में से की गई वसूलियाँ	288.81	202.92
<b>उप-योग (ख) / Sub total (B)</b>	<b>832.38</b>	<b>240.75</b>
<b>31 मार्च को इति शेष (क-ख) (A-B)</b>	<b>2,768.23</b>	<b>3,389.19</b>

**(छ) विदेशी आस्तियां, अनर्जक आस्तियां एवं राजस्व**

विवरण	वि व 2022-23	वि व 2021-22
कुल आस्तियां	Nil	Nil
कुल अनर्जक आस्तियां	Nil	Nil
कुल राजस्व	Nil	Nil

## (ज) मूल्यहास एवं निवेशों पर प्रावधान

(₹ करोड़ )

विवरण	वि व 2022-23	वि व 2021-22
<b>(1) निवेश</b>		
(i) सकल निवेश	<b>29,450.89</b>	<b>24,306.52</b>
(क) भारत में	29,450.89	24,306.52
(ख) भारत से बाहर	-	-
(ii) मूल्यहास के लिए प्रावधान	<b>362.23</b>	<b>354.96</b>
(क) भारत में	362.23	354.96
(ख) भारत से बाहर	-	-
(iii) निवल निवेश	<b>29,088.66</b>	<b>23,951.56</b>
(क) भारत में	29,088.66	23,951.56
(ख) भारत से बाहर	-	-
<b>(2) निवेशों पर मूल्यहास के लिए धारित प्रावधानों में प्रगति</b>		
(i) अथशेष	<b>4.80</b>	<b>19.45</b>
(ii) जोड़िए: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	26.05	-
(iii) वर्ष के दौरान निवेश उतार चढ़ाव आरक्षिति खाते में से कोई समायोजन, यदि कोई हो तो	-	-
(iv) घटाएं: वर्ष के दौरान अधिक प्रावधानों को पुनरांकित / बढ़े खाते में डाले गए*	-	14.65
(v) घटाएं: निवेश उतार चढ़ाव आरक्षिति में, यदि कोई अंतरण*	-	-
(vi) इति शेष	<b>30.85</b>	<b>4.80</b>

\*वित्तवर्ष 2022 के दौरान बैंक ने निवेश उतार-चढ़ाव रिजर्व खाते में ₹10.96 करोड़ (लागू करों का निवल) विनियोजित किया है।

## (झ) प्रावधान और आकस्मिकताएँ

(₹ करोड़ )

लाभ और हानि लेखे में व्यय शीर्ष के अंतर्गत प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं का विवरण	वि व 2022-23	वि व 2021-22
निवेश पर अनर्जक निवेश के लिए प्रावधान	7.27	(9.11)
अनर्जक आस्ति के प्रति प्रावधान	157.78 @	402.58 @ #
आयकर के सन्दर्भ में किया गया प्रावधान (आस्थगित कर आस्ति / देयता शामिल)	1053.91	430.23
अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ (विवरण सहित)	693.09 \$	(41.65) \$

@ पुनर्संरचना प्रावधान का निवल @

# चल प्रावधानों का निवल पुनरांकन

\$ इसमें मानक आस्तियों के लिए प्रावधान भी शामिल है

## (ञ) प्रावधान संवरण अनुपात (पीसीआर)

विवरण	वि व 2022-23	वि व 2021-22
प्रावधान संवरण अनुपात (पीसीआर)*	99.69%	96.22%

\* पीसीआर के परिकलन के समय चल प्रावधान को विचार में नहीं लिया गया है।



(त) धोखाधड़ी से संबंधित प्रावधान

(₹ करोड़ )

विवरण	वि व 2022-23	वि व 2021-22
वर्ष के दौरान रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी के मामले	8	1
धोखाधड़ी में शामिल धनराशि	32.54	6.67
वर्ष के अंत में वसूली /बट्टे खाते /अप्राप्त ब्याज में धोखाधड़ी में शामिल राशि	26.73	6.47
वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	1.13	-
उक्त खातों के लिए वर्ष के अंत में धारित प्रावधान	26.73	6.47
वर्ष के अंत में "अन्य आरक्षितियों" से नामे किए गए अपरिशोधित प्रावधान की राशि	-	-

4. निवेश संविभाग : संघटन और परिचालन

(क) रेपों संव्यवहार

(₹ करोड़ )

	वर्ष के दौरान बकाया का न्यूनतम स्तर वि व 2023	वर्ष के दौरान बकाया का अधिकतम स्तर वि व 2023	वर्ष के दौरान दैनिक बकाया का औसत स्तर वि व 2023	यथा 31 मार्च, 2023 को बकाया
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां				
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ	-	13,673.20	2,720.28	10543.96
ii. नैगम ऋण संबंधी प्रतिभूतियां	-	-	-	-
प्रतिवर्ती रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां				
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ	-	14,994.39	1,632.35	1,998.89
ii. नैगम ऋण संबंधी प्रतिभूतियां	-	-	-	-

(₹ करोड़ )

	वर्ष के दौरान बकाया का न्यूनतम स्तर वि व 2022	वर्ष के दौरान बकाया का अधिकतम स्तर वि व 2022	वर्ष के दौरान दैनिक बकाया का औसत स्तर वि व 2022	यथा 31 मार्च, 2022 को बकाया
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां				
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ	-	3,735.68	348.89	2568.91
ii. नैगम ऋण संबंधी प्रतिभूतियां	-	-	-	-
प्रतिवर्ती रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां				
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ	-	21,610.09	6,450.69	299.89
ii. नैगम ऋण संबंधी प्रतिभूतियां	-	-	-	-

(ख) ऋण-प्रतिभूतियों में निवेश के लिए जारीकर्ताओं की संघटना विषयक खुलासे

(₹ करोड़ )

जारीकर्ता	राशि	31 मार्च, 2023 को राशि			
		निजी प्लेसमेंट के जरिये किया गया निवेश	निवेश श्रेणी नीचे के स्तर की धारित प्रतिभूतियां	बगैर रेटिंग धारित प्रतिभूत	असूचीबद्ध प्रतिभूति"
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(i) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम		278.25	-	-	-
(ii) वित्तीय संस्थाए		2,795.10	-	189.83	189.83
(iii) बैंक		8,302.72	-	103.50	103.50
(iv) निजी कॉर्पोरेट्स		379.93	-	379.93	371.30
(v) अनुषंगी / संयुक्त उपक्रम		1,751.05	-	1,751.05	1,751.05
(vi) अन्य		1,045.81	-	1,045.81	1,045.81
(vii) मूल्यहास के लिए धारित प्रावधान		-	-	-	-
<b>योग</b>		<b>14,552.86</b>	<b>-</b>	<b>3,470.12</b>	<b>3,461.49</b>

(ग) एच टी एम श्रेणी से प्रतिभूति की बिक्री एवं अंतरण

वित्त वर्ष 2023 के दौरान, बैंक ने मौजूदा भा. रि. बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार वेंचर पूंजी निधि में निवेश को एचटीएम से एएफएस श्रेणी में अंतरण कर दिया। उपरोक्त को छोड़कर, एचटीएम श्रेणी में/से निवेश पर कोई अंतरण नहीं हुआ था।

5. खरीदी/ बेची गई वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा

(क) आस्ति पुनर्संरचना के उद्देश्य से प्रतिभूतीकरण / पुनर्संरचित कंपनियों को बेची गई आस्तियां

(i) बिक्री का ब्यौरा

(₹ करोड़ )

विवरण	वि व 2022-23	वि व 2021-22
(i) खातों की संख्या	शून्य	शून्य
(ii) एस सी /आर सी को बेचे गए खातों का (प्रावधान घटाकर) सकल मूल्य	शून्य	शून्य
(iii) सकल प्रतिफल	शून्य	शून्य
(iv) पिछले वर्षों में अंतरित खातों के संबद्ध में वसूल किया गया अतिरिक्त प्रतिफल	शून्य	शून्य
(v) निवल बही मूल्य के प्रति सकल लाभ / हानि	शून्य	शून्य

(ii) प्रतिभूति रसीदों में किए गए निवेशों के बही मूल्य का ब्यौरा

(₹ करोड़ )

विवरण	प्रतिभूति रसीदों में किए गए निवेशों के बही मूल्य	
	वि व 2022-23	वि व 2021-22
(i) एआईएफआई द्वारा बेची गयी अनर्जक आस्तियों की पृष्ठभूमि वाली	0.27	0.27
(ii) बैंकों/अन्य वित्तीय संस्थानों/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा अंतर्निहित के रूप में बेचे गए गैर निष्पादित आस्ति द्वारा समर्थित	-	-
<b>योग</b>	<b>0.27</b>	<b>0.27</b>

**ख) खरीदी गयी /बेंची गयी अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण**
**(i) खरीदी गयी अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण**

(₹ करोड़ )

विवरण	वि व 2022-23	वि व 2021-22
1. (क) वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या	शून्य	शून्य
(ख) सकल बकाया	शून्य	शून्य
2. (क) वर्ष के दौरान इन पुनर्संचित खातों की संख्या	शून्य	शून्य
(ख) सकल बकाया	शून्य	शून्य

**(ii) बेची गई गैर-निष्पादक वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा**

(₹ करोड़ )

विवरण	वि व 2022-23	वि व 2021-22
1. बेंचे गए खातों की संख्या	शून्य	शून्य
2. सकल बकाया	शून्य	शून्य
3. सकल प्राप्त प्रतिफल	शून्य	शून्य

**6. परिचालन परिणाम**

विवरण	वि व 2022-23	वि व 2021-22
(i) औसत कार्यशील निधि का ब्याज आय प्रतिशत (%)	5.37	4.28
(ii) औसत कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में गैर ब्याज आय (%)	0.16	0.21
(iii) (प्रावधान पूर्व) औसत कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ (%)	1.57	1.35
(iv) औसत आस्तियों पर प्रतिफल (कराधान प्रावधान के पूर्व ) (%)	1.32	1.17
(v) प्रति कर्मचारी निवल लाभ (₹ करोड़)	3.22	1.99

**7. ऋण संकेन्द्रण जोखिम**
**(क) पूंजी बाजारगत जोखिम**

(₹ करोड़ )

विवरण	वि व 2022-23	वि व 2021-22
(i) इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय ऋण पत्रों में प्रत्यक्ष निवेश और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल निधियों के कार्पस की इकाइयों में प्रत्यक्ष निवेश जो कि विशिष्ट रूप से कारपोरेट ऋण में निवेश न किया गया हो	320.03	456.70
(ii) शेयरों / बांडों / ऋण पत्रों के एवज में अग्रिम अथवा व्यक्तिगत रूप से शेयरों, (आईपीओएस /ईएसओपीएस) परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय ऋण पत्रों और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल निधियों की इकाइयों में व्यक्तिगत रूप से किया गया निवेश।	-	-
(iii) किसी अन्य उद्देश्य के लिए अग्रिमों जहां शेयरों, अथवा परिवर्तनीय बांडों अथवा परिवर्तनीय ऋण पत्रों अथवा इक्विटी उन्मुख म्युचुअल निधियों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है।	-	-
(iv) किसी अन्य उद्देश्य के लिए अग्रिम जो कि संपार्श्विक प्रतिभूति अथवा परिवर्तनीय बांडों एवं परिवर्तनीय ऋण पत्रों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल निधियों की इकाइयों के जरिये प्रतिभूत हो यानी जहां प्राथमिक प्रतिभूति परिवर्तनीय बांडों एवं परिवर्तनीय ऋण पत्रों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल निधियों की इकाइयों की प्रतिभूति से अग्रिम आवरित नहीं है।	-	-
(v) स्टॉक ब्रोकरों और मार्केट मेकरों की और से स्टॉक ब्रोकरों को प्रतिभूति सहित और प्रतिभूति रहित अग्रिम/ गारंटियां जारी करना	-	-
(vi) संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी में प्रवर्तकों के अंशदान की प्रतिपूर्ति के लिए सीधा आधार पर अथवा ऋण पत्रों / बांडों शेयरों की प्रतिभूति के एवज में कार्पोरेट्स को मंजूर ऋण	-	-

(₹ करोड़ )

विवरण	वि व 2022-23	वि व 2021-22
(vii) अपेक्षित ईक्विटी प्रवाह / जारी करने के लिए कंपनियों को ब्रिज ऋण देना	-	-
(viii) शेयरों अथवा परिवर्तनीय बांडों अथवा परिवर्तनीय ऋण पत्रों अथवा ईक्विटी उन्मुख म्युच्युअल निधियों के प्राथमिक निर्गम के संबंध में बैंकों द्वारा लिया गया हमीदारी वादा	-	-
(ix) मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ब्रोकरों को वित्तपोषण	-	-
(x) वेंचर पूंजी निधियों (पंजीकृत एवं गैर पंजीकृत) को सभी एक्सपोजर	1,173.59	1,022.18
<b>पूंजी बाजार में कुल एक्सपोजर</b>	<b>1,493.62</b>	<b>1,478.88</b>

## (ख) देश जोखिम का एक्सपोजर

(₹ करोड़ )

जोखिम श्रेणी	वि व 2022-23		वि व 2021-22	
	निवल वित्त पोषित एक्सपोजर	किया गया प्रावधान	निवल वित्त पोषित एक्सपोजर	किया गया प्रावधान
नगण्य	10,902.69	26.40	11,269.51	27.66
निम्न	1,018.09	-	998.70	-
मामूली	15.90	-	1.00	-
उच्च	5.64	-	-	-
बहुत उच्च	-	-	-	-
निर्बंधित	-	-	-	-
ऑफ-क्रेडिट	-	-	-	-
<b>योग</b>	<b>11,942.32</b>	<b>26.40</b>	<b>12,269.21</b>	<b>27.66</b>

## (ग) विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमाएँ - एआईएफआई द्वारा एकल उधारकर्ता / सामूहिक उधारकर्ता सीमा को बढ़ाया जाना

(i) वर्ष के दौरान विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमा से अधिक के एक्सपोजर की संख्या और राशि

क्र. सं.	पैन संख्या	उधारकर्ता का नाम	उद्योग कूट सं.	उद्योग का नाम	क्षेत्र	प्रदत्त निधि राशि	गैर-निधि राशि	जोखिम, पूंजी निधियों के % में
	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(ii) पूंजी निधियों के प्रतिशत के रूप में ऋण एक्सपोजर और कुल आस्तियों के सन्दर्भ में उनका प्रतिशत

क्र. सं.	विवरण	वि व 2022-23		वि व 2021-22	
		कुल आस्तियों के % में	पूंजी निधियों के % में	कुल आस्तियों के % में	कुल आस्तियों के % में
1	एकल बड़े उधारकर्ता	14.88%	237.41%	17.51%	191.31%
	बड़े उधारकर्ता समूह				चूंकि बड़े उधारकर्ता प्राथमिक ऋणदात्री संस्थाएं हैं, उधारकर्ता समूह इस पर लागू नहीं
2	20 बड़े एकल उधारकर्ता	70.68%	1127.93%	65.53%	716.11%
	20 बड़े उधारकर्ता समूह				चूंकि बड़े उधारकर्ता प्राथमिक ऋणदात्री संस्थाएं हैं, उधारकर्ता समूह इस पर लागू नहीं

**iii) कुल ऋण आस्तियों का पाँच बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में ऋण एक्सपोजर का प्रतिशत**

(₹ करोड़ )

उद्योग का नाम	वि व 2022-23		वि व 2021-22	
	ऋण जोखिम राशि	कुल ऋण आस्तियों के	ऋण जोखिम राशि	कुल ऋण आस्तियों के
वस्त्र उत्पाद	1373.15	0.39	821.55	0.41
ऑटो अनुषंगी	1303.56	0.37	871.11	0.43
धातु उत्पाद एन.ई.सी.	1298.56	0.36	1072.24	0.53
प्लास्टिक मोल्ड उत्पाद	707.12	0.20	601.17	0.30
मशीनरी छोड़कर मेटल उत्पाद पार्ट्स	648.03	0.18	580.84	0.29

(iv) कुल अग्रिम राशि, जिसके लिए अमूर्त प्रतिभूतियाँ जैसे अधिकार, अनुज्ञप्तियाँ, प्राधिकार आदि लिया गया है, वह 'शून्य' है।

(v) पिछले वर्ष और चालू वर्ष के दौरान बैंक को फैक्ट्रिंग का एक्सपोजर नहीं था।

(vi) पिछले वर्ष और चालू वर्ष के दौरान बैंक ने विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमाओं का अतिक्रमण नहीं किया।

**(d) उधारियों / ऋण व्यवस्थाओं, ऋण जोखिम-राशि एवं अनर्जक आस्तियों का संकेन्द्रण**
**(i) उधारियों और ऋण व्यवस्थाओं का संकेन्द्रण**

(₹ करोड़ )

विवरण	वि व 2022-23	वि व 2021-22
बीस बड़े ऋणदाताओं से कुल उधारिया-	2,86,928.23	1,81,350.77
बीस बड़े ऋणदाताओं से कुल उधारियों का उधारियों में प्रतिशत	78.46%	83.73%

**(ii) ऋण जोखिम का संकेन्द्रण**

(₹ करोड़ )

विवरण	वि व 2022-23	वि व 2021-22
बीस बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम	2,83,925.02	1,61,623.21
कुल अग्रिमों का बीस बड़े उधारकर्ताओं को दिए गए अग्रिमों का प्रतिशत	79.65%	79.88%
बीस बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों को कुल एक्सपोजर	3,09,645.04	1,75,921.47
कुल एक्सपोजर का बीस बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों में एक्सपोजर का प्रतिशत	74.35%	68.02%

**(iii) ऋण-जोखिम-राशि और अनर्जक आस्तियों का क्षेत्र-वार संकेन्द्रण**

(₹ करोड़ )

क्र. क्षेत्र सं	वि व 2022-23			वि व 2021-22		
	कुल बकाया अग्रिम /	सकल अनर्जक आस्तियाँ	क्षेत्र में कुल अग्रिमों में अनर्जक आस्तियों का सकल प्रतिशत/	कुल बकाया अग्रिम /	सकल अनर्जक आस्तियाँ	क्षेत्र में कुल अग्रिमों में अनर्जक आस्तियों का सकल प्रतिशत/
I. औद्योगिक क्षेत्र	3,18,130.93	14.74	0.00%	1,81,265.82	199.00	0.11%
केन्द्र सरकार	-	-	-	-	-	-
केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	-	-	-	-	-	-
राज्य सरकार	1,541.63	-	-	180.83	-	-

(₹ करोड़ )

क्र. क्षेत्र सं	वि व 2022-23			वि व 2021-22		
	कुल बकाया अग्रिम /	सकल अनर्जक आस्तियां	क्षेत्र में कुल अग्रिमों में अनर्जक आस्तियों का सकल प्रतिशत/	कुल बकाया अग्रिम /	सकल अनर्जक आस्तियां	क्षेत्र में कुल अग्रिमों में अनर्जक आस्तियों का सकल प्रतिशत/
राज्य स्तरीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	-	-	-	-	-	-
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	2,98,173.25	-	-	1,66,831.69	-	-
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	-	-	-	-	-	-
सहकारी बैंक	-	-	-	-	-	-
निजी क्षेत्र (बैंकों को छोड़कर)	18,416.05	14.74	0.08%	14,253.30	199.00	1.38%
II. अल्प वित्त क्षेत्र	4,918.26	18.61	0.38%	3,136.30	18.62	0.01
III. अन्य*	33,414.67	-	-	17,935.18	-	-
योग (I+II+III)	3,56,463.86	33.35	0.01%	2,02,337.30	217.62	0.11%

\*गैरबैंकिंग वित्त कंपनियों को दिए गए अग्रिम भी शामिल हैं।

## 8. व्युत्पन्न

## (क) वायदा दर करार / ब्याज दर विनिमय

(₹ करोड़ )

क्र. सं.	विवरण	वित्त वर्ष 2021-23	वित्त वर्ष 2021-23
i)	विनिमय करारों का अनुमानिक मूल्य	123.72	185.58
ii)	इस करार के तहत पक्षकार द्वारा देयता पूरी न कर पाने के कारण होने वाली हानियां	(1.91)	2.29
iii)	इस विनिमय में शामिल होने के लिए बैंक द्वारा वांछित संपार्श्विक-प्रतिभूति	शून्य	शून्य
iv)	इस विनिमय से होने वाले जोखिम ऋणों का संकेन्द्रण	-	3.25
v)	विनिमय बही का उचित मूल्य	(1.91)	2.29

31 मार्च, 2023 को आईआरएस की प्रकृति और शर्तें निम्नवत हैं:

क्र. सं.	स्वरूप	सं.	आनुमानिक मूल राशि	न्यूनतम मानदंड	शर्तें
1	हेजिंग	1	आईएनआर 123,72,29,020.00	6 मि. यूएसडी लिबोर	नियत प्राप्य राशि बनाम /चल देयताएं

31 मार्च, 2022 को आईआरएस की प्रकृति और शर्तें निम्नवत हैं:

क्र. सं.	स्वरूप	सं.	आनुमानिक मूल राशि	न्यूनतम मानदंड	शर्तें
1	हेजिंग	1	आईएनआर 185,58,43,530.00	6 मि. यूएसडी लिबोर	नियत प्राप्य राशि बनाम /चल देयताएं

## (ख) विनिमय बाजार में खरीदे-बेचे जाने वाले ब्याज दर व्युत्पन्न

(₹ करोड़ )

क्र. सं.	विवरण	वित्त वर्ष 2021-23	वित्त वर्ष 2021-23
i)	वर्ष के दौरान लिए गए एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व्युत्पन्न की आनुमानिक मूल राशि (लिखत-वार)	शून्य	शून्य
ii)	यथा 31 मार्च बकाया एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व्युत्पन्न की आनुमानिक मूल राशि (लिखत-वार)	शून्य	शून्य



(₹ करोड़ )

क्र. सं.	विवरण	वित्त वर्ष 2021-23	वित्त वर्ष 2021-23
iii)	बकाया और अत्यन्त प्रभावी नहीं एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व्युत्पन्नों की आनुमानिक मूल राशि (लिखत-वार) और "अत्यधिक प्रभावी" नहीं।	शून्य	शून्य
iv)	एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व्युत्पन्नों का मार्केट मूल्य और (लिखत-वार) और "अत्यधिक प्रभावी" नहीं।	शून्य	शून्य

**(ग) व्युत्पन्नों में सम्बद्ध जोखिम राशि का प्रकटीकरण**
**(i) गुणात्मक प्रकटीकरण**

- ब्याज दर तथा आस्ति एवं देयताओं में विसंगति से उत्पन्न विनिमय जोखिम की हेजिंग के लिए बैंक व्युत्पन्नियों का उपयोग करता है. बैंक द्वारा ली गयी सभी व्युत्पन्नियाँ हेजिंग के उद्देश्य से और ऐसी विदेशी मुद्रा के उधार के रूप में है जो एमटीएम न होकर के रूपांतरित हैं. बैंक व्युत्पन्नियों का व्यापार नहीं करता है।
- आंतरिक नियंत्रण संबंधी दिशा- निर्देश तथा लेखांकन नीतियां बोर्ड द्वारा तैयार और अनुमोदित की जाती हैं. व्युत्पन्नी संरचना को सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन के पश्चात ही अपनाया गया है. व्युत्पन्नो के सौदों संबंधी विवरणों की जानकारी आस्ति देयता प्रबंध समिति / बोर्ड को भी दी जाती है।
- बैंक ने व्युत्पन्नी सौदों से उत्पन्न होने वाली जोखिमों को कम करने के लिए सिस्टम स्थापित किया है। बैंक व्युत्पन्न सौदे से उत्पन्न होने वाले लेन-देन का लेखांकन करने के लिए उपचित विधि का पालन करता है।

**(घ) ऋण चूक स्वैप पर प्रकटीकरण - बैंक ने वर्ष के दौरान कोई ऋण चूक स्वैप नहीं किया है।**
**(ii) परिमाणात्मक प्रकटीकरण**

(₹ करोड़ )

क्र. सं.	विवरण	वित्त वर्ष 2022-23		वित्त वर्ष 2021-22	
		मुद्रा व्युत्पन्न	ब्याज दर व्युत्पन्न	मुद्रा व्युत्पन्न	ब्याज दर व्युत्पन्न
1	व्युत्पन्नियाँ (आनुमानिक मूल राशि)	3,361.40	123.72	3,902.68	185.58
	बचाव के लिए	3,361.40	123.72	3,902.68	185.58
	व्यापार के लिए	-	-	-	-
2	मार्केट स्थितियों के लिए चिह्नित [1]	535.51	(1.91)	296.35	2.29
	आस्ति (+)	535.51		296.35	2.29
	देयता (-)	-	1.91	-	-
3	ऋण एक्सपोजर [2]	730.12	-	557.49	3.25
4	ब्याज दर में एक प्रतिशत बदलाव से होने वाला संभावित प्रभाव (100* पी वी 01)	1,681.43	(0.72)	56.18	(0.02)
	बचाव व्युत्पन्नियों पर	1,681.43	(0.72)	56.18	(0.02)
	व्यापारिक व्युत्पन्नियों पर	-	-	-	-
5	वर्ष के दौरान परिलक्षित अधिकतम एवं न्यून तम 100* पी वी 01				
	बचाव पर	1912.87/0.56	(0.72)/(2.47)	88.26/56.18	(2.37)/(4.82)
	व्यापार पर	-	-	-	-

**9. एआईएफआई द्वारा जारी नेटर ऑफ कम्फर्ट का प्रकटीकरण**

वर्ष के दौरान जारी कम्फर्ट पत्रों का विवरण, आकलित वित्तीय प्रभाव और पहले के जारी किए गए कम्फर्ट पत्रों के आकलित संचयी वित्तीय देयताओं तथा अग्रिमों के विवरण निम्नवत हैं: :

(₹ करोड़ )

यथा 31 मार्च, 2022 को एलओसी विषयक बकाया		वर्ष के दौरान जारी एल ओ सी		वर्ष के दौरान उन्मोचित की गयी एलओसी		यथा 31 मार्च, 2023 को एलओसी विषयक बकाया	
एल ओ सी की संख्या	राशि	एल ओ सी की संख्या	राशि	एल ओ सी की संख्या	राशि	एल ओ सी की संख्या	राशि
-	-	-	-	-	-	-	-

## 10. आस्ति-देयता प्रबंध

(₹ करोड़ )

	1 से 14 दिन	15 से 28 दिन	29 दिन से 3 महीना	3 महीने से अधिक एवं 6 महीने तक	6 महीने से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	योग
जमा	34.63	28.75	1,616.06	375.23	40,178.28	1,17,330.89	2,791.15	2,681.16	1,65,036.15
अग्रिम	6,997.81	3,988.66	50,914.03	65,123.20	65,005.05	1,50,447.99	12,202.58	1,759.75	3,56,439.07
निवेश	12,067.13	893.26	9,319.83	10,471.73	-	266.20	2,082.81	3,218.56	38,319.52
उधारियां	15,640.96	3,600.00	73,581.99	26,684.22	34,913.39	44,652.76	836.77	747.83	2,00,657.92
विदेशी मुद्रा आस्तियां	6.87	8.03	911.60	32.72	364.03	2,253.17	367.78	-	3,944.20
विदेशी मुद्रा देयताएं	13.20	6.43	530.98	47.71	482.50	2,051.84	693.42	563.67	4,389.75

## 11. आरक्षितियों से आहरित

पिछले वर्ष और इस वर्ष के दौरान आरक्षितियों में से आहरण द्वारा कोई कमी नहीं हुई है।

## 12. व्यवसायगत अनुपात

(₹ करोड़ )

विवरण	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2021-22
औसत ईक्विटी पर प्रतिफल (कर प्रावधान के पूर्व) (%)	16.98	10.55
औसत आस्तियों पर प्रतिफल (कर प्रावधान के पूर्व) (%)	1.32	1.17
प्रति कर्मचारी निवल लाभ (₹ करोड़)	3.22	1.99

## 13. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गए दंडों का प्रकट

भा. रि. बैंक द्वारा बैंक पर पिछले वर्ष और इस वर्ष किसी भी प्रकार का दंड नहीं लगाया गया है।

## 14. ग्राहकों की शिकायत

## 1. बैंक को अपने ग्राहकों से प्राप्त शिकायतें

(₹ करोड़ )

विवरण	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2021-22
1 वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	1	7
2 वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	230	234
3 वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	230	240
3(i) जिनमें से, बैंक द्वारा खारिज की गई शिकायतों की संख्या	83	19
4 वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	1	1

## 2. ग्राहकों से बैंक को प्राप्त शिकायतों के शीर्ष पांच आधार

शिकायतों के आधार, (अर्थात् मद विशेष संबंधी शिकायत)	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या का प्रतिशतता में वृद्धि / कमी	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	5 में से, 30 दिनों से अधिक लंबित शिकायतों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>वि व 2023</b>					
ऋण और अग्रिम	-	35	(18.60)	-	-
बिना किसी पूर्व सूचना / अत्यधिक शुल्क/मोचनरोध शुल्क लगाना	-	35	34.62	-	-
अन्य	1	53	(67.88)	1	-

शिकायतों के आधार, (अर्थात मद विशेष संबंधी शिकायत	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या का प्रतिशतता में वृद्धि / कमी	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	5 में से, 30 दिनों से अधिक लंबित शिकायतों की संख्या
--	---	--	---	--	---

**वि व 2022**

ऋण और अग्रिम	-	43	(27.12)	-	-
बिना किसी पूर्व सूचना / अत्यधिक शुल्क/मोचनरोध शुल्क लगाना	-	26	160	-	-
अन्य	7	165	(42.71)	1	-

भा. रि. बैंक ने बैंकों में शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने करने के संबंध में दिनांक 27.01.2021 के अपने परिपत्र सं. सीईपीडी. सीओ.पीआरडी. 01/13.01.013/2020-21 के माध्यम से शिकायतों को 16 श्रेणियों में वर्गीकृत किया था और बैंकों को तदनुसार प्रकटीकरण करने का परामर्श दिया था। y.

**15. प्रायोजित किये गए तुलन-पत्रेतर एसपीवी**

पिछले वर्ष और इस वर्ष के दौरान बैंक का एस पी वी प्रायोजित कोई तुलन-पत्रेतर आंकड़ा नहीं है।

**16. विशिष्ट लेखांकन- मानकों के अनुसार प्रकटीकरण**

**(क) लेखांकन मानक 5- अवधि का निवल लाभ अथवा हानि, पूर्ववर्ती अवधि की मर्दे और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन**

अनुसूची XIII में वि व 2022-23 के दौरान 'अन्य आय में पूर्ववर्ती अवधि की आय ₹10,08,72,058 शामिल है [पिछले वर्ष में ₹4,66,88,641] और अनुसूची XIV में वर्णित विव 2021-22 के लिए पूर्व के परिचालनगत व्यय 1,22,71,798 [पिछले वर्ष का व्यय [₹2,58,64,368] शामिल है..

**(ख) लेखांकन मानक 17 - खंड रिपोर्टिंग**

जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर निर्देश और लेखांकन मानक 17 खंड रिपोर्टिंग के अंतर्गत अपेक्षित है, बैंक ने व्यवसाय खंड का प्रकटन प्राथमिक खंड के रूप में किया है. चूंकि बैंक भारत में परिचालनरत है अतः रिपोर्टिंग योग्य भौगोलिक खंड नहीं है. बैंक ने व्यवसाय खंड के अंतर्गत समग्र परिचालन (प्रत्यक्ष वित्त), समग्र परिचालन (पुनर्वित्त) और समग्र परिचालन (ट्रेजरी) - ये तीन रिपोर्टिंग खण्ड निर्धारित किए हैं. ये खंड उत्पादों और सेवाओं की प्रकृति और जोखिम स्वरूप, संगठनात्मक ढांचे तथा बैंक की आंतरिक रिपोर्टिंग व्यवस्था पर विचार के बाद निर्धारित किए हैं. पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू पद्धति के अनुसार बनाने के लिए पुनर्समूहित तथा पुनर्वर्गीकृत किया गया है। .

**भाग क : व्यवसाय खण्ड**

(₹ करोड़ )

व्यवसाय खंड	समग्र परिचालन (प्रत्यक्ष ऋण)		समग्र परिचालन (पुनर्वित्त)		ट्रेजरी		कुल	
	विव 2023	विव 2023	विव 2023	विव 2023	विव 2023	विव 2023	विव 2023	विव 2023
<b>1 खंड राजस्व</b>	1,554.09	1,209.25	14,088.67	6,587.11	2,842.05	1,342.82	18,484.81	9,139.18
असाधारण मर्दे								
<b>योग</b>							<b>18,484.81</b>	<b>9,139.18</b>
<b>2 खंड परिणाम</b>	379.02	340.18	3,109.40	1,689.44	1,238.47	600.94	4,725.89	2,629.56
असाधारण मर्दे								
<b>योग</b>							<b>4,725.89</b>	<b>2,629.56</b>
अविनिधानीय खर्चे							328.41	241.73
<b>परिचालन लाभ</b>							<b>4,397.48</b>	<b>2,388.33</b>
आयकर (पुनरांकन के बाद)							1,053.91	430.23
<b>निवल लाभ</b>							<b>3,343.57</b>	<b>1,958.10</b>

(₹ करोड़ )

व्यवसाय खंड	समग्र परिचालन (प्रत्यक्ष ऋण)		समग्र परिचालन (पुनर्वित्त)		ट्रेजरी		कुल	
	विवरण	विव 2023	विव 2023	विव 2023	विव 2023	विव 2023	विव 2023	विव 2023
<b>3 अन्य सूचना</b>								
खंड आस्तियां	20,055.91	14,432.35	3,37,995.11	1,89,084.40	41,111.89	42,082.79	3,99,162.91	2,45,598.55
अविनिधानीय आस्तियां							3,219.82	1,779.14
कुल आस्तियां							<b>4,02,382.73</b>	<b>2,47,377.69</b>
खण्ड देयताएं	15,883.66	10,616.77	3,16,857.75	1,74,444.45	39,112.64	35,888.26	3,71,854.05	2,20,949.48
अविनिधानीय देयताएं							3,025.62	2,144.58
योग							<b>3,74,879.67</b>	<b>2,23,094.06</b>
पूंजी /आरक्षितिया	4,155.25	3,752.69	21,028.09	14,472.02	2,319.03	6,059.92	27,502.37	24,284.63
योग							<b>27,502.37</b>	<b>24,284.63</b>
कुल देयताएं							<b>4,02,382.73</b>	<b>2,47,378.69</b>

भाग ख: भौगोलिक खंड - बैंक का संचालन केवल भारत तक ही सीमित है, इसलिए कोई रिपोर्ट योग्य भौगोलिक खंड नहीं है।

## (ग) लेखांकन मानक 18 - संबंधित पक्षकार प्रकट

## (i) संबंधित पक्षकार के विवरण

पक्षकार का नाम	संबंध की प्रकृति
सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड	सहायक
सिडबी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड	सहायक
माइक्रो यूनित्स डेवलपमेंट & रेफाइनंस एजेंसी लिमिटेड	सहायक
इंडिया एसएमई टेकनालजी सर्विसेस लिमिटेड	सहयोगी
एक्यूट रेटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड	सहयोगी
रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड	सहयोगी
इंडिया एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड	सहयोगी
अपिटको लिमिटेड*	सहयोगी
कितको लिमिटेड	सहयोगी

\*20 नवंबर, 2021 को बेचा गया निवेश

## (ii) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

श्री शिवसुब्रमण्यम रमन	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री वी. सत्य वेंकट राव	उप प्रबंध निदेशक
श्री सुदत्त मंडल	उप प्रबंध निदेशक

## (iii) संबंधित पक्षकारों के साथ महत्वपूर्ण लेनदेन

(₹ करोड़ )

मर्दे /संबंधित पक्ष	अनुषंगी	सहयोगी/संयुक्त वेंचर	मुख्य प्रबंध कार्मिक @	प्रमुख प्रबंधन कार्मियों के रिश्तेदार	योग
<b>उधारियां #</b>	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-	-	-
<b>जमा #</b>	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	-	11.50	-	-	11.50
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	11.50	-	-	11.50
<b>जमा स्थानन #</b>	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-	-	-

(₹ करोड़ )

मर्दे /संबंधित पक्ष	अनुषंगी	सहयोगी/संयुक्त वेंचर	मुख्य प्रबंध कार्मिक @	प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के रिश्तेदार	योग
<b>अग्रिम #</b>	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-	-	-
<b>निवेश #</b>	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	1,751.05	36.10	-	-	1,787.15
वर्ष के दौरान अधिकतम	1,751.05	36.10	-	-	1,787.15
<b>अनिधिकृत वचनबद्धताएं#</b>	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-	-	-
<b>उपयोग की गयी पट्टा व्यवस्था</b>	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-	-	-
<b>प्रदत्त पट्टा व्यवस्था #</b>	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-	-	-
स्थिर आस्तियों की खरीद	-	-	-	-	-
स्थिर आस्तियों की बिक्री	-	-	-	-	-
<b>भुगतान किया गया ब्याज</b>	-	0.45	-	-	0.45
<b>प्राप्त ब्याज</b>	-	-	-	-	-
<b>प्राप्य लाभांश</b>	26.64	0.51	-	-	27.15
<b>भुगतान किया गया लाभांश</b>	-	-	-	-	-
<b>सेवा देना</b>	11.76	2.75	-	-	14.51
<b>सेवाओं की प्राप्ति*</b>	-	-	-	-	-
<b>प्रबंधन संविदाएं</b>	-	-	1.35	-	1.35

@निदेशक मंडल के पूर्णकालिक निदेशक

# वर्ष के अंत में बकाया और वर्ष के दौरान अधिकतम का प्रकट किया जाना है।

\*करारगत सेवाएं आदि किन्तु रेमिटेंस सुविधाएँ, लाकर सुविधाएँ इत्यादि जैसी सेवाएं नहीं हैं।

\*\* मुख्य प्रबंध कार्मिकों के पारिश्रमिक

### 17. अपरिशोधित पेंशन एवं उपदान देयताएं

पेंशन एवं उपदान देयताओं को बीमांकिक मूल्यांकन आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रायोजना इकाई जमा आधार पर किया जाता है। बीमांकिक लाभ /हानि को तुरंत लाभ हानि लेखे में लिया गया है, उनका परिशोधन नहीं किया गया है।

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मण्डल के आदेश से

कृते बोरकर एंड मुजूमदार  
सनदी लेखाकर  
FRN.101569W

अजित नाथ झा  
मुख्य वित्तीय अधिकारी  
उप प्रबंध निदेशक

सुदत्ता मंडल  
उप प्रबंध निदेशक

वी सत्य वेंकट राव  
उप प्रबंध निदेशक

सिवसुब्रमणियन रमण  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दर्शित दोषी  
साझेदार  
सदस्यता संख्या- 133755

जी. गोपालकृष्ण  
निदेशक

अमित टंडन  
निदेशक

स्थान : मुंबई  
दिनांक : 12 मई, 2023

# नकदी प्रवाह विवरण

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष का

(राशि ₹ में)

31.03.2022	विवरण	31.03.2023	31.03.2023
	<b>1. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह</b>		
23,88,02,02,681	लाभ और हानि खाते के अनुसार कर पूर्व निवल लाभ		43,97,48,24,372
	निम्नलिखित के लिए समायोजन		
36,18,71,759	मूल्यहास	26,23,28,294	
5,53,33,454	निवेश में निवल मूल्यहास के लिए प्रावधान	26,05,29,926	
3,98,31,68,645	किया गया प्रावधान (पुनरांकन के बाद)	9,19,41,00,782	
(70,43,74,178)	निवेश की बिक्री से लाभ (निवल)	(44,63,03,402)	
(14,25,891)	स्थिर आस्तियों की बिक्री से लाभ	(1,33,74,835)	
(47,78,14,759)	निवेशों पर प्राप्त लाभांश	(32,37,39,322)	8,93,35,41,443
<b>27,09,69,61,711</b>	<b>परिचालनों से उपार्जित नकदी</b>		<b>52,90,83,65,815</b>
	(परिचालनगत आस्तियों और देयताओं में परिवर्तन से पूर्व		
	निम्नलिखित में निवल परिवर्तन हेतु समायोजन		
(38,08,83,847)	चालू आस्तियां	(12,79,59,67,735)	
(17,31,75,47,708)	चालू देयताएं	16,38,89,72,497	
(13,44,52,273)	विनिमय बिल	(5,17,69,19,134)	
(4,59,94,00,35,099)	ऋण एवं अग्रिम	(15,36,08,86,06,820)	
3,66,22,24,58,973	बाण्डों व ऋणपत्रों तथा अन्य उधारियों से निवल प्राप्तियां	12,49,45,48,36,350	
1,64,66,31,03,814	प्राप्त जमाएं	2,41,57,71,89,722	
<b>53,11,26,43,861</b>			<b>(46,64,04,95,120)</b>
80,20,96,05,572			6,26,78,70,695
(5,04,41,76,103)	कर अदायगी	(12,60,92,47,571)	(12,60,92,47,571)
<b>75,16,54,29,469</b>	<b>परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह</b>		<b>(6,34,13,76,876)</b>
	<b>2. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह</b>		
(51,84,59,830)	स्थिर आस्तियों का निवल (क्रय)/ विक्रय	(28,16,59,013)	
(1,42,32,30,93,515)	निवेशों का निवल (क्रय)/ विक्रय/ शोधन	8,41,52,41,728	
47,78,14,759	निवेशों से प्राप्त आय	32,37,39,323	
<b>(1,42,36,37,38,586)</b>	<b>निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी</b>		<b>8,45,73,22,038</b>
	<b>3. वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह</b>		
14,22,80,00,000	शेयर पूंजी एवं शेयर प्रीमियम के निर्गम से प्राप्तियां	-	
(1,06,38,44,062)	ईक्विटी शेयरों से लाभांश एवं लाभांश पर कर	(79,81,84,026)	
<b>13,16,41,55,938</b>	<b>वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी</b>		<b>(79,81,84,026)</b>



(राशि ₹ में)

31.03.2022	विवरण	31.03.2023	31.03.2023
(54,03,41,53,179)	4. नकदी एवं नकदी समतुल्य में निवल बढ़ोत्तरी / (कमी)		1,31,77,61,136
79,09,84,37,487	5. अवधि के प्रारम्भ में नकदी एवं नकदी समतुल्य		25,06,42,84,308
25,06,42,84,308	6. अवधि की समाप्ति पर नकदी एवं नकदी समतुल्य		26,38,20,45,444
	7. अवधि के अंत में नकदी एवं नकदी तुल्य राशियों में निम्नलिखित शामिल हैं		
7,18,409	हाथ में नकदी		6,02,342
92,87,49,749	बैंक में चातू खाते में अतिशेष		6,30,72,99,170
19,99,90,00,050	म्यूचुअल फंड		-
4,13,58,16,100	जमा राशियां		20,07,41,43,932

टिप्पणी : नकदी प्रवाह विवरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी एएस-3 (पुनरीक्षित) 'नकदी प्रवाह विवरण' में विनिर्दिष्ट अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया गया है। /

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां XV

लेखा टिप्पणियाँ XVI

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मण्डल के आदेश से

कृते बोरकर एंड मुजूमदार  
सनदी लेखाकार  
FRN.101569W

अजित नाथ झा  
मुख्य वित्तीय अधिकारी

सुदत्ता मंडल  
उप प्रबंध निदेशक

वी सत्य वेंकट राव  
उप प्रबंध निदेशक

सिवसुब्रमणियन रमण  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दर्शित दोषी

साझेदार

सदस्यता संख्या- 133755

जी. गोपालकृष्ण  
निदेशक

अमित टंडन  
निदेशक

स्थान : मुंबई

दिनांक : 12 मई, 2023

## **परिशिष्ट-II**

सिडबी के लाभ-हानि और  
नकदी प्रवाह विवरणी के साथ  
समेकित तुलन-पत्र

# स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

निदेशक मंडल

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

## समेकित वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

### मंतव्य

हमने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (इसके पश्चात इसे 'बैंक' कहा जाएगा), इसकी सहायक संस्थाओं (मुख्य और इसकी सहायक कंपनियों के साथ मिलकर 'समूह' कहलाती है) और इसकी सहयोगी संस्थाओं के संलग्न समेकित वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा की है, इसमें यथा 31 मार्च, 2023 तक के तुलनपत्र, तब समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ और हानि खाता और समेकित नकदी प्रवाह विवरण, और समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियां तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी (इसके पश्चात इसे 'समेकित वित्तीय विवरण कहा जाएगा) शामिल है।

हमारे मत में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और सहयोगी संस्थाओं के अलग-अलग लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार के आधार पर, प्रबंध तंत्र द्वारा प्रस्तुत सहायक के गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और अन्य वित्तीय जानकारी उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सामान्य विनियम, 2000 के विनियम 14(1) के अनुसार आवश्यक जानकारी देते हैं और लेखा मानकों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृश्य देते हैं। समूह और उसके सहयोगियों के मामलों पर यथा 31 मार्च, 2023 तक की स्थिति व उस तिथि को समाप्त हुए वर्ष हेतु इसके समेकित नकदी प्रवाह विवरण, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा अधिसूचित और भारत में आम तौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप है।

### मंतव्य का आधार

हमने समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा भारतीय सनदी

लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुसार संपन्न की है। उक्त मानकों के तहत हमारे दायित्वों का वर्णन हमारी रिपोर्ट के 'समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व ' खंड के अंतर्गत भी किया गया है। हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी "नैतिकता संहिता" के अनुसार उक्त समूह एवं उसके सहयोगियों से स्वतंत्र हैं और हमने इन आवश्यकताओं और नैतिक संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारी धारणा है कि हमने लेखापरीक्षा के लिए जो प्रमाण लिया है वह समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारे मंतव्य को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

### महत्वपूर्ण विषय

हम 7 सहयोगी संस्थाओं के गैर-समेकन के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणियों के "संलग्नक 1- के अतिरिक्त नोट्स" के नोट संख्या 2 ए (7), 2 बी और 2 सी पर ध्यान आकर्षित करते हैं, जहां प्रबंध तंत्र के अनुसार निवेश की राशि वसूली योग्य नहीं है और उसके लिए पूर्ण प्रावधान किया गया है।

समेकित वित्तीय विवरणियों के उपर्युक्त मामले में हमारे मंतव्य में कोई परिवर्तन नहीं है।

### लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण विषय

लेखापरीक्षा के प्रमुख विषय वे विषय हैं, जो हमारी पेशेवर राय में यथा 31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के समेकित वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उन पर अपनी राय बनाने के संदर्भ में, उपयोग किया गया और हम इन विषयों पर एक अलग से कोई राय नहीं देते हैं। नीचे दिए गए प्रत्येक मामले के संदर्भ में हमारा विवरण दिया गया है जैसाकि हमारी लेखापरीक्षा ने इन मामले को संबोधित किया है।

### लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण विषयों का विवरण

लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण विषय	हमारे लेखापरीक्षा में इन महत्वपूर्ण विषयों को कैसे संबोधित किया
अग्रिमों का वर्गीकरण, गैर निष्पादक अग्रिमों की पहचान, आय निर्धारण और अग्रिमों पर प्रावधान (समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची XV के नोट 6 के साथ पठित अनुसूची VIII)	अग्रिमों के वर्गीकरण, अनर्जक अग्रिमों की पहचान, आय निर्धारण और अग्रिमों पर प्रावधान के प्रति हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण/ प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:
(i) अग्रिमों में बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, सूक्ष्म वित्त संस्थाओं और एनबीएफसी को प्रदत्त पुनर्वित्त ऋण और प्रत्यक्ष ऋण, नकद उधार, ओवरड्राफ्ट, मांग पर चुकाने योग्य ऋण और सावधि ऋण शामिल हैं।  भारतीय रिज़र्व बैंक ('भारतीय रिज़र्व बैंक') ने बैंकों के लिए अग्रिमों ('आईआरएसीपी मानदंड') के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंड निर्धारित किए हैं।	- अनर्जक आस्तियों की पहचान और प्रावधानीकरण के लिए बैंक की लेखा नीतियों को समझना और उन पर विचार करना तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुपालन का आकलन करना, अग्रिमों पर किए गए अतिरिक्त प्रावधान शामिल हैं।

लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण विषय	हमारे लेखापरीक्षा में इन महत्वपूर्ण विषयों को कैसे संबोधित किया
<p>अर्जक और अनर्जक अग्रिमों की पहचान (लागू आईआरएसीपी मानदंडों के तहत पुनर्संचित अग्रिमों सहित) करने के लिए उचित प्रक्रियाविधि की स्थापना शामिल है और बैंक द्वारा प्रत्येक अग्रिम के लिए विनियमों द्वारा निर्धारित मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों कारकों की मात्रा की पहचान करने और आवश्यक प्रावधान निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण स्तर पर निर्णय करने की आवश्यकता होती है।</p> <p>अनर्जक आस्तियों की पहचान और प्रावधान के महत्वपूर्ण निर्णय और अनुमान भारी गलत बयानों का कारक हो सकते हैं:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- आईआरएसीपी मानकों के अनुसार उसके मानदंडों के अनुरूप अनर्जक आस्तियों की मान्यता की संपूर्णता और सामयिकता;</li> <li>- ऋण जोखिम, कालावधि बढ़ने और ऋण के वर्गीकरण, प्रतिभूति के वसूली योग्य मूल्य के आधार पर अनर्जक आस्तियों के प्रावधान का मापन;</li> <li>- अनर्जक आस्तियों पर अप्राप्त आय का यथोचित व्यूहक्रमण।</li> </ul> <p>अग्रिमों के वर्गीकरण के बाद से, अनर्जक आस्तियों की पहचान और अग्रिमों पर प्रावधान का सृजन (लागू आईआरएसीपी मानदंडों के तहत पुनर्संचित अग्रिमों पर अतिरिक्त प्रावधान सहित) और अग्रिमों पर आय की पहचान:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- के लिए बैंक द्वारा उपयुक्त स्तर की नियंत्रण प्रक्रियाविधि एवं महत्वपूर्ण स्तर का पूर्वानुमान किया जाना अपेक्षित है।</li> <li>- बैंक के समग्र वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है;</li> </ul> <p>हमने इस क्षेत्र को एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया है।</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित आईआरएसीपी पर मौजूदा दिशानिर्देशों के आधार पर बिगड़ा खातों की पहचान और प्रावधान के लिए प्रमुख नियंत्रणों (सिस्टम आधारित स्वचालित नियंत्रणों सहित) को समझना।</li> <li>- बैंक द्वारा अनर्जक आस्तियों की पहचान को शामिल करने वाली मूल लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं सहित अन्य प्रक्रियाएं सम्पन्न करना। इन प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल थे       <ol style="list-style-type: none"> <li>i. वे अनुप्रयोग प्रणाली, जहां अग्रिम दर्ज किए गए हैं से प्राप्त अपवाद रिपोर्ट के परीक्षण के बारे में विचार।</li> <li>ii. दबावग्रस्तता की पहचान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का बड़ी जमाराशियों पर सूचना के केंद्रीय भंडार में बैंक बड़े ऋणों (सीआरआईएलसी) में बैंक द्वारा व अन्य बैंकों द्वारा रिपोर्ट किए गए खातों विशेष उल्लेखनीय खातों ("एसएमए") के रूप में ध्यान में रखते हुए विचार।</li> <li>iii. मात्रात्मक और गुणात्मक जोखिम कारकों के आधार पर चुने गए उधारकर्ताओं के खाते के विवरण और आहरण शक्ति गणना, प्रतिभूति और अन्य संबंधित जानकारी की समीक्षा करना।</li> <li>iv. ऋण और जोखिम समिति की बैठकों के कार्यवृत्तों को पढ़ना और ऋण विभाग के साथ यह पता लगाने के लिए पूछताछ करना कि क्या दबाव के संकेत थे या ऋण खाते या किसी उत्पाद में चूक की घटना हुई थी।</li> <li>v. बैंक की नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार संपन्न आंतरिक लेखापरीक्षा और समवर्ती लेखापरीक्षा को ध्यान में रखते हुए विचार करना।</li> <li>vi. बैंक पर भा. रि. बैंक वित्तीय निरीक्षण रिपोर्ट पर विचार करते हुए, वर्ष के दौरान भा. रि. बैंक के साथ टिप्पणियों और अन्य संचार पर बैंक की प्रतिक्रिया</li> <li>vii. बैंक की कोर बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से आईआरएसीपी प्रक्रियाओं के स्वचालन पर भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए बैंक द्वारा नियुक्त बाहरी विशेषज्ञ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की समीक्षा करना।</li> <li>viii. भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर परिपत्रों/दिशानिर्देशों के अनुपालन में दबावग्रस्त/पुनर्संचित अग्रिमों सहित अग्रिमों की नमूने के तौर पर जांच।</li> <li>ix. नमूना स्वरूप उधारकर्ताओं के लिए खाते की शेष-राशि की स्वतंत्र पुष्टि की मांग</li> <li>x. शाखाओं/कार्यालयों का दौरा करना और अग्रिमों से संबंधित प्रलेखन और अन्य अभिलेखों की जांच सुनिश्चित करना।</li> </ol> <p>पहचाने गए अनर्जक अग्रिमों के लिए, हमने आस्ति वर्गीकरण तिथियों, अप्राप्त ब्याज का प्रत्यावर्तन, उपलब्ध प्रतिभूति के मूल्य और आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार प्रावधान का दबावग्रस्त क्षेत्रों और खाते की पद्धति सहित कारकों के आधार पर, नमूना के रूप में परीक्षण किया। हमने प्रमुख निविष्ट कारकों पर विचार करने के बाद ऐसे नमूनों पर गैर निष्पादक आस्तियों के प्रावधान की पुनर्गणना की और हमारे मापन के परिणामों की प्रबंध तंत्र द्वारा तैयार किए गए माप से तुलना की।</p> </li> </ul>

लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण विषय	हमारे लेखापरीक्षा में इन महत्वपूर्ण विषयों को कैसे संबोधित किया
<p>(ii) निवेशों का मूल्यांकन, गैर-निष्पादक निवेशों की पहचान और उसके लिए प्रावधान (समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची XV के नोट 3 के साथ पठित अनुसूची VII)</p> <p>निवेशों को कोषागार परिचालनों और व्यवसाय परिचालनों के तहत वर्गीकृत किया गया है। निवेश में बैंक द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों, बांडों, डिबेंचर, शेयरों, म्यूचुअल फंड, वीसीएफ और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में किए गए निवेश शामिल हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों और निर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निवेश के मूल्यांकन, निवेश के वर्गीकरण, गैर-निष्पादित निवेश की पहचान, आय की गैर-मान्यता और गैर-निष्पादक निवेश के प्रति प्रावधान शामिल हैं।</p> <p>उपर्युक्त प्रतिभूतियों की प्रत्येक श्रेणी (प्रकार) का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों और निर्देशों में निर्धारित विधि के अनुसार किया जाना है, जिसमें विभिन्न स्रोतों जैसे एफबीआईएल/एफआईएमएमडीए बीएसई / एनएसई पर उद्धृत दरों गैर सूचित कंपनियों आदि की वित्तीय विवरणियाँ के आंकड़े/ संग्रह शामिल हैं।</p> <p>हमने लागू विनियामक दिशानिर्देशों और बैंक की नीतियों, एचटीएम बही के आधार पर हासित मूल्यांकन के लिए प्रबंध का निर्णय, विनियामक ध्यान केन्द्रित करने का स्तर और बैंक के वित्तीय परिणामों के लिए समग्र महत्व के आधार पर कतिपय निवेशों (बॉन्ड और डिबेंचर, वीसीएफ) के मूल्य निर्धारण में शामिल प्रबंधतंत्र के निर्णय, के कारण निवेश के मूल्यांकन और अनर्जक निवेशों की पहचान को एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया है।</p>	<p>भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों/निर्देशों के संदर्भ में निवेश के प्रति हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण/प्रक्रियाओं में मूल्यांकन, वर्गीकरण, अनर्जक निवेशों (एनपीआई) की पहचान और निवेश से संबंधित प्रावधान/मूल्यहास के संबंध में आंतरिक नियंत्रण और वास्तविक लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की समझ शामिल है। विशेष रूप से -</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- हमने मूल्यांकन, वर्गीकरण, एनपीआई की पहचान, एनपीआई पर आय का व्यूहक्रमण और निवेश से संबंधित प्रावधान/मूल्यहास के संबंध में प्रासंगिक भारतीय रिज़र्व बैंक दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन किया और उसे समझा;</li> <li>- हमने इन निवेशों के बाजार मूल्य का निर्धारण करने के लिए विभिन्न स्रोतों से सूचना एकत्र करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का मूल्यांकन और निरूपण किया;</li> <li>- हाथ में निवेश के चयनित नमूने के लिए, हमने सुरक्षा की प्रत्येक श्रेणी के लिए मूल्यांकन को फिर से निष्पादित करके भारतीय रिज़र्व बैंक मास्टर परिपत्रों और निर्देशों के साथ सटीकता और अनुपालन का परीक्षण किया;</li> <li>- हमने भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों और निर्देशों के अनुसार बनाए रखने के प्रावधान को स्वतंत्र रूप से पुनर्गणना करने के लिए मूल लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं कीं। तदनुसार, हमने प्रत्येक श्रेणी के निवेश से नमूनों का चयन किया और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीआई के लिए परीक्षण किया और भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र के अनुसार किए गए प्रावधान की पुनर्गणना की और यदि एनपीआई के उन चयनित नमूने के लिए इन दिशा निर्देशों के अनुसार आय का उपचय किए जाने का परीक्षण किया है;</li> </ul>
<p>(iii) वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए सूचना प्रौद्योगिकी ('सूचना प्रौद्योगिकी') प्रणाली और नियंत्रण</p> <p>बैंक की प्रमुख वित्तीय लेखांकन व रिपोर्टिंग प्रक्रियाएं प्रणाली में स्वचालित नियंत्रण सहित सूचना प्रणालियों पर अत्यधिक निर्भर हैं, इतना जोखिम विद्यमान है कि सूचना प्रौद्योगिकी नियंत्रण पर्यावरण में अंतरालों के परिणामस्वरूप वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग रिकॉर्ड भौतिक रूप से गलत हो सकते हैं।</p> <p>सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के पर्यावरण की व्यापक प्रकृति और जटिलता के साथ-साथ सटीक और सामयिक वित्तीय रिपोर्टिंग में इसके महत्व के कारण, हमने इस क्षेत्र को एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में पहचान की है।</p>	<p>वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए बैंक की सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों और संबंधित नियंत्रणों की समीक्षा के लिए हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के एक भाग के रूप में:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- हमने वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए महत्वपूर्ण बैंक की सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली और नियंत्रण के डिजाइन और संचालन की प्रभावशीलता का परीक्षण किया।</li> <li>- बैंक के पास उचित समयावधि में चिन्हित किए गए अनुप्रयोग प्रणाली के लिए अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर लेखापरीक्षा की व्यवस्था है। शाखाओं में सूचना प्रणाली (आईएस) की लेखापरीक्षा बैंक द्वारा उचित समयावधि में की जाती है।</li> <li>- हमने वर्ष के दौरान बैंक की आईटी प्रणालियों पर संपन्न की गई लेखापरीक्षा से उत्पन्न प्रमुख टिप्पणियों की समीक्षा की।</li> </ul>

लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण विषय	हमारे लेखापरीक्षा में इन महत्वपूर्ण विषयों को कैसे संबोधित किया
<p>(iv) <b>प्रावधानों और आकस्मिक देयताओं का आकलन (समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची XV का नोट 10 और नोट 12)</b></p> <p>प्रत्यक्ष कर सहित कुछ मुकदमों के प्रावधानों और आकस्मिक देयताओं का आकलन, अन्य पार्टियों द्वारा दायर किए गए विभिन्न दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया (समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची XI) और विभिन्न कर्मचारी लाभ योजनाओं (समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची V) की पहचान एक महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा क्षेत्र के रूप में की गई ।</p> <p>आवश्यक प्रावधान के स्तर का अनुमान करने के साथ-साथ कर मामलों और अन्य कानूनी दावों के संबंध में प्रावधानों और आकस्मिक देयताओं के प्रकटीकरण में उच्च स्तर का निर्णय शामिल है।</p> <p>बैंक का मूल्यांकन आवश्यकतानुसार मामले के तथ्यों, उनके अपने निर्णय, विगत अनुभव, और कानूनी और स्वतंत्र कर सलाहकारों की सलाह से समर्थित है। तदनुसार, अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम बैंक द्वारा सूचित लाभ और तुलनपत्र में प्रस्तुत मामलों की स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं।</p> <p>कर्मचारी लाभ विषयक देयताओं के मूल्यांकन की गणना कई बीमांकिक मान्यताओं और निविष्टि सहित छूट दर, मुद्रास्फीति की दर और मृत्यु दर के संदर्भ में की जाती है। इस संबंध में वित्त पोषित आस्तियों का मूल्यांकन भी पूर्वानुमानों में बदलाव के प्रति संवेदनशील है।</p>	<p>हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण/प्रक्रियाओं में यह शामिल था :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- मुकदमों/कर निर्धारणों की वर्तमान स्थिति को समझना;</li> <li>- विभिन्न कर प्राधिकरणों/न्यायिक मंचों से प्राप्त हालिया आदेशों और/या संचार की जांच करना और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करना;</li> <li>- बैंक के कर परामर्शदाताओं के मंतव्य सहित उसमें प्रस्तुत आधारों और उपलब्ध स्वतंत्र कानूनी/ कर परामर्श के संदर्भ में गुणावगुणों का मूल्यांकन करना;</li> <li>- बैंक के तर्कों का मूल्यांकन, समीक्षा और विश्लेषण, चर्चा के माध्यम से विचाराधीन विषय के विवरण का संग्रह, संभावित परिणाम और उन मुद्दों पर परिणामी संभावित बहिर्गमन ; तथा</li> <li>- आंकड़ों की पूर्णता और सटीकता सुनिश्चित करना, योजनाओं की आस्तियों के उचित मूल्य का मापन, विशिष्ट योजनाओं और प्रचलित प्रथाओं के साथ कर्मचारी देयताओं को महत्व देने के लिए प्रबंधन द्वारा उपयोग की जाने वाली धारणाओं को निर्धारित करने में किए गए निर्णयों को समझना।</li> <li>- हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में प्रत्याशित आयु अनुमानों की प्रासंगिक मृत्यु तालिका, बेंचमार्किंग मुद्रास्फीति और बाहरी बाजार के आंकड़ों के मुकाबले छूट दरों की तुलना करके बीमांकिक द्वारा उपयोग की गई कतिपय मान्यताओं का आकलन शामिल था। हमने योजना आस्तियों के मूल्य का सत्यापन योजना आस्तियों का प्रबंधन करने वाली आस्ति प्रबंधन कंपनियों द्वारा दिए गए विवरणों से किया है।</li> <li>- समेकित वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण मुकदमों, कराधान मामलों और कर्मचारी लाभ विषयक देयताओं से संबंधित प्रकटीकरण का सत्यापन।</li> </ul>



## समेकित वित्तीय विवरण और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य सूचना

अन्य सूचना के लिए बैंक का प्रबंध तंत्र उत्तरदायी है। अन्य सूचना में वार्षिक रिपोर्ट में सम्मिलित सूचना शामिल है, लेकिन इसमें समेकित वित्तीय विवरण और हमारी लेखापरीक्षक रिपोर्ट शामिल नहीं है। इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख के बाद बैंक द्वारा हमें वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध कराए जाने की संभावना है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारे मंतव्य में अन्य सूचना शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों के हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी उत्तरदायित्व है कि के उपलब्ध होने पर हम अन्य सूचनाओं को पढ़ें और ऐसा करने में, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य सूचना समेकित वित्तीय विवरणों या लेखापरीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी के साथ संगत है या नहीं अथवा तथ्यात्मक रूप से मिथ्याकथन प्रतीत होता है। बैंक की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ते हुए, यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इस अन्य सूचना में कोई तथ्यात्मक मिथ्याकथन किया गया है, तो हमें इस मामले को अभिशासन प्रभारियों को सूचित करना होगा।

## प्रबंधन और समेकित वित्तीय विवरणों के अभिशासन प्रभारियों का उत्तरदायित्व

बैंक का प्रबंधन इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने के संबंध में उत्तरदायी है, जो भारतीय लघु उद्योग विकास सामान्य विनियम 2000 और भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांत जिनमें आईसीएआई द्वारा जारी किए गए लेखा मानक, और समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक ('भारतीय रिजर्व बैंक') द्वारा जारी परिपत्र और दिशानिर्देश के अनुसार समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय कार्यनिष्पादन और समूह के समेकित नकदी प्रवाह के बारे में सही और उचित स्थिति दर्शाते हैं। समूह में शामिल संस्थाओं और उसके सहयोगियों के संबंधित प्रबंधन पर्याप्त लेखांकन अभिलेख रखने, समूह की आस्तियों की सुरक्षा तथा कपट व अन्य अनियमितताओं की रोकथाम और उनका पता लगाने, उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन व प्रयोग औचित्यपूर्ण तथा विवेकसम्मत निर्णय व प्राक्कलन करने, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने की दृष्टि से परिचालन वाले ऐसे आंतरिक नियंत्रणों के निर्धारण, व उन्हें कायम रखने के लिए उत्तरदायी हैं, जिन्हें बैंक के प्रबंध तंत्र ने उपयुक्त रूप में समेकित वित्तीय विवरणों की तैयार करने तथा उसके प्रस्तुतीकरण के लिए प्रासंगिक हों सच्ची तथा उचित स्थिति दर्शाते हों और कपटपूर्ण अथवा त्रुटिवश हुए तथ्यात्मक मिथ्याकथन से रहित हों।

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में, बैंक तथा समूह में शामिल संस्थाओं और इसके संगठनों के संबंधित निदेशक मण्डल लाभप्रद प्रतिष्ठान के रूप में समूह के जारी रहने की क्षमता के आकलन, यथास्थिति लाभप्रद प्रतिष्ठान से संबंधित मामलों प्रबंधन के प्रकटन तथा जबतक प्रबंधन समूह के समापन अथवा परिचालन बंद करने का इरादा नहीं रखता है, अथवा ऐसा करने के अलावा उसके पास कोई वास्तविक विकल्प नहीं होता तब तक लाभप्रद प्रतिष्ठान का आधार प्रयोग करते रहने के लिए उत्तरदायी है।

बैंक व समूह में शामिल संस्थाओं तथा सहयोगी संगठनों के संबंधित निदेशक मण्डल समूह की रिपोर्टिंग प्रक्रिया के पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी हैं।

## समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य समग्र रूप से समेकित वित्तीय विवरण के कपट से अथवा त्रुटि होने वाले तथ्यात्मक मिथ्या- कथन से रहित होने का आश्वासन प्राप्त करना, और एक ऐसी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल हो। समुचित आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन होता है किन्तु वह ऐसी गारंटी नहीं है कि लेखापरीक्षक मानक के अनुरूप की गई लेखापरीक्षक में सदा ही किसी तथ्यात्मक मिथ्या कथन की मौजूदगी का पता चला जाएगा। मिथ्या कथन कपट अथवा त्रुटिवश हो सकते हैं और उन्हें एकल रूप से अथवा सम्मिलित रूप से तथ्यात्मक माना जाता है। जब इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ता द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों के उन मिथ्याकथनों से पर्याप्त रूप से प्रभावित होने की संभावना हो।

लेखापरीक्षा मानक के अनुरूप लेखापरीक्षा के हिस्से के रूप में, हम समूची लेखापरीक्षा प्रक्रिया के दौरान पेशेवराना विवेक का उपयोग करते हैं पेशेवराना सावधानी बनाए रखते हैं। साथ ही, हम :

- कपटपूर्ण अथवा त्रुटिवश वित्तीय विवरणों में तथ्यात्मक मिथ्याकथन के जोखिमों को पहचान व आकलन करते हैं, उक्त जोखिमों के अनुरूप लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ तैयार करके उन्हें सम्पन्न करते हैं और लेखापरीक्षा का ऐसा प्रमाण प्राप्त करते हैं जो हमारे मंतव्य का आधार बनने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त हो। किसी कपट के फलस्वरूप तथ्यात्मक मिथ्याकथन का पता न चलने का जोखिम त्रुटिवश हुए मिथ्याकथन के जोखिम की तुलना में बड़ा होता है क्योंकि कपट में मिलीभगत, जालसाजी, इरादतन भूल चूक, मिथ्या प्रस्तुतीकरण अथवा आंतरिक नियंत्रण की अनदेखी का हाथ हो सकता है।
- लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की जानकारी प्राप्त करते हैं ताकि उन परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा की ऐसी प्रक्रिया तैयार की जा सके जो उक्त परिस्थिति के लिए उपयुक्त हो लेकिन प्रभावकारिता पर मंतव्य व्यक्त करने के उद्देश्य से नहीं।
- उपयोग की गई लेखांकन नीति की उपयुक्तता और लेखांकन प्राक्कलनों तथा प्रबंधन द्वारा समेकित वित्तीय विवरणों में किए गए तत्संबंधी प्रकटनों का मूल्यांकन करते हैं।
- प्रबंधन द्वारा लेखांकन के लिए लाभप्रद प्रतिष्ठान के आधार के उपयोग की उपयुक्तता के संबंध में और प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा प्रमाण के आधार पर यह निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई ऐसी तथ्यात्मक अनिश्चितता विद्यमान है जिसके फलस्वरूप लाभप्रद प्रतिष्ठान के रूप में जारी रहने की समूह की क्षमता पर कोई उल्लेखनीय संदेह उत्पन्न होता हो। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कोई तथ्यात्मक अनिश्चितता विद्यमान है तो हमसे यह अपेक्षित होता है कि अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में हम समेकित वित्तीय विवरणों में तत्संबंधी प्रकटनों अथवा ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हों तो अपने मंतव्य में संशोधन की ओर ध्यान आकर्षित करें। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाणों पर आधारित हैं। किन्तु, भविष्य में होने वाली घटनाओं अथवा स्थितियों के कारण लाभप्रद प्रतिष्ठान के रूप में समूह का जारी रहना बंद

हो सकता है।

- प्रकटीकरण सहित समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषयवस्तु का मूल्यांकन करते हैं, इसमें प्रकटन और यह देखना भी शामिल है कि समेकित वित्तीय विवरण अंतर्निहित संव्यवहारों और घटनाओं को इस तरीके से दर्शाएँ जिससे निष्पक्ष प्रस्तुतिकरण का उद्देश्य पूर्ण हो सके।
- समेकित वित्तीय विवरणों पर मंतव्य व्यक्त करने के लिए समूह और उसके सहयोगी संस्थाओं की वित्तीय जानकारी के संबंध में पर्याप्त उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें। हम समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल बैंक की वित्तीय जानकारी की लेखापरीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं, जिनके हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य संस्थाएं, जिनकी अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की गई है, ऐसे अन्य लेखापरीक्षक उनके द्वारा किए गए अंकेक्षणों के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए उत्तरदायी रहेंगे। हम अपनी लेखापरीक्षा मंतव्य के लिए पूरी तरह उत्तरदायी हैं। इस संबंध में हमारे उत्तरदायित्व को इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट में 'अन्य मामलों' के तहत आगे वर्णित किया गया है।

भौतिकता स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में गलत बयानों का परिमाण है, जिससे व्यक्तिगत या समग्र रूप से यह संभव होता है कि वित्तीय विवरणों के सुविज्ञ उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य की व्याप्ति की योजना बनाने और हमारे काम के परिणामों का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक घटकों पर विचार करते हैं; और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी चिह्नित गलतबयानी के प्रभाव का मूल्यांकन करते हैं।

हम अभिशासन प्रभारियों के साथ अन्य मामलों के अलावा, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्षों व आंतरिक नियंत्रणों की ऐसी उल्लेखनीय कमियों के बारे में बातचीत करते हैं जिन्हें हमने अपनी लेखापरीक्षा के दौरान चिन्हित किया है।

अभिशासन प्रभारियों को हम वह विवरण भी प्रदान करते हैं जिसे हमने निष्पक्षता के संबंध में संगत नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करते हुए तैयार किया है, साथ ही हम उन सभी संबंधों और अन्य विषयों की सूचना भी देते हैं जिससे हमारी निष्पक्षता और जहां लागू हो, वहाँ तत्सम्बंधी सुरक्षा उपायों पर समुचित प्रभाव पड़ने की संभावना हो।

अभिशासन प्रभारियों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए ये प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन हमें ऐसे मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब, अत्यंत विरल परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले को संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणामों की उचित रूप से अपेक्षित है व इस तरह के संचार के सार्वजनिक हित के लाभों से अधिक है।

## अन्य विषय

- I. इन समेकित वित्तीय परिणामों में बैंक के प्रधान कार्यालय सहित हमारे द्वारा देखी गई/लेखापरीक्षित बैंक की 26 शाखाओं की प्रासंगिक विवरणियां शामिल हैं, जिसमें 31 मार्च 2023 तक 96.30 % अग्रिम, 99.30% जमा और 100% बैंक के उधार शामिल हैं। 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए अग्रिमों पर ब्याज आय का 95.09%, जमा पर ब्याज व्यय का 99.19% और बैंक के उधार पर 100% ब्याज व्यय शामिल है। इन शाखाओं का चयन बैंक के प्रबंधन के परामर्श से किया गया है। हमारे लेखापरीक्षा के संचालन में, हमने बैंक की उन शेष शाखाओं से प्राप्त विभिन्न सूचनाओं और विवरणियों पर भरोसा किया है जो हमारे द्वारा नहीं देखी गई हैं और बैंक के प्रधान कार्यालय में केंद्रीकृत डेटाबेस के माध्यम से उत्पन्न हुई हैं।
- II. हमने तीन सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की, जिनके वित्तीय विवरणों में यथा 31 मार्च 2023 तक कुल 38,585.53 करोड़ रुपये की आस्तियां, 553.98 करोड़ रुपये के कुल राजस्व और 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए 580.73 करोड़ रुपये के कर के बाद कुल शुद्ध लाभ दर्शाया गया है और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए 291.85 करोड़ रुपये का निवल नकदी बहिर्वाह, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में माना जाता है, की अन्य स्वतंत्र लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षा की गई है, जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई है। समेकित वित्तीय विवरण पर हमारी राय, जहां तक यह इन सहायक कंपनियों के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरण से संबंधित है, हमारी रिपोर्ट पूरी तरह से अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित
- III. समेकित वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए 33.81 करोड़ रुपये के निवल लाभ में समूह का हिस्सा भी शामिल है। इसे, उन सहयोगियों के संबंध में जिनके वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हमने नहीं की है, उसे समेकित वित्तीय विवरणों में लिया गया है। ये वित्तीय विवरण अलेखापरीक्षित हैं और प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत किए गए हैं और समेकित वित्तीय विवरण पर हमारी राय, जहां तक यह इन सहयोगियों के संबंध में शामिल राशि और प्रकटीकरण से संबंधित है, पूरी तरह से ऐसे अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर आधारित है। हमने प्रबंधन के लिखित अभ्यावेदन पर भरोसा किया है कि इन एसोसिएट्स की लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप रिपोर्ट किए गए नंबरों में किए जाने वाले परिवर्तनों / समायोजनों का प्रभाव, यदि कोई हो, समूह के लिए महत्वपूर्ण नहीं होगा।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारा मंतव्य और नीचे दी गई अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट में उपर्युक्त मामलों के संबंध में और किए गए कार्य और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरण / वित्तीय जानकारी पर हमारी निर्भरता के संबंध में कोई आशोधन नहीं है।

## अन्य विधिक और विनियामकीय अपेक्षाओं संबंधी रिपोर्ट

बैंक के प्रबंधन ने समेकित वित्तीय विवरण लेखांकन मानक (एएस)

21, "समेकित वित्तीय विवरण", लेखांकन मानक (एएस) 23, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी सहयोगी संस्थाओं में निवेश का "समेकित वित्तीय विवरणों में लेखांकन" के अनुरूप तैयार किया है।

हम सूचित करते हैं कि:

क) हमने वह समस्त सूचना व स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोषजनक पाया है;

ख) हमारी राय में, जहां तक हमने उक्त बहियों तथा अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की जांच की है, उससे प्रकट होता है कि उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए विधितः उपयुक्त बही-खाते रखे गए हैं। ;

ग) इस रिपोर्ट में जिस समेकित तुलनपत्र, समेकित लाभ हानि खाते, तथा समेकित नकदी प्रवाह विवरण का उपयोग किया गया है। वे समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य से रखी गई लेखा-बहियों के अनुरूप हैं।

घ) हमारी राय में, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणों में लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन हुआ है।

**कृते बोरकर और मुजूमदार**

सनदी लेखाकार

फर्म का पंजीकरण सं 101569W

**दर्शित दोशी**

साझेदार

सदस्यता संख्या 133755

यूडीआईनः

22133755एजेसीकेएलजेड9767

स्थान : मुंबई

दिनांक: 17 मई, 2022

# समेकित तुलन पत्र

यथा 31 मार्च 2023 का

(राशि ₹ में)

		31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022
<b>पूंजी एवं देयताएँ</b>	<b>अनुसूचियाँ</b>		
पूंजी	I	5,68,54,11,689	5,68,54,11,689
आरक्षितियां अधिशेष एवं निधियाँ	II	2,88,76,87,36,216	2,50,62,78,84,150
जमा	III	19,99,45,59,64,621	17,07,04,29,74,899
उधार	IV	20,06,57,92,03,549	7,57,12,43,67,200
अन्य देयताएँ एवं प्रावधान	V	92,03,25,03,830	68,31,68,04,164
आस्थगित कर देयता		-	-
<b>योग</b>		<b>43,92,52,18,19,905</b>	<b>27,88,79,74,42,102</b>
<b>आस्तियां</b>			
नकदी एवं बैंक शेष	VI	2,86,03,90,96,059	3,07,71,86,06,790
निवेश	VII	2,74,13,43,84,869	2,22,43,61,70,888
ऋण एवं अग्रिम	VIII	37,79,95,53,86,671	22,22,90,63,21,987
स्थिर आस्तियां	IX	2,97,51,82,162	2,93,91,01,100
स्थिर आस्तियां	X	49,41,77,70,144	32,79,72,41,337
<b>योग</b>		<b>43,92,52,18,19,905</b>	<b>27,88,79,74,42,102</b>
आकस्मिक देयताएँ	XI	45,13,44,11,010	53,37,90,27,297

समेकित महत्वपूर्ण लेखा नीतियां (अनुसूची XV) और लेखांकन टिप्पणियाँ (संलग्नक I) उपर्युक्त अनुसूचियां तुलन - पत्र का एक अविभाज्य अंग हैं।

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मण्डल के आदेश से

कृते बोरकर एंड मुजूमदार

अजित नाथ झा

सुदत्ता मंडल

वी सत्य वेंकट राव

सिवसुब्रमणियन रमण

सनदी लेखाकर

मुख्य वित्तीय अधिकारी

उप प्रबंध निदेशक

उप प्रबंध निदेशक

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

एफ आर एन संख्या 101569W

दर्शित दोषी

जी. गोपालकृष्ण

अमित टंडन

साझेदार

निदेशक

निदेशक

सदस्यता संख्या- 133755

स्थान : मुंबई

दिनांक : 12 मई, 2023

# समेकित लाभ-हानि खाता

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष का

(राशि ₹ में)

		31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
<b>आय</b>	<b>अनुसूचियाँ</b>		
ब्याज और बढ़ा	XII	1,94,82,44,81,207	97,15,63,76,643
अन्य आय	XIII	5,18,98,24,336	4,17,42,36,689
<b>योग</b>		<b>2,00,01,43,05,543</b>	<b>1,01,33,06,13,332</b>
<b>व्यय</b>			
ब्याज और वित्तीय प्रभार		1,31,56,49,02,718	63,63,01,56,138
परिचालन व्यय	XIV	8,41,66,47,379	7,11,77,65,894
प्रावधान और आकस्मिक व्यय		8,54,07,24,817	3,78,96,12,908
<b>योग</b>		<b>1,48,52,22,74,914</b>	<b>74,53,75,34,940</b>
<b>कर पूर्व लाभ</b>		<b>51,49,20,30,629</b>	<b>26,79,30,78,392</b>
आयकर के लिए प्रावधान		14,24,27,84,676	4,99,84,22,319
आस्थगित कर समायोजन [(आस्ति) / देयता]		(1,72,73,59,844)	11,67,75,995
आस्थगित कर समायोजन [(आस्ति) / देयता]		(33,81,07,081)	5,80,86,505
<b>कर पश्चात लाभ</b>		<b>39,31,47,12,878</b>	<b>21,61,97,93,573</b>
अग्रानीत लाभ		4,44,99,11,872	3,01,46,01,008
<b>कुल लाभ / (हानि)</b>		<b>43,76,46,24,750</b>	<b>24,63,43,94,581</b>
<b>विनियोजन</b>			
सामान्य आरक्षिति में अंतरण		31,11,88,59,294	18,00,54,03,423
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत विशेष आरक्षित निधि में अंतरण		80,00,00,000	70,00,00,000
भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईसी के तहत सांविधिक आरक्षिति का अंतरण		1,15,14,95,854	46,56,33,348
<b>अन्य</b>			
क) निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षिति में अंतरण		-	10,96,07,912
कर्मचारी कल्याण कोष में अंतरण		11,11,00,000	10,56,54,000
विकास निधि		-	-
शेयरों पर लाभांश		1,13,70,82,338	79,81,84,026
लाभांश पर कर		-	-
अग्रानीत लाभ और हानि खाते में अधिशेष		9,44,60,87,264	4,44,99,11,872
<b>योग</b>		<b>43,76,46,24,750</b>	<b>24,63,43,94,581</b>
प्रति शेयर मूल / विलयित अर्जन		69.15	40.63

समेकित महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां तथा लेखा टिप्पणियाँ (अनुसूची XV) और लेखों पर टिप्पणियां (अनुलग्नक I)

उक्त अनुसूचियां लाभ हानि लेखे का अभिन्न अंग हैं।

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मण्डल के आदेश से

कृते बोरकर एंड मुजूमदार  
सनदी लेखाकर

अजित नाथ झा  
मुख्य वित्तीय अधिकारी

सुदत्ता मंडल  
उप प्रबंध निदेशक

वी सत्य वेंकट राव  
उप प्रबंध निदेशक

सिवसुब्रमणियन रमण  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

एफ आर एन संख्या 101569W

दर्शित दोषी

साझेदार

सदस्यता संख्या- 133755

जी. गोपालकृष्ण  
निदेशक

अमित टंडन  
निदेशक

स्थान : मुंबई

दिनांक : 12 मई, 2023

# समेकित तुलनपत्र की अनुसूचियाँ

## पूंजी और देयताएँ

(राशि ₹ में)

अनुसूची I: पूंजी	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
<b>(क) प्राधिकृत पूंजी :</b>		
- इक्विटी शेयर पूंजी (₹ 10/- प्रति शेयर की दर से 75,00,00,000 इक्विटी शेयर)	7,50,00,00,000	7,50,00,00,000
- अधिमान शेयर पूंजी (₹ 10/- प्रति शेयर की दर से 25,00,00,000 इक्विटी शेयर)	2,50,00,00,000	2,50,00,00,000
<b>(ख) जारी, अभिदत्त और चुकता पूंजी</b>		
- इक्विटी शेयर पूंजी (₹ 10/- प्रति शेयर की दर से 56,85,41,169 इक्विटी शेयर)	5,68,54,11,689	5,68,54,11,689
- अधिमान शेयर पूंजी	-	-
<b>योग</b>	<b>5,68,54,11,689</b>	<b>5,68,54,11,689</b>

(राशि ₹ में)

अनुसूची II: आरक्षितियाँ, अधिशेष और निधियाँ	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
<b>क) आरक्षितियाँ</b>		
<b>i) सामान्य आरक्षितियाँ</b>		
- अथ शेष	1,91,50,74,63,293	1,73,49,59,28,207
- वर्ष के दौरान परिवर्धन	31,12,14,19,104	18,01,15,35,086
- वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
- अंतिम शेष	<b>2,22,62,88,82,397</b>	<b>1,91,50,74,63,293</b>
<b>ii) शेयर प्रीमियम</b>		
- अथ शेष	30,54,25,88,310	16,68,07,79,690
- वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	13,86,18,08,620
- वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
- अंतिम शेष	<b>30,54,25,88,310</b>	<b>30,54,25,88,310</b>
<b>iii) विशेष आरक्षितियाँ</b>		
<b>क) निवेश आरक्षिति</b>		
- अथ शेष	-	-
- वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
- वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
- अंतिम शेष	-	-
<b>ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अनुसार निर्मित एवं सुरक्षित विशेष आरक्षितियाँ</b>		
- अथ शेष	17,72,00,00,000	17,02,00,00,000
- वर्ष के दौरान परिवर्धन	80,00,00,000	70,00,00,000
- वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
- अंतिम शेष	<b>18,52,00,00,000</b>	<b>17,72,00,00,000</b>
<b>ग) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 45-IC के तहत वैधानिक रिज़र्व बनाया गया।</b>		
- अथ शेष	2,14,44,71,505	1,67,88,38,157
- वर्ष के दौरान परिवर्धन	1,14,91,59,419	46,56,33,348
- वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
- अंतिम शेष	<b>3,29,36,30,924</b>	<b>2,14,44,71,505</b>



## समेकित तुलनपत्र की अनुसूचियाँ

(राशि ₹ में)

अनुसूची II: आरक्षितियाँ, अधिशेष और निधियाँ	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
घ) अन्य आरक्षितियाँ		
i) निवेश उतार चढ़ाव आरक्षिति		
- अथ शेष	1,25,89,52,955	1,14,93,45,043
- वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	10,96,07,912
- वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
- अंतिम शेष	<b>1,25,89,52,955</b>	<b>1,25,89,52,955</b>
<b>ख ) लाभ और हानि खाते में अधिशेष</b>	<b>9,44,60,87,264</b>	<b>4,44,99,11,872</b>
(ग) निधियाँ		
क) राष्ट्रीय ईक्विटी निधि		
- अथ शेष	2,65,61,42,832	2,65,61,42,832
- वर्ष के दौरान परिवर्धन/ पुनरांकन	-	-
- वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
- अंतिम शेष	<b>2,65,61,42,832</b>	<b>2,65,61,42,832</b>
ख) कर्मचारी कल्याण कोष		
- अथ शेष	32,83,53,383	28,17,87,187
- वर्ष के दौरान परिवर्धन	11,11,00,000	10,56,54,000
- वर्ष के दौरान उपयोग	3,70,01,849	5,90,87,804
- अंतिम शेष	<b>40,24,51,534</b>	<b>32,83,53,383</b>
ग) अन्य	2,00,00,000	2,00,00,000
	<b>2,88,76,87,36,216</b>	<b>2,50,62,78,84,150</b>

(राशि ₹ में)

अनुसूची III: जमा	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
क) सावधि जमाराशियां	<b>86,76,48,78,620</b>	<b>86,10,40,72,379</b>
ख) बैंकों से		
क) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम पुनर्वित्त निधि के तहत	15,28,76,15,16,000	12,74,31,35,25,000
ख) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम जोखिम पूंजी निधि के तहत	-	5,00,00,00,000
ग) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम जोखिम पूंजी निधि के तहत	19,84,10,00,000	7,93,64,00,000
घ) एमएसएमई भारत नवाकांक्षा निधि के तहत	14,99,40,70,001	10,43,02,77,520
ड) एमएसएमई क्षेत्र की उद्यम पूंजी निधि 2014-15 के तहत	-	25,00,00,00,000
च) प्राथमिकता क्षेत्र से संबन्धित अंतराल के तहत	3,49,09,45,00,000	2,98,25,87,00,000
<b>उप- योग (ख)</b>	<b>19,12,69,10,86,001</b>	<b>16,20,93,89,02,520</b>
<b>योग</b>	<b>19,99,45,59,64,621</b>	<b>17,07,04,29,74,899</b>

## समेकित तुलनपत्र की अनुसूचियाँ

(राशि ₹ में)

अनुसूची IV: उधारियाँ	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
<b>I) भारत में उधारियाँ</b>		
1. भारतीय रिजर्व बैंक से	1,59,00,00,00,000	1,44,20,00,00,000
2. भारत सरकार से (भारत सरकार द्वारा अभिदत्त बॉण्ड सहित)	5,17,27,06,344	5,62,06,57,105
3. बॉण्ड एवं डिबेंचर	4,67,55,00,00,000	1,62,85,00,00,000
4. अन्य स्रोतों से		
- वाणिज्यिक पत्र	3,94,25,00,00,000	50,00,00,00,000
- जमाराशियों के प्रमाणपत्र	2,46,35,00,00,000	1,49,00,00,00,000
- बैंकों से लिए गए सावधि ऋण	5,86,43,95,28,678	1,68,89,90,51,099
- सावधि ऋण उधारियाँ	-	-
- अन्य	1,05,40,96,07,622	25,66,91,30,100
<b>उप-योग (I)</b>	<b>19,64,17,18,42,644</b>	<b>7,06,23,88,38,304</b>
<b>II) भारत से बाहर उधारियाँ</b>		
क) केएफडब्ल्यू जर्मनी	3,70,76,76,702	5,60,16,04,462
(ख) जापान इंटरनेशनल को-ऑपरेशन एजेंसी (जाइका)	10,79,57,17,856	14,92,77,01,680
(ग) आईएफएडी, रोम	1,05,46,39,489	1,05,67,31,387
(घ) विश्व बैंक	26,31,12,58,470	28,29,18,43,248
(ज) अन्य	53,80,68,388	1,00,76,48,119
<b>उप-योग (II)</b>	<b>42,40,73,60,905</b>	<b>50,88,55,28,896</b>
<b>योग (I &amp; II)</b>	<b>20,06,57,92,03,549</b>	<b>7,57,12,43,67,200</b>

(राशि ₹ में)

अनुसूची V: : अन्य देयताएं व प्रावधान:	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
उपचित ब्याज	29,94,99,68,457	17,19,38,84,962
सिडबी कर्मचारी भविष्य निधि के लिए प्रावधान	3,93,85,26,360	3,61,97,08,540
सिडबी पेंशन निधि के लिए प्रावधान	44,04,31,465	16,01,409
कर्मचारियों के अन्य लाभ के लिए प्रावधान	1,93,80,18,213	2,85,85,20,654
विदेशी मुद्रा दर में उतार-चढ़ाव के प्रावधान	1,53,73,62,767	1,53,73,62,768
मानक आस्तियों के लिए किए गए आकस्मिक प्रावधान	18,44,16,10,163	11,44,67,32,156
प्रस्तावित लाभांश (लाभांश पर कर सहित)	1,13,70,82,338	79,81,84,026
निधियां नवकांक्षा निधि, स्टार्टअप के लिए निधियों की निधि, पीआरएफ, पीआरएसएफ आदि।	23,12,59,58,271	15,15,42,51,789
अस्थायी प्रावधान	4,95,67,37,932	4,95,67,37,932
अन्य (प्रावधानों सहित)	6,56,68,07,864	10,74,98,19,928
<b>योग</b>	<b>92,03,25,03,830</b>	<b>68,31,68,04,164</b>

# समेकित तुलनपत्र की अनुसूचियाँ

## आस्तियां

(राशि ₹ में)		
अनुसूची VI: नकदी और बैंक अतिशेष नकदी और बैंक अतिशेष	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
1 नकदी और बैंक अतिशेष	6,14,370	7,23,087
2. अन्य बैंकों में अतिशेष		
(क) भारत में		
i) चालू खातों में	6,25,86,02,252	91,26,88,841
ii) अन्य निक्षेप खातों में	2,77,02,47,81,932	3,03,55,39,16,222
(ख) भारत से बाहर		
i) चालू खातों में	6,25,86,02,252	91,26,88,841
ii) अन्य निक्षेप खातों में	2,77,02,47,81,932	3,03,55,39,16,222
<b>योग</b>	<b>2,86,03,90,96,059</b>	<b>3,07,71,86,06,790</b>

(राशि ₹ में)		
अनुसूची VII: निवेश [प्रावधानों को घटाकर]	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
<b>क) राजकोषीय परिचालन</b>		
1. केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां	1,48,12,97,19,214	39,90,00,85,004
2. बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बांड और डिबेंचर	21,81,08,38,302	31,31,54,82,382
3. औद्योगिक प्रतिष्ठानों के स्टॉक, शेयर, बांड और डिबेंचर	84,44,58,856	1,98,08,42,613
4. म्युचुअल फंड	-	19,99,90,00,050
5. वाणिज्यिक पत्र	26,05,26,90,303	50,04,99,24,399
6. जमा प्रमाणपत्र	62,98,61,30,050	56,46,67,59,624
7. अन्य	-	9,00,00,00,000
<b>उप- योग (क)</b>	<b>2,59,82,38,36,725</b>	<b>2,08,71,20,94,072</b>
<b>ख) व्यवसाय परिचालन</b>		
1. बैंकों और वित्तीय संस्थानों के शेयर	1,61,51,09,702	1,84,97,71,142
2. बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बांड और डिबेंचर	5,65,33,000	5,65,33,000
3. औद्योगिक प्रतिष्ठानों के स्टॉक, शेयर, बांड और डिबेंचर	5,45,48,59,563	3,93,64,98,845
4. सहायक संगठनों में निवेश	-	-
5. उद्यम पूंजी निधि में निवेश - आरसीएफ	5,24,72,57,872	6,31,40,45,945
6. अन्य	1,93,67,88,007	1,56,72,27,884
<b>उप-योग (ख)</b>	<b>14,31,05,48,144</b>	<b>13,72,40,76,816</b>
<b>योग (क+ख)</b>	<b>2,74,13,43,84,869</b>	<b>2,22,43,61,70,888</b>

(राशि ₹ में)		
अनुसूची VIII: ऋण एवं अग्रिम [प्रावधान के बाद]	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
<b>क) निम्नलिखित को पुनर्वित्त</b>		
- बैंक और वित्तीय संस्थान	31,54,51,92,29,538	18,32,97,60,08,903
- सूक्ष्म वित्त संस्थान	65,35,57,66,859	42,11,55,15,973
- एनबीएफसी	3,57,13,84,30,997	2,03,61,89,01,279
- बिलों की पुनर्भुनाई	-	-
- अन्य (पास थ्रू सर्टिफिकेट के लिए सदस्यता (पीटीसी) )	3,42,69,18,395	52,36,63,441
<b>उप-योग (क)</b>	<b>35,80,44,03,45,789</b>	<b>20,79,23,40,89,596</b>

## समेकित तुलनपत्र की अनुसूचियाँ

(राशि ₹ में)

अनुसूची VIII: ऋण एवं अग्रिम [प्रावधान के बाद]	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
<b>ख) प्रत्यक्ष ऋण</b>		
- ऋण और अग्रिम	1,93,97,14,30,050	1,43,30,55,40,693
- प्राप्य वित्त योजना	9,23,64,439	3,07,84,956
- भुनाए गए बिल	5,45,12,46,393	33,59,06,742
<b>उप-योग (ख)</b>	<b>1,99,51,50,40,882</b>	<b>1,43,67,22,32,391</b>
<b>योग (क+ख)</b>	<b>37,79,95,53,86,671</b>	<b>22,22,90,63,21,987</b>

(राशि ₹ में)

अनुसूची IX: अचल आस्तिया [मूल्यहास के बाद निवल]	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
1. परिसर	2,92,87,49,254	2,89,84,36,991
2. अन्य	4,64,32,908	4,06,64,109
<b>योग</b>	<b>2,97,51,82,162</b>	<b>2,93,91,01,100</b>

(राशि ₹ में)

अनुसूची X: अन्य आस्तियां:	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
उपचित ब्याज	20,06,49,05,484	17,14,85,64,429
अग्रिम कर (प्रवाधान के बाद)	1,94,01,91,139	1,71,25,78,669
स्टाफ ऋण	1,95,26,21,807	1,79,12,15,676
व्युत्पन्न आस्तियां	5,41,20,83,018	4,29,61,53,456
व्यय जिस सीमा तक बढ़े खाते में नहीं डाला गया है	17,27,27,73,418	6,61,38,10,576
अन्य	2,77,51,95,278	1,23,49,18,531
<b>योग</b>	<b>49,41,77,70,144</b>	<b>32,79,72,41,337</b>

(राशि ₹ में)

अनुसूची XI: आकस्मिक देयताएं	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
i) बैंक पर वे दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया है	9,64,85,12,907	6,56,25,72,519
ii) गारंटी/साख पत्रों के फलस्वरूप	42,97,75,967	31,50,24,390
iii) वायदा संविदाओं के फलस्वरूप	16,78,26,751	6,51,81,80,889
iv) हामीदारी प्रतिबद्धताओं के फलस्वरूप	-	-
v) आंशिक रूप से चुकता किए गए शेयरों, डिबेंचरों पर न मांगी गई राशियों एवं उद्यम पूंजी निधि आदि से अनाहरित हामीदारी के फलस्वरूप	1,27,42,87,728	95,64,22,740
vi) डेरिवेटिव संविदाओं के फलस्वरूप	33,61,40,07,657	39,02,68,26,759
vii) अन्य मदें जिनके लिए बैंक की आकस्मिक देयता है	-	-
<b>योग</b>	<b>45,13,44,11,010</b>	<b>53,37,90,27,297</b>

## समेकित लाभ एवं हानि खाते की अनुसूचियाँ

(राशि ₹ में)

अनुसूची XII: ब्याज एवं बट्टा	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
1. ऋण, अग्रिम और बिलों पर ब्याज और बट्टा	1,59,18,31,07,149	79,90,41,21,266
2. निवेश/बैंक शेष पर आय	35,64,13,74,058	17,25,22,55,377
<b>योग</b>	<b>1,94,82,44,81,207</b>	<b>97,15,63,76,643</b>

(राशि ₹ में)

अनुसूची XIII: अन्य आय	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
1. अपफ्रंट और संसाधन शुल्क	89,51,11,922	56,15,83,560
2. कमीशन और दलाली	1,09,30,972	78,19,049
3. निवेश की बिक्री से लाभ	46,10,52,617	77,17,94,503
4. अनुषंगियों/सहयोगियों से लाभांश आदि के माध्यम से अर्जित आय	51,00,000	30,60,000
5. पिछले वर्षों के पुनरांकन का प्रावधान	-	75,00,000
6. अशोध्य ऋणों से वसूली	2,86,91,76,097	2,03,12,69,846
7. प्रावधानों का विपर्यय / एएफसीएल के अंतर्गत ईआरएफएफ	-	-
8. अन्य	94,84,52,728	79,12,09,731
<b>योग</b>	<b>5,18,98,24,336</b>	<b>4,17,42,36,689</b>

(राशि ₹ में)

अनुसूची XIV: परिचालन व्यय :	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
कर्मचारियों को भुगतान और प्रावधान	5,12,63,88,812	3,73,19,04,827
किराया, कर और प्रकाश व्यवस्था	18,07,59,949	15,68,56,386
मुद्रण और स्टेशनरी, डाक/कूरियर और टेली और बीमा	2,26,92,930	1,41,95,518
विज्ञापन और प्रचार	11,70,55,493	3,19,63,215
बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास / परिशोधन	26,67,08,148	36,43,50,321
निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय	1,01,32,867	63,77,767
लेखा परीक्षक की फीस	44,86,516	52,87,176
विधि प्रभार	3,57,41,963	4,06,12,250
मरम्मत और रखरखाव	28,98,84,437	13,04,14,423
निर्गम व्यय	5,60,22,041	1,21,01,863
पूंजी प्रतिबद्धता, प्रबंधन शुल्क आदि।	19,79,10,602	8,09,48,867
निविष्ट कर क्रेडिट उपलब्ध नहीं है	19,19,22,592	10,30,52,881
अन्य व्यय	1,91,69,41,029	2,43,97,00,400
<b>योग</b>	<b>8,41,66,47,379</b>	<b>7,11,77,65,894</b>

## अनुसूची XV- महत्त्वपूर्ण समेकित लेखांकन नीतियाँ

### 1. तैयार करने के आधार

समेकित वित्तीय विवरण सभी महत्त्वपूर्ण दृष्टियों से भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989( मूल) एवं उसकी सहायक एवं सहयोगी संस्थाओं तथा उसके विनियमों, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदण्डों, कंपनी अधिनियम 2013 के लागू उपबंधों, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानकों और बैंकिंग उद्योग में लागू प्रचलित पद्धतियों के अनुपालन में तैयार किए गए हैं। जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, समेकित वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत पद्धति के अंतर्गत उपचय आधार पर तैयार किए गए हैं। जब तक कि अन्यथा उल्लिखित न हो, बैंक द्वारा लागू की गई लेखा-नीतियाँ पिछले वर्ष प्रयोग की गई नीतियों के अनुरूप हैं।

आकलनों का उपयोग:

सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धान्तों की अनुरूपता में समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंध से अपेक्षित होता है कि वह ऐसे आकलन और अनुमान करें, जो समेकित वित्तीय विवरण की तारीख में आस्तियों और देयताओं की रिपोर्ट की गई राशियों, आकस्मिक देयताओं के प्रकटन और रिपोर्ट की अवधि में रिपोर्ट की गई आय और व्यय की राशियों को प्रभावित करते हैं। प्रबंध का मानना है कि ये अनुमान और मान्यताएँ उचित और विवेकपूर्ण हैं। तथापि वास्तविक परिणाम उक्त अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लेखा अनुमानों में किसी पुनरीक्षण का निर्धारण संबंधित लेखा-मानक की वर्तमान और भावी अवधि की अपेक्षाओं के अनुरूप किया जाता है।

समेकन प्रक्रिया

सहायक संस्थाओं के वित्तवर्ष 2022-23 एवं 2021-22 के समेकित वित्तीय विवरणों में (निम्नांकित) शामिल हैं:

- 1) मुद्रा यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी (मुद्रा)
- 2) सिडबी उद्यम पूंजी निधि लिमिटेड
- 3) सिडबी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड

सहयोगी संस्थाओं के वित्तवर्ष 2022-23 के समेकित वित्तीय विवरणों में (निम्नांकित) शामिल हैं:

- 1) एक्वीडेटे रेटिंग्स लिमिटेड (पूर्व में स्मेरा)
- 2) इण्डिया एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (आइसार्क )
- 3) दिल्ली वित्त निगम
- 4) रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लिमिटेड (आरएक्सआईएल)
- 5) किटको लिमिटेड

सहयोगी संस्थाओं के वित्तवर्ष 2021-22 के समेकित वित्तीय विवरणों में (निम्नांकित) शामिल हैं:

- 1) एक्वीडेटे रेटिंग्स लिमिटेड (पूर्व में स्मेरा)
- 2) इण्डिया एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

(आइसार्क )

- 3) दिल्ली वित्त निगम
- 4) रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लिमिटेड (आरएक्सआईएल)
- 5) किटको लिमिटेड

समूह (3 सहायक और 5 सहयोगी संस्थाओं, जिनके विवरण ऊपर दिए गए हैं ) के समेकित वित्तीय विवरणों को निम्नलिखित आधार पर तैयार किया गया है :

- a. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (मूल) के लेखे:
- b. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी एएस 21 (समेकित वित्तीय विवरण) के अनुसार वसूल न किये हुए लाभ / हानि और सभी सामग्री अंतर-समूह शेष / संव्यवहार को समाप्त करने के बाद और मूल के सन्दर्भ में 3 सहायक कंपनियों की आस्ति / देयता / आय / व्यय के प्रत्येक मद का पंक्ति दर पंक्ति समेकन किया गया है।
- c. सहयोगी संस्थाओं के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर आईसीएआई द्वारा जारी एएस 23 (सहयोगी संस्थाओं के समेकित वित्तीय विवरणों में निवेश के लिए लेखांकन) के अनुसार सहयोगी संस्थाओं में निवेश को ईक्विटी विधि के अंतर्गत माना गया है।
- d. लेखांकन नीतियों में अंतर के मामले में, मूल संस्था की लेखांकन नीतियों के अनुरूप, सहायक संस्थाओं के वित्तीय विवरण, जहां भी आवश्यक और व्यावहारिक होते हैं, समायोजित किए जाते हैं। लेखांकन नीतियों में अंतर के मामले में, सहयोगी संस्थाओं के वित्तीय विवरण समायोजित नहीं किए गए हैं, क्योंकि बैंक के प्रबंधन की राय में यह महत्त्वपूर्ण नहीं है।

### 2. राजस्व निर्धारण

बैंक को राजस्व से जो भी संभव आर्थिक लाभ मिलेगा उसका निर्धारण किया गया है और राजस्व को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

क) आय:

- i. दण्डात्मक ब्याज सहित ब्याज आय को उपचय आधार पर हिसाब में लिया गया है, सिवाय गैर निष्पादक आस्तियों के मामलों के जहाँ उसे वसूली के बाद हिसाब में लिया गया है।
- ii. लाभ और हानि खाते में आय को सकल अर्थात् भा. रि. बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधानों से पूर्व और बैंक की आंतरिक नीति के अनुसार अन्य प्रावधानों के अनुरूप दर्शाया गया है।
- iii. बिलों की भुनाई/ पुनर्भुनाई तथा लिखतों की भुनाई को लिखतों की मीयाद के अनुसार निरंतर प्रतिलाभ आधार पर निर्धारित किया गया है।
- iv. मानक (निष्पादक) आस्तियों के संबंध में वचनबद्धता प्रभार, बीज पूंजी/ सुलभ ऋण सहायता पर सेवा-प्रभार और रॉयल्टी आय को उपचय आधार पर हिसाब में लिया गया है।



- v. औद्योगिक प्रतिष्ठानों और वित्तीय संस्थानों में धारित शेयरों पर लाभांश को आय के रूप में मान्यता दी जाती है जब लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।
- vi उद्यम पूंजी निधियों से होने वाली आय को वसूली के आधार पर हिसाब में लिया गया है। उद्यम पूंजी निधि में यूनिट/ शेयरों का मोचन एचटीएम श्रेणी में बिक्री के रूप में नहीं माना गया है।
- vii. अनर्जक आस्तियों की वसूली को निम्नलिखित क्रम से विनियोजित किया गया है:
- क) अनर्जक आस्ति बनने की तारीख तक अतिदेय ब्याज
- ख) मूलधन
- ग) लागत व प्रभार
- घ) ब्याज एवं
- ङ) दंडात्मक ब्याज
- viii. ऋणों एवं अग्रिमों की बिक्री पर प्रत्यक्ष समनुदेशन से हुए लाभ/हानि को भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार हिसाब में लिया गया है।
- ix पूर्व के वर्षों में बट्टे खाते में डाले गए ऋणों के सन्दर्भ में प्राप्त राशियों को लाभ हानि लेखे में आय के रूप में लिया गया है।
- x किसी भी श्रेणी के निवेशों की बिक्री से लाभ या हानि को लाभ-हानि खाते में दर्शाया गया है। तथापि 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के निवेशों की बिक्री पर लाभ के मामले में, समतुल्य राशि को पूंजी आरक्षित खाते में विनियोजित कर दिया गया है।
- xi सात वर्ष से अधिक की अवधि के लिए दावा न किए गए देयताओं (सांविधिक देयताओं के अतिरिक्त) के रूप में पड़ी राशि को आय के रूप में दर्शाया गया है।
- xii बैंक द्वारा आयकर विभाग से जारी किए गए ऐसे धन वापसी आदेश /आदेशित प्रभावों की प्राप्ति पर आयकर धन वापसी को ब्याज स्वरूप हिसाब में लिया गया है।
- xiii उधारकर्ताओं से सीजीटीएमएसई शुल्क, मूल्यांकन शुल्क, अधिवक्ता शुल्क, बीमा, अपफ्रंट शुल्क /संसाधन शुल्क आदि की वसूली नकद आधार पर की जाती है।
- xiv एलसी /बैंक गारंटी पर कमीशन को अवधि के अनुपात में उपचय आधार पर मान्यता दी जाती है।
- xv एसवीसीएल - राजस्व को इस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि कंपनी को आर्थिक रूप से लाभ की संभावना हो और राजस्व को विश्वसनीय ढंग से मापा जा सके। राजस्व को मान्यता नहीं दी जाती है जहां संबंधित उद्यम पूंजी निधियों/वैकल्पिक निवेश निधियों में आहरण नहीं होता, क्योंकि इसमें यह सुनिश्चित नहीं होता कि कंपनी को आर्थिक लाभ प्राप्त होंगे और ऐसे मामलों में इसे प्राप्त होने के उपरांत, प्राप्ति-आधार पर हिसाब में लिया जाएगा।

कंपनी अपने द्वारा प्रबंध किए जा रहे उद्यम पूंजी निधियों/वैकल्पिक निवेश निधियों से तिमाही आधार पर/ वार्षिक आधार पर (संबंधित निधि-दस्तावेजों में निर्दिष्ट व्यवस्था के अनुसार) प्रबंध शुल्क के रूप में आय अर्जित करती है।

कंपनी आईआईबीआई द्वारा सौंपे गए निवेशों की बिक्री से प्राप्त निवल लाभ के 5% की दर से आय को मान्यता देती है।

- xvi एसटीसीएल - राजस्व को इस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि इस कंपनी को आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना है और राजस्व को विश्वसनीय ढंग से मापा जा सकता है।

कंपनी अपने द्वारा संचालित उद्यम पूंजी निधियों/ वैकल्पिक निवेश निधियों से तिमाही आधार पर/वार्षिक आधार पर (संबंधित निधियों के साथ अनुबंधों में निर्धारित) ट्रस्टीशिप शुल्क के रूप में आय अर्जित करती है।

ख) व्यय:

- i. विकास व्यय को छोड़कर शेष सभी व्यय उपचय आधार पर हिसाब में लिए गए हैं। विकास व्यय को नकद आधार पर हिसाब में लिया गया है।
- ii. जारी किए गए बॉण्डों और वाणिज्यिक पत्रों पर बट्टे को बॉण्डों और वाणिज्यिक पत्रों की मीयाद के अनुसार परिशोधित कर दिया गया है। बॉण्ड जारी करने संबंधी व्ययों को बॉण्डों की मीयाद के अनुसार परिशोधित कर दिया गया है।

### 3. निवेश:

- (i) भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, संपूर्ण निवेश संविभाग को 'परिपक्वता तक धारित', 'बिक्री हेतु उपलब्ध' तथा 'व्यापार हेतु धारित' की श्रेणियों में विभाजित कर दिया गया है। निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है। प्रत्येक श्रेणी के निवेशों को पुनः निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया गया है:

क) सरकारी प्रतिभूतियाँ

ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ,

ग) शेयर

घ) डिबेंचर तथा बॉण्ड,

ङ) सहायक संस्थाएँ/संयुक्त उद्यम और

च) अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्युचुअल फंड यूनिट, प्रतिभूति प्राप्ति, जमा प्रमाणपत्र आदि)

(क) परिपक्वता तक धारित :

परिपक्वता तक बनाए रखने के उद्देश्य से किए गए निवेशों को 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। ऐसे निवेशों को अर्जन

- लागत पर दर्शाया गया है, बशर्ते वह अंकित मूल्य से अधिक न हो। ऐसा होने पर प्रीमियम को परिपक्वता की शेष अवधि में परिशोधित कर दिया गया है। सहायक कंपनियों में निवेश को परिपक्वता तक धारित के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस श्रेणी के अंतर्गत सहायक कंपनियों में निवेशों के मूल्य में कमी (अस्थायी को छोड़कर) प्रत्येक निवेश के संबंध में अलग-अलग प्रावधान किया गया है।
- (ख) व्यापार हेतु धारित:
- अल्पावधि मूल्य/ब्याज-दर परिवर्तन का लाभ उठाते हुए 90 दिनों में पुनः बेचने के उद्देश्य से किए गए निवेशों को 'व्यापार हेतु धारित' श्रेणी में रखा गया है। इस वर्ग के निवेशों का समय रूप से स्क्रिप-अनुसार पुनर्मूल्यांकन किया गया है और निवल मूल्यवृद्धि/मूल्यहास को अलग-अलग स्क्रिपों के बही-मूल्य में तत्संगत परिवर्तन करते हुए लाभ-हानि खाते में हिसाब में लिया गया है। व्यापार / उद्धृत निवेश के संबंध में, बाजार मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों पर उपलब्ध ट्रेडों / उद्धरणों से लिया गया है।
- (ग) बिक्री हेतु उपलब्ध:
- उपर्युक्त दो श्रेणियों के अंतर्गत न आनेवाले निवेशों को 'बिक्री हेतु उपलब्ध' श्रेणी में रखा गया है। इस श्रेणी के अंतर्गत अलग-अलग स्क्रिपों का पुनर्मूल्यांकन किया गया है और उक्त वर्गीकरण में से किसी के भी अंतर्गत हुए निवल मूल्यहास को लाभ और हानि लेखे में हिसाब में लिया गया है। किसी भी वर्गीकरण के अंतर्गत निवल मूल्यवृद्धि को नज़रअंदाज कर दिया गया है। अलग-अलग स्क्रिपों के बही-मूल्य में पुनर्मूल्यांकन के बाद परिवर्तन नहीं किया गया है।
- (ii) कोई निवेश परिपक्वता के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत है, या बिक्री के लिए उपलब्ध है या इसकी खरीद के समय व्यापार के लिए धारित है तथा बाद में इसकी श्रेणियों में अंतरण और उसका मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाता है।
- (iii) कोषागार बिल, वाणिज्यिक पत्र और जमा प्रमाणपत्र, बट्टा वाले लिखत हैं, लागत मूल्य पर इनका मूल्यांकन किया जाता है।
- (iv) उद्धृत सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन बाजार मूल्यों पर किया जाता है और जो सरकारी प्रतिभूतियाँ उद्धृत नहीं हैं / जिनका व्यापार नहीं हो रहा है उनका मूल्य निर्धारण वित्तीय बेंचमार्क इंडिया प्रा. द्वारा घोषित मूल्यों पर किया जाता है।
- (v) निवेश जो भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए राशि समूहों या समूह निधियों से बने होते हैं और संबंधित निधि शेष से बचे हुए निधि का मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं अपितु उसकी लागत पर होता है।
- (vi) निवेशों में खरीद और बिक्री के संव्यवहारों की प्रविष्टि 'निपटान-तारीख' के पश्चात् किया जाता है।
- (vii) जो डिबेंचर/बाण्ड/शेयर अग्रिम के स्वरूप के माने गए हैं, वे ऋण और अग्रिमों पर लागू सामान्य विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन हैं।
- (viii) निवेशों की लागत भारत और आसत लागत पद्धति से निर्धारित की गई है।
- (ix) अभिग्रहण/बिक्री के समय अदा की गई दलाली, कमीशन आदि को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया गया है।
- (x) ऋण-निवेश में प्रदत्त/प्राप्त खंडित अवधि-ब्याज को ब्याज व्यय/आय माना गया है और उसे लागत/बिक्री-राशि से अलग रखा गया है।
- (xi) बीज पूँजी योजना के अंतर्गत औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सूची से इतर निवेशों के संबंध में पूर्ण प्रावधान किया गया है।
- (xii) भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधित दिशानिर्देशों के अनुसार म्यूचुअल फंड की इकाइयों को उनकी पुनर्खरीद मूल्य पर मूल्यांकित किया गया है।
- (xiii) (सरकारी प्रतिभूतियों के अलावा) उद्धृत न की गई निश्चित आय वाली प्रतिभूतियों का मूल्यांकन केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के समान परिपक्वता अवधि पर प्रतिलाभ की दर से उपयुक्त मार्क-अप के आधार पर किया गया है। एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित संगत दरों के अनुसार परिपक्वता अवधि पर प्रतिलाभ की दर और इस तरह के मार्क-अप को लागू किया गया है।
- (xiv) गैर-उद्धृत शेयरों का मूल्यांकन ब्रेकअप मूल्य पर किया गया है, यदि निवेशित कंपनियों के नवीनतम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण उपलब्ध हैं, या भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रति कंपनी मूल्य ₹1/- है।

#### 4. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

विदेशी मुद्रा संव्यवहारों को लेखा-बहियों में संबंधित विदेशी मुद्रा में संव्यवहार के दिन लागू विनिमय दरों पर दर्ज किया गया है। विदेशी मुद्रा संव्यवहार का लेखांकन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस)-11 के अनुसार निम्नलिखित रूप में किया गया है।

- बकाया अग्रेषण विनिमय अनुबंधों के संबंध में आकस्मिक देयता की गणना विनिमय की अनुबंधित दरों पर की जाती है और गारंटी, स्वीकृतियाँ, पृष्ठांकनों एवं अन्य देयताओं के संबंध में गणना भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (एफईडीआई) द्वारा अधिसूचित बंद विनिमय दरों पर की जाती है।
- विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (एफईडीआई) द्वारा तुलन-पत्र की तारीख में प्रभावी अधिसूचित अन्तिम विदेशी मुद्रा-दर में परिवर्तित किया गया है।
- विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय मदों को वास्तविक बिक्री/ खरीद के माध्यम से मासिक अन्तरालों पर परिवर्तित किया जाता है और उन्हें तदनुसार लाभ-हानि खाते में हिसाब में लिया गया है।
- विदेशी मुद्रा जोखिम के प्रबंध हेतु विदेशी मुद्रा ऋण-

व्यवस्था पर पुनर्मूल्यांकन अन्तर को भारत सरकार के परामर्श से खोले गए एक विशेष खाते में समायोजित और अभिलिखित किया जाता है।

- v. व्युत्पन्नी संव्यवहारों के संबंध में बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार बचाव (हेज) लेखांकन का अनुसरण करता है।
- vi. मौद्रिक वस्तुओं के निपटान के प्रति होने वाले विनिमय अंतर को उस अवधि में आय या व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, जब वे उत्पन्न होते हैं।
- vii. बकाया वायदा विनिमय अनुबंध जो ट्रेडिंग के लिए अभिप्रेत नहीं हैं, उनका पुनर्मूल्यांकन भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (एफईडीएआई) द्वारा अधिसूचित दरों पर किया जाता है।

## 5. व्युत्पन्नियाँ

बैंक अपनी विदेशी मुद्रा देयताओं के बचाव के लिए वर्तमान में मुद्रा व्युत्पन्नी संव्यवहारों जैसे अंतर-मुद्रा ब्याज-दर विनिमय में व्यवहार करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार बचाव के उद्देश्य से किए गए उक्त व्युत्पन्नी संव्यवहारों को उपचय आधार पर हिसाब में लिया जाता है। अनुबंधित रुपया राशि पर व्युत्पन्नी संव्यवहार अनुबंधों पर आधारित देयताओं को तुलन-पत्र की तारीख पर रिपोर्ट किया गया है।

## 6. ऋण एवं अग्रिम

- i. ऋण और अन्य सहायता संविभाग का प्रतिनिधित्व करने वाली आस्तियों को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप निष्पादक और गैर-निष्पादक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। गैर-निष्पादक आस्तियों के लिए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।
- ii. तुलन-पत्र में उल्लिखित अग्रिम, गैर निष्पादक आस्तियों एवं पुनर्संचित आस्तियों के लिए किए गए प्रावधानों को घटाकर है।
- iii. मानक आस्तियों के प्रति सामान्य प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार किए गए हैं।
- iv. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों एवं निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीतियों के अनुरूप चल प्रावधान किए और उपयोग में लाए गए हैं।
- v. मुद्रा: मुद्रा विभिन्न अल्प वित्त संस्थाओं (एमएफआई) / बैंकों / गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों से प्राप्त प्राप्य ऋण-राशियों द्वारा समर्थित परिणामी प्रभाव प्रमाणपत्रों की सदस्यता ले रही है। इस तरह के प्रतिभूतीकरण लेनदेन को ऋण और अग्रिम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और तुलनपत्र में सकल आधार पर दर्शाया जाता है, जो बही मूल्य पर आधारित होते हैं और संबंधित प्रावधान अलग से दिखाए जाते हैं। तथापि, मानक आस्तियों पर प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में किया जाता है।

## 7. कराधान

- (i) कर संबंधी व्यय में वर्तमान कर और आस्थगित कर दोनों शामिल हैं। वर्तमान आयकर की गणना आयकर

अधिनियम, 1961 के अनुसार आयकर प्राधिकारियों को अदा की जाने वाली संभावित राशि और आय परिकलन प्रकटीकरण मानकों के आधार पर की जाती है।

- (ii) आस्थगित आय-कर, वर्ष की कर-योग्य आय तथा लेखांकन आय के मध्य वर्तमान वर्ष के समयांतराल और पूर्ववर्ती वर्षों के समयांतराल के प्रत्यावर्तन के प्रभाव को दर्शाता है। आस्थगित कर की गणना तुलन-पत्र की तारीख तक अधिनियम अथवा यथेष्ट रूप में अधिनियमित कर-कानूनों और कर की दरों के आधार पर की गई है।
- (iii) आस्थगित कर आस्तियाँ केवल उस सीमा तक निर्धारित की गई हैं, जिस सीमा तक यह समुचित विश्वास है कि भविष्य में पर्याप्त कर-योग्य आय होगी, जिसके प्रति ऐसे आस्थगित कर की वसूली हो सकती है। पूर्ववर्ती वर्षों की अनिर्धारित आस्थगित आस्तियों का उस सीमा तक पुनर्मूल्यांकन और निर्धारण किया गया है, जिस सीमा तक यह समुचित विश्वास है कि भविष्य में पर्याप्त कर-योग्य आय होगी, जिसके प्रति ऐसी आस्थगित कर आस्तियों की वसूली हो सकती है।
- (iv) विभागीय अपीलों को शामिल करने हेतु प्रावधान नहीं किए गए विवादित करों को आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत शामिल किया गया है।

## 8. प्रतिभूतीकरण

- (i) बैंक ऋण रेटिंग-युक्त सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम आस्ति-समूहों को बैंकों/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से विशेष प्रयोजन संस्था द्वारा जारी पास-थ्रू-प्रमाणपत्रों के जरिए खरीदता है। इस प्रकार के प्रतिभूतीकरण संव्यवहार निवेश के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं और निवेश के उद्देश्य के आधार पर उनका आगे वर्गीकरण व्यापार हेतु धारित/विक्रय हेतु उपलब्ध के रूप में किया जाता है।
- (ii) बैंक द्विपक्षीय प्रत्यक्ष समनुदेशक के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के श्रेणीनिर्धारित आस्ति-समूह को खरीदता है। ऐसे प्रत्यक्ष समनुदेशन संव्यवहारों को बैंक द्वारा 'अग्रिम' के रूप में लेखांकित किया जाता है।
- (iii) बैंक प्रत्यक्ष समनुदेशन द्वारा ऋण एवं अग्रिम की बिक्री करता है। अधिकतर मामलों में बैंक इन संव्यवहारों के अंतर्गत बेचे गए ऋण एवं अग्रिम की चुकौती करना जारी रखता है तथा बेचे गए ऋण एवं अग्रिम पर अवशेष ब्याज का पात्र होता है। आस्तियों पर नियंत्रण के समर्पण के सिद्धान्त के आधार पर प्रत्यक्ष समनुदेशन के अंतर्गत बेची गई आस्तियों को बैंक की बहियों के हिसाब से निकाल दिया जाता है।
- (iii) बेचे गए ऋणों एवं अग्रिमों पर अवशेष आय को अंतर्निहित ऋणों एवं अग्रिमों की आवधिकता के अनुसार हिसाब में लिया जा रहा है।

- (v) आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति प्राप्तियों का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय

पर निर्धारित ऐसे लिखतों पर प्रयोज्य दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।

#### 9. आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) को वित्तीय आस्तियों की बिक्री

- (i) अनर्जक आस्तियों की बिक्री नकद आधार पर अथवा प्रतिभूति प्राप्त (एसआर) में निवेश के आधार पर की जाती है। प्रतिभूति रसीद के आधार पर बिक्री के मामले में, अथवा उसके बिक्री प्रतिफल के भाग को प्रतिभूति रसीदों में निवेश के रूप समझा जाता है।
- (ii) यदि आस्ति की बिक्री निवल बही मूल्य (अर्थात् बही-मूल्य में से धारित प्रावधान हटाने पर प्राप्त मूल्य) से कम पर की जाती है, तो कमी को लाभ-हानि लेखा के नामे किया जाता है। यदि बिक्री मूल्य निवल बही मूल्य से अधिक है, तो धारित बेशी प्रावधान को उस वर्ष लाभ-हानि लेखे में प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, जिस वर्ष राशि प्राप्त हुई हो। बेशी प्रावधान का प्रत्यावर्तन उस प्राप्त राशि तक सीमित होता है, जो आस्ति के निवल बही मूल्य से अधिक हो।

#### 10. स्टाफ के हितार्थ प्रावधान:

क] सेवानिवृत्ति पश्चात् लाभ:

- (i) भविष्य निधि बैंक द्वारा चलाई जा रही एक निश्चित अंशदायी योजना है और उसमें किए गए अंशदान लाभ-हानि लेखे पर भारित होते हैं।
- (ii) ग्रेच्युटी देयता तथा पेंशन देयता निश्चित लाभ दायित्व हैं और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ, जैसे- क्षतिपूरित अनुपस्थितियाँ, सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ आदि का प्रावधान स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर तुलन-पत्र की तारीख पर किया जाता है, जो एएस 15 (यथोसंशोधित 2005)- कर्मचारी लाभ के अनुसार अनुमानित इकाई जमा पद्धति पर आधारित होता है।
- (iii) बीमांकिक लाभों या हानियों की पहचान उनकी अवधि के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकनों के आधार पर लाभ-हानि लेखे में की जाती है।
- (iv) नई पेंशन योजना निश्चित अंशदान वाली योजना है। यह उन कर्मचारियों पर लागू है, जो 1 दिसंबर 2011 या उसके बाद बैंक की सेवा में आए हैं। बैंक पूर्व-निर्धारित दर पर निश्चित अंशदान करता है और बैंक का दायित्व उक्त निश्चित अंशदान तक ही सीमित है। यह अंशदान लाभ-हानि खाते में भारित होता है।
- (v) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत किए गए भुगतानों को संबंधित वर्ष के व्यय में लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।

ख] सेवा-कालिक (अल्पाविधि) लाभ

अल्पाविधि लाभों से उत्पन्न देयता का निर्धारण गैर-

बढ़ाकृत आधार पर होता है और उस सेवा-अवधि के संबंध में होता है, जिसके कारण कर्मचारी ऐसे लाभ का पात्र बनता है। .

एसवीसीएल :

कर्मचारियों के लाभ

परिभाषित अंशदान योजनाएं:

भविष्य निधि आदि में कंपनी के अंशदान को व्यय के समय लाभ-हानि लेखे में प्रभारित किया गया है।

परिभाषित लाभ योजनाएं:

कंपनी ग्रेच्युटी के रूप में सेवानिवृत्ति लाभ उपलब्ध कराती है। ऐसे लाभ तुलनपत्र तिथि पर स्वतंत्र बीमांकिक के मूल्यांकन के आधार पर उपलब्ध कराया जाता है। रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित वृद्धिशील देयता को लाभ और हानि विवरण के व्यय के रूप में प्रभारित किया जाता है। कंपनी ने अपनी निधि से भारतीय जीवन बीमा निगम ("एलआईसी") के साथ एक समूह ग्रेच्युटी पॉलिसी ली है और इसे वित्त पोषित किया जाता है।

कार्यनिष्पादन वेतन

कार्यनिष्पादन वेतन कर्मचारियों के लिए एक वार्षिक प्रोत्साहन है, जो कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन और कर्मचारियों के कार्य निष्पादन पर आधारित है।

छुट्टी नकदीकरण :

छुट्टी नकदीकरण के रूप में कंपनी सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करती है। ऐसे लाभ स्वतंत्र बीमांकिक द्वारा तुलन पत्र की तिथि को मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किए जाते हैं। बकाया अवकाश को अवकाश नीति के अनुरूप लघु अवधि और दीर्घ अवधि के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति के अनुसार अल्पाविधि और दीर्घकालिक अवकाश मूल्यांकन बीमांकिक आधार पर किया गया है। इसके अलावा, कर्मचारी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अपनी एकत्रित छुट्टी में से 15 दिन के अवकाश का नकदीकरण कर सकते हैं।

#### 11. स्थिर आस्तियाँ और मूल्यहास

- i) स्थिर आस्तियाँ अभिग्रहण की लागत में से संचित मूल्यहास और क्षति (यदि हो तो) को घटाकर दर्शाई गई हैं।
- ii) आस्ति की लागत में खरीद लागत और उपयोग करने से पहले आस्ति पर किए गए सभी व्यय शामिल हैं। उपयोग में रखी गई आस्तियों पर किए गए बाद के व्यय केवल तभी पूंजीकृत होंगे जब इन आस्तियों या उनकी कार्यशील क्षमता से भविष्य का लाभ बढ़े।
- iii) पूरे वर्ष के लिए मूल्यहास का प्रावधान निम्नानुसार किया गया है (चाहे पूंजीकरण की तारीख जो भी हो):-
  - क) फर्नीचर और फिक्स्चर: बैंक के स्वामित्व वाली आस्तियाँ- 100 प्रतिशत की दर से

- ख) कम्प्यूटर तथा कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर- 100 प्रतिशत की दर से
- ग) भवन-मूल्यहासित मूल्य पद्धति पर- 5 प्रतिशत की दर से
- घ) विद्युत संस्थापनाएं: बैंक के स्वामित्व वाली आस्तियाँ- मूल्यहासित मूल्य-पद्धति पर- 50 प्रतिशत की दर से
- ङ) मोटर कार- सीधी रेखा पद्धति- 50 प्रतिशत की दर से
- iv) वस्तुओं के जोड़े जाने पर मूल्यहास का प्रावधान पूरे वर्ष के लिए होता है, किन्तु बिक्री/निस्तारण हेतु वर्ष के लिए मूल्यहास नहीं होता। .
- v) लीजहोल्ड भूमि को लीज की अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है।

#### मुद्रा

आकस्मिक व्यय सहित अधिग्रहण की लागत पर आस्तियों को दर्शाया गया है। वित्त पोषण लागत सहित अपने इच्छित उपयोग के लिए आस्ति को कार्य करने की स्थिति में लाने के लिए सीधे लागत वाली सभी लागतों को भी पूंजीकृत किया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के तहत उपयोगी जीवन के आधार पर सीधी रेखा पद्धति पर मूल्यहास प्रदान किया जाता है। ₹ 5,000 / - या उससे कम की लागत वाली आस्तियों को एक वर्ष की अवधि में मूल्यहासित कर दिया गया है।

#### एसवीसीएल

अधिग्रहण की लागत पर आस्तियों को संचित मूल्यहास घटाकर दर्शाया गया है। स्थिर आस्तियों पर मूल्यहास दर कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्धारित तरीके से अवलिखित वैल्यू पद्धति पर प्रदान किया गया है। खरीदे गए मोबाइल / टैलीफोन उपकरणों / टैबलेट उपकरणों की लागत को खरीद के वर्ष में राजस्व व्यय में ले लिया गया है। उन आस्तियों पर मूल्यहास जिनकी वास्तविक लागत पांच हजार रुपये से अधिक नहीं है, को 100% की दर से मूल्यहास प्रदान किया गया

है।

#### 12. आकस्मिक देयताओं हेतु प्रावधान और आकस्मिक आस्तियाँ:

ए एस 29 प्रावधानों के अनुसार, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियों को बैंक चिन्हीकृत करता है और जब पिछली घटनाओं के फलस्वरूप कोई वर्तमान दायित्व बनता है, संसाधनों के व्यय की संभावना रहती है और दायित्व की राशि के विषय में विश्वसनीय अनुमान किया जा सकता है, तब गणना में पर्याप्त सीमा तक अनुमान करते हुए प्रावधान किए जाते हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों का न तो निर्धारण होता है, न ही प्रकटन। आकस्मिक देयताओं हेतु प्रावधान नहीं किया जाता है और तुलनपत्र में उनका प्रकटन होता है तथा

#### 13. अनुदान एवं सब्सिडी:

सरकार तथा अन्य एजेंसियों से प्राप्त अनुदान एवं सब्सिडी का लेखांकन करार की शर्तों के अनुसार किया जाता है।

#### 14. परिचालनगत पट्टा

एएस -19 के अनुसार लीज अवधि पर एक सीधी रेखा पद्धति के आधार पर लाभ और हानि खाते में पट्टे के किराये को व्यय / आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

#### 15. आस्तियों की क्षति

प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को आस्तियों की रख-रखाव राशियों की समीक्षा की जाती है, ताकि आंतरिक व बाह्य कारणों के आधार पर किसी क्षति का संकेत हो तो निम्नलिखित का निर्धारण किया जा सके:

- क) क्षति-हानि (यदि कोई हो) हेतु अपेक्षित प्रावधान, अथवा
- ख) पूर्ववर्ती अवधि में चिह्नित क्षति (यदि कोई हो तो) हेतु अपेक्षित प्रत्यावर्तन-निर्धारण

यदि किसी आस्ति की रख-रखाव की राशि वसूली योग्य राशि से अधिक होती है तो, क्षति-हानि का निर्धारण किया जाता है।

#### 16. नकदी और नकदी समतुल्य

नकदी प्रवाह विवरणी के प्रयोजन के लिए नकदी और नकदी समतुल्यों में हाथ में नकद, भारतीय रिजर्व बैंक में शेष, अन्य बैंकों में शेष तथा म्यूचुअल फंड में ऐसा निवेश शामिल होता है, जिसकी मूल परिपक्वता अवधि तीन माह या कम की हो।



# समेकित लेखों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ

## संलग्नक I

1 समेकित वित्तीय विवरण में समाहित अनुषंगी संस्थाओं के ब्यौरे :

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	सहायक संस्था का नाम	निगमन देश	स्वामित्व का अनुपात *	वर्ष अंत में लाभ /हानि	
				31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022
1	सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड (एसवीसीएल)	भारत	100%	4,43,09,242	5,03,20,749
2	सिडबी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एसटीसीएल)	भारत	100%	54,64,545	46,52,056
3	माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी (मुद्रा लि.)	भारत	100%	5,75,74,79,271	2,32,81,66,742
<b>योग</b>				<b>5,80,72,53,058</b>	<b>2,38,31,39,547</b>

वित्त वर्ष 2023 के लिए सभी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों का लेखा - परीक्षा किया गया है।

\*चूंकि सहायक कंपनियों के सभी शेयर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सिडबी के स्वामित्व में हैं, इसलिए अल्पांश हित से संबंधित कोई अलग प्रकटीकरण परिलक्षित नहीं होता है।

नोट: चूंकि सिडबी स्वावलंबन फाउंडेशन (एसएसएफ) एक गैर-लाभकारी कंपनी है [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत निगमित], लेखा मानक 21 के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में एसएसएफ पर विचार नहीं किया जा रहा है।

2.A समेकित वित्तीय विवरण में समाहित सहायक संस्थाओं के चालू और पिछले वर्ष के ब्यौरे निम्नवत हैं:

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	सहयोगी संस्था का नाम	धारिता का (%)		विवरण	निवेश (अंकित मूल्य)	निवेश		वर्षांत में लाभ / हानि का हिस्सा <sup>[1]</sup>		आरक्षितियों में हिस्सा <sup>[1]</sup>	
		31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022			31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022
1	एक्यूटे रेटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व स्मेरा) <sup>[2]</sup>	35.73	35.73	एसएमई के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी	5,10,00,000	5,10,00,000	5,10,00,000	5,72,58,397	5,18,19,174	21,10,90,339	15,36,09,345
2	इंडिया एसएमई आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड <sup>[3]</sup>	26.00 <sup>[3]</sup>	26.00 <sup>[3]</sup>	आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी	26,00,00,000	26,00,00,000	26,00,00,000	27,93,50,516	72,192	31,27,07,888	3,33,57,371
3	दिल्ली वित्त निगम <sup>[4]</sup>	23.76	23.66	राज्य वित्त निगम	6,27,75,000	3,13,87,500	3,13,87,500	\$(89,47,164)	(2,20,74,735)	(3,13,87,500)	(2,24,41,109)
4	रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड <sup>[5]</sup>	30.00	30.00	व्यापारिक प्राप्य राशियों की फैक्ट्रिंग / भुनाई के लिए आन लाइन प्लेटफार्म ट्रेड्स	15,00,00,000	15,00,00,000	15,00,00,000	2,62,95,270	(7,04,071)	(5,19,67,200)	(7,82,62,470)
5	एपिटको लिमिटेड <sup>[6]</sup>	0.00	0.00	तकनीकी परामर्श संगठन	-	-	-	-	(3,45,22,441)	-	-
6	किटको लिमिटेड <sup>[5]</sup>	49.77	49.77	तकनीकी परामर्श संगठन	4,90,00,000	24,95,296	24,95,296	(1,58,49,938)	(5,26,76,624)	15,13,31,338	16,71,81,276
<b>योग</b>						<b>49,48,82,796</b>	<b>49,48,82,796</b>	<b>33,81,07,081</b>	<b>(5,80,86,505)</b>	<b>59,17,74,865</b>	<b>25,34,44,413</b>

1 1मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए सहयोगियों में (अर्जन)/ हानि का हिस्सा मद के तहत समेकित तुलन पत्र की अनुसूची II ए (i) में, (₹5,80,86,505) (पिछले वर्ष (₹33,81,07,081/-) के आरक्षित निधि में नामे किया गया है



2. एक्यूटे रेटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के आंकड़े मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए गैर लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर आधारित हैं।
  3. इंडिया एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के आंकड़े मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर आधारित हैं। इसमें एसवीसीएल (सिडबी की 100% सहायक कंपनी) द्वारा 11% होल्डिंग शामिल है।
  4. दिल्ली वित्त निगम के आंकड़े 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों पर आधारित हैं। # मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 89,47,164/- के हानि के हिस्से की गणना सहयोगी संस्था में निवेश के बही मूल्य की सीमा तक की जाती है।
  5. रिसेवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और क्वांटो लिमिटेड के आंकड़े मार्च 2023 और मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए आईएनडी एस के अनुसार गैर -लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर आधारित हैं।
  6. एपिटको लिमिटेड, जिसे वित्त वर्ष 2021 के दौरान एसीटी के समेकन के लिए विचार किया गया था, का वित्त वर्ष 2022 के दौरान विनिवेश किया गया है।
  7. एक सहयोगी अर्थात् आईएसटीएसएल परिसमापन के अधीन है और इसलिए, लेखा मानक 21 के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में समेकन के लिए विचार नहीं किया जा रहा है। सिडबी ने मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अपने वित्तीय विवरणों में इस सहयोगी में निवेश पर पूरा प्रावधान किया है।
- ख. निम्नलिखित सहयोगियों के परिणाम समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं हैं। तथापि, निवेश के मूल्य में कमी के लिए वित्तीय विवरणों में पूर्ण प्रावधान किया गया है।

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	सहयोगी संस्था का नाम	अंशधारिता (%)		विवरण	निवेश	निवेश के मूल्य में हास	
		31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022			31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022
1	बीएसएफसी	48.43	48.43	राज्य वित्त निगम	12,01,25,000	(12,01,25,000)	(18,84,88,500)
2	जीएसएफसी	28.41	28.41	राज्य वित्त निगम	12,66,00,000	(12,66,00,000)	(12,66,00,000)
3	एमएसएफसी	39.99	39.99	राज्य वित्त निगम	12,52,41,750	(12,52,41,750)	(12,52,41,750)
4	पीएफसी	25.92	25.92	राज्य वित्त निगम	5,23,51,850	(5,23,51,850)	(5,23,51,850)
5	यूपी एसएफसी	24.18	24.18	राज्य वित्त निगम	17,27,50,000	(17,27,50,000)	(21,67,59,000)
<b>योग</b>					<b>59,70,68,600</b>	<b>(59,70,68,600)</b>	<b>(70,94,41,100)</b>

जीएसएफसी के आंकड़े 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित परिणामों पर आधारित हैं। पीएफसी, बीएसएफसी और एमएसएफसी के आंकड़े क्रमशः 31 मार्च, 2020, 31 मार्च, 2019 और 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित परिणामों पर आधारित हैं। यूपीएसएफसी के संबंध में, 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित परिणाम उपलब्ध हैं।

- ग. हालांकि निम्नलिखित निकायों के मामले में, बैंक के पास 20% से अधिक मताधिकार है, किन्तु उन्हें एसएस 23 'सहयोगी संस्थाओं में निवेश का समेकित वित्तीय विवरणों में लेखांकन' के अनुसार सहयोगी संस्था में निवेश नहीं माना गया है, क्योंकि उन्हें एनपीआई के रूप में वर्गीकृत किया गया है और तदनुसार निवेश का बुक मूल्य ₹1 / - लिया गया है।

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	सहयोगी संस्था का नाम	अंशधारिता (%)		विवरण	निवेश	
		31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022		31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022
1	बिहार औद्योगिकी एवं तकनीकी परामर्श संगठन लिमिटेड	49.25	49.25	तकनीकी परामर्श संगठन	1	1

3. चालू वर्ष और पिछले वर्ष के दौरान सहयोगी संस्थाओं के साथ कोई महत्वपूर्ण लेनदेन नहीं हुआ है।
4. सिडबी की मूल्यहास नीति के अंतर्गत एसएलएम/डब्ल्यूडीवी के अनुसार पूर्व-निर्धारित दरों से आस्तियों पर मूल्यहास लगाया जाता है। इसके विपरीत सहायक एवं सहयोगी संस्थाएँ कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अनुसार एसएलएम/डब्ल्यूडीवी आधार पर

मूल्यहास का परिकलन करती हैं। इस प्रकार समेकित वित्तीय विवरण में समाहित ₹26,67,08,148/- (गत वर्ष ₹36,43,50,321/) के कुल मूल्यहास में ₹43,79,854/- यानी राशि का 1.64% (गत वर्ष ₹24,78,562/- यानी राशि का 0.68%) का निर्धारण कंपनी अधिनियम 2013 में विहित मूल्यहास के अनुसार किया गया है।

## 5 कर्मचारियों के हितलाभ

### (i) सिडबी

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा कर्मचारी हितलाभों के बारे में जारी लेखांकन मानकों (एएस 15) (2005 में पुनरीक्षित) के अनुसार कर्मचारियों को प्रदत्त विभिन्न हितलाभों को बैंक ने निम्नानुसार वर्गीकृत किया है:

### (क) परिभाषित अंशदान योजना

बैंक ने लाभ और हानि खाते में निम्नलिखित राशियों को अभिनिर्धारित किया है :

विवरण	(राशि ₹ मे)	
	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022
भविष्य निधि में नियोजक का अंशदान	9,18,53,963	7,68,83,415
नई भविष्य निधि योजना में नियोजक का अंशदान	8,95,82,393	3,17,67,054

### (ख) बैंक में सुपरिभाषित पेंशन और ग्रेच्युटी हितलाभ योजनाएं हैं जिनका प्रबंध ट्रस्ट द्वारा किया जाता है

	(राशि ₹ मे)			
	पेंशन		उपदान	
	विव 2023	विव 2022	विव 2023	विव 2022
<b>1. धारणाएँ</b>				
बढ़ा दर	7.50%	7.25%	7.40%	6.90%
योजनागत आस्तियों पर प्रतिलाभ की दर	7.50%	7.25%	7.40%	6.90%
वेतन में बढ़ोत्तरी	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%
हास दर	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
<b>2. हितलाभ देनदारियों में बदलाव को दिखाती सारणी</b>				
वर्ष के आरंभ में देयताएँ	576.93	553.50	108.95	106.70
ब्याज लागत	24.65	22.69	7.09	6.56
मौजूदा सेवा लागत	13.48	14.97	5.92	5.97
पिछली सेवा लागत (अंतर्वेशित हितलाभ)	0.00	0.00	0.00	0.00
पिछली सेवा लागत (निहित लाभ)	0.00	0.00	0.00	0.00
भीतर अंतरित देयताएँ	0.00	0.00	0.00	0.00
(बाहर अंतरित देयताएँ)	0.00	0.00	0.00	0.00
(अदा किए गए हितलाभ)	0.00	0.00	(12.44)	(6.61)
देनदारियों पर बीमांकित (लाभ) / हानि	64.74	(14.23)	(2.12)	(3.67)
<b>वर्ष के अंत में देयता</b>	<b>679.80</b>	<b>576.93</b>	<b>107.40</b>	<b>108.95</b>
<b>3. योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य की तालिकाएँ</b>				
वर्ष के आरंभ में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	589.61	501.50	105.92	105.73
योजनागत आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	42.75	34.35	7.08	6.69
अंशदान	0.00	0.00	0.04	0.33
अन्य कंपनी से अंतरित	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य कंपनी को अंतरित	0.00	0.00	0.00	0.00
(अदा किए गए हितलाभ)	0.00	0.00	(12.44)	(6.61)
योजनागत आस्तियों पर बीमांकित लाभ / (हानि)	3.40	53.76	1.70	(0.22)
<b>वर्षांत पर योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य</b>	<b>635.76</b>	<b>589.61</b>	<b>102.30</b>	<b>105.92</b>

(राशि ₹ में)

	पेंशन		उपदान	
	विव 2023	विव 2022	विव 2023	विव 2022
<b>4. बीमांकित लाभ / हानि के अभिनिर्धारण की सारणी</b>				
संबन्धित अवधि के लिए देयताओं पर बीमांकक (लाभ) / हानियाँ	64.74	(14.23)	(2.12)	(3.67)
संबन्धित अवधि के लिए आस्तियों पर बीमांकक (लाभ) / हानियाँ	(3.40)	(53.76)	(1.70)	0.22
आय व व्यय विवरणी में अभिनिर्धारित बीमांकित (लाभ) / हानियाँ	<b>61.34</b>	<b>(67.99)</b>	<b>(3.82)</b>	<b>(3.45)</b>
<b>5. योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ</b>				
योजनागत आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	42.75	34.35	7.08	6.69
योजनागत आस्तियों पर बीमांकित लाभ / (हानि)	3.40	53.76	1.70	(0.22)
योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ	<b>46.15</b>	<b>88.11</b>	<b>8.78</b>	<b>6.47</b>
<b>6. तुलन-पत्र में अभिनिर्धारित राशि</b>				
वर्ष के अंत में देयता	(679.80)	(576.93)	(107.40)	(108.95)
वर्ष की समाप्ति पर योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	635.76	589.61	102.30	105.92
अंतर	(44.04)	12.68	(5.10)	(3.03)
वर्ष की समाप्ति पर पिछली सेवा की अनिर्धारित लागत	0.00	0.00	0.00	0.00
वर्ष की समाप्ति पर अनिर्धारित अंतर्वर्ती देयताएँ	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>तुलन-पत्र में अभिनिर्धारित निवल राशि</b>	<b>(44.04)</b>	<b>12.68</b>	<b>(5.10)</b>	<b>(3.03)</b>
<b>7. तुलन-पत्र में अभिनिर्धारित निवल राशि</b>				
वर्तमान सेवा लागत	13.48	14.97	5.92	5.97
ब्याज लागत	24.65	22.69	7.09	6.56
योजनागत आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	(42.75)	(34.35)	(7.08)	(6.69)
वर्ष के दौरान अभिनिर्धारित पिछली सेवा लागत (गैर-अंतर्वेशित हितलाभ)	0.00	0.00	0.00	0.00
वर्ष के दौरान अभिनिर्धारित पिछली सेवा लागत (अंतर्वेशित हितलाभ)	0.00	0.00	0.00	0.00
वर्ष के दौरान अनिर्धारित अंतर्वर्ती देयताएँ	0.00	0.00	0.00	0.00
बीमांकिक (लाभ) / हानि	61.34	(67.99)	(3.82)	(3.45)
<b>लाभ व हानि खाते में अभिनिर्धारित व्यय</b>	<b>56.72</b>	<b>(64.68)</b>	<b>2.11</b>	<b>2.39</b>
<b>8. तुलन-पत्र का मिलान</b>				
आरंभिक निवल देयताएँ	(12.68)	52.00	3.03	0.97
यथोक्त व्यय	56.72	(64.68)	2.11	2.39
नियोक्ता का योगदान	0.00	0.00	(0.04)	(0.33)
<b>तुलन-पत्र में अभिनिर्धारित राशि</b>	<b>44.04</b>	<b>(12.68)</b>	<b>5.10</b>	<b>3.03</b>

(राशि ₹ में)

	पेंशन		उपदान	
	विव 2023	विव 2022	विव 2023	विव 2022
<b>9. अन्य विवरण</b>				
बैंक की सूचना के अनुसार वेतन में बढ़ोतरी को विचार में लिया गया है जो कि पदोन्नति और कर्मचारी आपूर्ति को ध्यान में लेकर उद्योग-क्षेत्र में प्रचलित व्यवहार के अनुसार है				
<b>10. आस्तियों की श्रेणी</b>				
भारत सरकार की आस्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00
निगम बॉण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00
विशेष जमा योजना	0.00	0.00	0.00	0.00
सूचीबद्ध कंपनियों के ईक्विटी शेयर	0.00	0.00	0.00	0.00
संपत्ति	0.00	0.00	0.00	0.00
बीमादाताओं द्वारा प्रबंधित निधियाँ	635.76	589.61	102.30	105.92
अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>योग</b>	<b>635.76</b>	<b>589.61</b>	<b>102.30</b>	<b>105.92</b>

## 11. अनुभव समायोजन:

विवरण	पेंशन					उपदान				
	विव 2023	विव 2022	विव 2021	विव 2020	विव 2019	विव 2023	विव 2022	विव 2021	विव 2020	विव 2019
योजना देयता पर (लाभ)/ हानि	85.05	15.71	(1.14)	46.87	(22.03)	1.60	0.65	(0.43)	3.28	(19.71)
योजना आस्ति पर (लाभ)/हानि	3.40	53.76	(1.15)	25.17	(2.32)	1.70	(0.22)	(0.13)	0.09	0.35

- (ग) स्वतंत्र बीमांकिक द्वारा प्रदान किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर अन्य दीर्घकालिक लाभ योजना से संबंधित लाभ और हानि खाते में प्रभाषित राशि निम्नलिखित है।

क्र.सं.	विवरण	यथा 31 मार्च, 2023 तक	यथा 31 मार्च, 2023 तक
1	साधारण अवकाश नकदीकरण	40.97	12.97
2	रुग्णता अवकाश	1.86	0.47
3	पुनर्स्थापन व्यय	0.46	0.30
4	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा योजना सुविधाएं	0.79	9.84

## (ii) एसवीसीएल

इस अवधि के दौरान, कंपनी ने ₹3,47,753/- (पिछले वर्ष - ₹6,20,896/-) की राशि का योगदान सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड कर्मचारी समूह उपदान एश्योरेंस स्कीम (ट्रस्ट) में इसके कर्मचारियों के लिए किया, जिसमें ₹2, 26,660/- (पिछले साल - ₹6,20,896/-) पुराने कर्मचारियों के लिए और ₹1,21,093/- (पिछले साल - शून्य) नए कर्मचारियों के लिए किया है।

विवरण	नियोजनोंपरांत हितलाभ	नियोजनोंपरांत हितलाभ
	विव 2023	विव 2022
हितलाभ का स्वरूप	उपदान	उपदान
<b>तुलन-पत्र में अभिनिर्धारित आस्तियाँ व देयताएँ ]</b>		
गैर-निधि-निक्षेपित परिभाषित हितलाभ संबंधी देनदारियों का वर्तमान मूल्य	शून्य	शून्य

विवरण	नियोजनोंपरांत हितलाभ	नियोजनोंपरांत हितलाभ
	वि व 2023	वि व 2022
निधिदत्त या अंशतः निधिदत्त परिभाषित हितलाभ देनदारियों का मौजूदा मूल्य	₹ 67,94,806	₹ 64,60,592
योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	₹ 71,60,191	₹ 66,14,266
पिछला सेवा व्यय जिसे तुलन-पत्र में अधिमानित नहीं किया गया है	शून्य	शून्य
ऐसी राशि जिसे बतौर आस्ति अभिनिर्धारित नहीं किया गया है	शून्य	शून्य
ऐसे प्रतिपूर्ति अधिकारों का उचित मूल्य जिन्हें आस्ति के रूप में अभिनिर्धारित किया गया है।	शून्य	शून्य
तुलन-पत्र में अभिनिर्धारित अन्य राशियाँ, यदि कोई हों।	शून्य	शून्य
<b>योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य में शामिल राशियाँ</b>	शून्य	शून्य
स्वयं के वित्तीय लिखत	शून्य	शून्य
संपत्ति या अन्य प्रयुक्त आस्तियाँ	शून्य	शून्य
बीमादाता द्वारा प्रबंधित निधियाँ	₹ 71,60,191	₹ 66,14,266
<b>निवल देयताओं में बदलाव :</b>		
आरंभिक निवल देयताएँ	(₹1,53,674)	₹ 1,70,938
व्यय	₹ 1,36,063	₹ 2,96,284
अंशदान	(₹3,47,774)	(₹6,20,896)
अंतिम निवल देयताएं	(₹3,65,385)	(₹1,53,674)
<b>लाभ और हानि लेखे में अभिनिर्धारित व्यय</b>		
मौजूदा सेवा लागत	₹ 1,45,246	₹ 3,19,723
ब्याज लागत	₹ 4,49,011	₹ 5,32,617
योजनागत आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	(₹4,59,691)	(₹5,20,908)
प्रतिपूर्ति अधिकारों पर अपेक्षित प्रतिलाभ	लागू नहीं	लागू नहीं
बीमांकिक लाभ/(हानि)	₹ 1,497	(₹35,148)
लाभ व हानि विवरणी में अभिनिर्धारित कुल व्यय	₹1,36,063	₹ 2,96,284
पिछली सेवा की लागत	शून्य	शून्य
कटौती/निपटान का प्रभाव	शून्य	शून्य
पैरा 59 (बी) में सीमा का प्रभाव	लागू नहीं	लागू नहीं
योजनागत आस्तियों और आस्ति के तौर पर अभिनिर्धारित प्रतिपूर्ति अधिकारों पर वास्तविक प्रतिलाभ	शून्य	शून्य
<b>बीमांकिक धारणाएं</b>		
बढ़ा दरें	6.95%	6.85%
योजनागत आस्तियों पर प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर	6.95%	6.85%
प्रतिपूर्ति अधिकारों पर प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर	शून्य	शून्य
वेतन में वृद्धि की प्रत्याशित दर	5.00%	5.00%
चिकित्सा लागत की प्रवृत्तियाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
मर्त्यशीलता	भारतीय बीमाकृत जीवन मर्त्यता (2012-14) (शहरी )	भारतीय बीमाकृत जीवन मर्त्यता (शहरी )
अपंगता	शून्य	शून्य
हास	3.00%	3.00%
सेवानिवृत्ति उम्र	60 वर्ष	60 वर्ष

(iii) मुद्रा

(क) सभी कर्मचारी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) से प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ हैं, और मुद्रा में प्रतिनियुक्त इन कर्मचारियों की ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण और वेतन बकाया का ध्यान इस कंपनी में स्टाफ को प्रतिनियुक्ति पर भेजने वाले नियोजको द्वारा ही रखा जाता है। तथापि मुद्रा द्वारा चालू वर्ष में लाभ और हानि खाते में ₹30.32 लाख (मार्च 2022 में ₹12.18 लाख) की राशि का प्रावधान किया गया है ताकि उपर्युक्त कंपनियों द्वारा जब भी इन खर्चों की मांग की जाती है तब इसे सिडबी को अदा किया जा सकेगा। संविदा कर्मचारियों के संबंध में कोई भी नियोजन पश्चात कर्मचारी लाभ लागू नहीं है।

(ख) इसलिए कंपनी लेखा मानक नियम, 2006 के अंतर्गत जारी संशोधित एएस 15- कर्मचारी लाभ के अंतर्गत किसी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।

## 6 प्रति शेयर अर्जन \*:

	31 मार्च, 2023	31 मार्च 2022
ईपीएस गणना के लिए हिसाब में लिया गया निवल लाभ	39,31,47,12,877	21,61,97,93,573
प्रति ₹10 के अंकित मूल्य पर इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या	56,85,41,169	53,21,22,684
प्रति शेयर अर्जन	69.15	40.63

\*चूंकि कोई विलेय संभावित इक्विटी शेयर नहीं हैं, इसलिए मूल एवं विलयित ईपीएस एक समान हैं।

7 लेखांकन मानक 22, आय पर कर का लेखांकन, के अनुसार बैंक ने आस्थगित कर आस्तियों / देयताओं की समीक्षा की है और 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि खाते में आस्थगित कर आस्ति के रूप में ₹172,73,59,844/- (गत वर्ष आस्थगित कर आस्ति ₹11,67,75,995/-) का निर्धारण किया है।

यथा 31 मार्च, 2023 आस्थगित कर आस्ति/(देयता) की पृथक-पृथक राशियाँ निम्नवत हैं:

क्र.स.	समय-अंतराल	विव 2022-23 (₹)	विव 2021-22 (₹)
		आस्थगित कर आस्ति / (देयता)	आस्थगित कर आस्ति / (देयता)
1	स्थिर आस्तियों पर मूल्यहास के लिए प्रावधान	2,99,66,550	2,79,93,040
2	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (viii) के तहत विशेष आरक्षितियाँ	(4,07,64,80,346)	(3,87,65,37,167)
3	अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	11,70,13,876	66,39,15,061
4	लेखों की पुनर्संरचना हेतु प्रावधान	60,105	30,66,284
5	अनर्जक निवेश के लिए प्रावधान	83,40,09,746	-
6	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	4,64,13,82,523	2,88,09,11,626
7	अन्य	58,56,57,558	70,49,01,616
	<b>निवल आस्थगित करआस्ति/ (देयता)</b>	<b>2,13,16,10,012</b>	<b>40,42,50,460</b>

8 (i) पूंजीगत खाते में निष्पादन हेतु लंबित संविदाओं से संबन्धित प्राकलित राशि ₹73,41,057/- (गत वर्ष ₹1,89,87,686/-) (अदा किए गए अग्रिम को घटाकर) का प्रावधानीकरण नहीं किया गया है।

9 भा रि बैंक के दिनांक 7 जून 2019 के परिपत्र डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.45/21.04.048/2018-19 के अनुसार वर्ष के दौरान कार्यान्वित संकल्प योजनाओं से संबंधित प्रकटीकरण:

i) 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान आरपी एस को सफलतापूर्वक लागू किया गया

मामलों की संख्या	बकाया राशि* राशि (₹ करोड़ में)
1	380.04

\*पुनर्संरचना की तारीख को खाते को तकनीकी रूप से बड़े खाते में डाल दिया गया था और उसके बाद वर्ष के दौरान बंद कर दिया गया था।



ii) पुनर्चना प्रक्रिया के दौरान ऋण को इक्विटी में बदलने के कारण अर्जित प्रतिभूतियों का विवरण:

विवरण	शेयर / इकाइयों की संख्या	प्रति शेयर अंकित मूल्य (₹ में)	बही मूल्य (₹ में)
अनिवार्य परिवर्तनीय डिबेंचर (सीसीडी)।	53045	1,00,000.00	1.00

iii) 31 मार्च, 2023 तक भा रि बैंक के परिपत्र दिनांक 6 अगस्त, 2020 (रिज़ॉल्यूशन फ्रेमवर्क 1.0) और 5 मई 2021 (रिज़ॉल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0) के अनुसार कोविड-19 संबंधित दबाव के लिए भा. रि. बैंक रिज़ॉल्यूशन फ्रेमवर्क के तहत कार्यान्वित समाधान योजनाओं का विवरण नीचे दिया गया है:

₹ करोड़ में)

उधारकर्ता का प्रकार	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों के लिए एक्सपोजर - पिछले छमाही के अंत में स्थिति (₹)	(₹) से ऐसे ऋण जो छमाही के दौरान अनर्जक आस्ति हो गए	कुल ए में से छमाही के दौरान बड़े खाते में डाली गई राशि	कुल ए में से छमाही के दौरान उधारकर्ताओं द्वारा अदा की गई राशि \$	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों के लिए एक्सपोजर - इस छमाही के अंत में स्थिति
वैयक्तिक ऋण	---	---	---	---	---
नैगम व्यक्ति	31.09	---	0	3.07	28.02
जिनमें से एमएसएमई	31.09	---	0	3.07	28.02
अन्य	---	---	---	---	---
<b>योग</b>	<b>31.09</b>	<b>---</b>	<b>0</b>	<b>3.07</b>	<b>28.02</b>

\$बकाया राशि में निवल संचलन का प्रतिनिधित्व करता है।

iv. उधारकर्ता खातों की संख्या जहां भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं. डीओआर/ एसटीआर/आरईसी.11/21.04.048/2021-22 दिनांक 5 मई, 2021 समाधान फ्रेमवर्क - 2.0 पर: व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों के कोविड-19 से संबंधित दबाव का समाधान शून्य है। इसके अलावा समाधान फ्रेमवर्क 1.0 के तहत कार्यान्वित किए गए खातों के संबंध में कोई संशोधन स्वीकृत और कार्यान्वित नहीं किया गया था।

#### 10 अनुसूची XI में उल्लिखित आकस्मिक देयताएं

आकस्मिक देयताओं में ₹9,64,85,12,907 रुपये (पिछला वर्ष ₹6,56,25,72,519) के "बैंक के खिलाफ दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया" शामिल है। ये दावे विभिन्न कानूनी मामलों और आयकर और अन्य वैधानिक प्राधिकरणों द्वारा उठाई गई मांगों से संबंधित हैं जो बैंक व्यवसाय के सामान्य परिचालन में बैंक के खिलाफ दायर दावों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन पर बैंक द्वारा विवाद किया जा रहा है और विशेषज्ञों की राय के आधार पर प्रावधान को आवश्यक नहीं माना जा रहा है।

11 प्रबंधन की राय में, लेखांकन मानक 28- आस्तियों की हानि के संदर्भ में बैंक की अचल परिसंपत्तियों की कोई भौतिक हानि नहीं है।

12 आकस्मिकताओं में प्रावधानों के लिए लेखांकन मानक 29 के तहत प्रकटीकरण। बैंक के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों की समीक्षा हर पांच साल में की जाती है। इस तरह की समीक्षा 01 नवंबर, 2022 से लंबित है।

(₹)

विवरण	वि व 2023 वेतन बकाया / प्रोत्साहन	वि व 2022 वेतन बकाया / प्रोत्साहन
<b>अथशेष</b>	<b>1,39,13,00,000</b>	<b>1,07,63,00,000</b>
जोड़ें:		
बकाया	65,69,31,704	31,50,00,000
प्रोत्साहन	-	-
उपयोग :	1,81,17,53,069	-
प्रति लेखन	-	-
<b>अंतिम शेष</b>	<b>23,64,78,635</b>	<b>1,39,13,00,000</b>

**13 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र - वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत पंजीकृत एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए अग्रिमों की पुनर्संरचना :**

भारतीय रिज़र्व बैंक के 11 फरवरी, 2020 के परिपत्र के अनुसार वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) उधारकर्ताओं के लिए अग्रिमों की किया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक ने 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र - अग्रिमों की पुनर्संरचना' पर अपने 06 अगस्त, 2020 के परिपत्र के माध्यम से कोविड-19 के प्रभाव के कारण व्यवहार्य एमएसएमई संस्थाओं का समर्थन करने के लिए उपरोक्त योजना का विस्तार किया। इसके अलावा भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने परिपत्र आरबीआई/2021-22/32 डीओआर / एसटीआर/ आरईसी.12/21.04.048/2021-22 दिनांक 5 मई, 2021 के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के कोविड-19 से संबंधित दबाव के समाधान फ्रेमवर्क 2.0 की सलाह दी है। इन दिशा-निर्देशों के तहत पुनर्संरचित एमएसएमई खातों की पुनर्संरचना निम्नानुसार है:

पुनर्संरचना की गई खातों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1,124	803.33

- 14** कोविड-19 महामारी बैंक के परिणामों को किस हद तक प्रभावित करती रहेगी, यह चल रहे और भविष्य के घटनाक्रमों पर निर्भर करेगा।
- 15** 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान, बैंक ने बोर्ड द्वारा स्वीकृत त्वरित प्रावधान नीति के अनुसार आईआरएसी मानदंडों के तहत निर्धारित न्यूनतम से अधिक दरों पर मानक अग्रिमों पर अतिरिक्त प्रावधान किया है। तदनुसार, बैंक 31 मार्च, 2023 को ₹253.38 करोड़ के मानक अग्रिमों पर अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।
- 16** भा रि बैंक मास्टर निदेश के अनुसार आरबीआई/डीओआर/2021-22/85 डीओआर.एसटीआर.आरईसी.53/21.04.177/2021-22 दिनांक 24 सितंबर, 2021 - (मानक आस्तियों का प्रतिभूतिकरण) निदेश, 2021, की बकाया राशि एसपीई की बहियों के अनुसार प्रतिभूतिकृत संपत्ति और एमआरआर का अनुपालन करने के लिए तुलन पत्र की तारीख के अनुसार प्रवर्तक द्वारा रखे गए एक्सपोजर की कुल राशि 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए शून्य है।
- 17** **मुद्रा इंडिया माइक्रोफाइनेंस इक्विटी फंड (आईएमईएफ): नोट:** भारत सरकार (जीओआई) ने 300 करोड़ रुपये के कोष के साथ सिडबी के साथ "इंडिया माइक्रोफाइनेंस इक्विटी फंड (आईएमईएफ)" बनाया है। इस कोष का उपयोग गरीबी उन्मूलन और देश के असेवित और अल्पसेवित हिस्सों में परिचालन की दीर्घकालिक स्थिरता प्राप्त करने के उद्देश्य से छोटे सामाजिक रूप से उन्मुख एमएफआई पर ध्यान केंद्रित करते हुए टियर -2 और टियर -3 एनबीएफसी एमएफआई और सभी गैर-एनबीएफसी एमएफआई को इक्विटी या पूंजी के किसी अन्य रूप का विस्तार करने के लिए किया जाएगा। वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान आईएमईएफ का कॉर्पस फंड सिडबी से मुद्रा में स्थानांतरित कर दिया गया है। निधि का संचालन/प्रबंधन मुद्रा द्वारा किया गया है जिसके लिए आहरित राशि पर 1% प्रति वर्ष प्रशासनिक शुल्क निधि में लिया गया है और मुद्रा द्वारा प्राप्त किया गया है। इसके अलावा, अंतर प्रवाह और हस्तांतरणकर्ता को निधि में जमा/नामे किए जाते हैं। इसलिए, आईएमईएफ की निधि शेष, निवेश का शुद्ध तुलन पत्र में "अन्य चालू देनदारियों" के तहत वर्गीकृत किया गया है। 31 मार्च, 2023 को निधि में शेष राशि ₹ 310,80,74,899 /- है। पूरी धनराशि 04 अप्रैल, 2022 को सिडबी को वापस हस्तांतरित कर दी गई है।
- 18** 24 सितंबर, 2021 के ऋण एक्सपोजर के हस्तांतरण पर भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर निदेश के तहत 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान हस्तांतरित / अधिग्रहित ऋणों का विवरण नीचे दिया गया है:
- 31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही और वर्ष के दौरान:
- बैंक ने समनुदेशन के माध्यम से चूक से कोई ऋण प्राप्त नहीं किया है।
  - बैंक ने किसी भी अनर्जक आस्तियों (एनपीए) को आस्ति पुनर्गठन कंपनियों (एआरसी) को अनुमत हस्तांतरणकर्ताओं / अन्य हस्तांतरणकर्ताओं को हस्तांतरित नहीं किया है
  - बैंक ने कोई तनावग्रस्त ऋण प्राप्त नहीं किया है और किसी भी ऋण को हस्तांतरित नहीं किया है जो चूक / विशेष उल्लेख खातों (एसएमए) में नहीं है।
  - बैंक ने एआरसी को हस्तांतरित तनावग्रस्त ऋणों के संबंध में आस्ति पुनर्गठन कंपनियों (एआरसी) द्वारा जारी प्रतिभूति प्राप्ति (एसआर) में निवेश नहीं किया है।
- 19** मूल और सहायक कंपनियों के अलग-अलग वित्तीय विवरणों में प्रकट अतिरिक्त सांविधिक सूचना का समेकित वित्तीय आंकड़ों के सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी किए गए सामान्य स्पष्टीकरण के मद्देनजर समेकित वित्तीय विवरणों में उन मर्दों से संबंधित जानकारी का भी खुलासा नहीं किया गया है जो महत्वपूर्ण नहीं हैं।

## 20 इंड-एस का कार्यान्वयन: :

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक को 15 मई, 2019 को जारी पत्र के अनुसार, एआईएफआई के लिए इंड-एस के कार्यान्वयन को अगली सूचना तक स्थगित कर दिया गया है। तदनुसार, आईजीएएपी के अंतर्गत बैंक के वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं। हालांकि, बैंक छमाही आधार पर प्रोफार्मा इंड एस वित्तीय विवरण भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत करना जारी रखेगा, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 15 मई, 2019 के पत्र में सलाह दी गई थी। वर्तमान में सिडबी आईजीएएपी वित्तीय विवरणों को इंड-एस वित्तीय विवरणों में परिवर्तित करने के लिए एक्सेल शीट्स का उपयोग कर रहा है।

21 भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सामान्य विनियम, 2000 के विनियम 14 में लघु उद्योग विकास सहायता निधि (एसआईडीएफ) और सामान्य निधि के अंतर्गत खातों की प्रस्तुति के लिए पृथक प्रारूप निर्धारित किया गया है। चूंकि केन्द्र सरकार द्वारा अलग से कोई एसआईडीएफ अधिसूचित नहीं किया गया है, इसलिए सिडबी द्वारा इसका रखरखाव नहीं किया जा रहा है।

22 पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए जहां भी आवश्यक हो, पुनर्समूहित एवं वर्गीकृत किया गया है।

# समेकित लेखों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अतिरिक्त प्रकटन

## 1. पूंजी पर्याप्तता (बासेल I के अनुसार )

क्र.स विवरण	(₹ करोड़)	
	वि व 2022-23	वि व 2021-22
i) सामान्य इक्विटी*	लागू नहीं	लागू नहीं
ii) अतिरिक्त टियर 1 पूंजी *	लागू नहीं	लागू नहीं
(iii) कुल टियर 1 पूंजी	26956.57	24425.84
(iv) टियर 2 पूंजी	1585.69	1007.56
v) कुल पूंजी (टियर 1 + टियर 2)	28542.26	25433.40
vi) कुल जोखिम भारत आस्तियां ( जोभाआ)	135214.71	97386.78
vii) सामान्य इक्विटी अनुपात ( जोभाआ का सामान्य इक्विटी में प्रतिशत)*	लागू नहीं	लागू नहीं
viii) टियर 1 अनुपात (जोभाआ का टियर 1 पूंजी में प्रतिशत )	19.94%	25.08%
ix) जोखिम भारत आस्तियों के प्रति पूंजी अनुपात (जोखिम भारत आस्तियों के प्रति कुल पूंजी अनुपात प्रतिशत में)	21.11%	26.12%
x) भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	20.85	20.85
xi) जुटाई गई इक्विटी पूंजी की राशि	-	-
xii) जुटाई गई अतिरिक्त टियर 1 पूंजी जो	-	-
क) स्थायी गैर संचयी अधिमान शेयर (पीएनसीपीएस)	-	-
ख) स्थायी ऋण पत्र (पीडीआई)	-	-
xiii) जुटाई गई टियर 2 पूंजी राशि, जिसमें	-	-
क) ऋण पूंजी लिखतें	-	-
ख) स्थायी संचयी अधिमान शेयर (पीसीपीएस)	-	-
ग) शोधय गैर संचयी अधिमान शेयर (आरएनसीपीएस)	-	-
घ) शोधय संचयी अधिमान शेयर (आरसीपीएस)	-	-

\* चूंकि बासेल III नहीं लागू है अतः आंकड़ों का वर्तमान में परिकलन नहीं किया गया है .

## 2. निर्बंध आरक्षित निधियां और प्रावधान

### (क) मानक आस्तियों पर प्रावधान

विवरण	(₹ करोड़)	
	वि व 2022-23	वि व 2021-22
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान (संचयी)	1,844.17	1,144.68

### (ख) अस्थायी प्रावधान

विवरण	(₹ करोड़)	
	वि व 2022-23	वि व 2021-22
अस्थायी प्रावधान खाते में अथशेष	495.67	1,099.96
लेखा वर्ष में किए गए अस्थायी प्रावधानों की मात्रा	0.00	0.00
लेखा वर्ष में की गयी गिरावट की राशि*	0.00	604.29
अस्थायी प्रावधान खाते में इतिशेष	495.67	495.67

\* 05 मई, 2021 के भारतीय रिजर्व बैंक परिपत्र के अनुसार और अस्थायी प्रावधान पर बैंक के निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार अनर्जक आस्ति प्रावधान करने के लिए राशि का उपयोग किया गया था।

### 3. आस्ति गुणवत्ता एवं विशिष्ट प्रावधान

#### (क) अनर्जक ऋण

(₹ करोड़)

विवरण	वि व 2022-23	वि व 2021-22
(i) निवल ऋण की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियां (%)	0.00%	0.06%
(ii) अनर्जक आस्ति की प्रगति (सकल)		
क) अथशेष	299.60	358.68
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	93.39	1,036.20
(ग) वर्ष के दौरान कमी	337.94	1,095.28
(घ) इति शेष	55.05	299.60
(iii) निवल अनर्जक आस्ति की प्रगति*		
क) अथशेष	132.10	185.25
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	(82.66)	11.51
(ग) वर्ष के दौरान कमी	40.88	64.66
(घ) इति शेष	8.56	132.10
(iv) अनर्जक आस्तियों के प्रावधानों में प्रगति (मानक आस्तियों के प्रावधानों को छोड़कर)		
क) अथशेष	167.50	173.42
(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	176.05	1030.31
(ग) अतिरिक्त प्रावधानों का बट्टे खाते में डालना	297.06	1036.23
(घ) इति शेष	46.49	167.50

\*यदि चल प्रावधान की राशि उसके साथ समायोजित है तो पिछले वर्ष और इस वर्ष के दौरान निवल अनर्जक आस्ति शून्य होगी।

#### (ख) अनर्जक निवेश

(₹ करोड़)

विवरण	वि व 2022-23	वि व 2021-22
(i) निवल निवेश की तुलना में निवल अनर्जक निवेश (%)	0.00%	0.00%
(ii) अनर्जक निवेश (सकल) की प्रगति		
क) अथशेष	350.16	344.62
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	0.00	5.54
(ग) वर्ष के दौरान कमी	18.78	0.00
(घ) इति शेष	331.38	350.16
(iii) निवल अनर्जक निवेश की प्रगति		
क) अथशेष	0.00	0.00
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	0.00	0.00
(ग) वर्ष के दौरान कमी	0.00	0.00
(घ) इति शेष	0.00	0.00

(₹ करोड़)

विवरण	वि व 2022-23	वि व 2021-22
(iv) अनर्जक निवेश के प्रावधानों की प्रगति (मानक आस्तियों पर प्रावधानों को छोड़ कर)		
क) अथशेष	350.16	344.62
(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	0.00	5.54
(ग) अतिरिक्त प्रावधानों का बढ़े खाते में डालना	18.78	0.00
(घ) इति शेष	<b>331.38</b>	<b>350.16</b>

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार ऋण के रूपांतरण के माध्यम से प्राप्त की गई सुरक्षा (बही मूल्य ₹1/-) शामिल है और इसे उसी वर्ष में पूरी तरह से भुनाया गया है। .

## (ग) अनर्जक आस्तियां (क+ख)

(₹ करोड़)

विवरण	वि व 2022-23	वि व 2021-22
(i) निवल आस्तियों का निवल अनर्जक आस्तियां (ऋण + निवेश) (%)	0.00%	0.05%
(ii) अनर्जक आस्तियों की प्रगति (सकल ऋण + सकल निवेश)		
क) अथशेष	649.76	703.31
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	93.39	1,041.73
(ग) वर्ष के दौरान कमी	356.72	1,095.28
(घ) इति शेष	<b>386.43</b>	<b>649.76</b>
(iii) निवल अनर्जक आस्तियों में परिवर्तन		
क) अथशेष	132.10	185.25
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	(82.66)	11.51
(ग) वर्ष के दौरान कमी	40.88	64.66
(घ) इति शेष	<b>8.56</b>	<b>132.10</b>
(iv) अनर्जक आस्तियों के प्रावधानों में परिवर्तन (मानक आस्तियों पर प्रावधानों को छोड़कर)		
क) अथशेष	517.66	518.05
(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	176.05	1,035.84
(ग) अतिरिक्त प्रावधानों का बढ़े खाते में डालना	315.84	1,036.23
(घ) इति शेष	<b>377.87</b>	<b>517.66</b>



**(क) पुनर्रचित खातों का प्रकटीकरण**

(₹ करोड़ )

क्र	पुनर्रचना का प्रकार →	सीडीआर तंत्र के तहत				एसएमई ऋण पुनर्रचना तंत्र के तहत					
		मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	योग	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	योग
	आरिक्त वर्गीकरण →										
	विवरण ↓										
1	वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल को पुनर्रचित खाते (शुरुआती उधारकर्ताओं की संख्या आकड़े)*	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	उन पर प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	वर्ष के दौरान ताजा पुनर्रचना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	उन पर प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्रचित मानक श्रेणी में उधारकर्ताओं की संख्या उन्नयन	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	उन पर प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	पुनर्रचित मानक अभिम जो वित्तीय वर्ष के अंत में उच्च प्रावधान और / या अतिरिक्त जोखिम भार को आकर्षित करना बंद कर देते हैं और इसलिए अगले वित्तीय वर्ष की शुरुआत में पुनर्रचित मानक अभिम के रूप में दिखाने की आवश्यकता नहीं है	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	उन पर प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्रचित खातों का अपन्नयन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	उन पर प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्रचित खातों का बड़े खाते में डालना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	उन पर प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को पुनर्रचित खाते (अंतिम आकड़े)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	उन पर प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## (क) पुनर्चित खातों का प्रकटीकरण

(₹ करोड़ )

क्र	पुनर्चना का प्रकार → आस्टि वर्गीकरण → विवरण ↓	अन्य				योग					
		मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	योग	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	योग
1	वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल को पुनर्चित खाते (शुरुआती उधारकर्ताओं की संख्या आंकड़े)*	14	2	10	-	26	14	2	10	-	26
	बकाया राशि	69.95	6.36	32.68	-	108.99	69.95	6.36	32.68	-	108.99
	उन पर प्रावधान	0.18	0.02	0.05	-	0.25	0.18	0.02	0.05	-	0.25
2	वर्ष के दौरान ताजा पुनर्चना	1	3	-	-	4.00	1	3	-	-	4
	उधारकर्ताओं की संख्या	0.27	4.18	-	-	4.45	0.27	4.18	-	-	4.45
	बकाया राशि	0.01	-	-	-	0.01	0.01	-	-	-	0.01
3	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्चित मानक श्रेणी में उधारकर्ताओं की संख्या	1	(1)	-	-	-	1	(1)	-	-	-
	उन्नयन	5.03	(5.03)	-	-	-	5.03	(5.03)	-	-	-
	बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	उन पर प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	पुनर्चित मानक अग्रिम जो वित्तीय वर्ष के अंत में उच्च प्रावधान और / या अतिरिक्त जोखिम भार को आकर्षित करना बंद कर देते हैं और इसलिए अगले वित्तीय वर्ष की शुरुआत में पुनर्चित मानक अग्रिम के रूप में दिखाने की आवश्यकता नहीं है	(4)	-	-	-	(4)	(4)	-	-	-	(4)
	उच्च प्रावधान और / या अतिरिक्त जोखिम भार को आकर्षित करना बंद कर देते हैं और इसलिए अगले वित्तीय वर्ष की शुरुआत में पुनर्चित मानक अग्रिम के रूप में दिखाने की आवश्यकता नहीं है	(19.58)	-	-	-	(19.58)	(19.58)	-	-	-	(19.58)
	उन पर प्रावधान	(0.17)	-	-	-	(0.17)	(0.17)	-	-	-	(0.17)
5	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्चित खातों का अपन्नयन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	उन पर प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्चित खातों का बड़े खाते में डालना #	(4)	(4)	(10)	-	(18)	(4)	(4)	(10)	-	(18)
	उधारकर्ताओं की संख्या	(28.58)	(5.50)	(32.69)	-	(66.77)	(28.58)	(5.50)	(32.69)	-	(66.77)
	बकाया राशि	-	(0.02)	(0.05)	-	(0.07)	-	(0.02)	(0.05)	-	(0.07)
	उन पर प्रावधान	8	-	-	-	8	8	0	0	-	8
7	वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को पुनर्चित खाते (अंतिम आंकड़े)*	27.09	-	0.00	-	27.09	27.09	-	0.00	-	27.09
	उधारकर्ताओं की संख्या	0.02	0.00	(0.00)	-	0.02	0.02	0.00	(0.00)	-	0.02
	बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	उन पर प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\* मानक पुनर्चित अग्रिमों के आंकड़ों को छोड़कर जो उच्च प्रावधानीकरण या जोखिम भार (यदि लागू हो) को आकर्षित नहीं करते हैं।

नोट: क्रमांक 6 के आंकड़ों में ₹6.76 करोड़ की कटौती/वसूली के बकाया निवल में वृद्धि और मौजूदा पुनर्चित खातों के संबंध में और ₹33.01 करोड़ की राशि 7 उधारकर्ताओं को बंद करने और 0.05 करोड़ का प्रावधान शामिल है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2023 के दौरान ₹0.27 करोड़ की राशि का एक खाता और ₹0.01 करोड़ के प्रावधान को बड़े खाते से मानक श्रेणी में अपग्रेड किया गया और वृद्धि के तहत दिखाया गया।

**(घ) अनर्जक आस्तियों में परिवर्तन**

(₹ करोड़)

विवरण	वि व 2022-23	वि व 2021-22
लेखा अवधि की प्रारंभिक तिथि के अनुसार सकल अनर्जक आस्तियां (अथ शेष)	299.60	358.68
वर्ष के दौरान परिवर्धन (नई अनर्जक आस्तियां)	93.39	1,036.20
<b>उप-योग (क)</b>	<b>392.99</b>	<b>1,394.88</b>
घटाएँ:-		
(i) उन्नयन	35.01	37.62
(ii) वसूलियाँ (उन्नत खातों से की गयी वसूलियां)	32.79	46.93
(iii) तकनीकी/ विवेकपूर्ण बढ़ा खाता	211.42	1,005.06
(iv) उपर्युक्त (iii) के अलावा बढ़े खाते में डाले गए*	58.72	5.67
<b>उप-योग (ख)</b>	<b>337.94</b>	<b>1,095.28</b>
<b>पिछले वर्ष (इति शेष) के 31 मार्च को सकल अनर्जक आस्तियां (क- ख)</b>	<b>55.05</b>	<b>299.60</b>

**(च) बढ़े खाते में डालना एवं वसूलियां**

(₹ करोड़)

विवरण	वि व 2022-23	वि व 2021-22
यथा 1 अप्रैल तक तकनीकी / बढ़े खाते में अथशेष	3,389.19	2,624.88
जोड़िए: वर्ष के दौरान तकनीकी / विवेकपूर्ण बढ़े खाते	262.75	1,005.06
<b>उप-योग (क)</b>	<b>3,651.94</b>	<b>3,629.94</b>
घटाएँ: वास्तविक बढ़े खाते	594.90	37.83
घटाएँ : वर्ष के दौरान पिछले तकनीकी / विवेकपूर्ण बढ़े खाते में से की गई वसूलियाँ	288.81	202.92
<b>उप-योग (ख)</b>	<b>883.71</b>	<b>240.75</b>
<b>31 मार्च को इति शेष (क-ख)</b>	<b>2,768.23</b>	<b>3,389.19</b>

**(छ) विदेशी आस्तियां, अनर्जक आस्तियां एवं राजस्व**

(₹ करोड़)

विवरण	वि व 2022-23	वि व 2021-22
कुल आस्तियां	शून्य	शून्य
कुल अनर्जक आस्तियां	शून्य	शून्य
कुल राजस्व	शून्य	शून्य

**(ज) मूल्यहास एवं निवेशों पर प्रावधान**

(₹ करोड़)

विवरण	वि व 2022-23	वि व 2021-22
<b>(1) निवेश</b>		
(i) सकल निवेश	<b>27,775.69</b>	<b>22,574.77</b>
(क) भारत में	27,775.69	22,574.77
(ख) भारत से बाहर		
(ii) मूल्यहास के लिए प्रावधान	<b>362.25</b>	<b>356.49</b>

(₹ करोड़)		
विवरण	वि व 2022-23	वि व 2021-22
(क) भारत में	362.25	356.49
(ख) भारत से बाहर		
(iii) निवल निवेश	<b>27,413.44</b>	<b>22,218.28</b>
(क) भारत में	27,413.44	22,218.28
(ख) भारत से बाहर		
<b>(2) निवेशों पर मूल्यहास के लिए धारित प्रावधानों में प्रगति</b>		
(i) अथशेष	<b>6.33</b>	<b>20.76</b>
(ii) जोड़िए: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	26.05	0.22
(iii) वर्ष के दौरान निवेश उतार चढ़ाव आरक्षिति खाते में से कोई समायोजन, यदि कोई हो तो	-	-
(iv) घटाएं: वर्ष के दौरान अधिक प्रावधानों को पुनरांकित / बट्टे खाते में डाले गए*	1.51	14.65
(v) घटाएं: निवेश उतार चढ़ाव आरक्षिति में, यदि कोई अंतरण*	-	-
(vi) इति शेष	<b>30.87</b>	<b>6.33</b>

\*बैंक ने निवेश उतार-चढ़ाव रिजर्व खाते में 110.96 करोड़ (लागू करों का निवल) विनियोजित किया है।

#### (झ) प्रावधान और आकस्मिकताएँ

(₹ करोड़)		
लाभ और हानि लेखे में व्यय शीर्ष के अंतर्गत प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं का अलग-अलग विवरण	वि व 2022-23	वि व 2021-22
निवेश पर अनर्जक निवेश के लिए प्रावधान	5.76	(8.89)
अनर्जक आस्ति के प्रति प्रावधान	148.83 @	408.19 @ #
आयकर के सन्दर्भ में किया गया प्रावधान (आस्थगित कर आस्ति / देयता शामिल)	1251.54	511.52
अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ (विवरण सहित) \$	699.49 \$	(20.33) \$

@ पुनर्संरचना प्रावधान का निवल

\$ इसमें मानक आस्तियों के लिए प्रावधान भी शामिल है

# चल प्रावधानों का निवल पुनरांकन

#### (ज) प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात (पीसीआर)

विवरण	वि व 2022-23	वि व 2021-22
प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात (पीसीआर)*	99.70%	96.30%

\* पीसीआर के परिकलन के समय अस्थिर प्रावधान पर विचार नहीं किया गया है

#### (त) धोखाधड़ी से संबंधित प्रावधान

(₹ करोड़)		
विवरण	वि व 2022-23	वि व 2021-22
वर्ष के दौरान रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी के मामले	9	1
धोखाधड़ी में शामिल धनराशि (करोड़ में)	36.87	6.67
वर्ष के अंत में धोखाधड़ी में शामिल वसूली / बट्टे खाते में डालने / अप्राप्त ब्याज की निवल राशि (करोड़ में)	31.06	6.47
वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान (करोड़ में)	1.13	-
उक्त खातों के लिए वर्ष के अंत में धारित प्रावधान (करोड़ में)	31.06	6.47
वर्ष के अंत में "अन्य आरक्षितियों" से नामे किए गए अपरिशोधित प्रावधान की राशि / (₹ करोड़ में)	-	-

#### 4. निवेश संविभाग : संघटन और परिचालन (क) रेपो संव्यवहार

(₹ करोड़)

विवरण	वर्ष के दौरान बकाया का न्यूनतम स्तर	वर्ष के दौरान बकाया का अधिकतम स्तर	वर्ष के दौरान दैनिक बकाया का औसत स्तर	यथा 31 मार्च, 2023 को बकाया
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां				
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ	-	13,673.20	2,720.28	10,543.96
ii. नैगम ऋण संबंधी प्रतिभूतियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां				
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ	-	14,994.39	1,632.35	1,998.89
ii. नैगम ऋण संबंधी प्रतिभूतियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(₹ करोड़)

विवरण	वर्ष के दौरान बकाया का न्यूनतम स्तर	वर्ष के दौरान बकाया का अधिकतम स्तर	वर्ष के दौरान दैनिक बकाया का औसत स्तर	यथा 31 मार्च, 2022 को बकाया
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां				
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ	-	3,735.68	348.89	2,568.91
ii. नैगम ऋण संबंधी प्रतिभूतियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां				
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ	-	21,610.09	6,450.69	299.89
ii. नैगम ऋण संबंधी प्रतिभूतियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

#### (ख) ऋण-प्रतिभूतियों में निवेश हेतु जारीकर्ताओं की संघटना का प्रकटीकरण

(₹ करोड़)

जारीकर्ता	राशि	निजी प्लेसमेंट के जरिये किया गया निवेश	निवेश श्रेणी निवेश श्रेणी प्रतिभूति से निम्न में धारित प्रतिभूतियां	बिना रेटिंग के प्रतिभूति में धारित	असूचीबद्ध प्रतिभूति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(i) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	368.96	278.25	-	-	-
(ii) वित्तीय संस्थाएँ	2795.10	2795.10	-	189.83	189.83
(iii) बैंक	8302.72	8302.72	-	103.50	103.50
(iv) निजी कॉर्पोरेट्स	450.11	450.11	-	450.11	441.48
(v) अनुषंगी / संयुक्त उपक्रम	0	0	-	0	0
(vi) अन्य	1045.81	1045.81	-	1045.81	1045.81
(vii) मूल्यहास के लिए धारित प्रावधान	(362.23)	-	-	-	-
<b>योग</b>	<b>12600.47</b>	<b>12871.99</b>	<b>-</b>	<b>1789.25</b>	<b>1780.62</b>

## (ग) एच टी एम श्रेणी से प्रतिभूति की बिक्री एवं अंतरण

चालू वित्त वर्ष के दौरान, बैंक ने मौजूदा भारतीय रिज़र्व बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार वेंचर कैपिटल फंड में निवेश को एचटीएम से एएफएस श्रेणी में अंतरण कर दिया। उपरोक्त को छोड़कर, एचटीएम श्रेणी में/से निवेश पर कोई अंतरण नहीं हुआ था।

## 5. खरीदी/ बेची गई वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा

## (क) आस्ति पुनर्संरचना के उद्देश्य से प्रतिभूतीकरण / पुनर्संरचित कंपनियों को बेची गई आस्तियों के विवरण n

## (i) बिक्री का ब्यौरा

(₹ करोड़)		
विवरण	वि व 2022-23	वि व 2021-22
(i) खातों की संख्या (उधारकर्ता)	शून्य	शून्य
(ii) एस सी /आर सी को बेंचे गए खातों का (प्रावधान घटाकर) सकल मूल्य	शून्य	शून्य
(iii) सकल प्रतिफल	शून्य	शून्य
(iv) पिछले वर्षों में अंतरित खातों के संबद्ध में वसूल किया गया अतिरिक्त प्रतिफल	शून्य	शून्य
(v) निवल बही मूल्य के प्रति सकल लाभ / हानि	शून्य	शून्य

## (ii) एच टी एम श्रेणी से प्रतिभूति की बिक्री एवं अंतरण

(₹ करोड़)		
विवरण	प्रतिभूति रसीदों में किए गए निवेशों के बही मूल्य	
	वि व 2022-23	वि व 2021-22
(i) एआईएफआई द्वारा बेंची गयी अनर्जक आस्तियों की पृष्ठभूमि वाली	0.27	0.27
(ii) बैंकों/अन्य वित्तीय संस्थानों/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा अंतर्निहित के रूप में बेचे गए गैर निष्पादित आस्ति द्वारा समर्थित	0.00	0.00
<b>योग</b>	<b>0.27</b>	<b>0.27</b>

## (ख) खरीदी गयी /बेंची गयी अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

## (i) खरीदी गयी अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण :

(₹ करोड़)		
विवरण	वि व 2022-23	वि व 2021-22
1. (क) वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या	शून्य	शून्य
(ख) सकल बकाया	शून्य	शून्य
2. (क) वर्ष के दौरान इन पुनर्संरचित खातों की संख्या	शून्य	शून्य
(ख) सकल बकाया	शून्य	शून्य

## (ii) बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा :

(₹ करोड़)		
विवरण	वि व 2022-23	वि व 2021-22
1. बेंचे गए खातों की संख्या	शून्य	शून्य
2. सकल बकाया	शून्य	शून्य
3. सकल प्राप्त प्रतिफल	शून्य	शून्य



## 6. परिचालन परिणाम

विवरण	वि व 2022-23	वि व 2021-22
(i) औसत कार्यशील निधि का ब्याज आय प्रतिशत	5.30	4.21
(ii) औसत कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में गैर ब्याज आय	0.14	0.18
(iii) (प्रावधान पूर्व) औसत कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ	1.63	1.33
(iv) औसत आस्तियों पर प्रतिफल (कराधान प्रावधान के पूर्व )	1.40	1.16
(v) प्रति कर्मचारी निवल लाभ (₹ करोड़)	3.66	2.13

## 7. ऋण संकेन्द्रण जोखिम

### (क) पूंजी बाजारगत जोखिम

(₹ करोड़)		
विवरण	वि व 2022-23	वि व 2021-22
(i) इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय ऋण पत्रों में प्रत्यक्ष निवेश और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल निधियों के कार्पस की इकाइयों में प्रत्यक्ष निवेश जो कि विशिष्ट रूप से कारपोरेट ऋण में निवेश न किया गया हो;	320.03	456.70
(ii) शेयरों / बांडों / ऋण पत्रों के एवज में अग्रिम अथवा व्यक्तिगत रूप से शेयरों, (आईपीओएस / ईएसओपीएस) परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय ऋण पत्रों और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल निधियों की इकाइयों में व्यक्तिगत रूप से किया गया निवेश।	-	-
(iii) किसी अन्य उद्देश्य के लिए अग्रिमों जहां शेयरों, अथवा परिवर्तनीय बांडों अथवा परिवर्तनीय ऋण पत्रों अथवा इक्विटी उन्मुख म्युचुअल निधियों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है।	-	-
(iv) किसी अन्य उद्देश्य के लिए अग्रिम जो कि संपार्श्विक प्रतिभूति अथवा परिवर्तनीय बांडों एवं परिवर्तनीय ऋण पत्रों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल निधियों की इकाइयों के जरिये प्रतिभूत हो यानी जहाँ प्राथमिक प्रतिभूति परिवर्तनीय बांडों एवं परिवर्तनीय ऋण पत्रों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल निधियों की इकाइयों की प्रतिभूति से अग्रिम आवरित नहीं है।	-	-
(v) स्टाक ब्रोकरों और मार्केट मेकरों की और से स्टाक ब्रोकरों को प्रतिभूति सहित और प्रतिभूति रहित अग्रिम/ गारंटियाँ जारी करना	-	-
(vi) संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी में प्रवर्तकों के अंशदान की प्रतिपूर्ति के लिए सीधा आधार पर अथवा ऋण पत्रों / बांडों शेयरों की प्रतिभूति के एवज में कार्पोरेट्स को मंजूर ऋण	-	-
(vii) अपेक्षित इक्विटी प्रवाह / जारी करने के लिए कंपनियों को ब्रिज ऋण देना ;	-	-
(viii) शेयरों अथवा परिवर्तनीय बांडों अथवा परिवर्तनीय ऋण पत्रों अथवा इक्विटी उन्मुख म्युचुअल निधियों के प्राथमिक निर्गम के संबंध में बैंकों द्वारा लिया गया हामीदारी वादा ;	-	-
(ix) मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टाक ब्रोकरों को वित्तपोषण ;	-	-
(x) वेंचर पूंजी निधियों (पंजीकृत एवं गैर पंजीकृत) को सभी एक्सपोजर	1,173.61	1,024.82
<b>पूंजी बाजार में कुल एक्सपोजर</b>	<b>1,493.64</b>	<b>1,481.52</b>

## ख) देश जोखिम का एक्सपोजर

(₹ करोड़)

जोखिम श्रेणी	वि व 2022-23	वि व 2021-22	वि व 2022-23	वि व 2021-22
	निवल वित्त पोषित एक्सपोजर	किया गया प्रावधान	निवल वित्त पोषित एक्सपोजर	किया गया प्रावधान
नगण्य	10,902.69	26.40	11,269.51	27.66
निम्न	1,018.09	-	998.70	-
मामूली	15.90	-	1.00	-
उच्च	5.64	-	-	-
बहुत उच्च	-	-	-	-
निर्बाधित	-	-	-	-
ऑफ-क्रेडिट	-	-	-	-
<b>योग</b>	<b>11,942.32</b>	<b>26.40</b>	<b>12269.21</b>	<b>27.66</b>

## (ग) विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमाएँ - एआईएफआई द्वारा एकल उधारकर्ता / सामूहिक उधारकर्ता सीमा को बढ़ाया जाना

(i) वर्ष के दौरान विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमा से अधिक के एक्सपोजर की संख्या और राशि (उधारकर्ता का नाम नहीं)

क्र. सं.	पैन संख्या	उधारकर्ता का नाम	उद्योग कूट सं.	उद्योग का नाम	क्षेत्र	प्रदत्त निधि राशि	गैर-निधि राशि	जोखिम, पूंजी निधियों के % में
1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(ii) पूंजी निधियों के प्रतिशत के रूप में ऋण एक्सपोजर और कुल आस्तियों के सन्दर्भ में उनका प्रतिशत :

क्र.सं.	विवरण	वि व 2022-23		वि व 2021-22	
		कुल आस्तियों के % में	पूंजी निधियों के % में	कुल आस्तियों के % में	पूंजी निधियों के % में
1	एकल बड़े उधारकर्ता	13.63	209.72	15.53	170.28
	बड़े उधारकर्ता समूह		चूंकि बड़े उधारकर्ता प्राथमिक ऋणदात्री संस्थाएं हैं, उधारकर्ता समूह इस पर लागू नहीं		
2	20 बड़े एकल उधारकर्ता	67.94	1,045.64	61.06	669.47
	20 बड़े उधारकर्ता समूह		चूंकि बड़े उधारकर्ता प्राथमिक ऋणदात्री संस्थाएं हैं, उधारकर्ता समूह इस पर लागू नहीं		

(iii) कुल ऋण आस्तियों का पाँच बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में ऋण एक्सपोजर का प्रतिशत :

(₹ करोड़)

उद्योग का नाम	वि व 2022-23		वि व 2021-22	
	बकाया राशि	कुल ऋण आस्तियों के % में	बकाया राशि	कुल ऋण आस्तियों के % में
वस्त्र उत्पाद	1,373.15	0.36	821.55	0.37
ऑटो अनुषंगी	1,303.56	0.34	871.11	0.39
धातु उत्पाद एन.ई.सी.	1,298.56	0.34	1,072.24	0.48
प्लास्टिक मोल्ड उत्पाद	707.12	0.19	601.17	0.27
मशीनरी छोड़कर मेटल उत्पाद पार्ट्स	648.03	0.17	580.84	0.26

(iv) कुल अग्रिम राशि, जिसके लिए अमूर्त प्रतिभूतियाँ जैसे अधिकार, अनुज्ञप्तियाँ, प्राधिकार आदि लिया गया है, वह शून्य है।

(v) पिछले वर्ष और चालू वर्ष के दौरान बैंक को फैक्ट्रिंग का एक्सपोजर नहीं था।

(vi) पिछले वर्ष और चालू वर्ष के दौरान बैंक ने विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमाओं का अतिक्रमण नहीं किया।

**(घ) उधारियों / ऋण व्यवस्थाओं, ऋण जोखिम-राशि एवं अनर्जक आस्तियों का संकेन्द्रण**

(i) उधारियों और ऋण व्यवस्थाओं का संकेन्द्रण

(₹ करोड़)

विवरण	वि व 2022-23	वि व 2021-22
बीस बड़े ऋणदाताओं से कुल उधारियां	3,16,623.42	2,07,923.53
बीस बड़े ऋणदाताओं से कुल उधारियां का उधारियों में प्रतिशत	79.04%	84.38%

(ii) ऋण जोखिम का संकेन्द्रण

(₹ करोड़)

विवरण	वि व 2022-23	वि व 2021-22
बीस बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम	2,98,449.36	1,69,786.49
कुल अग्रिमों का बीस बड़े उधारकर्ताओं को दिए गए अग्रिमों का प्रतिशत	74.56%	76.35%
बीस बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों को कुल एक्सपोजर	3,33,833.93	2,06,873.95
कुल एक्सपोजर का बीस बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों में एक्सपोजर का प्रतिशत	73.38%	70.82%

(iii) ऋण-जोखिम-राशि और अनर्जक आस्तियों का क्षेत्र-वार संकेन्द्रण

(₹ करोड़)

क्र. सं.	क्षेत्र	वि व 2022-23			वि व 2021-22		
		कुल बकाया अग्रिम	सकल अनर्जक आस्तियां	क्षेत्र में कुल अग्रिमों में अनर्जक आस्तियों का सकल प्रतिशत	कुल बकाया अग्रिम	सकल अनर्जक आस्तियां	क्षेत्र में कुल अग्रिमों में अनर्जक आस्तियों का सकल प्रतिशत
I.	औद्योगिक क्षेत्र	3,35,409.61	14.74	0.00%	1,97,731.72	199.00	0.10%
	1. केन्द्र सरकार	-	-	-	-	-	-
	2. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	-	-	-	-	-	-
	3. राज्य सरकार	1,541.63	-	-	-	-	-
	4. राज्य स्तरीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	-	-	-	-	-	-
	5. अनुसूचित वाणिज्य बैंक	3,14,619.21	-	-	1,82,705.34	-	-
	6. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	832.72	-	-	592.25	-	-
	7. सहकारी बैंक	-	-	-	-	-	-
	8. निजी क्षेत्र (बैंकों को छोड़कर)	18,416.05	14.74	0.08%	14,434.13	199.00	1.38%
II.	अल्प वित्त क्षेत्र	6,575.89	40.31	0.61%	4,230.17	40.32	0.95%
III.	अन्य *	36,056.54	-	-	20,414.26	60.28	0.30%
	<b>योग (I+II+III)</b>	<b>3,78,042.04</b>	<b>55.05</b>	<b>0.01%</b>	<b>2,22,376.15</b>	<b>299.60</b>	<b>0.13%</b>

\* गैरबैंकिंग वित्त कंपनियों को दिए गए अग्रिम भी शामिल हैं।

## 8. व्युत्पन्नियाँ

## (क) वायदा दर करार / ब्याज दर विनिमय

(₹ करोड़)

क्र. सं.	विवरण	वि व 2022-23	वि व 2021-22
i)	विनिमय करारों का अनुमानिक मूल्य	123.72	185.58
ii)	इस करार के तहत पक्षकार द्वारा देयता पूरी न कर पाने के कारण होने वाली हानियाँ	(1.91)	2.29
iii)	इस विनिमय में शामिल होने के लिए बैंक द्वारा वांछित संपार्श्विक-प्रतिभूति	शून्य	शून्य
iv)	इस विनिमय से होने वाले जोखिम ऋणों का संकेन्द्रण	शून्य	3.25
v)	इस विनिमय से होने वाले जोखिम ऋणों का संकेन्द्रण	(1.91)	2.29

31 मार्च, 2023 को आईआरएस की प्रकृति और शर्तें निम्नवत हैं:

क्र. सं.	स्वरूप	सं.	आनुमानिक मूल राशि	न्यूनतम मानदंड	शर्तें
1	हेजिंग	1	आईएनआर 123,72,29,020.00	6 यूएसडी लिबोर	नियत प्राप्य राशि बनाम /चल देयताएं

31 मार्च, 2022 को आईआरएस की प्रकृति और शर्तें निम्नवत हैं:

क्र. सं.	स्वरूप	सं.	आनुमानिक मूल राशि	न्यूनतम मानदंड	शर्तें
1	हेजिंग	1	आईएनआर 185,58,43,530.00	6 यूएसडी लिबोर	नियत प्राप्य राशि बनाम /चल देयताएं

## (ख) विनिमय बाजार में खरीदे-बेचे जाने वाले ब्याज दर व्युत्पन्न

(₹ करोड़)

क्र. सं.	विवरण	वि व 2022-23	वि व 2021-22
i)	वर्ष के दौरान लिए गए एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व्युत्पन्नों की आनुमानिक मूल राशि (लिखत-वार)	शून्य	शून्य
ii)	यथा 31 मार्च बकाया एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व्युत्पन्नों की आनुमानिक मूल राशि (लिखत-वार)	शून्य	शून्य
iii)	बकाया और अत्यन्त प्रभावी नहीं एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व्युत्पन्नों की आनुमानिक मूल राशि (लिखत-वार) और "अत्यधिक प्रभावी" नहीं।	शून्य	शून्य
iv)	एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व्युत्पन्नों का मार्केट मूल्य और (लिखत-वार) और "अत्यधिक प्रभावी" नहीं।	शून्य	शून्य

## (ग) व्युत्पन्नो में सम्बद्ध जोखिम राशि का प्रकटीकरण

## (i) गुणात्मक प्रकटीकरण

- ब्याज दर तथा आस्ति एवं देयताओं में विसंगति से उत्पन्न विनिमय जोखिम की हेजिंग के लिए बैंक व्युत्पन्नियों का उपयोग करता है। बैंक द्वारा ली गयी सभी व्युत्पन्नियाँ हेजिंग के उद्देश्य से और ऐसी विदेशी मुद्रा के उधार के रूप में है जो एमटीएम न होकर केवल रूपांतरित हैं। बैंक व्युत्पन्नियों का व्यापार नहीं करता है।
- आंतरिक नियंत्रण संबंधी दिशा- निर्देश तथा लेखांकन नीतियां बोर्ड द्वारा तैयार और अनुमोदित की जाती हैं। व्युत्पन्नो संरचना को सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन के पश्चात ही अपनाया गया है। व्युत्पन्नो के सौदों संबंधी विवरणों की जानकारी आस्ति देयता प्रबंध समिति / बोर्ड को भी दी जाती है।
- बैंक ने व्युत्पन्नो सौदों से उत्पन्न होने वाली जोखिमों को कम करने के लिए सिस्टम स्थापित किया है। बैंक व्युत्पन्न सौदे से उत्पन्न होने वाले लेन-देन का लेखांकन करने के लिए उपचित विधि का पालन करता है।

(घ) ऋण चूक स्वैप पर प्रकटीकरण - बैंक ने वर्ष के दौरान कोई ऋण चूक स्वैप नहीं किया है।

(ii) परिमाणात्मक प्रकटीकरण

(₹ करोड़)

क्र. सं.	विवरण	वि व 2022-23		वि व 2021-22	
		मुद्रा व्युत्पन्न	ब्याज दर व्युत्पन्न	मुद्रा व्युत्पन्न	ब्याज दर व्युत्पन्न
1	व्युत्पन्नियाँ (आनुमानिक मूल राशि)	3,361.40	123.72	3,902.68	185.58
	(i) बचाव के लिए	3,361.40	123.72	3,902.68	185.58
	(ii) व्यापार के लिए	-	-	-	-
2	मार्केट स्थितियों के लिए चिह्नित [1]	535.51	(1.91)	296.35	2.29
	(i) आस्ति (+)	535.51	-	296.35	2.29
	(ii) देयता (-)	-	1.91	-	-
3	ऋण एक्सपोजर [2]	730.12	-	557.49	3.25
4	ब्याज दर में एक प्रतिशत बदलाव से होने वाला संभावित प्रभाव (100* पी वी 01)	1,681.43	(0.72)	56.18	(0.02)
	(i) बचाव व्युत्पन्नियों पर	1,681.43	(0.72)	56.18	(0.02)
	(ii) व्यापारिक व्युत्पन्नियों पर	-	-	-	-
5	वर्ष के दौरान परिलक्षित अधिकतम एवं न्यून तम 100* पी वी 01	-	-	-	-
	बचाव पर	1912.87/0.56	(0.72)(2.47)	88.26/56.18	(2.37)(4.82)
	व्यापार पर	-	-	-	-

#### 9. एआईएफआई द्वारा जारी लेटर ऑफ कम्फर्ट का प्रकटीकरण

वर्ष के दौरान जारी कम्फर्ट पत्रों का विवरण, आकलित वित्तीय प्रभाव और पहले के जारी किए गए कम्फर्ट पत्रों के आकलित संचयी वित्तीय देयताओं तथा अग्रिमों के विवरण निम्नवत हैं:

(₹ करोड़)

यथा 31 मार्च, 2021 को एलओसी विषयक बकाया		वर्ष के दौरान जारी एल ओ सी		वर्ष के दौरान उन्मोचित की गयी एलओसी		यथा 31 मार्च, 2021 को एलओसी विषयक बकाया	
एल ओ सी की संख्या	राशि	एल ओ सी की संख्या	राशि	एल ओ सी की संख्या	राशि	एल ओ सी की संख्या	राशि
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

#### 10. आस्ति-देयता प्रबंध

(₹ करोड़)

विवरण	1 से 14 दिन	15 से 28 दिन	29 दिन से 3 महीना	3 महीने से अधिक एवं 6 महीने तक	6 महीने से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	योग
जमा	34.63	28.75	1,636.46	5,354.83	45,130.93	1,42,287.69	2,791.15	2,681.16	1,99,945.60
अग्रिम	6,997.81	4,269.79	52,090.15	68,561.71	70,644.41	1,61,467.47	12,204.45	1,759.75	3,77,995.54
निवेश	12,067.13	1,368.00	10,402.43	15,454.58	4,956.77	5,220.20	2,082.81	1,467.51	53,019.43
उधारियां	15,640.96	3,600.00	73,581.99	26,684.22	34,913.39	44,652.76	836.77	747.83	2,00,657.92
विदेशी मुद्रा आस्तियां	6.87	8.03	911.60	32.72	364.03	2,253.17	367.78	-	3,944.20
विदेशी मुद्रा देयताएं	13.20	6.43	530.98	47.71	482.50	2,051.84	693.42	563.67	4,389.75

एएलएम में केवल सिडबी और मुद्रा के आंकड़े शामिल हैं।

#### 11. आरक्षितियों से आहरित

पिछले वर्ष और इस वर्ष के दौरान आरक्षितियों में से आहरण द्वारा कोई कमी नहीं हुई है

## 12. व्यवसायगत अनुपात

विवरण	वि व 2022-23	वि व 2021-22
औसत ईक्विटी पर प्रतिफल (कर प्रावधान के पूर्व) (%)	18.91	11.47
औसत आस्तियों पर प्रतिफल (कर प्रावधान के पूर्व) (%)	1.40	1.16
प्रति कर्मचारी निवल लाभ (₹ करोड़)	3.66	2.13

## 13. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गए दंडों का प्रकटीकरण

भा. रि. बैंक द्वारा बैंक पर पिछले वर्ष और इस वर्ष किसी भी प्रकार का दंड नहीं लगाया गया है

## 14. ग्राहकों की शिकायतें

## 1. बैंक को अपने ग्राहकों से प्राप्त शिकायते

विवरण	वि व 2022-23	वि व 2021-22
1 वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	1	7
2 वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	230	234
3 वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	230	240
3(i) जिनमें से, बैंक द्वारा खारिज की गई शिकायतों की संख्या	83	19
4 वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	1	1

## 2. ग्राहकों से बैंक को प्राप्त शिकायतों के शीर्ष पांच आधार

शिकायतों के आधार, (अर्थात मद विशेष संबंधी शिकायत)	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या का प्रतिशतता में वृद्धि / कमी	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	5 में से, 30 दिनों से अधिक लंबित शिकायतों की संख्या
1	2	3	4	5	6
<b>वि व 2023</b>					
ऋण और अग्रिम	-	35	(18.60)	-	-
बिना किसी पूर्व सूचना /अत्यधिक शुल्क/मोचनरोध शुल्क लगाना	-	35	34.62	-	-
अन्य	1	53	(67.88)	1	-
<b>वि व 2022</b>					
ऋण और अग्रिम	-	43	(27.12)	-	-
बिना किसी पूर्व सूचना /अत्यधिक शुल्क/मोचनरोध शुल्क लगाना	-	26	160.00	-	-
अन्य	7	165	(42.71)	1	-

भा. रि. बैंक ने बैंकों में शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने करने के संबंध में दिनांक 27.01.2021 के अपने परिपत्र सं. सीईपीडी. सीओ.पीआरडी. 01/13.01.013/2020-21 के माध्यम से शिकायतों को 16 श्रेणियों में वर्गीकृत किया था और बैंकों को तदनुसार प्रकटीकरण करने का परामर्श दिया था।

## 15. प्रायोजित किये गए तुलन-पत्रेतर एसपीवी

पिछले वर्ष और इस वर्ष के दौरान बैंक का एस पी वी प्रायोजित कोई तुलन-पत्रेतर आंकड़ा नहीं है

## 16. विशिष्ट लेखांकन- मानकों के अनुसार प्रकटीकरण

### (क) लेखांकन मानक 5- अवधि का निवल लाभ अथवा हानि, पूर्ववर्ती अवधि की मर्दे और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन

अनुसूची XIII में वि व 2022-23 के दौरान 'अन्य आय में पूर्ववर्ती अवधि की आय ₹10,08,72,058 शामिल है [पिछले वर्ष में ₹4,66,88,641] और अनुसूची XIV में वर्णित विव 2021-22 के लिए पूर्व के परिचालनगत व्यय (₹1,22,71,798) [पिछले वर्ष का व्यय (₹2,58,64,368)] शामिल है

### (ख) लेखांकन मानक 17 - खंड रिपोर्टिंग

परिचालन (प्रत्यक्ष वित्त), समग्र परिचालन (पुनर्वित्त) और समग्र परिचालन (ट्रेजरी) - ये तीन रिपोर्टिंग खण्ड निर्धारित किए हैं. ये खंड उत्पादों और सेवाओं की प्रकृति और जोखिम स्वरूप, संगठनात्मक ढांचे तथा बैंक की आंतरिक रिपोर्टिंग व्यवस्था पर विचार के बाद निर्धारित किए हैं. पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू पद्धति के अनुसार बनाने के लिए पुनर्समूहित तथा पुनवर्गीकृत किया गया है।

भाग क : व्यवसाय खण्ड

(₹ करोड़)										
व्यवसाय खंड	थोक परिचालन (प्रत्यक्ष ऋण)		समग्र परिचालन (पुनर्वित्त)		ट्रेजरी		कुल			
	खंड राजस्व	विव 2023	विव 2022	विव 2023	विव 2022	विव 2023	विव 2022	विव 2023	विव 2022	विव 2022
<b>1 असाधारण मर्दे</b>		1,554.09	1,209.26	15,619.60	7,597.02	2,827.74	1,327.28	20,001.43	10,132.56	
योग									-	-
<b>खंड परिणाम</b>								<b>20,001.43</b>	<b>10,132.56</b>	
<b>2 असाधारण मर्दे</b>		378.01	338.88	3,878.35	2,000.18	1,219.55	580.48	5,475.91	2,919.54	
योग									-	-
<b>अविनिधानीय खर्चे</b>								<b>5,475.91</b>	<b>2,919.44</b>	
परिचालन लाभ								326.70	240.58	
<b>आयकर (पुनरांकन के बाद)</b>								5,149.21	2,678.86	
सहयोगियों संस्थाओं में लाभ का हिस्सा								1,251.54	511.42	
निवल लाभ								33.81	(5.91)	
<b>अन्य सूचना</b>								<b>3,931.48</b>	<b>2,161.53</b>	
<b>3 खंड आस्तियां</b>										
<b>अविनिधानीय आस्तियां</b>	20,055.91	14,433.10	3,76,514.65	2,22,253.25	39,426.65	40,390.79	4,35,997.21	2,77,077.14		
कुल आस्तियां								3,255.31	1,803.30	
<b>कुल आस्तियां</b>								<b>4,39,252.52</b>	<b>2,78,880.44</b>	
<b>खण्ड देयताएं</b>	15,883.66	10,617.77	3,51,767.20	2,04,270.42	39,121.93	35,894.26	4,06,772.79	2,50,782.45		
अविनिधानीय देयताएं								3,340.17	2,764.61	
<b>योग-</b>								<b>4,10,112.96</b>	<b>2,53,546.80</b>	
<b>पूंजी /आरक्षितियाँ</b>	4,155.25	3,752.69	24,326.26	17,193.94	658.05	4,385.75	29,139.56			
योग								<b>29,139.56</b>	<b>25,333.38</b>	
<b>कुल देयताएं</b>								<b>4,39,252.52</b>	<b>2,78,880.44</b>	



भाग ख: भौगोलिक खंड - बैंक का संचालन केवल भारत तक ही सीमित है, इसलिए कोई रिपोर्ट योग्य भौगोलिक खंड नहीं है।

(ग) लेखांकन मानक 18 - संबंधित पक्षकार प्रकटीकरण

(ग) लेखांकन मानक 18 - संबंधित पक्षकार प्रकटीकरण

श्री सिवसुब्रमणियन रमण	अध्यक्ष-एवं-प्रबंध निदेशक
श्री वी. सत्य वेंकट राव	उप प्रबंध निदेशक
श्री सुदत्ता मंडल	उप प्रबंध निदेशक

(ii) संबंधित पक्षकारों के साथ महत्वपूर्ण लेनदेन

(₹ करोड़)

मर्दे /संबंधित पक्ष	मुख्य प्रबंध कार्मिक *	प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के रिश्तेदार	योग
<b>उधारियां #</b>	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-
<b>जमा #</b>	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-
<b>जमा स्थानन #</b>	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-
<b>अग्रिम #</b>	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-
<b>निवेश#</b>	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-
<b>अनिधिकृत वचनबद्धताएं#</b>	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-
<b>उपयोग की गयी पट्टा व्यवस्था #</b>	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-
<b>प्रदत्त पट्टा व्यवस्था #</b>	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-
स्थिर आस्तियों की खरीद	-	-	-
स्थिर आस्तियों की बिक्री	-	-	-
<b>भुगतान किया गया ब्याज</b>	-	-	-
प्राप्त ब्याज	-	-	-
<b>प्राप्य लाभांश</b>	-	-	-
भुगतान किया गया लाभांश	-	-	-
<b>सेवा देना *</b>	-	-	-
<b>सेवाओं की प्राप्ति *</b>	-	-	-
<b>प्रबंधन संविदाएं**</b>	1.35	-	1.35

- @निदेशक मंडल के पूर्णकालिक निदेशक  
# वर्ष के अंत में बकाया और वर्ष के दौरान अधिकतम का प्रकट किया जाना है।  
\* करारगत सेवाएं आदि किन्तु विप्रेषण सुविधाएँ, लाकर सुविधाएँ इत्यादि जैसी सेवाएँ नहीं हैं।  
\*\* मुख्य प्रबंध कार्मिकों के पारिश्रमिक

### 17. अपरिशोधित पेंशन एवं उपदान देयताएं

पेंशन एवं उपदान देयताओं को बीमांकिक मूल्यांकन आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रायोजना इकाई जमा आधार पर किया जाता है। बीमांकिक लाभ /हानि को तुरंत लाभ हानि लेखे में लिया गया है, उनका परिशोधन नहीं किया गया है।

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मण्डल के आदेश से

कृते बोरकर एंड मुजूमदार  
सनदी लेखाकर

अजित नाथ झा  
मुख्य वित्तीय अधिकारी

सुदत्ता मंडल  
उप प्रबंध निदेशक

वी सत्य वेंकट राव  
उप प्रबंध निदेशक

सिवसुब्रमणियन रमण  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

एफ आर एन संख्या 101569W

दर्शित दोषी  
साझेदार

सदस्यता संख्या- 133755

जी. गोपालकृष्ण  
निदेशक

अमित टंडन  
निदेशक

स्थान : मुंबई

दिनांक : 12 मई, 2023

# 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष का समेकित नकदी प्रवाह

(राशि ₹ में)

31 मार्च, 2022	विवरण	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2023
	<b>1. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह</b>		
26,79,30,78,392	लाभ और हानि खाते के अनुसार कर पूर्व निवल लाभ निम्नलिखित के लिए समायोजन :		
36,43,50,321	मूल्यहास	26,67,08,148	
5,53,33,454	निवेश में निवल मूल्यहास के लिए प्रावधान	24,53,96,517	
4,25,62,57,499	किया गया प्रावधान (पुनरांकन के बाद)	9,16,74,09,694	
(5,61,92,51,814)	निवेश बिक्री से लाभ (निवल)	(8,27,32,54,340)	
(14,17,772)	स्थिर आस्तियों की बिक्री से लाभ	(1,33,74,835)	
(19,46,66,611)	निवेशों पर प्राप्त आय	(7,99,78,141)	1,31,29,07,043
<b>25,65,36,83,469</b>	<b>परिचालनों से उपार्जित नकदी</b>		<b>52,80,49,37,675</b>
	(परिचालन आस्तियों व देयताओं में परिवर्तन से पूर्व) निम्नलिखित में निवल परिवर्तन हेतु समायोजन:		
(1,69,73,67,138)	चालू आस्तियाँ	(14,93,03,26,041)	
81,68,99,06,362	चालू देयताएँ	64,91,97,74,553	
(13,44,52,273)	विनिमय बिल	(5,17,69,19,133)	
(5,24,06,31,06,808)	ऋण एवं अग्रिम	(15,51,99,51,48,710)	
3,66,23,05,27,707	बॉन्डों व ऋणपत्रों तथा अन्य उधारियों से निवल प्राप्तियाँ	12,49,45,48,36,350	
1,46,00,55,73,814	प्राप्त जमा		
<b>68,03,10,81,664</b>			<b>(55,42,70,83,259)</b>
93,68,47,65,133			(2,62,21,45,584)
(5,95,87,95,346)	कर अदायगी	(14,18,16,41,591)	(14,18,16,41,591)
<b>87,72,59,69,787</b>	<b>परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह</b>		<b>(16,80,37,87,175)</b>
	<b>2. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह</b>		
(52,08,63,542)	स्थिर आस्तियों का निवल (क्रय)/ विक्रय		
(1,37,41,19,14,844)	निवेशों का निवल (क्रय)/ विक्रय/ शोधन	(28,94,14,376)	
47,78,14,760	निवेशों पर प्राप्त आय	16,23,33,23,888	
<b>(1,37,45,49,63,626)</b>	<b>निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी</b>	<b>5,73,50,433</b>	<b>16,00,12,59,945</b>
	<b>3. वित्त पोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह</b>		
14,22,80,00,000	शेयर पूंजी एवं शेयर प्रीमियम के निर्गम से आय	-	
(1,34,69,92,211)	ईक्विटी शेयरों से लाभांश एवं लाभांश पर कर	(79,81,84,026)	
<b>12,88,10,07,789</b>	<b>वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी</b>		<b>(79,81,84,026)</b>
<b>(36,84,79,86,050)</b>	<b>नकदी एवं नकदी समतुल्य में निवल बढ़ोत्तरी</b>		<b>(1,60,07,11,256)</b>
<b>80,50,09,58,431</b>	<b>5. अवधि के प्रारम्भ में नकदी एवं नकदी समतुल्य</b>		<b>43,65,29,72,381</b>
<b>43,65,29,72,381</b>	<b>6. अवधि की समाप्ति पर नकदी एवं नकदी समतुल्य</b>		<b>42,05,22,61,125</b>
	<b>7. अवधि के अंत में नकदी एवं नकदी तुल्य राशियों में निम्नलिखित शामिल हैं</b>		
7,23,087	हाथ में नकदी		6,14,370
92,90,15,875	बैंक में चालू खाते में अतिशेष		6,30,75,42,823
19,99,90,00,050	म्यूचुअल फंड		-
22,72,42,33,369	जमाराशियाँ		35,74,41,03,932

टिप्पणी : नकदी प्रवाह विवरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी एएस-3 (पुनरीक्षित) 'नकदी प्रवाह विवरण' में विनिर्दिष्ट अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया गया है।

महत्वपूर्ण लेखा नैतियाँ XV

लेखा टिप्पणियाँ संलग्नक 1

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मण्डल के आदेश से

कृते बोरकर एंड मुजूमदार

सनदी लेखाकार

एफ आर एन संख्या 101569W

अजित नाथ झा

मुख्य वित्तीय अधिकारी

सुदत्ता मंडल

उप प्रबंध निदेशक

वी सत्य वेंकट राव

उप प्रबंध निदेशक

सिवसुब्रमणियन रमण

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दर्शित दोषी

साझेदार

सदस्यता संख्या- 133755

जी. गोपालकृष्ण

निदेशक

अमित टंडन

निदेशक

स्थान : मुंबई


दिनांक : 12 मई, 2023



भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

[www.sidbi.in](http://www.sidbi.in)

 @sidbiofficial

 SidbiOfficial

 SidbiOfficial



## **MSME** ka Vikas, Digital kranti ke sath

**ANNUAL REPORT  
2022-23**



## Corporate Information as on March 31, 2023

### Board of Directors

Shri Sivasubramanian Ramann	Chairman and Managing Director
Shri V. Satya Venkata Rao	Dy. Managing Director, Wholetime/ Executive Director
Shri Sudatta Mandal	Dy. Managing Director, Wholetime/ Executive Director
Shri Bhushan Kumar Sinha	Non-Executive Director/ Independent Director/ Government Nominee
Dr. Rajneesh	Non-Executive Director/ Independent Director/ Government Nominee
Shri K. Sampath Kumar	Non-Executive Director/ Independent Director/ Shareholder (SBI Nominee) Director
Shri Krishna Singh Nagyal	Non-Executive Director/ Independent Director/ Shareholder (LIC Nominee) Director
Shri Monomoy Mukherjee	Non-Executive Director/ Independent Director/ Shareholder (NABARD Nominee) Director
Shri G. Gopalakrishna	Non-Executive Director/ Independent Director
Smt. Nupur Garg	Non-Executive Director/ Independent Director
Shri Amit Tandon	Non-Executive Director/ Independent Director

### Key Management Personnel

Shri Ajit Nath Jha	Chief Financial Officer
Shri Vishnu Kumar Sah	Company Secretary & Compliance Officer
Shri Sanjay Narayan Singh	Chief Risk Officer
Shri Sanjay Jain	Chief Compliance Officer
Shri V. Sridharan	Head, Internal Audit Vertical

**Head Office:** SIDBI Tower, 15 - Ashok Marg, Lucknow-226001; LEI: 3358003NTGA2D7D31E14; CIN: NA.

**Corporate Office:** Swavalamban Bhavan, Plot No. C-11, 'G' Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400051

**Corporate Website:** [www.sidbi.in](http://www.sidbi.in); Email: [compliance\\_officer@sidbi.in](mailto:compliance_officer@sidbi.in)

**Depository:** National Securities Depository Limited

#### Statutory Auditors:

M/s Borkar & Muzumdar (FRN 101569W), Address: 21/168, Anand Nagar Om CHS, Anand Nagar Lane, Vakola, Santa Cruz East, Mumbai - 400055

#### Secretarial Auditor:

M/s Deep Shukla & Associates (FCS: 5652): Address: A-603, Maruti Bhuvan, Parsi Panchayat Road, Opp. Sona Udyog Industrial Estate, Andheri East, Mumbai - 400069

#### Bankers:

Reserve Bank of India | State Bank of India | Punjab National Bank | Union Bank of India | Central Bank of India | IDBI Bank Ltd | Canara Bank Ltd | Indian Overseas Bank | Bank of Baroda

#### Registrar & Transfer Agents:

Link Intime India Private Limited; Address: C-101, 247 Park, LBS Marg, Vikhroli West, Mumbai - 400083; Tel: 022-49186000; Fax: 022-49186060; Website: [www.linkintime.co.in](http://www.linkintime.co.in)

#### Debenture Trustee:

IDBI Trusteeship Private Limited

# SIDBI Group Structure as on March 31, 2023

## A. Wholly Owned Subsidiary

- Micro Units Development & Refinance Agency Limited (MUDRA)
- SIDBI Venture Capital Limited (SVCL)
- SIDBI Trustee Company Limited (STCL)

## B. Associate Company

- Acuité Ratings & Research Limited (Acuité) (erstwhile SMERA) (35.73% Shareholding)
- India SME Asset Reconstruction Company Ltd. (ISARC) (15% Shareholding)
- Receivables Exchange of India Ltd. (RXIL) (30% Shareholding)
- India SME Technology Services Ltd. (ISTSL) (22.73% Shareholding)
- Online PSB Loans Ltd. (7.32% Shareholding)

However, in compliance to SEBI LODR Regulations, 2015, organisations where SIDBI is having more than 20% shareholding, except above are as under:

- Bihar State Financial Corporation (48.43% Shareholding)
- Delhi State Financial Corporation (23.66% Shareholding)
- Gujarat State Financial Corporation (28.41% Shareholding)
- Maharashtra State Financial Corporation (39.99% Shareholding)
- Punjab State Financial Corporation (25.92% Shareholding)
- Uttar Pradesh State Financial Corporation (24.18% Shareholding)
- Canbank Factors Ltd. (20% Shareholding)
- KITCO Ltd. (49.77% Shareholding)
- Bihar Industrial and Technical Consultancy Organisation Ltd. (49.25% Shareholding)
- Rajasthan Asset Management Co. Pvt. Ltd. (24.50% Shareholding)
- Rajasthan Trustee Co. Pvt. Ltd. (24.50% Shareholding)
- Hyderabad Information Technology Venture Enterprises Ltd. (24.50% Shareholding)
- Cyberabad Trustee Co. Pvt Ltd. (24.50% Shareholding)

## C. SIDBI Swavalamban Foundation - Section 8 Company, Limited by Guarantee

## D. Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (Trust Jointly set up by Ministry of MSME and SIDBI)



# Statement of the Chairman and Managing Director

The resilience exhibited by the Indian economy post COVID pandemic amidst geo-political tensions, inflationary pressures, domestic and global, alongside monetary policy tightening across the globe, reflects its strong fundamentals and commitment to strive in the face of adversity. The contribution to the share of exports and GDP by the MSME sector still remains significant at ~48% and ~30%, respectively and the year witnessed rapid demand for credit from within this sector. While the growth projections have been downgraded for most of the advanced economies and emerging market economies, India is projected to grow at 6.60% in FY 2024, vis-a-vis, the estimated world GDP growth of 1.70% in 2023.

The growth story of India is likely to be shaped by two key trends. The first is the ongoing digitalisation that has paved the way for innovative solutions. India has proven its mettle in the global financial system and furthering financial inclusion through developments in the digital infrastructure and payments systems. RBI permitting expansion of the scope of UPI has the potential to revolutionise the way credit is extended to small businesses and informal entities.

The second trend is sustainable development and renewable energy transition. The launch of the 'Lifestyle for the Environment (LiFE) Movement', commitment towards reduction in carbon emissions etc. indicate Gol's focus, towards a sustainable economy. Such transition towards sustainable economy and widespread adoption of LiFE, shall be critical for growth of MSMEs.

In FY 2023, the Bank has substantially increased lower-cost credit to the MSME sector through its Direct and Indirect finance operations. Besides the financing role, SIDBI has continued to be at the forefront of development of innovative solutions to the challenges facing the sector. The Bank has made significant strides in developing several digital ecosystem initiatives and developing financial tools for green adoption by MSMEs.

## Financial Performance

The Bank has continued its growth trajectory during the fiscal crossing a balance sheet size of ₹4 lakh crore as at 31<sup>st</sup> March 2023 with highlights as below.

- Asset Base of the Bank stood at ₹4,02,383 crore, a Y-o-Y growth of 63%.
- Loans and Advances stood at ₹3,56,439 crore, a Y-o-Y growth of 76%.
- Net Interest Income during the year clocked in ₹5,548 crore, with Net Interest Margin at 1.68%.
- Bank registered a Net Profit of ₹3,344 crore resulting in a Y-o-Y growth of 71%.
- Earnings per Share (EPS) stood at ₹58.81 in FY 2023.

## Business Performance

Institutional Finance accounted for about 94% of loans & advances of the Bank with an outstanding at ₹3,36,488 crore at the end of FY 2023, registering a growth of 79% and enabling higher MSE credit at competitive interest rates.

The Bank has undertaken several new initiatives and supported new financial intermediaries to better serve the MSME sector. In FY 2023, Bank has recommenced refinance assistance to RRBs & Scheduled Urban Cooperative Banks, launched a scheme for mainstreaming assistance to lower rated NBFCs, introduced Risk Based Exposure Framework for AAA rated and upper layer NBFCs, setting-up special corpus of ₹1,000 crore with the objective of building bond market for smaller and low rated MFIs/ NBFCs/ Fintech. The widening of the net of assistance to differentiated lenders is expected to increase flow of credit to the MSME sector, especially the relatively unserved/ underserved enterprises.

In Direct finance operations, the Bank has focussed on continuous improvements/ refinements in processes and also digitisation of the credit process to improve the quality of credit and improve credit delivery. SIDBI has introduced a credit product based on the Finance Income and Trade (FIT) Rank and CIBIL MSME Rank (CMR) to accord sanction through a Straight Through Process which is expected to boost digital lending and flow of credit to the MSME sector. The Bank has also scaled up its 'Prayaas' scheme, wherein, micro loans upto ₹5 lakh for livelihood activities is extended to Micro Enterprises thereby enabling the Bank to reach out to more than 80,000 beneficiaries, mostly women.

Recognising nation's commitment towards energy independence and carbon neutrality, and to embrace green adoption by MSMEs, SIDBI introduced several schemes for extending Green Finance and handholding support to MSMEs. The green finance portfolio of SIDBI grew 16x times in FY 2023 which is expected to lead to energy savings of 330 GWh per annum, and GHG emission reduction of 0.23 Mn tCO<sub>2</sub>eq per annum.

SIDBI has been actively nurturing the startup ecosystem in the country. SIDBI has been managing Gol's Fund of Fund for Startups (FFS) and other funds. SIDBI has stepped up its activities in the startup space and launched new schemes for venture debt and seed funding through incubators. Investor connect portal has been launched to enable startups to explore the various funding options.

SIDBI Cluster Development Fund (SCDF), aimed to support the infrastructure in MSME clusters, received good response from state governments. Cumulatively, 91 projects (64 greenfield & 27 brownfield) have been supported with commitments of ₹5,495.58 crore.

### Programmes for Development and Impact

Entrepreneurship development has been a priority area of the Bank. In FY 2023, the pilot scheme on the Swavalamban Connect Kendras (SCKs), working as counselling centres, placed at 100 districts across 5 states, has yielded positive results. SCK model shall be scaled up on pan-India basis in FY 2024. The Bank has also launched pilot programme on Entrepreneurship Education for youth namely STEM i.e. 'Skill to Enterprise Model' which is being implemented through educational institutions / universities. During the FY 2023, SIDBI has signed MoU with 5 universities to this effect.

### Facilitator Role

SIDBI has taken up new initiatives to strengthen the MSME ecosystem particularly for Informal Micro Enterprises. India Stack and Public Digital Infrastructure has provided the opportunity for development of new tools addressing issues pertaining to the sector. Key highlights are:

- **Udyam Assist Platform-** to bring Informal Micro Entities (IMEs) into formal economy by issuing Udyam Certificate. This shall enable access to markets, financial services, and government schemes. The project has already registered over 13 lakh IMEs.
- **GST Sahay-** The Bank has developed a new App named GST Sahay which facilitates collateral free lending based on cashflow assessment. The App shall facilitate 'on tap' invoice-based unsecured financing for MSMEs digitally.
- **FIT Rank-** SIDBI has mentored Finance Income and Trade data-based rank (FIT Rank) for MSME which leverages GST, ITR and Bank Statements for assigning FIT Rank indicating relative Probability of default (PD)/ performance/ strength of MSMEs. FIT Rank will benefit MSMEs to become more credit eligible. The rank shall also enable assessment of New to Credit borrowers.

- **Open Network for Digital Commerce (ONDC) - ONDC** has been supported by SIDBI to onboard MSMEs and artisans to provide them market connect.

The Bank continues to serve as the implementation partner for schemes of Govt viz. PM SVANidhi, Animal Husbandry Infrastructure Development Fund Scheme, National Livestock Mission Scheme and Production Linked Incentive (PLI) Scheme for Telecom and Networking Products and Pharmaceuticals and Scheme for Strengthening of Pharmaceuticals Industry. These schemes enable and strengthen MSMEs.

Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE) has achieved a milestone figure of ₹1 lakh crore guarantee issued facilitating collateral free loans to MSEs. CGTMSE has taken new initiatives viz., reduced guarantee fee, higher guarantee coverage, concessions for weaker sections/underserved, increased the ceiling of guarantee from ₹2 crore to ₹5 crore, end-to-end Guarantee Management System platform etc. The infusion of ₹9,000 crore in corpus of CGTMSE, as announced in the Union Budget FY 2024, has a share of ₹500 crore from SIDBI and shall facilitate collateral-free guaranteed credit of ₹2 lakh crore.

### Way Forward




Despite the global challenges, India shall continue to exhibit resilience supported by the various initiatives and improved financial services to the relatively unbanked/ underbanked segments. SIDBI shall continue to strive and work tirelessly towards the growth of the MSME sector and attempt to bridge the gaps through innovative solutions and partnerships. Next decade will be shaped by ongoing digital wave and growing focus on green adoption and climate change mitigation. SIDBI shall continue to work on these key themes, apart from other strategic interventions, to provide necessary thrust to the MSME sector in its journey towards becoming champions of growth.

# MSME Outlook

India's GDP is estimated to grow at 7% in FY 2023 led by a strong growth in private consumption and upbeat investment activity. The composite Purchasing Managers Index (PMI) stood at 58.4 in March 2023, indicating expansion in economic activity. The services PMI stood at 57.8 in March 2023, indicating growth for the twentieth consecutive month, whereas manufacturing PMI stood at 56.4 in March 2023 (reading above 50 indicates an overall increase compared to the previous month). The capacity utilisation levels of the manufacturing sector reached 74.3% in Q3:2022-23 improving from 74% recorded in Q2:2022-23, thus indicating recovery in manufacturing activity.

## I. Trends and Developments in the MSME Sector

The MSME sector is the foundation of the Indian Economy and is critical for its growth. However, the sector was adversely affected by COVID. The same can be evidenced from decline in Gross Value Added (GVA) from about 30% to 26.8% in FY 2021 (Figure 1). Improving Goods & Service Tax (GST) collections from MSMEs which crossed the pre-pandemic level in FY 2022 (Figure 2) however, indicates rebound by the MSME Sector. The MSME sector is also a significant contributor to the exports of the nation with share in exports averaging 48% between FY 2018 and FY 2022 (Figure 3).



The revenue of MSMEs is estimated to have crossed the pre-pandemic level in FY 2022. The uptick in the performance and activity of the sector is expected to have sustained during FY 2023 with the growth in revenue of MSMEs estimated at 11-13% for the financial year against estimated corporates revenue growth of 16-18% in FY 2023 (Source-CRISIL Report- Rider in the Storm).

Steps initiated by GoI including Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS) launched as part of the **Atmanirbhar Bharat Abhiyan** has provided necessary support in facilitating flow of credit to the MSME sector to tide over the various challenges emanating from COVID. Further, growing digitalisation/ digital products developed by various financial intermediaries and the digital infrastructure created and developed by the Government of India (GoI) viz., GST, Udyam registration portal, Aadhar, etc., have all contributed to the greater formalisation of the small businesses and enabled them to avail credit through formal channels. The credit outstanding to the MSME Sector by Scheduled Commercial Bank (SCBs) stood at ₹21.5 lakh crore as at end of December 2022.

## II. Opportunities and Threats

Geo-political tensions, collapse of few banks prompting financial stability concerns, elevated inflation levels and the consequent monetary policy tightening etc., are weighing down the global growth and economic activity. Accordingly, the global growth is forecasted at 1.7% in the year 2023.

Indian economy, including MSMEs, is likely to face pressure in exports due to anticipated decline in external demand and looming risks of global recession. Further, the outflow of investments due to rate hikes by regulators and global uncertainty, is expected to put pressure on the domestic currency and Current Account Deficit/ balance of payments.

There are few perennial challenges that are being faced by the MSME sector viz., unorganised structure, accessibility to formal finance, absence of skilled manpower, limited

scale of operations, access to markets, technological obsolescence, delayed payments etc. Addressing these issues is crucial to enable unhindered growth of the sector and the Indian economy. Various initiatives have been taken by Govt of India, RBI, SIDBI and other stakeholders to address these issues.

The MSME sector is also expected to reap the benefits of the trends in the economy. The Indian Economy is projected to grow at 6.60% in FY 2024 aided by strong fundamentals viz., fiscal consolidation, push towards capital expenditure, strengthening balance sheets of financial and non-financial sectors, structural reforms, robust domestic demand, improving investment cycles. Govt has undertaken several initiatives for the development and growth of the MSME sector e.g. 'Raising and Accelerating MSME Performance' (RAMP) scheme, to strengthen institutions and its governance at the Centre and State, improve Centre-State linkages and partnerships, as well as to improve access of MSMEs to market and credit, addressing issues of delayed payments and greening of MSMEs; Production Linked Incentive Scheme in select sectors to boost domestic production activity; Udyam portal and Udyam Assist Platform for formalisation of the sector; mandatory registration for CPSEs / corporates on TReDS platform enabling receivable financing for MSMEs; Government e-Marketplace (GeM) portal for online procurement from MSMEs; MSME SAMADHAAN portal for filing applications regarding delayed payments etc.

The Union Budget 2024 has also echoed the significance of MSME sector with various initiatives being targeted towards the development of MSMEs e.g. PAN as the common business identifier, Unified Filing Process to obviate the need for submission of repetitive information

to various government agencies, relief to MSMEs in respect of failure to execute contracts during the Covid period, setting up of entity Digi Locker, development of Skill India Digital Platform, construction of Unity Mall, measures for benefits under preventive taxation, measures for addressing delayed payments etc. Another significant initiative announced in the Budget was the infusion of ₹9,000 crore in Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE) corpus that is expected to facilitate additional collateral-free guaranteed credit of ₹2 lakh crore.

### III. Outlook

The positive confluence of initiatives, being taken, is expected to stimulate the Indian economy and put MSME on growth path. Growing digital adoption by MSMEs through e-commerce platforms, use of digital payment methods and other digital tools have contributed significantly to digital footprints of MSMEs which has improved profiling of end-users resulting in better credit offerings and customer satisfaction.

The emergence of Fintech players and their collaboration/partnership with traditional banks have enriched the financial ecosystem. By leveraging the Public Digital Infrastructure in the form of 'India-Stack', innovative solutions for facilitating finance for MSME sector have emerged. These solutions have not only eased access to credit for MSME sector but have also enriched underwriting by lenders.

The ongoing digital financial revolution mentioned above, along with other digital interventions viz., Account Aggregator (AA) framework, Open Network for Digital Commerce (ONDC), Open Credit Enablement Network (OCEN) etc. shall provide further boost to MSME sector.

## Notice of AGM

Notice is hereby given that the 25<sup>th</sup> Annual General Meeting of the shareholders of Small Industries Development Bank of India (SIDBI) will be held on Monday, June 26, 2023 at 3:00 PM IST at Board Room, Head office of SIDBI i.e., SIDBI Tower, 15-Ashok Marg, Lucknow-226001 to transact the following business.

### ORDINARY BUSINESS:

1. To consider, approve and adopt the Audited Standalone and Consolidated Balance Sheet and Profit and Loss account of Small Industries Development Bank of India ('SIDBI') for the financial year ended March 31, 2023, together with the Reports of the Board of Directors of SIDBI and Auditors Report thereon.

To consider and if thought fit, to pass, with or without modification(s), the following resolution as an **Ordinary Resolution:**

**"RESOLVED THAT** the Audited standalone and consolidated Balance Sheet of SIDBI as at 31st March 2023, Profit and Loss Account of SIDBI for the year ended 31st March 2023, the Report of the Board of Directors of SIDBI for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts, be and are hereby adopted."

2. To declare final dividend on equity shares of SIDBI for the financial year (2023) ended on March 31, 2023.

To consider and, if thought fit, to pass, with or without modification(s), the following resolution as an Ordinary Resolution:

**"RESOLVED THAT** final dividend at the rate of ₹2 per share on the equity capital of SIDBI for the year ended March 31, 2023, be paid to those shareholders whose names appear on the register of members, as on record date."

3. To consider and authorize Board of Directors of SIDBI to appoint statutory auditors of the Bank for FY 23-24 and thereafter for the interim period.

To consider and, if thought fit, to pass, with or without modification(s), the following resolution as an **Ordinary Resolution:**

**"RESOLVED THAT** the Board of Directors of the Bank be and is hereby authorized to select and appoint a chartered accountant firm, out of the panel of Auditors approved by the Reserve Bank of India, as Statutory Auditor to hold office for FY 2024 on such remuneration and expenses, as may be approved by the RBI and as may be mutually agreed between the Bank and the Statutory Auditors.

**RESOLVED FURTHER THAT** pending approval from RBI for appointment of Statutory Auditors of the Bank for FY 2024, M/s Borkar & Muzumdar, Chartered Accountants, be and hereby appointed to undertake the Limited Review of Financial Statements of the Bank for the quarter ending June 30, 2023, and subsequent quarters as well should there be further delay in receipt of approval from RBI for appointment of statutory auditors.

**RESOLVED FURTHER THAT** Board/ Audit Committee of the Board be and are hereby authorised to approve and alter or vary the terms and conditions of appointment."

**By order of the Board of Directors**  
For Small Industries Development  
Bank of India

Sd/-  
Vishnu Kumar Sah  
Company Secretary  
A 37707

Date: June 04, 2023  
Place: Lucknow

**Head Office**  
SIDBI Tower, 15  
Ashok Marg,  
Lucknow-226001



## NOTES:

1. An explanatory statement relating to item no. 3 as ordinary business to be transacted at 25<sup>th</sup> AGM is annexed hereto.
2. In terms of regulation no. 61 (2) of SIDBI General Regulations, 2000, Shareholder of SIDBI entitled to attend and vote at a general meeting shall be entitled to appoint another person (whether a shareholder or not) as his proxy to attend and vote instead of himself/ herself; but a proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting.
3. In terms of regulation no. 62 (2) of SIDBI General Regulations, 2000, No person shall attend or vote at 25<sup>th</sup> AGM of SIDBI as the duly authorised representative of a body corporate other than the Development Bank, the public sector banks, the General Insurance Corporation, the Life Insurance Corporation and other institutions owned or controlled by the Central Government unless a copy of the resolution appointing him/ her as a duly authorised representative certified to be a true copy by the chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the head office of SIDBI not less than four clear days before the date fixed for the meeting.
4. In terms of regulation no. 63 (3) of SIDBI General Regulations, 2000, No instrument of proxy shall be valid unless it is duly authorised in **Form B** as annexed to the notice of 25<sup>th</sup> AGM.
5. In terms of regulation no. 59 (1) of SIDBI General Regulations, 2000, a resolution put to the vote of the meeting shall, unless a poll is demanded, be decided on a show of hands. Further, Before or on the declaration of the result of the voting on any resolution on a show of hands, a poll may be ordered to be taken by the chairman of the meeting of his own motion, and shall be ordered to be taken by him on a demand made in that behalf by any shareholder or shareholders present in person or by proxy and holding shares in SIDBI which confer a power to vote on the resolution not being less than one-fifth of the total voting power in respect of the resolution.
6. Shareholders can submit questions with regard to the business to be transacted at the 25<sup>th</sup> AGM from their registered email address, mentioning their name, DP ID and Client ID number/folio number and mobile number, to SIDBI's email id at [compliance\\_officer@sidbi.in](mailto:compliance_officer@sidbi.in) or [boarddiv\\_lho@sidbi.in](mailto:boarddiv_lho@sidbi.in) in advance on or before two working days from the date of AGM.

### **ELECTRONIC DISPATCH OF ANNUAL REPORT AND PROCESS FOR REGISTRATION OF EMAIL-ID FOR OBTAINING COPY OF ANNUAL REPORT:**

7. The Audited standalone and consolidated Balance Sheet of SIDBI as at 31<sup>st</sup> March 2023, Profit and Loss Account of SIDBI for the year ended 31<sup>st</sup> March 2023, the Report of the Board of Directors on the working and activities of SIDBI for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts including the Notice of 25<sup>th</sup> AGM (**'Annual Report'**) are displayed in the website of the SIDBI [www.sidbi.in](http://www.sidbi.in). Soft copy of Annual report is sent through email to those

shareholders whose e-mail address is registered with SIDBI or the Depository Participants and physical copies of the Annual Report is being sent to other shareholders who specifically request for the same. The copy of the annual report is also sent to the Debenture Trustee and submitted to NSE on the same day it was sent to the shareholders of SIDBI.

8. Members holding shares in dematerialised mode are requested to register/ update their email addresses with the relevant Depository Participants. In case of any queries/ difficulties in registering the e-mail address, members may write to at email id [compliance\\_officer@sidbi.in](mailto:compliance_officer@sidbi.in) or [boarddiv\\_lho@sidbi.in](mailto:boarddiv_lho@sidbi.in).

### **PROCEDURE TO RAISE QUESTIONS/ SEEK CLARIFICATIONS:**

9. Members are encouraged to express their views/ send their queries in advance for smooth conduct of meeting mentioning their name, email id, mobile number at [compliance\\_officer@sidbi.in](mailto:compliance_officer@sidbi.in) or [boarddiv\\_lho@sidbi.in](mailto:boarddiv_lho@sidbi.in). Questions/ queries received by SIDBI on or before two working days before the date of AGM shall only be considered and responded during the AGM.
10. Members who would like to express their views or ask questions during the AGM may raise their hand, however SIDBI reserves the right to restrict the number of questions and number of speakers, as appropriate for smooth conduct of the AGM.

### **GENERAL INFORMATION:**

1. The voting rights shall be as per the number of equity shares held by shareholder(s) as on the date of 25<sup>th</sup> AGM being the cut-off date.
2. The Board of Directors has recommended Dividend of [amount] per Equity Share for the Financial Year ended March 31, 2023, subject to approval of shareholders at the AGM.
3. If Dividend on Equity Shares, as recommended by the Board is approved at the AGM, it will be paid within thirty days from the date of declaration to all Beneficial Owners/ Members in respect of shares held and whose names are on SIDBI's Register of Members.
4. June 19, 2023 shall be considered as the record date for the purpose of identifying shareholders entitled for dividend, for the financial year ended March 31, 2023.
5. As per the Finance Act 2020, dividend income is taxable in the hands of shareholders w.e.f. April 1, 2020 at applicable rates and as such SIDBI is not required to pay any Dividend Distribution Tax.
6. Members holding shares in electronic form are hereby informed that bank particulars registered against the respective depository accounts will be used by SIDBI for payment of dividend. SIDBI cannot act on any request received directly from the Members holding shares in electronic form for any change of bank particulars or bank mandates. Such changes are to be advised only to the Depository Participant of the Members.

- 7. Shareholders are requested to contact Board Division, (Tel. No. 022-67221561 / 67221577 / 67531215, Mobile No. 9821243327, 9819919519, 9167472073 Email: [boarddiv.lho@sidbi.in](mailto:boarddiv.lho@sidbi.in) or [compliance.officer@sidbi.in](mailto:compliance.officer@sidbi.in)) with regard to any matter related to equity shares of SIDBI.**

**EXPLANATORY STATEMENT PERTAINING TO ITEM NO. 3.**

RBI guidelines pertaining to appointment of statutory auditor of the Bank is applicable to SIDBI. SIDBI has to appoint/reappoint a statutory auditor subject to the approval of the RBI from the list prescribed by the RBI.

In accordance with RBI guidelines, the present statutory auditors of the Bank M/s Borkar and Muzumdar would be completing their 3 years of continuous statutory audit assignment. In this context, the Bank has to appoint a new incumbent statutory audit firm, as the existing auditors are not eligible for re-appointment.

The Bank, in order to comply with the aforesaid RBI guidelines, has requested RBI to provide the list of auditors. However, RBI has informed that the panel of eligible auditors for FY 2024 is yet to be received by them from the office of the Comptroller & Auditor General (C&AG).

It may be noted that the approval of RBI for appointment of Statutory Auditors for last 3 FYs was also received during the months of August-September. Keeping in view similar time frame and the practice adopted in the past, the shareholders present at the Annual General Meeting are requested to authorize the Board of Directors of SIDBI for appointment of Statutory Auditors of SIDBI for FY 2024.

Further, Limited Review of financial statements of the Bank for the quarter ending June 30, 2023, is required to be undertaken. Keeping in view that the expected time for receipt of RBI approval, M/s Borkar & Muzumdar, Chartered Accountants, shall act as auditors of the Bank for carrying out Limited Review of financial statements for the quarter ending June 30, 2023, and subsequent quarters as well should there be further delay in receipt of approval for appointment of auditors from the RBI. Board of Directors of the Bank may be authorised to approve the terms and condition of appointment including remuneration and expenses as may be mutually agreed between the Bank and the said Statutory Auditors. RBI vide email dated May 11, 2023 has approved M/s. Borkar and Muzumdar to undertake limited review for Q1 (April - June, 2023).

It may be noted that similar approval was taken from the shareholders at the 24<sup>th</sup> AGM for carrying out the limited review of the financial statements of the Bank for the quarter ending June 30, 2022, by M/s Borkar & Muzumdar, pending receipt of approval from RBI for appointment of Statutory Auditors for FY 2023.

Your Board of Directors, therefore, recommends the passing of the ordinary resolution as set out in Item no. 3 of the accompanying Notice.

None of the Directors, Key Managerial Personnel of the Bank and their relatives are, in any way, concerned or interested financially or otherwise, in the resolution set out in Item no. 3 of this notice.

**By order of the Board of Directors**  
For Small Industries Development  
Bank of India

**Head Office**  
SIDBI Tower, 15  
Ashok Marg,  
Lucknow-226001

Sd/-  
Vishnu Kumar Sah  
Company Secretary  
A 37707  
Date: June 04, 2023  
Place: Lucknow



**SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA**

**FORM B**


**FORM OF PROXY**

(see sub-regulation (3) of regulation 63 of SIDBI Act, 1989)

I/We, resident of.....in the district of.....in the State of.....being a shareholder / shareholders of the Small Industries Bank hereby appoint Shri.....resident of.....in the district.....in the State of.....or failing him, Shri .....resident of .....in the district of.....in the State of .....as my/our proxy to vote for me/us on my/our behalf at the meeting of the shareholders of the Small Industries Development Bank of India to be held on the .....day of.....and at any adjournment thereof.

Signed by the \_\_\_\_\_ day \_\_\_\_\_

## Route Map



Route Map of SIDBI Head office, SIDBI Tower, 15 - Ashok Marg, Lucknow, Uttar Pradesh - 226001

# Directors' Report For the year ended March 31, 2023

## To the Members,

Your Directors are pleased to present the Directors' Report together with Audited Financial Statements for the Financial Year ended March 31, 2023.

### 1. FINANCIAL PERFORMANCE AT A GLANCE:



(₹ crore)

Particulars	Consolidated		Standalone	
	FY 2023	FY 2022	FY 2023	FY 2022
<b>Liabilities</b>				
Capital	568.54	568.54	568.54	568.54
Reserve & Surpluses	28,876.87	25,062.79	27,240.70	24,014.53
Deposits	1,99,945.60	1,70,704.30	1,65,036.15	1,40,878.43
Borrowings	2,00,657.92	75,712.44	2,00,657.92	75,712.43
Others	9,203.25	6,831.68	8,879.42	6,204.01
<b>Total</b>	<b>4,39,252.18</b>	<b>2,78,879.74</b>	<b>4,02,382.73</b>	<b>2,47,378.69</b>
<b>Assets</b>				
Investments	27,413.44	22,243.62	29,088.66	23,951.56
Loans & Advances	3,77,995.54	2,22,290.63	3,56,439.07	2,02,251.78
Cash & Bank Balances	28,603.91	30,771.86	12,108.82	17,918.31
Fixed & Other Assets	5,239.29	3,573.63	4,746.18	3,257.04
<b>Total</b>	<b>4,39,252.18</b>	<b>2,78,879.74</b>	<b>4,02,382.73</b>	<b>2,47,378.69</b>
Total income	20,001.43	10,133.06	18,484.82	9,139.18
Total Expenditure	14,852.23	7,453.75	14,087.34	6,751.16
Profit Before tax	5,149.20	2,679.31	4,397.48	2,388.02
Tax Expense	1,251.54	511.42	1,053.91	430.23
Profit after Tax	3,931.47	2,161.98	3,343.57	1,957.79
Basic Diluted Earnings Per Share	<b>69.15</b>	<b>40.63</b>	<b>58.81</b>	<b>36.79</b>


#### A. STANDALONE:

- Profit:** The Net profit of the bank increased by 71% to ₹3,343.57 crore in FY 2023 from ₹1,957.79 crore in FY 2022.
- Net Profit Margin:** The Net Profit Margin decreased in FY 2023 and stood at 18.09% vis-à-vis 21.43% during FY 2022.
- Total Income & Expenses:** Total income increased by 102% to ₹18,484.82 crore in FY 2023 from ₹9,139.18 crore in FY 2022 and total expenditure increased by 109% to ₹14,087.34 crore in FY 2023 from ₹6,751.16 crore in FY 2022.
- Net Interest Income and Net Interest Margins:** The Net Interest Income in FY 2023 improved and stood at ₹5,548 crore as against ₹3,012 crore during FY 2022, growth of 84%. The Net Interest Margin has also improved by 18 bps in FY 2023 vis-à-vis FY 2022 and stood at 1.68%.
- Operating Expense & Cost to Income Ratio:** Operating expense for FY 2023 was ₹823.54 crore as against ₹697.72 crore during FY 2022, a Y-o-Y increase of 18%. The Cost-to- Income ratio reduced to 14% as against 20% during FY 2022.



- Assets and Loans & Advances:** Total Assets increased by 63% to ₹4,02,382.73 crore in FY 2023 from ₹2,47,378.69 crore in FY 2022. 89 % of the total assets were loans and advances which crossed the landmark of ₹3.50 lakh crore and stood at ₹3,56,439.07 crore as of March 31, 2023 against ₹2,02,251.78 crore as of March 31, 2022, an increase of 76% over FY 2022.



- Deposits:** The deposits increased by 17.15% to ₹1,65,036.16 crore in FY 2023 from ₹1,40,878.43 crore from FY 2022.
- Borrowings:** Borrowings increased by 165.03% to ₹2,00,657.92 crore.



- ix. **Shareholders' Returns:** The Earnings per Share (EPS) of the Bank stood at ₹58.81 in FY 2023 as against ₹36.79 in FY 2022. The Return on Asset & Return on Equity has also improved to 1% & 12.88% respectively in FY 2023 as compared to FY 2022. The ROCE has also improved to 12.97% in FY 2023.



- x. **Share Capital:** There was no change in the Share Capital of the Bank during the year under review. As on March 31, 2023, the paid-up share capital was at 56,85,41,169 Equity Shares of ₹10/- each. During the year under review, the Bank has not issued any shares with Differential Voting Rights, nor has it granted any Stock Option or Sweat Equity. None of the Directors of the Bank hold any equity shares in the Bank.
- xi. **Dividend:** The Board of Directors of SIDBI is pleased to recommend a dividend of ₹2 per share on 56,85,41,169 crore equity share of the face value of ₹10/- each (i.e. 20%) for FY 2023 (as compared to ₹1.5 per share for FY 2022), for consideration of the shareholders. The dividend distribution would result in a cash outflow of ₹113.71 crore.

**B. CONSOLIDATED:**

- i. Total income of the bank increased by 97% to ₹ 20,001.43 crore in FY 2023 from ₹10,133.06 crore from FY 2022. The Net profit of the Bank increased by 82% to ₹3,930.94 crore in FY 2023 from ₹2,161.98 crore.

- ii. Earnings per Share (EPS) of the bank increased to ₹69.15 in FY 2023 as compared to ₹40.63 in the previous Financial Year.

**C. PROGRESS OF IMPLEMENTATION OF IND-AS:**

As per RBI letter dated May 15, 2019 issued to the Bank, implementation of Ind-AS for AIFIs has been deferred till further notice. Accordingly, financial statements of the Bank are continued to be prepared under IGAAP. However, Bank has been preparing the financial results under Ind-AS also on half year and on Annual basis which was submitted to RBI.


**2. BUSINESS PERFORMANCE:**

**A. CORE OPERATIONS AT A GLANCE:**

(₹ crore)

Product Segment	FY 2022			FY 2023		
	Sanc.	Disb.	O/s	Sanc.	Disb.	O/s
Direct Credit	6,760	5,673	14,187	8,780	6,500	18,409
Refinance to Banks	1,22,781	1,22,335	1,66,832	2,42,054	2,42,054	2,98,173
Refinance to NBFC	13,178	12,677	17,935	22,037	22,980	33,415
Refinance to MFI	4,178	2,893	3,118	4,120	3,812	4,900
Cluster Development Fund Scheme	1,038	180	180	4,458	1,409	1,542
<b>Total</b>	<b>1,47,935</b>	<b>1,43,758</b>	<b>2,02,252</b>	<b>2,81,449</b>	<b>2,76,755</b>	<b>3,56,439</b>

- i. **Refinance to Banks:** The bank expands resources of Banks through refinancing activities thereby boosting the flow of credit to MSEs. As of March 31, 2023, the outstanding portfolio was ₹2,98,173 crores, up from ₹1,66,832 crore in previous year, representing a Y-o-Y growth of 79%. The portfolio is in respect of 49 banks which comprises of 12 Public Sector Banks (PSBs), 17 Private Sector Banks (PvSBs), 6 Foreign Banks (FBs), 10 Small Finance Banks (SFBs), 3 Regional Rural Banks (RRBs), and 1 Urban Cooperative Bank (UCB). Total Disbursements during FY 2023 stood at ₹ 2,42,054 crore. Total 8 banks were added as customers during the year under review.



## II. Refinance to Non-Banking Financial Companies (NBFCs):

At the end of the fiscal year 2023, the Bank's NBFC portfolio stood at ₹33,415 crore across 56 NBFCs, an increase of 86% in outstanding. During FY 2023, sanctions and disbursements rose to ₹22,037 crore and ₹22,980 crore, growing by 67% and 81%, respectively over FY 2022.


## III. Refinance to Micro Finance Institutions (MFIs):

SIDBI extended financial support to MFIs in the form of equity/ quasi-equity, refinance, term loans, grant support, etc., enabling smooth flow of credit to MFIs/ Informal Enterprises. The cumulative disbursement under SIDBI's microfinance initiatives as on March 31, 2023 is ₹27,271 crore. The net outstanding portfolio stood at ₹4,900 crore as in FY 2023 as against ₹3,118 crore during FY 2022, registering growth of 57% over previous FY. The disbursements during FY 2023 stood at ₹3,812 crore, recording a growth of 32% over the previous FY.

The Bank introduced three new products under Special Liquidity Facility-3 (SLF-3) to assist small MFIs, NBFCs, and Fintechs. These products include Financial Assistance to Regulated Entities-Double Intermediation-MFI (FARE-DI-MFI), SIDBI MSE COVID Response Fund (SMCRF), and Partial Guarantee Pool Loan Issue (PGPLI).

## IV. Direct Lending to MSME sector:

In FY 2023, the Bank has continued further simplifying and digitizing its MSME lending processes. This has led to a reduction in the reliance on outdated information provided by borrowers and a shift towards using up-to-date information from public databases like GST, ITR, Bank statements, and MCA database. Direct Finance portfolio outstanding, including Prayaas, increased to ₹18,409 crore in FY 2023 from ₹14,187 crore in FY 2022.



Total Customers are excluding customers under 'Prayaas'.

## V. Initiatives undertaken under Direct Credit Schemes

- Partnerships & Collaborations: To reach new segments in MSMEs and create innovative products, the Bank has formed partnerships with different entities to expand its customer outreach and focus on customer acquisitions:

- The Bank has entered into MoUs with Union Bank of India, UPEIDA, IIA, SIATI, WASME, ELCIA etc. with an aim to synergize organizational

strengths and addressing the requirements of MSMEs.

- The bank has undertaken sectoral studies jointly with Grant Thornton Bharat LLP on Study on Financing Opportunities arising out of Govt's Vehicle Scrapping Policy and Impact Assessment of SMILE/ SAFE Scheme through CRISIL. The study inter-alia revealed that the direct employment generation by borrowers funded under SMILE grew by 35-40% after implementation of their project.

## VI. New/ Revamped Products:

- EXPRESS (FIT Score based direct finance product for machine/equipment purchase): To provide expeditious sanction of term loan for acquisition of machinery and equipment through automated platform (with reliance on Finance Income and Trade rank (FIT), GST score and CIBIL MSME rank) to existing well performing MSMEs.
- SAATH (Scheme to assist MSMEs promoted by SC/ ST Entrepreneurs): To provide financial assistance to MSMEs owned by SC/ ST entrepreneurs. This assistance can be in the form of loans for setting up new units or improving existing ones, with favorable terms and incentives.
- ARJANA: On International Women's Day, a new plan to encourage women entrepreneurship was introduced. This plan includes various financial benefits such as reduced credit guarantee fees, no prepayment charges, additional advantages for ZED certification, discounts for timely repayment, lower processing fees, and lower promoter margins.

## VII. SIDBI Cluster Development Initiative: SIDBI Cluster Development Fund (SCDF) scheme made operational in December 2021, witnessed its first full Year of operation during FY 2023.

- During the Year, for MSME cluster infrastructure development 91 projects (64 greenfield & 27 brownfield) have been supported with cumulative commitments of ₹5495.58 crore.

## VIII. Green Financing: SIDBI contributes towards sustainable development as under


- The approach under Green Finance involves three parts: providing affordable financial assistance through Green Finance Schemes for MSME projects, promoting awareness and creating an environment to encourage climate-resilient measures, and leading and inspiring other banks and financial institutions to fund Energy Efficient projects through training, guidance, and Risk Sharing Facility support.
- Partial Risk Sharing Facility (PRSF) for Energy Efficiency project: 15 Banks and NBFCs have been empaneled as Participating Financial Institutions (PFIs), as on March 31, 2023. 61 EE projects have

been supported under the facility aggregating to a total project cost of more than ₹600 crore with a loan amount of more than ₹370 crore and a guaranteed amount of more than ₹240 crore.

- **Municipal Solid Waste and Compressed Biogas - Risk Sharing Facility:** SIDBI, along with NAMA Facility and GIZ, has created a program called 'Waste Solutions for a Circular Economy in India' to support Municipal Solid Waste (MSW) management projects through the use of the credit guarantee corpus established under the RSF.
- **EV Operations & Lending 4 Vibrant Ecosystem (EVoLve):** SIDBI and the World Bank have created a system to provide financial support for the adoption of electric 2-wheelers and 3-wheelers.
- **Institutionalising Carbon Neutrality:** SIDBI has announced its plan to reduce its carbon footprint and become carbon neutral by 2024.
- **Sustainability Perception Index (SPeX):** The Bank in collaboration with Dun & Bradstreet (D&B) to create a Sustainability Perception Index (SPeX) for MSMEs. This quarterly index will measure the extent to which MSMEs are implementing sustainability practices and working towards sustainable development goals.
- **Greening the bottom – attending to Micro clusters:** SIDBI has launched Project Green InclusiviTy (GRiT) to help artisanal clusters.
- **Green Climate Fund (GCF):** SIDBI has been approved as a Direct Access Entity to the Green Climate Fund and to access climate finance.

## B. FINANCIAL RATIOS:

- Non-Performing Assets:** The Gross NPA and Net NPA of the Bank stood at 0.01% and 0.00% during the year under review with an improvement of 10 bps and 7 bps over FY 2022 wherein Gross NPA and Net NPA was 0.11% and 0.07% respectively.
- Provision Coverage Ratio (PCR)** was 100 % during the year under review as compared to 96% than that of previous financial year.



**III. Capital Adequacy Ratio** was at 19.29% at the end of FY 2023 as compared to 24.28% at end of FY 2022 due to effective capital utilization to increase the portfolio of the Bank.

**C. Risk Management:** The Bank has established a thorough Risk Management System that covers various areas such as Credit Risk Management, Market Risk Management, Operational Risk Management, Internal Capital Adequacy Assessment Process, and Business Continuity Management. The Bank's Risk Management Committee monitors and manages the risks involved in its lending and treasury operations, as well as off-balance sheet items.

**I. Risk Management Policies:** The Bank has following Risk Management Policies in place for various associated risks and its mitigation;

- Enterprise Risk Management (ERM) Policy
- Loan Policies
- IT & Cyber Security Policy
- Security & Collateral Management Policy
- Operational Risk Management (ORM) Policy
- Business Continuity Management (BCM) Policy
- Assets Liability Management (ALM) Policy
- Investment Policy
- Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) Policy
- Internal Control Guidelines for Derivatives (ICGD)
- Market Risk Management Policy (MRMP)
- Model Validation Policy
- Country Risk Management Policy

**II. Systems –** The Risk Management Systems consisting of Rating Models - Risk Assessment Model (RAM), SIDBI Multifunctional Appraisal and Rating Tool (SMART) and Score Cards, Bankers Assets Liability Management (BALM), Comprehensive Operational Risk Evaluator (CORE) and ICAAP Tool.

**III. Major initiatives during the year:**

- Country Risk Management Policy (CRMP) has been introduced during the year.
- **Preparedness for BASEL-III implementation** - The bank has finished a Gap Study to get ready for implementing Basel III. CRAR has been computed as required by Basel III and system for RWA computation is being tested. The bank is prepared to follow RBI guidelines for implementing Basel III.
- **Development of Security Information Exchange using Block-chain Technology** - The bank has worked with Infosys Ltd. to create a blockchain solution for sharing security information among various lenders. A proof of concept has been completed and a pilot project is in progress with two banks/ firms and two NBFCs participating.



Existing NBFC clients of SIDBI are being onboarded onto the NBFC Security Information Exchange [NSIE] platform as it moves towards being used in production.

#### D. NPA monitoring

Bank has been laying lot of emphasis in maintaining quality of portfolio and recovery from NPA accounts. A Board level 'Recovery Review Committee' (RRC) is constituted to review all individual NPA cases having principal outstanding of ₹5 crore and above. Further, the Bank has set up Specialized Asset Recovery Branches (SARBs) to handle recovery related matters.

Recovery of ₹468 crore has been made during the year (including recovery of ₹28 crore from fresh NPAs). While Gross NPA of the Bank at the end of FY 2023 stood at ₹33 crore (as against ₹218 crore in FY 2022), net NPA was ₹9 crore (as against ₹132 crore in FY 2022).

#### E. Programmes for Development & Impact

The Programmes for Development & Impact (PDI) initiatives are focused on promoting entrepreneurship culture and supporting livelihood and enterprise creation, specifically in underserved areas. These initiatives fall under the Mission Swavalamban framework, which aims to help the persons at the Bottom-of-the-Pyramid.

Bank's PDI efforts are divided into two main categories.

(A) **National Programmes:** Programmes implemented pan India or multi state interventions.

(B) **Regional programmes:** Programmes implemented by ZO/ ROs/ BOs/ PDI, locally, within the Region at the Zonal Office/ Regional Office/ Branch Office level.

##### **National Programmes (NP) coverage:**

##### **NP1 - Entrepreneurship Promotion & Skilling for Livelihood**

###### ➤ **SIDBI Assistance for Harnessing Aspiring Swavalambis (SAHAS)**

The Swavalamban Chair for MSME Solutions provides help to entrepreneurs and offers solutions to the challenges faced by the MSME sector in the region. The support provided includes funding for startups selected by the Technology Business Incubator at the Government Engineering College, Thrissur and Vivekananda Global University, Jaipur. The program has completed its first year of operations and started its second year. In the year 2023, 28 training programs on entrepreneurship development and advanced skill development have been organized, and 3 hackathons were conducted.

###### ➤ **Swavalamban Skill Classes for Livelihood**

SIDBI has collaborated with TATA to help 500 skilled and aspiring young people in Uttar Pradesh, Odisha, and Maharashtra to receive intensive support and training for setting up small businesses. This initiative is aimed at increasing their income and employment opportunities. Additionally, the Bank has partnered with Mahendra Skills Training & Development Pvt. Ltd. to launch Swavalamban Skill

classes in Rajasthan, Punjab, Madhya Pradesh, and Andhra Pradesh. The program offered short-term skill training and handholding support to 420 underprivileged individuals to become field technicians in trades such as home appliances and mobile handset repairs.

###### ➤ **Skill To Enterprise Model (STEM)**

SIDBI partnered with educational institutions of repute to design, develop and launch courses for skilled youth to venture into entrepreneurship viz., Skill To Enterprise Model (STEM). In FY 2023 SIDBI signed MoUs with 5 reputed Universities. The first programme was launched in Karjat, Maharashtra.

###### ➤ **Collaboration with Tata Power**

The Bank and Tata Power have partnered to establish 1000 green energy businesses in rural areas across India. Entrepreneurs will be trained and provided affordable green energy solutions. SIDBI will provide a "Go REsponsive, ENterprise incentive (GREENi)" upto ₹10,000/- per entrepreneur and will also facilitate credit linkages. 28 small businesses were supported in 2023.

###### ➤ **Solar Powered Training-cum-production Centres (TPCs)**

A pilot program has been launched by the Bank, in collaboration with Usha International and Tata Power, to establish five solar-powered Training-cum-Production Centres (TPCs) in UP & Bihar aimed to provide advanced level silai/ sewing skills training to rural women and prepare them to run the centres by themselves for sustainable livelihoods. In addition, basic sewing skills training will be provided to at least 150 girls/ women per year. Training for 50 women has already begun in March 2023.

##### **NP2 – Enterprise Creation**

###### ➤ **Swavalamban Connect Kendras (SCKs)**

The Bank has been running SCKs in different states to help people start their own businesses by providing guidance, support, and credit connect. In the last financial year, total 3879 enterprises were set-up/ scaled-up, Cumulatively, 50301 profiles were created, 6200 enterprises set-up/ scaled-up and 5066 beneficiaries were credit-linked with total loan amount of ₹53 crore. The Bank has now launched SCK 2.0, which aims to create 10,000 new businesses through setting up 100 SCKs in five states viz., Tamil Nādu, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Uttarakhand and West Bengal. These SCKs will use a digital approach to help entrepreneurs. Going forward, SCK is proposed to be launched in all the districts in the country.

###### ➤ **Swavalamban Connect Desks (SCDs)**

SCDs were established at DICs in 35 districts of Uttar Pradesh to connect with young people interested in entrepreneurship and existing businesses seeking information on various government schemes, subsidies, benefits, and credit connections. 1703 enquiries were received in the last 10 months, and



650 enterprises (433 start-ups and 217 scale-up enterprises) were supported, with a total loan sanction of ₹41.46 crore.

➤ **Swavalamban Silai Homepreneur Programme**

SIDBI's Mission Swavalamban initiative is collaborating with Usha International Limited to promote women entrepreneurship in underprivileged areas through the Swavalamban Silai Homepreneurs Programme. This has helped over 3000 marginalized women become Silai Homepreneurs in 23 states over 5 phases.

➤ **Micro Enterprise Promotion Programme (MEPP)**

The MEPP initiative by SIDBI aims to promote viable Micro Enterprises in semi-urban/ rural areas and artisan-based clusters by providing business services. There are currently 4 MEPPs running in India, creating over 7,700 job opportunities. In FY 2023, 5 MEPPs have been sanctioned in addition to existing 4 already running MEPP.

➤ **Swavalamban Lab**

SIDBI has initiated a pilot project to establish a Swavalamban Lab in Village Dhamupur, Ghazipur District (UP) aimed at empowering over 300 young people from Ghazipur by providing skills to become self-employed or run their own businesses.

**NP3 –Inclusive Innovation and Enterprise Development**

➤ **SWAS/शवास - Breathing Entrepreneurial Energy**

SIDBI and 'Mukti' have collaborated to launch the 'Swavalamban Accelerator in Sunderbans' (SWAS) program to train SHG women establish alternative livelihoods and rebuild the Sunderbans, which was affected by Super Cyclone Amphan. 1000 women have been trained in food processing and handicrafts (500 each) and have received start-up kits to begin their microenterprises after the training. 417 beneficiaries have established new microenterprises and 771 beneficiaries have been provided with market linkage.

➤ **Swavalamban Challenge Fund (SCF)**

The main goal of SCF is to provide financial assistance to development organizations, educational institutions, and start-ups that prioritize initiatives such as sustainability, financial inclusion, health and sanitation, and entrepreneurship. Through FY 2023, SCF covered 12 organizations and reached 4048 beneficiaries, 634 enterprises created, linked 156 beneficiaries with credit, completed 919 market linkages, and generated 82 employments.

➤ **Swavalamban Divyangjan Assistive Tech Market Access (ATMA) Fund**

This project is focused on helping differently abled people. It plans to launch start-ups in assistive technology and support their market access through a mixed financing method. The goal is to reduce the cost of assistive technology by 50% and benefit at

least 1,000 people with disabilities. Social Alpha is implementing the model and has already supported five start-ups, benefiting over 2,000 people with disabilities.

➤ **Swavalamban Livelihood Enhancement & Awareness Programme (LEAP)**

The program was launched in 2023 with the aim help the youths of Leh to establish businesses using Sea Buckthorn. It involves setting up an incubation-cum-production centre to develop a value chain. The goal is to establish at least 15 group enterprises by the end of the project.

➤ **Swavalamban Aatmanirbhar Tribal Entrepreneurship Handholding Initiative (SAATHI)**

The Aga Khan Rural Support Programme India is working to create 200 model villages in Gujarat and Madhya Pradesh, with a focus on training tribal youth, especially women, in micro-enterprise development. The goal is to establish 650 enterprises in these villages within three years. As of FY 2023, 275 people have been trained and 200 have started their own enterprises.

➤ **Women Entrepreneurship - Livelihood Enhancement and Development (WE-LEAD)**

The project being carried out by OSAFII In Odisha, aims to support 12,000 women entrepreneurs in Odisha & West Bengal, amongst SHGs/ JLGs Members, by providing them with capacity building, skill training, and business development services. In FY 2023, 7,970 women were trained, 2,859 women were given credit, and 2,832 enterprises were established. The project is replicated in West Bengal in partnership with the Association of Microfinance Institutions, with the aim of promoting 10,000 women entrepreneurs.

➤ **Swavalamban Assistance for Financial literacy, Adoption of villages and credit & market Linkages - SAFAL**

Based on the effectiveness of the SAFAL project's pilot intervention in 121 villages across two states of Bihar and Jharkhand in FY 2022, the programme was expanded up to adopt 700 villages and support 15,000 Livelihood Enterprises / Micro Enterprises (LE/ MEs) in ten states. 593 villages were adopted for FY 2023, and a total of 12,626 LE/ MEs were trained and 3597 beneficiaries received credits amounting to ₹14 crore.

➤ **Tribal Odisha Women Entrepreneurs Restructuring (TOWER)**

Mahabhinishkraman Unnayan Sansthan is implementing the TOWER project to help 100 tribal women entrepreneurs in Keonjhar district of Odisha develop their businesses using non-timber forest products. A CFC with modern machinery powered by solar energy has been established to produce high-quality Saal leaf plates and bowls which is managed and owned by the community.

➤ **MF to ME Model – Swavalamban Swabhiman**

Based on the success of Swavalamban Swabhiman pilot intervention in FY 2022, 500 aspirants/ artisans have been provided skill development training & tool kits distributed to all the aspirants/ artisans in FY 2023. Registration of 198 artisans on the portal [www.odopmart.com](http://www.odopmart.com) platform has also been completed and credit linkage provided to 341 participants. The entrepreneurs trained under the project further employed an additional 500 persons in their enterprises.

➤ **Technical Assistance Support to State Rural Livelihoods Missions (SRLMs) on livelihoods and microenterprise development**

The project aims to provide digital access to Bank Sakhis in Bihar, so they can expand their services, as well as help entrepreneurs and producer groups with business planning and marketing. During FY 2023, 20 Community Level Federations (CLFs) were identified and given training on digital transactions, and 72 dual authentications were processed.

In Jharkhand, 180 Bank Sakhis were onboarded who facilitated average digital transactions of more than ₹ 10 lakh per month.

**OTHER INITIATIVES**

➤ **Swavalamban Mela Plus**

SIDBI has been organizing Swavalamban Mela Plus at various locations across the country with an objective to provide a platform to microenterprises and small artisans to showcase their products and to help them in getting exposure, accessing and understanding of markets. During FY 2023, SIDBI supported 15 such events benefitting 1,050 MSEs.

➤ **Udyam Sangyan**

Under Udyam Sangyan (1-day exposure visit) initiative, MSEs understand the good practices of medium and large-scale units in their sector which shall motivate them to scale up their enterprises. A total number of 29 such visits were undertaken in FY 2023 benefitting 761 MSEs. Cumulatively, 100+ visits have been undertaken so far benefitting 2800+ MSEs.

➤ **Project Management Units (PMUs)**

SIDBI has set up PMUs in 23 states with the objective of strengthening local MSME ecosystem and transferring good practices through learning sessions and closer engagement with states.

**F. CSR INITIATIVES:** The Bank is committed to its social responsibilities and has undertaken various CSR activities through SIDBI Swavalamban Foundation (registered as a section 8 Companies). During the FY 2023, SIDBI has contributed to SSF for its various theme-based CSR activities across India with credible partner institutions details as under:

During the year FY 2023, major social activities under CSR were as under:

- CSR activity with 75 NGOs for celebrating Har Ghar Tiranga in 750 villages of India.
- Swavalamban Associate for Ruralisation (SWAR) Initiative: Capacity building of development professionals across India by placing them on ground for capacity building of individuals in becoming entrepreneurs at their home ground.
- Protection of river Embankments at Sunderbans, West Bengal by engaging 250 rural women's on enterprise model.
- Promoting SHGs/ collective women's micro enterprises to strengthen livelihood in Jaisalmer & Pilot entrepreneurial mindset curriculum in 6 schools.
- Paralympic committee of India - Encourage sports activity of differently abled persons by providing multifunctional trainer, sports kits, specialized vehicle, etc.
- SKILL Training programme on Waste Material Products for livelihood of 100 underprivileged women in Vrindavan, U.P.
- Installation of 20 KW off grid Rooftop Solar at Eri Silk Reeling and Spinning Centre at Saphai Village - Bellefonte Community College for Farmers of Shillong, engaged in rearing of silkworms.
- Setting up of a Smart Classroom and filter-based water cooler in the 2nd Manipur Rifles Unit School – 2, for children belonging to economically backward families.
- Program to impart skill training to unemployed youths and offer educational program to children of the labourers working in the MSMEs in the MSME Cluster at their doorstep in Bhubaneswar.
- Support for setting up of oxygen pipeline at Grace Home (HIV unit of Synod Hospital), Aizwal.
- Installation of RO plant and water cooler at Commissioner office Gorakhpur.

**G. Internal Audit Management**

Audit Vertical has been carrying out Operational Audit of branch offices (BOs), regional offices and select head office verticals, Management Audit of head office verticals, Information Systems (IS) Audit, Special Audit of fraud cases, etc. on regular basis. Moreover, Audit Vertical oversees concurrent audit function and reviews the monthly concurrent audit reports of TRMV, Administration Vertical including Centralised Vendor Payment Cell, HRDV Staff Payments Cell, DCV, IFV-Prayaas, IFV-Banks and SFBs, IFV-NBFCs, IFV-MFI, VCF, AIC & ARV which are carried out by external audit firms.

The Bank has also introduced Concurrent Audit mechanism through external CA firms in all BOs having direct credit operations. As on March 31, 2023, 69 BOs were covered under concurrent audit mechanism which covers all the Direct Credit operations of the Bank.

During FY 2023, 112 Risk Based Internal Audits were undertaken for BOs/ ROs/ HO verticals.

## H. HUMAN CAPITAL MANAGEMENT:

The Human Resource Development (HRD) Vertical plays a pivotal role in the development and management of the organization's most valuable resource - its employees. The entire gamut of functions carried out by HRDV is oriented towards ensuring enhanced employee productivity, and equipping employees with adequate skill sets, knowledge and the abilities to meet the organizational envisioning.

HRDV performance highlights during FY 2023: The Bank has undertaken several initiatives in the field of Staffing, Training & Development, Performance Management and Employee Engagement.

The Bank successfully completed the process of recruitment of 100 Officers in Grade A during FY 2023. Out of the 100 Officers, 98 Officers have joined the services of the Bank as on March 31, 2023.

- As part of continuously evolving HR practices, flexi - time policy was introduced to provide benefit of flexibility to the employees on the working hours.
- The Bank organized a week - long programme to celebrate International Women's Day 2023. During the programme a series of events were organized to build a sense of community and solidarity among employees.
- The Bank has been taking several steps to prioritize the health of employees. During the year, the Bank organized a walkathon and COVID vaccine drive to encourage healthy lifestyle.
- The Officers of the Bank were nominated for the specialized training programmes being organized by reputed training institutes such as IIMs, NIBM, NABARD, CRISIL, SBI, FIMMDA, IDRB, CAFRAL, etc. The Bank organized 99 trainings programmes during the year as compared to 50 programmes organized during FY 2022.
- The Bank made a total of 1,607 nominations for various training programmes for the employees, which included 661 nominations for in - house programmes, 928 nominations to renowned training/ academic institutions and 18 nominations for international training/ visits. Out of total, 322 nominations were for women employees.
- Out of the 1,607 training nominations during the year, 421 nominations were for employees belonging to SC/ ST categories.

Human Resource Strength:

- As on March 31, 2023, the Bank had on its rolls 1,037 permanent employees comprising 935 Officers, 77 Class III employees and 25 subordinate staff. The Bank is also engaging manpower on contractual basis for specialized functions based on requirement.
- The strength of women employees in the Bank is 227 (21.89% of the total strength). The Bank has always been an equal - opportunity provider with regard to its women workforce and has implemented impartial and fair practices for enabling career progression.

- Out of the total 1,037 permanent employees of the Bank, 178 employees (17.16% of total strength) belong to SC category, 75 employees (7.23% of total strength) belong to ST category, 231 employees (22.28% of total strength) from OBC category, 28 employees belonging to Persons with Disabilities (PwD) category and 1 employee belonging Ex - servicemen category.
- The Bank provides prepromotion and in service training to SC/ ST employees. A total of 141 employees were given pre - promotional training, out of which, 51 employees belonged to SC category (36%) and 23 employees were from ST category (16%).

## I. Information Technology

During the year, the following technology projects were undertaken:

- DevOps pipeline was implemented with integrated tools/ solutions for identification of code quality issues, version control and code management, regression testing and generation of build for deployment in production environment.
- Solution is implemented and made fully operational for logging, tracking, and monitoring of the services and support tickets.
- IT security solutions viz. File Integrity Monitoring (FIM), Database Activity Monitoring (DAM), End Point Encryption, Multi Factor Authentication (MFA) and Asset & Patch Management (APM) were made operational.
- Bank implemented zero trust cloud-based solution for Internet access & Remote access solution.
- ISMS audit was conducted successfully through ISOQAR (INDIA) Private LIMITED for (ISO/IEC 27001:2013) certification, covering Data Centre, DR Site and Management and monitoring of IT operations of the Bank.

## J. Implementation of the Official Language Policy in the Bank

A total of 89 Official Language Implementation Committees are constituted in various offices of the Bank.

During the year, 99% of the correspondence in the region 'A', took place in Hindi, while it was 94% and 80% in the region 'B' and 'C' respectively. The percentage of Hindi noting in the above three regions stood at about 90%, 86% and 80% respectively.

A total of 103 issues of the Bank's Hindi magazine 'Sankalp' have been released.

55 Hindi workshops were organized during the year.

Inspection relating to the Official Language Implementation in 49 offices and 08 verticals of the Bank was carried out during the year.

18<sup>th</sup> All India SIDBI Hindi Essay Competition was organized.

## K. Implementation of Right to Information Act, 2005

The Bank has designated a Central Public Information Officer (CPIO), Alternate Central Public Information Officer, Central Assistant Public Information Officers and First Appellate Authority and Alternate First Appellate Authority, in terms of the Act, the details of which are available on the Bank's website. In terms of the directives of Central Information Commission (CIC), the Bank has also designated a Transparency Officer for the better implementation of Section 4 of the Act with a view to promoting congenial conditions for timely response by CPIO to RTI queries.

During the financial year 2023, the Bank received 379 applications seeking various information and all the applications were disposed of as per the provisions of the Act within stipulated time.

During the financial year 2023, 32 appeals were made to the First Appellate Authority (FAA) of the Bank, which were disposed of within stipulated time as per the provisions of the RTI Act. Against the decisions taken by FAA, 14 appeals were preferred before the Central Information Commission (CIC). In this regard, necessary actions have been taken, as per CIC decisions. There has been no delay in either furnishing information by the CPIO or in deciding appeals by the FAA. All the quarterly online returns have been regularly submitted to CIC on time.

## L. Vigilance

Vigilance set-up-

- Chief Vigilance Officer (CVO) with Central Vigilance Committee at HO.
- Vigilance Team at HO with Additional Vigilance Officers (AVOs) and Regional Vigilance Officers (RVOs).
- Preventive Vigilance Committees at the Regional level.

Operational framework-

- Internal Advisory Committee on Vigilance scrutinizes complaints or cases arising out of inspections, audit reports, staff accountability reports, etc. and furnishes its recommendations to the CVO.
- Internal Audit reports of the branches are reviewed by the CVO.
- Continuous vigil on the tendering process as per CVC guidelines.
- Quarterly review of vigilance work by the CMD.

## M. SUBSIDIARY & ASSOCIATES:

**I. Micro Units Development & Refinance Agency Limited ('MUDRA')-** MUDRA was incorporated under Companies Act, 2013 as a wholly owned subsidiary of SIDBI. MUDRA is registered with RBI as an NBFC. MUDRA extends Refinance assistance to Banks, NBFCs, RRBs, SFBs, MFIs, etc. under Pradhan Mantri Mudra Yojna (PMMY).

- Pradhan Mantri MUDRA Yojna: Financial assistance upto ₹10 lakh is extended under

PMMY to micro entrepreneurs for income generating activities.

- MUDRA reported total income of ₹1541 crore in FY 2023 as against the total income of ₹1018 crore in FY 2022. Net profit stood at ₹575 crore in FY 2023 as against ₹233 crore in FY 2022.

**II. SIDBI Venture Capital Limited:** SIDBI Venture Capital Limited (SVCL) is a wholly owned subsidiary of SIDBI which acts as Investment Management Company for managing Venture Capital Funds (VCFs)/ Alternative Investment Funds (AIFs) with focus on the MSME sector. SVCL has set-up eleven Funds to cater to equity requirement of MSMEs/startups in different sectors. SVCL has partnered with various state governments for launching state specific funds to meet equity capital requirement of MSMEs/startups in respective state.

- SVCL reported total income of ₹11.56 crore in FY 2023 as against the total income of ₹10.85 crore in FY 2022. However, net profit decreased to ₹4.43 crore in FY 2023 from ₹5.03 crore in FY 2022.

**III. SIDBI Trustee Company Limited:** STCL is a wholly owned subsidiary of SIDBI, established in 1999 to carry out the trusteeship functions, particularly for VCFs/ AIFs. STCL reported total income of ₹0.77 crore in FY 2023 as against the total income of ₹0.67 crore in FY 2022. Similarly, net profit stood at ₹0.55 crore in FY 2023 as against ₹0.47 crore in FY 2022.

**IV. SIDBI Swavalamban Foundation** is a section 8 Company, Limited by Guarantee and is a subsidiary of the Bank. SSF takes up CSR (Corporate Social Responsibility) activities for SIDBI.

**V. Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises** (Trust Jointly set up by Ministry of MSME and SIDBI)

## VI. ASSOCIATE COMPANIES

- Acuité Ratings & Research Limited (Acuité) (erstwhile SMERA) (35.73% Shareholding)
- India SME Asset Reconstruction Company Ltd. (ISARC) (15% Shareholding)
- Receivables Exchange of India Ltd. (RXIL) (30 % Shareholding)
- India SME Technology Services Ltd. (ISTSL) (22.73% Shareholding)
- Online PSB Loans Ltd. (7.32% Shareholding)

However, in compliance to SEBI LODR Regulations, 2015, organisations where SIDBI is having more than 20% shareholding, except above are as under:

- Bihar State Financial Corporation (48.43% Shareholding)
- Delhi State Financial Corporation (23.66% Shareholding)



- Gujarat State Financial Corporation (28.41% Shareholding)
- Maharashtra State Financial Corporation (39.99% Shareholding)
- Punjab State Financial Corporation (25.92% Shareholding)
- Uttar Pradesh State Financial Corporation (24.18% Shareholding)
- Canbank Factors Ltd (20% Shareholding)
- KITCO Ltd. (49.77% Shareholding)
- Bihar Industrial and Technical Consultancy Organisation Ltd. (49.25% Shareholding)
- Rajasthan Asset Management Co. Pvt. Ltd. (24.50% Shareholding)
- Rajasthan Trustee Co. Pvt. Ltd. (24.50% Shareholding)
- Hyderabad Information Technology Venture Enterprises Ltd. (24.50% Shareholding)
- Cyberabad Trustee Co. Pvt Ltd (24.50% Shareholding)

#### N. MANAGEMENT DISCUSSION & ANALYSIS (MDA) REPORTS:

- (i) In terms of compliance with the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations 2018, following ratios have changed by more than 25%, as per details given below:

Financial Ratios	FY 2023	FY 2022
Earnings Per Share (Basic & Diluted) (EPS)	58.81	36.79
Return on Equity		
- before tax	16.94%	10.55%
- after tax	12.88%	8.65%
Cost income (efficiency) ratio	13.55%	20.30%
Staff costs/total income	2.74%	4.05%
Other overheads/total income	1.71%	3.59%
Debt - Equity Ratio *	7.88	3.22
Total Debts to Total Assets (%)	49.87	30.61
Average yield	5.45%	4.35%
Average cost	4.13%	3.27%
% of Gross NPA	0.01	0.11
% of Net NPA	0.00	0.07

\*Debt denotes total Borrowings (excluding Deposits).

- Profitability/ return/ cost ratios has improved by more than 25% due to increase in portfolio size, income, net profit, etc. along with deriving benefits of economy of scale.
- DER and Total Debt to Total Assets have increased due to increase in borrowings to support the increase in portfolio.

- Average yield/ average cost has increased due to increase in interest rates in the market on account of increase in policy rates by RBI.

- NPA Ratios have improved due to decline in NPAs and increase in portfolio.

- (ii) details of any change in Return on Net Worth as compared to the immediately previous financial year along with a detailed explanation thereof.

Return on Networth has improved in FY 2023 as compared to FY 2022 on account of increase in income and net profit.

Return ratios	FY 2023	FY 2022
Return on Equity		
- before tax	16.94%	10.55%
- after tax	12.88%	8.65%
Return on Capital Employed	12.97%	8.33%

- O. CORPORATE GOVERNANCE:** In compliance with Regulation no. 15 to 27 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 and disclosure requirements of corporate governance norms as specified for the listed entities applicable to the Bank Corporate Governance report form part of this Annual Report.

- P. PARTICULARS OF CONTRACTS OR ARRANGEMENTS WITH RELATED PARTIES:** The Bank has not entered into any materially significant related party transactions with its Promoters, Directors or Management, their subsidiaries or relatives, etc., that may have potential conflict with the interest of the Bank at large. The Bank has complied with applicable rules and regulations prescribed by stock exchanges, SEBI, RBI or any other statutory authority pertaining to contracts/ arrangements/ transactions entered by the bank with its related parties. Disclosure of transactions with related parties is set out in Note No.16 [c] of Standalone Financial Statements, forming part of the Annual Report & Annexures thereto.

- Q. AUDITORS AND AUDITORS REPORT:** M/s Borkar & Muzumdar (FRN 101569W), were re-appointed as Statutory Auditors of the Bank for FY 2023. There are no qualifications, reservations or adverse remarks in audit report for the period under review.

- R. SECRETARIAL AUDIT REPORT:** In terms of Regulation 24A of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Board has appointed M/s Deep Shukla & Associates (FCS 5652), Practicing Company Secretaries to undertake the Secretarial Audit of the bank for the FY 2023. The Secretarial Audit report for the financial year ended March 31, 2023 as provided by CS Deep Shukla, Practicing Company Secretaries is enclosed as a part of Corporate Governance report. The Secretarial Auditor's report does not contain any qualifications, reservations or adverse remarks in their report.

## S. Responsibility Statement

The Board of Directors hereby states that:

- in the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures;
- applicable accounting policies has been applied consistently and judgements and estimates made are reasonable and prudent, so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank as on the 31<sup>st</sup> March 2023, and of the profit and loss of the Bank for the year ended on that date;
- proper and sufficient care has been taken for the maintenance of adequate accounting records, for safeguarding the assets of the Bank and preventing and detecting frauds and other irregularities;
- annual accounts have been prepared on going concern basis;
- the internal financial controls to be followed by the Bank have been laid down and that such internal financial controls are adequate and have been operating effectively; and

- proper system has been devised to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems are adequate and operating effectively.

## ACKNOWLEDGEMENT

The Directors acknowledges the valuable support, guidance and co-operation received from the DFS, MoF and MoMSME, Government of India, RBI, SEBI and other government and regulatory agencies. The Directors thank all the valued clients, shareholders, bankers and financial institutions, World Bank, FCDO, JICA, KfW, GiZ, IFAD, AFD, ADB, for their patronage and support. The Directors also place on record their appreciation for the contributions made by outgoing directors Shri B. Sankar, Shri Lalit Kumar Chandel, Shri Shailesh Kumar Singh and Shri D.K. Singh. Directors also express their appreciation for the dedicated and committed team of employees of the Bank.

**For and on behalf of Board of Directors of the Bank**

**Chairman & Managing Director**

# Corporate Governance Report

## 1. SIDBI Philosophy on Corporate Governance:

Small Industries Development Bank of India (SIDBI) is committed to values, ethical conduct, transparency in dealing, contribution towards social causes and considering stakeholder's interest in the fair conduct of business. SIDBI believes that good governance is an integral element for its business and growth. Governance goes beyond compliance with the statutory and regulatory requirements and aims to safeguard, maintain and enhance shareholders' wealth. SIDBI was established under SIDBI Act, 1989 and is a high value debt listed entity, and complied with SIDBI Act, 1989, SIDBI Regulations, 2000, regulation no. 15 to 27 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and RBI Circular dated April 26, 2021 on Corporate Governance in Banks - Appointment of Directors and Constitution of Committees of the Board.

The Report on Corporate Governance for the financial year ended 31<sup>st</sup> March, 2023 containing, inter-alia, the matters as specified in Schedule V of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") is presented hereunder:

## 2. Board of Directors:

The Small Industries Development Bank of India Act, 1989 (the SIDBI Act) was enacted by the Parliament to establish the Small Industries Development Bank of India ('SIDBI') as the principal financial institution for the promotion, financing and development of industry in the small-scale sector and to co-ordinate the functions of the institutions engaged in the promotion, financing or developing industry in the small-scale sector and for matters connected therewith or incidental thereto. Later on, SIDBI was permitted to extend assistance to MSMEs as defined under MSMED Act. The Constitution of Board including procedure related to appointment of Executive and Non-executive directors their duties and function were prescribed under the Act.

The Board is headed by Chairman and Managing Directors appointed by Government of India, Department of Financial Services under the provision of the section 6 (1) (a) of the SIDBI Act. Two whole time directors designated as Deputy Managing Director are appointed under section 6 (1) (b) by Government of India. Government of India also nominates two government officials as nominee directors in the category of non-executive directors. Three directors are nominated by Shareholders of SIDBI under section 6 (1) (c) of the SIDBI Act. Three directors are nominated by Central Government under section 6 (1) (d) of the SIDBI Act and a maximum number of four directors in terms of percentage of shareholding to be elected by the shareholders under section 6 (1) (e) of the SIDBI Act, provided that Board may co-opt such number of Directors not exceeding four, in case of vacancy, under section 6 (1) (f) of the SIDBI Act. The SIDBI Act doesn't provide for 'retire by rotation' of its directors.

2.1 **Composition and Category of Directors:** As on March 31, 2023, SIDBI Board Comprised of 3 executive directors and 8 non-executive directors. The composition of the Board of SIDBI is compliant with regulation no. 17 (1) of LODR. There is no relationship amongst directors **inter-se**.

Name of Director & Category of Directorship	Date of Appointment	Membership/ Chairmanship of Committees of Board of SIDBI	No. of Equity Shares and non-Convertible Securities held
<b>Shri Sivasubramanian Ramann</b> <b>Chairman and Managing Director/Executive Director</b> (Appointed by Central Government u/s 6 (1) (a) of the SIDBI Act, 1989)	19/04/2021	1- Executive Committee- Chairman 2- Special Committee to Monitor Large Value Frauds- Chairman 3- Customer Service Committee- Chairman 4- Recovery Review Committee- Chairman 5- Review Committee on wilful defaulters & Non-cooperative borrowers- Chairman	NIL
<b>Shri V. Satya Venkata Rao</b> <b>Deputy Managing Director/ Executive Director</b> (Appointed by Central Government u/s 6 (1) (b) of the SIDBI Act, 1989)	05/06/2020	1- Executive Committee-Member 2- Risk Management Committee -Member 3- Special Committee to Monitor Large Value Frauds -Member 4- Customer Service Committee-Member 5- Recovery Review Committee-Member 6- DMD-Management Committee- Chairman 7- Committee on Sustainable Development Goals-Member 8- Audit Committee-Member 9- Stakeholders Relationship Committee-Member	NIL



Name of Director & Category of Directorship	Date of Appointment	Membership/ Chairmanship of Committees of Board of SIDBI	No. of Equity Shares and non-Convertible Securities held
<b>Shri Sudatta Mandal</b> <b>Deputy Managing Director/</b> <b>Executive Director</b> (Appointed by Central Government u/s 6 (1) (b) of the SIDBI Act, 1989)	03/05/2021	1- Executive Committee-Member 2- Risk Management Committee -Member 3- Special Committee to Monitor Large Value Frauds -Member 4- Information Technology Strategy Committee- Member 5- Customer Service Committee-Member 6- Recovery Review Committee-Member 7- DMD-Management Committee- Member 8- Audit Committee-Member 9- Stakeholders Relationship Committee-Member	NIL
<b>Dr. Rajneesh</b> <b>Non-Executive Director/</b> <b>Independent Director</b> (Officials of the Central Government nominated by the Central Government u/s 6 (1) (c) of the SIDBI Act, 1989)	22/02/2023	NIL	NIL
<b>Shri Bhushan Kumar Sinha</b> <b>Non-Executive Director/</b> <b>Independent Director</b> (Officials of the Central Government nominated by the Central Government u/s 6 (1) (c) of the SIDBI Act, 1989)	06/01/2023	1- Audit Committee-Member 2- Special Committee to Monitor Large Value Frauds- Member 3- Recovery Review Committee- Member 4- Nomination & Remuneration Committee- Member	NIL
<b>Shri K. Sampath Kumar</b> <b>Non-Executive Director/</b> <b>Independent Director</b> (Nominated by State Bank of India u/s 6 (1) (d) of the SIDBI Act, 1989)	20/07/2022	1- Audit Committee- Member 2- Executive Committee- Member 3- Risk Management Committee- Member 4- Special Committee to Monitor Large Value Frauds- Member 5- Customer Service Committee-Member 6- DMD-Management Committee- Member 7- Stakeholders Relationship Committee-Member	NIL
<b>Shri Krishna Singh Nagnyal</b> <b>Non-Executive Director/</b> <b>Independent Director</b> (Nominated by Life Insurance Corporation of India u/s 6 (1) (d) of the SIDBI Act, 1989)	29/10/2021	1- Audit Committee- Member 2- DMD-Management Committee- Member 3- Nomination & Remuneration Committee- Member 4- Stakeholder Relationship Committee- Member	NIL
<b>Shri Monomoy Mukherjee</b> <b>Non-Executive Director/</b> <b>Independent Director</b> (Nominated by National Bank for Agriculture and Rural Development u/s 6 (1) (d) of the SIDBI Act, 1989)	29/12/2021	1. Risk Management Committee- Member	NIL
<b>Shri G. Gopalakrishna</b> <b>Non-Executive Director/</b> <b>Independent Director</b> (Co-opted by the Board of Directors of SIDBI u/s 6 (1) (f) of the SIDBI Act, 1989)	11/08/2021 (Initial Appointment on 11/08/2018)	1- Executive Committee- Member 2- Information Technology Strategy Committee- Member 3- Customer Service Committee-Member 4- Recovery Review Committee- Member 5- Review Committee on Wilful defaulters & Non-cooperative borrowers- Member 6- Nomination & Remuneration Committee- Member 7- Stakeholder Relationship Committee- Chairman	NIL

Name of Director & Category of Directorship	Date of Appointment	Membership/ Chairmanship of Committees of Board of SIDBI	No. of Equity Shares and non-Convertible Securities held
<b>Smt. Nupur Garg</b> <b>Non-Executive Director/ Independent Director</b> (Co-opted by the Board of Directors of SIDBI u/s 6 (1) (f) of the SIDBI Act, 1989)	04/02/2022 (Initial Appointment on 04/02/2019)	1- Audit Committee- Member 2- Special Committee to Monitor Large Value Frauds- member 3- DMD-Management Committee- Member 4- Nomination & Remuneration Committee- Member	NIL
<b>Shri Amit Tandon</b> <b>Non-Executive Director/ Independent Director</b> (Co-opted by the Board of Directors of SIDBI u/s 6 (1) (f) of the SIDBI Act, 1989)	08/08/2021	1- Committee on Sustainable Development Goals- Chairman 2- Risk Management Committee- Chairman	NIL

Note: Pursuant to and in accordance with explanation provided under Regulation no. 16 (1) (b) (Independent Director) it may be mentioned that SIDBI being a 'high' value debt listed entity and composition of the Board of SIDBI is mandated to constitute in terms of section 6 of the SDBI Act, 1989. Accordingly, the non- executive directors on the Board of SIDBI shall be treated as independent directors in SIDBI.

## 2.2 Details of Skills/ Expertise/ Competencies Possessed by the Directors who were part of the Board on 31<sup>st</sup> March 2023 were as follows:

SIDBI Board as on March 31, 2023 is heterogeneous and with mix of experience, qualifications, gender, skill set and expertise. The table below summarizes Board of Directors' skills sets and attributes.

Name	Qualifications	Skills/ Expertise/ Competencies
<b>Shri S. Ramann</b>	BA (Economics), MBA, M. Sc. in Regulations, L.LB, Certified Internal Auditor, and Diploma in Securities Law	Governance and Leadership, Management & Administration, Accountancy, Auditing, Law, Diplomacy, Economics, International exposure & Relationships, Finance, Industries and Banking.
<b>Shri V. S. V. Rao</b>	B. Com, Master of Law, PG Diploma in IRPM	Governance & Leadership, Finance, Law, Human resource management, Corporate Communication, Governance Banking/ Venture Capital/ real estate Industry exposure.
<b>Shri Sudatta Mandal</b>	B-Tech. (Electrical) and PGDM (Finance)	Asset & Risk Management, Compliances, Strategy, Accountancy, Finance, Banking, Trade and Investment Finances, Project Finance, SME lending, Cluster development, Management & Administration, Governance & Leadership.
<b>Dr. Rajneesh</b>	Masters in Economics & International Law and PhD	Finance, Commerce, Urban Development & Town Planning, Education and IT, International Law & Economics, Administration, Governance & Leadership, Management.
<b>Shri B. K. Sinha</b>	BA, LLB, MBA and PhD	Governance & Leadership, Capital Market, Disinvestment & Public Asset Management, Banking, Financial Inclusion (FI), credit to agriculture / rural sector, priority sector lending by banks and functioning of Regional Rural Banks (RRBs),
<b>Shri K. S. Kumar</b>	B. Com and MBA, CAIIB and ICWA (Inter).	Governance & Leadership, Finance, Account, Portfolio Management, Banking, Foreign Exchange, SME Retail Business, Transaction Banking and Corporate Credit.
<b>Shri K. S. Nagnyal</b>	BA	Governance & Leadership, Management, Personnel and Industrial relationship, Insurance Sector, Corporate Communications.
<b>Shri Monomoy Mukherjee</b>	Masters in Science, Masters in Technology, CAIIB, and Certified Consultant for Training Need Assessment and Design of Training	Governance & Leadership, Rural Development, Agriculture, Compliances, Microfinance, Banking, technology and Human Resource Development.
<b>Shri G. Gopalakrishna</b>	BA, LLB and CAIIB	Governance & Leadership, Financial Research & Learning, Banking, Finance, Information Security, Electronic Banking Technology, Risk Management and Cyber Frauds.
<b>Ms. Nupur Garg</b>	MBA and CA	Governance & Leadership, Investment advisory, Entrepreneurship Development, Mentorship, Social Services, Private Equity and Venture Capital Fund management.
<b>Shri Amit Tandon</b>	BA (Hons), MBA and M. Phil	Governance & Leadership, Merchant Banking, Project Finance, Economics, Management, Corporate Law matter.

2.3 The table below summarizes the key attributes and skills matrix, in line with SIDBI Act 1989 mapped in broad Parameter viz. industrial and technical knowledge, requisite experience and Governance & Leadership.

Name of Director	Industrial and technical Knowledge	Experience	Governance & Leadership
Shri S. Ramann	√	√	√
Shri V. S. Venkata Rao	√	√	√
Shri Sudatta Mandal	√	√	√
Dr. Rajneesh	√	√	√
Shri B. K. Sinha	√	√	√
Shri K. Sampath Kumar	√	√	√
Shri K. S. Nagnyal	√	√	√
Shri Monomoy Mukherjee	√	√	√
Shri G. Gopalakrishna	√	√	√
Smt. Nupur Garg	√	√	√
Shri Amit Tandon	√	√	√

2.4 **Details of Membership/ Chairmanship of Directors in the Board/ Committees of other listed entities:**

Name of Director	Name of Listed Entity other than SIDBI in which the Director is a member of the Board	Name of the Board/ Committee in other listed entity where the Director is chairman/ member	Category of Directorship in other listed entities
Shri S. Ramann	NIL	NA	NA
Shri V. S. V. Rao	NIL	NA	NA
Shri Sudatta Mandal	NIL	NA	NA
Dr. Rajneesh	NIL	NA	NA
Shri B. K. Sinha	Bank of India	Audit Committee- Member Nomination and remuneration Committee-Member	Non Executive
Shri K. Sampath Kumar	NIL	NA	NA
Shri K. S. Nagnyal	NIL	NA	NA
Shri Monomoy Mukherjee	NIL	NA	NA
Shri G. Gopalakrishna	NIL	NA	NA
Smt. Nupur Garg	Indigo Paints Limited	Audit Committee- Member Nomination & Remuneration Committee-Member Stakeholder Relationship Committee-Chairperson	Independent Director
Shri Amit Tandon	NIL	NA	NA

**Notes:**

- None of the Directors on the Board is a Director/ Independent Director of more than 7 listed entities, whose equity shares are listed on a Stock Exchange.
- None of the Whole-Time Directors/ Managing Director is an independent director in more than three listed entities, whose equity shares are listed on a Stock Exchange.
- None of the Directors on the Board is a member of more than 10 Committees and Chairman of more than Committees, across all the companies in which he/ she is a Director.
- There is no relationship amongst directors inter-se.
- None of the Non-Executive Directors hold shares and Convertible Securities of SIDBI as on March 31, 2023.

2.5 **Change of Director during the Financial Year 2023:** The Changes in the composition of the Board during the year are given hereunder:

Name	Date of Appointment	Date of Cessation (in case of resignation)	Remarks (viz. Reasons for Change etc.)
Shri B. K. Sinha	06/01/2023	-	Appointment: Government of India, vide its notification dated January 6, 2023, nominated Shri Bhushan Kumar Sinha as a Director.
Shri K. Sampath Kumar	20/07/2022	-	Appointment: State Bank of India, vide its communication dated July 20, 2022, nominated Shri K. Sampath Kumar on the Board w.e.f. July 20, 2022 in place of Shri B. Sankar.

Name	Date of Appointment	Date of Cessation (in case of resignation)	Remarks (viz. Reasons for Change etc.)
Dr. Rajneesh	22/02/2023	-	Appointment: Government of India, vide its notification dated February 22, 2023, nominated Dr. Rajneesh as a Director.
Shri Shailesh Kumar Singh	20/06/2022	21/02/2023	Cessation: Consequent upon Government of India nominating Dr. Rajneesh on the Board in place of Shri Shailesh Kumar Singh, he ceased to be a member of the Board.
Shri Ashish Gupta	11/08/2018	21/03/2023	Cessation: Shri Ashish Gupta was appointed as a Chief Investment Officer in an Asset Management Company of a mutual fund where he will oversee the equity and debt investment and to avoid any conflict of interest, he has tendered his resignation in view of best governance practice. Further, he has confirmed that there were no other material reasons other than as disclosed hereinabove.
Shri Lalit Kumar Chandel	01/04/2022	05/01/2023	Cessation: Consequent upon Government of India nominating Shri Bhushan Kumar Sinha on the Board in place of Shri Lalit Kumar Chandel, he ceased to be a member of the Board.
Shri B. Sankar	29/06/2021	19/07/2022	Cessation: Consequent upon SBI nominating Shri K. Sampath Kumar on the Board in place of Shri B. Sankar, he ceased to be a member of the Board.
Shri Devendra Kumar Singh	05/06/2020	19/06/2022	Cessation: Consequent upon Government of India nominating Shri Shailesh Kumar Singh on the Board in place of Shri Devendra Kumar Singh, he ceased to be a member of the Board.

## 2.6 Meetings of the Board of Directors:

A meeting of the Board shall be held at least once in every quarter and at least four meetings shall be held every year and the meetings may be held at such places as may be prescribed.

**No. of meetings held during the Financial Year: 04 (Four)**

**Date of meetings:** 17/05/2022, 05/08/2022, 29/10/2022 and 06/02/2023

Name of Directors	Number of Meetings entitled to attend after Appointment / Nominations / Co-option	No. of Meetings Attended	Attendance in the last AGM held on 25/06/2022
Shri S. Ramann	4	4	Yes
Shri V. S. Venkata Rao	4	3	Yes
Shri Sudatta Mandal	4	4	Yes
Dr. Rajneesh	0	0	-
Shri B. K. Sinha	1	0	-
Shri K. Sampath Kumar	3	2	-
Shri K. S. Nagnyal	4	4	-
Shri Monomoy Mukherjee	4	4	-
Shri G. Gopalakrishna	4	4	-
Smt. Nupur Garg	4	3	-
Shri Amit Tandon	4	4	-
Name of Director who were part of the Board during the financial year and ceased to be members of SIDBI Board			
Shri S. K. Singh	3	1	-
Shri Ashish Gupta	4	4	-
Shri L. K. Chandel	3	3	-
Shri B. Sankar	1	0	-
Shri D. K. Singh	1	0	-

## 2.7 Board Level Committees:

In terms of the provisions of SIDBI Act, 1989, SIDBI General Regulations, 2000, SEBI (LODR), Government instructions/ guidelines, RBI Circulars and business requirement, Board of SIDBI has constituted twelve Committee of the Board viz. Audit Committee, Risk Management Committee, Stakeholder Relationship Committee, Nomination & Remuneration Committee, Executive Committee, Recovery Review Committee, Review Committee on Wilful Defaulters & Non Cooperative Borrowers, Special Committee to Monitor Large Value Frauds, Customer Service Committee, IT Strategy Committee, Deputy Managing Director – Management Committee, and Committee on 'Sustainable Development Goals'.

Board of Directors of SIDBI has approved the Charter of Committees including Composition, Functions of the Committee, Frequency of Meeting, quorum etc., and the same is placed on the website of SIDBI i.e., [www.sidbi.in](http://www.sidbi.in) at its Corporate Governance Section.

**I. Audit Committee:** The Audit Committee of the Board was constituted in terms of RBI Circular and complies with the provisions of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and SEBI (LODR) (Amendment) Regulations, 2018 and stricter provision of the two regulations were taken in the charter.

- a. The main function of Audit Committee of the Board of SIDBI is to overview of the SIDBI financial reporting process, significant adjustments made in the financial statements, to review changes, if any, in accounting policies and practices and reasons for the same; functioning of the whistle blower mechanism; review internal audit reports, approval of related party transactions. The Committee also review, with the management, the statement of uses/ application of funds raised through an issue including the statement of funds utilized for purposes other than those stated in the offer document and making appropriate recommendations to the board to take up steps in this matter, reviewing the findings of any internal investigations by the internal auditors into matters where there is suspected fraud or irregularity or a failure of internal control systems of a material nature and reporting the matter to the board.
- b. No. of meetings held during the Financial Year: 04 (Four)
- c. Date of meetings: 17/05/2022, 05/08/2022, 29/10/2022 and 06/02/2023
- d. Composition, Meeting and Attendance of the Audit Committee:

Name of Directors and Designation (Chairperson*)	Number of Meetings held during the tenure	No. of Meetings Attended
Shri Ashish Gupta	4	4
Shri V. S. Venkata Rao	4	3
Shri Sudatta Mandal	4	4
Smt. Nupur Garg	4	4
Shri K. Sampath Kumar	2	2
Shri K. S. Nagnyal	2	2
Shri Lalit Kumar Chandel	3	3
Shri B. K. Sinha	1	0

\*Presently Audit Committee of SIDBI doesn't have a regular chairperson, the committee elect an Independent Director as a chairperson during the meeting.

**II. Nomination and Remuneration Committee:** Nomination and Remuneration Committee has been in place and is in accordance with the provisions of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 to the extent it does not conflict with SIDBI Act, 1989.

- a. The role of the Nomination and remuneration Committee is to recommend to the Board to co-opt such number of directors, not exceeding four, under first provisos of section 6 (1) (f) of SIDBI Act, 1989, to recommend to the board regarding extension/ continuation of the term of such appointment of the co-opted directors, on the basis of the report of performance evaluation of such directors and to formulate the criteria for evaluation of director.
- b. No. of meetings held during the Financial Year: NIL
- c. Date of meetings: NA
- d. Composition, meetings, and attendance of the Nomination and Remuneration Committee

Name of Directors and Designation (Chairperson)	Number of Meetings held during the tenure	No. of Meetings Attended
Smt. Nupur Garg	0	0
Shri G. Gopalakrishna	0	0
Shri K. S. Nagnyal	0	0
Shri B. K. Sinha	0	0
Shri Lalit Kumar Chandel	0	0

**III. Stakeholder Relationship Committee: The committee has been constituted** in accordance with the provisions of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

- The Role of stakeholder committee is to monitor the grievances of the shareholders and other security holder, Reviewing the measures taken for effective exercise of voting rights by shareholders, Reviewing the adherence to the service standards adopted in respect of various services being rendered by the Registrar & Share Transfer Agent. Reviewing the various measures and initiatives taken by the Bank for reducing the quantum of unclaimed dividend and ensuring timely receipt of dividend warrants/ annual reports/ statutory notices by the shareholders of the Bank.
- No. of meetings held during the Financial Year: Nil
- Date of meetings: NA
- Stakeholder relationship committee meeting was held on May 3, 2023.
- Composition, meetings, and attendance of the stakeholder relationship Committee on May 3, 2023.

Name of Directors and Designation (Chairperson)	Number of Meetings held during the tenure on May 3, 2023	No. of Meetings Attended
Shri G. Gopalakrishna, Chairperson	1	1
Shri V. S. Venkata Rao	1	0
Shri Sudatta Mandal	1	1
Shri K. S. Nagnyal	1	1
Shri K. Sampath Kumar	1	1

- Name and designation of Compliance Officer: Shri Vishnu Kumar Sah (Company Secretary & Compliance Officer)
- Status of Investor Complaint during the financial Year 2023:

Security	Number of complaints received during the year	Number of complaints not solved to the satisfaction of security holder	Number of pending Complaints
Shareholders	NIL	NA	NA
Holder of Non-Convertible listed Securities	NIL	NA	NA

**IV. Risk Management Committee:** The Risk Management Committee (RiMC) of the Board was constituted in terms of RBI Circular and complies with the provisions of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and SEBI (LODR) (Amendment) Regulations, 2018 and stricter provision of the two regulations were taken in the charter.

- The roles and responsibilities of RiMC shall be as per Enterprise Risk Management (ERM) policy as approved/ modified by the Board from time to time. As per present ERM policy, the role of the RiMC is to formulate Risk Management policies for Credit, Market and Operational risks and policies for ALM, Investment, ICAAP and such other policies having a bearing on the risks inter-alia including framework for identification of internal and external risks specifically faced by SIDBI, in particular including financial, operational, sectoral, sustainability, cyber security risks or any other risk. RiMC carries out periodic review of the risk policies and risk framework and ensures that appropriate methodology, processes and systems are in place to monitor and evaluate risks associated with the business of SIDBI. RiMC also monitors and oversees implementation of the risk management policy, including evaluating the adequacy of risk management systems and define/ revise the roles and responsibilities of the other Risk Management Committees viz. Enterprise Risk Management Committee (ERMC) and Asset Liability Management Committee (ALCO) etc.
- No. of meetings held during the Financial Year: 04 (Four)
- Date of meetings: 09/05/2022, 02/08/2022, 31/10/2022 and 02/02/2023
- Composition, meetings, and attendance of the Risk Management Committee:

Name of Directors and Designation (Chairperson)	Number of Meetings entitled to attend after Nominations	No. of Meetings Attended
Shri Amit Tandon, Chairperson	4	4
Shri V. S. Venkata Rao	4	4
Shri Sudatta Mandal	4	4
Shri K. Sampath Kumar	3	2
Shri Monomoy Mukherjee	4	4
Shri B. Sankar	1	1



**V. Executive Committee:** Executive Committee of the Board is constituted in terms of the provision contained in the SIDBI Act, 1989.

- a. The Role of the committee is to approve credit and investments related proposals as per credit exposure norms/ delegation, sanction of refinance assistance to Banks/ SFB involving relaxation in norms beyond the relaxable caps prescribed under the scheme, sanction OTS, restructuring etc. to Banks and SFCs under Institutional Finance, to consider proposals for approval/ sanction of exposure and securitization/ assignment of specified portfolio w.r.t NBFCs under Institutional Finance, to consider proposals involving any relaxation in benchmark norms for sanction, eligibility parameters and other parameters for sanction as per DoP and proposals involving Connected Lending provisions and to discharge such functions as may be prescribed or as may be delegated to it by the Board from time to time.
- b. Executive committee has met 13 times during the year on 14/05/2022, 25/06/2022, 02/08/2022, 10/09/2022, 22/10/2022, 23/11/2022, 31/12/2022, 24/01/2023, 11/02/2023, 24/02/2023, 08/03/2023, 18/03/2023 and 23/03/2023.
- c. Composition, meetings, and attendance of Executive Committee:

Name of Directors and Designation (Chairperson)	Number of Meetings entitled to attend after Nominations	No. of Meetings Attended
Shri S. Ramann (Chairman)	13	13
Shri V. S. Venkata Rao	13	12
Shri Sudatta Mandal	13	12
Shri K. Sampath Kumar	11	6
Shri G. Gopalakrishna	13	12
Shri B. Sankar	2	0

**VI. Recovery Review Committee:** The role of the Recovery Review Committee is to review the NPA cases having principal outstanding of ₹5 crore and above and SMAs, restructured accounts. RRC has met 4 times during the year on 17/05/2022, 04/08/2022, 01/11/2022 and 28/02/2023.

**VII. Review Committee on wilful Defaulters & Non-Cooperative Borrowers (RCWD&NCB):** The role of the RCWD&NCB is to review the orders passed by the Committee for Identification of Wilful Defaulters & Non-Cooperative Borrowers for identifying cases as wilful defaulters & non-cooperative borrowers. The Committee also reviews, on half yearly basis, cases of wilful default and non-cooperative borrowers and declassification, if any, thereof.

**VIII. Special Committee to Monitor Large Value Frauds (SCMLVF):** The function of SCMLVF is to monitor and review all frauds of ₹1 crore and above and to monitor progress of recovery position, ensure the staff accountability is examined at all levels and to review the efficacy of the remedial action taken to prevent recurrence of frauds, such as strengthening of internal controls. SCMLVF has met 4 times during the year on 17/05/2022, 04/08/2022, 01/11/2022 and 28/02/2023.

**IX. Customer Service Committee (CSC):** The function of CSC shall review the status of customer service in the Bank and suggest measures to improve quality of customer services. The Committee also monitors the customer grievances and timely resolution thereof. CSC has met 4 times during the year on 14/05/2022, 02/08/2022, 22/10/2022 and 24/01/2023.

**X. IT Strategy Committee (ITSC):** The function of ITSC is to approve IT vision, strategy and IT policy documents of the Bank, ensuring that the business and IT strategy are in alignment, IT organizational structure complements the business model and its direction. The Committee also act as apex committee for Information and Cyber Security, taking strategic and financial decisions on the information security plan to maintain a satisfactory level of information security. ITSC has met 5 times during the year on 09/05/2022, 04/08/2022, 04/10/2022, 23/12/2022, 01/02/2023.

**XI. Committee on "Sustainable Development Goals" (CSDG)** of SIDBI has met 2 times during the year on 22/07/2022 and 12/12/2022.

### 3. Remuneration of Directors for FY2023;

Name of Director	Salary as per section 17 (1) of IT Act	Other Benefit	Gross Salary
1	2	3	4=2+3
Shri S. Ramann (CMD)	₹40,66,126.00	₹9,27,681.00	₹49,93,807.00
Shri V S. V. Rao (DMD)	₹34,50,587.00	₹7,52,074.00	₹42,02,661.00
Shri S. Mandal (DMD)	₹34,20,717.00	₹8,87,168.00	₹43,07,885.00

Other Benefit includes medical reimbursement, furnishing of residence, utility bills, newspaper & periodical, etc.



#### 4. Remuneration and Sitting Fees to the Non-Executive Directors:

SIDBI does not pay any remuneration to Non-Executive Directors except sitting fees, in terms of Government of India guidelines, for attending the meetings of the Board and its Committees. The fees payable is as under:

Meetings	Sitting fees payable per meeting
Board	₹40,000 (₹10,000 additional for chairing Board Meeting)
Committee	₹20,000 (₹5,000 additional for chairing Board Meeting)

Note: Executive directors and Govt officials on the Board of the SIDBI are not entitled for any sitting fees.

#### The total sitting fees paid to non-executive directors during the FY 2023.

Name of Directors	Amount
Shri B. Sankar(paid to SBI)	₹40,000
Shri K. Sampath Kumar (paid to SBI)	₹4,00,000
Shri Monomoy Mukherjee (Paid to NABARD)	₹2,40,000
Shri Krishna Singh Nagnyal	₹3,00,000
Shri G. Gopalakrishna	₹6,65,000
Shri Ashish Gupta	₹3,60,000
Smt. Nupur Garg	₹3,40,000
Shri Amit Tandon	₹3,10,000

#### 5. General body meetings:

Financial Year	Date	Location of the Meeting	Time (IST)	Special Resolution (s) Passed
2019-20	July 2, 2020	Lucknow through VC/ OAVM	11.00 a.m.	NIL
2020-21	July 15, 2021	Lucknow through VC/ OAVM	11.00 a.m.	NIL
2021-22	June 25, 2022	Lucknow	10.30 a.m.	NIL

Postal Ballot: No Resolution was passed by SIDBI last year through Postal Ballot. None of the businesses proposed to be transacted at the ensuing AGM require passing a Resolution through Postal Ballot.

#### 6. General information/ Affirmation and Disclosures.

**6.1 Means of Communications:** The quarterly and annual financial results are normally published in 'Financial Express' and 'Jansatta' and also uploaded on the SIDBIs' website viz. [www.sidbi.in](http://www.sidbi.in).

**6.2 SIDBI has not made any presentation to institutional investors or to the analysts during FY 2023.**

#### 6.3 General Shareholder Information:

- 25<sup>th</sup> Annual General Meeting of SIDBI shall be held on Monday, June 26, 2023, 3:00 PM at Head Office for the financial year 2023.
- Dividend Payment Date: On or after June 26, 2023 (within 30 days from the date of AGM)
- Record Date: June 19, 2023

**6.4** Equity shares of SIDBI are not listed in any of the Stock Exchanges. SIDBI is a high value debt listed entity and NCDs and CPs of SIDBI are listed in the National Stock Exchange of India Limited, Further, it is hereby confirmed that the annual listing fees (as applicable) of ₹6,01,800/- was paid on April 28, 2023 to NSE.

**6.5** SIDBI confirms that the securities of SIDBI were not suspended from trading during the Financial Year 2023.

#### 6.6 Distribution of Shareholding:

Name of the Shareholder	% Holding
Government of India	20.85
State Bank of India	15.65
Life Insurance Corporation of India	13.33
National Bank for Agriculture & Rural Development	9.36
Punjab National Bank	5.96
Others	34.85
<b>Total</b>	<b>100.00</b>

We hereby confirm that electronic connectivity facility during the period April 1, 2022 to March 31, 2023 (both days inclusive) was provided by the Registrar and Share Transfer Agent, viz. Link Intime India Private Limited, which is registered as Registrar & Share Transfer Agent in Category - I with the Securities and Exchange Board of India vide

**Registration Number: INR000004058. Address:** C-101, 247 Park, LBS Marg, Vikhroli West, Mumbai - 400083; Tel: 022-49186000; Fax: 022-49186060; Website: [www.linkintime.co.in](http://www.linkintime.co.in).

- 6.8 **Share Transfer System:** SIDBI is not an equity listed entity. Shares of SIDBI were issued in demat form only. Regulation 27 of SIDBI General Regulations, 2000 deals with the transfer of shares of SIDBI and SIDBI has appointed Link Intime as a registrar and share transfer agent. Further SIDBI securities (NCS) were listed in the National Stock Exchange of India Limited and issued in the demat form only.
- 6.9 Shares of SIDBI are dematerialized and are not listed in any of the stock exchanges. Hence equity shares of SIDBI are not tradeable in any of the Stock Exchanges.
- 6.10 Credit rating agencies and ratings: Care Ratings Limited, Crisil Ratings Limited, ICRA Limited and India Ratings & Research Pvt. Ltd. are the credit rating agencies for rating of the various instruments issued by SIDBI during the financial year under review, the ratings agencies have reaffirmed ratings and there was no change in rating of SIDBI.

Instruments	Rating	Rating Action
<b>CARE Ratings Limited</b>		
Long Term Bank Facilities	CARE AAA; Stable	Reaffirmed
MSE/RIDF Deposits	CARE AAA; Stable	Reaffirmed
Short Term Bank Facilities	CARE A1+	Reaffirmed
Unsecured Redeemable Bonds	CARE AAA; Stable	Reaffirmed
Long Term / Short Term Instrument – CD / CP program	CARE AAA; Stable / CARE A1+	Reaffirmed
Fixed Deposit	CARE AAA; Stable	Reaffirmed
<b>CRISIL Ratings Limited</b>		
Non-Convertible Debentures	CRISIL AAA/Stable	Reaffirmed
<b>ICRA Limited</b>		
Non-Convertible Debentures	ICRA AAA Stable	Reaffirmed
<b>India Ratings &amp; Research Pvt Ltd</b>		
Commercial Paper	IND A1+	Reaffirmed


- 6.11 All transactions with the related parties are on arm's length basis and in the ordinary course of the business. Materially significant Related Party Transaction during the year under review as under:

Material Related Party Transactions during FY 2022-23					
Sl no.	Name	PAN	Relationship of the counter- party with the listed entity or its subsidiary	Type of related party transaction	Approx Value of transaction during the reporting period (in ₹ crore)
1	Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises	AAATC2613D	Common Director	Fixed Deposit	2000
2	Bank of India	AAACB0472C	Common Director	Refinance	25277
3	AXIS Mutual Fund	AACTA5925A	Common director	Treasury Investment	1051 (Including Purchase and redemption)
4	National Housing Bank	AABCN2600H	Common director	Investment / Redemption in -NHB CP	1998
5	Bank of Maharashtra	AACCB0774B	Common Director	Refinance/ treasury investment	2101

In terms of Policy on Materiality of Related Party Transactions and on dealing With Related Party Transactions [Transaction(s) entered into individually or taken together with previous transactions during a financial year, exceeds rupees one thousand crore or ten per cent of the annual consolidated turnover of listed entity as per the last audited financial statements of the listed entity, whichever is lower.] and [a transaction involving payments made to a related party with respect to brand usage or royalty shall be considered material if the transaction(s) to be entered into individually or taken together with previous transactions during a financial year, exceed {five} percent of the annual consolidated turnover of the listed entity as per the last audited financial statements of the listed entity.]

10% Consolidated Turnover of SIDBI for FY 2023 being higher than ₹1000 crore, the limit for Material RPT is considered as ₹ 1000 crore, also no transaction has been reported in r/o brand Usage/ royalty.

- 6.12 During the year under review penalty, was imposed by NSE for the non-appointment of Company Secretary of SIDBI as a compliance officer and on representation in the matter, NSE has waived off the penalty.
- 6.13 The Board of Directors of SIDBI in their 217<sup>th</sup> Board meeting held on February 06, 2023 has approved the vigil mechanism/ whistle blower policy. In terms of requirement under regulation no. 22 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 and Regulation no. 9A(6) of SEBI (PIT) (Amendments) Regulations, 2018 which mandates to formulate a whistle blower policy. The policy aims at instilling confidence into the whistle blower for ensuring effective corporate governance by maintaining confidentiality, protection from any form of victimization. Complaints should be disposed of in a time-bound manner. The investigators should also be protected against victimization. The subject (accused) shall be provided with an opportunity of being heard, before a final conclusion is drawn. SIDBI reserves the right to initiate disciplinary action against the whistle blower, in case the complaint is found to be false or frivolous, after investigation. The policy is made available on the website of SIDBI i.e. [www.sidbi.in](http://www.sidbi.in). No personnel were denied access to the Audit Committee of the Board in terms of Whistle Blower Policy.
- 6.14 Policy on materiality of related party transactions and policy for determining 'material' subsidiaries are available on the website of SIDBI on [www.sidbi.in](http://www.sidbi.in) under link: <https://www.sidbi.in/en/corporate-governance#section1>
- 6.15 The Bank uses derivatives for hedging of interest rate and exchange risk arising out of mismatch in the assets and liabilities. All derivatives undertaken by Bank are for hedging purposes with underlying as Foreign Currency borrowings, which are not MTM, but only translated. The Bank does not undertake trading in Derivatives. Internal Control guidelines and accounting policies are framed and approved by the Board. The Bank has put systems in place for mitigating the risk arising out of derivative deals. The Bank follows the accrual method for accounting the transactions arising out of derivative deals.
- 6.16 Details of Offices, Zonal/ Regional offices, branch



\*map not to scale

- 6.17 Total fees paid to the Statutory Auditors (Borkar & Muzumdar) during FY 2023 was ₹52,52,230/-. Statutory Auditor of SIDBI is not an Auditor to any of its subsidiary. Total fees paid by the subsidiary company to their respective statutory auditor are provided in the table below.

Sr. No.	Name of the Subsidiaries	Name of the Statutory Auditor	Total Fees Paid
1	MUDRA	M/s V.C Shah and Co. Chartered Accountants FRN: 109818W	₹7,25,000/-
2	SVCL	M/s. R.B. Jain & Associates, FRN: 103951W	₹1,50,000/-
3	STCL	M/s. Shah & Modi, FRN: 112426W	₹71,000/-
4	SIDBI Swavalamban Foundation	Kumar Chandan & Associate (KCA) FRN: 025164N	₹1,70,000

- 6.18 Disclosures in relation to the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013:

number of complaints filed during the financial year : One

number of complaints disposed of during the financial year : Nil

number of complaints pending as on end of the financial year : One

- 6.19 Details of material subsidiaries of SIDBI; including the date and place of incorporation and the name and date of appointment of the statutory auditors of such subsidiaries

Amount in ₹ crore.

Particulars	FY 2022		FY 2023	
	Total Income	Networth	Total Income	Networth
SIDBI (Consolidated)	10,133.06	24580.33	20002	27196
10% of total income /Net-worth	1013.30	2458.03	2002.20	2719.60
Material Listed Subsidiaries – No Listed Subsidiary				
Material unlisted Subsidiary				

Name of Subsidiaries	Total Income / Networth	Exceeds 10% Yes/No	Total Income / Networth	Exceeds 10% Yes/No	Material Subsidiary Yes/No
MUDRA	1018.74/2720.92	Yes	1541.66/3271.53	Yes	Yes
SVCL	11.60/44.71	No	11.56/47.64	No	No
STCL	0.67/8.33	No	0.77/8.88	No	No

MUDRA is material subsidiary of SIDBI which was incorporated at Mumbai on March 18, 2015 as wholly owned subsidiary of SIDBI. Statutory auditor of MUDRA is M/s V. C. Shah and Co. Chartered Accountants (FRN: 109818W).

- 6.20 SIDBI has complied with the Corporate Governance requirements specified in Regulation 17 to 27 and clauses (b) to (i) of Regulation 46(2) and para C, D and E of Schedule V to the extent that the requirements of the regulation do not violate the provisions of SIDBI Act, 1989, and regulations made there under. Further SIDBI complied with the directions and guidelines issued by the Reserve Bank of India.
- 6.21 SIDBI Board has accepted recommendation of various committees of the board which is mandatorily required during the financial year 2023. Corporate Governance approach of SIDBI is inclusive in nature and opinion of the members of the Board and external expert is duly recognized and included in the Board Decisions.

6.22 **Address for correspondence:**

- **Head Office:** SIDBI Tower, 15, Ashok Marg, Lucknow - 226001, Uttar Pradesh.
- **Corporate Office:** SIDBI, Swavalamban Bhavan, C-11, G-Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra East, Mumbai 400051, Maharashtra.

**Declaration of Chairman and Managing Director**

I hereby declare that members of board of directors and senior management have affirmed compliance with the code of conduct of Board of Directors and senior management for Financial Year 2023.

**Shri S. Ramann**  
Chairman & Managing Director

## Annexure-I

Brief Profile of Executive and Non-executive Directors of SIDBI during Financial Year 2023.

**Shri Sivasubramanian Ramann (CMD):** Shri S. Ramann, belongs to 1991 batch of Indian Audit & Accounts Service (IA&AS). He joined as Chairman & Managing Director, Small Industries Development Bank of India (SIDBI) from 19<sup>th</sup> April 2021. Before joining SIDBI, he was MD & CEO of National E-Governance Services Limited (NeSL) from December 2016. Prior to joining NeSL, Shri Ramann was the Principal Accountant General (Audit), Jharkhand, Ranchi during 2015-2016. He worked with SEBI as CGM and later Executive Director between 2007 & 2013.

He held various positions in the offices under the C&AG of India in various States and also worked as Executive Secretary to the C&AG of India. He worked as First Secretary, at Indian High Commission, London for auditing the accounts of various Indian Embassies in Europe. He is BA (Hons) Economics from St Stephens College and MBA from FMS, Delhi University. He has done M. Sc. in Regulations from London School of Economics and Certified Internal Auditor from IIA Florida. He completed LLB from Mumbai University and Post Graduate Diploma in Securities Law.

**Shri V. Satya Venkata Rao (DMD):** He has more than 29 years of working experience in two All India Financial Institutions. He is a Post Graduate in Law with distinction of securing a Gold Medal from Andhra University in Masters of Law. He has handled several critical matters in areas such as Legal, Human Resource, Corporate Communications and also worked as Central Public Information Officer and Appellate Authority under the Right to Information Act. Shri Rao has participated in International Conferences in London and Beijing. He has also spent considerable time in the areas of legal matters with special emphasis on recovery through legal route and has been successful in resolution of huge NPAs. Shri Rao has functioned as a Nominee Director on the Boards of listed and non-listed Companies. He has also served as a Director on the Boards of Venture Capital Company, Real Estate Company and Societies registered under the Societies Registration Act.

**Shri Sudatta Mandal (DMD):** He joined as Deputy Managing Director, Small Industries Development Bank of India (SIDBI) on 3<sup>rd</sup> May 2021. Before joining SIDBI, he was the Chief General Manager & Chief Financial Officer of the Export-Import Bank of India (Exim Bank). He has experience of more than 25 years across different verticals (Assets, Liabilities, Risk Management, Compliance and Strategy) in Exim Bank including more than 20 years of operational experience in International Trade and Investment Finance, Project Finance, SME lending including Cluster Finance, Trade Finance, and cross-border Development Finance. He is a B-Tech. in Electrical Engineering from the Indian Institute of Technology, Kanpur, and holds a Post Graduate Diploma in Management with specialization in Finance from the Indian Institute of Management, Calcutta.

**Dr. Rajneesh:** Dr. Rajneesh belongs to the 1997 batch of Indian Administrative Service (IAS). He holds Master's degree in economics from Delhi School of Economics, Master's degree in International Law & Economics, from University of Bern, Switzerland and PhD in Economics from Indian Institute of Foreign Trade, New Delhi. Dr. Rajneesh has also

done Hubert Humphery Fellowship Program from University of North Carolina, USA. Presently as Additional Secretary and Development Commissioner, Ministry of MSME, Dr. Rajneesh is engaged in comprehensive policy for development of the MSME sector in India. He has over 25 years of experience as an IAS officer having worked in the field of Finance, Commerce, Urban Development & Town Planning, Education and IT etc. He has also worked as PS to the President of India (2012-2017) and Finance Minister of India (2011-12).

**Shri Bhushan Kumar Sinha:** Shri B. K. Sinha belongs to 1993 batch of Indian Economic Service. He holds Master's degree in Business Administration (MBA) from the National Graduate School of Management (NGSM), Australian National University (ANU). He also holds a degree in Law and Ph. D. in Financial Economics from Department of Financial Studies, University of Delhi. Dr. Sinha has worked primarily in the financial sector covering areas such as Capital Market, Disinvestment & Public Asset Management, Banking, etc. in the Ministry of Finance, GoI. He has also worked as Joint Development Commissioner in the Ministry of MSME. After joining as Joint Secretary in DFS in June 2018, Dr. Sinha has handled Financial Inclusion (FI), credit to agriculture / rural sector, priority sector lending by banks and functioning of Regional Rural Banks (RRBs). Currently, he is handling Development Financial Institutions (DFIs), including National Bank for Financing Infrastructure and Development (NaBFID), Small Industries Development Bank of India (SIDBI), Export-Import Bank (EXIM Bank), India Infrastructure Finance Company Ltd. (IIFCL), Industrial Finance Corporation of India Ltd. (IFCI), National Housing Bank (NHB), etc. He is also handling all infra-financing related matters as well as sectoral lending policies/ issues. Earlier, Dr Sinha was Economic Adviser in the Department of Investment & Public Asset Management (DIPAM) and Director in the Office of the Finance Minister. Dr. Sinha is also Government Nominee Director on the Boards of Bank of India (BoI) and India Infrastructure Finance Company Ltd. (IIFCL). Earlier, he has served as the Government Nominee Director on the Boards of Central Bank of India, NABARD, IFCI and Micro Units Development & Refinance Agency (MUDRA) Ltd.

**Shri K. Sampath Kumar:** He is a seasoned banker, with experience of more than 32 years in various capacities in State Bank of India. He is a commerce graduate and MBA (Finance). He has passed CAIIB and ICWA (Inter). He Joined State Bank of India in 1990 as a Probationary officer. He has exposure in foreign exchange, SME, Retail business, Transaction Banking and Corporate Credit in different capacities and across various geographies. His last assignment was General Manager, CAG Branch, Chennai handling Corporates like TCS group, Murugappa group, Ashok Leyland, MRF etc. Currently he is CGM (SME) at SBI Corporate Centre, Mumbai, responsible for the MSME portfolio of ₹2.75 lakh crore of SBI.

**Shri Krishna Singh Nagnyal:** He is a graduate from Ewings Christian College, Allahabad University. He joined LIC of India as an officer and has wide experience in LIC having worked in various zones handling varied assignments such as Sr. Divisional Manager and Regional Manager. He has served the Corporation in various capacities and held prestigious positions in different parts of the country. He was Regional Manager, Marketing of Eastern Zone, Regional Manager (OS) and Regional Manager, Personnel and Industrial Relations of North Zone. He has headed Central Zone, Bhopal and Eastern Zone Kolkata as Zonal Manager In charge. Thereafter, he was



posted to the Central Office as Executive Director, Corporate Communications. He has a special interest in sports and is inclined towards Social Service.

**Shri Monomoy Mukherjee:** He is Chief General Manager of National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) and holds the charge of Secretarial Department. He is also the Chief Compliance Officer of NABARD and its First Appellate Authority under RTI Act. He has done his M. Sc in Chemistry from Delhi University and M. Tech (Catalysis Technology) from IIT, Kharagpur. He is Certified Associate of Indian Institute of Bankers and Certified Consultant for Training Need Assessment and Design of Training. He has experience of 34 years across various offices and departments of NABARD including Faculty Member for 6 years. He has experience in development finance across Non-Farm Sector, Microfinance & Climate Space, Banking Technology and Human Resource Development.

**Shri G. Gopalakrishna:** He was Director of Centre for Advanced Financial Research and Learning (CAFRAL) from 21<sup>st</sup> April 2014 to 20<sup>th</sup> April 2017. CAFRAL was set up by Reserve Bank of India to develop into a world class global institution for research and learning in banking and finance. Before joining CAFRAL, he was Executive Director, Reserve Bank of India (RBI). Shri Gopalakrishna, a career Central Banker for over 33 years, mainly worked in the area of Banking and Non-Banking Regulation and Supervision.

He was the Chairman and Member of several Working Groups set up by the RBI/ Government of India. During 2011, he chaired the Working Group on Information Security, Electronic Banking Technology, Risk Management and Cyber Frauds, the recommendations of which have been implemented April 2011. The RBI guidelines has become benchmark standard for the industry in information security, information audit, I.T. Governance and Cyber frauds. He authored the Central Credit Registry created by RBI in 2014 for reporting large value credits. In 2014 Shri Gopalakrishna chaired the Committee constituted to examine the recommendations of FSLRC relating to Capacity Building in Banks and non-banks. The report has been accepted and implemented by the Reserve Bank of India.

**Ms. Nupur Garg:** She is a leading investor in private equity and venture capital and an expert advisor to large institutional investors. She is the founder of WinPE (<https://winpeforum.com>), a not-for-profit initiative to enhance gender diversity in the investing ecosystem. Ms. Nupur serves as Chairperson

of the Board of Kids Clinic India Limited and an independent director on the Boards of companies including Indigo Paints Limited, Kerala Infrastructure Fund Management Limited. She is an independent member of the investment committee at the Fund of Funds managed by the National Investment and Infrastructure Fund (NIIFF), the quasi-sovereign wealth fund sponsored by the government of India, and an advisor to and a member of the investment committee for the Dutch Good Growth Fund (DGGF), an investment fund of Dutch government for investments in SMEs in frontier markets across 75 countries. She has served as an external expert on the investment committee for the INR 10,000 crore Fund of Fund for Start-ups for investing in the Indian start-up ecosystem. Ms. Nupur advises select fund managers on matters related to institutionalization, best practices and governance. She also mentors female entrepreneurs across various platforms. Ms. Nupur was listed in the BW VC World Most Influential Women 2022, Forbes W-Power list of Self Made Women 2020, among India's top 100 Women Leaders in Finance (AIWMI 2019), awarded the Women Empowerment Entrepreneur Award 2019-20 and the Business Excellence and Innovative Best Practices - Academia Award 2019. In her last full-time role, Ms. Nupur led the private equity and venture capital funds business in the region, for IFC and is widely credited with establishing IFC's brand and credibility as one of the most respected institutional investors in this space. Ms. Nupur is a CA and an MBA from MIT Sloan School of Management, with executive education from Harvard Business School.

**Shri Amit Tandon:** He is the founder Institutional Investor Advisory Services India Limited (IIAS) and its managing director since July 2011. Before IIAS, Shri Amit was the managing director and CEO of Fitch Ratings: India from October 2001 to June 2011. He also had oversight over Fitch Ratings Lanka. Prior to joining Fitch, he was with the ICICI group for 17 years (from May 1984 – September 2001), where he rotated through various roles and businesses including project finance, leasing, and the merchant banking division. His last role with the ICICI group was as head of investment banking at ICICI Securities. He has been a member of the Reserve Bank of India's Technical Advisory Committee on Money, Foreign Exchange and Government Securities Markets, a member of one of the working groups convened by the Ministry of Corporate Affairs to review comments received on the Companies Act and the Kotak Committee on Corporate Governance constituted by SEBI. Shri Amit studied economics at St Stephens College, Delhi and has an MBA from the Faculty of Management Studies, Delhi and has an MPhil degree from the University of Cambridge, UK.

**Annexure-II**  
**SECRETARIAL AUDIT REPORT**  
**For the financial year ended March 31, 2023**

[Pursuant to Regulation 24A of the Securities and Exchange Board of India  
(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015]

To,

**The Members,  
Small Industries Development Bank of India (SIDBI)**

Corp. Office: SIDBI, Swavalamban Bhavan,  
C-11, G-Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra East,  
Mumbai - 400051, Maharashtra, India.

I have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **Small Industries Development Bank of India** (hereinafter called the SIDBI).

Based on my said verification of the SIDBI's books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the SIDBI and also the information provided by SIDBI during the conduct of secretarial audit, I hereby report that in my opinion, SIDBI has complied with the statutory provisions listed hereunder for the financial year ended on 31<sup>st</sup> March, 2023 and also that SIDBI has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner:

I have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the SIDBI for the financial year ended on 31<sup>st</sup> March 2023 according to the provisions of:

- (i) The Small Industries Development Bank of India Act, 1989 (SIDBI Act, 1989)
- (ii) Small Industries Development Bank of India General Regulations, 2000;
- (iii) The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made thereunder as amended;(Not Applicable to SIDBI during the Audit Period)
- (iv) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made thereunder as amended; (Not Applicable to SIDBI during the Audit Period)
- (v) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder as amended; (Not Applicable to SIDBI during the Audit Period)
- (vi) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings;(to the extent Applicable to SIDBI during the Audit Period)
- (vii) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'):
  - (a) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011; (Not Applicable to SIDBI during the Audit Period)
  - (b) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;
  - (c) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2015; (Not Applicable to SIDBI during the Audit Period)
  - (d) The Securities and Exchange Board of India (Employee Stock Option Scheme and Employee Stock Purchase Scheme) Guidelines, 1999 (Not Applicable to SIDBI during the Audit Period);
  - (e) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008; (to the extent Applicable to SIDBI during the Audit Period)
  - (f) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client; (to the extent Applicable to SIDBI during the Audit Period)
  - (g) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009; (Not Applicable to SIDBI during the Audit Period); and
  - (h) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 1998; (Not Applicable to SIDBI during the Audit Period).



I have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

- (a) Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India; (Not Applicable to SIDBI during the Audit Period)
- (b) The Listing Agreements entered into by SIDBI with the Stock Exchange viz NSE Ltd along with Reg. 15 to 27 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as applicable for respective periods.

During the period under review, SIDBI has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above.

**I further report that:**

- The Board of Directors of SIDBI is duly constituted with proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors and Independent Directors.
- Adequate notice is given to all Directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent in advance and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.
- All the resolutions were passed with consent of the majority of Directors.

**I further report that:**

- there are adequate systems and processes in SIDBI commensurate with the size and operations of SIDBI to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

I further report that during the audit period there were no specific events/ actions having a major bearing on SIDBI's affairs in pursuance of the above referred laws, rules, guidelines and standards.

**For: M/s. DEEP SHUKLA & ASSOCIATES  
COMPANY SECRETARIES  
(Peer Review Certificate No: 2093/2022)**

**DEEP SHUKLA  
{PROPRIETOR}**

**FCS: 5652  
CP NO.5364  
UDIN: F005652E000126674**

**Place: Mumbai**

**Date: 18/04/2023**

## Annexure to Secretarial Report and forming part of the report

To,

**The Members,**

**Small Industries Development Bank of India (SIDBI)**

Corp. Office: SIDBI, Swavalamban Bhavan,  
C-11, G-Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra East,  
Mumbai - 400051, Maharashtra, India.

I further state that my said report of the even date has to be read along with this letter.

1. Maintenance of Secretarial/ Statutory Records is the responsibility of the Management of SIDBI. My responsibility is to express an opinion on these records based on the audit.
2. I have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial Records.
3. I have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of SIDBI.
4. Wherever required I have obtained orally, the Management representation about the compliance of laws, rules and regulations and happenings of events etc.
5. The compliance of the provisions of corporate and other applicable laws, rules, regulations, standard is the responsibility of management. My examination is limited to the verification of procedures on test basis and shall not stand responsible for any non-compliance.
6. The Secretarial Audit report is neither an assurance as to the future viability of SIDBI nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of SIDBI.

Disclaimer: The compliance of the provisions of Corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of management. Further, based on clarification received from concerned officials, SIDBI was established and is governed by SIDBI Act, 1989 and SIDBI General regulation, 2000. SIDBI is in compliance with the regulations 15 to 27 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 to the extent it does not conflict with SIDBI Act, 1989 and SIDBI General regulations, 2000.

**For: M/s. DEEP SHUKLA & ASSOCIATES  
COMPANY SECRETARIES  
(Peer Review Certificate No: 2093/2022)**

**DEEP SHUKLA  
{PROPRIETOR}**

**FCS: 5652  
CP NO.5364  
UDIN: F005652E000126674**

**Place: Mumbai**

**Date: 18/04/2023**

**Annexure-III**  
**CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE**

[As per Part E of schedule V of SEBI (LODR)]

**To,**  
**The Members,**  
**Small Industries Development Bank of India (SIDBI)**  
Corp. Office: SIDBI, Swavalamban Bhavan,  
C-11, G-Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra East,  
Mumbai - 400051, Maharashtra, India.

I have examined the compliance with the conditions of Corporate Governance by Small Industries Development Bank of India ('the SIDBI') for the year ended March 31, 2023, as stipulated in the Reg. 15 to 27 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('the Listing Regulations'), to the extent as applicable.

Compliance of the conditions of Corporate Governance is the responsibility of the management. My examination was limited to a review of procedures and implementation thereof, adopted by SIDBI for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of SIDBI.

SIDBI is established and governed by SIDBI Act, 1989 and SIDBI General Regulation, 2000. Thus, Corporate Governance Structure and compliances are in accordance with applicability of the regulations 15 to 27 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 to the extent it does not conflict with SIDBI Act, 1989 and SIDBI General Regulations, 2000.

**For: M/s. DEEP SHUKLA & ASSOCIATES**  
**COMPANY SECRETARIES**  
(Peer Review Certificate No: 2093/2022)

**DEEP SHUKLA**  
**{PROPRIETOR}**

**FCS: 5652**  
**CP NO.5364**  
**UDIN: F005652E000126619**

**Place: Mumbai**  
**Date: 18/04/2023**

**Annexure-IV**  
**SECRETARIAL COMPLIANCE REPORT**

[Pursuant to Regulation 24A of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with SEBI Circular No. CIR/CFD/CMD1/27/2019 dated February 08, 2019]

**Annual Secretarial Compliance Report of "Small Industries Development Bank of India (SIDBI)" for the year ended March 31, 2023**

We, Deep Shukla & Associates have examined:

- (a) all the documents and records made available to us and explanation provided by **SIDBI** ("the high value Debt Listed Entity"),
- (b) the filings/ submissions made by the listed entity to the stock exchange(s),
- (c) website of the listed entity
- (d) other relevant document(s)/ filing, which has been relied upon to make this certification,

for the year ended March 31, 2023 ("Review Period") in respect of compliance with the provisions of:

- (a) The Small Industries Development Bank of India Act, 1989 (SIDBI Act, 1989);
- (b) Small Industries Development Bank of India General Regulations, 2000;
- (c) the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ("SEBI Act") and the Regulations, circulars, guidelines issued thereunder;
- (d) the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ("SCRA"), rules made thereunder and the Regulations, circulars, guidelines issued thereunder by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"); **[Not applicable during the review period]**;
- (e) Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021

The specific Regulations, whose provisions and the circulars/ guidelines issued thereunder, have been examined, are-

- (a) Regulations to the extent as applicable as per Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015; duly updated;
- (b) Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018; **[Not applicable during the review period]**
- (c) Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011; **[Not applicable during the review period]**
- (d) Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 2018; **[Not applicable during the review period]**
- (g) Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014; **[Not applicable during the review period]**
- (h) Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008 as amended; (to the extent as applicable)
- (i) Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible and Redeemable Preference Shares) Regulations, 2013; **[Not applicable during the review period]**
- (j) Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;
- (k) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993, as amended;
- (l) The Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustee) Regulations, 2022;
- (m) The Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008; **[Not applicable during the review period]**
- (n) Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participant) Regulations, 2018; and circulars/guidelines issued thereunder;

We hereby report that, during the review period the compliance status of the listed entity is appended below:

Sr. No.	Particulars	Compliance status (Yes/ No/ NA)	Observations/ Remarks of the Practicing Company Secretary
1.	<u>Secretarial Standards:</u> The compliances of the listed entity are in accordance with the applicable Secretarial Standards (SS) issued by the Institute of Company Secretaries India (ICSI)	NA	SIDBI is established and is governed by SIDBI Act, 1989 and SIDBI General regulation, 2000
2.	<u>Adoption and timely updation of the Policies:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>All applicable policies under SEBI Regulations are adopted with the approval of Board of Directors of the listed entities</li> <li>All the policies are in conformity with SEBI Regulations and has been reviewed &amp; timely updated as per the regulations/ circulars/ guidelines issued by SEBI</li> </ul>	Yes	-
3.	<u>Maintenance and disclosures on Website:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>The Listed entity is maintaining a functional website.</li> <li>Timely dissemination of the documents/ information under a separate section on the website.</li> <li>Web-links provided in annual corporate governance reports under Regulation 27(2) are accurate and specific which re-directs to the relevant document(s)/ section of the website.</li> </ul>	Yes	-
4.	<u>Disqualification of Director:</u> None of the Director of the Company are disqualified under Section 164 of Companies Act, 2013	NA	SIDBI is established and governed by SIDBI Act, 1989 and SIDBI General Regulation, 2000
5.	<u>To examine details related to Subsidiaries of listed entities:</u> (a) Identification of material subsidiary companies (b) Requirements with respect to disclosure of material as well as other subsidiaries	Yes	-
6.	<u>Preservation of Documents:</u> The listed entity is preserving and maintaining records as prescribed under SEBI Regulations and disposal of records as per Policy of Preservation of Documents and Archival policy prescribed under SEBI LODR Regulations, 2015.	Yes	-
7.	<u>Performance Evaluation:</u> The listed entity has conducted performance evaluation of the Board, Independent Directors and the Committees at the start of every financial year as prescribed in SEBI Regulations	No	Framing of such policies is in process
8.	<u>Related Party Transactions:</u> (a) The listed entity has obtained prior approval of Audit Committee for all Related party transactions (b) In case no prior approval obtained, the listed entity shall provide detailed reasons along with confirmation whether the transactions were subsequently approved/ ratified/rejected by the Audit committee	Yes	The SIDBI has ratified all the related party transactions for the period 1 <sup>st</sup> April, 2022 to 31 <sup>st</sup> December, 2022 and has taken the prior approval for the 4 <sup>th</sup> quarter.
9.	<u>Disclosure of events or information:</u> The listed entity has provided all the required disclosure(s) under Regulation 30 along with Schedule III of SEBI LODR Regulations, 2015 within the time limits prescribed thereunder.	NA	Reg. 30 of SEBI LODR is not applicable to SIDBI
10.	<u>Prohibition of Insider Trading:</u> The listed entity is in compliance with Regulation 3(5) & 3(6) SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015	Yes	-
11.	<u>Actions taken by SEBI or Stock Exchange(s), if any:</u> No Actions taken against the listed entity/ its promoters/ directors/ subsidiaries either by SEBI or by Stock Exchanges (including under the Standard Operating Procedures issued by SEBI through various circulars) under SEBI Regulations and circulars/ guidelines issued thereunder	The SIDBI has received penalty under Reg. 6(1)	SIDBI has submitted the waiver application to NSE and order is awaited
12.	<u>Additional Non-compliances, if any:</u> No additional non-compliance observed for all SEBI regulation / circular / guidance note etc.	No	No additional non-compliance observed for all SEBI regulation / circular / guidance note etc.

- The listed entity has complied with the provisions of the above Regulations and circulars/ guidelines issued thereunder, except in respect of matters specified below:

Sr. No	Compliance Requirement (Regulations/ circulars / guidelines including specific clause)	Regulation/ Circular No.	Deviations	Action Taken by	Type of Action Advisory/ Clarification / Fine/ Show Cause Notice/ Warning, etc.	Detail is of Violation	Fine Amount	Observations/ Remarks of the Practicing Company Secretary	Management Response	Remarks
NOT APPLICABLE										

- The listed entity has taken the following actions to comply with the observations made in previous reports:

Sr. No	Compliance Requirement (Regulations/ circulars / guidelines including specific clause)	Regulation/ Circular No.	Deviations	Action Taken by	Type of Action Advisory/ Clarification / Fine/ Show Cause Notice/ Warning, etc.	Detail is of Violation	Fine Amount	Observations/ Remarks of the Practicing Company Secretary	Management Response	Remarks
NOT APPLICABLE										

**Disclaimer:** The compliance of the provisions of Corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of management. Further, based on clarification received from concerned officials, SIDBI established and is governed by SIDBI Act, 1989 and SIDBI General regulation, 2000. SIDBI is in compliance with the regulations 15 to 27 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 to the extent it does not conflict with SIDBI Act, 1989 and SIDBI General regulations, 2000.

**For: M/s. DEEP SHUKLA & ASSOCIATES  
COMPANY SECRETARIES**  
(Peer Review Certificate No: 2093/2022)

**DEEP SHUKLA  
{PROPRIETOR}**

**FCS: 5652  
CP NO.5364  
UDIN:F005652E000134869**

**Place: Mumbai**

**Date: 18/04/2023**



## **Appendix I**

Audited Balance Sheet along with  
Profit and Loss Account  
and Cash Flow Statement of SIDBI

# Independent Auditor's Report

The Board of Directors

Small Industries Development Bank of India

## Report on the Audit of the Standalone Financial Statements

### Opinion

We have audited the accompanying standalone financial statements of **Small Industries Development Bank of India** ('the Bank'), which comprise the standalone Balance Sheet as at March 31, 2023, the standalone Profit and Loss Account, the standalone Cash Flow statement for the year then ended and notes to the standalone financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid standalone financial statements give the information required in accordance with Regulation 14(1) of the Small Industries Development Bank of India General Regulations, 2000 and give a true and fair view, in conformity with the Accounting Standards notified by the Institute of Chartered Accountants of India ("the ICAI") and accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Bank as at March 31, 2023, and its profit and its cash flows for the year ended on that date.

### Description of Key Audit Matters

Key Audit Matter	How our audit addressed the Key Audit Matters
<p><b>Classification of Advances, Identification of Non-Performing Advances, Income Recognition and Provision on Advances (Schedule VIII read with Note 6 of Schedule XV to the standalone financial statements)</b></p> <p>(i) Advances include Refinance loans to banks, Financial Institutions, Micro Finance Institutions and NBFCs; and Direct loans including Cash credits, Overdrafts, Loans repayable on demand and Term loans.</p> <p>The Reserve Bank of India ('RBI') has prescribed the 'Prudential Norms on Income Recognition, Asset Classification and Provisioning' in respect of advances for banks ('IRACP Norms').</p> <p>The identification of performing and non-performing advances (including advances restructured under applicable IRACP Norms) involves establishment of proper mechanism and the Bank is required to apply significant degree of judgement to identify and determine the amount of provision required against each advance applying both quantitative as well as qualitative factors prescribed by the regulations.</p>	<p>Our audit approach / procedures towards Classification of Advances, Identification of Non-performing Advances, Income Recognition and Provision on Advances included the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Understanding and considering the Bank's accounting policies for NPA identification and provisioning and assessing compliance with the prudential norms prescribed by the RBI (IRACP Norms), including the additional provisions and asset classification benefit extended on restructured advances.</li> <li>- Understanding the key controls (including system based automated controls) for identification and provisioning of impaired accounts based on the extant guidelines on IRACP laid down by the RBI.</li> </ul>

### Basis for Opinion

We conducted our audit of the standalone financial statements in accordance with the Standards on Auditing ('SAs') issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Our responsibilities under those Standards are further described in the 'Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements' section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the "Code of Ethics" issued by the Institute of Chartered Accountants of India and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the standalone financial statements.

### Key Audit Matters

Key Audit Matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the standalone financial statements for the financial year ended March 31, 2023. These matters were addressed in the context of our audit of the standalone financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. For each matter below, our description of how our audit addressed the matter is provided in that context.

Key Audit Matter	How our audit addressed the Key Audit Matters
<p>Significant judgements and estimates for NPA identification and provisioning could give rise to material misstatements on:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Completeness and timing of recognition of non-performing assets in accordance with criteria as per IRACP norms;</li> <li>- Measurement of the provision for non-performing assets based on loan exposure, ageing and classification of the loan, realizable value of security;</li> <li>- Appropriate reversal of unrealized income on the NPAs.</li> </ul> <p>Since the classification of advances, identification of NPAs and creation of provision on advances (including additional provisions on restructured advances under applicable IRACP Norms) and income recognition on advances:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Requires proper control mechanism and significant level of estimation by the Bank;</li> <li>- Has significant impact on the overall financial statements of the Bank;</li> </ul> <p>we have ascertained this area as a Key Audit Matter.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Performing other procedures including substantive audit procedures covering the identification of NPAs by the Bank. These procedures included: <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Considering testing of the exception reports generated from the application systems where the advances have been recorded.</li> <li>(b) Considering the accounts reported by the Bank and other banks as Special Mention Accounts ("SMA") in RBI's central repository of information on large credits (CRILC) to identify stress.</li> <li>(c) Reviewing account statements, drawing power calculation, security and other related information of the borrowers selected based on quantitative and qualitative risk factors</li> <li>(d) Reading of minutes of credit and risk committee meetings and performing inquiries with the Bank to ascertain if there were indicators of stress or an occurrence of an event of default in a loan account or any product.</li> <li>(e) Considering key observations arising out of Internal Audits and Concurrent Audits conducted as per the policies and procedures of the Bank.</li> <li>(f) Considering the RBI Financial Inspection report on the Bank, the Bank's response to the observations and other communication with RBI during the year</li> <li>(g) Reviewing the report submitted by external expert appointed by the Bank to verify compliance with the RBI circular on Automation of IRACP processes through the Bank's core banking system.</li> <li>(h) Examination of advances including stressed/restructured advances on a sample basis with respect to compliance with the RBI Master Circulars / Guidelines.</li> <li>(i) Seeking independent confirmation of account balances for sample borrowers.</li> <li>(j) Visits to branches/offices and examination of documentation and other records relating to advances.</li> </ul> </li> </ul> <p>For Non- performing advances identified, we, based on factors including stressed sectors and account materiality, tested on a sample basis the asset classification dates, reversal of unrealized interest, value of available security and provisioning as per IRACP norms. We recomputed the provision for NPA on such samples after considering the key input factors and compared our measurement outcome to that prepared by management.</p>

Key Audit Matter	How our audit addressed the Key Audit Matters
<p>(ii) <b>Valuation of Investments, Identification of and provisioning for Non-Performing Investments (Schedule VII read with Note 3 of Schedule XV to the standalone financial statements)</b></p> <p>Investments are categorized under Treasury operations and Business Operations. Investments include investments made by the Bank in Central and State Governments Securities, Bonds, Debentures, Shares, Mutual Funds, VCFs and other approved securities. RBI Circulars and directives, inter-alia, cover valuation of investments, classification of investments, identification of non-performing investments, non-recognition of income and provisioning against non-performing investments.</p> <p>The valuation of each category (type) of the aforesaid securities is to be done as per the method prescribed in circulars and directives issued by the RBI which involves collection of data/information from various sources such as FBIL/FIMMDA rates, rates quoted on BSE/NSE, financial statements of unlisted companies etc.</p> <p>We identified valuation of investments and identification of NPI as a Key Audit Matter because of the management judgement involved in determining the value of certain investments (Bonds and Debentures, VCFs) based on applicable Regulatory guidelines and the Bank's policies, impairment assessment for HTM book based on management judgement, the degree of regulatory focus and the overall significance to the financial results of the Bank.</p>	<p>Our audit approach/procedures towards Investments with reference to the RBI Circulars/directives included the understanding of internal controls and substantive audit procedures in relation to valuation, classification, identification of non-performing investments (NPIs) and provisioning/depreciation related to Investments. In particular -</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- We evaluated and understood the Bank's internal control system to comply with relevant RBI guidelines regarding valuation, classification, identification of NPIs, reversal of income on NPIs and provisioning/depreciation related to investments;</li> <li>- We assessed and evaluated the process adopted for collection of information from various sources for determining market value of these investments;</li> <li>- For the selected sample of investments in hand, we tested accuracy and compliance with the RBI Master Circulars and directions by re-performing valuation for each category of the security;</li> <li>- We carried out substantive audit procedures to recompute independently the provision to be maintained in accordance with the circulars and directives of the RBI. Accordingly, we selected samples from the investments of each category and tested for NPIs as per the RBI guidelines and recomputed the provision to be maintained and if accrual of income is in accordance with the RBI Circular for those selected sample of NPIs.</li> </ul>
<p>(iii) <b>Information Technology ('IT') Systems and Controls for financial reporting</b></p> <p>The Bank's key financial accounting and reporting processes are highly dependent on information systems including automated controls in systems, such that there exists a risk that gaps in the IT control environment could result in the financial accounting and reporting records being materially misstated.</p> <p>Due to the pervasive nature and complexity of the IT environment as well as its importance in relation to accurate and timely financial reporting, we have identified this area as a Key Audit Matter.</p>	<p>As a part of our audit procedures for review of the Bank's IT systems and related controls for financial reporting:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- We tested the design and operating effectiveness of the Bank's IT systems and controls that are critical to financial reporting.</li> <li>- The Bank has a system in place for getting application software audits for identified Application Systems at reasonable intervals. Information System (IS) Audit is done by Bank at reasonable intervals.</li> <li>- We reviewed key observations arising out of audits conducted on the Bank's IT systems during the year</li> </ul>

Key Audit Matter	How our audit addressed the Key Audit Matters
<p>(iv) <b>Assessment of Provisions and Contingent Liabilities (Note 10 and Note 12 of Schedule XV to the standalone financial statements)</b></p> <p>Assessment of Provisions and Contingent liabilities in respect of certain litigations including Direct Taxes, various claims filed by other parties not acknowledged as debt (Schedule XI to the standalone financial statements) and various employee benefits schemes (Schedule V to the standalone financial statements) was identified as a significant audit area.</p> <p>There is high level of judgement involved in estimating the level of provisioning required as well as in the disclosure of both Provisions and Contingent Liabilities in respect of tax matters and other legal claims. The Bank's assessment is supported by the facts of matter, their own judgment, past experience, and advice from legal and independent tax consultants wherever considered necessary. Accordingly, unexpected adverse outcomes may significantly impact the Bank's reported profit and state of affairs presented in the Balance Sheet.</p> <p>The valuations of the employee benefit liabilities are calculated with reference to multiple actuarial assumptions and inputs including discount rate, rate of inflation and mortality rates. The valuation of funded assets in respect of the same is also sensitive to changes in the assumptions.</p> <p>We determined the above area as a Key Audit Matter in view of associated uncertainty relating to the outcome of the matters which requires application of judgment in interpretation of law, circumstances of each case and estimates involved.</p>	<p>Our audit approach / procedures involved:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Understanding the current status of the litigations/ tax assessments;</li> <li>- Examining recent orders and/or communication received from various tax authorities/ judicial forums and follow up action thereon;</li> <li>- Evaluating the merit of the subject matters identified as significant, with reference to the grounds presented therein and available independent legal / tax advice including opinion of the Bank's tax consultants;</li> <li>- Review and evaluation of the contentions of the Bank through discussions, collection of details of the subject matter under consideration, the likely outcome and consequent potential outflows on those issues; and</li> <li>- Ensuring completeness and accuracy of the data, the measurement of the fair value of the schemes' assets, understanding the judgements made in determining the assumptions used by management to value the employee liabilities with specific schemes and market practice.</li> <li>- Our audit procedures included an assessment of some assumptions used by the actuary by comparing life expectancy assumptions with relevant mortality tables, benchmarking inflation and discount rates against external market data. We verified the value of plan assets to the statements provided by asset management companies managing the plan assets.</li> <li>- Verification of disclosures related to significant litigations, taxation matters and Employee benefits liabilities in the standalone financial statements.</li> </ul>

### Information other than the standalone Financial Statements and Auditor's Report Thereon

The Bank's Management is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the Annual Report, but does not include the standalone financial statements and our auditor's report thereon. The Bank's annual report is expected to be made available to us after the date of this auditor's report.

Our opinion on the standalone financial statements does not cover the other information and we will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the standalone financial statements, our responsibility is to read the other information when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the

standalone financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated. When we read the Bank's annual report, if we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to communicate the matter to those charged with governance.

### Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the standalone Financial Statements

The Bank's Management is responsible with respect to the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the Small Industries Development Bank of India General Regulations, 2000, and accounting principles generally accepted in India including the Accounting Standards issued

by ICAI, and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the standalone financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the standalone financial statements, Management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Bank's Management are also responsible for overseeing the Bank's financial reporting process.

### **Auditor's Responsibilities for the audit of the standalone Financial Statements**

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the standalone financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these standalone financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the standalone financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the

purpose of expressing an opinion on the effectiveness.

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures in the standalone financial statements made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the standalone financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Bank to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the standalone financial statements, including the disclosures, and whether the standalone financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of the misstatements in the standalone financial statements that, individually or aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning of the scope of our audit work and evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatement in the financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the standalone financial statements for the financial year ended March 31, 2023 and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse



consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

### Other Matters

These standalone Financial Results incorporate the relevant returns of 26 branches visited/audited by us including Head Office which covers 96.30% of Advances, 99.30% of deposits and 100% of Borrowings as on 31st March 2023 and 95.09% of Interest income on advances, 99.19% of interest expense on deposits and 100% of interest expense on borrowings for the year ended 31st March 2023. These branches have been selected in consultation with the management of the Bank. In conduct of our audit, we have relied upon various information and returns received from remaining branches of the Bank not visited by us and generated through centralized database at Head Office.

Our opinion is not modified in respect of the above matter.

### Report on Other Legal and Regulatory Requirements

The standalone Balance Sheet and the standalone Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with the provisions of Regulation 14 (i) of the Small Industries Development Bank of India General Regulations, 2000.

We report that:

- (a) We have sought and obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purpose of our audit and have found them to be satisfactory;

- (b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank;
- (c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.
- (d) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us;
- (e) The standalone Balance Sheet, the standalone Profit and Loss Account, the standalone Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with the books of account;
- (f) In our opinion, the aforesaid standalone financial statements comply with the applicable Accounting Standards.

For **Borkar & Muzumdar**  
Chartered Accountants  
Firm's Registration No. 101569W

**Darshit Doshi**  
Partner

Place: Mumbai  
Date: May 12, 2023

Membership No. 133755  
UDIN: 23133755BGQTYO2276

# Balance Sheet

as at March 31, 2023

(Amount in ₹)

		March 31, 2023	March 31, 2022
<b>CAPITAL AND LIABILITIES</b>			
	<b>Schedules</b>		
Capital	I	5,68,54,11,690	5,68,54,11,690
Reserves, Surplus and Funds	II	2,72,40,69,75,549	2,40,14,53,18,104
Deposits	III	16,50,36,14,64,621	14,08,78,42,74,899
Borrowings	IV	20,06,57,92,03,549	7,57,12,43,67,199
Other Liabilities and Provisions	V	88,79,41,95,410	62,04,01,28,691
Deferred Tax Liability		-	74,55,585
<b>Total</b>		<b>40,23,82,72,50,819</b>	<b>24,73,78,69,56,168</b>
<b>ASSETS</b>			
Cash and Bank Balances	VI	1,21,08,82,02,380	1,79,18,31,07,719
Investments	VII	2,90,88,65,76,872	2,39,51,55,92,224
Loans & Advances	VIII	35,64,39,06,80,346	20,22,51,78,47,539
Fixed Assets	IX	2,96,39,45,951	2,93,12,40,397
Other Assets	X	44,49,78,45,270	29,63,91,68,289
<b>Total</b>		<b>40,23,82,72,50,819</b>	<b>24,73,78,69,56,168</b>
Contingent Liabilities	XI	45,13,44,11,010	53,37,90,27,297
Significant Accounting Policies	XV		
Notes to Accounts	XVI		

The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.

As per our report of even date

BY ORDER OF THE BOARD

For **Borkar & Muzumdar**  
Chartered Accountants  
FRN.101569W

**Ajit Nath Jha**  
Chief Financial Officer

**Sudatta Mandal**  
Deputy Managing Director

**V. Satya Venkata Rao**  
Deputy Managing Director

**Sivasubramanian Ramann**  
Chairman & Managing Director

**Darshit Doshi**  
Partner  
M.No. 133755

**G Gopalakrishna**  
Director

**Amit Tandon**  
Director

Place: Mumbai  
Date: May 12, 2023

# Profit & Loss Account

for the year ended March 31, 2023

(Amount in ₹)

		March 31, 2023	March 31, 2022
<b>INCOME</b>	<b>Schedules</b>		
Interest and Discount	XII	1,79,53,53,96,172	87,14,12,26,980
Other Income	XIII	5,31,27,81,800	4,25,05,99,071
<b>Total</b>		<b>1,84,84,81,77,972</b>	<b>91,39,18,26,051</b>
<b>EXPENDITURE</b>			
Interest & Financial charges		1,24,05,66,16,459	57,01,62,91,566
Operating Expenses	XIV	8,23,53,29,635	6,97,72,15,759
Provisions & Contingencies		8,58,14,07,506	3,51,81,16,045
<b>Total</b>		<b>1,40,87,33,53,600</b>	<b>67,51,16,23,370</b>
<b>Profit before Tax</b>		<b>43,97,48,24,372</b>	<b>23,88,02,02,681</b>
Provision for Income Tax		12,39,91,57,313	4,11,57,81,000
Deferred Tax Adjustment [(Asset) / Liability]		(1,86,00,74,573)	18,65,33,000
<b>Profit after Tax</b>		<b>33,43,57,41,632</b>	<b>19,57,78,88,681</b>
Profit brought forward		40,00,00,000	53,97,00,680
<b>Total Profit / (Loss)</b>		<b>33,83,57,41,632</b>	<b>20,11,75,89,361</b>
<b>Appropriations</b>			
Transfer to General Reserve		31,11,88,59,294	18,00,41,43,423
Transfer to Special reserve u/s 36(1)(viii) of The Income Tax Act, 1961		80,00,00,000	70,00,00,000
<b>Others</b>			
Transfer to Investment Fluctuation Reserve		-	10,96,07,912
Transfer to Staff Welfare Fund		11,11,00,000	10,56,54,000
Dividend on Shares		1,13,70,82,338	79,81,84,026
Tax on Dividend		-	-
Surplus in Profit & Loss account carried forward		66,87,00,000	40,00,00,000
<b>Total</b>		<b>33,83,57,41,632</b>	<b>20,11,75,89,361</b>
Basic/Diluted Earning Per Share		58.81	36.79
Significant Accounting Policies	XV		
Notes to Accounts	XVI		
The Schedules referred to above form an integral part of the Profit & Loss Account.			

As per our report of even date

BY ORDER OF THE BOARD

For **Borkar & Muzumdar** **Ajit Nath Jha**  
Chartered Accountants Chief Financial Officer  
FRN.101569W

**Sudatta Mandal**  
Deputy Managing Director

**V. Satya Venkata Rao**  
Deputy Managing Director

**Sivasubramanian Ramann**  
Chairman & Managing Director

**Darshit Doshi**  
Partner  
M.No. 133755

**G Gopalakrishna**  
Director

**Amit Tandon**  
Director

Place: Mumbai  
Date: May 12, 2023

## Schedules to Balance Sheet

### Capital and Liabilities

(Amount in ₹)

Schedule I: Capital	March 31, 2023	March 31, 2022
<b>(a) Authorized Capital</b>	10,00,00,00,000	10,00,00,00,000
- Equity Share Capital (75,00,00,000 Equity Shares of ₹10/- each)	7,50,00,00,000	7,50,00,00,000
- Preference Share Capital (25,00,00,000 Redeemable Preference Shares of ₹10/- each)	2,50,00,00,000	2,50,00,00,000
<b>(b) Issued, Subscribed and Paid-up Capital :</b>	5,68,54,11,690	5,68,54,11,690
- Equity Share Capital (56,85,41,169 Equity Shares of ₹10/- each)	5,68,54,11,690	5,68,54,11,690
- Preference Share Capital	-	-
<b>Total</b>	<b>5,68,54,11,690</b>	<b>5,68,54,11,690</b>

(Amount in ₹)

Schedule II: Reserves, Surplus and Funds	March 31, 2023	March 31, 2022
<b>A) Reserves</b>		
<b>i) General Reserve</b>		
- Opening Balance	1,87,23,92,80,623	1,69,23,51,37,200
- Additions during the year	31,11,88,59,294	18,00,41,43,423
- Utilisations during the year	-	-
- <b>Closing Balance</b>	<b>2,18,35,81,39,917</b>	<b>1,87,23,92,80,623</b>
<b>ii) Share Premium</b>		
- Opening Balance	30,54,25,88,310	16,68,07,79,690
- Additions during the year	-	13,86,18,08,620
- Utilisations during the year	-	-
- <b>Closing Balance</b>	<b>30,54,25,88,310</b>	<b>30,54,25,88,310</b>
<b>iii) Specific Reserves</b>		
a) Investment Reserve		
- Opening Balance	-	-
- Additions during the year	-	-
- Utilisations during the year	-	-
- <b>Closing Balance</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
b) Special Reserve created and maintained u/s 36 (1) (viii) of The Income Tax Act, 1961		
- Opening Balance	17,72,00,00,000	17,02,00,00,000
- Additions during the year	80,00,00,000	70,00,00,000
- Utilisations during the year	-	-
- <b>Closing Balance</b>	<b>18,52,00,00,000</b>	<b>17,72,00,00,000</b>
c) Other Reserves		
i) Investment Fluctuation Reserve		
- Opening Balance	1,25,89,52,956	1,14,93,45,044
- Additions during the year	-	10,96,07,912
- Utilisations during the year	-	-
- <b>Closing Balance</b>	<b>1,25,89,52,956</b>	<b>1,25,89,52,956</b>

## Schedules to Balance Sheet

(Amount in ₹)

<b>Schedule II: Reserves, Surplus and Funds</b>	<b>March 31, 2023</b>	<b>March 31, 2022</b>
<b>B) Surplus in Profit and Loss Accounts</b>	<b>66,87,00,000</b>	<b>40,00,00,000</b>
<b>C) Funds</b>		
a) National Equity Fund		
- Opening Balance	2,65,61,42,832	2,65,61,42,832
- Additions / Write back during the year	-	-
- Utilisations during the year	-	-
- <b>Closing Balance</b>	<b>2,65,61,42,832</b>	<b>2,65,61,42,832</b>
b) Staff Welfare Fund		
- Opening Balance	32,83,53,383	28,17,87,187
- Additions during the year	11,11,00,000	10,56,54,000
- Utilisations during the year	3,70,01,849	5,90,87,804
- <b>Closing Balance</b>	<b>40,24,51,534</b>	<b>32,83,53,383</b>
c) Others	-	-
<b>Total</b>	<b>2,72,40,69,75,549</b>	<b>2,40,14,53,18,104</b>

(Amount in ₹)

<b>Schedule III: Deposits</b>	<b>March 31, 2023</b>	<b>March 31, 2022</b>
<b>A) Fixed Deposits</b>	<b>86,76,48,78,620</b>	<b>86,10,40,72,379</b>
<b>B) From Banks</b>		
a) Under MSME Refinance Fund	15,28,76,15,16,000	12,74,31,35,25,000
b) Under MSME Risk Capital Fund	-	5,00,00,00,000
c) Others -From Foreign & Private Sector Banks	19,84,10,00,000	7,93,64,00,000
d) Under MSME India Aspiration Fund	14,99,40,70,001	10,43,02,77,520
e) Under Fund for Venture Capital in MSME sector 2014-15	-	25,00,00,00,000
<b>Subtotal (B)</b>	<b>15,63,59,65,86,001</b>	<b>13,22,68,02,02,520</b>
<b>Total</b>	<b>16,50,36,14,64,621</b>	<b>14,08,78,42,74,899</b>

(Amount in ₹)

<b>Schedule IV: Borrowings</b>	<b>March 31, 2023</b>	<b>March 31, 2022</b>
<b>I) Borrowings in India</b>		
1. From Reserve Bank of India	1,59,00,00,00,000	1,44,20,00,00,000
2. From Government of India (including Bonds subscribed by GOI )	5,17,27,06,344	5,62,06,57,105
3. Bonds & Debentures	4,67,55,00,00,000	1,62,85,00,00,000
4. From Other Sources		
- Commercial Paper	3,94,25,00,00,000	50,00,00,00,000
- Certificate of Deposits	2,46,35,00,00,000	1,49,00,00,00,000
- Term Loans from Banks	5,86,43,95,28,678	1,68,89,90,51,099
- Term Money Borrowings	-	-
- Others	1,05,40,96,07,622	25,66,91,30,100
<b>Subtotal (I)</b>	<b>19,64,17,18,42,644</b>	<b>7,06,23,88,38,304</b>

## Schedules to Balance Sheet

(Amount in ₹)

<b>Schedule IV: Borrowings</b>	<b>March 31, 2023</b>	<b>March 31, 2022</b>
<b>II) Borrowings outside India</b>		
(a) KFW, Germany	3,70,76,76,702	5,60,16,04,462
(b) Japan International Cooperation Agency (JICA)	10,79,57,17,856	14,92,77,01,680
(c) IFAD, Rome	1,05,46,39,489	1,05,67,31,387
(d) World Bank	26,31,12,58,470	28,29,18,43,248
(e) Others	53,80,68,387	1,00,76,48,118
<b>Subtotal (II)</b>	<b>42,40,73,60,905</b>	<b>50,88,55,28,895</b>
<b>Total (I &amp; II)</b>	<b>20,06,57,92,03,549</b>	<b>7,57,12,43,67,199</b>

(Amount in ₹)

<b>Schedule V: Other Liabilities and Provisions:</b>	<b>March 31, 2023</b>	<b>March 31, 2022</b>
Interest Accrued	27,67,89,02,900	15,72,51,17,292
Provision for SIDBI Employees' Provident Fund	3,93,85,26,360	3,61,97,08,540
Provision for SIDBI Pension Fund	44,04,31,465	16,01,409
Provision for Employees' Other Benefit	1,90,38,47,208	2,85,12,10,104
Provisions for Exchange Rate Fluctuation	1,53,73,62,766	1,53,73,62,766
Contingent provisions against standard assets	17,57,93,51,338	10,64,84,57,633
Proposed Dividend (including tax on dividend)	1,13,70,82,338	79,81,84,026
Funds viz. Aspire Fund, FoF for Startups, PRF, PRSF etc.	23,12,59,58,271	15,15,42,51,789
Floating provision	4,95,67,37,932	4,95,67,37,932
Others (including provisions)	6,49,59,94,832	6,74,74,97,200
<b>Total</b>	<b>88,79,41,95,410</b>	<b>62,04,01,28,691</b>



## Schedules to Balance Sheet

### Assets

(Amount in ₹)

<b>Schedule VI: Cash &amp; Bank Balances</b>	<b>March 31, 2023</b>	<b>March 31, 2022</b>
1. Cash in Hand & Balances with Reserve Bank of India	6,02,342	7,18,409
2. Balances with other Banks		
<b>(a) In India</b>		
i) in current accounts	6,25,83,58,601	91,24,22,715
ii) in other deposit accounts	1,12,07,41,43,932	1,75,01,86,87,955
<b>(b) Outside India</b>		
i) in current accounts	4,89,40,573	1,63,27,034
ii) in other deposit accounts	2,70,61,56,932	3,23,49,51,606
<b>Total</b>	<b>1,21,08,82,02,380</b>	<b>1,79,18,31,07,719</b>

(Amount in ₹)

<b>Schedule VII: Investments [net of provisions]</b>	<b>March 31, 2023</b>	<b>March 31, 2022</b>
<b>A) Treasury operations</b>		
1. Securities of Central and State Governments	1,48,12,97,19,214	39,90,00,85,004
2. Bonds & Debentures of Banks & Financial Institutions	21,81,08,38,302	31,31,54,82,382
3. Stocks, Shares, Bonds & Debentures of Industrial Concerns	84,44,58,856	1,98,08,42,613
4. Mutual Funds	-	19,99,90,00,050
5. Commercial Paper	26,05,26,90,303	50,04,99,24,399
6. Certificate of Deposit	62,98,61,30,050	56,46,67,59,624
7. Others	-	9,00,00,00,000
<b>Subtotal (A)</b>	<b>2,59,82,38,36,725</b>	<b>2,08,71,20,94,072</b>
<b>B) Business Operations</b>		
1. Shares of Banks & Financial Institutions	1,61,51,09,702	1,84,97,71,142
2. Bonds & Debentures of Banks & Financial Institutions	-	-
3. Stocks, Shares, bonds & Debentures of Industrial Concerns	5,34,48,59,563	3,82,86,98,845
4. Investment in Subsidiaries	17,51,04,98,740	17,51,04,98,740
5. Investment in Venture Capital Fund - RCF	5,24,72,57,872	6,31,40,45,945
6. Others	1,34,50,14,270	1,30,04,83,480
<b>Subtotal (B)</b>	<b>31,06,27,40,147</b>	<b>30,80,34,98,152</b>
<b>Total (A+B)</b>	<b>2,90,88,65,76,872</b>	<b>2,39,51,55,92,224</b>

(Amount in ₹)

<b>Schedule VIII: Loans &amp; Advances [Net of Provisions]</b>	<b>March 31, 2023</b>	<b>March 31, 2022</b>
<b>A) Refinance to</b>		
- Banks and Financial Institutions	29,81,73,24,72,128	16,68,31,69,50,653
- Micro Finance Institutions	48,99,64,96,339	31,17,68,62,498
- NBFC	3,34,14,66,70,997	1,79,35,18,01,997
- Bills Rediscounted	-	-
<b>Subtotal (A)</b>	<b>33,64,87,56,39,464</b>	<b>18,78,84,56,15,148</b>
<b>B) Direct Loans</b>		
- Loans and Advances	1,93,97,14,30,050	1,43,30,55,40,693
- Receivable Finance Scheme	9,23,64,439	3,07,84,956
- Bills Discounted	5,45,12,46,393	33,59,06,742
<b>Subtotal (B)</b>	<b>1,99,51,50,40,882</b>	<b>1,43,67,22,32,391</b>
<b>Total (A+B)</b>	<b>35,64,39,06,80,346</b>	<b>20,22,51,78,47,539</b>

## Schedules to Balance Sheet

(Amount in ₹)

<b>Schedule IX: Fixed Assets [Net of Depreciation]</b>	<b>March 31, 2023</b>	<b>March 31, 2022</b>
1. Premises	2,92,87,49,254	2,89,84,36,991
2. Others	3,51,96,697	3,28,03,406
<b>Total</b>	<b>2,96,39,45,951</b>	<b>2,93,12,40,397</b>

(Amount in ₹)

<b>Schedule X: Other Assets:</b>	<b>March 31, 2023</b>	<b>March 31, 2022</b>
Accrued Interest	15,51,50,83,888	14,76,59,58,673
Advance Tax (Net of provision)	1,91,87,79,755	1,70,86,89,498
Staff Loans	1,95,26,21,807	1,79,12,15,676
Derivative Assets	5,41,20,83,018	4,29,61,53,456
Expenditure to the extent not written off	17,27,27,73,419	6,61,38,10,576
Others	2,42,65,03,383	46,33,40,410
<b>Total</b>	<b>44,49,78,45,270</b>	<b>29,63,91,68,289</b>

(Amount in ₹)

<b>Schedule XI: Contingent Liabilities</b>	<b>March 31, 2023</b>	<b>March 31, 2022</b>
i) Claims against the Bank not acknowledged as debts	9,64,85,12,907	6,56,25,72,519
ii) On account of Guarantees / Letters of Credit	42,97,75,967	31,50,24,390
iii) On account of Forward Contracts	16,78,26,751	6,51,81,80,889
iv) On account of Underwriting Commitments	-	-
v) On account of uncalled monies on partly paid shares, debentures & undrawn commitment under VCF etc.	1,27,42,87,728	95,64,22,740
vi) On account of derivative contracts	33,61,40,07,657	39,02,68,26,759
vii) Other items for which the Bank is contingently liable	-	-
<b>Total</b>	<b>45,13,44,11,010</b>	<b>53,37,90,27,297</b>

## Schedules to Profit & Loss Account

(Amount in ₹)

<b>Schedule XII: Interest and Discount</b>	<b>March 31, 2023</b>	<b>March 31, 2022</b>
1. Interest and Discount on Loans, Advances and Bills	1,51,72,88,51,545	74,74,57,32,819
2. Income on Investments / Bank balances	27,80,65,44,627	12,39,54,94,161
<b>Total</b>	<b>1,79,53,53,96,172</b>	<b>87,14,12,26,980</b>

(Amount in ₹)

<b>Schedule XIII: Other Income:</b>	<b>March 31, 2023</b>	<b>March 31, 2022</b>
1. Upfront and Processing Fees	78,08,41,042	45,49,25,710
2. Commission and Brokerage	1,09,30,972	78,19,049
3. Profit on sale of Investments	44,63,03,402	70,43,74,178
4. Income earned by way of dividends etc. from Subsidiaries / Associates	27,14,88,889	28,62,08,148
5. Provision of Earlier Years written Back	-	-
6. Recoveries out of Bad Debts	2,86,91,76,097	2,03,12,69,846
7. Reversal of Provisions/ERFF under FCL	-	-
8. Others	93,40,41,398	76,60,02,140
<b>Total</b>	<b>5,31,27,81,800</b>	<b>4,25,05,99,071</b>

(Amount in ₹)

<b>Schedule XIV: Operating Expenses:</b>	<b>March 31, 2023</b>	<b>March 31, 2022</b>
Payments to and provisions for employees	5,06,67,84,567	3,69,97,48,021
Rent, Taxes and Lighting	18,17,03,219	15,78,39,382
Printing & Stationery, Postage/Courier & Tele and Insurance	2,10,30,252	1,33,07,053
Advertisement and Publicity	11,47,42,304	3,14,36,689
Depreciation / Amortisation on Bank's Property	26,23,28,294	36,18,71,759
Directors' fees, allowances and expenses	81,12,867	42,12,767
Auditor's Fees	32,92,016	44,59,176
Law Charges	2,97,91,239	2,31,71,360
Repairs and maintenance	27,60,81,381	12,04,79,601
Issue Expenses	5,60,22,041	1,21,01,863
Capital Commitment, Management Fees etc.	19,79,10,602	8,09,48,867
Input Tax Credit not Available	19,19,22,592	10,30,52,881
Other Expenditure	1,82,56,08,261	2,36,45,86,340
<b>Total</b>	<b>8,23,53,29,635</b>	<b>6,97,72,15,759</b>

## SCHEDULE XV – SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

### 1. Basis of Preparation

The financial statements have been prepared to comply in all material respects with the Small Industries Development Bank of India Act, 1989 and regulations thereof, prudential norms prescribed by Reserve Bank of India, applicable Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India and practices prevailing in the Banking Industry. The financial statements have been prepared under the historical cost convention on an accrual basis, unless otherwise stated. Except otherwise mentioned, the accounting policies that are applied by the Bank, are consistent with those used in the previous year.

#### Use of Estimates:

The preparation of financial statements in conformity with Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) requires the management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and the disclosure of contingent liabilities as of the date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that these estimates and assumptions are reasonable and prudent. However, actual results could differ from these estimates. Any revision to accounting estimates is recognized prospectively in current and future periods in accordance with the requirements of the respective accounting standard.

### 2. Revenue Recognition

Revenue is recognized to the extent it is probable that the economic benefits will flow to the Bank and the revenue can be reliably measured.

#### A) Income:

- (i) Interest income including penal interest is accounted for on accrual basis, except in the case of non-performing assets where it is recognized upon realization.
- (ii) Income in the Profit & Loss Account is shown gross i.e. before provisions as per RBI guidelines and other provisions as per Bank's internal policy.
- (iii) Discount received in respect of bills discounted / rediscounted and on discounted instruments is recognized over the period of usage of the instruments on a constant yield basis.
- (iv) Commitment charges, service charges on seed capital / soft loan assistance and royalty income are accounted for on accrual basis in respect of standard (performing) assets.

- (v) Dividend on shares held in industrial concerns and financial institutions is recognized as income when the right to receive the dividend is established.
- (vi) Income from Venture Capital funds are accounted on realization basis. Redemption of unit/shares in Venture Capital fund, while in HTM category is not treated as a sale.
- (vii) Recovery in non-performing assets (NPA) is to be appropriated in the following order:
  - a) overdue interest upto the date of NPA,
  - b) principal,
  - c) cost & charges,
  - d) interest and
  - e) penal interest.
- (viii) Gain/loss on sale of loans and advances through direct assignment is recognized in line with the extant RBI guidelines.
- (ix) Amounts recovered against debts written-off in earlier years are recognized as income in the Profit and Loss account.
- (x) Profit or loss on sale of investments in any category is taken to profit & loss account. However, in case of profit on sale of investments under "Held to Maturity" category an equivalent amount net of applicable taxes is appropriated to Capital Reserves.
- (xi) Amount lying as unclaimed liabilities (other than statutory liabilities) for a period of more than seven years are recognized as income.
- (xii) The bank has accounted for interest on income tax refunds upon receipt of such refund orders / Order giving effects issued by Income Tax Department.
- (xiii) Recoveries of CGTMSE fees, Valuation charges, Advocate fee, Insurance, Upfront fee/ Processing fee etc. from Borrowers are accounted on cash basis.
- (xiv) Commission on LC/ BG are recognized on accrual basis proportionately over the period.

#### B) Expenditure:

- (i) All expenditures are accounted for on accrual basis except Development Expenditure which is accounted for on cash basis.
- (ii) Discount on Bonds and Commercial Papers issued are amortized over the tenure of Bonds and Commercial Paper. The expenses relating to issue of Bonds are amortized over the tenure of the Bonds.

### 3. Investments

- (i) In terms of extant guidelines of the Reserve Bank of India on investment classification and valuation, the entire investment portfolio is categorized as "Held to Maturity", "Available for Sale" and "Held for Trading". Investments are valued in accordance with RBI guidelines. The investments under each category are further classified as

- a) Government Securities,
- b) Other approved securities,
- c) Shares,
- d) Debentures & Bonds,
- e) Subsidiaries/ joint ventures and
- f) Others (Commercial Paper, Mutual Fund Units, Security Receipts, Certificate of Deposits etc.)

**(a) Held to Maturity:**

Investments acquired with the intention to hold till maturity are categorized under Held to Maturity. Such investments are carried at acquisition cost unless it is more than the face value, in which case the premium is amortized over the period remaining to maturity. Investments in subsidiaries classified as Held To Maturity.

Diminution, other than temporary, in the value of investments under this category is provided for each investment individually.

**(b) Held for Trading:**

Investments acquired for resale within 90 days with the intention to take advantage of the short-term price/ interest rate movements are categorized under Held for Trading. The investments in this category are revalued scrip-wise and net appreciation /depreciation is recognized in the profit & loss account, with corresponding change in the book value of the individual scrips.

In respect of traded/ quoted investments, the market price is taken from the trades/ quotes available on the stock exchanges.

**(c) Available for Sale:**

Investments which do not fall within the above two categories are categorized under Available for Sale. The individual scrip under this category is revalued and net depreciation under any of

the classification mentioned above is recognized in the profit & loss account. Net appreciation under any classification is ignored. The book value of individual scrip is not changed after the revaluation.

- (ii) An investment is classified as 'Held To Maturity', 'Available For Sale' or 'Held For Trading' at the time of its purchase and subsequent shifting amongst categories and its valuation is done in conformity with RBI guidelines.
- (iii) Treasury Bills, Commercial Papers and Certificates of Deposit being discounted instruments are valued at carrying cost.
- (iv) The quoted Government Securities are valued at market prices and unquoted/non-traded government securities are valued at prices declared by Financial Benchmark India Pvt. Ltd. (FBIL).
- (v) Investments which are made out of the Corpus or Funds provided by the Government of India and netted off from the related Fund balances are carried at cost and not subjected to RBI guidelines of valuation.
- (vi) Recording purchase and sale transactions in Investments is done following 'Settlement Date' accounting.
- (vii) The debentures / bonds / shares deemed to be in the nature of advance, are subject to the usual prudential norms applicable to loans & advances.
- (viii) Cost of investments is determined on the weighted average cost method.
- (ix) Brokerage, commission, etc. paid at the time of acquisition/ sale are recognized in the profit & loss account.
- (x) Broken period interest paid / received on debt investment is treated as interest expenses / income and is excluded from cost / sale consideration.
- (xi) In respect of unquoted investments in industrial concerns under Seed Capital Scheme, full provision has been made. (xii) Units of mutual fund are valued at repurchase price as per relevant RBI guidelines.
- (xiii) The unquoted fixed income securities (other than government securities) are valued on Yield to Maturity (YTM) basis with appropriate mark-up over the YTM rates for Central Government securities of equivalent maturity. Such mark-up and YTM rates applied are as per the relevant rates published by FBIL.
- (xiv) Unquoted Shares are valued at breakup value, if the latest Audited Financial Statements of the investee companies are available, or at ₹1/- per Company as per RBI guidelines.

#### 4. Foreign Currency Transactions

Foreign currency transactions are recorded in the books of account in respective foreign currencies at the exchange rate prevailing on the date of transaction. Accounting for transactions involving foreign exchange is done in accordance with Accounting Standard (AS)-11 issued by Institute of Chartered Accountants of India, as per following provisions:

- (i) Contingent liability in respect of outstanding forward exchange contracts, guarantees; acceptances, endorsements and other obligations are calculated at the closing exchange rates notified by Foreign Exchange Dealers' Association of India ('FEDAI').
- (ii) Foreign currency Assets and Liabilities are translated at the closing exchange rates notified by FEDAI as at the Balance Sheet date
- (iii) Foreign currency Income and Expenditure items are translated at monthly intervals through actual sale/purchase and recognized in the profit & loss account accordingly.
- (iv) The revaluation difference on foreign currency LoC is adjusted and recorded in a special account opened and maintained, in consultation with GOI for managing exchange risk.
- (v) The Bank follows hedge accounting in respect of foreign exchange contracts and derivative transactions as per RBI guidelines.
- (vi) Exchange differences arising on the settlement of monetary items are recognized as income or expense in the period in which they arise.
- (vii) Outstanding Forward Exchange Contracts which are not intended for trading are revalued at exchange rates notified by FEDAI.

#### 5. DERIVATIVES

The Bank presently deals in currency derivatives viz., Cross Currency Interest Rate Swaps for hedging its foreign currency liabilities. Based on RBI guidelines, the above derivatives undertaken for hedging purposes are accounted on an accrual basis. Contingent Liabilities on account of derivative contracts at contracted rupee amount are reported on the Balance Sheet date.

#### 6. LOANS AND ADVANCES

- i. Assets representing loan and other assistance portfolios are classified as performing and non-performing based on the RBI guidelines. Provision for non-performing assets is made in accordance with the RBI guidelines.
- ii. Advances stated in the Balance Sheet are net of provisions made for non-performing advances, and restructured NPA assets.

- iii. General provision on Standard Assets is made as per RBI guidelines.
- iv. Floating provision is made and utilized as per RBI guidelines and Board approved policy.

#### 7. Taxation

- (i) Tax expense comprises both current tax and deferred taxes. Current income tax is measured at the amount expected to be paid to the tax authorities in accordance with Income Tax Act, 1961 and the Income Computation and Disclosure Standards (ICDS).
- (ii) Deferred income taxes reflect the impact of the current year timing differences between taxable income and accounting income for the year and reversal of timing differences of earlier years. Deferred tax is measured based on the tax rates and the tax laws enacted or substantively enacted at the balance sheet date.
- (iii) Deferred tax assets are recognized only to the extent that there is reasonable certainty that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets can be realized. Unrecognized deferred tax assets of earlier years are re-assessed and recognized to the extent that it has become reasonably certain that future taxable income will be available against which such deferred tax assets can be realized.
- (iv) Disputed taxes not provided for including departmental appeals are included under Contingent Liabilities.

#### 8. Securitisation

- i. The Bank purchases credit rated Micro, Small and Medium Enterprises Asset pools from Banks / Non-Banking Finance Companies by way of pass-through certificates issued by the Special Purpose Vehicle. Such securitization transactions are classified as Investments under Held for Trading / Available for Sale category depending upon the investment objective.
- ii. The Bank purchases credit rated pool of Micro, Small and Medium Enterprises assets under bilateral direct assignment. Such direct assignment transactions are accounted for as 'advances' by the Bank.
- iii. The Bank enters into sale of Loans & Advances through direct assignment. In most of the cases, the Bank continues to service the Loans & Advances sold under these transactions and is entitled to the Residual interest on the Loans & Advances sold. Assets sold under direct assignment are derecognized in the books of the Bank based on the principle of surrender of control over the assets.



- iv. The residual income on the Loans & Advances sold is being recognized over the life of the underlying Loans & Advances.
- v. Security Receipts issued by the asset reconstruction companies are valued in accordance with the guidelines applicable to such instruments, prescribed by RBI from time to time.

#### 9. Sale of Financial Assets to Asset Reconstruction Companies (ARCs) :

- i. The sale of NPA's is on cash basis or investment in Security Receipt (SR) basis. In case of sale on SR basis, the sale consideration or part thereof is treated as investment in the form of SRs.
- ii. The assets if sold at a price below the Net Book Value (NBV) (i.e. book value less provisions held), the shortfall is debited to the Profit & Loss A/c. In case the sale value is higher than NBV, the excess provision held can be reversed to profit & loss account in the year the amounts are received. Reversal of excess provision is limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the asset.

#### 10. Provisioning for Staff Benefits

##### A] Post retirement benefits:

- i. Provident Fund is a defined contribution scheme administered by the Bank and the contributions are charged to the Profit & Loss Account.
- ii. Gratuity liability and Pension liability are defined benefit obligations and other long-term employee benefits like compensated absences, post-retirement medical benefits etc. are provided based on the independent actuarial valuation as at the Balance Sheet date using the projected unit credit method as per AS 15 (Revised 2005) - Employee Benefits.
- iii. Actuarial gains or losses are recognized in the profit & loss account based on actuarial valuations for the period in which they occur.
- iv. New Pension Scheme is a defined contribution scheme and is applicable to employees who have joined bank on or after December 01, 2011. Bank pays fixed contribution at pre-determined rate and the obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit & Loss Account.
- v. Payments made under the Voluntary Retirement Scheme are charged to the Profit & Loss account in the year of expenses incurred.

##### B] Benefits (Short – term) while in service

Liability on account of Short-term benefits are determined on an undiscounted basis and recognized over the period of service, which entitles the employees to such benefits.

#### 11. Fixed Assets and Depreciation

- i) Fixed Assets are stated at cost of acquisition less accumulated depreciation and impairment losses, if any.
- ii) Cost of asset includes purchase cost and all expenditure incurred on the asset before put to use. Subsequent expenditure incurred on assets put to use is capitalized only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capability.
- iii) Depreciation for the full year, irrespective of date of capitalization, is provided on:
  - (a) Furniture and fixture: For assets owned by Bank @ 100 percent
  - (b) Computer and Computer Software @ 100 percent
  - (c) Building @ 5 percent on WDV basis
  - (d) Electrical Installations: For assets owned by Bank @ 50 percent on WDV basis.
  - (e) Motor Car - Straight Line Method @ 50 percent.
- iv) Depreciation on additions is provided for full year and no depreciation is provided in the year of sale/disposal.
- v) Leasehold land is amortized over the period of lease.

#### 12. Provision for Contingent Liabilities and Contingent Assets.

In accordance with AS-29 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets, the Bank recognizes provisions involving substantial degree of estimation in measurement when it has a present obligation as a result of past event, it is probable that there will be an outflow of resources and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. Contingent Assets are neither recognized nor disclosed in the financial statements. Contingent liabilities are not provided for and are disclosed in the balance sheet and details given by way of Schedule to the Balance Sheet. Provisions, contingent liabilities and contingent assets are reviewed at each Balance Sheet date.

### 13. Grants and Subsidies

Grants and subsidies from the Government and other agencies are accounted as per the terms and conditions of the agreement.

### 14. Operating Lease

Lease rentals is recognized as an expense/income in the Profit & Loss Account on a straight line basis over the lease term in accordance with AS-19.

### 15. Impairment of Assets

The carrying amounts of assets are reviewed at each Balance Sheet date, if there is any indication of impairment based on internal/external factors, to recognize,

- the provision for impairment loss, if any required; or
- the reversal, if any, required for impairment loss recognized in the previous periods.

Impairment loss is recognized when the carrying amount of an asset exceeds recoverable amount.

### 16. Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents for the purpose of cash flow statement include cash in hand, balances with RBI, balances with other banks, money at call and short notice and investment in Mutual Fund with an original maturity of three months or less.

## Schedule XVI - Notes to Accounts

### 1 Implementation of Ind-AS :

As per RBI letter dated May 15, 2019 issued to the Bank, implementation of Ind-AS for AIFIs has been deferred till further notice. Accordingly, financial statements of the Bank are continued to be prepared under IGAAP. However, the Bank would continue to submit Proforma Ind AS financial statements on half-yearly basis to RBI as hitherto as advised in RBI letter dated May 15, 2019. At present, SIDBI is making use of Excel Sheets for conversion of IGAAP financial statements into Proforma Ind-AS Financial Statements.

- 2.1 As per the Accounting Standard 22, Accounting for Taxes on Income, the Bank has reviewed Deferred Tax Assets / Liabilities and recognized an amount of ₹1,86,00,74,573 as Deferred Tax Assets (Previous year - Deferred Tax Liability was ₹18,65,33,000) in the Profit & Loss Account for the year ended March 31, 2023.

### 2.2 The Break up of Deferred Tax Asset/ (Liability) as on March 31, 2023 is as under :

(Amount in ₹)

Timing Difference	March 31, 2023	March 31, 2022
	Deferred Tax Asset/ (Liability)	Deferred Tax Asset/ (Liability)
a) Provision for Depreciation on fixed assets	2,96,73,234	2,79,20,651
b) Special Reserve u/s 36(1)(viii) of the Income Tax Act 1961	(4,07,64,80,346)	(3,87,65,37,167)
c) Provision for Non performing assets	6,23,93,197	45,75,76,825
d) Provision for Restructuring of Accounts	60,105	30,66,284
e) Provision for Non Performing Investment	83,40,09,746	-
f) Provision for Standard Assets	4,42,43,69,221	2,68,00,01,893
g) Others	57,85,93,831	70,05,16,219
<b>Net deferred tax Asset/(Liability)</b>	<b>1,85,26,18,988</b>	<b>(74,55,295)</b>

### 3 Provision for Income Tax includes:

(Amount in ₹)

Sr. No.	Particulars	March 31, 2023	March 31, 2022
(i)	Current Income Tax Provision	12,39,91,57,313	4,11,57,81,000
(ii)	Short/(Excess) Income Tax Provision of Earlier Years	-	-

The Tax Liability has been vetted by the Tax consultant.

#### 4 Contingent Liabilities referred to in Schedule XI

Contingent liabilities include "Claims against the Bank not acknowledged as debts" of ₹9,64,85,12,907 (Previous Year ₹6,56,25,72,519). These represents claims filed against the Bank in the normal course of business relating to various legal cases currently in progress and demands raised by income tax and other statutory authorities. These is being disputed by the Bank and based on expert's opinion, the provision is not considered necessary.

#### 5 Bonds and Debentures' under Borrowings in schedule IV includes the following :

(Amount in ₹)

	March 31, 2023	March 31, 2022
a) Unsecured Bonds	4,67,55,00,00,000	1,62,85,00,00,000

#### 6 Expenditure to the extent not written off under Other Assets in schedule X includes the following:

(Amount in ₹)

Particulars	March 31, 2023	March 31, 2022
a) Interest Paid In Advance On Borrowings	-	59,83,56,164
b) Discount paid in Advance - Certificate of Deposit	11,22,78,31,482	5,65,04,43,605
c) Discount paid in Advance - Commercial Paper	6,02,69,13,232	35,82,12,235
d) Expenditure on Issuance of Unsecured Bonds	1,80,28,705	67,98,571
<b>Total</b>	<b>17,27,27,73,419</b>	<b>6,61,38,10,575</b>

#### 7 Interest and Financial Charges

(Amount in ₹)

Particulars	March 31, 2023	March 31, 2022
a) Interest on Borrowings	68,47,97,90,498	12,20,11,85,354
b) Interest on Deposits	53,28,58,38,256	41,39,59,35,526
c) Financial Charges	2,29,09,87,705	3,41,91,70,686
<b>Total</b>	<b>1,24,05,66,16,459</b>	<b>57,01,62,91,566</b>

(Amount in ₹)

	March 31, 2023	March 31, 2022
Estimated amount of contracts remaining to be executed on Capital Account not provided for (net of advance paid)	73,41,057	1,89,87,686

9 Premises in Schedule IX include advances towards acquisition of Premises ₹11,06,68,896 (Previous Year ₹11,06,68,896) and Capital Work in Progress ₹1,63,402,411.58(Previous Year ₹1,10,66,907). The advance of ₹11,06,68,896 was paid towards acquisition of office premises which was subsequently cancelled due to delay in implementation of the project. The Bank is in correspondence with the Agency for refund of the advance amount. The issue has been taken up with the concerned Govt. Department and as per the proposal given by agency for adjusting this amount against some other acceptable property at the same location, the Bank has identified the new property and proposal has been sent to the agency. However, as a prudential measure, full provision of ₹11,06,68,896 had already been made against this amount in FY 2020.

10 The borrowing of ₹43,60,88,890 (Previous Year ₹87,21,77,772) from Govt. of India under the JICA IV loan is carried forward in the 'Schedule IV - Borrowings' to the Balance Sheet at its historic rupee value since SIDBI's liability towards principal repayment under the agreement, is not expected to exceed the aggregate of rupee borrowings and the balance in the ERFF maintained for this loan. Applicable interest at 8% is credited to this ERFF account and interest payable in JPY (converted to equivalent INR) is debited out of this account. The balance as on March 31, 2023 in ERFF maintained for this loan is ₹12,80,09,250 (Previous Year ₹55,46,12,637).

- 11 The Bank has contracted a line of credit for USD 300 million from World Bank for scaling up Sustainable and Responsible Micro Finance Project including IDA portion aggregating SDR 65.9 million (equivalent of USD 100 million). Under IDA line, Govt. of India is the borrower and rupee funds are lent to SIDBI by GOI though the exchange risk on the underlying is required to be borne by SIDBI as per the terms of the agreement. Thus, though GOI released rupee funds to SIDBI, the same was recorded as SDR liability in the books of SIDBI to depict correct position so that revaluation difference gets suitably reflected in the year end figures. Accordingly, the drawl effected under the above line aggregating SDR 42.83 million (equivalent to ₹473.66 Crore) as on March 31, 2023 [Previous Year SDR 45.31 million (equivalent to ₹474.85 Crore)] from GOI is recorded as SDR liability and the underlying liability has been hedged by way of Cross Currency Interest Rate Swaps. The same has been grouped under Schedule IV - 'Borrowings in India'.
- 12 (a) ASPIRE Fund is a ₹310 crore Fund of Funds, allocated by Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises, Government of India, to be managed by SIDBI. The Fund is being utilized to make investment in Venture Capital Funds targeting Start Ups/ early stage enterprises promoting Innovation, Entrepreneurship, Forward Backward linkage with multiple value chain of manufacturing and service delivery, accelerator support, etc. in the Agro based Industry and sectors to galvanize the rural economy. The investments (out of ASPIRE fund) are held by SIDBI in fiduciary capacity. The balance of ASPIRE Fund, net of investment is grouped under "Other Liabilities" in the Balance Sheet and all gains/ losses/income/expenditure are the part of the fund. The balance in the fund is ₹2,85,32,30,682 as on March 31, 2023 (Previous year ₹2,73,39,83,039).
- b) Government of India has formulated a Scheme for Fund of Funds for Start-ups (FFS) with the principal objective of enhancing the equity availability to Start-ups. Under the Scheme, an amount of ₹10,000 crore has been proposed as FFS to be managed by SIDBI. The Government has since released an amount of ₹27,91,29,44,000 and also permitted to take further commitments under FFS. During the year, Government has advised SIDBI to continue to make commitment to the Alternative Investment Fund (AIF). These investments (out of FFS) are held by SIDBI in fiduciary capacity. The fund balance of FFS, net of investment is grouped under "Other Liabilities" in the Balance Sheet and all gains/losses/income/expenditure are the part of the fund. The balance in the fund is ₹11,50,51,12,191 as on March 31, 2023 (Previous year ₹7,13,38,30,407).
- c) Under the UP IT & Start-Up Policy 2017, the Government of Uttar Pradesh shall establish an initial Corpus of INR 1,000 crore to promote start-ups to establish and flourish in the state. The fund shall be in the form of fund of funds. In this model, the fund shall not be invested directly into start-up companies, rather it shall participate in SEBI approved funds. The funds shall be professionally managed by SIDBI, the Fund Manager. The Government of Uttar Pradesh has since release an amount of ₹125 crore. These investments (out of UP Startup Fund) are/shall be held by SIDBI in fiduciary capacity. The fund balance of UP Startup Fund, net of investment is grouped under "Other Liabilities" in the Balance Sheet and all gains/losses/income/expenditure are the part of the fund. The balance in the fund is ₹1,19,10,28,364 as on March 31, 2023 (Previous year ₹17,72,80,628).
- 13 The Bank has pledged Government Securities aggregating to face value ₹1,45,95,00,00,000 (book value ₹1,43,69,82,11,825) [Previous Year ₹40,41,63,00,000 (book value ₹39,90,00,15,423 )] with Clearing Corporation of India Ltd. for Triparty Repo Dealing and Settlement (TREPS).
- 14 IFAD had extended a foreign currency loan to SIDBI of SDR 16.35 million, vide loan agreement dated February 18, 2002. As per the terms of loan agreement, IFAD had disbursed loan in USD and it is to be repaid in USD equivalent to SDR. The Bank has accounted accordingly in the books of account. The balance as on March 31, 2023 for this loan is ₹1,05,46,39,489 (Previous Year ₹1,05,67,31,387)

## 15 Employee Benefits

In accordance with the Accounting Standard on "Employee Benefits" (AS 15) (Revised 2005) issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the Bank has classified the various benefits provided to the employees as under:

### (a) Defined contribution plan

The Bank has recognized the following amounts in Profit & Loss Account:

(Amount in ₹)

Particulars	March 31, 2023	March 31, 2022
Employer's contribution to Provident fund	9,18,53,963	7,68,83,415
Employer's contribution to New Pension Scheme	8,95,82,393	3,17,67,054

(b) The Bank is having defined benefit Pension Plans and Gratuity Scheme which are managed by the Trust.

(₹ Crore)

	Pension		Gratuity	
	FY 2023	FY 2022	FY 2023	FY 2022
<b>1. Assumptions</b>				
Discount Rate	7.50%	7.25%	7.40%	6.90%
Rate of Return on Plan Assets	7.50%	7.25%	7.40%	6.90%
Salary Escalation	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%
Attrition rate	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
<b>2. Table showing change in Benefit Obligation</b>				
Liability at the beginning of the year	576.93	553.50	108.95	106.70
Interest Cost	24.65	22.69	7.09	6.56
Current Service Cost	13.48	14.97	5.92	5.97
Past Service Cost (Non Vested Benefit)	0.00	0.00	0.00	0.00
Past Service Cost ( Vested Benefit)	0.00	0.00	0.00	0.00
Liability Transferred in	0.00	0.00	0.00	0.00
(Liability Transferred out)	0.00	0.00	0.00	0.00
(Benefit Paid)	0.00	0.00	(12.44)	(6.61)
Actuarial (gain) / loss on obligations	64.74	(14.23)	(2.12)	(3.67)
<b>Liability at the end of the year</b>	<b>679.80</b>	<b>576.93</b>	<b>107.40</b>	<b>108.95</b>
<b>3. Tables of Fair value of Plan Assets</b>				
Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year	589.61	501.50	105.92	105.73
Expected Return on Plan Assets	42.75	34.35	7.08	6.69
Contributions	0.00	0.00	0.04	0.33
Transfer from other company	0.00	0.00	0.00	0.00
(Transfer to other company)	0.00	0.00	0.00	0.00
(Benefit Paid)	0.00	0.00	(12.44)	(6.61)
Actuarial gain / (loss) on Plan Assets	3.40	53.76	1.70	(0.22)
Fair Value of Plan Assets at the end of the year	<b>635.76</b>	<b>589.61</b>	<b>102.30</b>	<b>105.92</b>
<b>4. Table of Recognition of Actuarial Gains/ Losses</b>				
Actuarial (Gains)/ Losses on obligation for the period	64.74	(14.23)	(2.12)	(3.67)
Actuarial (Gains)/ Losses on asset for the period	(3.40)	(53.76)	(1.70)	0.22
Actuarial (Gains)/ Losses recognized in Income & Expense Statement	<b>61.34</b>	<b>(67.99)</b>	<b>(3.82)</b>	<b>(3.45)</b>
<b>5. Actual Return on Plan Assets</b>				
Expected Return on Plan Assets	42.75	34.35	7.08	6.69
Actuarial Gain / (Loss) on Plan Assets	3.40	53.76	1.70	(0.22)
Actual Return on Plan Assets	<b>46.15</b>	<b>88.11</b>	<b>8.78</b>	<b>6.47</b>
<b>6. Amount Recognised in the Balance Sheet</b>				
Liability at the end of the year	(679.80)	(576.93)	(107.40)	(108.95)
Fair Value of Plan Assets at the end of the year	635.76	589.61	102.30	105.92
Difference	(44.04)	12.68	(5.10)	(3.03)
Unrecognised Past Service Cost at the end of the year	0.00	0.00	0.00	0.00
Unrecognised Transitional Liability at the end of the year	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Net Amount recognised in the Balance Sheet</b>	<b>(44.04)</b>	<b>12.68</b>	<b>(5.10)</b>	<b>(3.03)</b>

(₹ Crore)

	Pension		Gratuity	
	FY 2023	FY 2022	FY 2023	FY 2022
<b>7. Expenses Recognised in the Income Statement</b>				
Current Service Cost	13.48	14.97	5.92	5.97
Interest Cost	24.65	22.69	7.09	6.56
Expected Return on Plan Assets	(42.75)	(34.35)	(7.08)	(6.69)
Past Service Cost (Non Vested Benefit) recognised during the year	0.00	0.00	0.00	0.00
Past Service Cost (Vested Benefit) recognised during the year	0.00	0.00	0.00	0.00
Recognition of Transition Liability during the year	0.00	0.00	0.00	0.00
Actuarial (Gain) / Loss	61.34	(67.99)	(3.82)	(3.45)
<b>Expense Recognised in Profit &amp; Loss account</b>	<b>56.72</b>	<b>(64.68)</b>	<b>2.11</b>	<b>2.39</b>
<b>8. Balance Sheet Reconciliation</b>				
Opening Net Liability	(12.68)	52.00	3.03	0.97
Expense as above	56.72	(64.68)	2.11	2.39
Employers Contribution	0.00	0.00	(0.04)	(0.33)
<b>Amount recognised in the Balance Sheet</b>	<b>44.04</b>	<b>(12.68)</b>	<b>5.10</b>	<b>3.03</b>
<b>9. Other Details</b>				
Salary escalation is considered in line with the industry practice considering promotion, demand and supply of the employees.				
<b>10. Category of Assets</b>				
Government of India Assets	0.00	0.00	0.00	0.00
Corporate Bonds	0.00	0.00	0.00	0.00
Special Deposits Scheme	0.00	0.00	0.00	0.00
Equity Shares of Listed Companies	0.00	0.00	0.00	0.00
Property	0.00	0.00	0.00	0.00
Insurer Managed Funds	635.76	589.61	102.30	105.92
Other	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>635.76</b>	<b>589.61</b>	<b>102.30</b>	<b>105.92</b>

**11. Experience Adjustment:**

	Pension					Gratuity				
	FY 2023	FY 2022	FY 2021	FY 2020	FY 2019	FY 2023	FY 2022	FY 2021	FY 2020	FY 2019
On Plan Liability (Gain)/ Loss	85.05	15.71	(1.14)	46.87	(22.03)	1.60	0.65	(0.43)	3.28	(19.7)
On Plan Asset (Loss)/ Gain	3.40	53.76	(1.15)	25.17	(2.32)	1.70	(0.22)	(0.13)	0.09	0.35

- (c) The following are the amount charged to Profit & Loss Account relating to other long term benefits plan based on the actuarial valuation provided by independent actuary.

(₹ Crore)

Sr. No	Particulars	March 31, 2023	March 31, 2022
1	Ordinary Leave Encashment	40.97	12.97
2	Sick Leave	1.86	0.47
3	Resettlement Expenses	0.46	0.30
4	Post Retirement Medical Scheme Facilities	0.79	9.84



**16 Earnings Per Share(EPS) (AS-20):**

The Bank reports basic and diluted Earnings Per Share in accordance with AS 20. Basic Earnings per Share is computed by dividing the net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding at the year end. Diluted Earnings per Share reflect the potential dilution that could occur if securities or other contracts to issue equity shares were exercised or converted during the period. Diluted Earnings per Share is computed by dividing the net profit after tax by the sum of the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding at the year end.

	(Amount in ₹)	
	<b>March 31, 2023</b>	<b>March 31, 2022</b>
Net Profit considered for EPS calculation (₹)	33,43,57,41,632	19,57,78,88,681
Weighted Average Number of equity shares of face value ₹10 each	56,85,41,169	53,21,22,684
Earning per share (₹)	58.81	36.79

\* Basic & Diluted EPS are same as there are no dilutive potential Equity Shares.

**17** The proposed dividend, if any, is accounted as liability in the books of accounts under Schedule V.

**18** In the opinion of the Management, there is no material impairment of the fixed assets of the Bank in terms of Accounting Standard 28- Impairment of Assets.

**19** Disclosures under Accounting Standard 29 for provisions in contingencies. The salary & allowances of the employees of the Bank are reviewed every five years. Such review is due from November 01, 2022.

	(Amount in ₹)	
Particulars	<b>March 31, 2023</b>	<b>March 31, 2022</b>
	<b>Wage Arrears / Incentive</b>	<b>Wage Arrears / Incentive</b>
<b>Opening Balance</b>	1,39,13,00,000	1,07,63,00,000
Additions:		
Arrears	65,69,31,704	31,50,00,000
Incentive		
Utilisations:	1,81,17,53,069	
Write back		
<b>Closing Balance</b>	<b>23,64,78,635</b>	<b>1,39,13,00,000</b>

**20** The Bank has put in place a mechanism to manage credit risk arising out of unhedged foreign currency exposures (UFCE) of its borrowers. A review of the UFCE across its portfolio is undertaken by the Bank on periodic basis. In terms of RBI circular DBOD No. BP.BC.85/21.06.200/2013-14 dated 15.01.2014 & subsequent clarification vide circular DBOD NO.BP.BC. 116/21.06.200/2013-14 dated 03.06.2014, based on available data, the provision for UFCE works out to ₹9.48 crore as on March 31, 2023 (Previous year ₹1.65 crore) which has been included under provisions for standard assets under Schedule V.

**21** As per the practice consistently followed, redemption in Venture Capital Funds is accounted as per the distribution letter received from Venture Capital Funds, irrespective of the appropriation policy as specified in the contribution agreement.

**22 Investor's Complaints:**

As on 1st April, 2022 the Bank had "01" pending investor's complaints for disposal, which was later on resolved on April 08, 2022. During the current financial year "17" complaints were received from Investors and "18" complaints (including the complaint pending on April 01, 2022) were disposed off during the year. Accordingly "Nil" complaint was pending for disposal as on March 31, 2023.

**23 Divergence in Asset Classification and Provisioning for NPAs**

As per RBI circular No. DBR.BP.BC. No.32/21.04.018/2018-19 dated April 1, 2019, in case the additional provisioning for NPAs assessed by RBI exceeds 10% of the reported profit before provisions and contingencies and/or additional Gross NPAs identified by RBI exceeds 15% of published incremental Gross NPAs for the reference period then banks are required to disclose divergences from prudential norms on income recognition, asset classification and provisioning. Divergence from prudential norms assessed by the RBI for the year ended 31st March 2022 are within threshold limits specified above hence the need for additional disclosure does not apply.

**24** Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) sector – Restructuring of Advances for MSME Borrowers registered under Goods and Services Tax (GST):

As per RBI circular dated February 11, 2020 restructuring of advances was done for Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) Borrowers registered under Goods and Services Tax (GST). The RBI, vide its Circular dated August 06, 2020 on 'Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) Sector - Restructuring of Advances' extended the above scheme to support the viable MSME entities on account of the fallout of Covid19. Further RBI vide circular RBI/2021-22/32 DOR.STR. REC.12/21.04.048/2021-22 dated May 5, 2021 has advised Resolution Framework 2.0 – Resolution of Covid-19 related stress of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The MSME accounts restructured under these guidelines are as under:

No. of accounts restructured	Amount (₹ in Crore)
1124	803.33

**25** Disclosure relating to Resolution Plans implemented during the year in terms of RBI Circular DBR.No.BP.BC.45/21.04.048/2018-19 dated June 7, 2019:

i) RPs Successfully implemented during the year ended March 31, 2023

No. of cases	Balance Outstanding* Amount (₹ in Crore)
1	380.04

\*The account was technically written off as on the date of restructuring and was closed thereafter during the year.

ii) Details of Securities acquired due to conversion of debt to equity during a restructuring process:

Particulars	No of Shares/units	Face Value per share (in ₹)	Book Value(in ₹)
Compulsory Convertible Debentures (CCDs).	53045	1,00,000.00	1.00

iii) Details of resolution plans implemented under the RBI Resolution Framework for COVID-19 related stress as per RBI circular dated 6th August, 2020 (Resolution Framework 1.0) and 5th May 2021 (Resolution Framework 2.0) as at March 31, 2023 are given below :

Type of borrower	Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan – Position as at the end of the previous half-year (A)	Of (A), aggregate debt that slipped into NPA during the half-year	Of (A) amount written off during the half-year	Of (A) amount paid by the borrowers during the half-year \$	Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan – Position as at the end of this half-year
Personal Loans	---	---	---	---	---
Corporate persons	31.09	---	0	3.07	28.02
Of which MSMEs	31.09	---	0	3.07	28.02
Others	---	---	---	---	---
<b>Total</b>	<b>31.09</b>	<b>---</b>	<b>0</b>	<b>3.07</b>	<b>28.02</b>

\$ Represents net movement in balance outstanding.

iv) The number of borrower accounts where Resolution Plan is implemented in terms of RBI circular no. DOR.STR. REC.11/21.04.048/2021-22 dated May 5, 2021 on Resolution Framework – 2.0: Resolution of COVID-19 related stress of Individuals and Small Businesses is nil. Further no modifications were sanctioned and implemented in respect of accounts which were implemented under Resolution Framework 1.0

- 26** The extent to which the COVID19 pandemic will impact the Bank's results will depend on ongoing as well as future developments.
- 27** During the year ended March 31, 2023, the Bank has made an additional provision on standard advances at rates higher than minimum stipulated under IRAC norms, as per Board approved Accelerated Provisioning Policy. Accordingly, the Bank holds additional provision on standard advances of ₹253.38 crore at March 31, 2023.
- 28** Details of loans transferred / acquired during the Year ended March 31, 2023 under the RBI Master Direction on Transfer of Loan Exposures dated September 24, 2021 are given below:
- During the quarter and Year ended March 31, 2023:
- i. the Bank has not acquired any loan not in default through assignment.
  - ii. the Bank has not transferred any non-performing assets (NPAs) to Asset Reconstruction Companies (ARCs)/ to permitted transferees/ to other transferees
  - iii. the bank has not acquired any stressed loans and not transferred any loan not in default / Special Mention Accounts (SMA).
  - iv. the bank has not invested in Security Receipts (SR) issued by Asset Reconstruction Companies (ARC) in respect of stressed loans transferred to ARCs.
- 29** In accordance with RBI Master Direction RBI/DOR/2021-22/85 DOR.STR.REC.53/21.04.177/2021-22 dated September 24, 2021 – (Securitisation of Standard Assets) Directions, 2021, the outstanding amount of securitised assets as per books of the SPEs and total amount of exposures retained by the originator as on the date of balance sheet to comply with the MRR is NIL for Year ended March 31, 2023.
- 30** Regulation 14 of Small Industries Development Bank of India General Regulations, 2000 prescribes separate format for presentation of accounts under Small Industries Development Assistance Fund(SIDAF) and General Fund. As no separate SIDAF has been notified by the Central Government, the same is not being maintained by SIDBI.
- 31** Previous year's figures have been re-grouped and re-classified wherever necessary to make them comparable with the current year's figures.

## Additional disclosures

as per RBI guidelines

### 1. Capital adequacy (As per Basel I)

(₹ Crore)

Sr. No.	Particulars	FY 2022-23	FY 2021-22
i)	Common Equity*	Not Applicable	Not Applicable
ii)	Additional Tier 1 capital*	Not Applicable	Not Applicable
(iii)	Total Tier 1 capital	24,589.43	22,621.82
(iv)	Tier 2 capital	623.95	15.41
v)	Total Capital ( Tier 1+Tier 2)	25,213.38	22,637.23
vi)	Total Risk Weighted Assets (RWAs)	1,30,691.61	93,239.24
vii)	Common Equity Ratio ( Common Equity as a percentage of RWAs) *	Not Applicable	Not Applicable
viii)	Tier 1 Ratio ( Tier 1 capital as a percentage of RWAs)	18.81%	24.26%
ix)	Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) (Total Capital as a percentage of RWAs)	19.29%	24.28%
x)	Percentage of the shareholding of the Government of India	20.85	20.85
xi)	Amount of equity capital raised	-	-
xii)	Amount of Additional Tier 1 capital raised; of which	-	-
	a.) Perpetual Non-Cumulative Preference Shares (PNCPS):	-	-
	b.) Perpetual Debt Instruments (PDI)	-	-
xiii)	Amount of Tier 2 capital raised; of which	-	-
	a.) Debt capital instruments:	-	-
	b.) Perpetual Cumulative Preference Shares (PCPS)	-	-
	c.) Redeemable Non-Cumulative Preference Shares (RNCPS)	-	-
	d.) Redeemable Cumulative Preference Shares (RCPS)	-	-

\* The figures are not being calculated at present, since BASEL-III is not applicable.

### 2. Free Reserves and Provisions

#### (a) Provision on Standard Assets

(₹ Crore)

Particulars	FY 2022-23	FY 2021-22
Provisions towards Standard Assets (cumulative)	1,757.94	1064.85

#### (b) Floating Provisions

(₹ Crore)

Particulars	FY 2022-23	FY 2021-22
Opening balance in the floating provisions account	495.67	1,099.96
The quantum of floating provisions made in the accounting year	0.00	0.00
Amount of draw down made during the accounting year*	0.00	604.29
Closing balance in the floating provisions account	495.67	495.67

\* Amount utilised for making NPA provision in terms of RBI circular dated May 05, 2021 and as per Bank's Board approved policy on floating provision.

### 3. Asset Quality and specific provisions

#### (a) Non-Performing Advances

Particulars	(₹ Crore)	
	FY 2022-23	FY 2021-22
<b>(i) Net NPAs to Net Advances (%)</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.07%</b>
<b>(ii) Movement of NPAs (Gross)</b>		
(a) Opening balance	217.62	282.31
(b) Additions during the year	93.39	1,030.59
(c) Reductions during the year	277.66	1,095.28
(d) Closing balance	<b>33.35</b>	<b>217.62</b>
<b>(iii) Movement of Net NPAs *</b>		
(a) Opening balance	132.10	185.25
(b) Additions during the year	(82.66)	5.90
(c) Reductions during the year	40.88	59.05
(d) Closing balance	<b>8.56</b>	<b>132.10</b>
<b>(iv) Movement of provisions for NPAs (excluding provisions on standard assets)</b>		
(a) Opening balance	85.52	97.05
(b) Provisions made during the year	176.05	1,024.70
(c) Write of / write back of excess provisions	236.78	1,036.23
(d) Closing balance	<b>24.79</b>	<b>85.52</b>

\*The Net NPA will be NIL for the current year and previous year, if the amount of floating provision is adjusted against the same.

#### (b) Non-Performing Investments

Particulars	(₹ Crore)	
	FY 2022-23	FY 2021-22
<b>(i) Net NPIs to Net Investments (%)</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
<b>(ii) Movement of NPIs (Gross)</b>		
(a) Opening balance	350.16	344.62
(b) Additions during the year	0.00	5.54
(c) Reductions during the year	18.78	0.00
(d) Closing balance	<b>331.38</b>	<b>350.16</b>
<b>(iii) Movement of Net NPIs</b>		
(a) Opening balance	0.00	0.00
(b) Additions during the year	0.00	0.00
(c) Reductions during the year	0.00	0.00
(d) Closing balance	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>(iv) Movement of provisions for NPIs (excluding provisions on standard assets)</b>		
(a) Opening balance	350.16	344.62
(b) Provisions made during the year	0.00	5.54
(c) Write of / write back of excess provisions	18.78	0.00
(d) Closing balance	<b>331.38</b>	<b>350.16</b>

\*Includes security (Book Value stated at ₹1/-) acquired by way of conversion of debt in line with extent RBI guidelines and the same has been fully redeemed in the same year.

#### (c) Non-Performing Assets (a+b)

Particulars	(₹ Crore)	
	FY 2022-23	FY 2021-22
<b>(i) Net NPAs to Net Assets (Advanced + investments) (%)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.06%</b>
<b>(ii) Movement of NPAs (Gross Advances + Gross investments)</b>		
(a) Opening balance	567.79	626.93
(b) Additions during the year	93.39	1,036.14
(c) Reductions during the year	296.44	1,095.28
(d) Closing balance	<b>364.74</b>	<b>567.79</b>
<b>(iii) Movement of Net NPAs</b>		
(a) Opening balance	132.10	185.25
(b) Additions during the year	(82.66)	5.90
(c) Reductions during the year	40.88	59.05
(d) Closing balance	<b>8.56</b>	<b>132.10</b>
<b>(iv) Movement of provisions for NPAs (excluding provisions on standard assets)</b>		
(a) Opening balance	435.69	441.68
(b) Provisions made during the year	176.05	1,030.24
(c) Write of / write back of excess provisions	255.56	1,036.23
(d) Closing balance	<b>356.18</b>	<b>435.69</b>

**(d) Disclosure of Restructured Accounts**

(₹ Crore)

Sl	Type of Restructuring → Asset Classification → Details ↓	Under CDR Mechanism				Under SME Debt Restructuring Mechanism					
		Standard	Sub- Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub- Standard	Doubtful	Loss	Total
1	Restructured Accounts as on April 1 of the FY (opening figures)*	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Amount outstanding	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Provision thereon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Fresh restructuring during the year	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Amount outstanding	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Provision thereon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Upgradations to restructured category during the FY	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Amount outstanding	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Provision thereon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Amount outstanding	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Provision thereon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Downgradations of restructured accounts during the FY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Amount outstanding	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Provision thereon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Write-offs of restructured accounts during the FY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Amount outstanding	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Provision thereon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Restructured Accounts as on March 31 of the FY (closing figures)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Amount outstanding	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Provision thereon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



**(d) Disclosure of Restructured Accounts**

(₹ Crore)

Sl	Type of Restructuring →	Asset Classification →	Others				Total					
			Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	
<b>Details ↓</b>												
1	Restructured Accounts as on April 1 of the FY (opening figures)*	No. of Borrowers	14	2	10	-	26	14	2	10	-	26
		Amount outstanding	69.95	6.36	32.68	-	108.99	69.95	6.36	32.68	-	108.99
		Provision thereon	0.18	0.02	0.05	-	0.25	0.18	0.02	0.05	-	0.25
2	Fresh restructuring during the year	No. of Borrowers	1	3	-	-	4.00	1	3	-	-	4
		Amount outstanding	0.27	4.18	-	-	4.45	0.27	4.18	-	-	4.45
		Provision thereon	0.01	-	-	-	0.01	0.01	-	-	-	0.01
3	Upgradations to restructured standard category during the FY	No. of Borrowers	1	(1)	-	-	-	1	(1)	-	-	-
		Amount outstanding	5.03	(5.03)	-	-	-	5.03	(5.03)	-	-	-
		Provision thereon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY	No. of Borrowers	(4)	-	-	-	(4)	(4)	-	-	-	(4)
		Amount outstanding	(19.58)	-	-	-	(19.58)	(19.58)	-	-	-	(19.58)
		Provision thereon	(0.17)	-	-	-	(0.17)	(0.17)	-	-	-	(0.17)
5	Downgradations of restructured accounts during the FY	No. of Borrowers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Amount outstanding	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Provision thereon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Write-offs of restructured accounts during the FY	No. of Borrowers	(4)	(4)	(10)	-	(18)	(4)	(4)	(10)	-	(18)
		Amount outstanding	(28.58)	(5.50)	(32.69)	-	(66.77)	(28.58)	(5.50)	(32.69)	-	(66.77)
		Provision thereon	-	(0.02)	(0.05)	-	(0.07)	-	(0.02)	(0.05)	-	(0.07)
7	Restructured Accounts as on March 31 of the FY (closing figures)*	No. of Borrowers	8	-	-	-	8	8	0	0	-	8
		Amount outstanding	27.09	-	0.00	-	27.09	27.09	-	0.00	-	27.09
		Provision thereon	0.02	0.00	(0.00)	-	0.02	0.02	0.00	(0.00)	-	0.02

\* Excluding the figures of Standard Restructured Advances which do not attract higher provisioning or risk weight (if applicable).

Note: Figures at Sr. No.6 includes increase in outstanding net of reduction / recovery of ₹6.76 crore in respect of existing restructured accounts and closure of 7 borrower amounting to ₹33.01 crore and provision of ₹0.05 crore. Further, during FY 2023 one account amounting to ₹0.27 crore and provision of ₹0.01 crore upgraded from writeoff to standard category and showing under addition.

(e) Movement of Non-performing assets

(₹ Crore)

Particulars	FY 2022-23	FY 2021-22
Gross NPAs as on April 01	217.62	282.31
Additions (Fresh NPAs) during the year	93.39	1,030.59
<b>Sub total (A)</b>	<b>311.01</b>	<b>1,312.90</b>
Less :-		
(i) Upgradations	35.01	37.62
(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	23.84	46.93
(iii) Technical / Prudential Write offs	211.42	1,005.06
(iv) Write offs other than those under (iii) above	7.39	5.67
<b>Sub-total (B)</b>	<b>277.66</b>	<b>1,095.28</b>
<b>Gross NPAs as on March 31 (A-B)</b>	<b>33.35</b>	<b>217.62</b>

(f) Write-offs and recoveries

(₹ Crore)

Particulars	FY 2022-23	FY 2021-22
Opening balance of Technical / Prudential written off accounts as at April 01	3,389.19	2,624.88
Add : Technical / Prudential write offs during the year	211.42	1,005.06
<b>Sub total (A)</b>	<b>3,600.61</b>	<b>3,629.94</b>
Less : Actual write off	543.57	37.83
Less : Recoveries made from previously technical / prudential written off accounts during the year	288.81	202.92
<b>Sub total (B)</b>	<b>832.38</b>	<b>240.75</b>
<b>Closing balance as at March 31 (A-B)</b>	<b>2,768.23</b>	<b>3,389.19</b>

(g) Overseas Assets, NPAs and Revenue

Particulars	FY 2022-23	FY 2021-22
Total Assets	Nil	Nil
Total NPAs	Nil	Nil
Total Revenue	Nil	Nil

**(h) Depreciation and provisions on investments**

(₹ Crore)		
Particulars	FY 2022-23	FY 2021-22
<b>(1) Investments</b>		
(i) Gross Investments	<b>29,450.89</b>	<b>24,306.52</b>
(a) In India	29,450.89	24,306.52
(b) Outside India	-	-
(ii) Provisions for Depreciation	<b>362.23</b>	<b>354.96</b>
(a) In India	362.23	354.96
(b) Outside India	-	-
(iii) Net Investments	<b>29,088.66</b>	<b>23,951.56</b>
(a) In India	29,088.66	23,951.56
(b) Outside India	-	-
<b>(2) Movement of provisions held towards depreciation on investments</b>		
(i) Opening balance	<b>4.80</b>	<b>19.45</b>
(ii) Add: Provisions made during the year	26.05	-
(iii) Appropriation, if any, from Investment Fluctuation Reserve Account during the year	-	-
(iv) Less: Write off / write back of excess provisions during the year*	-	14.65
(v) Less: Transfer, if any, to Investment Fluctuation Reserve Account	-	-
(vi) Closing balance	<b>30.85</b>	<b>4.80</b>

\*The Bank has appropriated ₹10.96 crore (net of applicable taxes) to Investment Fluctuation Reserve Account in FY 2022.

**(i) Provisions and Contingencies**

(₹ Crore)		
Break up of 'Provisions and Contingencies' shown under the head Expenditure in Profit and Loss Account	FY 2022-23	FY 2021-22
Provisions for depreciation/NPI on Investment	7.27	(9.11)
Provision towards NPA	157.78 @	402.58 @#
Provision made towards Income tax (Including Deferred Tax Assets/Liability)	1053.91	430.23
Other Provision and Contingencies (with details)	693.09 \$	(41.65)§

@ net of restructuring provision

# Net of write back of floating provision.

\$ includes provision for standard asset.

**(j) Provisioning Coverage Ratio (PCR)**

Particulars	FY 2022-23	FY 2021-22
Provisioning Coverage Ratio (PCR)*	99.69%	96.22%

\* Floating provision has not been considered while calculating PCR.

**(k) Provisioning pertaining to Frauds**

(₹ Crore)		
Particulars	FY 2022-23	FY 2021-22
No. of frauds reported during the year	8	1
Amount involved in fraud	32.54	6.67
Amount involved in fraud net of recoveries/write offs/unrealised interest as at the end of the year	26.73	6.47
Provision made during the year	1.13	-
Provision held as at the end of the year for the above accounts	26.73	6.47
Amount of unamortised provision debited from "other reserves" as at the end of the year	-	-

#### 4. Investment portfolio: constitution and operations

##### (a) Repo Transactions

(₹ Crore)

	Minimum outstanding during the year FY 2023	Maximum outstanding during the year FY 2023	Daily Average outstanding during the year FY 2023	Outstanding as on March 31, 2023
Securities sold under repo				
i. Government securities	-	13,673.20	2,720.28	10543.96
ii. Corporate debt securities	-	-	-	-
Securities purchased under reverse repo				
i. Government securities	-	14,994.39	1,632.35	1,998.89
ii. Corporate debt securities	-	-	-	-

(₹ Crore)

	Minimum outstanding during the year FY 2022	Maximum outstanding during the year FY 2022	Daily Average outstanding during the year FY 2022	Outstanding as on March 31, 2022
Securities sold under repo				
i. Government securities	-	3,735.68	348.89	2568.91
ii. Corporate debt securities	-	-	-	-
Securities purchased under reverse repo				
i. Government securities	-	21,610.09	6,450.69	299.89
ii. Corporate debt securities	-	-	-	-

##### (b) Disclosure of Issuer Composition for Investment in Debt Securities

(₹ Crore)

Issuer	Amount	Amount as on March 31, 2023			
		Investment made through private placement	Below Investment Grade Securities Held	Unrated securities held	Unlisted securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(i) PSUs	363.31	278.25	-	-	-
(ii) FIs	2,795.10	2,795.10	-	189.83	189.83
(iii) Banks	8,302.72	8,302.72	-	103.50	103.50
(iv) Private Corporates	379.93	379.93	-	379.93	371.30
(v) Subsidiaries/Joint ventures	1,751.05	1,751.05	-	1,751.05	1,751.05
(vi) Others	1,045.81	1,045.81	-	1,045.81	1,045.81
(vii) Provision held towards depreciation	-362.23	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>14,275.69</b>	<b>14,552.86</b>	<b>-</b>	<b>3,470.12</b>	<b>3,461.49</b>

##### (c) Sale & transfers of securities to /from HTM category :

During the FY2023, the Bank shifted investments in Venture Capital Funds from HTM to AFS category in accordance with extant RBI guidelines. Except for the above, there was no shifting on investments to/from HTM category.

## 5. Details of Financial Assets purchased/ sold

### (a) Details of Financial Assets sold to Securitisation / Reconstruction Company for Asset Reconstruction

#### (i) Details of Sales

(₹ Crore)

Particulars	FY 2022-23	FY 2021-22
(i) No. of accounts	Nil	Nil
(ii) Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC	Nil	Nil
(iii) Aggregate consideration	Nil	Nil
(iv) Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	Nil	Nil
(v) Aggregate gain / loss over net book value	Nil	Nil

#### (ii) Details of Book Value of Investments in Security Receipts

(₹ Crore)

Particulars	Book value of investments in security receipts	
	FY 2022-23	FY 2021-22
(i) Backed by NPAs sold by the AIFI as underlying	0.27	0.27
(ii) Backed by NPAs sold by banks / other financial institutions / non-banking financial companies as underlying	-	-
<b>Total</b>	<b>0.27</b>	<b>0.27</b>

### (b) Details of Non Performing Financial Assets Purchased / Sold

#### (i) Details of non performing financial assets purchased:

(₹ Crore)

Particulars	FY 2022-23	FY 2021-22
1. (a) No. of accounts purchased during the year	Nil	Nil
(b) Aggregate outstanding	Nil	Nil
2. (a) Of these, number of accounts restructured during the year	Nil	Nil
(b) Aggregate outstanding	Nil	Nil

#### (ii) Details of non performing financial assets sold:

(₹ Crore)

Particulars	FY 2022-23	FY 2021-22
1. No. of accounts sold	Nil	Nil
2. Aggregate outstanding	Nil	Nil
3. Aggregate consideration received	Nil	Nil

## 6. Operating Results

Particulars	FY 2022-23	FY 2021-22
(i) Interest income as a percentage to average working funds(%)	5.37	4.28
(ii) Non-interest income as a percentage to average working funds(%)	0.16	0.21
(iii) Operating profit as a percentage to average working funds (before provisions)(%)	1.57	1.35
(iv) Return on average assets (before provisions for taxation)(%)	1.32	1.17
(v) Net Profit per employee (₹ crore)	3.22	1.99

## 7. Credit Concentration risk

### (a) Capital market exposure

(₹ Crore)

Particulars	FY 2022-23	FY 2021-22
(i) direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	320.03	456.70
(ii) advances against shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs / ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity oriented mutual funds;	-	-
(iii) advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	-	-
(iv) advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares / convertible bonds / convertible debentures / units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	-	-
(v) secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;	-	-
(vi) loans sanctioned to corporates against the security of shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	-	-
(vii) bridge loans to companies against expected equity flows / issues;	-	-
(viii) underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	-	-
(ix) financing to stockbrokers for margin trading;	-	-
(x) all exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	1,173.59	1,022.18
<b>Total Exposure to Capital Market</b>	<b>1,493.62</b>	<b>1,478.88</b>

### (b) Exposure to Country risk

(₹ Crore)

Risk Category	FY 2022-23		FY 2021-22	
	Net Funded Exposure	Provision held	Net Funded Exposure	Provision held
Insignificant	10,902.69	26.40	11,269.51	27.66
Low	1,018.09	-	998.70	-
Moderate	15.90	-	1.00	-
High	5.64	-	-	-
Very High	-	-	-	-
Restricted	-	-	-	-
Off-credit	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>11,942.32</b>	<b>26.40</b>	<b>12,269.21</b>	<b>27.66</b>

### (c) Prudential Exposure Limits - Single Borrower Limit (SGL) / Group Borrower Limit (GBL) exceeded.

(i) The number and amount of exposures in excess of the prudential exposure limits during the year.

SI. No.	PAN Number	Borrower Name	Industry Code	Industry Name	Sector	Amount Funded	Amount Non-Funded	Exposure as % to capital Funds
	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

## ii) Credit exposure as percentage to capital funds and as percentage to total assets, in respect of :

S r. No.	Particulars	FY 2022-23		FY 2021-22	
		As % to Total Assets	As % to Capital funds	As % to Total Assets	As % to Capital funds
1	The largest single borrower	14.88%	237.41%	17.51%	191.31%
	The largest borrower group	As large borrowers are Primary lending Institutions, the concept of borrower group is not applicable.			
2	The 20 largest single borrowers	70.68%	1127.93%	65.53%	716.11%
	The 20 largest borrower group	As large borrowers are Primary lending Institutions the concept of borrower group is not applicable.			

## iii) Credit exposure to the five largest industrial sectors as percentage to total loan assets :

(₹ Crore)

Name of Industry	FY 2022-23		FY 2021-22	
	Credit Exposure	% to total loan assets	Credit Exposure	% to total loan assets
TEXTILE PRODUCTS	1373.15	0.39	821.55	0.41
AUTO ANCILLARIES	1303.56	0.37	871.11	0.43
METAL PRODUCTS N.E.C.	1298.56	0.36	1072.24	0.53
PLASTIC MOULDED GOODS	707.12	0.20	601.17	0.30
METAL PRODUCTS PARTS EXCEPT MACHINERY	648.03	0.18	580.84	0.29

(iv) Total amount of advances for which intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority etc. has been taken is 'Nil'.

(v) The bank had no factoring exposure during the current year and previous year.

(vi) The bank had not exceeded the Prudential Exposure Limits during the current year and previous year.

## (d) Concentration of borrowings /lines of credit, credit exposures and NPAs

## (i) Concentration of borrowings and lines of credit

(₹ Crore)

Particulars	FY 2022-23	FY 2021-22
Total borrowings from twenty largest lenders	2,86,928.23	1,81,350.77
Percentage of borrowings from twenty largest lenders to total borrowings	78.46%	83.73%

## (ii) Concentration of Exposures

(₹ Crore)

Particulars	FY 2022-23	FY 2021-22
Total advances to twenty largest borrowers	2,83,925.02	1,61,623.21
Percentage of advances to twenty largest borrowers to Total Advances	79.65%	79.88%
Total Exposure to twenty largest borrowers / customers	3,09,645.04	1,75,921.47
Percentage of exposures to twenty largest borrowers / customers to Total Exposure	74.35%	68.02%



(iii) Sector-wise concentration of exposures and NPAs

(₹ Crore)

Sr. No.	Sector	FY 2022-23			FY 2021-22		
		Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
I.	Industrial sector	3,18,130.93	14.74	0.00%	1,81,265.82	199.00	0.11%
	1 Central Government	-	-	-	-	-	-
	2 Central PSUs	-	-	-	-	-	-
	3 State Governments	1,541.63	-	-	180.83	-	-
	4 State PSUs	-	-	-	-	-	-
	5 Scheduled Commercial Banks	2,98,173.25	-	-	1,66,831.69	-	-
	6 Regional Rural Banks	-	-	-	-	-	-
	7 Co-operative banks	-	-	-	-	-	-
	8 Private sector (excluding banks)	18,416.05	14.74	0.08%	14,253.30	199.00	1.38%
II.	Micro-finance sector	4,918.26	18.61	0.38%	3,136.30	18.62	0.01
III.	Others*	33,414.67	-	-	17,935.18	-	-
	<b>Total (I+II+III)</b>	<b>3,56,463.86</b>	<b>33.35</b>	<b>0.01%</b>	<b>2,02,337.30</b>	<b>217.62</b>	<b>0.11%</b>

\* includes advances to NBFCs

8. Derivatives

(a) Forward Rate Agreement / Interest Rate Swap

(₹ Crore)

Sr. No	Particulars	FY 2022-23	FY 2021-22
i)	The notional principal of swap agreements	123.72	185.58
ii)	Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfill their obligations under the agreements	(1.91)	2.29
iii)	Collateral required by the bank upon entering into swaps	Nil	Nil
iv)	Concentration of credit risk arising from the swaps	-	3.25
v)	The fair value of the swap book	(1.91)	2.29

The nature and terms of the IRS as on March 31, 2023 are set out below:

Sl. no.	Nature	Nos.	Notional Principal	Benchmark	Terms
1	Hedging	1	INR 123,72,29,020.00	6 M USD LIBOR	Fixed receivable V/s floating payable

The nature and terms of the IRS as on March 31, 2022 are set out below

Sl. no.	Nature	Nos.	Notional Principal	Benchmark	Terms
1	Hedging	1	INR 185,58,43,530.00	6 M USD LIBOR	Fixed receivable V/s floating payable

(b) Exchange Traded Interest Rate Derivatives

(₹ Crore)

Sr. No	Particulars	FY 2022-23	FY 2021-22
i)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument - wise)	NIL	NIL
ii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on March 31 (instrument - wise)	NIL	NIL
iii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument - wise)	NIL	NIL
iv)	Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument - wise)	NIL	NIL

**(c) Disclosures on risk exposure in derivatives****(i) Qualitative Disclosures**

- (1) The Bank uses Derivatives for hedging of interest rate and exchange risk arising out of mismatch in the assets and liabilities. All derivatives undertaken by Bank are for hedging purposes with underlying as Foreign Currency borrowings, which are not MTM, but only translated. The Bank does not undertake trading in Derivatives.
- (2) Internal Control guidelines and accounting policies are framed and approved by the Board. The derivative structure is undertaken only after approval of the competent authority. The particulars of derivative details undertaken are also reported to ALCO/Board.
- (3) The Bank has put systems in place for mitigating the risk arising out of derivative deals. The Bank follows the accrual method for accounting the transactions arising out of derivative deals.

**(d) Disclosure on Credit default swap - Bank has not undertaken any credit default swap during the year.****(ii) Quantitative Disclosures**

(₹ Crore)

S r. No.	Particulars	FY 2022-23		FY 2021-22	
		Currency Derivatives	Interest rate Derivatives	Currency Derivatives	Interest rate Derivatives
1	Derivatives ( Notional Principal Amount )	3,361.40	123.72	3,902.68	185.58
	(i) For hedging	3,361.40	123.72	3,902.68	185.58
	(ii) For trading	-	-	-	-
2	Marked to Market Positions [1]	535.51	(1.91)	296.35	2.29
	(i) Asset (+)	535.51		296.35	2.29
	(ii) Liability (-)	-	1.91	-	-
3	Credit Exposure [2]	730.12	-	557.49	3.25
4	Likely impact of one percentage change in interest rate (100* PV01)	1,681.43	(0.72)	56.18	(0.02)
	(i) On hedging derivatives	1,681.43	(0.72)	56.18	(0.02)
	(ii) On trading derivatives	-	-	-	-
5	Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year				
	(i) On hedging	1912.87/0.56	(0.72)/(2.47)	88.26/56.18	(2.37)/(4.82)
	(ii) On trading	-	-	-	-

**9. Disclosure of Letters of Comfort (LoCs) issued.**

The particulars of Letters of Comfort (LoCs) issued during the year, assessed financial impact, and assessed cumulative financial obligations under the LoCs issued in the past and outstanding is as under:

(₹ Crore)

LoCs outstanding as on April 01, 2022		LoC issued during the year		LoCs redeemed during the year		LoCs outstanding as on March 31, 2023	
No of LoC	Amount	No of LoC	Amount	No of LoC	Amount	No of LoC	Amount
-	-	-	-	-	-	-	-

**10. Asset Liability Management**

(₹ Crore)

	1 to 14 days	15 to 28 days	29 days to 3 months	Over 3 months & up to 6 months	Over 6 month & up to 1 year	Over 1 year & up to 3 years	Over 3 years & up to 5 years	Over 5 years	Total
Deposits	34.63	28.75	1,616.06	375.23	40,178.28	1,17,330.89	2,791.15	2,681.16	1,65,036.15
Advances	6,997.81	3,988.66	50,914.03	65,123.20	65,005.05	1,50,447.99	12,202.58	1,759.75	3,56,439.07
Investments	12,067.13	893.26	9,319.83	10,471.73	-	266.20	2,082.81	3,218.56	38,319.52
Borrowings	15,640.96	3,600.00	73,581.99	26,684.22	34,913.39	44,652.76	836.77	747.83	2,00,657.92
Foreign Currency Assets	6.87	8.03	911.60	32.72	364.03	2,253.17	367.78	-	3,944.20
Foreign Currency Liabilities	13.20	6.43	530.98	47.71	482.50	2,051.84	693.42	563.67	4,389.75

## 11. Draw Down from Reserves

There is no draw down from Reserves during the current year and previous year.

## 12. Business Ratios

Particulars	(₹ Crore)	
	FY 2022-23	FY 2021-22
Return on average Equity (before provisions for taxation)(%)	16.98	10.55
Return on average assets (before provisions for taxation)(%)	1.32	1.17
Net Profit per employee (₹ crore)	3.22	1.99

## 13. Disclosure of Penalties imposed by RBI

RBI had not imposed any penalty on the Bank during the current year and previous year.

## 14. Customer Complaints

### 1. Complaints received by the bank from its customers

Particulars	(₹ Crore)	
	FY 2022-23	FY 2021-22
1 No. of complaints pending at the beginning of the year	1	7
2 No. of complaints received during the year	230	234
3 No. of complaints disposed during the year	230	240
3(i) Of which, number of complaints rejected by the Bank	83	19
4 No. of complaints pending at the end of the year	1	1

### 2. Top five grounds of complaints received by the bank from customers

Grounds of complaints, (i.e. complaints relating to)	Number of complaints pending at the beginning of the year	Number of complaints received during the year	% increase/ decrease in the number of complaints received over the previous year	Number of complaints pending at the end of the year	Of 5, number of complaints pending beyond 30 days
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>FY 2023</b>					
Loans and advances	-	35	(18.60)	-	-
Levy of charges without prior notice/ excessive charges/ foreclosure charges	-	35	34.62	-	-
Others	1	53	(67.88)	1	-
<b>FY2022</b>					
Loans and advances	-	43	(27.12)	-	-
Levy of charges without prior notice/ excessive charges/ foreclosure charges	-	26	160	-	-
Others	7	165	(42.71)	1	-

RBI vide their Circular CEPD.CO.PRD.Cir.No.01/13.01.013/2020-21 dated 27.01.2021 on Strengthening of Grievance Redress Mechanism in Banks had categorized grievances under 16 categories and had advised Banks to make disclosures accordingly.

## 15. Off-Balance Sheet SPVs Sponsored

The Bank had no Off-balance sheet SPVs sponsored during the current year and previous year.

## 16. Disclosure as per specific accounting standards

### (a) Accounting Standard 5 – Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies

Income in schedule XIII - 'other income' includes Prior Period Income of ₹10,08,72,058 for FY 2022-23 [Previous Year ₹4,66,88,641] and Other expenditure in schedule XIV - 'Operating Expenses' for FY 2022-23 includes Prior Period Expenditure of ₹1,22,71,798 [Previous Year (₹2,58,64,368)].

**(b) Accounting Standard 17 – Segment Reporting**

As required under RBI master directions and Accounting Standard-17 'Segment Reporting' the Bank has disclosed "Business segment" as the Primary Segment. Since the Bank operates in India, there are no reportable geographical segments. Under Business Segment, the Bank has identified Whole Sale Operations (Direct Lending), Whole Sale Operations (Refinance) and Treasury as its three reporting segments. These segments have been identified after considering the nature and risk profile of the products and services, the organization structure and the internal reporting system of the Bank. Previous year's figures have been regrouped and reclassified to conform to the current year's methodology.

**Part A: BUSINESS SEGMENTS**

(Amount in ₹)

Business Segments	Wholesale Operations (Direct Lending)		Wholesale Operations (Refinance)		Treasury		Total	
	FY 2023	FY 2022	FY 2023	FY 2022	FY 2023	FY 2022	FY 2023	FY 2022
<b>1 Segment Revenue</b>	1,554.09	1,209.25	14,088.67	6,587.11	2,842.05	1,342.82	18,484.81	9,139.18
Exceptional Items							-	-
<b>Total</b>							<b>18,484.81</b>	<b>9,139.18</b>
<b>2 Segment Results</b>	379.02	340.18	3,109.40	1,689.44	1,238.47	600.94	4,725.89	2,629.56
Exceptional Items							-	-
<b>Total</b>							<b>4,725.89</b>	<b>2,629.56</b>
Unallocable Expenses							328.41	241.73
<b>Operating profit</b>							<b>4,397.48</b>	<b>2,388.33</b>
Income Tax (Net of write back)							1,053.91	430.23
<b>Net profit after Tax</b>							<b>3,343.57</b>	<b>1,958.10</b>
<b>3 Other information</b>								
<b>Segment Assets</b>	20,055.91	14,432.35	3,37,995.11	1,89,084.40	41,111.89	42,082.79	3,99,162.91	2,45,598.55
Unallocated Assets							3,219.82	1,779.14
<b>Total Assets</b>							<b>4,02,382.73</b>	<b>2,47,377.69</b>
<b>Segment Liabilities</b>	15,883.66	10,616.77	3,16,857.75	1,74,444.45	39,112.64	35,888.26	3,71,854.05	2,20,949.48
Unallocated Liabilities							3,025.62	2,144.58
<b>Total</b>							<b>3,74,879.67</b>	<b>2,23,094.06</b>
<b>Capital / Reserves</b>	4,155.25	3,752.69	21,028.09	14,472.02	2,319.03	6,059.92	27,502.37	24,284.63
<b>Total</b>							<b>27,502.37</b>	<b>24,284.63</b>
<b>Total Liabilities</b>							<b>4,02,382.73</b>	<b>2,47,378.69</b>

**Part B: GEOGRAPHIC SEGMENTS - The operations of the Bank is confined to India only, hence no reportable geographic segments.**

**(c) Accounting Standard 18 – Related Party Disclosures****(i) Details of Related Parties**

Name of the entity	Nature of Relationship
SIDBI Venture Capital Ltd	Subsidiary
SIDBI Trustee Company Ltd	Subsidiary
Micro Units Development & Refinance Agency Ltd	Subsidiary
India SME Technology Services Limited	Associate
Acuite Ratings Pvt Ltd	Associate
Receivables Exchange of India Limited	Associate
India SME Asset Reconstruction Company Limited	Associate
APITCO LIMITED*	Associate
KITCO LIMITED	Associate

\*Investment sold on November 20, 2021

**(ii) Key management personnel**

Shri Sivasubramanian Ramann	Chairman & Managing Director
Shri V. Satya Venkata Rao	Deputy Managing Director
Shri Sudatta Mandal	Deputy Managing Director

(iii) Significant transactions with related parties

(₹ Crore)

Items / Related Party	Sub-sidiaries	Associates/ Joint ventures	Key Management Personnel @	Relatives of Key Management Personnel	Total
<b>Borrowings#</b>	-	-	-	-	-
Outstanding at the year end	-	-	-	-	-
Maximum during the year	-	-	-	-	-
<b>Deposit#</b>	-	-	-	-	-
Outstanding at the year end	-	11.50	-	-	11.50
Maximum during the year	-	11.50	-	-	11.50
<b>Placement of deposits#</b>	-	-	-	-	-
Outstanding at the year end	-	-	-	-	-
Maximum during the year	-	-	-	-	-
<b>Advances#</b>	-	-	-	-	-
Outstanding at the year end	-	-	-	-	-
Maximum during the year	-	-	-	-	-
<b>Investments#</b>	-	-	-	-	-
Outstanding at the year end	1,751.05	36.10	-	-	1,787.15
Maximum during the year	1,751.05	36.10	-	-	1,787.15
<b>Non funded commitments#</b>	-	-	-	-	-
Outstanding at the year end	-	-	-	-	-
Maximum during the year	-	-	-	-	-
<b>Leasing arrangements availed#</b>	-	-	-	-	-
Outstanding at the year end	-	-	-	-	-
Maximum during the year	-	-	-	-	-
<b>Leasing arrangements provided#</b>	-	-	-	-	-
Outstanding at the year end	-	-	-	-	-
Maximum during the year	-	-	-	-	-
Purchase of fixed assets	-	-	-	-	-
Sale of fixed assets	-	-	-	-	-
<b>Interest paid</b>	-	0.45	-	-	0.45
<b>Interest received</b>	-	-	-	-	-
<b>Dividend received</b>	26.64	0.51	-	-	27.15
<b>Dividend paid</b>	-	-	-	-	-
<b>Rendering of services*</b>	11.76	2.75	-	-	14.51
<b>Receiving of services*</b>	-	-	-	-	-
<b>Management contracts**</b>	-	-	1.35	-	1.35

@Whole time directors of the Board

# The outstanding at the year end and the maximum during the year are to be disclosed

\* Contract services etc. and not services like remittance facilities, locker facilities etc.

\*\* Remuneration to Key Management Personnel.

**17. Unamortised Pension and Gratuity Liabilities**

The pension and gratuity liability are provided for on the basis of an actuarial valuation made at the end of each financial year based on the projected unit credit method. The actuarial gains/ losses are taken to the profit & loss account and are not amortized.

As per our report of even date

BY ORDER OF THE BOARD

For **Borkar & Muzumdar**  
Chartered Accountants  
FRN.101569W

**Ajit Nath Jha**  
Chief Financial Officer

**Sudatta Mandal**  
Deputy Managing Director

**V. Satya Venkata Rao**  
Deputy Managing Director

**Sivasubramanian Ramann**  
Chairman & Managing Director

**Darshit Doshi**  
Partner  
M.No. 133755

**G Gopalakrishna**  
Director

**Amit Tandon**  
Director

Place: Mumbai  
Date: May 12, 2023

# Cash Flow Statement

for the year ended March 31, 2023

(Amount in ₹)

31.03.2022	Particulars	31.03.2023	31.03.2023
	<b>1. Cash Flow from Operating Activities</b>		
23,88,02,02,681	Net Profit before tax as per P & L Account		43,97,48,24,372
	Adjustments for :		
36,18,71,759	Depreciation	26,23,28,294	
5,53,33,454	Provision for net depreciation in investments	26,05,29,926	
3,98,31,68,645	Provisions made (net of write back)	9,19,41,00,782	
(70,43,74,178)	Profit on sale of investments (net)	(44,63,03,402)	
(14,25,891)	Profit on sale of fixed assets	(1,33,74,835)	
(47,78,14,759)	Income Received on Investments	(32,37,39,322)	8,93,35,41,443
<b>27,09,69,61,711</b>	<b>Cash generated from operations</b>		<b>52,90,83,65,815</b>
	(Prior to changes in operating Assets and Liabilities)		
	Adjustments for net changes in :		
(38,08,83,847)	Current assets	(12,79,59,67,735)	
(17,31,75,47,708)	Current liabilities	16,38,89,72,497	
(13,44,52,273)	Bills of Exchange	(5,17,69,19,134)	
(4,59,94,00,35,099)	Loans & Advances	(15,36,08,86,06,820)	
3,66,22,24,58,973	Net Proceeds of Bonds and Debentures & other borrowings	12,49,45,48,36,350	
1,64,66,31,03,814	Deposits received	2,41,57,71,89,722	
<b>53,11,26,43,861</b>			<b>(46,64,04,95,120)</b>
80,20,96,05,572			6,26,78,70,695
(5,04,41,76,103)	Payment of Tax	(12,60,92,47,571)	(12,60,92,47,571)
<b>75,16,54,29,469</b>	<b>Net Cash flow from operating Activities</b>		<b>(6,34,13,76,876)</b>
	<b>2. Cash Flow from Investing Activities</b>		
(51,84,59,830)	Net (Purchase)/Sale of fixed assets	(28,16,59,013)	
(1,42,32,30,93,515)	Net (Purchase)/sale/redemption of Investments	8,41,52,41,728	
47,78,14,759	Income Received on Investments	32,37,39,323	
<b>(1,42,36,37,38,586)</b>	<b>Net cash used in Investing Activities</b>		<b>8,45,73,22,038</b>
	<b>3. Cash flow from Financing Activities</b>		
14,22,80,00,000	Proceeds from issuance of share capital & share premium	-	
(1,06,38,44,062)	Dividend on Equity Shares & tax on Dividend	(79,81,84,026)	
<b>13,16,41,55,938</b>	<b>Net cash used in Financing Activities</b>		<b>(79,81,84,026)</b>
<b>(54,03,41,53,179)</b>	<b>4. Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents</b>		<b>1,31,77,61,136</b>
<b>79,09,84,37,487</b>	<b>5. Cash and Cash Equivalents at the beginning of the period</b>		<b>25,06,42,84,308</b>
<b>25,06,42,84,308</b>	<b>6. Cash and Cash Equivalents at the end of the period</b>		<b>26,38,20,45,444</b>
	<b>7. Cash and cash equivalents at the end of the period includes</b>		
7,18,409	Cash in Hand		6,02,342
92,87,49,749	Current account balance with Bank		6,30,72,99,170
19,99,90,00,050	Mutual Funds		-
4,13,58,16,100	Deposits		20,07,41,43,932

Note : Cash Flow statement has been prepared as per the Indirect Method prescribed in AS-3 (Revised) 'Cash Flow Statement' issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI)

Significant Accounting Policies XV

Notes to Accounts XVI

As per our report of even date

BY ORDER OF THE BOARD

For **Borkar & Muzumdar** **Ajit Nath Jha**  
Chartered Accountants Chief Financial Officer  
FRN.101569W

**Sudatta Mandal**  
Deputy Managing Director

**V. Satya Venkata Rao**  
Deputy Managing Director

**Sivasubramanian Ramann**  
Chairman & Managing Director

**Darshit Doshi**  
Partner  
M.No. 133755

**G Gopalakrishna**  
Director

**Amit Tandon**  
Director

Place: Mumbai  
Date: May 12, 2023



## **Appendix II**

Consolidated Balance Sheet along  
with Profit and Loss Account and  
Cash Flow Statement of SIDBI



# Independent Auditor's Report

## The Board of Directors

### Small Industries Development Bank of India

#### Report on the Audit of the Consolidated Financial Statements

##### Opinion

We have audited the accompanying consolidated financial statements of **Small Industries Development Bank of India** (hereinafter referred as the 'the Bank') and its subsidiaries (the Parent and its subsidiaries together referred to as 'the Group') and its associates which comprise the consolidated Balance Sheet as at March 31, 2023, the consolidated Profit and Loss Account and the consolidated Cash Flow statement for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as 'the consolidated financial statements').

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on the consideration of reports of other auditors on separate audited financial statements of Subsidiaries, the unaudited financial statements and the other financial information of the Associates as furnished by the management, the aforesaid consolidated financial statements give the information required in accordance with Regulation 14(1) of the Small Industries Development Bank of India General Regulations, 2000 and give a true and fair view, in conformity with the Accounting Standards notified by the Institute of Chartered Accountants of India ("the ICAI") and accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Group and its associates as at March 31, 2023, of its consolidated profit and consolidated cash flows for the year ended on that date.

##### Description of Key Audit Matters

Key Audit Matter	How our audit addressed the Key Audit Matters
<b>Classification of Advances, Identification of Non-Performing Advances, Income Recognition and Provision on Advances (Schedule VIII read with Note 6 of Schedule XV to the consolidated financial statements)</b>	
(i) Advances include Refinance loans to banks, Financial Institutions, Micro Finance Institutions and NBFCs; and Direct loans including Cash credits, Overdrafts, Loans repayable on demand and Term loans.  The Reserve Bank of India ('RBI') has prescribed the 'Prudential Norms on Income Recognition, Asset Classification and Provisioning' in respect of advances for banks ('IRACP Norms').	Our audit approach / procedures towards Classification of Advances, Identification of Non-performing Advances, Income Recognition and Provision on Advances included the following: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Understanding and considering the Bank's accounting policies for NPA identification and provisioning and assessing compliance with the prudential norms prescribed by the RBI (IRACP Norms) including the additional provisions and asset classification benefit extended on restructured advances.</li> </ul>

##### Basis for Opinion

We conducted our audit of the consolidated financial statements in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Our responsibilities under those Standards are further described in the 'Auditor's Responsibilities for the Audit of the consolidated Financial Statements' section of our report. We are independent of the Group and its associates in accordance with the "Code of Ethics" issued by the Institute of Chartered Accountants of India and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the consolidated financial statements.

##### Emphasis of Matter

We draw attention to Note Nos 2A (7), 2B and 2C of "Annexure I- Additional Notes" to Consolidated Financial Statements with regard to non-consolidation of 7 associates wherein as per the management the carrying amount of the investments are not realisable and are fully provided for.

Our opinion on the consolidated financial statements is not modified in respect of above matter.

##### Key Audit Matters

Key Audit Matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements for the financial year ended March 31, 2023. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. For each matter below, our description of how our audit addressed the matter is provided in that context.

Key Audit Matter	How our audit addressed the Key Audit Matters
<p>The identification of performing and non-performing advances (including advances restructured under applicable IRACP Norms) involves establishment of proper mechanism and the Bank is required to apply significant degree of judgement to identify and determine the amount of provision required against each advance applying both quantitative as well as qualitative factors prescribed by the regulations.</p> <p>Significant judgements and estimates for NPA identification and provisioning could give rise to material misstatements on:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Completeness and timing of recognition of non-performing assets in accordance with criteria as per IRACP norms;</li> <li>- Measurement of the provision for non-performing assets based on loan exposure, ageing and classification of the loan, realizable value of security;</li> <li>- Appropriate reversal of unrealized income on the NPAs.</li> </ul> <p>Since the classification of advances, identification of NPAs and creation of provision on advances (including additional provisions on restructured advances under applicable IRACP Norms) and income recognition on advances:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Requires proper control mechanism and significant level of estimation by the Bank;</li> <li>- Has significant impact on the overall financial statements of the Bank;</li> </ul> <p>we have ascertained this area as a Key Audit Matter.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Understanding the key controls (including system based automated controls) for identification and provisioning of impaired accounts based on the extant guidelines on IRACP laid down by the RBI.</li> <li>- Performing other procedures including substantive audit procedures covering the identification of NPAs by the Bank. These procedures included:               <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Considering testing of the exception reports generated from the application systems where the advances have been recorded.</li> <li>ii. Considering the accounts reported by the Bank and other banks as Special Mention Accounts ("SMA") in RBI's central repository of information on large credits (CRILC) to identify stress.</li> <li>iii. Reviewing account statements, drawing power calculation, security and other related information of the borrowers selected based on quantitative and qualitative risk factors</li> <li>iv. Reading of minutes of credit and risk committee meetings and performing inquiries with the credit department to ascertain if there were indicators of stress or an occurrence of an event of default in a loan account or any product.</li> <li>v. Considering key observations arising out of Internal Audits and Concurrent Audits conducted as per the policies and procedures of the Bank.</li> <li>vi. Considering the RBI Financial Inspection report on the Bank, the Bank's response to the observations and other communication with RBI during the year</li> <li>vii. Reviewing the report submitted by external expert appointed by the Bank to verify compliance with the RBI circular on Automation of IRACP processes through the Bank's core banking system.</li> <li>viii. Examination of advances including stressed/restructured advances on a sample basis with respect to compliance with the RBI Master Circulars / Guidelines.</li> <li>ix. Seeking independent confirmation of account balances for sample borrowers</li> <li>x. Visits to branches/offices and examination of documentation and other records relating to advances.</li> </ol> </li> </ul> <p>For Non- performing advances identified, we, based on factors including stressed sectors and account materiality, tested on a sample basis the asset classification dates, reversal of unrealized interest, value of available security and provisioning as per IRACP norms. We recomputed the provision for NPA on such samples after considering the key input factors and compared our measurement outcome to that prepared by management.</p>

Key Audit Matter	How our audit addressed the Key Audit Matters
<p>(ii) <b>Valuation of Investments, Identification of and provisioning for Non-Performing Investments (Schedule VII read with Note 3 of Schedule XV to the consolidated financial statements)</b></p> <p>Investments are categorized under Treasury operations and Business Operations. Investments include investments made by the Bank in Central and State Governments Securities, Bonds, Debentures, Shares, Mutual Funds, VCFs and other approved securities. RBI Circulars and directives, inter-alia, cover valuation of investments, classification of investments, identification of non-performing investments, non-recognition of income and provisioning against non-performing investments.</p> <p>The valuation of each category (type) of the aforesaid securities is to be done as per the method prescribed in circulars and directives issued by the RBI which involves collection of data/information from various sources such as FBIL/FIMMDA rates, rates quoted on BSE/NSE, financial statements of unlisted companies etc.</p> <p>We identified valuation of investments and identification of NPI as a Key Audit Matter because of the management judgement involved in determining the value of certain investments (Bonds and Debentures, VCFs) based on applicable Regulatory guidelines and the Bank's policies, impairment assessment for HTM book based on management judgement, the degree of regulatory focus and the overall significance to the financial results of the Bank.</p>	<p>Our audit approach/procedures towards Investments with reference to the RBI Circulars/directives included the understanding of internal controls and substantive audit procedures in relation to valuation, classification, identification of non-performing investments (NPIs) and provisioning/depreciation related to Investments. In particular -</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- We evaluated and understood the Bank's internal control system to comply with relevant RBI guidelines regarding valuation, classification, identification of NPIs, reversal of income on NPIs and provisioning/depreciation related to investments;</li> <li>- We assessed and evaluated the process adopted for collection of information from various sources for determining market value of these investments;</li> <li>- For the selected sample of investments in hand, we tested accuracy and compliance with the RBI Master Circulars and directions by re-performing valuation for each category of the security;</li> <li>- We carried out substantive audit procedures to recompute independently the provision to be maintained in accordance with the circulars and directives of the RBI. Accordingly, we selected samples from the investments of each category and tested for NPIs as per the RBI guidelines and recomputed the provision to be maintained and if accrual of income is in accordance with the RBI Circular for those selected sample of NPIs;</li> </ul>
<p>(iii) <b>Information Technology ('IT') Systems and Controls for financial reporting</b></p> <p>The Bank's key financial accounting and reporting processes are highly dependent on information systems including automated controls in systems, such that there exists a risk that gaps in the IT control environment could result in the financial accounting and reporting records being materially misstated.</p> <p>Due to the pervasive nature and complexity of the IT environment as well as its importance in relation to accurate and timely financial reporting, we have identified this area as a Key Audit Matter.</p>	<p>As a part of our audit procedures for review of the Bank's IT systems and related controls for financial reporting:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- We tested the design and operating effectiveness of the Bank's IT systems and controls that are critical to financial reporting.</li> <li>- The Bank has a system in place for getting application software audits for identified Application Systems at reasonable intervals. Information System (IS) Audit is done by the Bank at reasonable intervals.</li> <li>- We reviewed key observations arising out of audits conducted on the Bank's IT systems during the year.</li> </ul>

Key Audit Matter	How our audit addressed the Key Audit Matters
<p>(iv) <b>Assessment of Provisions and Contingent Liabilities (Note 10 and Note 12 of Schedule XV to the consolidated financial statements)</b></p> <p>Assessment of Provisions and Contingent liabilities in respect of certain litigations including Direct Taxes, various claims filed by other parties not acknowledged as debt (Schedule XI to the consolidated financial statements) and various employee benefits schemes (Schedule V to the consolidated financial statements) was identified as a significant audit area.</p> <p>There is high level of judgement involved in estimating the level of provisioning required as well as in the disclosure of both Provisions and Contingent Liabilities in respect of tax matters and other legal claims. The Bank's assessment is supported by the facts of matter, their own judgment, past experience, and advice from legal and independent tax consultants wherever considered necessary. Accordingly, unexpected adverse outcomes may significantly impact the Bank's reported profit and state of affairs presented in the Balance Sheet.</p> <p>The valuations of the employee benefit liabilities are calculated with reference to multiple actuarial assumptions and inputs including discount rate, rate of inflation and mortality rates. The valuation of funded assets in respect of the same is also sensitive to changes in the assumptions.</p> <p>We determined the above area as a Key Audit Matter in view of associated uncertainty relating to the outcome of the matters which requires application of judgment in interpretation of law, circumstances of each case and estimates involved.</p>	<p>Our audit approach / procedures involved:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Understanding the current status of the litigations/ tax assessments;</li> <li>- Examining recent orders and/or communication received from various tax authorities/ judicial forums and follow up action thereon;</li> <li>- Evaluating the merit of the subject matters identified as significant, with reference to the grounds presented therein and available independent legal / tax advice including opinion of the Bank's tax consultants;</li> <li>- Review and evaluation of the contentions of the Bank through discussions, collection of details of the subject matter under consideration, the likely outcome and consequent potential outflows on those issues; and</li> <li>- Ensuring completeness and accuracy of the data, the measurement of the fair value of the schemes' assets, understanding the judgements made in determining the assumptions used by management to value the employee liabilities with specific schemes and market practice.</li> <li>- Our audit procedures included an assessment of some assumptions used by the actuary by comparing life expectancy assumptions with relevant mortality tables, benchmarking inflation and discount rates against external market data. We verified the value of plan assets to the statements provided by asset management companies managing the plan assets.</li> <li>- Verification of disclosures related to significant litigations, taxation matters and Employee benefits liabilities in the consolidated financial statements.</li> </ul>

### Information other than the consolidated Financial Statements and Auditor's Report Thereon

The Bank's Management is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the Annual Report, but does not include the consolidated financial statements and our auditor's report thereon. The Bank's annual report is expected to be made available to us after the date of this auditor's report.

Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and we will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the

consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated. When we read the Bank's annual report, if we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to communicate the matter to those charged with governance.

### Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the consolidated Financial Statements

The Bank's Management is responsible with respect to the preparation and presentation of these consolidated financial statements that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated cash flows of the Group including its associates in accordance with the Small Industries Development Bank of India General Regulations, 2000, and accounting principles

generally accepted in India including the Accounting Standards issued by ICAI, and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. The respective Management of the entities included in the Group and of its associates are responsible for maintenance of adequate accounting records for safeguarding of the assets of the Group and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the consolidated financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, the respective Management of the entities included in the Group and of its associates are responsible for assessing the ability of the Group and of its associates to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The respective Management of the entities included in the Group and of its associates are also responsible for overseeing the financial reporting process of the Group and of its associates.

### **Auditor's Responsibilities for the audit of the consolidated Financial Statements**

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's Internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures in the consolidated financial statements made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the appropriateness of this assumption. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group and its associates to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities within the Group and its associates to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the audit of financial information of the Bank included in consolidated financial statements of which we are the independent auditors. For the other entities included in the consolidated financial statements, which have been audited by other auditors, such other auditors remain responsible for the direction, supervision and performance of the audits carried out by them. We remain solely responsible for our audit opinion. Our responsibilities in this regard are further described under 'Other Matters' in this audit report.

Materiality is the magnitude of the misstatements in the standalone financial statements that, individually or aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning of the scope of our audit work and evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatement in the financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and



timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements for the financial year ended March 31, 2023 and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

### Other Matters

- I. These Consolidated Financial Results incorporate the relevant returns of 26 branches of the Bank visited/ audited by us including Bank's Head Office which covers 96.30% of Advances, 99.30% of deposits and 100% of Borrowings of the Bank as on 31st March 2023 and 95.09% of Interest income on advances, 99.19% of interest expense on deposits and 100% of interest expense on borrowings of the Bank for the year ended 31st March 2023. These branches have been selected in consultation with the management of the Bank. In conduct of our audit, we have relied upon various information and returns received from remaining branches of the Bank not visited by us and generated through centralized data base at Bank's Head Office.
- II. We did not audit the financial statements of the Three Subsidiaries, whose financial statements reflect total assets of Rs 38,585.53 crore as at 31st March 2023, total revenues of Rs 1,553.98 crore and total net profit after tax of Rs 580.73 crore for the year ended 31st March 2023 and net cash outflow amounting to Rs 291.85 crore for the year ended on that date, as considered in the consolidated financial statements, which have been audited by other independent auditors, whose reports have been furnished to us by the Management. Our opinion on the consolidated financial statement, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these subsidiaries, and our report is based solely on the report of the other auditors.
- III. The consolidated financial statements also include the Group's share of net profit of Rs. 33.81 crore for the year ended March 31, 2023, as considered in the consolidated financial statements, in respect of associates whose financial statements have not been audited by us. These

financial statements are unaudited and have been furnished to us by the Management and our opinion on the consolidated financial statement, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these associates, is based solely on such unaudited financial statements/financial information. We have relied on the management's written representation to us that the effect of the changes / adjustments, if any, required to be made to the reported numbers of these Associates consequent to their audit would not be material for the Group.

Our opinion on the consolidated financial statements and our Report on Other Legal and Regulatory Requirements below is not modified in respect of the above matters and with respect to our reliance on the work done and the reports of the other auditors and the financial statements/ financial information certified by the Management.

### Report on Other Legal and Regulatory Requirements

The consolidated financial statements have been prepared by the Bank's Management in accordance with the requirements of Accounting Standard (AS) 21, "Consolidated Financial Statements", Accounting Standard (AS) 23, "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements" issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

We report that:

- a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purpose of our audit and have found them to be satisfactory;
- b) In our opinion, proper books of account as required by law relating to preparation of the aforesaid consolidated financial statements have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and the reports of the other auditors;
- c) The consolidated Balance Sheet, the consolidated Profit and Loss Account, the consolidated Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with the relevant books of account maintained for the purpose of preparation of the consolidated financial statements;
- d) In our opinion, the aforesaid consolidated financial statements comply with the applicable Accounting Standards.

For **Borkar & Muzumdar**  
Chartered Accountants  
Firm's Registration No. 101569W

**Darshit Doshi**

Partner

Place: Mumbai  
Date: May 12, 2023

Membership No. 133755  
UDIN: 23133755BGQTYP7110

# Consolidated Balance Sheet

as at March 31, 2023

(Amount in ₹)

		March 31, 2023	March 31, 2022
<b>CAPITAL AND LIABILITIES</b>	<b>Schedules</b>		
Capital	I	5,68,54,11,689	5,68,54,11,689
Reserves, Surplus and Funds	II	2,88,76,87,36,216	2,50,62,78,84,150
Deposits	III	19,99,45,59,64,621	17,07,04,29,74,899
Borrowings	IV	20,06,57,92,03,549	7,57,12,43,67,200
Other Liabilities and Provisions	V	92,03,25,03,830	68,31,68,04,164
Deferred Tax Liability		-	-
<b>Total</b>		<b>43,92,52,18,19,905</b>	<b>27,88,79,74,42,102</b>
<b>ASSETS</b>			
Cash and Bank Balances	VI	2,86,03,90,96,059	3,07,71,86,06,790
Investments	VII	2,74,13,43,84,869	2,22,43,61,70,888
Loans & Advances	VIII	37,79,95,53,86,671	22,22,90,63,21,987
Fixed Assets	IX	2,97,51,82,162	2,93,91,01,100
Other Assets	X	49,41,77,70,144	32,79,72,41,337
<b>Total</b>		<b>43,92,52,18,19,905</b>	<b>27,88,79,74,42,102</b>
Contingent Liabilities	XI	45,13,44,11,010	53,37,90,27,297

Consolidated Significant Accounting Policies (Schedule XV) and Notes to Accounts (Annexure I)  
The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.

As per our report of even date

BY ORDER OF THE BOARD

For **Borkar & Muzumdar**  
Chartered Accountants  
FRN.101569W

**Ajit Nath Jha**  
Chief Financial Officer

**Sudatta Mandal**  
Deputy Managing Director

**V. Satya Venkata Rao**  
Deputy Managing Director

**Sivasubramanian Ramann**  
Chairman & Managing Director

**Darshit Doshi**  
Partner  
M.No. 133755

**G Gopalakrishna**  
Director

**Amit Tandon**  
Director

Place: Mumbai  
Date: May 12, 2023



# Consolidated Profit & Loss Account

for the year ended March 31, 2023

(Amount in ₹)

		March 31, 2023	March 31, 2022
<b>INCOME</b>	<b>Schedules</b>		
Interest and Discount	XII	1,94,82,44,81,207	97,15,63,76,643
Other Income	XIII	5,18,98,24,336	4,17,42,36,689
<b>Total</b>		<b>2,00,01,43,05,543</b>	<b>1,01,33,06,13,332</b>
<b>EXPENDITURE</b>			
Interest & Financial charges		1,31,56,49,02,718	63,63,01,56,138
Operating Expenses	XIV	8,41,66,47,379	7,11,77,65,894
Provisions & Contingencies		8,54,07,24,817	3,78,96,12,908
<b>Total</b>		<b>1,48,52,22,74,914</b>	<b>74,53,75,34,940</b>
<b>Profit before Tax</b>		<b>51,49,20,30,629</b>	<b>26,79,30,78,392</b>
Provision for Income Tax		14,24,27,84,676	4,99,84,22,319
Deferred Tax Adjustment [(Asset) / Liability]		(1,72,73,59,844)	11,67,75,995
Share of (earning)/loss in associates		(33,81,07,081)	5,80,86,505
<b>Profit after Tax</b>		<b>39,31,47,12,878</b>	<b>21,61,97,93,573</b>
Profit brought forward		4,44,99,11,872	3,01,46,01,008
<b>Total Profit / (Loss)</b>		<b>43,76,46,24,750</b>	<b>24,63,43,94,581</b>
<b>Appropriations</b>			
Transfer to General Reserve		31,11,88,59,294	18,00,54,03,423
Transfer to Special reserve u/s 36(1)(viii) of The Income Tax Act, 1961		80,00,00,000	70,00,00,000
Transfer to Statutory Reserve u/s 45-IC of RBI Act, 1934		1,15,14,95,854	46,56,33,348
<b>Others</b>			
a) Transfer to Investment Fluctuation Reserve		-	10,96,07,912
Transfer to Staff Welfare Fund		11,11,00,000	10,56,54,000
Development Fund		-	-
Dividend on Shares		1,13,70,82,338	79,81,84,026
Tax on Dividend		-	-
Surplus in Profit & Loss account carried forward		9,44,60,87,264	4,44,99,11,872
<b>Total</b>		<b>43,76,46,24,750</b>	<b>24,63,43,94,581</b>
Basic/Diluted Earning Per Share		69.15	40.63

Consolidated Significant Accounting Policies (Schedule XV) and Notes to Accounts (Annexure I)

The Schedules referred to above form an integral part of the Profit & Loss Account.

As per our report of even date

BY ORDER OF THE BOARD

For **Borkar & Muzumdar** **Ajit Nath Jha**  
Chartered Accountants Chief Financial Officer  
FRN.101569W

**Sudatta Mandal**  
Deputy Managing Director

**V. Satya Venkata Rao**  
Deputy Managing Director

**Sivasubramanian Ramann**  
Chairman & Managing Director

**Darshit Doshi**  
Partner  
M.No. 133755

**G Gopalakrishna**  
Director

**Amit Tandon**  
Director

Place: Mumbai  
Date: May 12, 2023

## Schedules to Consolidated Balance Sheet

### Capital and Liabilities

(Amount in ₹)

Schedule I: Capital	March 31, 2023	March 31, 2022
<b>(a) Authorized Capital :</b>		
- Equity Share Capital (75,00,00,000 Equity Shares of ₹10/- each)	7,50,00,00,000	7,50,00,00,000
- Preference Share Capital (25,00,00,000 Redeemable Preference Shares of ₹10/- each)	2,50,00,00,000	2,50,00,00,000
<b>(b) Issued, Subscribed and Paid-up Capital :</b>		
- Equity Share Capital (56,85,41,169 Equity Shares of ₹10/- each)	5,68,54,11,689	5,68,54,11,689
- Preference Share Capital	-	-
<b>Total</b>	<b>5,68,54,11,689</b>	<b>5,68,54,11,689</b>

(Amount in ₹)

Schedule II: Reserves, Surplus and Funds	March 31, 2023	March 31, 2022
<b>A) Reserves</b>		
<b>i) General Reserve</b>		
- Opening Balance	1,91,50,74,63,293	1,73,49,59,28,207
- Additions during the year	31,12,14,19,104	18,01,15,35,086
- Utilisations during the year	-	-
- <b>Closing Balance</b>	<b>2,22,62,88,82,397</b>	<b>1,91,50,74,63,293</b>
<b>ii) Share Premium</b>		
- Opening Balance	30,54,25,88,310	16,68,07,79,690
- Additions during the year	-	13,86,18,08,620
- Utilisations during the year	-	-
- <b>Closing Balance</b>	<b>30,54,25,88,310</b>	<b>30,54,25,88,310</b>
<b>iii) Specific Reserves</b>		
a) Investment Reserve		
- Opening Balance	-	-
- Additions during the year	-	-
- Utilisations during the year	-	-
- <b>Closing Balance</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
b) Special Reserve created and maintained u/s 36 (1) (viii) of The Income Tax Act, 1961		
- Opening Balance	17,72,00,00,000	17,02,00,00,000
- Additions during the year	80,00,00,000	70,00,00,000
- Utilisations during the year	-	-
- <b>Closing Balance</b>	<b>18,52,00,00,000</b>	<b>17,72,00,00,000</b>
c) Statutory Reserve created u/s 45-IC of Reserve Bank of India Act.		
- Opening Balance	2,14,44,71,505	1,67,88,38,157
- Additions during the year	1,14,91,59,419	46,56,33,348
- Utilisations during the year	-	-
- <b>Closing Balance</b>	<b>3,29,36,30,924</b>	<b>2,14,44,71,505</b>
d) Other Reserves		
i) Investment Fluctuation Reserve		
- Opening Balance	1,25,89,52,955	1,14,93,45,043
- Additions during the year	-	10,96,07,912
- Utilisations during the year	-	-
- <b>Closing Balance</b>	<b>1,25,89,52,955</b>	<b>1,25,89,52,955</b>

## Schedules to Consolidated Balance Sheet

(Amount in ₹)

Schedule II: Reserves, Surplus and Funds	March 31, 2023	March 31, 2022
<b>B) Surplus in Profit and Loss account</b>	<b>9,44,60,87,264</b>	<b>4,44,99,11,872</b>
<b>C) Funds</b>		
a) National Equity Fund		
- Opening Balance	2,65,61,42,832	2,65,61,42,832
- Additions / Write back during the year	-	-
- Utilisations during the year	-	-
- <b>Closing Balance</b>	<b>2,65,61,42,832</b>	<b>2,65,61,42,832</b>
b) Staff Welfare Fund		
- Opening Balance	32,83,53,383	28,17,87,187
- Additions during the year	11,11,00,000	10,56,54,000
- Utilisations during the year	3,70,01,849	5,90,87,804
- <b>Closing Balance</b>	<b>40,24,51,534</b>	<b>32,83,53,383</b>
c) Others	2,00,00,000	2,00,00,000
<b>Total</b>	<b>2,88,76,87,36,216</b>	<b>2,50,62,78,84,150</b>

(Amount in ₹)

Schedule III: Deposits	March 31, 2023	March 31, 2022
<b>A) Fixed Deposits</b>	<b>86,76,48,78,620</b>	<b>86,10,40,72,379</b>
<b>B) From Banks</b>		
a) Under MSME Refinance Fund	15,28,76,15,16,000	12,74,31,35,25,000
b) Under MSME Risk Capital Fund	-	5,00,00,00,000
c) Others -From Foreign & Private Sector Banks	19,84,10,00,000	7,93,64,00,000
d) Under MSME India Aspiration Fund	14,99,40,70,001	10,43,02,77,520
e) Under Fund for Venture Capital in MSME sector 2014-15	-	25,00,00,00,000
f) Under Priority Sector Shortfall	3,49,09,45,00,000	2,98,25,87,00,000
<b>Subtotal (B)</b>	<b>19,12,69,10,86,001</b>	<b>16,20,93,89,02,520</b>
<b>Total</b>	<b>19,99,45,59,64,621</b>	<b>17,07,04,29,74,899</b>

(Amount in ₹)

Schedule IV: Borrowings	March 31, 2023	March 31, 2022
<b>I) Borrowings in India</b>		
1. From Reserve Bank of India	1,59,00,00,00,000	1,44,20,00,00,000
2. From Government of India (including Bonds subscribed by GOI)	5,17,27,06,344	5,62,06,57,105
3. Bonds & Debentures	4,67,55,00,00,000	1,62,85,00,00,000
4. From Other Sources		
- Commercial Paper	3,94,25,00,00,000	50,00,00,00,000
- Certificate of Deposits	2,46,35,00,00,000	1,49,00,00,00,000
- Term Loans from Banks	5,86,43,95,28,678	1,68,89,90,51,099
- Term Money Borrowings	-	-
- Others	1,05,40,96,07,622	25,66,91,30,100
<b>Subtotal (I)</b>	<b>19,64,17,18,42,644</b>	<b>7,06,23,88,38,304</b>

## Schedules to Consolidated Balance Sheet

(Amount in ₹)

<b>Schedule IV: Borrowings</b>	<b>March 31, 2023</b>	<b>March 31, 2022</b>
<b>II) Borrowings outside India</b>		
(a) KFW, Germany	3,70,76,76,702	5,60,16,04,462
(b) Japan International Cooperation Agency (JICA)	10,79,57,17,856	14,92,77,01,680
(c) IFAD, Rome	1,05,46,39,489	1,05,67,31,387
(d) World Bank	26,31,12,58,470	28,29,18,43,248
(e) Others	53,80,68,388	1,00,76,48,119
<b>Subtotal (II)</b>	<b>42,40,73,60,905</b>	<b>50,88,55,28,896</b>
<b>Total (I &amp; II)</b>	<b>20,06,57,92,03,549</b>	<b>7,57,12,43,67,200</b>

(Amount in ₹)

<b>Schedule V: Other Liabilities and Provisions</b>	<b>March 31, 2023</b>	<b>March 31, 2022</b>
Interest Accrued	29,94,99,68,457	17,19,38,84,962
Provision for SIDBI Employees' Provident Fund	3,93,85,26,360	3,61,97,08,540
Provision for SIDBI Pension Fund	44,04,31,465	16,01,409
Provision for Employees' Other Benefit	1,93,80,18,213	2,85,85,20,654
Provisions for Exchange Rate Fluctuation	1,53,73,62,767	1,53,73,62,768
Contingent provisions against standard assets	18,44,16,10,163	11,44,67,32,156
Proposed Dividend (including tax on dividend)	1,13,70,82,338	79,81,84,026
Funds viz. Aspire Fund, FoF for Startups, PRF, PRSF etc.	23,12,59,58,271	15,15,42,51,789
Floating provision	4,95,67,37,932	4,95,67,37,932
Others (including provisions)	6,56,68,07,864	10,74,98,19,928
<b>Total</b>	<b>92,03,25,03,830</b>	<b>68,31,68,04,164</b>

## Schedules to Consolidated Balance Sheet

### Assets

(Amount in ₹)

<b>Schedule VI: Cash &amp; Bank Balances</b>	<b>March 31, 2023</b>	<b>March 31, 2022</b>
1. Cash in Hand & Balances with Reserve Bank of India	6,14,370	7,23,087
2. Balances with other Banks		
<b>(a) In India</b>		
i) in current accounts	6,25,86,02,252	91,26,88,841
ii) in other deposit accounts	2,77,02,47,81,932	3,03,55,39,16,222
<b>(b) Outside India</b>		
i) in current accounts	4,89,40,573	1,63,27,034
ii) in other deposit accounts	2,70,61,56,932	3,23,49,51,606
<b>Total</b>	<b>2,86,03,90,96,059</b>	<b>3,07,71,86,06,790</b>

(Amount in ₹)

<b>Schedule VII: Investments [net of provisions]</b>	<b>March 31, 2023</b>	<b>March 31, 2022</b>
<b>A) Treasury operations</b>		
1. Securities of Central and State Governments	1,48,12,97,19,214	39,90,00,85,004
2. Bonds & Debentures of Banks & Financial Institutions	21,81,08,38,302	31,31,54,82,382
3. Stocks, Shares, Bonds & Debentures of Industrial Concerns	84,44,58,856	1,98,08,42,613
4. Mutual Funds	-	19,99,90,00,050
5. Commercial Paper	26,05,26,90,303	50,04,99,24,399
6. Certificate of Deposit	62,98,61,30,050	56,46,67,59,624
7. Others	-	9,00,00,00,000
<b>Subtotal (A)</b>	<b>2,59,82,38,36,725</b>	<b>2,08,71,20,94,072</b>
<b>B) Business Operations</b>		
1. Shares of Banks & Financial Institutions	1,61,51,09,702	1,84,97,71,142
2. Bonds & Debentures of Banks & Financial Institutions	5,65,33,000	5,65,33,000
3. Stocks, Shares, Bonds & Debentures of Industrial Concerns	5,45,48,59,563	3,93,64,98,845
4. Investment in Subsidiaries	-	-
5. Investment in Venture Capital Fund - RCF	5,24,72,57,872	6,31,40,45,945
6. Others	1,93,67,88,007	1,56,72,27,884
<b>Subtotal (B)</b>	<b>14,31,05,48,144</b>	<b>13,72,40,76,816</b>
<b>Total (A+B)</b>	<b>2,74,13,43,84,869</b>	<b>2,22,43,61,70,888</b>

(Amount in ₹)

<b>Schedule VIII: Loans &amp; Advances [Net of Provisions]</b>	<b>March 31, 2023</b>	<b>March 31, 2022</b>
<b>A) Refinance to</b>		
- Banks and Financial Institutions	31,54,51,92,29,538	18,32,97,60,08,903
- Micro Finance Institutions	65,35,57,66,859	42,11,55,15,973
- NBFC	3,57,13,84,30,997	2,03,61,89,01,279
- Bills Rediscounted	-	-
- Others (Subscription to Pass Through Certificate (PTC))	3,42,69,18,395	52,36,63,441
<b>Subtotal (A)</b>	<b>35,80,44,03,45,789</b>	<b>20,79,23,40,89,596</b>
<b>B) Direct Loans</b>		
- Loans and Advances	1,93,97,14,30,050	1,43,30,55,40,693
- Receivable Finance Scheme	9,23,64,439	3,07,84,956
- Bills Discounted	5,45,12,46,393	33,59,06,742
<b>Subtotal (B)</b>	<b>1,99,51,50,40,882</b>	<b>1,43,67,22,32,391</b>
<b>Total (A+B)</b>	<b>37,79,95,53,86,671</b>	<b>22,22,90,63,21,987</b>

## Schedules to Consolidated Balance Sheet

(Amount in ₹)

<b>Schedule IX: Fixed Assets [Net of Depreciation]</b>	<b>March 31, 2023</b>	<b>March 31, 2022</b>
1. Premises	2,92,87,49,254	2,89,84,36,991
2. Others	4,64,32,908	4,06,64,109
<b>Total</b>	<b>2,97,51,82,162</b>	<b>2,93,91,01,100</b>

(Amount in ₹)

<b>Schedule X: Other Assets</b>	<b>March 31, 2023</b>	<b>March 31, 2022</b>
Accrued Interest	20,06,49,05,484	17,14,85,64,429
Advance Tax (Net of provision)	1,94,01,91,139	1,71,25,78,669
Staff Loans	1,95,26,21,807	1,79,12,15,676
Derivative Assets	5,41,20,83,018	4,29,61,53,456
Expenditure to the extent not written off	17,27,27,73,418	6,61,38,10,576
Others	2,77,51,95,278	1,23,49,18,531
<b>Total</b>	<b>49,41,77,70,144</b>	<b>32,79,72,41,337</b>

(Amount in ₹)

<b>Schedule XI: Contingent Liabilities</b>	<b>March 31, 2023</b>	<b>March 31, 2022</b>
i) Claims against the Bank not acknowledged as debts	9,64,85,12,907	6,56,25,72,519
ii) On account of Guarantees / Letters of Credit	42,97,75,967	31,50,24,390
iii) On account of Forward Contracts	16,78,26,751	6,51,81,80,889
iv) On account of Underwriting Commitments	-	-
v) On account of uncalled monies on partly paid shares, debentures & undrawn commitment under VCF etc.	1,27,42,87,728	95,64,22,740
vi) On account of derivative contracts	33,61,40,07,657	39,02,68,26,759
vii) Other items for which the Bank is contingently liable	-	-
<b>Total</b>	<b>45,13,44,11,010</b>	<b>53,37,90,27,297</b>

## Schedules to Consolidated Profit & Loss Account

(Amount in ₹)

<b>Schedule XII: Interest and Discount</b>	<b>March 31, 2023</b>	<b>March 31, 2022</b>
1. Interest and Discount on Loans, Advances and Bills	1,59,18,31,07,149	79,90,41,21,266
2. Income on Investments / Bank balances	35,64,13,74,058	17,25,22,55,377
<b>Total</b>	<b>1,94,82,44,81,207</b>	<b>97,15,63,76,643</b>

(Amount in ₹)

<b>Schedule XIII: Other Income</b>	<b>March 31, 2023</b>	<b>March 31, 2022</b>
1. Upfront and Processing Fees	89,51,11,922	56,15,83,560
2. Commission and Brokerage	1,09,30,972	78,19,049
3. Profit on sale of Investments	46,10,52,617	77,17,94,503
4. Income earned by way of dividends etc. from Subsidiaries / Associates	51,00,000	30,60,000
5. Provision of Earlier Years written Back	-	75,00,000
6. Recoveries out of Bad Debts	2,86,91,76,097	2,03,12,69,846
7. Reversal of Provisions/ERFF under FCL	-	-
8. Others	94,84,52,728	79,12,09,731
<b>Total</b>	<b>5,18,98,24,336</b>	<b>4,17,42,36,689</b>

(Amount in ₹)

<b>Schedule XIV: Operating Expenses</b>	<b>March 31, 2023</b>	<b>March 31, 2022</b>
Payments to and provisions for employees	5,12,63,88,812	3,73,19,04,827
Rent, Taxes and Lighting	18,07,59,949	15,68,56,386
Printing & Stationery, Postage/Courier & Tele and Insurance	2,26,92,930	1,41,95,518
Advertisement and Publicity	11,70,55,493	3,19,63,215
Depreciation / Amortisation on Bank's Property	26,67,08,148	36,43,50,321
Directors' fees, allowances and expenses	1,01,32,867	63,77,767
Auditor's Fees	44,86,516	52,87,176
Law Charges	3,57,41,963	4,06,12,250
Repairs and maintenance	28,98,84,437	13,04,14,423
Issue Expenses	5,60,22,041	1,21,01,863
Capital Commitment, Management Fees etc.	19,79,10,602	8,09,48,867
Input Tax Credit not Available	19,19,22,592	10,30,52,881
Other Expenditure	1,91,69,41,029	2,43,97,00,400
<b>Total</b>	<b>8,41,66,47,379</b>	<b>7,11,77,65,894</b>



## Schedule XV – Consolidated Significant Accounting Policies

### 1. Basis of Preparation

The consolidated financial statements (CFS) have been prepared to comply in all material respects with the Small Industries Development Bank of India Act, 1989 (Parent) and regulations thereof, applicable prudential norms prescribed by Reserve Bank of India, applicable provisions of the Companies Act, 2013, applicable Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India and practices prevailing in the Banking Industry. The consolidated financial statements have been prepared under the historical cost convention on an accrual basis, unless otherwise stated. Except otherwise mentioned, the accounting policies that are applied by the Small Industries Development Bank of India ("the Bank" or "SIDBI"), are consistent with those used in the previous year.

#### Use of Estimates:

The preparation of consolidated financial statements in conformity with Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) requires the management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and the disclosure of contingent liabilities as on the date of the consolidated financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that these estimates and assumptions are reasonable and prudent. However, actual results could differ from these estimates. Any revision to accounting estimates is recognized prospectively in current and future periods in accordance with the requirements of the respective accounting standard.

#### Consolidation Procedures:

Subsidiaries included in consolidated financial statements for FY 2022-23 and 2021-22 are:

- 1) Micro Units Development & Refinance Agency (MUDRA)
- 2) SIDBI Venture Capital Limited (SVCL)
- 3) SIDBI Trustee Company Limited (STCL)

Associates included in consolidated financial statements for FY 2022-23 are:

- 1) Acuite Ratings Pvt Ltd (Erstwhile SMERA)
- 2) India SME Asset Reconstruction Company Limited (ISARC)
- 3) Delhi Financial Corporation (DFC)
- 4) Receivables Exchange of India Limited (RXIL)
- 5) KITCO Limited

Associates included in consolidated financial statements for FY 2021-22 are:

- 1) Acuite Ratings Pvt Ltd (Erstwhile SMERA)
- 2) India SME Asset Reconstruction Company Limited (ISARC)
- 3) Delhi Financial Corporation (DFC)
- 4) Receivables Exchange of India Limited (RXIL)
- 5) KITCO Limited

Consolidated financial statements of the Group (comprising of 3 subsidiaries, 5 associates as per details given above) have been prepared on the basis of:

- a. Accounts of SIDBI (Parent).
- b. Line by line aggregation of each item of asset/liability/income/expense of 3 subsidiaries with the respective item of the Parent and after eliminating all material intra-group balances / transactions, unrealised profit/loss as per AS 21 (Consolidated Financial Statements) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).
- c. Investments in Associates are accounted for under the Equity Method as per AS 23 (Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements) issued by ICAI based on the audited Financial Statements of the associates.
- d. In case of difference in Accounting Policies, the Financial Statements of Subsidiaries are adjusted, wherever necessary and practicable, to conform to the Accounting Policies of the Parent. In case of difference in Accounting Policies, the Financial Statements of associates, adjustments have not been made as in the opinion of Management of the Bank the same are not material.

### 2. Revenue Recognition

Revenue is recognized to the extent it is probable that the economic benefits will flow to the Bank and the revenue can be reliably measured.

#### A) Income:

- i. Interest income including penal interest is accounted for on accrual basis, except in the case of non-performing assets where it is recognized upon realization.
- ii. Income in the Profit & Loss Account is shown gross i.e. before provisions as per RBI guidelines and other provisions as per Bank's internal policy.
- iii. Discount received in respect of bills discounted / rediscounted and on discounted instruments is recognised over the period of usage of the instruments on a constant yield basis.

- iv. Commitment charges, service charges on seed capital / soft loan assistance and royalty income are accounted for on accrual basis in respect of standard (performing) assets.
- v. Dividend on shares held in industrial concerns and financial institutions is recognized as income when the right to receive the dividend is established.
- vi. Income from Venture Capital funds are accounted on realization basis. Redemption of unit/shares in Venture Capital fund, while in HTM category is not treated as a sale.
- vii. Recovery in non-performing assets (NPA) is to be appropriated in the following order :
  - a) overdue interest upto the date of NPA,
  - b) principal,
  - c) cost & charges,
  - d) interest and
  - e) penal interest.
- viii. Gain/loss on sale of loans and advances through direct assignment is recognized in line with the extant RBI guidelines.
- ix. Amounts recovered against debts written-off in earlier years are recognized as income in the Profit & Loss account.
- x. Profit or loss on sale of investments in any category is taken to profit & loss account. However, in case of profit on sale of investments under "Held to Maturity" category an equivalent amount net of applicable taxes is appropriated to Capital Reserves.
- xi. Amount lying as unclaimed liabilities (other than statutory liabilities) for a period of more than seven years are recognized as income.
- xii. The bank has accounted for interest on income tax refunds upon receipt of such refund orders / Order giving effects issued by Income Tax Department.
- xiii. Recoveries of CGTMSE fees, Valuation charges, Advocate fee, Insurance, Upfront fee/ Processing fee etc. from Borrowers are accounted on cash basis.
- xiv. Commission on LC/ BG are recognized on accrual basis proportionately over the period.
- xv. SVCL - Revenue is recognized to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Company and the revenue can be reliably

measured. Revenue is not recognized where drawdowns in respective venture capital funds / alternative investments funds are not received as there is no certainty that economic benefits will flow to the Company and in such cases it will be accounted on receipt basis as and when received.

The Company accrues income by way of management fee on a quarterly basis / annual basis (as stipulated in the respective funds documents) from the Venture Capital Funds / Alternative Investments Funds managed by it.

The Company recognizes income @ 5% of the net profits received from sale of investments assigned by IIBI

- xvi. STCL - Revenue is recognized to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Company and the revenue can be reliably measured.

The Company accrues income by way of trusteeship fee on a quarterly basis / annual basis (as stipulated in the agreements with respective funds) from the venture capital funds / alternative investments funds managed by it.

## **B) Expenditure:**

- i. All expenditures are accounted for on accrual basis except Development Expenditure which is accounted for on cash basis.
- ii. Discount on Bonds and Commercial papers issued are amortized over the tenure of Bonds and Commercial Paper. The expenses relating to issue of Bonds are amortized over the tenure of the Bonds.

## **3. Investments:**

- (i) In terms of extant guidelines of the Reserve Bank of India on investment classification and valuation, the entire investment portfolio is categorized as "Held to Maturity", "Available for Sale" and "Held for Trading". Investments are valued in accordance with RBI guidelines. The investments under each category are further classified as:
  - a) Government Securities,
  - b) Other approved securities,
  - c) Shares,
  - d) Debentures & Bonds,
  - e) Subsidiaries/ joint ventures and
  - f) Others (Commercial Paper, Mutual Fund Units, Security Receipts, Certificate of Deposits etc.)

**(a) Held to Maturity:**

Investments acquired with the intention to hold till maturity are categorized under Held to Maturity. Such investments are carried at acquisition cost unless it is more than the face value, in which case the premium is amortized over the period remaining to maturity. Investments in subsidiaries are classified as Held To Maturity. Diminution, other than temporary, in the value of investments under this category is provided for each investment individually.

**(b) Held for Trading:**

Investments acquired for resale within 90 days with the intention to take advantage of the short-term price/interest rate movements are categorized under Held for Trading. The investments in this category are revalued scrip-wise and net appreciation /depreciation is recognized in the profit & loss account, with corresponding change in the book value of the individual scrips. In respect of traded/quoted investments, the market price is taken from the trades/quotes available on the stock exchanges.

**(c) Available for Sale:**

Investments which do not fall within the above two categories are categorized under Available for Sale. The individual scrip under this category is revalued and net depreciation under any of the classification mentioned above is recognized in the profit & loss account. Net appreciation under any classification is ignored. The book value of individual scrip is not changed after the revaluation.

- (ii) An investment is classified as Held To Maturity, Available For Sale or Held For Trading at the time of its purchase and subsequent shifting amongst categories and its valuation is done in conformity with RBI guidelines.
- (iii) Treasury Bills, Commercial Papers and Certificates of Deposit, being discounted instruments, are valued at carrying cost.
- (iv) The quoted Government Securities are valued at market prices and unquoted/non-traded government securities are valued at prices declared by Financial Benchmark India Pvt. Ltd.(FBIL).
- (v) Investments which are made out of the Corpus or Funds provided by the Government of India (GOI) and netted off from the related Fund balances are carried at cost and not subject to RBI guidelines of valuation.

- (vi) Recording purchase and sale transactions in Investments is done following 'Settlement Date' accounting.
- (vii) The debentures / bonds / shares deemed to be in the nature of advance, are subject to the usual prudential norms applicable to loans & advances.
- (viii) Cost of investments is determined on the weighted average cost method.
- (ix) Brokerage, commission, etc. paid at the time of acquisition/ sale are recognized in the profit & loss account.
- (x) Broken period interest paid / received on debt investment is treated as interest expenses / income and is excluded from cost / sale consideration.
- (xi) In respect of unquoted investments in industrial concerns under Seed Capital Scheme, full provision has been made.
- (xii) Units of mutual fund are valued at repurchase price as per relevant RBI guidelines.
- (xiii) The unquoted fixed income securities (other than government securities) are valued on Yield to Maturity (YTM) basis with appropriate mark-up over the YTM rates for Central Government securities of equivalent maturity. Such mark-up and YTM rates applied are as per the relevant rates published by FBIL.
- (xiv) Unquoted Shares are valued at breakup value, if the latest Audited Financial Statements of the investee companies are available, or at ₹1/- per Company as per RBI guidelines.

**4. Foreign Currency Transactions**

Foreign currency transactions are recorded in the books of account in respective foreign currencies at the exchange rate prevailing on the date of transaction. Accounting for transactions involving foreign exchange is done in accordance with Accounting Standard (AS)-11 issued by Institute of Chartered Accountants of India, as per following provisions:

- i. Contingent liability in respect of outstanding forward exchange contracts, guarantees; acceptances, endorsements and other obligations are calculated at the closing exchange rates notified by Foreign Exchange Dealers' Association of India ('FEDAI').
- ii. Foreign currency Assets and Liabilities are translated at the closing exchange rates notified by FEDAI as at the Balance sheet date.
- iii. Foreign currency Income and Expenditure items are translated at monthly intervals through actual sale/purchase and recognized in the profit & loss account accordingly.

- iv. The revaluation difference on foreign currency LoC is adjusted and recorded in a special account opened and maintained, in consultation with GOI for managing exchange risk.
- v. The Bank follows hedge accounting in respect of foreign exchange contracts and derivative transactions as per RBI guidelines.
- vi. Exchange differences arising on the settlement of monetary items are recognized as income or expense in the period in which they arise.
- vii. Outstanding Forward Exchange Contracts which are not intended for trading are revalued at exchange rates notified by FEDAI.

## 5. Derivatives

The Bank presently deals in currency derivatives viz., Cross Currency Interest Rate swaps for hedging its foreign currency liabilities. Based on RBI guidelines, the above derivatives undertaken for hedging purposes are accounted on an accrual basis. Contingent Liabilities on account of derivative contracts at contracted rupee amount are reported on the Balance Sheet date.

## 6. Loans and Advances

- i. Assets representing loan and other assistance portfolios are classified as performing and non-performing based on the RBI guidelines. Provision for non-performing assets is made in accordance with the RBI guidelines.
- ii. Advances stated in the Balance Sheet are net of provisions made for non-performing advances and restructured NPA assets.
- iii. General provision on Standard Assets is made as per RBI guidelines.
- iv. Floating provision is made and utilized as per RBI guidelines and Board approved policy.
- v. MUDRA: MUDRA has been subscribing to Pass Through Certificates backed by loans receivables originated by various MFIs / Banks / Non-Banking Finance Companies. Such securitization transactions are classified as Loans and Advances and are shown in the Balance Sheet on gross basis, which at are Book value and provisions are shown separately. However, provision on Standard Assets are made as per RBI guidelines.

## 7. Taxation

- (i) Tax expense comprises both current tax and deferred taxes. Current income tax is measured at the amount expected to be paid to the tax authorities in accordance with Income Tax Act, 1961 and the Income Computation and Disclosure Standards (ICDS).

- (ii) Deferred income taxes reflects the impact of the current year timing differences between taxable income and accounting income for the year and reversal of timing differences of earlier years. Deferred tax is measured based on the tax rates and the tax laws enacted or substantively enacted at the balance sheet date.
- (iii) Deferred tax assets are recognized only to the extent that there is reasonable certainty that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets can be realized. Unrecognized deferred tax assets of earlier years are re-assessed and recognized to the extent that it has become reasonably certain that future taxable income will be available against which such deferred tax assets can be realized.
- (iv) Disputed taxes not provided for including departmental appeals are included under Contingent Liabilities.

## 8. Securitisation

- (i) The Bank purchases credit rated Micro, Small and Medium Enterprises Asset pools from Banks / Non-Banking Finance Companies by way of pass-through certificates issued by the Special Purpose Vehicle. Such securitisation transactions are classified as investments under Held for Trading / Available for Sale category depending upon the investment objective.
- (ii) The Bank purchases credit rated pool of Micro, Small and Medium Enterprises assets under bilateral direct assignment. Such direct assignment transactions are accounted for as 'advances' by the Bank.
- (iii) The Bank enters into sale of Loans & Advances through direct assignment. In most of the cases, the Bank continues to service the Loans & Advances sold under these transactions and is entitled to the Residual interest on the Loans & Advances sold. Assets sold under direct assignment are derecognized in the books of the Bank based on the principle of surrender of control over the assets.
- (iv) The residual income on the Loans & Advances sold is being recognised over the life of the underlying Loans & Advances.
- (v) Security Receipts issued by the asset reconstruction companies are valued in accordance with the guidelines applicable to such instruments, prescribed by RBI from time to time.

## 9. SALE OF FINANCIAL ASSETS TO ASSET RECONSTRUCTION COMPANIES (ARCs):

- (i) The sale of NPA's is on cash basis or investment in Security Receipt (SR) basis. In case of sale on SR basis, the sale consideration or part thereof is treated as investment in the form of SRs.
- (ii) The assets if sold at a price below the Net Book Value (NBV) (i.e. book value less provisions held), the shortfall is debited to the Profit & Loss A/c. In case the sale value is higher than NBV, the excess provision held can be reversed to profit & loss account in the year the amounts are received. Reversal of excess provision is limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the asset.

## 10. PROVISIONING FOR STAFF BENEFITS:

### A] Post retirement benefits:

- (i) Provident Fund is a defined contribution scheme administered by the Bank and the contributions are charged to the Profit & Loss Account.
- (ii) Gratuity liability and Pension liability are defined benefit obligations and other long-term employee benefits like compensated absences, post-retirement medical benefits etc. are provided based on the independent actuarial valuation as at the Balance Sheet date using the projected unit credit method as per AS 15 (Revised 2005) - Employee Benefits
- (iii) Actuarial gains or losses are recognized in the profit & loss account based on actuarial valuations for the period in which they occur.
- (iv) New Pension Scheme is a defined contribution scheme and is applicable to employees who have joined bank on or after December 01, 2011. Bank pays fixed contribution at pre-determined rate and the obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit & Loss Account.
- (v) Payments made under the Voluntary Retirement Scheme are charged to the Profit & Loss account in the year of expenses incurred.

### B] Benefits (Short – term) while in service

Liability on account of Short term benefits are determined on an undiscounted basis and recognised over the period of service, which entitles the employees to such benefits.

## SVCL:

### Employee Benefits

#### Defined Contribution Schemes:

Company's Contribution to Provident Fund, etc. is charged to the Statement of Profit & Loss as and when incurred.

#### Defined Benefit Plans:

The Company also provides for retirement benefits in the form of gratuity. Such benefits are provided for based on valuation, as at the balance sheet date, made by an independent actuary. Incremental liability based on actuarial valuation as per the projected unit credit method as per the reporting date is charged as expense to the Statement of Profit and Loss. The company has taken a group gratuity policy with Life Insurance Corporation of India ("LIC") and is funded.

#### Performance Pay:

Performance Pay is an annual incentive to employees based on the Company's financial performance and employees performance.

#### Leave Encashment:

The Company provides for retirement benefits in the form of leave encashment. Such benefits are provided for based on valuation, as at the balance sheet date, made by an independent actuary. The leave balance is classified as short term and long term based on the leave policy. The short term and long term leave have been valued on actuarial basis as per the projected unit credit method. Further, employees can also encash 15 days of their accumulated leave every financial year.

## 11. FIXED ASSETS AND DEPRECIATION

- i) Fixed Assets are stated at cost of acquisition less accumulated depreciation and impairment losses, if any.
- ii) Cost of asset includes purchase cost and all expenditure incurred on the asset before put to use. Subsequent expenditure incurred on assets put to use is capitalized only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capability.
- iii) Depreciation for the full year, irrespective of date of capitalization, is provided on:
  - a) Furniture and fixture: For assets owned by Bank @ 100 percent
  - b) Computer and Computer Software @ 100 percent

- c) Building @ 5 percent on WDV basis
  - d) Electrical Installations: For assets owned by Bank @ 50 percent on WDV basis.
  - e) Motor Car - Straight Line Method @ 50 percent.
- iv) Depreciation on additions is provided for full year and no depreciation is provided in the year of sale/ disposal.
  - v) Leasehold land is amortised over the period of lease.

#### **MUDRA**

Fixed assets are stated at cost of acquisition including incidental expenses. All costs directly attributable to bringing the asset to the working condition for its intended use including financing costs are also capitalized. Depreciation is provided on Straight Line Method on the basis of useful life under Schedule II to the Companies Act, 2013. In respect of computer software and software the cost is amortised based on accounting standard 26 issued by ICAI. Assets costing ₹5,000/- or less have been depreciated over period of one year.

#### **SVCL**

Fixed Assets are stated at cost of acquisition less accumulated depreciation. Depreciation on Fixed Assets is provided on Written down Value Method at the rates and in the manner prescribed in Schedule II to the Companies Act, 2013. Cost of mobile / telephone instruments / tablet devices purchased are fully charged to revenue in the year of purchase. Depreciation on assets whose actual cost is not more than five thousand rupees has been provided at the rate of 100%.

### **12. PROVISION FOR CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS**

In accordance with AS-29 Provisions, Contingent

Liabilities and Contingent Assets, the Bank recognizes provisions involving substantial degree of estimation in measurement when it has a present obligation as a result of past event, it is probable that there will be an outflow of resources and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. Contingent Assets are neither recognized nor disclosed in the consolidated financial statements. Contingent liabilities are not provided for and are disclosed in the balance sheet and details given by way of Schedule to the Balance Sheet. Provisions, contingent liabilities and contingent assets are reviewed at each Balance Sheet date.

### **13. GRANTS AND SUBSIDIES**

Grants and subsidies from the Government and other agencies are accounted as per the terms and conditions of the agreement.

### **14. OPERATING LEASE**

Lease rentals is recognized as an expense/income in the Profit & Loss Account on a straight line basis over the lease term in accordance with AS-19.

### **15. IMPAIRMENT OF ASSETS**

The carrying amounts of assets are reviewed at each Balance Sheet date, if there is any indication of impairment based on internal/external factors, to recognize,

- a) the provision for impairment loss, if any required; or
- b) the reversal, if any, required for impairment loss recognized in the previous periods.

Impairment loss is recognized when the carrying amount of an asset exceeds recoverable amount.

### **16. CASH AND CASH EQUIVALENTS**

Cash and cash equivalents for the purpose of cash flow statement include cash in hand, balances with RBI, balances with other banks, money at call and short notice and investment in Mutual Fund with an original maturity of three months or less.



## Additional Notes to Consolidated Accounts

### Annexure - I

1 Details of Subsidiaries included in consolidated financial statements are:

(Amount in ₹)

Sr. No.	Name of the subsidiary	Country of Incorporation	Proportion of ownership*	Profit/Loss for the year ended	
				31-Mar-23	31-Mar-22
1	SIDBI Venture Capital Ltd.(SVCL)	India	100%	4,43,09,242	5,03,20,749
2	SIDBI Trustee Company Ltd.(STCL)	India	100%	54,64,545	46,52,056
3	Micro Units Development & Refinance Agency Ltd (Mudra Ltd)	India	100%	5,75,74,79,271	2,32,81,66,742
<b>Total</b>				<b>5,80,72,53,058</b>	<b>2,38,31,39,547</b>

Financial statements of all the subsidiaries are audited for FY 2023.

\*As all shares of the subsidiaries are owned by SIDBI directly or indirectly, no separate disclosure relating to minority interest is reflected.

Note: As SIDBI Swavalamban Foundation (SSF) is a Not-for-Profit Company [incorporated under section 8 of Companies Act, 2013], SSF is not being considered for consolidation in preparation of Consolidated Financial statements as per Accounting Standard 21.

2.A Details of Associates included in consolidated financial statements in current and previous year are as follows :

(Amount in ₹)

Sr. No.	Name of the Associate	(% ) Holding		Description	Investment (Face Value)	Investment		Share of Profit/(loss) for the year ended <sup>[1]</sup>		Share in reserves as at <sup>[1]</sup>	
		31-Mar-23	31-Mar-22			31-Mar-23	31-Mar-22	31-Mar-23	31-Mar-22		
1	Acuité Ratings Pvt Ltd (Erstwhile SMERA) <sup>[2]</sup>	35.73	35.73	Credit Rating Agency for SME's	5,10,00,000	5,10,00,000	5,10,00,000	5,72,58,397	5,18,19,174	21,10,90,339	15,36,09,345
2	India SME Asset Reconstruction Company Limited <sup>[3]</sup>	26.00 <sup>[3]</sup>	26.00 <sup>[3]</sup>	Asset Reconstruction Company	26,00,00,000	26,00,00,000	26,00,00,000	27,93,50,516	72,192	31,27,07,888	3,33,57,371
3	Delhi Finance Corporation <sup>[4]</sup>	23.76	23.66	State Financial Corporation	6,27,75,000	3,13,87,500	3,13,87,500	\$(89,47,164)	(2,20,74,735)	(3,13,87,500)	(2,24,41,109)
4	Receivables Exchange of India Limited <sup>[5]</sup>	30.00	30.00	Online platform for factoring / discounting of Trade Receivables (TReDS)	15,00,00,000	15,00,00,000	15,00,00,000	2,62,95,270	(7,04,071)	(5,19,67,200)	(7,82,62,470)
5	APITCO LIMITED <sup>[6]</sup>	0.00	0.00	Technical consultancy Organisation	-	-	-	-	(3,45,22,441)	-	-
6	KITCO LIMITED <sup>[6]</sup>	49.77	49.77	Technical consultancy Organisation	4,90,00,000	24,95,296	24,95,296	(1,58,49,938)	(5,26,76,624)	15,13,31,338	16,71,81,276
<b>Total</b>						<b>49,48,82,796</b>	<b>49,48,82,796</b>	<b>33,81,07,081</b>	<b>(5,80,86,505)</b>	<b>59,17,74,865</b>	<b>25,34,44,413</b>

1 (i) Share of Profit/(loss) of ₹33,81,07,081/- (Previous Year ( ₹5,80,86,505/-)) is debited to Consolidated Profit & Loss statement under the head "Share of (earning)/loss in associates" for year ending March 2023.

(ii) Share in Reserves of Associates of ₹59,17,74,865/- (Previous Year ₹25,34,44,413/-) is Included in Schedule II - Reserve, Surplus and Funds of the Consolidated Balance Sheet for year ending March 2023.



2. Acuite Ratings Pvt. Ltd. figures are based on unaudited financial statements for year ending March 2023.
  3. India SME Asset Reconstruction Company Limited's figures are based on unaudited financial statements for year ending March 2023. Includes 11% holding by SVCL (100% subsidiary of SIDBI).
  4. Delhi Finance Corporation figures are based on audited financial statements for the year ending March 31, 2022.  
# Share of loss of ₹89,47,164/- for the year ended March 2023 is calculated to the extent of book value of investment in the associate.
  5. Receivables Exchange of India Limited's and KITCO Ltd. figures are based on unaudited financial statements as per IND AS for the year ending March 2023 and March 2022 respectively.
  6. APITCO Ltd. which was considered for consolidation of accouts during FY 2021 has been disinvested during FY 2022.
  7. One of the associate viz. ISTSL is under liquidation and therefore, not being considered for consolidation in preparation of Consolidated Financial Statements as per Accounting Standard 21. SIDBI has made full provision on investment in this associate in its financial statements for year ending March 2021.
- B.** The results of the following associates are not included in the consolidated financial statements. However, full provision has been made in the financial statements for diminution in value of investment.

(Amount in ₹)

Sr. No.	Name of the Associate	(% ) Holding		Description	Investment	Diminution in value of Investment	
		31-Mar-23	31-Mar-22			31-Mar-23	31-Mar-22
1	BSFC	48.43	48.43	State Financial Corporation	12,01,25,000	(12,01,25,000)	(18,84,88,500)
2	GSFC	28.41	28.41	State Financial Corporation	12,66,00,000	(12,66,00,000)	(12,66,00,000)
3	MSFC	39.99	39.99	State Financial Corporation	12,52,41,750	(12,52,41,750)	(12,52,41,750)
4	PFC	25.92	25.92	State Financial Corporation	5,23,51,850	(5,23,51,850)	(5,23,51,850)
5	UPSFC	24.18	24.18	State Financial Corporation	17,27,50,000	(17,27,50,000)	(21,67,59,000)
<b>Total</b>					<b>59,70,68,600</b>	<b>(59,70,68,600)</b>	<b>(70,94,41,100)</b>

The figures for GSFC are based on audited results for the year ended March 31,2022. Regarding PFC, BSFC and MSFC figures are based on audited results for the year ended March 31, 2020, March 31, 2019 and March 31, 2016 respectively. In respect of UPSFC, audited results are available for the year ended March 31, 2014.

- C.** In case of following entities, though the bank holds more than 20% of voting power, they are not treated as investment in associate under AS 23 'Accounting for Investment in Associates in Consolidated Financial Statements', as they are classified as NPI and accordingly book value of investment is taken at ₹1/- each.

(Amount in ₹)

Sr. No.	Name of the Associate	(% ) Holding		Description	Investment	
		31-Mar-23	31-Mar-22		31-Mar-23	31-Mar-22
1	Bihar Industrial and Technical Consultancy Organisation Ltd.	49.25	49.25	Technical Consultancy Organisation	1	1

- 3 There are no significant transactions with Associates during the current year and previous year.
- 4 As against depreciation policy of SIDBI whereby assets are depreciated on SLM / WDV at pre-determined rates, the subsidiaries and associates compute depreciation on SLM/ WDV basis as per Schedule II of the Companies Act, 2013. Thus, out of the total depreciation of ₹26,67,08,148/- (Previous Year ₹36,43,50,321/-) included in Consolidated Financial Statements, ₹43,79,854/- being 1.64% (Previous Year ₹24,78,562/- being 0.68%) of the amount is determined based on Depreciation provided as per the Companies Act, 2013.

## 5 Employee Benefits

### (i) SIDBI

In accordance with the Accounting Standard on "Employee Benefits" (AS 15) (Revised 2005) issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the Bank has classified the various benefits provided to the employees as under:

#### (a) Defined contribution plan

The Bank has recognized the following amounts in Profit & Loss Account:

(Amount in ₹)

Particulars	31-Mar-23	31-Mar-22
Employer's contribution to Provident fund	9,18,53,963	7,68,83,415
Employer's contribution to New Pension Scheme	8,95,82,393	3,17,67,054

#### (b) The Bank is having defined benefit Pension Plans and Gratuity Scheme which are managed by the Trust.

₹ crore

	Pension		Gratuity	
	FY 2023	FY 2022	FY 2023	FY 2022
<b>1. Assumptions</b>				
Discount Rate	7.50%	7.25%	7.40%	6.90%
Rate of Return on Plan Assets	7.50%	7.25%	7.40%	6.90%
Salary Escalation	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%
Attrition rate	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
<b>2. Table showing change in Benefit Obligation</b>				
Liability at the beginning of the year	576.93	553.50	108.95	106.70
Interest Cost	24.65	22.69	7.09	6.56
Current Service Cost	13.48	14.97	5.92	5.97
Past Service Cost (Non Vested Benefit)	0.00	0.00	0.00	0.00
Past Service Cost ( Vested Benefit)	0.00	0.00	0.00	0.00
Liability Transferred in	0.00	0.00	0.00	0.00
(Liability Transferred out)	0.00	0.00	0.00	0.00
(Benefit Paid)	0.00	0.00	(12.44)	(6.61)
Actuarial (gain) / loss on obligations	64.74	(14.23)	(2.12)	(3.67)
<b>Liability at the end of the year</b>	<b>679.80</b>	<b>576.93</b>	<b>107.40</b>	<b>108.95</b>
<b>3. Tables of Fair value of Plan Assets</b>				
Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year	589.61	501.50	105.92	105.73
Expected Return on Plan Assets	42.75	34.35	7.08	6.69
Contributions	0.00	0.00	0.04	0.33
Transfer from other company	0.00	0.00	0.00	0.00
(Transfer to other company)	0.00	0.00	0.00	0.00
(Benefit Paid)	0.00	0.00	(12.44)	(6.61)
Actuarial gain / (loss) on Plan Assets	3.40	53.76	1.70	(0.22)
Fair Value of Plan Assets at the end of the year	<b>635.76</b>	<b>589.61</b>	<b>102.30</b>	<b>105.92</b>

	Pension		Gratuity	
	FY 2023	FY 2022	FY 2023	FY 2022
<b>4. Table of Recognition of Actuarial Gains/ Losses</b>				
Actuarial (Gains)/ Losses on obligation for the period	64.74	(14.23)	(2.12)	(3.67)
Actuarial (Gains)/ Losses on asset for the period	(3.40)	(53.76)	(1.70)	0.22
Actuarial (Gains)/ Losses recognized in Income & Expense Statement	<b>61.34</b>	<b>(67.99)</b>	<b>(3.82)</b>	<b>(3.45)</b>
<b>5. Actual Return on Plan Assets</b>				
Expected Return on Plan Assets	42.75	34.35	7.08	6.69
Actuarial Gain / (Loss) on Plan Assets	3.40	53.76	1.70	(0.22)
Actual Return on Plan Assets	<b>46.15</b>	<b>88.11</b>	<b>8.78</b>	<b>6.47</b>
<b>6. Amount Recognised in the Balance Sheet</b>				
Liability at the end of the year	(679.80)	(576.93)	(107.40)	(108.95)
Fair Value of Plan Assets at the end of the year	635.76	589.61	102.30	105.92
Difference	(44.04)	12.68	(5.10)	(3.03)
Unrecognised Past Service Cost at the end of the year	0.00	0.00	0.00	0.00
Unrecognised Transitional Liability at the end of the year	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Net Amount recognised in the Balance Sheet</b>	<b>(44.04)</b>	<b>12.68</b>	<b>(5.10)</b>	<b>(3.03)</b>
<b>7. Expenses Recognised in the Income Statement</b>				
Current Service Cost	13.48	14.97	5.92	5.97
Interest Cost	24.65	22.69	7.09	6.56
Expected Return on Plan Assets	(42.75)	(34.35)	(7.08)	(6.69)
Past Service Cost (Non Vested Benefit) recognised during the year	0.00	0.00	0.00	0.00
Past Service Cost (Vested Benefit) recognised during the year	0.00	0.00	0.00	0.00
Recognition of Transition Liability during the year	0.00	0.00	0.00	0.00
Actuarial (Gain) / Loss	61.34	(67.99)	(3.82)	(3.45)
<b>Expense Recognised in Profit &amp; Loss account</b>	<b>56.72</b>	<b>(64.68)</b>	<b>2.11</b>	<b>2.39</b>
<b>8. Balance Sheet Reconciliation</b>				
Opening Net Liability	(12.68)	52.00	3.03	0.97
Expense as above	56.72	(64.68)	2.11	2.39
Employers Contribution	0.00	0.00	(0.04)	(0.33)
<b>Amount recognised in the Balance Sheet</b>	<b>44.04</b>	<b>(12.68)</b>	<b>5.10</b>	<b>3.03</b>
<b>9. Other Details</b>				

Salary escalation is considered in line with the industry practice considering promotion, demand and supply of the employees.

₹ crore

	Pension		Gratuity	
	FY 2023	FY 2022	FY 2023	FY 2022
<b>10. Category of Assets</b>				
Government of India Assets	0.00	0.00	0.00	0.00
Corporate Bonds	0.00	0.00	0.00	0.00
Special Deposits Scheme	0.00	0.00	0.00	0.00
Equity Shares of Listed Companies	0.00	0.00	0.00	0.00
Property	0.00	0.00	0.00	0.00
Insurer Managed Funds	635.76	589.61	102.30	105.92
Other	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>635.76</b>	<b>589.61</b>	<b>102.30</b>	<b>105.92</b>

## 11. Experience Adjustment:

Particular	Pension					Gratuity				
	FY 2023	FY 2022	FY 2021	FY 2020	FY 2019	FY 2023	FY 2022	FY 2021	FY 2020	FY 2019
On Plan Liability (Gain)/Loss	85.05	15.71	(1.14)	46.87	(22.03)	1.60	0.65	(0.43)	3.28	(19.71)
On Plan Asset (Loss)/Gain	3.40	53.76	(1.15)	25.17	(2.32)	1.70	(0.22)	(0.13)	0.09	0.35

- (c) The following are the amount charged to Profit & Loss Account relating to other long term benefits plan based on the actuarial valuation provided by independent actuary.

₹ crore

Sr. No	Particulars	As on	As on
		March 31, 2023	March 31, 2022
1	Ordinary Leave Encashment	40.97	12.97
2	Sick Leave	1.86	0.47
3	Resettlement Expenses	0.46	0.30
4	Post Retirement Medical Scheme Facilities	0.79	9.84

## (ii) SVCL

During the period, the Company has contributed a sum of ₹3,47,753/- (previous year – ₹6,20,896/-) to the SIDBI Venture Capital Limited Employees' Group Gratuity Assurance Scheme (Trust) for its employees comprising ₹2,26,660/- (previous year - ₹6,20,896/-) for old employees and ₹1,21,093/- (previous year – NIL) for new employees

(Amount in ₹)

Details	Post Employment Benefits	Post Employment Benefits
	FY 2023	FY 2022
Nature of benefit	Gratuity	Gratuity
<b>Assets &amp; liabilities recognized in balance sheet</b>		
Present value of unfunded defined benefit obligations	Nil	Nil
Present value of funded or partly funded defined benefit obligations	₹67,94,806	₹64,60,592
Fair value of plan assets	₹71,60,191	₹66,14,266
Past service cost not recognized in balance sheet	Nil	Nil
Any amount nor recognized as asset	Nil	Nil
Fair value of any reimbursement rights recognized as asset	Nil	Nil
Other amounts, if any, recognized in balance sheet	Nil	Nil
<b>Amounts included in fair value of plan assets</b>		
Own financial instruments	Nil	Nil
Property or other assets used	Nil	Nil
Insurer managed funds	₹71,60,191	₹66,14,266

(Amount in ₹)

Details	Post Employment Benefits	Post Employment Benefits
	FY 2023	FY 2022
<b>Movement in net liability</b>		
Opening net liability	(₹1,53,674)	₹1,70,938
Expenses	₹1,36,063	₹2,96,284
Contribution	(₹3,47,774)	(₹6,20,896)
Closing net liability	(₹3,65,385)	(₹1,53,674)
<b>Expenses recognized in statement of profit &amp; loss</b>		
Current service cost	₹1,45,246	₹3,19,723
Interest cost	₹4,49,011	₹5,32,617
Expected return on plan assets	(₹4,59,691)	(₹5,20,908)
Expected return on reimbursement rights	N.A.	N.A.
Actuarial gains / (losses)	₹1,497	(₹35,148)
Total expenses recognized in statement of profit & loss	₹1,36,063	₹2,96,284
Past service cost	Nil	Nil
Effect of curtailment / settlement	Nil	Nil
Effect of limit in para 59(b)	N.A.	N.A.
Actual return of plan assets and on reimbursement rights recognized as asset	Nil	Nil
<b>Actuarial Assumptions</b>		
Discount rates	6.95%	6.85%
Expected rate of returns on plan assets	6.95%	6.85%
Expected rate of returns on reimbursement rights	Nil	Nil
Expected rate of salary increase	5.00%	5.00%
Medical cost trends	N.A.	N.A.
Mortality	Indian Assured Lives Mortality (2012-14) (Urban)	Indian Assured Lives Mortality (2006-08) (Urban)
Disability	Nil	Nil
Attrition	3.00%	3.00%
Retirement age	60 Years	60 Years

**(iii) MUDRA**

- (a) All the employees are on deputation from Small Industrial Development Bank of India (SIDBI), Gratuity, Leave Encashment and Arrears of Salary in respect of employees deputed to MUDRA are taken care by the employer, who have deputed the employees to this company except few employees which are on contract basis. Further, MUDRA has provided an amount of ₹30.32 Lakh (March 2022 : ₹12.18 Lakh) to P & L A/c during the current Year. The same would be paid to SIDBI, when such costs are demanded by the said companies. With respect to contract employees no post employees benefits are applicable.
- (b) Therefore no disclosures are required under 'Revised AS 15- Employees Benefit' issued under Companies Accounting Standard Rules, 2006'

**6 Earning Per Share (EPS)\*:**

(Amount in ₹)

	March 31, 2023	March 31, 2022
Net Profit considered for EPS calculation	39,31,47,12,877	21,61,97,93,573
Weighted Average Number of equity shares of face value ₹10 each	56,85,41,169	53,21,22,684
Earning per share	69.15	40.63

\*Basic & Diluted EPS are same as there are no dilutive potential Equity Shares.

- 7 As per the Accounting Standard 22, Accounting for Taxes on Income, the Bank has reviewed Deferred Tax Assets / Liabilities and recognized an amount of ₹172,73,59,844/- as Deferred Tax Liability (Previous year - Deferred Tax Asset was ₹11,67,75,995/-) in the Profit & Loss Account for the year ended March 31, 2023.

The Break up of Deferred Tax Asset/ (Liability) as on March 31, 2023 is as under :

Sr. No	Timing Difference	FY 2022-23 (₹)	FY 2021-22 (₹)
		Deferred Tax Asset/ (Liability)	Deferred Tax Asset/ (Liability)
1	Provision for Depreciation on fixed assets	2,99,66,550	2,79,93,040
2	Special Reserve u/s 36(1)(viii) of the Income Tax Act 1961	(4,07,64,80,346)	(3,87,65,37,167)
3	Provision for Non performing assets	11,70,13,876	66,39,15,061
4	Provision for Restructuring of Accounts	60,105	30,66,284
5	Provision for Non Performing Investment	83,40,09,746	-
6	Provision for Standard Assets	4,64,13,82,523	2,88,09,11,626
7	Others	58,56,57,558	70,49,01,616
<b>Net deferred tax Asset/(Liability)</b>		<b>2,13,16,10,012</b>	<b>40,42,50,460</b>

- 8 (i) Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account not provided for (net of advance paid) is ₹73,41,057/- (Previous year ₹1,89,87,686/-).

9 **Disclosure relating to Resolution Plans implemented during the year in terms of RBI Circular DBR.No.BP.BC.45/21.04.048/2018-19 dated June 7, 2019:**

- i) RPs Successfully implemented during the year ended March 31, 2023

No. of cases	Balance Outstanding*
1	380.04

\*The account was technically written off as on the date of restructuring and was closed thereafter during the year.

- ii) Details of Securities acquired due to conversion of debt to equity during a restructuring process:

Particulars	No of Shares/units	Face Value per share (in ₹)	Book Value(in ₹)
Compulsory Convertible Debentures (CCDs).	53045	1,00,000.00	1.00

- iii) Details of resolution plans implemented under the RBI Resolution Framework for COVID-19 related stress as per RBI circular dated 6th August, 2020 (Resolution Framework 1.0) and 5th May 2021 (Resolution Framework 2.0) as at March 31, 2023 are given below :

Type of borrower	Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan – Position as at the end of the previous half-year (A)	Of (A), aggregate debt that slipped into NPA during the half-year	Of (A) amount written off during the half-year	Of (A) amount paid by the borrowers during the half-year \$	Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan – Position as at the end of this half-year
Personal Loans	---	---	---	---	---
Corporate persons	31.09	---	0	3.07	28.02
<i>Of which MSMEs</i>	<i>31.09</i>	---	<i>0</i>	<i>3.07</i>	<i>28.02</i>
Others	---	---	---	---	---
<b>Total</b>	<b>31.09</b>	<b>---</b>	<b>0</b>	<b>3.07</b>	<b>28.02</b>

\$ Represents net movement in balance outstanding.

- iv. The number of borrower accounts where Resolution Plan is implemented in terms of RBI circular no. DOR.STR.REC.11/21.04.048/2021-22 dated May 5, 2021 on Resolution Framework – 2.0: Resolution of COVID-19 related stress of Individuals and Small Businesses is nil. Further no modifications were sanctioned and implemented in respect of accounts which were implemented under Resolution Framework 1.0.

#### 10 Contingent Liabilities referred to in Schedule XI

Contingent liabilities include "Claims against the Bank not acknowledged as debts" of ₹9,64,85,12,907 (Previous Year ₹6,56,25,72,519). These represents claims filed against the Bank in the normal course of business relating to various legal cases currently in progress and demands raised by income tax and other statutory authorities. These is being disputed by the Bank and based on expert's opinion, the provision is not considered necessary.

- 11 In the opinion of the Management, there is no material impairment of the fixed assets of the Bank in terms of Accounting Standard 28- Impairment of Assets.
- 12 Disclosures under Accounting Standard 29 for provisions in contingencies. The salary & allowances of the employees of the Bank are reviewed every five years. Such review is due from November 01, 2022.

(Amount in ₹)

Particulars	FY 2023 Wage Arrears / Incentive	FY 2022 Wage Arrears / Incentive
<b>Opening Balance</b>	<b>1,39,13,00,000</b>	<b>1,07,63,00,000</b>
Additions:		
Arrears	65,69,31,704	31,50,00,000
Incentive	-	-
Utilisations	1,81,17,53,069	-
Write back	-	-
<b>Closing Balance</b>	<b>23,64,78,635</b>	<b>1,39,13,00,000</b>

#### 13 Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) sector – Restructuring of Advances for MSME Borrowers registered under Goods and Services Tax (GST):

As per RBI circular dated February 11, 2020 restructuring of advances was done for Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) Borrowers registered under Goods and Services Tax (GST). The RBI, vide its Circular dated August 06, 2020 on 'Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) Sector - Restructuring of Advances' extended the above scheme to support the viable MSME entities on account of the fallout of Covid-19. Further RBI vide circular RBI/2021-22/32 DOR.STR.REC.12/21.04.048/2021-22 dated May 5, 2021 has advised Resolution Framework 2.0 – Resolution of Covid-19 related stress of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The MSME accounts restructured under these guidelines are as under:

No. of accounts restructured	Amount (₹ in crore)
1,124	803.33

- 14 The extent to which the Covid-19 pandemic will continue to impact the Bank's results will depend on ongoing as well as future developments.
- 15 During the year ended March 31, 2023, the Bank has made an additional provision on standard advances at rates higher than minimum stipulated under IRAC norms, as per Board approved Accelerated Provisioning Policy. Accordingly, the Bank holds additional provision on standard advances of ₹253.38 crore at March 31, 2023.
- 16 In accordance with RBI Master Direction RBI/DOR/2021-22/85 DOR.STR.REC.53/21.04.177/2021-22 dated September 24, 2021 – (Securitisation of Standard Assets) Directions, 2021, the outstanding amount of securitised assets as per books of the SPEs and total amount of exposures retained by the originator as on the date of balance sheet to comply with the MRR is NIL for Year ended March 31, 2023.



**17 MUDRA India Microfinance Equity Fund (IMEF):** Government of India (GOI) has created "India Microfinance Equity Fund(IMEF)" with SIDBI with a corpus of ₹300 crore. The fund shall be utilised for extending equity or any other form of capital to Tier-II and Tier-III NBFC MFIs and all Non-NBFC MFIs, with a focus on smaller socially oriented MFIs with the objective of poverty alleviation and achieving long term sustainability of operations in unserved and underserved parts of the country. During FY 2019-20 the corpus fund of IMEF has been transferred from SIDBI to MUDRA. The fund was operated / managed by MUDRA for which 1% per annum administrative fee on the drawn amount charged to the fund and is received by MUDRA. Further, the inflows and outflows was credited / debited to the fund. The balance in the fund was ₹310,80,74,899/- as on March 31, 2023. The entire fund was transferred back to SIDBI on April 04, 2022.

**18** Details of loans transferred / acquired during the Year ended March 31, 2023 under the RBI Master Direction on Transfer of Loan Exposures dated September 24, 2021 are given below:

During the quarter and Year ended March 31, 2023:

- i. the Bank has not acquired any loan not in default through assignment.
- ii. the Bank has not transferred any non-performing assets (NPAs) to Asset Reconstruction Companies (ARCs)/ to permitted transferees/ to other transferees
- iii. the bank has not acquired any stressed loans and not transferred any loan not in default / Special Mention Accounts (SMA).
- iv. the bank has not invested in Security Receipts (SR) issued by Asset Reconstruction Companies (ARC) in respect of stressed loans transferred to ARCs.

**19** Additional statutory information disclosed in separate financial statements of the parent and the subsidiaries have no bearing on the true and fair view of the Consolidated Financial Statements and also the information pertaining to the items which are not material have not been disclosed in the Consolidated Financial Statements in view of the general clarification issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

**20 Implementation of Ind-AS :**

As per RBI letter dated May 15, 2019 issued to the Bank, implementation of Ind-AS for AIFIs has been deferred till further notice. Accordingly, financial statements of the Bank are continued to be prepared under IGAAP. However, the Bank would continue to submit Proforma Ind AS financial statements on half-yearly basis to RBI as hitherto as advised in RBI letter dated May 15, 2019. At present, SIDBI is making use of Excel Sheets for conversion of IGAAP financial statements into Proforma Ind-AS Financial Statements.

**21** Regulation 14 of Small Industries Development Bank of India General Regulations, 2000 prescribes separate format for presentation of accounts under Small Industries Development Assistance Fund(SIDAF) and General Fund. As no separate SIDAF has been notified by the Central Government, the same is not being maintained by SIDBI.

**22** Previous year's figures have been re-grouped and re-classified wherever necessary to make them comparable with the current year's figures.

## Additional consolidated disclosures

as per RBI guidelines

### 1. Capital adequacy (As per Basel I)

(₹ crore)

Sr. No	Particulars	FY 2022-23	FY 2021-22
i)	Common Equity*	Not Applicable	Not Applicable
ii)	Additional Tier 1 capital*	Not Applicable	Not Applicable
(iii)	Total Tier 1 capital	26,956.57	24,425.84
(iv)	Tier 2 capital	1,585.69	1,007.56
v)	Total Capital ( Tier 1+Tier 2)	28,542.26	25,433.40
vi)	Total Risk Weighted Assets (RWAs)	1,35,214.71	97,386.78
vii)	Common Equity Ratio ( Common Equity as a percentage of RWAs) *	Not Applicable	Not Applicable
viii)	Tier 1 Ratio ( Tier 1 capital as a percentage of RWAs)	19.94%	25.08%
ix)	Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) (Total Capital as a percentage of RWAs)	21.11%	26.12%
x)	Percentage of the shareholding of the Government of India	20.85	20.85
xi)	Amount of equity capital raised	-	-
xii)	Amount of Additional Tier 1 capital raised; of which	-	-
	a.) Perpetual Non-Cumulative Preference Shares (PNCPS)	-	-
	b.) Perpetual Debt Instruments (PDI)	-	-
xiii)	Amount of Tier 2 capital raised; of which	-	-
	a.) Debt capital instruments	-	-
	b.) Perpetual Cumulative Preference Shares (PCPS)	-	-
	c.) Redeemable Non-Cumulative Preference Shares (RNCPS)	-	-
	d.) Redeemable Cumulative Preference Shares (RCPS)	-	-

\* The figures are not being calculated at present, since BASEL-III is not applicable.

### 2. Free Reserves and Provisions

#### (a) Provision on Standard Assets

(₹ crore)

Particulars	FY 2022-23	FY 2021-22
Provisions towards Standard Assets (cumulative)	1,844.17	1,144.68

#### (b) Floating Provisions

(₹ crore)

Particulars	FY 2022-23	FY 2021-22
Opening balance in the floating provisions account	495.67	1,099.96
The quantum of floating provisions made in the accounting year	0.00	0.00
Amount of draw down made during the accounting year *	0.00	604.29
Closing balance in the floating provisions account	495.67	495.67

\* Amount utilised for making NPA provision in terms of RBI circular dated May 05, 2021 and as per Bank's Board approved policy on floating provision.

### 3. Asset Quality and specific provisions

#### (a) Non-Performing Advances

(₹ crore)

Particulars	FY 2022-23	FY 2021-22
<b>(i) Net NPAs to Net Advances (%)</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.06%</b>
<b>(ii) Movement of NPAs (Gross)</b>		
(a) Opening balance	299.60	358.68
(b) Additions during the year	93.39	1,036.20
(c) Reductions during the year	337.94	1,095.28
(d) Closing balance	<b>55.05</b>	<b>299.60</b>
<b>(iii) Movement of Net NPAs</b>		
(a) Opening balance	132.10	185.25
(b) Additions during the year	(82.66)	11.51
(c) Reductions during the year	40.88	64.66
(d) Closing balance	<b>8.56</b>	<b>132.10</b>
<b>(iv) Movement of provisions for NPAs (excluding provisions on standard assets)</b>		
(a) Opening balance	167.50	173.42
(b) Provisions made during the year	176.05	1030.31
(c) Write of / write back of excess provisions	297.06	1036.23
(d) Closing balance	<b>46.49</b>	<b>167.50</b>

\*The Net NPA will be NIL for the current year and previous year, if the amount of floating provision is adjusted against the same.

#### (b) Non-Performing Investments

(₹ crore)

Particulars	FY 2022-23	FY 2021-22
<b>(i) Net NPI to Net Advances (%)</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
<b>(ii) Movement of NPI (Gross)</b>		
(a) Opening balance	350.16	344.62
(b) Additions during the year	0.00	5.54
(c) Reductions during the year	18.78	0.00
(d) Closing balance	<b>331.38</b>	<b>350.16</b>
<b>(iii) Movement of Net NPI</b>		
(a) Opening balance	0.00	0.00
(b) Additions during the year	0.00	0.00
(c) Reductions during the year	0.00	0.00
(d) Closing balance	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>(iv) Movement of provisions for NPI (excluding provisions on standard assets)</b>		
(a) Opening balance	350.16	344.62
(b) Provisions made during the year	0.00	5.54
(c) Write of / write back of excess provisions	18.78	0.00
(d) Closing balance	<b>331.38</b>	<b>350.16</b>

Includes security (Book Value stated at ₹1/-) acquired by way of conversion of debt in line with extant RBI guidelines and the same has been fully redeemed in the same year.

**(c) Non-Performing Assets (a+b)**

(₹ crore)		
Particulars	FY 2022-23	FY 2021-22
<b>(i) Net NPAs to Net Assets (Advanced + investments) (%)</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.05%</b>
<b>(ii) Movement of NPAs (Gross Advances + Gross investments)</b>		
(a) Opening balance	649.76	703.31
(b) Additions during the year	93.39	1,041.73
(c) Reductions during the year	356.72	1,095.28
(d) Closing balance	<b>386.43</b>	<b>649.76</b>
<b>(iii) Movement of Net NPAs</b>		
(a) Opening balance	132.10	185.25
(b) Additions during the year	(82.66)	11.51
(c) Reductions during the year	40.88	64.66
(d) Closing balance	<b>8.56</b>	<b>132.10</b>
<b>(iv) Movement of provisions for NPAs (excluding provisions on standard assets)</b>		
(a) Opening balance	517.66	518.05
(b) Provisions made during the year	176.05	1,035.84
(c) Write of / write back of excess provisions	315.84	1,036.23
(d) Closing balance	<b>377.87</b>	<b>517.66</b>

**(d) Disclosure of Restructured Accounts**

(₹ Crore)

Sr. No.	Type of Restructuring →	Others						Total				
		Asset Classification →	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	
Details ↓												
1	Restructured Accounts as on April 1 of the FY (opening figures)*	No. of Borrowers	14	2	10	-	26	14	2	10	-	26
		Amount outstanding	69.95	6.36	32.68	-	108.99	69.95	6.36	32.68	-	108.99
		Provision thereon	0.18	0.02	0.05	-	0.25	0.18	0.02	0.05	-	0.25
2	Fresh restructuring during the year	No. of Borrowers	1	3	-	-	4	1	3	-	-	4.00
		Amount outstanding	0.27	4.18	-	-	4.45	0.27	4.18	-	-	4.45
		Provision thereon	0.01	-	-	-	0.01	0.01	-	-	-	0.01
3	Upgradations to restructured category during the FY	No. of Borrowers	1	(1.00)	-	-	-	1	(1.00)	-	-	-
		Amount outstanding	5.03	(5.03)	-	-	-	5.03	(5.03)	-	-	-
		Provision thereon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY	No. of Borrowers	(4)	-	-	-	(4)	(4)	-	-	-	(4)
		Amount outstanding	(19.58)	-	-	-	(19.58)	(19.58)	-	-	-	(19.58)
		Provision thereon	(0.17)	-	-	-	(0.17)	(0.17)	-	-	-	(0.17)
5	Downgradations of restructured accounts during the FY	No. of Borrowers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Amount outstanding	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Provision thereon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Write-offs of restructured accounts during the FY#	No. of Borrowers	(4)	(4)	(10)	-	(18)	(4)	(4)	(10)	-	(18)
		Amount outstanding	(28.58)	(5.50)	(32.69)	-	(66.77)	(28.58)	(5.50)	(32.69)	-	(66.77)
		Provision thereon	-	(0.02)	(0.05)	-	(0.07)	-	(0.02)	(0.05)	-	(0.07)
7	Restructured Accounts as on March 31 of the FY (closing figures)*	No. of Borrowers	8	-	-	-	8	8	-	-	-	8
		Amount outstanding	27.09	-	0.00	-	27.09	27.09	-	0.00	-	27.09
		Provision thereon	0.02	0.00	(0.00)	-	0.02	0.02	0.00	(0.00)	-	0.02

\* Excluding the figures of Standard Restructured Advances which do not attract higher provisioning or risk weight (if applicable).

Note: Figures at Sr. No.6 includes increase in outstanding net of reduction / recovery of ₹6.76 crore in respect of existing restructured accounts and closure of 7 borrower amounting to ₹33.01 crore and provision of ₹0.05 crore. Further, during FY 2023 one account amounting to ₹0.27 crore and provision of ₹0.01 crore upgraded from writeoff to standard category and showing under addition.

**(e) Movement of Non-performing assets**

(₹ crore)

Particulars	FY 2022-23	FY 2021-22
Gross NPAs as on opening date of accounting period (Opening Balance)	299.60	358.68
Additions (Fresh NPAs) during the year	93.39	1,036.20
<b>Sub total (A)</b>	<b>392.99</b>	<b>1,394.88</b>
Less :-		
(i) Upgradations	35.01	37.62
(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	32.79	46.93
(iii) Technical / Prudential Write offs	211.42	1,005.06
(iv) Write offs other than those under (iii) above	58.72	5.67
<b>Sub-total (B)</b>	<b>337.94</b>	<b>1,095.28</b>
<b>Gross NPAs as on 31st March of following year (Closing Balance) (A-B)</b>	<b>55.05</b>	<b>299.60</b>

**(f) Write-offs and recoveries**

(₹ crore)

Particulars	FY 2022-23	FY 2021-22
Opening balance of Technical / Prudential written off accounts as at April 1	3,389.19	2,624.88
Add : Technical / Prudential write offs during the year	262.75	1,005.06
<b>Sub total (A)</b>	<b>3,651.94</b>	<b>3,629.94</b>
Less : Actual write off	594.90	37.83
Less : Recoveries made from previously technical / prudential written off accounts during the year	288.81	202.92
<b>Sub total (B)</b>	<b>883.71</b>	<b>240.75</b>
<b>Closing balance as at March 31 (A-B)</b>	<b>2,768.23</b>	<b>3,389.19</b>

**(g) Overseas Assets, NPAs and Revenue**

(₹ crore)

Particulars	FY 2022-23	FY 2021-22
Total Assets	Nil	Nil
Total NPAs	Nil	Nil
Total Revenue	Nil	Nil

**(h) Depreciation and provisions on investments**

(₹ crore)

Particulars	FY 2022-23	FY 2021-22
<b>(1) Investments</b>		
(i) Gross Investments	<b>27,775.69</b>	<b>22,574.77</b>
(a) In India	27,775.69	22,574.77
(b) Outside India		
(ii) Provisions for Depreciation	<b>362.25</b>	<b>356.49</b>
(a) In India	362.25	356.49
(b) Outside India		
(iii) Net Investments	<b>27,413.44</b>	<b>22,218.28</b>
(a) In India	27,413.44	22,218.28
(b) Outside India		
<b>(2) Movement of provisions held towards depreciation on investments</b>		
(i) Opening balance	<b>6.33</b>	<b>20.76</b>
(ii) Add: Provisions made during the year	26.05	0.22
(iii) Appropriation, if any, from Investment Fluctuation Reserve Account during the year	-	-
(iv) Less: Write off / write back of excess provisions during the year*	1.51	14.65
(v) Less: Transfer, if any, to Investment Fluctuation Reserve Account	-	-
(vi) Closing balance	<b>30.87</b>	<b>6.33</b>

\*The Bank has appropriated ₹10.96 crore (net of applicable taxes) to Investment Fluctuation Reserve Account in FY 2022.

**(i) Provisions and Contingencies**

(₹ crore)

Break up of 'Provisions and Contingencies' shown under the head Expenditure in Profit and Loss Account	FY 2022-23	FY 2021-22
Provisions for depreciation/NPI on Investment	5.76	(8.89)
Provision towards NPA	148.83 @	408.19 @#
Provision made towards Income tax (Including Deferred Tax Assets/Liability)	1251.54	511.52
Other Provision and Contingencies (with details) <sup>§</sup>	699.49 <sup>§</sup>	(20.33) <sup>§</sup>

@ net of restructuring provision

§ includes provision for standard asset.

#Net of write back of floating provision.

**(j) Provisioning Coverage Ratio (PCR)**

Particulars	FY 2022-23	FY 2021-22
Provisioning Coverage Ratio (PCR)*	99.70%	96.30%

\* Floating provision has not been considered while calculating PCR.

**(k) Provisioning pertaining to Fraud Accounts**

(₹ crore)

Particulars	FY 2022-23	FY 2021-22
No. of frauds reported during the year	9	1
Amount involved in fraud (₹ in crore)	36.87	6.67
Amount involved in fraud net of recoveries/write offs/unrealised interest as at the end of the year (₹ in crore)	31.06	6.47
Provision made during the year (₹ in crore)	1.13	-
Provision held as at the end of the year for the above accounts (₹ in crore)	31.06	6.47
Amount of unamortised provision debited from "other reserves" as at the end of the year (₹ in crore)	-	-



#### 4. Investment portfolio: constitution and operations

##### (a) Repo Transactions

(₹ crore)

Particulars	Minimum outstanding during the year FY 2023	Maximum outstanding during the year FY 2023	Daily Average outstanding during the year FY 2023	Outstanding as on March 31, 2023
Securities sold under repo				
i. Government securities	-	13,673.20	2,720.28	10,543.96
ii. Corporate debt securities	Nil	Nil	Nil	Nil
Securities purchased under reverse repo				
i. Government securities	-	14,994.39	1,632.35	1,998.89
ii. Corporate debt securities	Nil	Nil	Nil	Nil

(₹ crore)

Particulars	Minimum outstanding during the year FY 2022	Maximum outstanding during the year FY 2022	Daily Average outstanding during the year FY 2022	Outstanding as on March 31, 2022
Securities sold under repo				
i. Government securities	-	3,735.68	348.89	2,568.91
ii. Corporate debt securities	Nil	Nil	Nil	Nil
Securities purchased under reverse repo				
i. Government securities	-	21,610.09	6,450.69	299.89
ii. Corporate debt securities	Nil	Nil	Nil	Nil

##### (b) Disclosure of Issuer Composition for Investment in Debt Securities

(₹ crore)

Issuer	Amount	Amount of			
		Investment made through private placement	Below Investment Grade Securities Held	Unrated securities held	Unlisted securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PSUs	368.96	278.25	-	-	-
FIs	2,795.10	2,795.10	-	189.83	189.83
Banks	8,302.72	8,302.72	-	103.50	103.50
Private Corporates	450.11	450.11	-	450.11	441.48
Subsidiaries/Joint ventures	0	0	-	0	0
Others	1,045.81	1,045.81	-	1,045.81	1,045.81
Provision held towards depreciation	(362.23)	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>12,600.47</b>	<b>12,871.99</b>	<b>-</b>	<b>1,789.25</b>	<b>1,780.62</b>

##### (c) Sale & transfers of securities to /from HTM category:

During the current FY, the Bank shifted investments in Venture Capital Funds from HTM to AFS category in accordance with extant RBI guidelines. Except for the above, there was no shifting on investments to/from HTM category.

## 5. Details of Financial Assets purchased/ sold

### (a) Details of Financial Assets sold to Securitisation / Reconstruction Company for Asset Reconstruction

#### (i) Details of Sales

(₹ crore)

Particulars	FY 2022-23	FY 2021-22
(i) No. of accounts (borrower)	Nil	Nil
(ii) Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC	Nil	Nil
(iii) Aggregate consideration	Nil	Nil
(iv) Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	Nil	Nil
(v) Aggregate gain / loss over net book value	Nil	Nil

#### (ii) Details of Book Value of Investments in Security Receipts

(₹ crore)

Particulars	Book value of investments in security receipts	
	FY 2022-23	FY 2021-22
(i) Backed by NPAs sold by the AIFI as underlying	0.27	0.27
(ii) Backed by NPAs sold by banks / other financial institutions / non-banking financial companies as underlying	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>0.27</b>	<b>0.27</b>

### (b) Details of Non Performing Financial Assets Purchased / Sold

#### (i) Details of non performing financial assets purchased:

(₹ crore)

Particulars	FY 2022-23	FY 2021-22
1. (a) No. of accounts purchased during the year	Nil	Nil
(b) Aggregate outstanding	Nil	Nil
2. (a) Of these, number of accounts restructured during the year	Nil	Nil
(b) Aggregate outstanding	Nil	Nil

#### (ii) Details of non performing financial assets sold:

(₹ crore)

Particulars	FY 2022-23	FY 2021-22
No. of accounts sold	Nil	Nil
Aggregate outstanding	Nil	Nil
Aggregate consideration received	Nil	Nil

## 6. Operating Results

Particulars	FY 2022-23	FY 2021-22
(i) Interest income as a percentage to average working funds	5.30	4.21
(ii) Non-interest income as a percentage to average working funds	0.14	0.18
(iii) Operating profit as a percentage to average working funds (before provisions)	1.63	1.33
(iv) Return on average assets (before provisions for taxation)	1.40	1.16
(v) Net Profit per employee (₹ crore)	3.66	2.13

## 7. Credit Concentration risk

### (a) Capital market exposure

(₹ crore)

Particulars	FY 2022-23	FY 2021-22
(i) direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	320.03	456.70
(ii) advances against shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs / ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity oriented mutual funds;	-	-
(iii) advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	-	-
(iv) advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares / convertible bonds / convertible debentures / units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	-	-
(v) secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;	-	-
(vi) loans sanctioned to corporates against the security of shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	-	-
(vii) bridge loans to companies against expected equity flows / issues;	-	-
(viii) underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	-	-
(ix) financing to stockbrokers for margin trading;	-	-
(x) all exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	1,173.61	1,024.82
<b>Total Exposure to Capital Market</b>	<b>1,493.64</b>	<b>1,481.52</b>

### (b) Exposure to Country risk

(₹ crore)

Risk Category	FY 2022-23		FY 2021-22	
	Net Funded Exposure	Provision held	Net Funded Exposure	Provision held
Insignificant	10,902.69	26.40	11,269.51	27.66
Low	1,018.09	-	998.70	-
Moderate	15.90	-	1.00	-
High	5.64	-	-	-
Very High	-	-	-	-
Restricted	-	-	-	-
Off-credit	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>11,942.32</b>	<b>26.40</b>	<b>12,269.21</b>	<b>27.66</b>

### (c) Prudential Exposure Limits - Single Borrower Limit (SGL) / Group Borrower Limit (GBL) exceeded.

- (i) The number and amount (not the name of the borrower) of exposures in excess of the prudential exposure limits during the year.

Sr. No.	PAN Number	Borrower Name	Industry Code	Industry Name	Sector	Amount Funded	Amount Non-Funded	Exposure as % to capital Funds
	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

## ii) Credit exposure as percentage to capital funds and as percentage to total assets, in respect of :

Sr. No.	Particulars	FY 2022-23		FY 2021-22	
		As % to Total Assets	As % to Capital funds	As % to Total Assets	As % to Capital funds
1	The largest single borrower	13.63	209.72	15.53	170.28
	The largest borrower group	As large borrowers are Primary lending Institutions, the concept of borrower group is not applicable.			
2	The 20 largest single borrowers	67.94	1,045.64	61.06	669.47
	The 20 largest borrower group	As large borrowers are Primary lending Institutions the concept of borrower group is not applicable.			

## iii) Credit exposure to the five largest industrial sectors as percentage to total loan assets :

(₹ crore)

Name of Industry	FY 2022-23		FY 2021-22	
	Amount. Outstanding	% to total loan assets	Amount. Outstanding	% to total loan assets
TEXTILE PRODUCTS	1,373.15	0.36	821.55	0.37
AUTO ANCILLARIES	1,303.56	0.34	871.11	0.39
METAL PRODUCTS N.E.C.	1,298.56	0.34	1,072.24	0.48
PLASTIC MOULDED GOODS	707.12	0.19	601.17	0.27
METAL PRODUCTS PARTS EXCEPT MACHINERY	648.03	0.17	580.84	0.26

- (iv) Total amount of advances for which intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority etc. has been taken is 'Nil'.
- (v) The bank had no factoring exposure during the current year and previous year.
- (vi) The bank had not exceeded the Prudential Exposure Limits during the current year and previous year..

## (d) Concentration of borrowings /lines of credit, credit exposures and NPAs

## (i) Concentration of borrowings and lines of credit

(₹ crore)

Particulars	FY 2022-23	FY 2021-22
Total borrowings from twenty largest lenders	3,16,623.42	2,07,923.53
Percentage of borrowings from twenty largest lenders to total borrowings	79.04%	84.38%

## (ii) Concentration of Exposures

(₹ crore)

Particulars	FY 2022-23	FY 2021-22
Total advances to twenty largest borrowers	2,98,449.36	1,69,786.49
Percentage of advances to twenty largest borrowers to Total Advances	74.56%	76.35%
Total Exposure to twenty largest borrowers / customers	3,33,833.93	2,06,873.95
Percentage of exposures to twenty largest borrowers / customers to Total Exposure	73.38%	70.82%

(iii) Sector-wise concentration of exposures and NPAs

(₹ crore)

Sr. No.	Sector	FY 2022-23			FY 2021-22		
		Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
I.	Industrial sector	3,35,409.61	14.74	0.00%	1,97,731.72	199.00	0.10%
1	Central Government	-	-	-	-	-	-
2	Central PSUs	-	-	-	-	-	-
3	State Governments	1,541.63	-	-	-	-	-
4	State PSUs	-	-	-	-	-	-
5	Scheduled Commercial Banks	3,14,619.21	-	-	1,82,705.34	-	-
6	Regional Rural Banks	832.72	-	-	592.25	-	-
7	Co-operative banks	-	-	-	-	-	-
8	Private sector (excluding banks)	18,416.05	14.74	0.08%	14,434.13	199.00	1.38%
II.	Micro-finance sector	6,575.89	40.31	0.61%	4,230.17	40.32	0.95%
III.	Others*	36,056.54	-	-	20,414.26	60.28	0.30%
	<b>Total (I+II+III)</b>	<b>3,78,042.04</b>	<b>55.05</b>	<b>0.01%</b>	<b>2,22,376.15</b>	<b>299.60</b>	<b>0.13%</b>

\* includes advances to NBFCs

## 8. Derivatives

### (a) Forward Rate Agreement / Interest Rate Swap

(₹ crore)

Sr. No	Particulars	FY 2022-23	FY 2021-22
i)	The notional principal of swap agreements	123.72	185.58
ii)	Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfill their obligations under the agreements	(1.91)	2.29
iii)	Collateral required by the bank upon entering into swaps	Nil	Nil
iv)	Concentration of credit risk arising from the swaps	Nil	3.25
v)	The fair value of the swap book	(1.91)	2.29

The nature and terms of the IRS as on March 31, 2023 are set out below:

Sr. No.	Nature	Nos.	Notional Principal	Benchmark	Terms
1	Hedging	1	INR 123,72,29,020.00	6 M USD LIBOR	Fixed receivable V/s floating payable

The nature and terms of the IRS as on March 31, 2022 are set out below:

Sr. No.	Nature	Nos.	Notional Principal	Benchmark	Terms
1	Hedging	1	INR 185,58,43,530.00	6 M USD LIBOR	Fixed receivable V/s floating payable

### (b) Exchange Traded Interest Rate Derivatives

(₹ crore)

Sr. No	Particulars	FY 2022-23	FY 2021-22
i)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument - wise)	NIL	NIL
ii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on March 31 (instrument - wise)	NIL	NIL
iii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument - wise)	NIL	NIL
iv)	Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument - wise)	NIL	NIL

**(c) Disclosures on risk exposure in derivatives****(i) Qualitative Disclosures**

- (1) The Bank uses Derivatives for hedging of interest rate and exchange risk arising out of mismatch in the assets and liabilities. All derivatives undertaken by Bank are for hedging purposes with underlying as Foreign Currency borrowings, which are not MTM, but only translated. The Bank does not undertake trading in Derivatives.
- (2) Internal Control guidelines and accounting policies are framed and approved by the Board. The derivative structure is undertaken only after approval of the competent authority. The particulars of derivative details undertaken are also reported to ALCO/Board.
- (3) The Bank has put systems in place for mitigating the risk arising out of derivative deals. The Bank follows the accrual method for accounting the transactions arising out of derivative deals.

**(d) Disclosure on Credit default swap - Bank has not undertaken any credit default swap during the year.****(ii) Quantitative Disclosures**

(₹ crore)

Sr. No.	Particulars	FY 2022-23		FY 2021-22	
		Currency Derivatives	Interest rate Derivatives	Currency Derivatives	Interest rate Derivatives
1	Derivatives ( Notional Principal Amount )	3,361.40	123.72	3,902.68	185.58
	(i) For hedging	3,361.40	123.72	3,902.68	185.58
	(ii) For trading	-	-	-	-
2	Marked to Market Positions [1]	535.51	(1.91)	296.35	2.29
	(i) Asset (+)	535.51	-	296.35	2.29
	(ii) Liability (-)	-	1.91	-	-
3	Credit Exposure [2]	730.12	-	557.49	3.25
4	Likely impact of one percentage change in interest rate (100* PV01)	1,681.43	(0.72)	56.18	(0.02)
	(i) On hedging derivatives	1,681.43	(0.72)	56.18	(0.02)
	(ii) On trading derivatives	-	-	-	-
5	Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year	-	-	-	-
	(i) On hedging	1912.87/0.56	(0.72)/(2.47)	88.26/56.18	(2.37)/(4.82)
	(ii) On trading	-	-	-	-

**9. Disclosure of Letters of Comfort (LoCs) issued by AIFIs**

The particulars of Letters of Comfort (LoCs) issued during the year, assessed financial impact, and assessed cumulative financial obligations under the LoCs issued in the past and outstanding is as under:

(₹ crore)

LoCs outstanding as on April 01, 2022		LoC issued during the year		LoCs redeemed during the year		LoCs outstanding as on March 31, 2023	
No of LoC	Amount	No of LoC	Amount	No of LoC	Amount	No of LoC	Amount
Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

**10. Asset Liability Management**

(₹ crore)

Particulars	1 to 14 days	15 to 28 days	29 days to 3 months	Over 3 months & up to 6 months	Over 6 month & up to 1 year	Over 1 year & up to 3 years	Over 3 years & up to 5 years	Over 5 years	Total
Deposits	34.63	28.75	1,636.46	5,354.83	45,130.93	1,42,287.69	2,791.15	2,681.16	1,99,945.60
Advances	6,997.81	4,269.79	52,090.15	68,561.71	70,644.41	1,61,467.47	12,204.45	1,759.75	3,77,995.54
Investments	12,067.13	1,368.00	10,402.43	15,454.58	4,956.77	5,220.20	2,082.81	1,467.51	53,019.43
Borrowings	15,640.96	3,600.00	73,581.99	26,684.22	34,913.39	44,652.76	836.77	747.83	2,00,657.92
Foreign Currency assets	6.87	8.03	911.60	32.72	364.03	2,253.17	367.78	-	3,944.20
Foreign Currency liabilities	13.20	6.43	530.98	47.71	482.50	2,051.84	693.42	563.67	4,389.75

ALM includes figures of SIDBI and MUDRA only.

## 11. Draw Down from Reserves

There is no draw down from Reserves during the current year and previous year.

## 12. Business Ratios

Particulars	FY 2022-23	FY 2021-22
Return on average Equity (before provisions for taxation) (%)	18.91	11.47
Return on average assets (before provisions for taxation) (%)	1.40	1.16
Net Profit per employee (₹ crore)	3.66	2.13

## 13. Disclosure of Penalties imposed by RBI

RBI had not imposed any penalty on the Bank during the current year and previous year.

## 14. Customer Complaints

### 1. Complaints received by the bank from its customers

Particulars	FY 2022-23	FY 2021-22
1 No. of complaints pending at the beginning of the year	1	7
2 No. of complaints received during the year	230	234
3 No. of complaints redressed during the year	230	240
3(i) Of which, number of complaints rejected by the Bank	83	19
4 No. of complaints pending at the end of the year	1	1

### 2. Top five grounds of complaints received by the bank from customers

Grounds of complaints, (i.e. complaints relating to)	Number of complaints pending at the beginning of the year	Number of complaints received during the year	% increase/ decrease in the number of complaints received over the previous year	Number of complaints pending at the end of the year	Of 5, number of complaints pending beyond 30 days
1	2	3	4	5	6
<b>FY 2023</b>					
Loans and advances	-	35	(18.60)	-	-
Levy of charges without prior notice/ excessive charges/ foreclosure charges	-	35	34.62	-	-
Others	1	53	(67.88)	1	-
<b>FY 2022</b>					
Loans and advances	-	43	(27.12)	-	-
Levy of charges without prior notice/ excessive charges/ foreclosure charges	-	26	160.00	-	-
Others	7	165	(42.71)	1	-

RBI vide their Circular CEPD.CO.PRD.Cir.No.01/13.01.013/2020-21 dated 27.01.2021 on Strengthening of Grievance Redress Mechanism in Banks had categorized grievances under 16 categories and had advised Banks to make disclosures accordingly.

## 15. Off-Balance Sheet SPVs Sponsored

The Bank had no Off-balance sheet SPVs sponsored during the current year and previous year.

## 16. Disclosure as per specific accounting standards

### (a) Accounting Standard 5 – Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies

Income in schedule XIII - 'other income' includes Prior Period Income of ₹10,08,72,058 for FY 2022-23 [Previous Year ₹4,66,88,641] and Other expenditure in schedule XIV - 'Operating Expenses' for FY 2022-23 includes Prior Period Expenditure of ₹1,22,71,798 [Previous Year (₹2,58,64,368)].



**(b) Accounting Standard 17 – Segment Reporting**

As required under RBI master directions and Accounting Standard-17 'Segment Reporting' the Bank has disclosed "Business segment" as the Primary Segment. Since the Bank operates in India, there are no reportable geographical segments. Under Business Segment, the Bank has identified Whole Sale Operations (Direct Lending), Whole Sale Operations (Refinance) and Treasury as its three reporting segments. These segments have been identified after considering the nature and risk profile of the products and services, the organization structure and the internal reporting system of the Bank. Previous year's figures have been regrouped and reclassified to conform to the current year's methodology.

**Part A: BUSINESS SEGMENTS**

Business Segments	Wholesale Operations (Direct Lending)		Wholesale Operations (Refinance)		Treasury		Total	
	FY 2023	FY 2022	FY 2023	FY 2022	FY 2023	FY 2022	FY 2023	FY 2022
<b>1 Segment Revenue</b>	1,554.09	1,209.26	15,619.60	7,597.02	2,827.74	1,327.28	20,001.43	10,132.56
Exceptional Items							-	-
<b>Total</b>							<b>20,001.43</b>	<b>10,132.56</b>
<b>2 Segment Results</b>	378.01	338.88	3,878.35	2,000.18	1,219.55	580.48	5,475.91	2,919.54
Exceptional Items							-	-
<b>Total</b>							<b>5,475.91</b>	<b>2,919.44</b>
Unallocable Expenses							326.70	240.58
<b>Operating profit</b>							5,149.21	2,678.86
Income Tax (Net of write back)							1,251.54	511.42
Share of profit in associates							33.81	(5.91)
<b>Net profit</b>							<b>3,931.48</b>	<b>2,161.53</b>
<b>3 Other information</b>								
<b>Segment Assets</b>	20,055.91	14,433.10	3,76,514.65	2,22,253.25	39,426.65	40,390.79	4,35,997.21	2,77,077.14
Unallocated Assets							3,255.31	1,803.30
<b>Total Assets</b>							<b>4,39,252.52</b>	<b>2,78,880.44</b>
<b>Segment Liabilities</b>	15,883.66	10,617.77	3,51,767.20	2,04,270.42	39,121.93	35,894.26	4,06,772.79	2,50,782.45
Unallocated Liabilities							3,340.17	2,764.61
<b>Total</b>							<b>4,10,112.96</b>	<b>2,53,546.80</b>
<b>Capital / Reserves</b>	4,155.25	3,752.69	24,326.26	17,193.94	658.05	4,385.75	29,139.56	
<b>Total</b>							<b>29,139.56</b>	<b>25,333.38</b>
<b>Total Liabilities</b>							<b>4,39,252.52</b>	<b>2,78,880.44</b>

**Part B: GEOGRAPHIC SEGMENTS** - The operations of the Bank is confined to India only, hence no reportable geographic segments.

**(c) Accounting Standard 18 – Related Party Disclosures****(i) Key management personnel**

Shri Sivasubramanian Ramann	Chairman & Managing Director
Shri V. Satya Venkata Rao	Deputy Managing Director
Shri Sudatta Mandal	Deputy Managing Director

(ii) Significant transactions with related parties

(₹ crore)

Items / Related Party	Key Management Personnel @	Relatives of Key Management Personnel	Total
<b>Borrowings#</b>	-	-	-
Outstanding at the year end	-	-	-
Maximum during the year	-	-	-
<b>Deposit#</b>	-	-	-
Outstanding at the year end	-	-	-
Maximum during the year	-	-	-
<b>Placement of deposits#</b>	-	-	-
Outstanding at the year end	-	-	-
Maximum during the year	-	-	-
<b>Advances#</b>	-	-	-
Outstanding at the year end	-	-	-
Maximum during the year	-	-	-
<b>Investments#</b>	-	-	-
Outstanding at the year end	-	-	-
Maximum during the year	-	-	-
<b>Non funded commitments#</b>	-	-	-
Outstanding at the year end	-	-	-
Maximum during the year	-	-	-
<b>Leasing arrangements availed#</b>	-	-	-
Outstanding at the year end	-	-	-
Maximum during the year	-	-	-
<b>Leasing arrangements provided#</b>	-	-	-
Outstanding at the year end	-	-	-
Maximum during the year	-	-	-
Purchase of fixed assets	-	-	-
Sale of fixed assets	-	-	-
<b>Interest paid</b>	-	-	-
<b>Interest received</b>	-	-	-
<b>Dividend received</b>	-	-	-
<b>Dividend paid</b>	-	-	-
<b>Rendering of services*</b>	-	-	-
<b>Receiving of services*</b>	-	-	-
<b>Management contracts**</b>	1.35	-	1.35

@Whole time directors of the Board

# The outstanding at the year end and the maximum during the year are to be disclosed

\* Contract services etc. and not services like remittance facilities, locker facilities etc.

\*\* Remuneration to Key Management Personnel.

## 17. Unamortised Pension and Gratuity Liabilities

The pension and gratuity liability are provided for on the basis of an actuarial valuation made at the end of each financial year based on the projected unit credit method. The actuarial gains/ losses are taken to the profit & loss account and are not amortized.

As per our report of even date

BY ORDER OF THE BOARD

For **Borkar & Muzumdar**  
Chartered Accountants  
FRN.101569W

**Ajit Nath Jha**  
Chief Financial Officer

**Sudatta Mandal**  
Deputy Managing Director

**V. Satya Venkata Rao**  
Deputy Managing Director

**Sivasubramanian Ramann**  
Chairman & Managing Director

**Darshit Doshi**  
Partner  
M.No. 133755

**G Gopalakrishna**  
Director

**Amit Tandon**  
Director

Place: Mumbai  
Date: May 12, 2023

# Consolidated Cash Flow Statement

for the year ended March 31, 2023

March 31, 2022	Particulars	March 31, 2023	March 31, 2023
	<b>1. Cash Flow from Operating Activities</b>		
26,79,30,78,392	Net Profit before tax as per P & L Account		51,49,20,30,632
	Adjustments for :		
36,43,50,321	Depreciation	26,67,08,148	
5,53,33,454	Provision for net depreciation in investments	24,53,96,517	
4,25,62,57,499	Provisions made (net of write back)	9,16,74,09,694	
(5,61,92,51,814)	Profit on sale of investments (net)	(8,27,32,54,340)	
(14,17,772)	Profit on sale of fixed assets	(1,33,74,835)	
(19,46,66,611)	Income Received on Investments	(7,99,78,141)	1,31,29,07,043
<b>25,65,36,83,469</b>	<b>Cash generated from operations</b>		<b>52,80,49,37,675</b>
	(Prior to changes in operating Assets and Liabilities)		
	Adjustments for net changes in :		
(1,69,73,67,138)	Current assets	(14,93,03,26,041)	
81,68,99,06,362	Current liabilities	64,91,97,74,553	
(13,44,52,273)	Bills of Exchange	(5,17,69,19,133)	
(5,24,06,31,06,808)	Loans & Advances	(15,51,99,51,48,710)	
3,66,23,05,27,707	Net Proceeds of Bonds and Debentures & other borrowings	12,49,45,48,36,350	
1,46,00,55,73,814	Deposits received	2,02,30,06,99,722	
<b>68,03,10,81,664</b>			<b>(55,42,70,83,259)</b>
93,68,47,65,133			(2,62,21,45,584)
(5,95,87,95,346)	Payment of Tax	(14,18,16,41,591)	(14,18,16,41,591)
<b>87,72,59,69,787</b>	<b>Net Cash flow from operating Activities</b>		<b>(16,80,37,87,175)</b>
	<b>2. Cash Flow from Investing Activities</b>		
(52,08,63,542)	Net (Purchase)/Sale of fixed assets	(28,94,14,376)	
(1,37,41,19,14,844)	Net (Purchase)/sale/redemption of Investments	16,23,33,23,888	
47,78,14,760	Income Received on Investments	5,73,50,433	
<b>(1,37,45,49,63,626)</b>	<b>Net cash used in Investing Activities</b>		<b>16,00,12,59,945</b>
	<b>3. Cash flow from Financing Activities</b>		
14,22,80,00,000	Proceeds from issuance of share capital & share premium	-	
(1,34,69,92,211)	Dividend on Equity Shares & tax on Dividend	(79,81,84,026)	
<b>12,88,10,07,789</b>	<b>Net cash used in Financing Activities</b>		<b>(79,81,84,026)</b>
<b>(36,84,79,86,050)</b>	<b>4. Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents</b>		<b>(1,60,07,11,256)</b>
<b>80,50,09,58,431</b>	<b>5. Cash and Cash Equivalents at the beginning of the period</b>		<b>43,65,29,72,381</b>
<b>43,65,29,72,381</b>	<b>6. Cash and Cash Equivalents at the end of the period</b>		<b>42,05,22,61,125</b>
	<b>7. Cash and cash equivalents at the end of the period includes</b>		
7,23,087	Cash in Hand		6,14,370
92,90,15,875	Current account balance with Bank		6,30,75,42,823
19,99,90,00,050	Mutual Funds		-
22,72,42,33,369	Deposits		35,74,41,03,932

Note : Cash Flow statement has been prepared as per the Indirect Method prescribed in AS-3 (Revised) 'Cash Flow Statement' issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI)

Significant Accounting Policies XV

Notes to Accounts Annexure 1

As per our report of even date

BY ORDER OF THE BOARD

For **Borkar & Muzumdar**  
Chartered Accountants  
FRN.101569W

**Ajit Nath Jha**  
Chief Financial Officer

**Sudatta Mandal**  
Deputy Managing Director

**V. Satya Venkata Rao**  
Deputy Managing Director

**Sivasubramanian Ramann**  
Chairman & Managing Director

**Darshit Doshi**  
Partner  
M.No. 133755

**G Gopalakrishna**  
Director


**Amit Tandon**  
Director

Place: Mumbai  
Date: May 12, 2023



Small Industries Development Bank of India

[www.sidbi.in](http://www.sidbi.in)

 @sidbiofficial

 SidbiOfficial

 SidbiOfficial